राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उन्तीसवां दिवस [संख्या : 16

गुरुवार,
20 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री सांवर लाल।

सत्र एवं जिला न्यायाधीश जिला बाड़मेर को नारकोटिक ड्रग्स एण्ड फाइकोट्रोपिक्स सबस्टेन्स न्यायालय के अधिकार

123. श्री सांवर लाल (भिनाय) {श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) के स्थान पर} : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के 32 जिलों में नारकोटिक ड्रग्स एण्ड फाइकोट्रोपिक्स सबस्टेन्स न्यायालयों की स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो किन-किन ज़िलों में उक्त न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है ?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले के सत्र एवं जिला न्यायाधीश को उक्त न्यायालय के अधिकार देकर वहां की जनता को सस्ता न्याय दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) यह सही नहीं है कि राज्य के 32 जिलों में एन.डी.पी.एस. न्यायालयों को खोल दिया गया है। राज्य के 7 जिले जोधपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर शहर, झालावाड़, जिला चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में एन.डी.पी.एस. न्यायालय अलग से स्थापित व कार्यरत हैं। इन जिलों में उपरोक्त न्यायालयों को छोड़कर अन्य जिलों में अलग से न्यायालय स्थापित नहीं है। विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर में जिला जोधपुर के अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, पाली एवं जालौर जिलों के क्षेत्र में घटित होने वाले मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जोधपुर न्यायालय को दे दिया गया है। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से उपरोक्त न्यायालयों को छोड़कर शेष समस्त सत्र न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों का विचारण करने हेतु विशेष

(विधि मंत्री)

न्यायाधीश नियुक्त कर रखा है।

(2) विधि एवं विधिक कार्य विभाग में दिनांक 22.2.92 को विशिष्ट न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलात जोधपुर मुख्यालय को बाड़मेर जिले में घटित होने वाले समस्त मामलों की सुनवाई का अधिकार दे रखा है। जो अभी तक चल रहा है और इस आदेश को स्थाई करने का राज्य सरकार का इरादा बाड़मेर में विशिष्ट न्यायालय स्थापित होने पर ही हो सकेगा।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने कुछ जिलों के अन्दर यह स्पेशल न्यायालय खोले हैं और चूंकि यह अलग ही तरह के मामले एन.डी.पी.एस. एक्ट में हैं, दर्ज होते हैं, उनकी सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था आपने की है तो सारे जिलों में क्यों नहीं की ? अगर आपको अधिकार ही देना होता तो दूसरी जगह जहां पर आपने अलग से यह न्यायालय खोले हैं, वहां पर भी आप अधिकार देकर यह कार्य करवा सकते थे। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने कुछ जगह पर यह खोले हैं, इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है और दूसरा, यह जो अधिकार दिये हैं, उसके पीछे आपका क्या क्राइटेरिया रहा है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन स्थानों पर यह न्यायालय खोले गये हैं वहां पर इसके केसेज ज्यादा आते हैं। ओपियम, गांजा, इस प्रकार के ज्यादा जहां केसेज आते हैं, नम्बर आफ केसेज को देखते हुए यह कोर्ट्स खोले जाते हैं। तो नम्बर आफ केसेज के हिसाब से इन सात जिलों के अन्दर हैं, और जोधपुर में कम होते हुए ही, उनको पूरी डिवीजन का जुरिस्डिक्शन दे दिया गया है। अब सब जिलों के अन्दर हमने डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेज को यह अधिकार दे रखे हैं कि उस जिले का कैस वहीं आये तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उस केस को हैंडल कर सकते हैं और उस पर जजमैंट दे सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं और वे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सांवर लाल : एक मेरा और सवाल है, माननीय मंत्री महोदय, ज़हां पर यह विशेष न्यायालय खोले हैं, वहां पर डिस्पोजल का परसेंटेज कितना है और दूसरी जगह जो सामान्य तौर पर हियरिंग करते हैं इस प्रकार के केसेज की वहां पर डिस्पोजल का परसेंटेज क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यूं तो अलग से प्रश्न है।

श्री सांवर लाल : अलग नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हरेक कोर्ट का कितना–कितना डिस्पोजल है, आम तौर पर यह सब हमको हाईकोर्ट से जवाब मंगाने पड़ते हैं और यह सीधा सम्बन्ध लॉ डिपार्टमैंट का नहीं है, हम तो हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको बताइये कि कितने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

केसेज कोर्ट में हैं और कहां–कहां पर आपने कोट्‌र्स खोल रखे हैं। यह मेहरबानी कर नाम भेज दिये हैं। यह उन्होंने बड़ी मेहरबानी से नाम भेज दिये हैं, अभी उन्होंने हमको यह नम्बर नहीं भेजा है, कहा कि आप इसको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाम ही नहीं भेजा, परामर्श भी दी है, हाईकोर्ट ने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी ?

श्री अध्यक्ष : हाईकोर्ट ने आपको परामर्श भी दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, परामर्श यह दिया है कि हम बाड़मेर के अन्दर जो बालोतरा में उनका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, उसको खास तौर से अमराराम जी ने उसी के लिए क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए वे कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। अभी उसके अन्दर दिया नहीं है। आपने लास्ट, एक यूं ही आपको इंफोरमेशन दे देता हूं कि लास्ट ईयर अपने को 30 कोट्‌र्स खोलने चाहिए थे लेकिन वे 30 कोट्‌र्स इसलिए नहीं खुल पाए कि हाईकोर्ट से 31 तारीख तक हमारे पास यह इंफोरमेशन नहीं, हमने उनको लिख–लिखकर भेजा कि आप हमको बताइये कि कहां–कहां कोट्‌र्स की जरूरत है। एम.एल.एज. ने बड़ी मांग की थी, एम.एल.एज. ने हमको लिख–लिखकर अपनी तरफ से डिजायर्स दी थी और वह सारी डिजायर्स हमने हाई कोर्ट को भेजी और वहां जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल है, उससे हमने चार–पांच दफे बात की। एक दफा, चीफ–जस्टिस है अब तो सुप्रीम कोर्ट में चले गये, उनसे भी हमने बात की लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकी और वह 30 कोट्‌र्स इस साल नहीं खोले जा सके। अब इस साल फिर 30 कोट्‌र्स का पोविजन है, उसमें यह नये कोट्‌र्स खोले जाएंगे। उस वक्त में, और जहां आपकी कहीं डिमाण्ड हो तो आप भेज दीजिए ताकि जुलाई के अन्दर इसमें कार्यवाही की जा सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि यह जो विशेष न्यायालय खोले जाते हैं या कहीं भी कोर्ट खोले जाते हैं तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके डिस्पोजल का ध्यान रखे कि मामले समय पर डिस्पोजल हो रहे हैं या नहीं। परपज ही यह है कि जहां पर इस प्रकार के ज्यादा केसेज थे वहां पर यह कोर्ट खोले। इसके बावजूद भी अगर उन केसेज का डिस्पोजल, डिसीज़न समय पर नहीं होता है तो सरकार का जो मकसद था, वह मकसद तो पूरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसके ऊपर भी आपको जानकारी लेनी चाहिए थी कि क्या–क्या डिस्पोजल हुए हैं, क्या नहीं हुए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आपका फरमाना सही है कि कितने केसेज का डिस्पोजल हुआ है और कितने लम्बे समय से कहां पर कितने केसेज चल रहे हैं,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लेकिन यह उन्होंने जानकारी इसमें दी नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं उनको एक लैटर विशेष तौर से लिखकर भेज दूंगा और अगर उनका माकूल जवाब आ गया तो मैं आपको पेश कर दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा कि आपने यह 30 कोर्ट्स पिछले वित्तीय वर्ष में खोलने की घोषणा की और खोल नहीं सके। इस साल भी आप कोर्ट खोलने की घोषणा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट खोलने का अधिकार क्या सरकार के पास है, आपके पास है या हाईकोर्ट के पास है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोर्ट्स खोलने का अधिकार होईकोर्ट के पास है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आप क्यों घोषणा कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम भी कुछ हैं इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या हैं ? क्या हैं आप ? नहीं, क्या हैं आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं और आपके द्वारा डेमोक्रेटिक में मैं लॉ मिनिस्टर हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मेरे को मालूम नहीं था कि आप लॉ मिनिस्टर हैं परन्तु लॉ मिनिस्टर साहब, आपके आदेश से कोर्ट खुले नहीं, आपको यह जानकारी हो नहीं ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह मुझे बताएंगे कि होईकोर्ट से कितने कोर्ट्स खोलने के लिए आपके पास लिखा हुआ आया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाईकोर्ट से, हमने उनसे कई बार मांग की। आखिरी दिन 31.3.2000 को उन्होंने एक सूची भेजी। यह उन्होंने जिसमें 27 कोर्ट्स खोलने की सिफारिश की थी लेकिन उनमें से वे कोर्ट्स ऐसे थे कि जिसमें एम.एल.एज. की डिजायर्स का कोई ध्यान नहीं रखा गया, था और आखिरी दिन भी था और फाइनेंस मिनिस्टर भी इंकार हो गये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अब आप 31 तारीख को रात को 9 बजे मेरे को यह पेश करते हैं, मैं इस साल तो यह नहीं खोल सकता लेकिन मैं यह आपसे वायदा करता हूं कि अगले साल आपके 30 कोर्ट्स खोल दिये जाएंगे। इसीलिए मैंने इस प्रश्न के अलावा आपसे यह निवेदन किया है। यदि आप महानुभाव अपने इलाकों में कहीं पर भी कोर्ट्स की कमी समझते हो तो आप कृपापूर्वक लिखें। मैं हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट कर दूंगा।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम में तो एक भी कोर्ट नहीं है। साहब, हमारे यहां पर कोर्ट खुलवाइये। हमारे क्षेत्र में एक भी कोर्ट नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पक्का।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, साहब। ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने गत वर्ष जिन 30 कोर्ट्स खोलने की घोषणा की थी और इस साल भी आपने घोषणा की है तो यह कोर्ट्स वही हैं क्या जो गत वर्ष आपने घोषणा की थी या उसके अलावा हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोर्ट्स तो 60 होने चाहिए, गत वर्ष के अलग और इस वर्ष के अलग। लेकिन गत वर्ष के कोर्ट्स नहीं खुल पाये, वह बजट लैप्स हो गया। अब तो यह नये कोर्ट्स उन्हीं में खोले जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। जिन–जिन स्थानों पर पिछले वर्ष कोर्ट खोलने की घोषणा की थी, उन्हीं स्थानों पर यह कोर्ट्स खोली जा रही हैं या दूसरी जगह ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो वापस हमने उनसे जानकारी हासिल की है और उनको हमने एक लैटर भी लिखा है रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनको। उनसे हमने यह परामर्श भी किया है, हम उनसे मिले भी हैं कि आप जन भावना को भी ध्यान में रखो, नये कोर्ट खोलते वक्त दूरी का ध्यान रखो। नम्बर आफ केसेज का तो ध्यान रखते ही हैं कोई नया कोर्ट खुलेगा तो पहले जहां कोर्ट खुला हुआ है उसमें 3000 से ऊपर केसेज होने चाहिए। कहीं 3000 से भी ज्यादा केसेज हैं तो दूसरा कोर्ट उसके एडजोइनिंग किसी कस्बे में खोला जा सकता है। हमने उनसे यह कहा है कि दूरी का ध्यान रखते हुए, नम्बर आफ केसेज का ध्यान रखते हुए और वहां पर फार द टाइम बिइंग वहां की जनता उनके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था कर देगी। मजिस्ट्रेट साहब के रहने के लिए भी व्यवस्था करने को तैयार हैं, तो आप उन स्थानों को ले लीजिए ताकि वहां पर कोर्ट शुरू हो सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक बात जानना चाहूंगा। आपने कहा कि पिछली बार हाईकोर्ट से जो सूची आयी वह सूची, एम.एल.ए. की जो सूची थी उससे उसका मिलान नहीं हो रहा था। एम.एल.ए. की डिजायर पर कोर्ट नहीं खुल रहे थे। क्या यह सही है कि हाईकोर्ट अगर इस बार भी वह सूची भेजेगा जिसमें आपके एम.एल.ए. की डिजायर के अनुसार नहीं है तो आप उनको नहीं खोलेंगे ? आप हाईकोर्ट के आदेश को मानोगे या आपके एम.एल.ए. के आदेश को मानोगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपसे साफ निवेदन किया है कि हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं।

श्री सांवर लाल : जब तक मिलान नहीं होगा, रिक्वेस्ट ही करते रहोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आप हो क्या ? हो क्या और आप कह रहे हैं, हम हैं कुछ। आप हो क्या फिर ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन लॉ मिनिस्टर का निवेदन कुछ वक्त रखता है।

श्री रामस्वरूप : यह राठौड़ साहब हैं, राठौड़ी कार्यवाही भी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब नया क्वेश्चन।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : डांग एरिया में कोई कोर्ट नहीं है। 40 किलोमीटर तक कोई कोर्ट नहीं है। सारी व्यवस्था खराब है एक पानी को छोड़कर। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी व्यवस्थाएं करवा दें एक पानी को छोड़कर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां रामगढ़ का कोर्ट है उसके लिए न बजट की जरूरत है, डिजायर की जरूरत नहीं है। वह अलवर में चल रहा है, उसको रामगढ़ में शिफ्ट किया जाए, यह निवेदन है। वह रामगढ़ में शिफ्ट किया जाएं। यही मेरा निवेदन है। इसके लिए न बजट की जरूरत है, न डिजायर की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 48 वकीलों ने लिखकर दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बैठिये। आसन पैरों पर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक वर्ष हो गया मुझे लिखे हुए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री शिवनाथ सिंहजी।

जिला झुंझुनूं हेतु अल्प बचत योजना से आबंटित राशि

124. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 की अवधि में झुंझुनूं जिले में कितनी राशि अल्प बचत योजना में जमा हुई ?

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले को उक्त योजना में कितनी राशि किस–किस कार्य के लिए व्यय करने को दी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि अल्प बचत योजना में अग्रणी जिला होते हुए भी झुंझुनूं जिले के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार बरता गया है तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप राशि उक्त जिले में व्यय नहीं की गयी है ?

राज्य मंत्री, अल्प बचत (श्री परसादी लाल) : (1) वित्तीय वर्ष 1998–99 में झुंझुनूं जिले में अल्प बचत शुद्ध संग्रहण में 5,918.72 लाख रुपये प्राप्त हुए। चालू वित्तीय वर्ष 1999–2000 में माह फरवरी, 2000 तक 10,226.15 लाख रुपये का विशुद्ध धन संग्रहण हुआ है।

(2) जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 एवं वर्ष 1999–2000 में विभिन्न मदों में स्वीकृत किए गए कार्यों एवं व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न है।

(श्री परसादी लाल)

वर्ष 1998–99 के संग्रहण के आधार पर अल्प-बचत सहभागिता योजना के अन्तर्गत स्थायी निर्माण विकास कार्यों के लिए पंचायत राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्रमशः 12.20 लाख रुपये एवं 4.10 लाख रुपये कुल 16.30 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा था कि अल्प बचत योजनाओं में झुंझुनूं जिला अग्रणी होते हुए भी उसको जो उस की प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल रही है और आपने उत्तर तीन में कहा है कि भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो शुद्ध बचत है, उसकी कितनी प्रतिशत राशि उस जिले को मिलनी चाहिए ? आपके पास कोई आधार है क्या ? और उसके आधार पर निवेदन करना चाहूंगा 5918.72 लाख एक साल में, 10,226.15 लाख दूसरे साल में, यह कुल जो बचत है उसके अगेंस्ट में आपने 6 लाख रुपये खर्च किए हैं तो कितना प्रतिशत आता है। माननीय मंत्री महोदय, यह भेदभावपूर्ण नहीं है तो इससे अधिक भेदभाव क्या हो सकता है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) अच्छा इसका पहले बताइये आप।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि शुद्ध संग्रहण का कितना प्रतिशत जिलों को निर्माण कार्यों के लिए देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं जितना जिले में शुद्ध संग्रहण होता है उसका एक प्रतिशत हम जिले को निर्माण विकास कार्यों के लिए देते हैं। उसके आधार पर झुंझुनूं जिले को हमने वर्षवार जितना उन्होंने हर साल किया है उसके अनुसार राशि हमने आबंटन की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 1998–99 का जो पैसा दिया है वह अल्प बचत सहभागिता योजना के अनुसार झुंझुनूं जिले को दिया है। अध्यक्ष महोदय, जिस जिले को जो टार्गेट दिये जाते हैं उसके अतिरिक्त जो टार्गेट अचीव करते हैं उस जिले को ग्रामीण क्षेत्रों में हम 50 प्रतिशत राशि उसको अतिरिक्त टार्गेट की, लक्ष्य की हम उसको विकास कार्यों के लिए देते हैं और शहरी क्षेत्र में जो हमारे लक्ष्य हैं, उससे अतिरिक्ति राशि जो अर्जित की जाती है उसका 25 प्रतिशत अतिरिक्ति हम विकास कार्यों के लिए देते हैं। हमने कहीं भी झुंझुनूं जिले के साथ भेदभाव नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिला हमारे हर वर्ष अग्रणी जिले है और हमने झुंझुनूं जिले को कभी भी विकास कार्यों के लिए एक पैसा भी कम नहीं दिया है और इस वर्ष भी झुंझुनूं जिला, मुझे खुशी है कि आज प्रदेश

(श्री परसादी लाल)

में अव्वल है, माह फरवरी तक उन्होंने अपने लक्ष्य से भी ज्यादा, 100 प्रतिशत टार्गेट से भी ज्यादा लक्ष्य अर्जित किये हैं। और माह मार्च में मुझे आशा है 10–12 करोड़ रुपये के टार्गेट होंगे, अतिरिक्त लक्ष्य अर्जित होंगे। उसमें से झुंझुनूं जिले को जो भी 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत विकास कार्यों के लिए, वह हम निश्चित रूप से सूचना यहां आते ही इस वर्ष हम दे देंगे। गत वर्ष का भी हमने जवाब दिया कि विकास कार्यों के लिए कलेक्टर के पास धन जमा है। माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनी हुई है उसमें अब तक विधायक मेम्बर नहीं थे, प्रधान, जिला प्रमुख व दूसरे जन–प्रतिनिधि उसके मेम्बर थे।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह सही बात है कि विधायकों से सलाह कलेक्टर नहीं लेते हैं, इसकी शिकायत बार–बार आयी है। हमको भी यहां के कामों की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है। अब हर जिला कमेटी में जो पंचायत समितियों को हम देंगे उसमें प्रधान, बी.डी.ओ. और वहां का स्थानीय विधायक भी शामिल होगा। जो पंचायत समिति अतिरिक्त टार्गेट करेगी अब वह प्रोत्साहन राशि नहीं दे रहे हैं, अब हम उनको अतिरिक्त टार्गेट राशि पंचायत समितिवार दे रहे हैं। जो पंचायत समिति ज्यादा लक्ष्य अर्जित करेगी, उस पंचायत समिति को विकास कार्यों के लिए ज्यादा धन मिलेगा। इसलिए मेरा भी आपसे आग्रह है कि आप धन संग्रहण के समय अपना पूरा सहयोग दें और विकास कार्यों के लिए भी हमने पंचायत समिति स्तर पर जो कमेटी बनायी है, उस कमेटी की सलाह से ही कार्य भी मंजूर किए जाएंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि परिशिष्ट–2 में आपने दिया है, व्यक्तिगत प्रोत्साहन राशि। यह क्या कोई योजना है ? व्यक्तिगत किसको दिया जाता है और किस प्रकार इसका वितरण होता है ? जैसा अभी आपने कहा कि कलेक्टर अपने हिसाब से वितरित किया करते थे। आपने इसमें प्रधानों और विधायक को रखा, यह तो अच्छा कार्य किया है। क्योंकि अभी तक हम बिलकुल अंधेरे में थे कि कितनी बचत होती है, कितनी नहीं होती है, लेकिन यह व्यक्तिगत प्रोत्साहन राशि है, इसका क्या आधार है ? किस प्रकार से यह तय होता है ? माननीय मंत्री महोदय, इसी तरह से आपने यह जो प्रचार–प्रसार किया है, परिशिष्ट–3 में प्रचार–प्रसार मद में अपने राशि प्राप्त की है 11.69 लाख, 1998–99 में और व्यय किया है 4,44,038 रुपये और 1999–2000 में 11.54 लाख किये हैं और व्यय किया है आपने 6,77,542 रुपये। यह क्या रेशो है, किस प्रकार से आपने इसको किया है ?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिले को जो प्रोत्तसाहन राशि एक प्रतिशत मिलेगी

(श्री परसादी लाल)

उसकी 10 प्रतिशत राशि नवीन योजनाओं के संचालन हेतु हमारे निदेशालय को मिलती है। 5 प्रतिशत राशि उसमें से व्यक्तिगत प्रोत्साहन राशि जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी व अभिकर्ता अच्छा काम करते हैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर हम प्रोत्साहन राशि जो अव्वल आते हैं, उनके लिए हम पुरस्कार वगैरह उससे देते हैं। व्यक्तिगत किसी को बिना काम नहीं देते हैं। जो अच्छा काम विभाग में करते हैं उन कर्मचारियों, अधिकारियों को हम पुरस्कृत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आथोराइज किया है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन

125. श्री मदन दिलावर (अटरू) {श्री कन्हैया लाल (बस्सी) के स्थान पर} : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों को 8 घंटे बिजली देने का वायदा किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसकी क्रियान्विति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे बिजली देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किसानों को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के किसानों को कम बिजली दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार करने का विचार रखती है ?

(3) फरवरी, 1997 से फरवरी, 2000 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों द्वारा किस–किस योजना के तहत कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है ? उनमें से कितने–कितने किसानों को किस–किस योजना/श्रेणी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं कितने बकाया हैं और बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार वर्ष 1999–2000 में शेष कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी, हां। माह दिसम्बर, 1998 से माह मार्च, 1999 तक रबी की फसल के समय किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे बिजली उपलब्ध करवायी गयी। वर्ष 1999–2000 में भी किसानों को 6 से 8 घंटे औसतन बिजली उपलब्धता के अनुसार प्रदान करवायी गयी।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में भी किसानों को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे औसतन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी, नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत विद्युत मण्डल के विभिन्न उप खण्डों में फरवरी, 1997 से फरवरी, 2000 तक विभिन्न

(डा. चन्द्रभान)

कृषि कनेक्शन योजनाओं में प्राप्त आवेदन, दिये गये कनेक्शन व शेष रहे आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आपसी विवाद तथा मैचिंग सामान की उपलब्धि में कमी जैसे कारणों से कनेक्शन बकाया रह गये हैं।

(4) वर्ष 1999–2000 में शेष रहे कृषि कनेक्शनों को नियमानुसार कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा मांग पत्र जमा शुदा आवेदकों को सामान की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन दिये जाने का कार्य प्रगति पर है। शेष रहे सभी कनेक्शनों को एक ही वर्ष में कनेक्शन देना असम्भव है। दो लाख से अधिक कृषक प्रतीक्षा सूची में है। प्रति वर्ष हजारों नये प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाते है। अतः कट आफ डेट की प्राथमिकता के अनुसार ही प्रति वर्ष 20,000 से 25,000 कनेक्शन दिये जा सकते हैं। अतिरिक्त विद्युत की उपलब्धि व सामान की उपलब्धता का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक साथ लोड अधिक बढ़ाने से मौजूदा कनेक्शनधारी कृषकों को परेशानी हो सकती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जब बिजली दी जाती है तो जी.एस.एस. पर उसका रिकार्ड रहता है कि किस–किस फ़ीडर को कितने–कितने घंटे वहां से बिजली सप्लाई की। मैं पूछना चाहता हूं कि बस्सी में 132 के.वी. और 133 के.वी. का ज़ी.एस.एस. हैं तो किस–किस जी.एस.एस. ने किस–किस फीडर को कितने–कितने घंटे बिजली सप्लाई की ? थोड़ा यह जानकारी दे देगें तो ठीक रहेगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कुल बिजली बोर्ड की दृष्टि से चार उपखण्ड हैं। उनमें बस्सी विधान सभा क्षेत्र को प्रति माह जो बिजली दी गयी उसका विवरण निम्नप्रकार है :–

दिसम्बर में 89 लाख यूनिट,

जनवरी में 96 लाख यूनिट,

फरवरी में 102 लाख यूनिट

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब, मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रतिदिन बताओ।

डा. चन्द्रभान : आप बताइये, प्रतिदिन का हिसाब, आपने सवाल पूछा, आपने प्रति दिन पूछा है क्या कहीं...

श्री मदन दिलावर : आप तो मेरे प्रश्न का जवाब दें

डा. चन्द्रभान : आपने तो घंटे में सवाल पूछा है।

श्री मदन दिलावर : 29 दिसम्बर को आपने कितनी–कितनी बिजली किस–किस जी.एस.एस. से सप्लाई की ? थोड़ी जानकारी दे देंगे तो पता चल जायेगा कि वहां कितने

(श्री मदन दिलावर)

घंटे बिजली मिली। ऐसे सामान्य तौर पर कितने भी कहो, पता नहीं चलता। इसलिए 29 दिसम्बर को आपने जी.एस.एस. से कितने–कितने घंटे, किस–किस फीडर को बिजली सप्लाई की ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह जो माननीय सदस्य हैं, यह तो खैर मूल प्रश्नकर्ता हैं नहीं और ठीक है, आपको अध्यक्ष महोदय ने अलाउ किया है, अच्छी बात है। यह जो सवाल है, इसमें केवल इतना पूछा गया है कि आपने एक दिन में कितने घंटे बिजली दी। अब जरा आप जवाब तो सुन लें। कही भी यह कि कितने यूनिट दी गयी है और कितने घंटे में दी गयी, कितने मिनट में दी गयी और कितने सैकण्ड में दी गयी, इसका कोई जवाब दिया जा सकता है ?

श्री मदन दिलावर : आपने कैसे अनुमान लगाया कि 8 घंटे बिजली मिल गयी ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अनुमान लगाया, कि 8 घंटे बिजली दी है ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इनको यह तो कहिये, यह सुनें तो सही। मैं आपको अनुमान नहीं, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं आपको, आप सुनें तो सही।

श्री मदन दिलावर : ऐसा नहीं होता, एवरेज बता रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : दिसम्बर में 89 लाख, जनवरी में 96 लाख, फरवरी में 102 लाख मार्च में 114 लाख। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं यह पूछ ही नहीं रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, 29 दिसम्बर को... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनेंगे तब तो जवाब दूंगा न।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र में 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जो कृषि का लोड बनता है वह 6.6 प्रतिशत बनता है और जो इतने लाख यूनिट में वहां प्रतिमाह बिजली दी गयी है उसके अनुसार दिसम्बर में बिजली दी गयी है 7.09 प्रतिशत, जनवरी में 6.9 प्रतिशत, फरवरी में 7.3 प्रतिशत और मार्च में 7.05 प्रतिशत। तो यह चारों महीने जो रबी की दृष्टि से महत्वपूर्ण महीने होते हैं इनमें 6.6 प्रतिशत से ज्यादा बिजली दी गयी है। इसलिए यह कहना कतई सही नहीं हैं कि किसानों को रबी की फसल में 8 घंटे बिजली बस्सी क्षेत्र में नहीं मिली या बस्सी क्षेत्र में बिजली कम दी गयी। बस्सी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा बिजली दी गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में यह बात कही कि आपने दिसम्बर से मार्च तक, यानी चार महीने 8 घंटे बिजली राजस्थान के किसानों को दी। तो यह 7 घंटे या 8 घंटे...

(डा. चन्द्रभान)

जा सकता है और मैं बताना चाहूंगा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र में कुल 1617 आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से 443 को कनेक्शन दिये जा चुके हैं और 1227 कनेक्शन लम्बित हैं। आप इतना हिसाब लगाइये कि आपके क्षेत्र में 1997–2000 के बीच में एक हजार लोगों ने एप्लाई कर दिया और वहां कट आफ डेट चल रही है 1992 की, तो 1997–2000 के बीच में जिन्होंने सामान्य श्रेणी में एप्लाई किया है वे सभी पैंडिंग रहेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह इसलिए कि मैं जनाता हूं कि आप यही कहने वाले हैं लेकिन अनुसूचित जाति का जितना था वह भी आपका पूरा नहीं होकर 67 कनेक्शन उसके बाकी हैं। नर्सरी कनेक्शन में भी आपके 400 बाकी हैं। उसमें आपने नीचे यह लिखा है कि 108 लोगों ने तो समय पर शायद आपकी मांग होगी वह पैसा जमा भी नहीं कराये, लेकिन लगभग तीन सौ लोगों ने तो नर्सरी कनेक्शन का पैसा जमा कराया हुआ है। 1997 से लेकर 2000 के बीच में ये कनेक्शंस नहीं होने के क्या कारण थे ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे जवाब में स्पष्ट कहा है कि सामान की उपलब्धता की कमी और उसमें भी कई बार मैचिंग मैटीरियल उपलब्ध नहीं होता है। मैंने पहले सदन में यह बात कही है। आप जानते हैं कि कनेक्शन के लिए तो कई तरह का मैटीरियल चाहिए। अभी स्टे सैट नहीं मिले जिसके कारण भी कई कनेक्शन लम्बित हैं। (व्यवधान) आप सुनिये, कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जिनमें आपसी विवाद हो जाता है। तो आपसी विवाद के कारण या कहीं मैचिंग मैटीरियल की कमी के कारण या आप यह भी कह सकते हैं कि हमने कई जगह डिमाण्ड नोट के पैसे जमा कर रखे हैं लेकिन सामान उपलब्ध नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी कनेक्शंस लम्बित हैं, उनको इसी वर्ष में जैसे–जैसे सामान की उपलब्धता बढ़ेगी और मैचिंग मैटीरियल हमें मिल ही जाएगा, और विवाद के मामले जो सुलझेंगे उन सबको कनेक्शन देंगे। अभी भी कनेक्शन देने की कार्यवाही चल रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछली बार जब सदन में आपने उत्तर दिया था उस समय यह कहा था कि नर्सरी कनेक्शन में जिनके पैसे जमा हैं हम फलां कट डेट पर सभी कनेक्शन दे देंगे। इस प्रश्न के जवाब में यह आया है कि 400 में से 108 लोगों के तो पैसे जमा नहीं हुए, छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो 298 लोग हैं जिनके पैसे आपके पास जमा हैं। और इसी सदन में आपने यह कहा था कि हम इस कट डेट को इनको कनेक्शन दे देंगे जिनके 1997 से लेकर अब तक पैसे जमा हैं। उनको कनेक्शन नहीं देना और आपका आश्वासन देना, इन दोनों के बीच अंतर क्यों है ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि नर्सरी के कनेक्शन जो पहले जितने लम्बित थे और जिनके डिमाण्ड नोट के पैसे पहले जमा हो गये थे, उन सबको तो कनेक्शन दे दिए गए। लेकिन कुछ उन लोगों को दुबारा एक बार नोटिस दिया गया। चूंकि किसानों की मांग थी कि हम किसी कारण डिमाण्ड नोट का पैसा जमा नहीं करा पाये हमें एक अवसर और दिया जाए। वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं कि करीब पांच–साढ़े पांच हजार किसान आ गये। उनमें से वास्तव में करीब दो हजार किसानों को ही कनेक्शन दिये जा सके हैं और यह तो 298 हैं, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में करीब तीन हजार कनेक्शन देना शेष है नर्सरी कैटेगरी के, उनको जल्दी ही कनेक्शन दे दिए जाएंगें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने ही कहा था। आप घोषणाएं क्यों करते हो ? आपने ही घोषणा की थी। हमने नहीं कहा था। आपने उठकर घोषणा की थी कि नर्सरी कनेक्शन फलां कट डेट को हम सारे राजस्थान में, जैसा अभी कह रहे हैं न आप, वैसा का वैसा आपने कहा। हमने नहीं कहा। आपने आश्वासन दिया। सदन के आश्वासन से सारे लोगों के पास जब यह पहुंचा कि सर्टेन डेट पर हमको नर्सरी कनेक्शन मिल जाएंगे जिनके पैसे जमा हैं और आज आप वापस डेढ़ साल के बाद वही बात रिपीट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप घोषणाए करें तो पहले अपने आपको पूरा यकीन कर ले और उसके बाद घोषणा करें। नहीं तो यह गलत मैसेज जाता है और लोग यह सोचते हैं कि शायद मंत्रीजी तो देना चाहते हैं लेकिन विभाग के अधिकारी हमसे कुछ लेना–देना चाहते हैं इसलिए वह नहीं हो रहा हैं। कहीं यह कारण तो नहीं है। आपके इस वर्शन से विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर संभव नहीं हो तो आप घोषणा ही नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, घोषणाएं बन्द करो।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, घोषणा की बात आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि नर्सरी कैटेगरी में उस समय जो अनुमान लगाया था उससे ज्यादा लोग आ गये और मैं यह कहना चाहूंगा कि करीब साढ़ें आठ–नौ हजार लोगों को इस श्रेणी में कनेक्शन दिये गये और जो ढाई या तीन हजार बचे हैं उनका भी कार्य प्रगति पर है। जल्दी ही उनको भी कनेक्शन दे देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके आने के बाद तो एक भी नर्सरी का पैसा पहले ही दिन बन्द कर दिया था कि कोई पैसा जमा नहीं किया जाएंगा। यह तो सारे उसके पहले के पैसे जमा हैं। और आपने डेट बतायी थी कि सर्टेन डेट पर ये जो पुराने पैंडिंग हैं, ये हम दे देंगे। तो उस घोषणा का, यह तो एक ही सेक्टर है। यह तो बस्सी सेक्टर है। मैं राजस्थान का नहीं सोच रहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं। केवल बस्सी सेक्टर के 298 लोग हैं।

डा. चन्द्रभान : कटारिया साहब, आपसे कहना चाहूंगा कि आपका क्षेत्र उदयपुर संभाग है वहां शायद ही कोई नर्सरी का कनेक्शन बाकी हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उससे क्या लेना देना है ?

डा. चन्द्रभान : नहीं–नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये कनेक्शन जो बकाया हैं वे झुंझुनूं, सीकर, चूरू, जयपुर, नागौर और दौसा में, इन्हीं पांच–छह जिलों में ही बकाया हैं। झुंझुनूं भी उसमें आता है और इनका भी कार्य प्रगति पर चल रहा है। इनको भी कनेक्शन दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवाल इस बात का है कि आपकी इस संदन में घोषणा, इस सदन की सैंक्टिटी क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की घोषणा और सदन में, उसकी सैंक्टिटी क्या हैं ? घोषणा कुछ भी कर दें। इनको घोषणा करने का शौक है। (व्यवधान) फिर आप इस तरह की घोषणा क्यों करते हैं ? इनकी विभाग के ऊपर पकड़ नहीं है।

श्री मदन दिलावर : ताली पिटवाने के लिए घोषणा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप घोषणा की बात करते हैं। आपने तो राजस्थान में 20 हजार कनेक्शन की बात कही थी और चार महीने में हम लोगों ने लम्बित 25 हजार कनेक्शन किसानों को दिये और अबकी बार भी हमने 25 हजार से ज्यादा कनेक्शन दिए। कुल मिलाकर 50 हजार लोगों को कनेक्शन दिए हैं। क्या बात करते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

जिला उदयपुर एवं राजसमंद में देवस्थान की भूमि पर अवैध खनन

126. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने देवस्थान की भूमियों पर खनन लीज व पट्टे दे रखे हैं ? यदि हां, तो उदयपुर और राजसमंद जिले में कहां–कहां पर कितने–कितने क्षेत्र पर किन–किन को किन–किन शर्तों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान की भूमियों पर अवैध खनन हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त जिलों में कहां–कहां पर किन–किन के द्वारा तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) देवस्थान की भूमि पर खनन कार्य के लिए लीज व पट्टा देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ? क्या इस संबंध में कोई नियम बनाये हैं या निर्देश

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जारी किए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) जी, हां। उदयपुर जिले में देवस्थान की भूमि पर कुल 41 खनन पट्टे स्वीकृत होकर धारित हैं। राजसमंद जिले में देवस्थान विभाग की भूमि पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। पट्टाधारियों के नाम, क्षेत्रफल एवं अन्य विवरण संलग्न सूची "क" एवं "ख" में दर्शाया गया है। सभी खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1989 के नियमों व शर्तों के तहत स्वीकृत हैं।

(2) जी, नहीं। देवस्थान विभाग की भूमि पर नाजायज खनन कार्य का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

(3) वर्तमान में देवस्थान विभाग की भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व देवस्थान विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है। देवस्थान विभाग के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बिना कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाता है। देवस्थान विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में अपनायी जाने वाली नीति दिनांक 10.9.97 की प्रति संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग दो के उत्तर में कहा है कि देवस्थान की भूमि पर नाजायज खनन कार्य नहीं होता। जबकि इसी सदन में पूर्व में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पूर्व खनिज मंत्री ने यह उत्तर दिया था जिसमें 9.6.1994 से लेकर 19.11.1996 तक देवस्थान की भूमि के नाजायज खनन के मामले विभाग ने पकड़े उनको नोटिस दिया, उनके ऊपर पेनल्टी लगायी और करोड़ों रुपये की पेनल्टी उन्होंने स्थानीय कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया और डिपार्टमेंट ने कोई पैरवी नहीं की इस वजह से वह पेनल्टी आज तक वसूल नहीं हुई। और आज माननीय मंत्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। मैं जानता था अध्यक्ष महोदय, पिछली साल मैंने इसी विभाग से सम्बन्धित माननीय मंत्रीजी को सवाल पूछा था। उसमें भी इसी प्रकार के कई मामले आये थे तो इनके विभाग के अधिकारियों ने उनको सही जानकारी नहीं दी थी और आज भी वही हालत है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, देवस्थान की भूमि पर खनन पट्टा जारी करने का अधिकार देवस्थान विभाग को कतई नहीं है, और न अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का, क्योंकि जो भी खातेदारी की भूमि है, या तो मन्दिर की भूमि है उस पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार ही कार्यवाही हो सकती है। जब मन्दिर का पुजारी या देवस्थान विभाग अगर किसी काश्तकार को जमीन देना चाहता है तब तो वह टीनेन्सी एक्ट आड़े आ जाता है,

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

बोर्ड उस एन.ओ.सी. के मामले में उसी से सम्बन्धित है।

जहां तक सवाल 1993–94 की माइनिंग का था, मैंने अभी माननीय सदस्यों को कहा है मैं इसको सीरियसली देखूंगा और इसकी जांच करूंगा, यह मामला मेरे सामने क्यों नहीं आया। उसकी जांच बिलकुल निष्ठा से करूंगा और माननीय सदस्यों को बता दूंगा।

जहां तक टीनेन्सी एक्ट का सवाल है, रेवेन्यू डिपार्टमैंट से मैंने पहले भी कहा है कि हमारा तो सिर्फ एन.ओ.सी. से मतलब होता है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि विभाग से बात करके, देवस्थान विभाग से बात करके इस मामले को दिखवा लूंगा।

श्री अमीन खान : (व्यवधान) कोर्ट में उन्होंने स्टे ले रखे हैं और अब आप कहते हो दिखा लूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह आपने कहा कि इसको मैं दिखा लूंगा। माननीय मंत्री महोदय, जांच हुई है, नोटिस लिये हैं, आपने पैनल्टी की है, वह पार्टी कोर्ट में गयी है और आपको यह पता ही नहीं है, आपका विभाग क्या कर रहा है ? कोर्ट में हुआ क्या, 1994 से स्टे ले रखा है, आपने क्या कार्यवाही की ? और आपके विभाग ने आपको बताया तक नहीं, तो इसमें यह बताएं कि आप क्या तो कार्यवाही करेंगे और क्या करेंगे ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह 1994 से 1996 में आप मुझे पर्टिकुलर केस बता देवें... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तो कहा कि देवस्थान से तो केवल एन.ओ.सी. हमें मिल जाती है तो हमारा काम हो जाता है। क्या यह भी सच है कि देवस्थान ने जिन शर्तों के आधार पर उसको एन.ओ.सी. दी थी और जो पैसा प्रतिवर्ष देवस्थान में जमा होना था, वह जमा नहीं होने के कारण से देवस्थान विभाग ने फिर आपके विभाग को लिखा है कि इन लोगों ने जिन शर्तों पर हमसे एन.ओ.सी. ली उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए जिनका उल्लंघन हुआ है क्या आप उनकी लीज कैंसिल करने की कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : देवस्थान ने एन.ओ.सी. दे दी, अब वह हमारे रूल हैं हम तो एन.ओ.सी. के आधार पर माइनिंग लीज देखते हैं, रायल्टी लेते हैं उसके अलावा कोई कंडीशन हमारी होती नहीं है। अब देवस्थान ने उनसे क्या कंडीशन की है वह देवस्थान अगर हमें लिखेगा तो देख लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको लिखा है। आप ठीक प्रकार से अपने कागज दिखाइये। कारण क्या है कि एक बार एन.ओ.सी. लेने के लिए एक सर्टेन 50 हजार का अमाउण्ट जमा करवाना, हर साल 25 हजार रुपये देवस्थान विभाग को, एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरफ सिक्योरिटी ग्रुप को हर साल जमा करवायेगा और उन शर्तों के आधार पर अगर दिया, उसने पहली बार जब लिया उस समय तो इसकी पूर्ति कर दी, और आपसे उसने लीज लेकर के माइनिंग शुरू कर दी उसके बाद 10 साल, 12 साल हो गये वह एक पैसा न तो देवस्थान में जमा करवाता है और न उसकी शर्तों का पालन करता है। और देवस्थान आपको बार–बार लिखता है कि चूंकि यह हमारी शर्तों का पालन नहीं करते हैं इसके कारण से आपकी जो लीज है इस लीज को रोकिये या हमको किसी तरह से पैसे दिलवायें। बार–बार लिख रहा है लेकिन आपका डिपार्टमेंट इसके बारे में बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है। हाथ में तो कोई अधिकार नहीं रहा एक बार 50 हजार रुपये मिलना है वह मिल गया और उसके बाद वह मालिक होकर उन पर काम कर रहा है। क्या इस पर आप देवस्थान विभाग की मदद करेंगे ?

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कंडीशनल एन.ओ.सी. भी होती है ? मेरे ख्याल से तो आज तक कहीं एनओसी. कंडीशनल नहीं होती है। एन.ओ.सी. देने के बाद एन.ओ.सी. हो गई, क्लीयर हो गया। उसके बाद क्या तो माइनिंग डिपार्टमेंट करेगा, क्या और करेगा। उन्होंने क्लीयर कर दिया। एन.ओ.सी. का मतलब है कि उन्हें कोई आब्जेक्शन नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : एन.ओ.सी. देने का यह टीनेन्सी राइट्स के अन्तर्गत दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुरेन्द्र गोयल। (अवकाश पर)।

प्रश्न संख्या-127

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मदन दिलावर।

सब्जी मंडी कोटा का अन्यत्र स्थानान्तरण

128. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा शहर की सब्जी मंडी तालाब के किनारे लगती है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या कृषि उपज मंडी का पुराना स्थान (धान मंडी) अभी रिक्त है ? यदि हां, तो उसका अभी क्या उपयोग है ?

(3) क्या वर्तमान सब्जी मंडी की वजह से कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है ? यदि हां, तो माह में कितनी बार ? क्या पर्यावरण दृष्टि से उक्त स्थान उचित है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं तो कैसे ?

(4) क्या अभी सब्जी मंडी का कचरा

(श्री मदन दिलावर)

वगैरह तालाब में फैंकने से पानी में प्रदूषण फैलने की सम्भवाना रहती है ?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह) : (1) जी हां,बोरखेड़ा के पास फल सब्जी मंडी के पर्याप्त स्थान हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां, उसका उपयोग किया जाना है।

(3) मात्र सब्जी आवक के समय कभी यातायात में क्षणिक बाधा आती है। पर्यावरण संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) तालाब में कचरा नहीं फेंका जाता है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने बताया कि बोरखेड़ा के पास फल सब्जी के पर्याप्त स्थान हेतु भूमि अवाप्त की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वह एक तो बहुत दूर है स्थान और जैसा अभी इनकी और मेरी चर्चा हुई इन्होंने कहा कि वहां पर इसमें कुछ करेंगे तो कोर्ट में जो स्टे हुआ है वह वेकेट हो सकता है या कोर्ट के स्टे के कारण बाधा आ सकती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि भूमि से संबंधित लोग आये होंगे और उनसे इस प्रकार की चर्चा होगी। मैं तो इतना सा इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तो जो पुरानी धान मंडी है बहुत बड़ी धान मंडी है और उसका दुरुपयोग हो सकता है, कुछ लोग उस पर कब्जे कर सकते हैं। मेरा निवेदन था कि बनी बनाई इमारत है, सारा कुछ है वहां और सब तरह की सुविधाएं वहां हैं यदि वहां सब्जी मंडी को शिफ्ट करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ वहां के लोगों को हो सकता है और पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। जैसा आपने कहा कि वहां क्षणिक बाधा होती है। अभी जो मंडी है वहां फल सब्जी, और वहां पर्यावरण दूषित नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, तालाब है वहां और उस तालाब का पानी लोग पीते भी हैं उसमें सारी की सारी गंदगी डालते हैं। और दूसरा वहां इतना सकड़ा कोटा शहर का है कि इन्होंने जो कहां है गलत है कि वहां एक्सीडेंट नहीं होते। वहां एक्सीडेंट हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या इस मंडी का उपयोग पुरानी धान मंडी है, इस मंडी स्थान का उपयोग किसके लिए किया जायेगा ? यह बतायें, नहीं तो वहां लोग इस पर कब्जा कर लेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक आपने कहा कि तालाब में कचरा डाला जाता है तो आपकी जानकारी में ला दूं कि 9 हजार रुपये महीने सफाई का ठेका देकर कचरा वहां से साफ करवाया जाता है, कचरा नहीं डाला जाता है।

दूसरा आपने पूछा एक्सीडेंट के लिए। आप, एक्सीडेंट्स का सवाल नहीं पूछा, ट्रेफिक

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

जाम होने का पूछा है। मैंने उसका जवाब भी दिया है कि कभी कभी फल–सब्जी ज्यादा आती है तो सुबह के टाइम पर क्षणिक थोड़ी देर के लिए ट्रेफिक जाम हो जाता है बाद में खुल जाता है। जहां तक आपने कहा कि बोरखेड़ा बहुत दूर है तो शहर से 3–4 किलोमीटर से ज्यादा बोरखेड़ा की दूरी नहीं है। बोरखेड़ा में जमीन अवाप्ति की कार्यवाही शुरू करके ज़मीन अवाप्ति की कार्यवाही की थी लेकिन एक काश्तकार हाई कोर्ट में चला गया वहां से स्टे मिलने के कारण वह पूरी कार्यवाही हो नहीं पाई। सब्जी मंडी ट्रांसफर नहीं हो पाई। मैं माननीय सदस्य आपको और सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि फल–सब्जी मंडी निश्चित रूप से कंजेस्टेड जगह होने के कारण उसको दूर ले जाना चाहते हैं। और बोरखेड़ा उसी के लिए हम अवाप्त कर रहे हैं, और शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके हम शिफ्ट करेंगे।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो धान मंडी की आप चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन धान मंडी की चर्चा कर रहे हैं वहां पहले अनाज मंडी थी और अब हमने बहुत बड़ी अनाज मंडी शहर से बाहर शिफ्ट कर दी है उसकी वजह से वह जगह खाली हुई है। माननीय सदस्य का कहना तो यह है कि उस धान मंडी में सब्जी मंडी शिफ्ट कर दी जाये। धान मंडी, अनाज मंडी तो शिफ्ट हो गई है। वहां भी हम दूसरी योजना बना रहे हैं और उसका भी उपयोग करेंगे, उसका कोई कब्जा किसी को नहीं करने दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

टोंक रोड स्थित प्रताप नर्सरी का अधिग्रहण प्रकरण

129. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक रोड स्थित प्रताप नर्सरी को सर्वप्रथम कब और क्यों अधिग्रहीत किया गया था ?

(2) क्या उक्त नर्सरी की भूमि को डीएक्वायर किया गया था ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(3) क्या उक्त नर्सरी की भूमि का पुनः धारा 4 (2) अधिग्रहण अधिनियम के तहत पुनः अधिगृहीत किया गया है ? यदि हां, तो, कब और किस उद्देश्य से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अतिरिक्त कलेक्टर मुद्रांक ने उक्त नर्सरी की कीमत 65 करोड़ रुपये आंकी है ?

(5) क्या भूमि अवाप्ति अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि की व्यावसायिक दर 76 करोड़ रुपये आंकी हैं ? यदि हां, तो कब ?

(6) क्या इतनी कीमती भूमि का विगत

(मोहम्मद माहिर आजाद)

40 वर्षों से सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) लालकोठी योजना स्थित प्रताप नर्सरी की भूमि को अवाप्त करने हेतु धारा 4 (1) की विज्ञप्ति दिनांक 9.6.1960 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। भूमि की अवाप्ति सार्वजनिक कार्य व जयपुर नगर के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनार्थ की गई थी।

(2) उक्त भूमि को माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका नं. 223/79 के निर्णय दिनांक 9.3.79 के द्वारा अवाप्ति से मुक्त कर दी गई थी।

(3) जी हां, उक्त नर्सरी की भूमि को पुनः अवाप्त करने हेतु, आदेश क्रमांक 6(7) जविप्रा/3/99 दिनांक 28 जून, 1999 की धारा 4(1) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसका गजट में दिनांक 1.7.1999 को प्रकाशन हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पुनः अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(4) जी नहीं। अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर ने उक्त नर्सरी के 1/3 भाग के दस्तावेज का मूल्यांकन 2,68,80,250/– रुपये माना है।

(5) जी नहीं। अवाप्ति प्रकरण अभी धारा 4(1) की आपत्तियों की सुनवाई में चल रहा है। आपत्तियों की सुनवाई पश्चात् धारा 6 की विज्ञप्ति जारी की जायेगी तत्पश्चात् सुनवाई उपरान्त अवार्ड पारित किया जायेगा। उस समय मुआवजा राशि का निर्धारण होगा।

(6) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका नं. 223/72 में पारित आदेश द्वारा अवाप्ति से मुक्त किये जाने के कारण इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सका।

मोहम्म माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आज 40 साल हो गये 1960 से लेकर सन् 2000 तक, आप यही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप इस जमीन को ले या इस जमीन को नहीं ले, आप इसको एक्वायर करें कि डीएक्वायर करें। या तो आपकी स्पष्ट मंशा बताइये कि क्या है ? या कोई कांग्रेस के नेता की इस जमीन के ऊपर नजर है इसलिए जब भी कांग्रेस का राज आता है तभी आप इसको एक्वायर कर लेते हैं और 40 साल से आपने इस मामले को पैंडिंग कर रखा है। आपने प्रश्न के भाग 4 में जो उत्तर दिया है कि इसकी राशि 2,68,80,250 आंकी है यह बिलकुल गलत है। यह नहीं आंकी। बल्कि इसका 24,600 रुपये प्रति गज मूल्य आंका है। आपके पास इसकी जानकारी होगी और मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक असमंजस की स्थिति चलती

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रहेगी। आप पारदर्शी और जवाबदेही सरकार है। आप एक निश्चित अवधि बता दें कि अमुक अवधि तक आप उसको रखने या डिएक्वायर करने का फैसला कर लेंगे।

(12.00 बजे)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि इतनी कीमती भूमि का पिछले 40 वर्षों से सरकार की अनिर्णय की स्थिति के कारण सदुपयोग नहीं हो रहा है। अब यह 40 वर्ष गुजर गये या 50 वर्ष गुजर गये, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं। लेकिन आपको यह जानकारी मैंने दी है...

मोहम्मद माहिर आजाद : 60 तो आप खुद ही कर रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 1960 में सबसे पहले इसको अधिग्रहण करने का फैसला किया गया उसके बाद में जिनकी यह जमीन थी वह श्रीमान् चले गये उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायाल में जाकर यह मामला कोर्ट के विचाराधीन हो गया। वहां से फैसला 1979 में हुआ। 1979 में फैसला हो गया और गवर्नमेंट का आर्डर पेश कर दिया गया। मतलब यह डिएक्वायर कर दी गयी। डिएक्वायर कर दी गयी 1979 में और अब जब डिएक्वायर की गयी है, वह 1999 में की गयी। इन 20 सालों में सरकार क्या करती आप बतायें, क्या करती। कैसे कहा आपने। फिर यह कैसे कहा आपने, 40 साल तक सरकार अनिर्णय की स्थिति में रही, एक बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : 40 साल पार्टी को तो परेशान होना पड़ा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरी बात, आपने यह कहा कि इस जमीन की कीमत 1/3 हिस्से की दो करोड़ अड़सठ लाख रुपये आंकी गयी। इससे क्या तात्पर्य था आपका ? दो करोड़ अड़सठ लाख...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह तो आप जवाब दे रहे हैं कि 1/3 की कीमत दो करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये आंकी गयी है। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि अब तो आपने सैल्फ असेसमेंट स्कीम नया सरकुलर लगाया है। उस नये सरकुलर के तहत दो करोड़ चालीस लाख तो उसकी कनवर्जन राशि बनती है, जो पार्टी आपको देने के लिये तैयार है। मैं तो आपसे इतना सा चाहता हूं इसको एक्वायर करके सरकार क्या योजना लाना चाहती है और कब तक निर्णय ले लेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। आपने जो इसके दाम कुलमिलाकर छियत्तर करोड़ रुपये आंके, आप धोखे में आ गये। आपने इस जमीन को जो मूल खातेदार था उसका धन्नालाल

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कुमावत, उनकी मौत होने के बाद उनकी बेवा रह गयी और उसके साथ दो उनके पुत्र रह गये। उस बेवा ने अपने 1/3 हिस्से को रामप्रताप को बेच दिया। उसकी रजिस्ट्री हुई तो सब रजिस्ट्रार ने इसकी कीमत 19,46,55,000 आंक दी। उस पर यह रजिस्ट्री इम्पाउंड हो गयी। इम्पाउंड होने के बाद में ए.डी.एम. रजिस्ट्रेशन ने एक फैसला दिया कि यह जमीन 2,68,80,250 रुपये की है और पार्टी से उसने यह कह दिया कि कम जो आपने स्टाम्प ड्यूटी दी है तो उसके 26,87,855 रुपये जमा कराओ। रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने कम दी है, उसके 2,68,802 रुपये जमा कराओ। पेनल्टी के 500 रुपये जमा करा कर, कुलमिलाकर 29,57,157 रुपये आप जमा कराइये। उस पर यह पार्टी चली गयी रेवेन्यू बोर्ड में। रेवेन्यू बोर्ड में निगरानी कर दी और निगरानी, वह खारिज हो गयी और वह रिव्यू की एप्लीकेशन आज तक चल रही है। एक किस्सा तो यह हुआ।

दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे है कि मैंने आकलन करवाया। तो मैंने आकलन करवाया उस क्षेत्र में कई भूमियां इस प्रकार की हैं कि जिसको मास्टर प्लान में किसी को वाणिज्यिक, कामर्शियल दिखा रखा है। किसी को रेजिडेंशियल दिखा रखा है। किसी को एग्रीकल्चर दिखा रखा है और किसी को इंस्टीट्यूशनल दिखा रखा है। तो मैंने जो इंक्वायरी की उसमें चारों तरह के केसेज, उसका जो जवाब आ गया, जवाब में यह आया कि कामर्शियल अगर रेट लगायी जाती है किसी भूमि की तो उसमें छियत्तर करोड़ रुपये देना पड़ता है ...(व्यवधान) सुनिये आप। रेजिडेंशियल भूमि की अगर लगायी जाती है तो 14,32,00,000 रुपया देना पड़ता है इतनी भूमि का और राजस्व मंडल में अगर आप आठ लाख रुपये बीघा के हिसाब से जो राजस्व मंडल ने तय किया है जिसमें भी विवाद है। राजस्व मंडल ने यह तय कर दिया अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड की कीमत आप आठ लाख रुपये के हिसाब से दोगे। तो उस पर विवाद ए.डी.एम. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में गया हुआ है। उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ कि आठ लाख देना है, कितना देना है। राजस्व मंडल के हिसाब से यह अगर एग्रीकल्चर लैंड मानी जाती है तो कुल मिला करके इसका 1,25,13,000 रुपया देना पड़ता है और प्रार्थी खुद ही अठाइस करोड़ रुपये मांग रहे हैं। प्रार्थी ने हमें जो दरख्वास्त दी है वह यह दी है कि मेरी कीमत 28,55,13,221.58 रुपये बनती है... (व्यवधान) अब सुनिये आप मेरी बात। मेरा निवेदन यह है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाईकोर्ट का जो फैसला था वह क्या था...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सैकण्ड, आप इनकी बात का जवाब देने दीजिये। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। पहले इनकी बात का देने दीजिये...

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरा मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप शार्ट में दीजिये। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मेरी अर्ज सुन लीजिये आप...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यह तो बता दें 10 महीने हो गये तो इसको एक्वायर करेंगे, कि डिएक्वायर करेंगे। कब तक कर देंगे और समय अवधि बता दें। आप लटकाये मत रखिये। 10 महीने तो आपको भी हो गये जून से...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप स्वयं जानते हैं कि लैंड इक्वीजिशन आफिसर की प्रोसीडिंग्स से क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कितने दिन में कर देंगे। कोई समय सीमा तो बता दें आप...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसमें सैक्शन 4 से लेकर 6 तक का सफर करने का एक साल का पीरियड होता है। छह का सेक्शन...

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, दस महीन तो निकल गये। आपने एक्वायर किया। आप चार महीने में कर देंगे...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो महीने अभी भी बाकी हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : दो महीने में कर देंगे...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : छोड़िये–छोड़िये... (व्यवधान) बात सुनिये। आगे चलिये और सैक्शन 6 से ले करके 11 तक जिसमें अवार्ड पारित होता है उसमें दो साल का समय होता है। उसमें...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में जवाब दीजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : कृपया समय तो बता दें आप। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुछ नहीं कर सकते। हम समय नहीं बांध सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप इसे एक्वायर करेंगे, डिएक्वायर करेंगे, यह भी तय नहीं है अभी।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। प्रश्नकाल समाप्त।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में निगम बस सेवा

127. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कितने ग्रामों को राज्य परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सुविधा रहित ग्रामों में अभी तक निगम बस सेवा की व्यवस्था नहीं हो पाने के क्या कारण हैं और ऐसे कितने ग्राम हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों में बस सुविधा चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के निम्न तीन मार्ग राष्ट्रीयकृत है :

1. जैतारण–जोधपुर वाया बिलाड़ा डांगियावास
2. जैतारण–ब्यावर वाया निमाज–बर
3. जैतारण–मेड़ता सिटी वाया लाम्बिया

उक्त मार्गों पर पड़ने वाले निम्न 11 ग्राम वर्तमान में निगम बस सेवा से जुड़े हुए हैं :

1.	समोखी	2.	निमाज
3.	खीनावड़ी	4.	जैतारण
5.	गरनिया	6.	पृथ्वीपुरा
7.	बांझाकुड़ी	8.	बलून्दा
9.	बस्सी	10.	कालू

11. संझाड़ा लाम्बिया

(2) जैतारण विधान सभा क्षेत्र के सुविधा रहित ग्राम, जो निगम की बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थिति नहीं होने के कारण निगम बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है। जैतारण विधान सभा क्षेत्र के उक्त ग्यारह ग्रामों के अतिरिक्त शेष सभी ग्राम निगम बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं।

(3) सुविधा रहित ग्रामों में से कुछ ग्रामों को निगम बस सेवा से जोड़ने के लिए चान्दवाड़ा जैतारण तथा लाम्बिया से ब्यावर रोड मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन प्रस्तावित मार्गों में मुख्यतः लाम्बिया, अमरपुरा, नया गांव, बलरामपुर व चान्दवाड़ा गांव लाभान्वित हो सकेंगे। इनके अतिरिक्त उक्त मार्गों पर पड़ने वाले सभी छोटे–बड़े गांव भी लाभान्वित होंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बारां मण्डल वन अधिकारी कार्यालय में हुई अनियमितताओं की जांच

171. श्री प्रभूलाल करसोल्या (नैनवां) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां मण्डल वन अधिकारी कार्यालय में हुए घोटाले की जांच निधि अंकेक्षण विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जांच पूर्ण हो गई ? यदि हां, तो कौन–कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या गत कई वर्षों से घोटाला हो रहा था ? यदि हां, तो अंकेक्षण पार्टियों के ध्यान में क्यों नहीं आया ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वन मण्डल बारां के कार्यालय में हुए घोटालों की जांच निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा की गई थी। जांच के निष्कर्ष का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। निधि अंकेक्षण विभाग की जांच पूर्ण हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा "31" प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें निम्नांकित अधिकारी जो घटना के समय मण्डल वन अधिकारी बारां के पद पर कार्यरत थे, को भी संबंधित लिपिकवर्गीय कर्मचारी श्री सुरेश चन्द्र जैन के साथ नामजद किया गया है :

1. श्री बी.एम.अग्रवाल, तत्कालीन मण्डल वन अधिकारी, बारां।
2. श्री वैकटेश शर्मा, तत्कालीन मण्डल वन अधिकारी बारां।
3. श्री गोपाल सिंह राठौड़, सहायक वन सरक्षक, कार्यवाहक मण्डल वन अधिकारी बारां।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त रिकार्ड जब्त किया जाकर अन्वेषण किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य बिन्दुओं अनियमितताओं के विषय में जांच करने हेतु वन संरक्षक पूर्वी वृत कोटा को प्राथमिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है परन्तु मूल रिकार्ड भ्रष्टचार निरोधक विभाग द्वारा अन्वेषण हेतु अपने कब्जे में लेने के कारण यह जांच कार्यवाही लंबित है। मण्डल वन अधिकारी बारां (पूर्व) के आदेश दिनांक 27.7.98 से संबंधित कार्यालय सहायक श्री सुरेश चन्द्र जैन को निलम्बित किया जा चुका है।

(3) घोटाला होने संबंधी जानकारी विभाग के अधिकारियों को मिलते ही विभाग के आंतरिक जांच दल से जांच कराई गई तथा विभाग के आन्तरिक जांच दल के निवेदन

(राज्य मंत्री, वन)

पर ही निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अपने अधिकारियों को विस्तृत जांच हेतु भेजा गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

तहसील नैनवां व अटरू में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत चयन

172. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील नैनवां व अटरू में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कितने लोगों का इस वित्तीय वर्ष में चयन हुआ ?

(2) उक्त व्यक्तियों में से कितने लोगों को कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य हेतु दिया गया ?

उत्तर

(1) तहसील नैनवां जिला बूंदी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 37 युवाओं का चयन किया गया तथा तहसील अटरू जिला बारां में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 69 युवाओं का चयन किया गया। पूर्ण विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) तहसील नैनवां जिला बूंदी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 10 युवाओं को ऋण वितरण किया गया है सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब") जिसमें ऋण राशि व व्यवसाय विवरण अंकित है। तहसील अटरू जिला बारां में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत अभी ऋण वितरण नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा(भीलवाड़ा) में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

173. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा-रायपुर जिला भीलवाड़ा में कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित है :

1. उधमियों की मांग,
2. औद्योगिक सम्भाविता,
3. उचित भूमि की उपलब्धता,
4. जल, विद्युत की उपलब्धता,
5. कच्चे माल की उपलब्धता,
6. आवागमन के उचित साधन,
7. उत्पादित माल का विपणन सम्भावना,

(उद्योग मंत्री)

8. प्रदूषित जल उद्योग उपशिष्टों का निस्तारण।

(2) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा रायपुर के अन्तर्गत गंगापुर रायपुर कस्बे में उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गये हैं। उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त भू–खण्डों की संख्या एवं औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए और नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। इन क्षेत्रों में कुल 158 भू–खण्ड हैं जिसमें से 87 भू–खण्ड अभी रिक्त हैं।

ग्राम राती डांग (अजमेर) के नाले की दीवार की मरम्मत

174. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर के ग्राम राती डांग के नाले की पुरानी दीवार जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो-गई है ?

(2) क्या अत्यधिक वर्षा होने पर नाले का पानी घरों में चला जाता है ? यदि हां, तो नगर परिषद् कब तक इस नाले की दीवार की मरम्मत करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है कि राती डांग के नाले की पुरानी दीवार जगह–जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण, अत्यधिक बरसात होने पर, नाले में अधिक पानी आने तथा ओवर फ्लो होने की स्थिति में पानी घरों में भी चला जाता है। नगर परिषद् इस क्षतिग्रस्त नाले की दीवारों की मरम्मत अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये आगामी वित्तीय वर्ष में कराने का हरसम्भव प्रयास करेगी।

नगर निगम जयपुर में कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां

175. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गत कलेण्डर वर्ष में सरकार के ध्यान में आया था कि नगर निगम जयपुर में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की किस श्रेणी में ?

(2) सरकार के ध्यान में आने के बाद क्या–क्या कार्यवाही किसी–किस के विरुद्ध की गई ? क्या उन कर्मचारियों को हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अनियमित नियुक्तियां देकर जिन अधिकारियों ने निगम को हानि पहुंचाई उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो

(श्री हरज़ीराम बुरड़क)

क्या व किसके विरुद्ध और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जीं, हां। नगर निगम, जयपुर के उपलब्ध रेकार्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 कर्मचारियों को निम्न श्रेणियों में नियुक्तियां दी गई है :

1.	कनिष्ठ लिपिक	6
2.	स्टेनो	1
3.	टेलीफोन ऑपरेटर	1
4.	नाकागार्ड	4

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन महापौर एवं उप महापौर को धारा 63 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। संबंधित का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) भाग संख्या–2 में इसका उत्तर भी निहित है।

शहरी सीमा क्षेत्र में सीलिंग के तहत अवाप्त भूमि

176. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने शहरी सीमा क्षेत्र में लागू होने वाले सीलिंग कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है।

(2) अब तक शहरी सीमा क्षेत्र में सीलिंग कानून के तहत कितनी भूमि अवाप्त की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.10.1999 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–22 (24) निविवि/2/90 दिनांक 7.10.1999 के अनुसार राजस्थान विधान सभा द्वारा दिनांक 23.9.1999 को संकल्प पारित कर नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–15 अंगीकार किया गया है।

(2) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) 1976 की धारा 10(6) के तहत भूमि का क्षेत्रफल जिनका कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं अन्य नगरों में संबंधित नगर विकास न्यासों को सम्भलाया गया है जिनका विवरण निम्नप्रकार से अंकित है :–

नगर का नाम	**संकुलन मामलों की संख्या जिसमें कब्जा सम्भलाया गया**	**भूमि का क्षेत्रफल जिनका कब्जा सम्भलाया गया (हैक्टेयर में)**
जयपुर	250	581.00
जोधपुर	14	18.45
बीकानेर	22	58.03
कोटा	84	83.12
अजमेर	46	29.26
योग	416	769.86

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन

177. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना के बाद वर्ष 2000 तक कुल कितने मकानों का निर्माण करवाया गया और उन पर क्या लागत आई व प्रतिवर्ष कितने मकानों को आवंटित किया गया ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवासन मण्डल ने अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 1999–2000 तक (फरवरी, 2000) 1,54,674 भवनों का निर्माण किया है।

इन भवनों पर अब तक कुल 1,032.88 करोड़ रुपये का खर्चा आया है, 1,44,603 भवनों का आबंटन किया है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

समाज कल्याण छात्रावास भवन बाली/ शिवगंज का बकाया भुगतान

178. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा आवास विकास संस्थान बन्द कर उसकी समस्त बकाया लेनदारी व देनदारी की जिम्मेदारी आवासन मण्डल को सौंपी गई है ? यदि हां, तो जिला पाली के अन्तर्गत सौंपी गई सम्पतियों व बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समाज कल्याण छात्रावास बाली एवं शिवगंज के भवन निर्माण का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो कब और किसे ?

(3) क्या सम्बन्धित ठेकेदार को उसके द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान किया जा चुका है ? अब तक कुल कितना भुगतान किया जा चुका है तथा कितना बकाया है ? बकाया भुगतान के लम्बित रहने के क्या कारण रहे तथा अब बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी, हां। आवास विकास संस्थान की समस्त परिसम्पत्तियों के निस्तारण की जिम्मेदारी आवासन मण्डल को दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास विकास संस्थान को दिनांक 26.3.1999 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आवास विकास संस्थान को बन्द कर इसके स्थान पर एक अवसायन समिति का गठन किया गया है। अवसायन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है। समिति को आवास विकास संस्थान की समस्त लेनदारी एवं देनदारी का विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्य प्रगति पर है। इसमें पाली क्षेत्र के कार्य भी सम्मिलित है।

(2) हां, यह सही है कि आवास विकास संस्थान द्वारा समाज कल्याण विभाग के छात्रावास बाली एवं शिवगंज के भवन निर्माण कार्यों का ठेका दिया गया था। ये ठेके क्रमशः कार्यादेश संख्या 454 दिनांक 27.9.1997 एवं 386 दिनांक 29.8.1997 द्वारा मैसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी को दिये गये थे।

(3) संबंधित ठेकेदार को उसके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान समय–समय पर बिल के अनुसार किया जाता रहा है। अब तक कुल 3,34,616/–रुपये का भुगतान बाली के कार्य के विरुद्ध किया जा चुका है एवं 1,234/– रुपये का भुगतान किया जाना अवशेष है। शिवगंज के कार्य के विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया गया है, ठेकेदार द्वारा मात्र खुदाई का कार्य किया गया है। ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य के बकाया भुगतान हेतु अवसायन समिति के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

विद्याधर नगर बस डिपो से दादी का फाटक (जयपुर) सड़क पर अतिक्रमण

179. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किसान मार्ग विद्याधर नगर बस डिपो मुरलीपुरा, सीकर रोड़ जयपुर से दादी का फाटक, झोटवाड़ा रोड़ तक की सड़क की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वर्तमान में सड़क की चौड़ाई कम होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के एक चौथाई भाग पर अतिक्रमण है ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सड़क की चौड़ाई सैक्टर प्लान में 100 फीट प्रस्तावित है। सड़क की चौड़ाई मौके पर अतिक्रमण होने के कारण 100 फीट से कम है।

(2) जी, हां। सड़क के लगभग एक चौथाई भाग पर अतिक्रमण है। जी, हां। इस अतिक्रमण को शीघ्र ही हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में आबंटन हेतु प्रस्तावित खाने

180. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1999–2000 में कुल कितनी खानें किस–किस खनिज की व कहां कितनी है ?

(2) राज्य में वर्ष 1999–2000 के दौरान

(श्री अमराराम चौधरी)

कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को खनिज लीज पर दी गई है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी वर्ष में सरकार किस–किस जगह पर खनिज हेतु अन्य कितनी खानों पर खान आवंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1999–2000 में स्वीकृत खनिजवार व क्षेत्रवार खानों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1999–2000 के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये 1334 खननपट्टों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स. वर्ग	स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या
1. अनुसूचित जाति	268
2. अनुसूचित जनजाति	41
3. पिछड़े वर्ग	359
4. सामान्य वर्ग	666
योग	1334

(3) आगामी वर्षों में राज्य में जहां–जहां खाने आबंटन करने की संभावना है, खनिज सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पुलिस एक्ट में संशोधन

181. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस एक्ट वर्ष 1860 में बना था ? क्या उक्त एक्ट आज भी चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त पुलिस एक्ट किसके प्रति निष्ठावान है ? क्या यह सही है कि वह एक्ट ब्रिटेन की रानी क्राउन के प्रति निष्ठावान है ? यदि हां, तो आज उसकी क्या उपयोगिता है ?

(2) क्या राज्य सरकार पुलिस एक्ट में कुछ संशोधन अपने स्तर पर कर सकती है ? क्या सरकार इस एक्ट की समीक्षा करेगी ? यदि नहीं कर सकती तो क्या सरकार इस संबंध में अनुपयोगी धाराओं या जिसमें सजा कम है की समीक्षा कर केन्द्र सरकार को अवगत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि मिलावट करने वाले लोगों की जमानत आसानी से हो जाती है तथा सजा का प्रावधान भी पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सरकार मिलावटियों से कैसे निपटेगी ? उक्त व्यक्तियों से निपटने के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। पुलिस एक्ट 1860 में नहीं बना था बल्कि 1861 में बना

(गृह मंत्री)

था। उक्त अधिनियम आज भी प्रभावशील है। सन् 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात् यह राजस्थान में प्रभावी माना गया है। यह सही नहीं है कि यह एक्ट ब्रिटेन की रानी क्राउन के प्रति निष्ठावान है। यह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान है।

(2) यह केन्द्रीय अधिनियम है अतः राज्य सरकार राष्ट्रपतिजी की पूर्व स्वीकृति से इसमें संशोधन करने को सक्षम है। वर्तमान में इसकी समीक्षा करना विचाराधीन नहीं है।

(3) यह सही नहीं है। मिलावट करने वाले लोगों की जमानत का बिन्दु पूर्णतया प्रकरण की परिस्थितियां एवं न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 के अनुसार दोष सिद्धी पर कारावास का प्रावधान है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी एवं अधिकतम तीन वर्ष की हो सकेगी एवं जुर्माना 1000/– रुपये से कम नहीं होने का प्रावधान है। इसी धारा की उपधारा 1(ख) में व्यवस्था है कि यदि ऐसा कोई अपमिश्रण पाया जाता है जिसके उपयोग या उपभोग में मृत्यु होना संभव हो या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में वर्णित कोई अपराधकारित हो सकता तो ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास है। अतः उक्त सजा के प्रावधानों को देखते हुए मिलावट करने वालों के विरुद्ध यह सजायें पर्याप्त दृष्टिगत होती हैं। मिलावटियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर नमूनीकरण एवं जांच करवाकर उनके विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किये जाते हैं। मिलावटी पाये जाने वाले पदार्थों को पूर्णतय संदेह होने पर सीज्ड करने की कार्यवाही की जाती है। विभाग प्रत्येक माह की 4 से 11 तारीख तक विशेष अभियान चला रहा है।

थाना रेनवाल (जयपुर) में दर्ज छेड़छाड़ प्रकरण

182. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में श्री धन्ना लाल धोबी की लड़की गौमती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी ? यदि हां, तो क्या लड़की की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर प्रथम बार प्रार्थना करने पर ही दर्ज कर ली गई थी ?

(2) यदि हां, तो फिर रेनवाल में बहुत बड़ी घटना क्यों घटी तथा इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) पुलिस ने उक्त घटना क्रम में किन–किन लोगों को गिरफ्तार किया तथा उन पर क्या–क्या आरोप हैं ?

(4) क्या रामदेव, बृजमोहन, रामू खीचड़ भी झगड़ा करने में शामिल थे ? यदि हां, तो किस तरह झगड़ा कर रहे थे और नहीं, तो उन्हें क्यों पकड़ा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। दिनांक 11/12.9.1999 की रात्रि को पुलिस थाना रेनवाल के सिपाही श्रवण लाल द्वारा श्री धन्ना लाल धोबी के घर में घुसकर उसकी पत्नी श्रीमती मोहनी देवी के साथ की जा रही छेड़छाड़ से बचाने में मदद के दौरान उसकी लड़की कु. गौमती के भी चोटें आयीं। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने कु. गौमती अपने माता–पिता को साथ लेकर रात्रि में थाना रेनवाल पर गयी थी परन्तु ड्यूटी पर तैनात कानि. ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की एवं सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा।

(2) घटित घटना की रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं करने के कारण दिनांक 12.9.1999 को प्रातः 9 बजे के करीब थाने पर 1000–1200 व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित हो गई और एकत्रित भीड़ द्वारा थाने पर पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ की गई। इस घटना के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये तत्कालीन थानाधिकारी श्री जगमाल सिंह, उप निरीक्षक, कानि. श्रवण लाल नं. 583, कानि. राम सहाय नं. 609, कानि. ईश्वर सिंह नं. 567 थाना रेनवाल को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर नियम 16 सी.सी.ए. के तहत चार्जशीट दी गई। वर्तमान में विभागीय जांच जारी है।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या–1 में अंकित घटना के क्रम में दर्ज अभि. सं. 161/99 धारा 452, 354, 324 भादस में अनुसंधान में दोषी पाये जाने पर कानि. श्रवणलाल नं. 583 को गिरफ्तार कर पी.सी.रिमाण्ड दिनांक 17.9.1999 को प्राप्त किया एवं दिनांक 21.9.1999 को न्यायिक हिरासत सब जेल सांभरलेक दाखिल करवाया गया। इस अभियोग का चालान दिनांक 14.12.1999 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 में अंकित घटना के क्रम में दर्ज अभियोग संख्या 162/99 धारा 147, 148, 149, 452, 336, 332, 353, 307, 379, 435 भादस व 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत थाना रेनवाल पर पंजीबद्ध कर दौराने अनुसंधान कुल 34 व्यक्ति क्रमश : 1. बृजमोहन पुत्र राम स्वरूप शर्मा, 2. मदन लाल पुत्र बंशीधर कुमावत, नि. कालाडेरा, 3. पूरण मल पुत्र रघुनाथ बलाई, नि. ददीया रामपुरा रींगस, 4. महेश पुत्र घासीराम, नि. मिलकपुर, 5. बाबूलाल पुत्र देवाराम बलाई, नि. ठिकरिया, 6. गणेश पुत्र मंशाराम, नि. ब्रह्मपुर, रेनवाल, 7. द्वारका प्रसाद पुत्र रोशन लाल कुमावत, नि. रेनवाल, 8. मेघाराम पुत्र पूराराम जाट, नि. प्रेमपुरा, 9. मुकेश कुमार पुत्र औंकार, नि. नान्दरी, 10. जगदीश पुत्र अर्जुन गुजराठी, नि. खारड़ा 11. छोटूराम पुत्र मंगला राम जाट नि. भदवा, 12. मोहन लाल पुत्र घासी राम जाट, नि. ठिकरीया खुर्द, 13. भागचन्द पुत्र गोपाल यादव, नि. रेनवाल, 14. गणपत पुत्र किशना राम बलाई, नि. बसकी ढाणी, 15. कंवर सेन पुत्र मदन लाल रेगर, नि. रेनवाल, 16. रामेश्वर पुत्र हनुमान प्रसाद जाट, नि. सालीपुर, 17.

(गृह मंत्री)

पप्पू पुत्र पोकर मल, नि. रेनवाल, 18. मंगल चन्द पुत्र अमरा राम यादव, नि. भागास, 19. रामदेव पुत्र सुगाराम बलाई, नि. रिंगस्या, 20. रामू पुत्र भूराराम जाट, नि. कुली, 21. हरि नारायण पुत्र नाथूराम शर्मा, नि. नादड़ी, 22. सांवरिया उर्फ सांवर मल पुत्र लक्ष्मण कुमावत, नि. रेनवाल, 23. जगदीश पुत्र रामेश्वर खाती, नि. देवली कला, 24. जोधाराम पुत्र घासीराम जाट, नि. रामपुरा 25. नवल किशोर पुत्र राम नारायण अहीर, नि. देवलिया, 26. इस्लामुद्दीन पुत्र भोला बक्श मुसलमान, नि. रेनवाल, 27. यामीन पुत्र छुट्टन कुरेशी, नि. रेनवाल, 28. बृजमोहन पुत्र उदाराम कुमावत, नि. छोटूवालों की ढाणी, 29 ओम प्रकाश पुत्र सुगन चन्द नाई, नि. रेनवाल, 30. सुनील कुमार पुत्र डोडाराम बलाई, नि. दायिरामपुरा, 31. माली राम पुत्र कुशला जाट, नि. रामसिंहपुरा 32. मोइनुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन, नि. रेनवाल, 33. हरदीन पुत्र गंगाराम खारवाल, नि. रेनवाल, 34. रहिश तेली पुत्र ईद तेली, मुसलमान, नि. रेनवाल थाना रेनवाल में गिरफ्तार किया गया। इन पर मुख्य–मुख्य आरोप हैं :

1. सरकारी सम्पत्ति की तोड़–फोड़ करना,
2. सरकारी सम्पत्ति के आग लगाना,
3. सरकारी सम्पत्ति को चुराकर ले जाना,
4. थाने में कर्मचारियों के साथ लाठी, पत्थर व लोहे के सरियों से मारपीट करना आदि।

(4) जी, हां। उक्त घटना में रामदेव, बृजमोहन, रामू खींचड़ भी थाने में तोड़–फोड़ आगजनी, पत्थरबाजी करने में शामिल थे, इसलिए इन्हें अभियोग संख्या 162/99 धारा 147, 148, 149, 452, 336, 332, 353, 307, 379, 435 भादस व 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत थाना रेनवाल में गिरफ्तार किया गया था।

राज्य में पुलिस लाठीचार्ज की घटनाएं

183. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1999 में पुलिस ने कहां–कहां पर लाठीचार्ज किया तथा इसमें कितने लोग घायल हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किन कारणों से किया ? क्या उक्त घटनाओं की जांच कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 तक सात जिलों में कुल 8 स्थानों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिनमें कुल 63 व्यक्ति घायल हुए। घटनावार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

नेछवा थाना (सीकर) में दर्ज प्रकरण नम्बर 16/2000

184. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर के नेछवा थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 16/2000 पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) उक्त प्रकरण में मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) दिनांक 23.2.2000 को श्री हरि नारायण पुत्र सुगन चन्द पारीक निवासी ग्राम शाहपुरा थाना लोसल द्वारा अपनी पुत्री आशा को दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण दिनांक 18.2.2000 को अशोक, गिरधारी गीता एवं जिठानियों द्वारा दहेज बाबत तंग एवं प्रताड़ित कर मार दिया एवं मृतका आशा का चुपचाप दाह–संस्कार कर दिया आदि रिपोर्ट पर अभि. स. 16/2000 धारा 498ए, 304बी, 120बी भादस थाना नेछवा में पंजीकृत किया जाकर अनुसंधान वृताधिकारी फतेहपुर द्वारा किया गया। दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल, नक्शा मौका, श्मशान भूमि ग्राम जुलियासर से मृतका आशा की जली हुई हड्डियों के टुकड़े, राख ज़प्त की जाकर सील्ड मोहर कर मुस्तगीस पक्ष एवं मुलाजिम पक्ष आदि के बयान लिये गये। तफतीश से अभियुक्त अशोक, गिरधारी, गीतादेवी, पुष्पादेवी एवं सीतादेवी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 120बी भादस का जुर्म प्रमाणित है।

(2) उक्त प्रकरण में लिप्त पाये गये अभियुक्तगण गिरफ्तारी के भय से अपने निवास स्थान से भूमिगत हो जाने से उनके छिपने के सम्भावित स्थानों पर तलाशी हेतु भरसक प्रयास किये गये हैं। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु अलग से निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जिला हनुमानगढ़ के लम्बित शस्त्र अनुज्ञा-पत्र

185. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हथियारों के लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान को लाइसेंस देने की क्या प्रक्रिया राज्य सरकार ने अपना रखी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) जिला हनुमानगढ़ में ऐसे कितने प्रकरण लम्बित हैं और क्या उनमें जांच के पश्चात् भी लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं ? ऐसे प्रकरणों की संख्या कितनी है तथा इनका कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिस द्वारा शस्त्र अनुज्ञा–पत्र हेतु जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता है। आवेदन–पत्र के साथ उसे उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र, शस्त्र जमा कराने की मूल रसीद तथा अन्य उत्तराधिकारियों की ओर से शपथ पत्र पेश करना होता है इसके उपरान्त पुलिस/इंटेलीजेंस/वन विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर आवेदन–पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

(2) वर्तमान में इस प्रक्रिया में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जिला हनुमानगढ़ में मृतक लाइसेंस धारी के उत्तराधिकारी को लाइसेंस देने के 129 प्रकारण विचाराधीन हैं परन्तु आवेदन–कर्त्ताओं द्वारा अन्य औपचारिकताएं यथा :–

1. उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र।
2. उत्तराधिकारी की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं करना।
3. शस्त्र जमा कराने की मूल रसीद आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निस्तारण नहीं किया जा सका है।

इन प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली

186. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को मध्यनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन में कोई फ़ेरबदल करने का विचार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर की आबादी 20 लाख से अधिक हो गई और यहां "नगर निगम" स्थापित हो गया है ? क्या सरकार उसके अनुरूप "पुलिस कमिश्नर" प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक चालू हो जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व की सरकार द्वारा "पुलिस कमिश्नर" प्रणाली लागू करने की स्वीकृति मंत्रिमण्डल द्वारा हो चुकी थी ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या जयपुर में दिनों दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं ? क्या सरकार इसको ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को मध्यनजर रखते हुए अपराधों के नियन्त्रण हेतु पुलिस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस

(गृह मंत्री)

अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, नये थाने खोले गये हैं। नयी पुलिस चौकियां सृजित की गई हैं। विभिन्न पदों की वृद्धि की गई है। यातायात पुलिस में भी उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के नये पद सृजित किये गये हैं प्रशासनिक फेरबदल भी निरन्तर प्रक्रिया है एवं समय–समय पर किये जाते हैं।

(2) जयपुर शहर की आबादी लगभग 20 लाख के करीब है एवं यहां नगर निगम स्थापित हो गया है। जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) जयपुर शहर में वर्ष 1997 में कुल 13359, 1998 में 12772, 1999 में 12423 व फरवरी, 2000 तक 2166 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं जिससे स्पष्ट है कि जयपुर शहर में आपराधिक गतिविधियों में निरन्तर कमी आई है तथा अपराधों पर नियन्त्रण हेतु समय समय पर अपराध गोष्ठियों का आयोजन, नाकाबंदी व गस्त तथा चैकिंग द्वारा अपराधों पर नियन्त्रण किया जा रहा है।

पुलिस थाना बांदीकुई में दर्ज हत्या प्रकरण

187. डा. क़िरोड़ी लाल (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2000 में बांदीकुई जिला दौसा में समाजकंटक एक पांच वर्षीय बालक चेतन सोनी को फिरौती के नाम पर उठाकर ले गये थे, जिसके बाद फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी में दर्ज प्रथम सूचना एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया था ? यदि हां, तो उसे लगाने का क्या कारण था और उसे कब से कब तक लगाये रखा ?

(3) क्या पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का कब ?

(4) क्या यह सही है कि थाना बांदीकुई पर लम्बे अर्से से पदस्थापित पुलिस कर्मियों को हटाये जाने की मांग को उस समय प्रशासन ने माना था ? यदि हां, तो कौन–कौन पुलिसकर्मी कब–कब से थाने में तैनात हैं तथा उनमें से किस–किस को हटाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि प्रशासन ने उक्त घटना के बाद से जनता के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया ? यदि हां, तो किस–किस को धारा के तहत तथा किस–किस के विरुद्ध कितने–कितने मुकदमे दर्ज हैं ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि दिनांक 19.1.2000 को बांदीकुई में स्थित स्कूल से पांच वर्षीय बालक चेतन सोनी को समाज–कंटक उठाकर ले गये थे और फिरौती नहीं मिलने पर चेतन की हत्या कर दी थी। इस संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "क" एवं "ख" संलग्न है।

(2) जी, हां। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 22.1.2000 को कस्बा बांदीकुई में प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। क्योंकि अपहृत बालक की लाश मिलने पर कस्बा व आसपास के गांवों में तनाव व्याप्त हो गया था। रास्ता अवरुद्ध कर उग्र भीड़ ने परिवहन निगम की बसों व पुलिस प्रशासन पर पत्थर बाजी की। मृत चेतन सोनी का दिनांक 21.1.2000 को पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को दी गई तो उग्र भीड़ ने उस दिन लाश का संस्कार नहीं करने दिया व लाश वापस थाना बांदीकुई पर लाई गई। प्रशासन एवं पुलिस ने कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों से सम्पर्क कर लाश का अन्तिम संस्कार करवाने के प्रयास किये। जैसे ही लाश परिजनों के घर पहुंची तो उग्र भीड़ ने पास में ही स्थित अभियुक्त प्रमोद कुमार के घर पर तोड़फोड की व आगजनी आरम्भ कर दी। इस आगजनी की अफवाह से आसपास के गांवों के लोग भी आ गये व भीड़ ने उग्र रूप धारण कर रेलमार्ग रोकने की कोशिश की एवं बाजारों में फैलकर मार्ग अवरुद्ध कर दिये। इस उग्र भीड़ से कस्बे में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े व अशांति नहीं हो, इन सभी कारणों को मध्यनजर रखते हुए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने उचित समय पर नगरपालिका क्षेत्र बांदीकुई में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। दिनांक 22.1.2000 समय 11 ए.एम. पर लगाया गया कर्फ्यू दिनांक 24.1.2000 को सायं 4 बजे हटा लिया गया था।

(3) जी, हां। मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिनांक 25.1.2000 को दिया गया है।

(4) जी, हां। थाना बांदीकुई पर तैनात पुलिस कर्मियों की सूची व कब से तैनात है का परिशिष्ट "ग" संलग्न है। पुलिस उप अधीक्षक बांदीकुई श्री कानसिंह का स्थानान्तरण दिनांक 19.3.2000 को कर दिया गया है।

(5) जी, हां। उक्त घटना के दौरान दिनांक 21.1.2000 एवं 22.1.2000 को कुल 37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिसकी सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कुल चार अभियोग पंजीबद्ध किये गये हैं। अनुसंधान जारी है। चारों अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रतियां परिशिष्ट "ङ" संलग्न है।

(रिपोर्ट एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भारत-पाक सीमा पर पकड़े गये घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही

188. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारत–पाक सीमा पर घुसपैठिये पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 तक कौन–कौन कब–कब कहां–कहां पर ?

(2) क्या उनसे किसी प्रकार का कोई सामान या उपकरण व करेंसी आदि बरामद हुये हैं ? यदि हां, तो किस–किस से क्या क्या तथा उनका बाजार मूल्य क्या–क्या था ?

(3) क्या उक्त व्यक्तियों से कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है ? यदि हां, तो क्या–क्या किस–किस से ?

(4) उक्त घुसपैठियों के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भारत पाक सीमा पर 1 जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 तक वर्ष 1998 में 26, वर्ष 1999 में 19 तथा वर्ष 2000 फरवरी तक 4 व्यक्ति, कुल 49 व्यक्ति पकड़े गये हैं वर्षवार, व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) पूर्ण सूचना परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(3) सूचना गोपनीय होने के कारण सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के उत्तर में निहित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की स्वीकृत सड़कें

189. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सांसद/विधायक कोटे से कौन–कौनसी सड़कें स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सांसद/विधायक कोटे से इस वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सड़कों की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

खिवाड़ा पाली वाया सोमेसर सड़क का डामरीकरण

190. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खिवाड़ा से पाली वाया सोमेसर 60 किलोमीटर लम्बी सड़क जिला हैडक्वार्टर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है ? यदि हां, तो पिलावती से रूगड़ी के बीच शेष बची सड़क का डामरीकरण

(श्री केसाराम चौधरी)

कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) खिवाड़ा से सोमेसर के बीच में कितनी रपटें हैं ? क्या सरकार उनको पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। खिंवाड़ा से सोमेसर विभाग की "अन्य जिला सड़क" की श्रेणी में है जो पाली पिंडवाड़ा सड़क को सोमेसर पर जोड़ती है। उक्त सड़क का भाग पिलोवती से रूंगड़ी 4 किलोमीटर मेटल सड़क (सिंगल लेयर) है जिसका डामरीकरण नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) खिंवाड़ा से सोमेसर के बीच 6 रपटें बनी हुई है। ये रपटें पूर्ण है।

गेवा माखीदा पुलिया (कोटा) निर्माण की स्वीकृति

191. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल नदी पर गेवा–माखीदा के बीच पुलिया बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त पुलिया को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चम्बल नदी पर गेता माखिजा के बीच पुलिया बनाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। उक्त पुलिया के निर्माण की स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

जिला नागौर के न्यायालयों में अधिवक्ताओं के रिक्त पद

192. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में कौन–कौन से न्यायालय स्थापित हैं और उनमें कितने कितने मामले किस–किस वर्ष से विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सभी न्यायालयों में राजकीय अधिवक्ता नियुक्त है ? यदि नहीं, तो कौन से न्यायालय में कब से और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें। अब कब तक नियुक्ति की जा सकेगी ?

(3) क्या जिन न्यायालयों में सरकारी अधिवक्ता नियुक्त नही हैं वहां पर न्यायालय कार्य विधिवत् संचालन के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं ? जिसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में स्थापित न्यायालयों की सूची हेतु परिशिष्ट "क" संलग्न है तथा इनमें विचाराधीन प्रकरणों की सूची के लिए परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(2) नागौर जिले के अन्तर्गत केवल नव सृजित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, डीडवाना के अतिरिक्त सभी न्यायालयों में लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक नियुक्त हैं। अपर लोक अभियोजक का पद आदेश 16.2.1999 के द्वारा सृजित हुआ है तथा इसके पश्चात् जिला कलेक्टर से स्वम जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अभिभाषकों का पैनल मांगा गया है।

(3) जिला कलेक्टर, नागौर से प्राप्त सूचना के आधार पर अपर लोक भियोजक, डीडवाना के रिक्त पद का कार्य देखने हेतु श्री दौलतराम मिर्धा, लोक अभियोजक, मेड़ता को अस्थाई व्यवस्था के बतौर जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा नियुक्त किया हुआ है। ऐसी व्यवस्था से किसी प्रकार का व्यवधान होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गजनाई (पाली) के विस्थापितों को विद्युत कनेक्शन

193. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली तहसील सोजत का राजस्व गांव गजनाई वर्ष 1988 के पूर्व से विद्युतीकृत घोषित है ?

(2) क्या वर्तमान में गजनाई बांध बन जाने से इस राजस्व गांव को अपने मूल स्थान से अन्यत्र जाकर बावड़ी, बेरा, राण की ढाणी, पटेलों का बाड़िया, नाथजी की ढाणी, कोटडी ढाणी, में जाकर आबाद होना पड़ा ? यदि हां, तो सरकार ने विस्थापित लोगों के घरों को विद्युतीकृत करने की क्या कार्यवाही की है ? क्या पुराने मीटर सभी उपभोक्ताओं के पास मौजूद हैं ?

(3) अब तक जनता की बार–बार मांग पर भी कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। विस्थापित उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने हेतु दिनांक 16.12.1996 को सिंचाई विभाग को मांग पत्र दिया था परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा अब तक भी मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाई गई है। राशि जमा न होने से कनेक्शन नहीं दिये जा सके। पुराने मीटर केवल 14 उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध हैं।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा राशि जमा न करवाने के कारण कनेक्शन नहीं दिये गये। वर्तमान में गजनाई ग्राम में नये कनेक्शन हेतु कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य

194. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कब एवं कब तक इसे पूर्ण करने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्या–क्या कार्य कब–कब पूर्ण हुआ और शेष कार्य की क्या प्रगति है ?

(3) उक्त ग्रिड सब स्टेशन को पूर्ण करने में कितनी राशि की आवश्यकता थी तथा उसके अनुरूप कितनी–कितनी राशि का कब–कब आवंटन हुआ तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति दिनांक 26.12.1996 को दी गई थी। इसे विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता लेकर क्रियान्वित होने वाली 44 योजनाओं में दिनांक 28.10.1997 को सम्मिलित किया गया था। विश्व बैंक द्वारा वांछित ऋण सहायता न मिलने व संसाधनों की कमी के कारण इस योजना पर कार्य समय पर प्रारम्भ न हो सका। इस योजना को चालू करने के लिए इसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण सहायता के लिए भेजा गया।

(2) जी, हां। उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। स्ट्रेक्चर, इरेक्शन, अर्थिंग, बाउण्ड्री, फाउन्डेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इक्यूपमेंट का कार्य प्रगति पर है। 132 के.वी. सिंगल सर्किट छोटी सादड़ी–बड़ी सादड़ी लाइन का कार्य का ठेका (कौंट्रेक्ट) अभी नहीं हुआ है। इसके होने पर ही आगे का कार्य हो सकेगा।

(3) उक्त ग्रिड सब स्टेशन व सम्बन्धित विद्युत लाइन के निर्माण के लिए लगभग 612 लाख रुपये की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण सहायता ली जा रही है। वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 की वार्षिक योजनाओं में इसके लिए 3–3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस ग्रिड सब स्टेशन की इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

195. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में घरेलू विद्युत कनेक्शन के कितने प्रार्थना–पत्र कब से लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त क्षेत्र में लम्बित विद्युत कनेक्शन कब तक लगा दिये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अन्तर्गत विद्युत उपखण्ड कोटपूतली व पावटा में घरेलू कनेक्शन हेतु वर्ष 1997 से 2000 तक क्रमशः 414 व 558 कुल 972 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	लम्बित आवेदनों की संख्या
1997–1998	15
1998–1999	44
1999–2000	913
कुल	972

(2) उपरोक्त आवेदनों में से 513 आवेदकों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं व 459 आवेदनों के तखमीने बनाये जा रहे हैं। जिन 416 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है उनको बजट प्रावधानों अनुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

रहुघाट विद्युत तापीय परियोजना की सहमति के परिणाम

196. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में राज्य की भागीदारी तथा स्वयं द्वारा संचालित एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कौन–कौन से तापीय, गैसीय, आणविक एवं पन बिजली घर किस–किस क्षमता के कहां–कहां स्थापित हो चुके हैं ? तथा कितनों पर कार्य चल रहा है और कितने–कितने भविष्य में स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं ?

(2) चम्बल की रहुघाट परियोजना का कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा तथा उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी एवं उस पर कुल कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि रहुघाट विद्युत परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य चर्चा/सहमति हुई थी ? यदि हां, तो क्या और उसके क्या परिणाम सामने आये ?

उत्तर

(1) राज्य में राज्य की भागीदारी तथा स्वयं द्वारा संचालित एवं केन्द्रीय परियोजनाओं में तापीय, गैसीय, आणविक, पन तथा पवन विद्युत संयंत्रों की क्षमता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। राज्य में भविष्य में आने वाली जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा भविष्य में स्थापित होने वाली परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) मध्य प्रदेश–राजस्थान अंतर्राज्यीय मण्डल की दिनांक 3 जून, 1999 को जयपुर में आयोजित 12वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार देवीपुरा जल विद्युत परियोजना के लिए राजस्थान प्रभारी है जबकि शेष तीन जल विद्युत परियोजनाएं (गुजापुरा, जैतपुरा तथा बरसाला) के लिए मध्य प्रदेश प्रभारी होगा तथा यह भी निश्चत किया गया था कि इन परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं

(ऊर्जा मंत्री)

जांच का कार्य तथा परियोजनाओं का प्रतिवेदन बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल-आयोग को परामर्शदाता नियुक्त किया जाये।

केन्द्रीय जल आयोग ने सर्वेक्षण एवं जांच कार्य तथा परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु 149.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत बताई है तथा यह कार्य दो वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। विस्तृत विवरण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण होने तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने पर ज्ञात हो सकेगा।

(3) जी, हां। रहुघाट विद्युत परियोजना के संबंध में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के मध्य जयपुर में दिनांक 3 जून, 1999 को मध्य प्रदेश–राजस्थान अंतर्राज्यीय मण्डल की 12वीं, बैठक में सहमति हुई थी और उसमें 50–50 प्रतिशत की समान भागीदारी के आधार पर यह निश्चत किया गया था कि देवीपुरा जल विद्युत गृह के लिए राजस्थान प्रभारी एजेन्सी होगा जब कि शेष तीन परियोजनाओं (गुजापुरा, जैतपुरा तथा बरसाला) के लिए मध्य प्रदेश प्रभारी एजेन्सी होगा। इस बैठक में सचिव, मध्य प्रदेश–राजस्थान अंतर्राज्यीय मण्डल, कोटा को नोडल आफिसर नियुक्त करने, केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने का भी निश्चय किया गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आंगनबाड़ी केन्द्र

197. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या महिला बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं उनमें से कितने–कितने चालू हालत में हैं एवं कितने–कितने बन्द हैं तथा बन्द होने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किस–किस केन्द्र पर कितनी–कितनी मात्रा में पोषाहार वितरण किया जाता है ? वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक किस–किस केन्द्र पर कितनी मात्रा में सामग्री वितरण की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या समय–समय पर उक्त केन्द्रों की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में ऐसे कितने केन्द्र हैं जो हमेशा ही बन्द अवस्था में पाये गये ? क्या सरकार उनके स्थान पर किन्हीं नये व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) वर्ष 1999–2000 में उक्त क्षेत्र में वंचित रहे ग्रामों में क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस–किस स्थान पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बाल विकास परियोजना, टोडाभीम के 96 व नादौती के सभी 92 आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 188 आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं। ये सभी केन्द्र चालू हैं। कोई भी केन्द्र बन्द नहीं है। केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की परियोजनाओं में विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त इंडिया मिक्स का वितरण किया जाता है। यह पोषाहर 0–6 वर्ष के सामान्य बालकों को 80 ग्राम प्रतिदिन प्रति लाभान्वित एवं 0–6 वर्ष के अति कुपोषित तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 160 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से माह में औसतन 25 दिवस वितरित किया जाता है। प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 60 लाभान्वितों के औसत लक्ष्य के आधार पर लगभग 135 किलो इंडिया मिक्स प्रतिमाह वितरित किया जाता है। वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक कुल 555.55 मैट्रिक टन पोषाहार वितरित किया गया है। वितरित किए गए पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। इस क्षेत्र में ऐसा कोई केन्द्र नहीं है, जो निरीक्षण के दौरान हमेशा ही बन्द अवस्था में पाया गया है।

(4) जी, नहीं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला भीलवाड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत महिलाएं

198. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्र कुल कितने हैं ? ग्राम व पंचायत समिति वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उसी गांव की महिला को रखने की राज्य सरकार की नीति है ?

(3) वर्तमान में उक्त जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र पर उसी गांव की कितनी महिलाएं हैं व दूसरे गांव की कितनी महिलाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में विभाग में किस–किस श्रेणी के उक्त जिले में कितने–कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इनको भरने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की 12 बाल विकास परियोजनाओं में 1344 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से 3 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 317 आंगनबाड़ी केन्द्र वर्ष 1999–2000 के दौरान ही स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की ग्राम एवं पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी, हां।

(3) वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत महिलाओं में उसी गांव की एवं दूसरे गांव की महिलाओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम परियोजना	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता		सहायिका	
		स्थानीय	दूसरे गांव की	स्थानीय	दूसरे गांव की
1.	माण्डलगढ़	90	73	144	20
2.	शाहपुरा	88	36	126	–
3.	माण्डल	103	47	147	8
4.	सहाड़ा	68	34	94	7
5.	रायपुर	52	29	82	3
6.	सुवाणा	92	37	129	–
7.	कोटड़ी	63	32	97	1
8.	जहाजपुर	61	42	101	2
9.	भीलवाड़ा	60	–	60	–
10.	आसीन्द	–	–	–	–
11.	बनेड़ा	–	–	–	–
12.	हरड़ा	–	–	–	–

(4) वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में निम्न श्रेणी के पद रिक्त हैं :

क्र.सं.	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	कारण
1.	क्षेत्रीय उप निदेशक (बाल विकास)	1	रिक्त पदों को भरने हेतु की जाने वाली कार्यवाही विचाराधीन है तथ अगले वित्तीय वर्ष में इन पदों को भरने का प्रयास है।
2.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	2	
3.	कनिष्ठ लेखाकार	3	
4.	महिला पर्यवेक्षक	14	
5.	वरिष्ठ लिपिक	2	
6.	कनिष्ठ लिपिक	1	
7.	वाहन चालक	1	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम में प्रस्तावित निगम बस सेवा

199. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खारची के वंचित ग्रामों में राज्य परिवहन निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन मार्गों पर निगम वाहन संचालन के लिये सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर को मार्ग खोलने हेतु निवेदन किया गया है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में निगम वाहन संचालित करने बाबत् परिवहन विभाग द्वारा कोई सर्वे करवाया गया ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में निगम वाहन संचालन बाबत् मार्गों का सर्वे कर अनुज्ञा–पत्र लेने की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन–किन मार्गों के अनुज्ञा–पत्र कब तक जारी किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम पंचम अध्याय (अराष्ट्रीयकृत) के हैं, इसलिए उनमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं की जा रही है। फिर भी कुछ मार्गों पर बस चलाने के लिए मार्ग खोलने की कार्यवाही की जा रही है जिनका विवरण निम्नप्रकार है :

1. पाली–उदयपुर
2. पाली–देवगढ़
3. पाली–देसूरी
4. पाली–ब्यांवर वाया खेरवा, मारवाड़ जंक्शन, दूधोल, नागाबेरी व सोजत सिटी
5. पाली से ब्यावर वाया जाडन, दूधोल, नागाबेरी व सोजत सिटी

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बस संचालन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रश्न के भाग एक में वर्णित मार्गों को खोलने हेतु आवेदन किया है। जिनमें से पाली–उदयपुर तथा पाली देसूरी मार्गो का सर्वेक्षण करा लिया गया है, किन्तु प्रतिच्छादित करने वाले बस मार्ग के परिमिट– धारियों ने मार्ग खोले जाने के संबंध में आपत्ति की है जिन पर सुनवाई हेतु तारीख 15.4.2000 निर्धारित की जा चुकी है शेष मार्गों का प्रकरण अभी विचाराधीन है।

(3) जी, हां। पाली उदयपुर तथा पाली–देसूरी मार्ग खोले जाने हेतु सर्वे कराया जा चुका है सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(4) जी, हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में निगम की वाहन संचालन के सम्बन्ध में स्वीकृत निम्नांकित वर्तमान मार्गों पर बसें

(यातायात मंत्री)

चलाने हेतु निगम को प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं :

1. पाली–मारवाड जंक्शन
2. सोजत सिटी–देसूरी
3. पाली–देसूरी

सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा दिनांक 22.3.2000 को पाली–मारवाड़ जंक्शन तथा सोजत सिटी–देसूरी मार्ग के लिए परमिट जारी करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। पाली–देसूरी मार्ग के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त होने के कारण प्रकरण की सुनवाई माह अप्रेल, 2000 में पाली क्षेत्र की बैठक आयोजित कर की जायेगी।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निगम के निलम्बित वाहन चालक एवं परिचालक

200. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने चालक, परिचालक निलम्बित हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मियों के विरुद्ध प्रमुख क्या–क्या आरोप हैं ?

(3) उक्त प्रकरणों की जांच शीघ्र निबटाने के लिये सरकार क्या विशेष कदम उठाने जा रही हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम में कुल 239 चालक व 553 परिचालक निलम्बित हैं। (सूची संलग्न है)

(2) उक्त कर्मियों के विरुद्ध मुख्यतया बिना टिकट यात्री ले जाने, अनुपस्थित रहने व वाहन दुर्घटना संबंधी आरोप है।

(3) उक्त प्रकरणों की जांच कार्यवाही शीघ्र निपटाने हेतु आगार स्तर पर सेवानिवृत्त आर.ए.एस./आर.पी.एस. अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में अनुबन्ध पर रखा गया है जिनके द्वारा जांच कार्यवाहियां यथाशीघ्र सम्पादित की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

निगम वाहनों से हुई दुर्घटनाओं का मुआवजा

201. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्तमान में कितने प्रतिशत राजमार्गो पर निजी व राज्य परिवहन निगम की बसें चल रही हैं तथा उनके टैक्सों से होने वाली आमदनी का प्रतिशत क्या है ?

(2) वर्तमान में राज्य परिवहन निगम के पास कितनी बसें हैं ? आगारवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। गत 5 वर्षो में

(श्री अमराराम)

लाभ–हानि कितनी रही ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 5 वर्षों में कितनी नयी बसें क्रय की गई तथा बस बाडी का निर्माण कहां–कहां पर हुआ ?

(4) गत 5 सालों में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई तथा राज्य परिवहन निगम को कितना मुआवजा राशि व आर्थिक नुकसान हुआ।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में राज्य पथ परिवहन निगम बसों का लगभग 91 प्रतिशत राजमार्गों पर संचालन हो रहा है। राजमार्गों के शेष भाग पर निजी बसें चल रही हैं। राजमार्गों पर चलने वाली बसों से प्राप्त होने वाले कर की राशि की सूचना अलग से संधारित नहीं की जाती है।

(2) राज्य परिवहन निगम के पास वर्तमान में 4428 वाहनें संचालित है। इनमें से 4197 निगम की स्वयं की एवं 231 अनुबन्धित वाहनें हैं। आगारवार वाहनों की सख्या दर्शाते हुए वाहनों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। निगम को गत पांच वर्षों में हुए लाभ–हानि का विवरण दर्शाते हुए परिशिष्ट "2" संलग्न है।

(3) वर्ष 1995–96 से वर्ष 1999–2000 (21 मार्च, 2000) तक क्रय की गई वाहनों, की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	क्रय की गई वाहनें
1995–96	472
1996–97	385
1997–98	657
1998–99	539
1999–2000 (21.3.2000 तक)	28

इन वाहनों की बस बाडी का निर्माण, बस बाडी निर्माताओं के नाम दर्शाते हुए वर्षवार सूचना परिशिष्ट "3" पर उपलब्ध है।

(4) परिवहन निगम की गत पांच वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण दर्शाते हुए सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	कुल दुर्घटना	दुर्घटना दर (प्रति एक लाख कि.मी)
1994–95	1083	0.26
1995–96	1088	0.24
1996–97	993	0.22
1997–98	1072	0.22
1998–99	948	0.19

निगम द्वारा एम.ए.सी.टी. के अन्तर्गत मुआवजा राशि एवं दुर्घटनाओं से हुआ नुकसान दर्शाते हुये सूचना निम्नानुसार है :

(यातायात मंत्री)

वर्ष	एम.ए.सी.टी.के अन्तर्गत मुआवजा राशि (लाखों में)	दुर्घटनाओं से आर्थिक नुकसान की राशि (लाखों में)
1994–95	734.22	133.54
1995–96	675.41	173.28
1996–97	617.27	148.70
1997–98	760.93	153.96
1998–99	1147.18	161.61

(सूची, विवरण एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी हेतु निगम बस सेवा

202. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी को राज्य पथ परिवहन निगम बस सुविधा से कब से जोड़ा गया तब से लेकर अब तक विभिन्न मार्गो पर चलने वाली बस का प्रारम्भ कब हुआ तथा कब से बन्द की गई है ? बन्द होने के क्या कारण रहे तथा पुनः प्रारम्भ करने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर है ? यदि हां, तो कई विभागों के कार्यालय होने के बाद भी जिला हैडक्वार्टर से जुड़ा हुआ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या जिला केन्द्र चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी को निगम बस सेवा से जोड़ने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ?

(4) क्या यह सही है कि निजी बस मालिकों का एकाधिपत्य एवं प्रभावशाली होने के कारण तथा विभाग की मिलीभगत के चलते बड़ी सादड़ी तहसील चित्तौड़गढ़ निगम बस सुविधा से नहीं जुड़ पाया ? यदि हां, तो अब कब तक इस सुविधा से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी को राज्य परिवहन निगम को बस सुविधाओं से अक्टूम्बर, 1985 में निम्नलिखित मार्गो से राष्ट्रीयकरण किये जाने के साथ बस सेवाओं से जोड़ा गया है :

1. चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी वाया निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी।
2. उदयपुर–बड़ी सादड़ी वाया भटेवर खौरोदा–भीण्डर–कानोड़–बान्सी।

वर्ष 1991 में निम्नलिखित पंचम अध्याय मार्गो पर निगम द्वारा बस सेवाओं के संचालन हेतु अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर संचालन आरम्भ किया गया :

1. चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी वाया सावा

(यातायात मंत्री)

कन्नौज–भदेसर–आबरीमाता–निकुंम–पीन्ड–भाणूजा।

2. निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी वाया बिनोता बम्बोरी–जलौदा।

चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी वाया सांवा–कन्नौज भदेसर–आवरीमाता–निकुंभ मार्ग पर निगम द्वारा वर्ष 1991 में ही 6 एकल सेवाओं हेतु परिवहन विभाग के अनुज्ञा–पत्र प्राप्त किये गये थे। जिन्हें निम्न समय सारिणी अनुसार संचालित किया गया था :

क्र.सं.	मार्ग	समय
1.	चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी	0615
2.	बड़ी सादड़ी–चित्तौड़गढ़	1330
3.	चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी	1215
4.	बड़ी सादड़ी–चित्तौड़गढ़	1830
5.	चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी	1830
6.	बड़ी सादड़ी–चित्तौड़गढ़	0715

क्र.स. 1 एवं 2 पर निगम बस सेवा माह अप्रेल, 1991 से नवम्बर, 1996 तक लगातार चलती रही, किन्तु अगस्त, 1996 से नवम्बर, 1996 तक इस सेवा की आय प्रति कि.मी. 4.91 व यात्रीभार 43 प्रतिशत ही रहने से सेवा का संचालन अनार्थिक रहने के कारण बन्द कर दी गई। क्र.स. 3 से 4 पर वर्ष अप्रेल, 1991 से अप्रेल, 1993 तक नियमित संचालन किया जाता रहा, परन्तु सेवा की औसत आय प्रति कि.मी. 4.12 व यात्रीभार 41 प्रतिशत ही होने से अनार्थिक रही अतएवं बन्द कर दी गई। पुनः जन–प्रतिनिधियों की मांग पर उक्त सेवा का संचालन मार्च, 1994 से नवम्बर, 1994 तक आरम्भ किया गया, परन्तु इस अविध में भी औसत आय प्रति कि.मी. 4.63 तथा यात्रीभार 42 प्रतिशत रहने से बस संचालन माह दिसम्बर, 1994 में बन्द कर दिया गया। क्र.सं. 5 एवं 6 पर बस सेवा का संचालन अप्रेल, 1991 से सितम्बर, 1991 तक किया गया। जिसका औसत आय प्रति कि.मी. 3.05 एवं यात्रीभार मात्र 21 प्रतिशत ही प्राप्त होने से संचालन बन्द कर दिया गया। पुनः इस सेवा का संचालन फरवरी, 1992 से अप्रेल, 1992 तक आरम्भ किया गया, परन्तु अपेक्षित आय व यात्रीभार प्राप्त नहीं होने पर बस का संचालन आवरीमाता तक किया गया। फरवरी, 1992 से अप्रेल, 1992 तक इस सेवा की औसत आय प्रति कि.मी. 3.67 व यात्रीभार 39 प्रतिशत रहा। इस सेवा का संचालन चित्तौड़गढ़ से आवरीमाता व आवरीमाता से चित्तौड़गढ़ तक माह नवम्बर, 1996 तक किया गया, परन्तु दिसम्बर, 1996 में यह सेवा बन्द कर दी गई। इस सेवा को बन्द करने के पांच माह पूर्व (जुलाई, 1996 से नवम्बर, 1996 तक) औसत आय प्रति कि.मी. 4.30 व यात्रीभार 36 प्रतिशत ही रहा।

उक्त मार्ग की समस्त सेवा दिसम्बर, 1996 से मई, 1997 तक बन्द रही। इस मार्ग पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा व कम आय तथा पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध नहीं

(यातायात मंत्री)

होना बस सेवाओं के संचालन बन्द होने के प्रमुख कारण रहे हैं। फिर भी क्र.स. 5 एवं 6 पर जयपुर से बड़ी सादड़ी बस सेवा का संचालन गत दो वर्षो से निरन्तर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी मार्ग को भीलवाड़ा से जोड़ कर भीलवाड़ा–बड़ी सादड़ी वाया निकुंभ–आवरी माता–भदेसर–होड़ा चौराया होकर माह जून, 1997 से वर्तमान में संचालित की जा रही है।

चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी वाया बिनोता बम्बोरी–जलौदा होकर एक–एक वापसी सेवा तथा चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी वाया आवरी माता होकर संचालन किया जा रहा है।

इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्ग चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी वाया निम्बाहेड़ा–छोटी सादड़ी होकर भी दो वापसी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 4 वापसी सेवाओं का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है।

बड़ी सादड़ी को उदयपुर से जोड़ते हुए निगम द्वारा निम्नलिखित सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :

क्र.सं.	मार्ग	परिचक्र
1.	उदयपुर–नीमच वाया बड़ी सादड़ी	8
2.	उदयपुर–छोटी सादड़ी वाया डूगला–बड़ी सादड़ी	6
3.	उदयपुर–छोटी सादड़ी वाया कानोड़	3
4.	उदयपुर–बड़ी सादड़ी वाया कानोड़	1
5.	छोटी सादड़ी–कानोड़	2
6.	फालना–उदयपुर–मन्दसौर वाया मंगलबाड़–डूगला–कानोड़ बड़ी सादड़ी–छोटी सादड़ी–प्रतापगढ	2
7.	डूंगरपुर–बड़ी सादड़ी वाया कानोड़	2
8.	डूंगरपुर से बड़ीसादड़ी वाया उदयपुर	2

उदयपुर–इन्दौर मार्ग पर दिनांक 20.8.1998 को वाया कानोड–बान्सी बड़ी सादड़ी–प्रतापगढ़ होकर एक बस सेवा संचालित की गई थी, परन्तु कम आय व सेवा के अनार्थिक रहने के कारण माह नवम्बर, 1998 में बन्द कर दी गई थी। उक्त सेवा की औसत आय प्रति कि.मी. 4.92 रही है।

(2) जी, हां। बड़ी सादड़ी एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर है। जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से यह निगम एवं निजी बस सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

(3) जिला केन्द्र चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी निगम बस सेवाओं से जुडा हुआ है। चितौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी वाया निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी मार्ग पर निगम बसों का संचालन राष्ट्रीयकरण के उपरान्त माह अक्टूबर, 1985 से आरम्भ किया गया था। इस स्थान को जोड़ने वाले पंचम अध्याय के

(यातायात मंत्री)

निम्नलिखित मार्गों पर बस सेवा संचालन हेतु अनुज्ञा–पत्र प्राप्त किये गये :

1. चित्तौड़गढ़–बड़ी सादड़ी वाया सावा कन्नौज भदेसर– आवरीमाता–निकुंम–पीण्ड भाणूजा।

2. निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी वाया बिनोता–बम्बोरी–आलौदा

संचालित सेवाओं के परिणाम (आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार) बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप रहे है।

(4) यह सही है कि निजी बस मालिकों की प्रतिस्पर्धा के कारण निगम बसों को पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं। फिर भी यात्रियों की सुविधार्थ उक्त मार्ग पर निगम बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

जिला अलवर की प्रस्तावित सब यार्ड मण्डी

203. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला अलवर के कस्बा लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़, बड़ोदा को कृषि उपज मण्डी खेड़ली से प्रथक कर इन कस्बों में सब यार्ड खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के पास पूर्व से ही ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब पुनः प्रस्ताव मंगाकर उक्त सब यार्ड स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। गौण मण्डियों को मण्डी समितियों से पृथक कर सब यार्ड खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं। मण्डी समिति से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सड़कों पर व्यय की गई राशि

204. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1996 से फरवरी, 2000 तक सड़कों की मरम्मत/ नयी सड़कों को बनाने हेतु किस–किस सड़क पर कब–कब कितनी–कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी बस्सी व कृषि उपज मण्डी चाकसू द्वारा वर्ष 1990 से अब तक बोर्ड से ऋण/ अनुदान, मण्डी के लाभांश से क्षेत्र के किसानों के हित के लिए कितनी–कितनी

(श्री कन्हैया लाल)

राशि कहां–कहां तथा कब–कब व्यय की गई ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों का कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक पूर्ण करने का विचार है ?

उत्तर

(1) प्रश्नांकित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) कृषि उपज मण्डी बस्सी जयपुर (अनाज) का गौण मण्डी यार्ड है तथा संबंधित मण्डी समितियों को इस हेतु विपणन बोर्ड से ऋण अथवा अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। मण्डी निधि/मण्डी विकास निधि से प्रश्नांकित अवधि में किसानों के हित में किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के अनुसार है।

(3) स्वीकृत सड़कों में से निम्नलिखित दो सड़कों का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण मात्र विवादित लम्बाई में अपूर्ण है :

1. स.स. पौंतली से बासखो रेल्वे स्टेशन वाया गूजरो की ढाणी।
2. स.स. दूधली वाया रोहतासपुरा कल्याणपुरा।

विवाद का निपटारा होने के उपरान्त ही इस विवादित लम्बाई में सड़कों का निर्माण कराया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सड़कें

205. **श्री अमीन खान (शिव)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में चालू वर्ष में कितनी सड़कों की स्वीकृति दी गई है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) राज्य में वर्ष 2000–2001 में कितनी सड़कें स्वीकृत करने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में चालू वर्ष में मण्डी कोष से (फरवरी, 2000 तक) 260 नयी सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति दी गई है जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में स्वीकृत सड़कों के कार्यादेश दिए गए हैं सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2000–2001 के लिए नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव अभी मण्डी समितियों से प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य की प्रभावी सड़क नीति के मापदण्डों स्वम् संबंधित मण्डी समितियों की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(स्वीकृति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में फव्वारा ऋण वितरण में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में।

इसी विषय पर आज की कार्य सूची में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध है। मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाह सकते हैं, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

1. श्रीमती सुमित्रा सिंह एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति झुंझुनूं के वार्ड संख्या–23 के एक प्रत्याशी की हत्या के मामले में 32 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार रखने से जनता में व्याप्त आक्रोष के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से पाली जिले के सेंदड़ा थाना में दर्ज मुकदमा नम्बर–42 की तफतीश में गलत दबाव बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है और आज पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा भी होनी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव 15–20 दिन हो गये दिये हुये, आज तक कोई व्यवस्था

(13.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव दिये हुये 15 दिन हो गये और आज तक कोई जवाब नहीं है। मेरा स्थगन प्रस्ताव यह था कि भिनाय के विकास अधिकारी ने जो स्थानान्तरण किये, वह नियम विरुद्ध किये और राज्य सरकार ने जवाब दिया। राज्य सरकार का जवाब यह है कि क्या उक्त स्थानान्तरण नियम व कानून संगत हैं ? कानून संगत है तो माननीय मंत्री महोदय बिराजमान हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि नियम और कानून संगत नहीं है। 6 महीन से ज्यादा का समय हो गया जिनको आपने ट्रांसफर इल्लीगल करके भेज दिया। वह वहां पर बैठे हुये हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति है। आज विधान सभा चल रही है। इसमें भी 15 दिन में माननीय मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब आखिर यह होगा क्या...

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था देंगे। विराजिये प्लीज...(व्यवधान) कह दिया ना आपने। कह दिया ना आपने...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कानून और...(व्यवधान) इसको तोड़िये। सरकार मान चुकी है उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, फिर क्या होगा...(व्यवधान) आखिर हम कहां पर किसकी शरण में जायं, यह तो बताओ आप। या तो मंत्री महोदय कह दें मुझे नहीं करने यह ट्रांसफर कैंसिल इल्लीगल। यह इल्लीगल ट्रांसफ़र है जिसको मान लिया है इल्लीगल। उस अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो आखिर हम जायेंगे कहां पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। बैठिये। बैठिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले के पीपाड़ कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिन्होंने एस.डी.एम. से मोहर्रम के ताजिये ले जाने की परमिशन ले रखी थी और शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद की तरफ से कर्बला मैदान की तरफ जा रहे थे और असामाजिक तत्वों ने उन पर पथराव किया और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। आप बैठिये। मंत्रीजी...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है तो आज डिमांड पर...(व्यवधान) पूछ लेना गृह मंत्रीजी से।

श्री सांवर लाल : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बेकार बोल रहे हैं। आज या तो आप इसको किसी तरह नियम से लाइए आज डिमाण्ड है बोल लेना। गृह मंत्रीजी से पूछ लेना। विदाउट एनी नोटिस आप कोई मसला उठा देते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठे हैं तो बैठे हैं, क्या करें मंत्रीजी बैठे हैं तो।

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये ना तो... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसमें बात कह दी...(व्यवधान) सुने तो सही मेरी।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात तो सुनें... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं।

श्री सांवर लाल : 15 दिन हो गये सुनवाई नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप तो परवाह ही नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल चर्चा हुई थी कि स्थगन प्रस्ताव लग नहीं रहे हैं। आज हमने लगाना शुरू किया है। आज एक ध्यानाकर्षण लगाया है जिसमें माननीय सदस्य भी बोलेंगे। इसकी व्यवस्था करके हम लगा रहे हैं, एक–एक करके, आपका स्थगन प्रस्ताव भी लगा देंगे।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। जवाब दिया हुआ है ना मंत्री महोदय का।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी नां बात, अब तो वह लगेगा नहीं।

श्री सांवर लाल : आखिर वह चाहते क्या हैं। डिमांड के ऊपर उन्होंने कहा है कि मैं कार्यवाही करूंगा। कब करेंगे कार्यवाही ? तीन साल के बाद कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्तर पर... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो कानून तोड़ता है उसको सरकार मानती है कि यह कानून तोड़ा गया है। उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हो तो फिर क्या मंशा है इस सरकार की ?

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री सांवर लाल : हम काहे के लिये विराजें फिर तो हम चले ही जाये विधान सभा से, अगर आप यही नहीं करवा सकते हो तो...

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, हो गयी ना बात। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से मुण्डावर कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में।

(2) श्री हरजी राम बुरड़क, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील लाडनूं के ग्राम जसवन्तगढ़ में नमक क्षेत्र के रूप में पड़ी भूमि का आवंटन करने के संबंध में।

(3) श्री रूपलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अकाल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(4) श्री राम गोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा के इठावा कस्बे के राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने के संबंध में।

(5) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से पाली जिले के रानी कस्बे में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

(6) श्री अशोक तंवर, सदस्य की ओर से तहसील फागी एवं चाकसू के गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी आने से उत्पन्न स्थिति

(श्री उपाध्यक्ष)

के संबंध में।

(7) श्री अमीन खान, सदस्य की ओर से पंचायत समिति बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की रावछ से वाव एवं विसमा से गोरिया सड़क को पक्का कराये जाने के संबंध में।

श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के यहां भीषण अग्निकांड हुआ है। 70 गांव जलकर राख हो गये। दो मिनट बोलने का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : दे देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलीयों के साथ +++

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया तो हम आज धरना देंगे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अग्निकांड की घटनाएं तो सभी जगह हो रही हैं, राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में भी अग्निकांड की कई घटनाएं हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सभी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे देंगे। ऐसी कोई बात होती तो...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं तो निर्दलीयों की तरफ से धरना दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई घटना घटी है तो आपको समय दे देंगे। आप बिराजें। श्री धर्मपाल चौधरी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि मुण्डावर कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडीसन के पद बहुत लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं। विकास समिति द्वारा कई बार विभाग को अवगत कराया जा चुका है लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। मंत्री महोदय से निवेदन है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र करवायें तथा एक्सरे मशीन भी वहां लगाने के लिये मंजूर है। लेकिन आज तक एक्सरे मशीन नहीं लगी है। वहां पर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर सरकार ने नियुक्ति कर रखी है। सरकार का पैसा व्यर्थ में तनख्वाह पर लग रहा है।

अतः स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि मुण्डावर क्षेत्र की जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर जल्दी से जल्दी एक्सरे मशीन लगवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

जसवंतगढ़ (लाडनूं) में नमक क्षेत्र में भूमि का आंवटन

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रियां एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि ग्राम जसवन्तगढ, तहसील लाडनूं, जिला- नागौर में हजारों बीधा ज़मीन नमक क्षेत्र के रूप मे पड़ी है जिसको उद्योग विभाग ने नमक क्षेत्र घोषित कर रखा है परन्तु इस क्षेत्र का अंलाटमेंट नहीं कर रहे हैं।

इस भूमि का यदि उद्योग विभाग द्वारा अलाटमेंट कर दिया जाये तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य सरकार की भी आय होगी। मेरी इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय उद्योग मंत्री महोदय से मांग है कि इस भूमि का जल्दी अलाटमेंट किया जाये ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपलाल मीणा।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अकाल की समस्या

श्री रूपलाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंभीर अकाल झेल रही जनता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अकाल की गंभीर समस्या है। एक ओर तो क्षेत्र की जनता पेयजल का संकट झेल रही है वहीं दूसरी ओर जो अकाल राहत कार्य अभी चल रहे हैं वो अपर्याप्त हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं। जैसे माकड़ सीमा, गींगला, करावली, गांवड़ापाल, ईशरवास, मालुपुर, मोरीला, बागपुर, बोराज, गुडेल, खेराड़, पंचायत समिति गिर्वा में कराकला, सोमारवेड़ा, कोट, गुडली, पिला, रतनपुरा, भगत, वली, दांतीसर इत्यादि और जिन पंचायतों की जनसंख्या तीन हजार से चार हजार है वहां मात्र 20 या 40 श्रमिक रोजगार पर हैं। ऐसे में गांवों में विवाद हो रहा है कि किसको काम पर रखा जाये और किसे नहीं, जब कार्य शुरू होता है। 40 मजदूरों को लगाना होता है वहां सुबह 200 मजदूर आकर बैठते हैं।

हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जहां रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। लोग क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। बाहर जाने के बावजूद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है और मजबूर होकर वापस आ रहे हैं। लोग रोजगार के लिए शहर–शहर भटक रहे हैं। रोजगार के अभाव में लोग अपने लिए अनाज, मवेशी के लिए चारा (घास) नहीं खरीद पा रहे हैं जिससे पशुधन नष्ट हो रहा है।

अतः माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की अकाल व पेयजल से पीड़ित जनता की तरफ दिला कर यह निवेदन करता हूं कि इस अकाल की भयावह विभीषिका में ज्यादा से ज्यादा श्रमिक काम

(श्री रूपलाल)

पर लगाकर पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें। इसी आशा और विश्वास के साथ, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

इटावा (जिला कोटा) के राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय इटावा, जिला कोटा में लम्बे समय से व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं जिससे छात्राओं के अध्ययन कार्य में परेशानी होती है। व्याख्याताओं के अभाव में छात्राओं का परीक्षा परिणाम कम होने के साथ ही इस विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता व अध्यापक व अन्य स्टाफ द्वारा कोटा से डेली अपडाउन करने के कारण सुबह 8 बजे के स्थान पर 10 बजे तक आना व दोपहर जल्दी वापस जाने से छात्राओं का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता जिससे छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने से स्थानीय जनता व परिवारजनों में रोष व्याप्त है।

अतः छात्राओं के भविष्य व जनता की भावना को मद्देनजर रखते हुए आप इस विद्यालय में शीघ्र व्याख्याताओं के रिक्त पद पर नियुक्ति करने व कार्यरत व्याख्याताओं व अध्यापकों को समय पर आने के लिए पाबन्द कर छात्राओं को राहत पहुंचाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आत्माराम मेघवाल।

रानी (जिला पाली) में उप तहसील कार्यालय

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानी कस्बे में उप तहसील नहीं होने के कारण काफी परेशानी, कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। रानी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दो विधान सभा क्षेत्र तथा तहसील देसूरी व पाली क्षेत्र अलग-अलग लगता है। रानी पंचायत समिति के 72 ग्राम की 20 पंचायतें देसूरी तहसील व 09 पंचायतें पाली तहसील में लगती हैं। इस प्रकार जिला स्तर में पंचायत समिति मुख्यालय बैठक में केवल 20 पंचायतें नहीं, 29 पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। क्योंकि देसूरी, पाली तहसील में बरादा पंचायत समिति रानी मुख्यालय से देसूरी 35 से 36 किलोमीटर व पाली 55 किलोमीटर है। कई ऐसे गांव जिनकी दूरी अधिक है तथा अपने कार्य को कराने में अनावश्यक रूप से धन का व्यय करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रानी पंचायत समिति मुख्यालय पर उप तहसील खोल दी जाये। तहसील देसूरी में 45 पटवारी हैं तथा 2 पंचायत

(श्री आत्माराम मेघवाल)

समिति हैं। दो विधान सभा क्षेत्र हैं इसमें पांच आर.आई. सर्किल हैं जिसमें रानी आर.आई. सर्किल में 9 पटवार मण्डल हैं तथा पिलोवली सर्किल में 10 पटवार तथा नाडोल सर्किल में दादाई किशनपुरा में पटवार मंडल को शामिल करने से 21 पटवार मंडल हो जाते हैं, यह रानी से बहुत नजदीक हैं। यहां से दूसरी तहसील मुख्यालय बहुत दूर हैं। यहां से आने-जाने का बहुत साधन है। इस संबंध में पूर्व सरकार का ध्यानाकर्षित किया गया था। चूंकि निवर्तमान सरकार प्रतिपक्ष सरकार थी अब कांग्रेस सरकार गरीबों की हमसफर है।

अतः इस संबंध में ज़िला स्तर से उचित माध्यम से उप तहसील गठित करने की स्वीकृति जारी कराकर ग्रामीण जनता को राहत पहुंचावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक तंवर। (अनुपस्थित), श्री अमीन खान।

पंचायत समिति बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि जिला बाड़मेर की पंचायत समिति के ग्राम पांधी का पार, गरठीया, लालबका पार, सजन का पार, लगातार दो सालों से स्वीकृत है परन्तु विद्युतीकरण नहीं किया गया है क्योंकि जिन ग्रामों के लिए बड़े-बड़े आदमियों का दबाव है उनके वहां तो सामान भेज देते हैं तथा पिछड़ों को पीछे ही छोड़ देते हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति शिव के ग्राम लालासर, मखन का पार, साधो की बस्ती, दोतानी के लिए भी सामान की व्यवस्था नहीं है। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम के गांव भंभारा नगराना, चैलक, बीजोता, मैगा भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत है परन्तु सामान वहां पर न भेजने से ये सीमावर्ती गांव भी विद्युतीकरण से वंचित हैं, यह हमारे साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृति के अनुसार विद्युत मण्डल को आदेश दें कि ग्राम पांधी का पार, गरठीया, अमेका का पार, लालब का पार, सजन का पार, परवन का पार, लालासर, साधो की बस्ती, दोतानी, भंभारा, गजसिंह का गांव, मगरा, नगराना, चैलक, बीजोता मेगा के लिए सामान भेजे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्रामीण इलाकों की सड़कों को पक्का करवाना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा आदिवासी बाहुल्य अंचल होने के नाते एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने की समस्याओं को देखते हुए एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने

(श्री मांगीलाल गरासिया)

हेतु मुख्य सड़क रावछ से वाव (भीमाणा) एवं विसमा से गोरिया रोड पक्का करवाए जाने के लिए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोड बन जाने से 80 व 135 किलोमीटर दूरी क्रमशः 11 व 8 किलोमीटर शोर्ट हो जाएगी और सीधा आना जाना हो जाएगा। इससे कई कृषकों एवं पंचायतों के वासियों को आवागमन की सुविधा हो जाएगी, उदयपुर से सिरोही, माउन्ट आबू व पाली अरणपुर रेल्वे स्टेशन से सीधा सम्पर्क हो जाएगा। यह रोड आपातकाल और युद्ध जैसी धर्म संकट की परिस्थितियों में भी पाकिस्तान बोर्डर से सीधे सम्पर्क में होने से कई कार्यो को सरल करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक तंवर, आप बोलना चाहते हैं ?

श्री अशोक तंवर (फागी) : पढ़ा हुआ मान लें।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लिया।

माननीय सदस्य द्वारा 295 के तहत उठाया गया मुद्दा, जो पढ़ा हुआ मान लिया गया।

फागी व चाकसू तहसीलों के गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि फागी व चाकसू तहसीलों के ग्राम अगतपुरा, पीपला, लताड़िया, मण्डावरी आदि जगहों पर फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से अनेक ग्रामीण समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लग गये हैं एवं कुछ व्यक्ति अंधे, दातों की बीमारियों जैसे पीलापन, पायरिया, हड्डियों का टेढ़ापन आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गये है।

अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन है कि वे इन गांवों में हैण्डपम्प एवं नलकूप की व्यवस्था करायें ताकि आने वाले गर्मी के दिनों में ग्रामीण लोग राहत महसूस कर सकें। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की गई शिक्षण शुल्क में वृद्धि

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब यह चाहते थे कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़े और सबको शिक्षा निःशुल्क हो और अधिक से अधिक लोग पढ़ पाए, गरीब भी पढ़ पाए, अमीर भी पढ़ पाए, राजस्थान का शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी प्रदेशों में नाम हो, यह हमारी सबकी इच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना कहूं या ज्यादती कहूं जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्रारम्भ की हैं, छात्रों के कई प्रकार के शिक्षण शुल्कों में 10 गुणा से लेकर 20 गुणा तक वृद्धि कर दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसमें वृद्धि के जो कारण

(श्री मदन दिलावर)

बताएं हैं, राजस्थान सरकार का हमारे ऊपर दबाव हैं, हमको अनुदान इसी शर्त पर जारी किया कि आप इस प्रकार का शुल्क बढ़ाएंगे। 22.12.1999 को विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ कि आप जब इस प्रकार की फीस बढ़ाकर वसूल करेंगे तभी हम अनुदान देंगे और इन्हीं शर्तों पर अनुदान देना प्रारम्भ किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे हुआ क्या कि छात्रों के परीक्षा शुल्क में एक साथ पांच से छह गुणा वृद्धि, शिक्षण शुल्क में सोलह गुणा तक वृद्धि, छात्रावास शुल्क में दस से बीस गुणा तक वृद्धि। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों की बच्चियां विश्वविद्यालय में कहां से पढ़ने आएंगी ? इक्की-दुक्की कहीं से कोई महिला या बच्ची आती भी है तो उनको जो रियायत दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया। शायद इनका कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गत पांच वर्षों से सौ रुपये जो विकास शुल्क के रूप में वसूल किए जा रहे हैं, उस राशि का अगर हिसाब लगाएं तो करोड़ों रुपये होगी, जिसका हिसाब विश्वविद्यालय के पास नहीं हैं, पैसा कहां से आया और कहां गया ? पुनर्मूल्यांकन के नाम पर विश्वविद्यालय ने ढाई गुणा राशि की बढ़ोतारी की थी, 60 रुपये से 150 रुपये किया था, उपाध्यक्ष महोदय, क्या इससे उत्तर पुस्तिकाओं और पुनर्मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार आ गया ? इसका कोई असर नहीं हुआ, पुनर्मूल्यांकन एक-एक वर्ष तक नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। विश्वविद्यालय में प्राइवेट, स्वपोषित सायंकालीन पाठ्यक्रम चलते हैं, उसको चलाने के लिए एक कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है कि इसको जो चलाते हैं उनसे पैसा वसूल किया जाए, जो वसूली इस प्रकार के पैसे की होगी वह करोड़ों रुपये की होगी, लेकिन आज तक उनसे कोई वसूली विश्वविद्यालय ने नहीं की। विश्वविद्यालय द्वारा वसूली न करने के कारण, विश्वविद्यालय की कमजोरियों के कारण, सरकार की कमजोरियों के कारण यह भार किस पर बढ़ा ? गांव से आने वाले उस बालक-बालिका पर जो पढ़ना चाहता है, उन पर जबर्दस्त भार इस सरकार ने डाला है। विश्वविद्यालय की खामियां, वहां की कमजोरियां, वहां के नकारापन का बोझ, आर्थिक बोझ यदि बच्चों पर पड़े तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है राजस्थान के गरीब लोगों पर।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों में कौन लोग आते हैं, आजकल निजी कालेज चल गए हैं, पैसे वाले लोग उनमें जाकर अध्ययन करते हैं, यहां तो गरीब लोग आते हैं, गरीब लोगों के बच्चे जो यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं उन पर इस सरकार ने जबर्दस्त बोझ लाद दिया है, शायद इस मंशा से लादा है कि गरीबों के बच्चे पढ़ न पाए, गरीबों के बच्चों को पीछे धकेलने के लिए किया है कि उनके बच्चे काम्पीटिशन में न आ जाए, साइंटिस्ट न बन जाए, कोई इंजीनियर न बन जाए, अच्छे पदों की शिक्षा प्राप्त न कर सके, इस प्रकार

(श्री मदन दिलावर)

का इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है। मैं बुद्धिजीवियों से भी मिला हूं, जो विश्व-विद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, उन्होंने भी कहा है। यह बोझ अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से उन बच्चों पर डाला है, यह जबर्दस्त अन्याय इस सरकार ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि यह जो षड्यंत्र किया है इसका पर्दाफाश करते हुए कि किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है।

श्री सी.पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : आपको जानकारी है कि वह एस.डी. मिश्रा साहब आपकी गवर्नमेंट के द्वारा नोमिनेटेड थे जिन्होंने रिकमण्डेशन की है। यह जानकारी है अपन को।

श्री मदन दिलावर : आप सबका जवाब दे रहे हैं ?

श्री सी.पी. जोशी : नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : आप सबका जवाब दे रहे हैं ?

श्री सी.पी.जोशी : आपको जानकारी है कि वह एस.डी. मिश्रा साहब किस गवर्नमेंट के द्वारा नोमिनेटेड थे ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सबका जवाब दे रहे हो ?

श्री सी.पी. जोशी : मैं रेलेवेंट प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : आप सबका जवाब दे रहे हैं तो बताओ।

श्री सी.पी.जोशी : काहे का जवाब, आपको जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नहीं है जवाब की आपके लिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि षड्यंत्र है सरकार के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपयों का इस प्रकार का घोटाला करके उनसे वसूल करने के लिए गरीब लोगों पर बोझ डाला है ताकि वे प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुड़ें। मेरी मांग है कि जो शुल्क बढ़ाया गया है उसको तुरन्त प्रभाव से सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे और इसको बंद करें और पहले वाले शुल्क में भी कमी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वे किसी बनिये के यहां नौकरी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, मजदूरी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। वे कहां से शुल्क लाएंगे ? दसवीं क्लास का भी शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री मदन दिलावर : ऐसी अनेक प्रकार की बढ़ोतरी की गयी हैं और आप कहते हैं हम सबको पढ़ाएंगे। आप 1200 रुपये में तो पढ़ाने वाले रखते हो, उनसे वसूल कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार द्वारा विश्व-विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों की विभिन्न शुल्कों के अन्दर एक साथ बेतहाशा बढ़ोतरी करने की और आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षा मंत्रीजी, अब आपकी सरकार को डेढ़ वर्ष पूरा होने जा रहा है, अब आप बार-बार पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। हमने कुछ नहीं किया। (व्यवधान) मेरा निवेदन है...

श्री सी.पी.जोशी : मैं एक बात ही कह रहा हूं जिस भारतीय जनता पार्टी के नोमिनेटेड प्रो. एस.डी. मिश्रा की कमेटी ने यह रिकमण्डेशन की हैं, सरकार यह जांच करेगी कि इसको सरकार के खिलाफ आंदोलन भड़काने के लिए रिकमण्डेशन की या नहीं, इसकी जांच करवा लेंगे। रिकमण्डेशन किसने की ? (व्यवधान) उनको क्या तकलीफ हैं ? रिकमण्डेशन किसने की ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी, समितियां इस सरकार ने भी बनायी, समितियां उस सरकार ने भी बनायी। समितियों के तो अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग सिफारिशें, अलग-अलग प्रतिवेदन सरकार के सामने आते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कौन करता है ? आपने जो बात उठायी मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सी.पी. जोशी : न तो सरकार को रिपोर्ट आयी है, न सरकार ने मानी है। सरकार के किस स्टेप पर आप बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय जिस समिति की बात कर रहे हो उस समिति ने इस पर विचार कैसे किया, मैं जरा पढ़कर सुना रहा हूं। आपका लेटर गया है –

Letter No. 3/30/Education dated 9-4-1999 received from the O.S.D., Higher Education, in connection with increase of fees in various heads.

यह पत्र जब सरकार भेजती है और यह कहती है कि आप सारी की सारी फीसों को बढ़ाओं और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन जिस तरह से इस सरकार ने किया, एक एम.ओ.यू. पर दस्तख्त की चर्चा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, 22.12.1999 को एक एम.ओ.यू. जो सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में हुआ, कितने वर्ष हो गये, 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई मंत्रीजी। यह पहला एम.ओ.यू. है जो सरकार ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर चोट करके मजबूरी से उन पर कुलपतियों से दस्तख्त कराये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस एम.ओ.यू. के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप 13 नम्बर पर देखें, आपने यह किया है –

Increase in fees structure as measured to generate more resources to be used by the University...उसके बाद 14 में लिखा है –

...increase in hostel charges including room rent and electricity.

जब इस तरह का एम.ओ.यू. दस्तख्त होता है 22.12.1999 को और उस सरकार के द्वारा जिस सरकार के मंत्रीजी जगह-जगह भाषण यह देते हैं कि हम महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा देंगे। मंत्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस रिकमण्डेशन की बात कर रहे हैं इस कमेटी की रिकमण्डेशन में एक यह रिकमण्डेशन भी है कि –

Fees should be charged from the girl students as well as from S.C., S.T. and O.B.C. students. In case the government...

सरकार यह चाहती है यह फीस इनसे नहीं ली जाए तो सरकार पैसा दे। आप इसी रिकमण्डेशन को मान रहे हैं। अगर इस रिकमण्डेशन को मान रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आज के बाद इस सरकार की जो पहले की घोषणा थी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, रियायती दर पर उनसे फीस लेना, ये सारी की सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने जो पत्र लिखा उस पत्र के आधार पर और जो एम.ओ.यू. किया उसके आधार पर इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में फीस कभी नहीं बढ़ी। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि फीस के अंदर रिवीजन हो, रिवीजन थोड़ा-सा तार्किक हो, इतना नहीं हो कि एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को लगे कि कल तक जिसकी फीस 50 रुपये थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं फीस का भी आप देखें, स्नातक कला, वाणिज्य और विज्ञान (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष) पहले परीक्षा शुल्क था 85 रुपये, 80 रुपये, 95 रुपये। यह बढ़ाकर कर रहे हैं 400 रुपये, 425 रुपये, 475 रुपये। मैं निवेदन करना चाहता हूं 10 से 15 प्रतिशत एक साथ फीस और फिर मंत्रीजी यह कहते हैं कि कौनसी कमेटी ने फीस बढ़ायी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब आपके यहां से आपके कहने पर सरकार के निर्देश पर जो ओ.एस.डी. ने पत्र लिखा उस पत्र में आपने साफ कह दिया कि आपको फीस बढ़ानी पड़ेगी और एम.ओ.यू. पर दस्तख्त करवाते हो उस एम.ओ.यू. में आप साफ कहते हो कि आपको फीस का स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद चारा क्या रह जाता है। आप एम.ओ.यू. के अंदर यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहते हो सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान तब मिलेगा जब आप इस एम.ओ.यू. की शर्तों का पालन करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर आपकी सरकार का रटा-रटाया एक वाक्य है सरकार के पास आर्थिक संसाधन नहीं है। आपने जो दूसरा ब्रह्म वाक्य बना रखा है पिछली सरकार कर्जे में डूबो गयी। अब कितने दिन यह रोना रोओगे आप ? कितने दिन यह कहते रहोगे कि पिछली सरकार कर्जे में डूबो गयी। आपके पास संसाधन नहीं इसकी आड़ में राजस्थान की हुकुमत, राजस्थान की सरकार राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ शिक्षा महंगी करके इस तरह का खिलवाड़ करना चाहती है। शिक्षा मंत्रीजी, अभी सिण्डीकेट की मीटिंग होने वाली है, विद्यार्थी लोग उसमें भी प्रदर्शन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस छात्र वर्ग के असंतोष को मत भड़काओ। इस छात्र वर्ग से और छात्र राजनीति ने आपको यह स्थान दिया है शिक्षा मंत्रीजी। उदयपुर विश्वविद्यालय से निकलकर राजस्थान के पंचायत और शिक्षा मंत्री बनने तक का सम्मान उन विद्यार्थियों ने दिया जिन्होंने आपको अगुआ माना था। आप उन्हीं के गले काटना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनकी शिक्षा इतनी महंगी कर देना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय राजस्थान के अंदर छात्र आंदोलन का सूत्रधार बनेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और समय रहते शिक्षा मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं आप तो विश्वविद्यालय से हो, प्रोफेसर हो, कम से-कम देखो तो सही आज विश्वविद्यालय में किस तरह के बच्चे आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन महिलाओं को फ्री शिक्षा देने की बात आपने कहीं, व समाप्त कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस लिए समय रहते चेत जाओ वरना आपको यह फीस तो वापस लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो आप दो महीन बाद लेंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है अब ले लें, इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ और इसका सारा दोष आपका है, आपने एम.ओ.यू. साइन करके विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से अपनी फीस प्रपोज की है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ था, मैंने कल दिया था और आज यह विषय स्लिप के माध्यम से उठा है। मेरा इसमें...

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपने जो पर्ची दी उस पर बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर्ची के लिए तो है मेरे पास। वह अलग से है, लेकिन यह विषय मैंने स्थगन के माध्यम से दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : विषय बहुत महत्वपूर्ण है तो और तरीके से उठाइए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि यह विषय बहुत ही गंभीर बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप उठा लेना और तरीके से। आप हाउस में ले आओ, किसी दूसरे तरीके से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कल स्थगन दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दिया हुआ होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने व्यवस्था दी है जानकारी आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आएगी जानकारी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आज विषय सदन में उठ गया। उसके बाद आप यह कहेंगे चूंकि यह विषय सदन में उठ गया इसलिए स्थगन का अब विषय नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन क्या कहेगा उसके लिए आप पहले अंदाज कैसे लगा रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, उसका सवाल है। एक विषय जो किसी माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : यहां नहीं, प्लीज आप अपनी पर्ची पर बोल लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपकी बात को मानता हूं लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : जब आपके उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है और आपको कहा गया है, तो उस स्थगन प्रस्ताव पर आज अभी नहीं बोल सकते, I am sorry.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह विषय पर्ची के माध्यम से उठ गया है और मेरा स्थगन प्रस्ताव कल ही मैंने दिया था, वह जानकारी के लिए भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : भेजा है तो आ जाने दीजिये जवाब, अभी वह कहेंगे कि मैं भी बोलूं, मेरा भी जानकारी के लिए गया है,

(श्री उपाध्यक्ष)

फिर आप कहोगे मैं भी बोलूं। सब के गये हैं स्थगन प्रस्ताव तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बात सही है लेकिन यह विषय इतना गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं I am sorry. गम्भीर है तो आप इसको कल और किसी तरह से उठाओं फिर I will allow you but not today.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और किसी तरह उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : जिस तरह से आप नियम से उठा सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने तो जो तरीका हो सकता था उस तरीके से स्थगन दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो दिया है न, आपने स्थगन प्रस्ताव।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और मैंने तरीके से दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दिया है न, कल ही तो दिया है तो कल जो उन्होंने पहले के दिनों के दिये हुए हैं वही नहीं आये तो आपका कल का कहां से आ जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : निश्चित रूप से उन्होंने पर्ची के माध्यम से इस विषय को उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब उठा लो तो आप भी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विषय की गम्भीरता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पर्ची दे देते तो आपको बोलने देता मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और स्थगन प्रस्ताव में भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, I will not allow you. (व्यवधान) मैं इसे अलाऊ नहीं करूंगा, इसका कोई एण्ड ही नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप वास्तव में हमें विद्यार्थियों के हित के लिए मजबूर करोगे तो हम उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप मरजी आवे जो करो लेकिन हाउस नियम से चलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस नियम से चलेगा। नहीं, I am sorry. आप समझ रह हो इस बात को, एक माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से इसको उठाया उन्होंने अपनी बात कह दी। अब उस पर्ची के ऊपर आप बोले हो। आपके खुद का ही नहीं, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा फिर, Where is the end? इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह सरकार के पास भेजा है उसकी

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्था जो कुछ माननीय अध्यक्षजी देंगे उसके अनुसार आपको अवसर देंगे बोलने का तब आप बोल लीजिये। अभी तो आपका जो एक...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष इस पर तर्क दें, यह ऐसी चीज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपने कहा, बताइये (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल विषय इतना सा है कि ट्यूशन फीस बढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आप एक बात बताइये, अभी आपको बोलने की इजाजत दूंगा तो दूसरे सदस्य को कैसे रोक सकूंगा। Where is the end ? मुझे आप यह बताइये। (व्यवधान) मैं वैसा नहीं हूं। आप बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने पर्ची पर अनुमति देने के सब रास्ते बन्द कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कर दिये ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब रास्ते बन्द कर दिये, अब कोई भी चर्चा यहां पर नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : आपको किसने कहा कि रास्ता बन्द कर दिया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्योंकि हर एक नियम में यह लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने कैसे अंदाज लगा लिया, उनका स्थगन दिया हुआ है उस पर व्यवस्था दी हुई है, रास्ते कहां से बंद हो गये ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियमों में लिखा हुआ है कि इसको सदन में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कैसे नहीं मिलेगा, बताओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब नियमों में लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बताओ न, कौन से नियम में लिखा हुआ है। कौन से नियम में लिखा है रास्ता बन्द हो गया। एक आपने यह बीरबल का मामला तीन दफा उठाया तो रास्ते बन्द हो गये क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं वह अलग है, वह आपकी सदाशयता है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं आप बैठिये, यह प्रथा गलत पड़ जाएगी, आप बैठिये, (व्यवधान) इस विषय पर मान लीजिये कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है, एक मिनट सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह सब डिस्पोजल हो गया, सब डिस्पोजल हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : एक बार आप बिराजें, एक मिनट सुनिये, आप प्लीज बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 131 में लिखा है, 250 में लिखा है, किसमें नहीं लिखा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, नहीं, नहीं I will not allow. कल ही एक पर्ची दे

(श्री उपाध्यक्ष)

देंगे एक माननीय सदस्य कि मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है मझे बोलने दीजिये। Where is the end ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या एंड है इसका ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष जी, मामला तो गम्भीर है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, I will not allow. अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा के लिए ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे तो दूसरा क्यों नहीं बोलेगा, यह बताओं। Where is the end ? I will not allow.

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मंत्रीजी को सुन लें, सरकार को सुन लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको कहां रोक रहा हूं, मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : सरकार घटाएगी या बढ़ाएगी, सरकार का काम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, बोले जा रहे हैं, मैं नहीं बोलने दूंगा, कुछ भी कर लो। I will not allow.

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं सरकार में रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आज क्या तारीख है, आप कल बोलो न इस पर, आप कल ले आना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, बोले जा रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप कर सकते हो यदि बोलने की अनुमति नहीं मिले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये, अब इश्यु ही समाप्त हो गया, आप बिराजिये न, बात ही खतम हो गयी। अब इश्यु ही नहीं रहा, अब इस पर क्या कहना है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल 50 में लिखा हुआ है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिये जा रहे ऋण में कथित अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगमाल सिंह यादव, श्री संयम लोढ़ा, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री अमीन खान, श्री हरजी राम बुरड़क और श्री देवीसिंह भाटी सदस्य विधान सभा बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से दिये जाने वाले ऋणों में हो रही कथित अनियमितताओं के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से दिये जाने वाले ऋणों में हो रही कथित अनियमितताओं के संबंध में सहकारी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पांच विधायक महोदय ने बाड़मेर के सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक में कुछ गबन और कुछ घोटालों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर किसान संघर्ष समिति, धोरीमन्ना...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कहां का है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बाड़मेर का है, आपका कोई हो तो आप भी इसी प्रकार से फरमा देना।

श्री अमराराम (धोद) : वह तो सारा का घोटाला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारे ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कृपया सुनिये। धोरीमन्ना की एक किसान सहकारी समिति थी उसने उस वक्त के तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी को यह रिपोर्ट की कि हमारे यहां इस सोसायटी के अन्दर, बाड़मेर के को–आपरेटिव बैंक के अंदर बहुत भारी गड़बड़ी हुई है और इस तरह से उसमें जो सब्सिडी दी वह पूरी खा गये और लोन में

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भी बहुत गड़बड़ की है। कई मरे हुए आदमियों को दे दिये और कईयों को जिनके नाम नहीं हैं उनको दे दिये। इस प्रकार की उन्होंने शिकायत की तो उस शिकायत पर उस वक्त के तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी थे उन्होंने वह जांच एडिशनल रजिस्ट्रार को--आपरेटिव, जोधपुर में जो अपील को सुनते हैं, उनको दी। उसके बाद में जब वे जांच करने शुरू हुए उस पर जिन एम.डीज. के खिलाफ यह जांच हो रही थी, दो एम.डीज. थे वे बाड़मेर में, एक पहले आया और एक बाद में आया, उन्होंने यह शिकायत की कि इस आदमी से जांच निष्पक्ष नहीं होगी। इस पर तत्कालीन मंत्रीजी ने एक आई.ए.एस. आफिसर को, जो हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यही एक डिपार्टमेंट है जिसमें 8–8 आई.ए.एस. आफिसर कार्यरत हैं, हमारे यहां रामावतर जी जो स्पिनफैड के प्रबन्ध निदेशक है, उनको यह इन्क्वायरी दी गयी और उनके द्वारा यह इन्क्वायरी की गयी। जो इन्होंने इंक्वायरी की उसमें उन्होंने कुछ बिन्दुओं पर यह बात बतायी है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और वह रिपोर्ट उन्होंने राज्य सरकार को सबमिट कर दी। राज्य सरकार को सबमिट करने के बाद में हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उन्होंने अपना नोट लिखा कि इस पर कुछ और बिन्दु बाकी रह गये हैं जिन पर जांच होना अति आवश्यक है। इस पर मंत्रीजी ने कहा कि यह जांच और किसी से करा ली जाए। यह मंत्रीजी और उनकी बात होने के बाद में करणी सिंह, वे भी एक आई.ए.एस. आफिसर हैं, तिलम संघ में लगे हुए हैं, उनके द्वारा कराने का तय हुआ। लेकिन करणी सिंह ने स्वयं ही और उसके अन्दर जो एम.डी. थे वे भी नहीं चाहते थे कि करणी सिंह से यह जांच हो। इसलिए वह जांच करणी सिंह से नहीं करायी गयी और वह जांच उसके बाद में श्री धीरेन्द्र जो कि हमारे राजफैड के प्रबन्ध निदेशक है, वे भी आई.ए.एस. हैं, उनके द्वारा कराने के आदेश दिये गये। श्री धीरेन्द्र अभी जांच कर रहे हैं, जांच सम्पूर्ण नहीं हुई है। जांच सम्पूर्ण के बाद ही मैं आपको इसके बारे में पूरा निवेदन कर सकता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : प्राइमाफेसी तो सारे तथ्य सामने आ चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दूंगा। आप बाद में बोल लेना।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय मंत्रीजी, आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो कोई आश्वासन तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अवसर दूंगा न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक–एक सदस्य बोलें, मैं नोट कर रहा हूं, एक–एक ही पूरी रिप्लाई दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्रीजी के पास कागज तो थे कई और जवाब दिया एक्सटेम्पोर। तो उन कागजों में क्या लिखा है यह भी बता दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं बताता हूं। जवाब मेरे पास है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ना क्या है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मोशन का नाम ध्यानाकर्षण है और मंत्रीजी का जब मैंने काल किया, ध्यानाकर्षण किया तब ध्यानाकर्षित नहीं हुआ और न आप अब ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपके सहकारिता के जितने विधान सभा के मोशन, क्वेश्चन हैं उन सब को अविनाश रणवा, जो असेम्बली इन्चार्ज है, जो सहकारिता से सम्बन्धित जो भी क्वेश्चन है, मोशन हैं उनको अनुमोदन करके इस हाउस तक, आप तक पहुंचाते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक-एक का मैं जवाब कहां दूंगा ? आप पूछ लीजिये फिर बाद में जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक सब पूछ लें उसके बाद में ही देना न।

श्री जगमाल सिंह यादव : बाद में दे देना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि +++ से पकवानों की रखवाली नहीं हो सकती।

दूसरा, आपने यह बताया, क्या यह सही है कि कोई एक जांच हुई थी जो सुरेश चारण ने की थी वह जांच 23.3.1999 के आदेश के तहत, जो आपका अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपील्स, जोधपुर है उसके आदेश पर ? यह किसान संघर्ष समिति ने कलेक्टर, जोधपुर को एक ज्ञापन दिया था। कलेक्टर, जोधपुर ने ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपील्स को भेज दिया और उन्होंने आदेश दिया, सुरेश चारण को जांच अधिकारी अपाइंट किया और उसको यह कहा कि एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट फाइनल करके मुझे सबमिट करें। आपने इसका जिक्र नहीं किया है। उनकी रिपोर्ट क्या है ? रामावतार, जो आई.ए.एस. हैं, उन्होंने 19.5.1999 को यह जांच ली लेकिन वे जांच करते उससे पहले ही 19.5.1999 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट, सहकारिता ने आदेश जारी किया गवर्नमेंट की तरफ से कि यह जांच नहीं की जाए। फिर सहकारिता विभाग में जो पंजीयक है उसने 20.5.1999 को एक आदेश और जारी किया कि यह रामावतार वाली जो जांच है और सुरेश चारण ने जो जांच की है इन जांचों को केन्सिल कर दिया जाए और करणी सिंह राठौड़ को जांच दे दी गयी। करणी सिंह राठौड़ ने जब जांच करने का मन बनाया तो आपके अविनाश रणवा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा कि यह भी जांच मेरे खिलाफ करेगा जैसे रामावतार और

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सुरेश चारण ने की। तो उसको दबाव देकर, आपने खुद ने स्वीकार किया है कि जो जांच में जिसके खिलाफ जांच होनी थी उसने मना किया कि जांच करणी सिंह राठौड़ साहब से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जांच दे दी एस.एम. धीरेन्द्र को, जो आई.ए.एस. हैं, प्रबन्ध निदेशक हैं। इनको जांच दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो बता दी न।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो रामावतार जी ने जांच की वह जांच रिपोर्ट क्या है और जो सुरेश चारण ने जांच की वह रिपोर्ट क्या है ? जो मुझे जवाब दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही अविनाश आपकी असेम्बली के कामों को देखता है, उसने लिखा है किसी मोशन में यह जवाब देने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने लिखा कि संयम लोढ़ा साहब, जो माननीय विधायक है उन्होंने भी पहले प्रश्न लगा दिये, उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला, वृद्धिचन्द जी जैन साहब ने इस मामले में कटमोशन लगा लिये, क्वेश्चन लगा लिये, 295 लगा लिये यह लिखा है कि उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस-किस एम.एल.ए. ने, किस-किस माननीय सदस्य ने इस मामले में क्या-क्या क्वेश्चन लगा दिये, यह विवरण देने की इस जवाब में कहां जरूरत थी ? और एनेक्सचर डालकर दे दिया कि क्या प्रश्न पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, क्या मोशन पूछा। यह भी इसमें है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है...

श्री उपाध्यक्ष : बाकी पूछ लेंगे, और बहुत हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : और पूछ नहीं पायेंगे इसलिए मैं एक मिनट में पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि चार हैक्टेयर भूमि दिखाई फव्वारा सैट के लिए लेकिन भूमि थी इक्ट्ठी, 7 बीघा और 6 बीघा ? यह लिखा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने अपने जवाब में लिखा है कि जो अनुदान की राशि फर्जी उठा ली गयी थी उसको वापस जमा करा दिया गया तो फर्जी किसने उठाई ? फर्जी किसी किसान नें नहीं उठाई। इस अविनाश रणवा ने फर्जी उठाई और उन अधिकारियों ने फर्जी उठायी। जब सुरेश चारण की जांच हो गयी, रामावतार की जांच हो गयी तो उस जांच रिपोर्ट में यह तथ्य आया तो खुद उन्होंने सब्सिडी की राशि जमा करा दी। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतनी बातें एक साथ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब नहीं ही आयेगा। और माननीय सदस्य पूछेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : दो तीन।

श्री उपाध्यक्ष : 7-8 तो आपने पूछ ली। और भी पूछेंगे। आपको भी बुलाऊंगा।

श्री संयम लोढ़ा : कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद यह है कि नतीजा आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक से सब हो जाएगा ?

श्री संयम लोढ़ा : कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। तो फिर बोलो। फिर क्या बात हुई।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर ने कुएं गहरे करने के नाम पर अनुदान दिया और जब जांच हुई तो मौके पर कुआ ही नहीं मिला। फिर उसमें कहते हैं कि हमने अनुदान वापस करा दिया। किसने करा दिया ? उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं हुई ?

(13.10 बजे)

आज यह कहते हैं अपने जवाब में, जवाब दिया गया है कि जब हमने माल दे दिया और पेमेंट करने के बाद हमको जो फव्वारा सैट थे, कितना माल किसानों को सप्लाई किया गया। इनको जांच करने का अधिकार ही नहीं था तो फिर किसको अधिकार था ? और देखिये इसमें कि इसकी आडिट करा ली और आडिटर ने कोई आक्षेप नहीं लगाये। उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मसला है पर जो आडिटर था, किशोर कुमार शर्मा, उसके बाप की फर्म थी मोहब्बत शर्मा की और यहां तक कि अपराध हुआ है कि जो किशोर कुमार शर्मा था, जो आडिटर था। वह बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक का आडिटर ही नहीं था बल्कि पाली का आडिटर था, उससे जांच करवाई। और यहीं नहीं, वह आडिटर नहीं था बल्कि वह अपराधी था। उसने आठ बिल अपनी खुद की लेखनी से फर्जी केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर में अपने बाप की फर्म में फाइल कर दिये। मैं यह पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी डिमांड क्या है, वह बोल दो ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : इर्रिगेशन, समदड़ी की 200 फाइल, बहुत पुरानी फाइल पेंडिंग होते हुए भी 200 फाइलों को भुगतान कर दिया। क्यों कर दिया ? जबकि नियम यह है कि जो पुरानी फाइल है, उनका पहले पेमेंट किया जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब फाइल जमा हुई और पेमेंट उठा ? उसके बीच में किसान तो मर गया। फिर किसने सिग्नेचर प्रमाणित करा दिये नोटरी से ? फर्जी सिग्नेचर बनाये गये, किसने फर्जी सिग्नेचर बनाये ? उनके खिलाफ 467, 468, 471 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ ? यही नहीं, सरकार को भी 10 लाख का चूना लगाया गया। 10 लाख रुपये कौन खा गया ? मैं यह भी आपसे जानना चाहता हूं, यह भी आपने अपने जवाब में लिखा है कि हमने पूरा सर्वे नहीं कराया, जांच नहीं कराई। यह कहते हैं अविनाश जी रणवा साहब कि हमने सेम्पल जांच कराई। उन्होंने जो जांच कराई, जो

(श्री जगमाल सिंह यादव)

माल पूरा था, उनकी कराई। बाकी जहां गड़बड़-घोटाला था, उसकी आपने कोई जांच नहीं कराई। यह आप कहते हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर के कुछ अधिकारियों ने, एम.डी. के अतिरिक्त जो हैं इंसपेक्टर वगैरह, उनका नाम जांच में साफ नहीं हुआ इसलिए हमने जांच धीरेन्द्र जी को दे दी। यह कम से कम एक आदमी तो दोषी पाएगा ? वह था अविनाश रणवा, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने और हो सकता है वह जांच का विषय हो, उसकी जांच बाद में कर लेते लेकिन दोनों जांचों में जितनी भी जांचे हुई उनमें यह तो तय हो चुका था कि अविनाश रणवा दोषी है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। क्वेश्चन क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारिता आंदोलन महाराष्ट्र और गुजरात में आम आदमी के उत्थान का कारण बना, आप इस बाड़मेर सहकारी बैंक के इस प्रकरण का अवलोकन करें तो यह साफ जाहिर होगा कि राजस्थान की जनता के साथ किस क्रूरता से और जालिम व्यवहार सहकारिता विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि फलां अधिकारी से जांच करवाई, फलां अधिकारी से करवाई। आप आदेश दें तो यह सारे ओरिजनल कागजात इस सदन में प्रस्तुत करने को तैयार हूं जिसमें बिना कुएं ऋण स्वीकृत किया गया, खाली कागजों पर नोटरी पब्लिक की मोहर और आदमी के दस्तखत नहीं और ऋण स्वीकृत किया गया। मृत लोगों को ऋण स्वीकृत किया गया, नोमिनल सदस्य नहीं बनाये गये, उसके बाद ऋण स्वीकृत किया गया और उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों में इस प्रकरण की आठ स्तरों पर जांच हो चुकी है। वहीं के बैंक के अधिकारी तुलसी राम पालीवाल और ए.सी.एम. बाड़मेर विजिलेंस तक इसमें जांच कर चुके हैं लेकिन अभियुक्त इतने प्रभावशाली हैं कि जैसा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि बैंक के तत्कालीन एम.डी. यह नहीं चाहते थे कि फलां अधिकारी उनकी जांच करे, फलां अधिकारी यह जांच करे मतलब आपके विभाग में अभियुक्त यह तय कर रहा है कि उनके अपराध की जांच कौन करे, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कोई नहीं हो सकती और मुख्य मंत्रीजी की घोषणा की रोशनी में हम आपसे जवाब चाहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देने का वायदा राजस्थान की जनता से किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस साल जनवरी में एक तारीख को अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर ने इस मामले की जांच के लिए सुरेश चारण को जांच अधिकारी नियुक्त किया। तीन जनवरी को आदेश

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रेषित किये गये संबंधित लोगों को और 14 फरवारी को सुरेश चारण ने अपनी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट कर दी। अतिरिक्त रजिस्ट्रार जोधपुर ने अपने जांच परिणाम जारी कर दिये और बाड़मेर के एम.डी. धारा 70(6) के तहत जो जवाब लेकर विभाग के पास आये थे, वह जवाब क्यों कचरे की टोकरी में डाल दिया गया और एक बाबू के जिरिये फर्जी जवाब बनाकर आपके माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया ? हमारी आपसे यह गुजारिश है कि इस मामले में माकूल कार्यवाही करने के लिए आप उन संबंधित अधिकारियों को पहले तो निलम्बित कीजिये। दूसरा, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जिनका ताल्लुक है, जिन मुकदमों का, वह उसमें दर्ज कराइये और जिनका ताल्लुक आपराधिक गतिविधियों से है, वह मुकदमे आप पुलिस में दर्ज करवाइये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय, ने जवाब प्रस्तुत किया है, उसको ही मैं उद्धत कर रहा हूं। तदनुसार सहकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रामावतार, आई.ए.एस., तत्कालीन एम.डी. द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी किन्तु प्राप्त जांच रिपोर्ट में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बाड़मेर के तत्कालीन एम.डी., के अतिरिक्त बाड़मेर के तत्कालीन एम.डी. श्री अविनाश रणवा, यह नाम नहीं लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है परन्तु तत्कालीन वही थे। इसके अतिरिक्त कुछ निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के नाम जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होने के कारण पुनः इसमें जांच कराई। अगर आप देखें तो यह जांच रिपोर्ट बिलकुल कम्प्लीट रिपोर्ट है और इसके अंदर बिलकुल आरोप लगाये हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप है तो मेरा कहना यह है कि जब वह रिपोर्ट, आप वह रिपोर्ट हमारी सामने प्रस्तुत करें। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे। रिपोर्ट आप हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिये यह सदस्यों के सामने तो हम स्पष्ट ढंग से आपको बता देंगे कि वह जांच पूरी तरह से कम्प्लीट की गई है और वह कम्प्लीट करके उनके खिलाफ, अविनाश रणवा के खिलाफ और मीणा के खिलाफ यह रिपोर्ट है तथा वह रिपोर्ट इस तरह से क्यों आप छिपा रहे हैं और वह उस रिपोर्ट से ही स्पष्ट है और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही उनको सस्पैण्ड किया जाना चाहिए और मामला ए.सी.डी. में भेजा जाना चाहिए, यह प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न है, यही अविनाश रणवा है इन्होंने जोधपुर में सहकारी भण्डार में भी भ्रष्टाचार किया है और उसकी जांच रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और उस जांच रिपोर्ट में भी स्पष्ट यह कहा गया है कि इन समस्त अधिकारियों में से गम्भीर अपराध सर्वश्री सत्यदेव चारण, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री अविनाश

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

रणवा, श्री मदन लाल उत्तरदायी हैं। इनके प्रति कोई भी अधिनायक एवं की जाने वाली कार्यवाही यथाशीघ्र की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट दी है अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, 22.11.1991 को। पहले ही इनका इस प्रकार का कंडक्ट है, बराबर इनका बचाव होता जा रहा है और यह 91 का मामला है और ये 1995–96–97 में मामले हैं। इनको हमेशा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको शील्ड किया जा रहा है, यह कहां तक उपयुक्त है ?

अब मैं तीसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सनशाइन इर्रिगेशन समदड़ी ने 11.3.1998 को केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर के माध्यम से 43,000 लगभग कीमत की वसूली की जबकि उसी समय बालोतरा भूमि विकास बैंक को कोटेशन के माध्यम से इसी फर्म ने उसी मैंक की 38,000 रुपये में विक्रय किया गया। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि बालोतरा भूमि विकास बैंक को तो उन्होंने 38,000 में दी और इनको 43,000 में करके इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया इस संबंध में आप स्पष्टीकरण करें। आई.एस.आई. स्तर की पाइप बताकर कम कीमत की, स्थानीय बनी पाइप को अधिक कीमत पर बेचा गया। कम पाइप नोजल किसानों को सिंचाई करने के लिए सुरेश चरण ने भी जांच की, तुलसीराम पालीवाल ने भी जांच की, ए.डी.ए. ने भी जांच की और इन जांच रिपोर्ट को आप प्रस्तुत करिये। यह उससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि अविनाश रणवा और आर.एन. मीणा दोषी है। उनको स्पष्ट किया जाये। रामावतार के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है और यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट में, ये जितने भी रिपोर्ट आई हैं, उनके आधार पर उन्होंने इनके खिलाफ एन्टीकरप्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब आप इनको एन्टीकरप्शन में भेजिये, इनको तुरन्त सस्पैण्ड करिये और इन को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वह, Principal Secretary is protecting. और यह बहुत ज्यादा डेंजरस मामला है कि एक प्रकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनको फ़ीड करें, प्रोटेक्शन करे। तो यह बहुत जांच का विषय है कि ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी पद से हटाया जाना चाहिए और इस पद पर आप रख रहे हैं रणवा को, जिनके खिलाफ बराबर शिकायतें हैं, जोइंट रजिस्ट्रार के पद पर और जयपुर में। यह जितना जवाब दिया गया है वह जवाब दबाव डालकर के जवाब लिया गया है, सही जवाब अगर मालूम करें जो चम्पालालजी जैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर ने पेश किया है, तो आपको सही स्थिति का पता पड़ जायेगा कि किस प्रकार का घोटाला और किस प्रकार की गड़बड़ी की है। तो मेरा निवेदन यह है कि इनको सस्पैण्ड किया जाये तुरन्त और चीफ मिनिस्टर साहब का भी है कि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करप्शन के खिलाफ मोर्चा करना चाहिए और आप इसका यश लें और लेकर के ठोस कदम उठायें। गुलाब सिंहजी शक्तावत तो पूरी तरह से तैयार थे इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो आप भी कमजोर नहीं दिखें, यह मैं जानना चाहता हूं, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन को जानकारी हो गई है और मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्यों ने आपके सामने ध्यान आकर्षित किया है और उसमें जो तथ्य सामने आये हैं उससे यह कोई शक की गुंजायश नहीं है कि यह बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों ने जिस तरह से फव्वारा की स्कीम में सब्सिडी में घोटाला किया है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। रामावतार आई.ए.एस. की रिपोर्ट बिलकुल इनके खिलाफ आई है और इससे साबित होता है कि यह लोग गुनाहगार थे। और एक आई.ए.एस. अफसर की जांच रिपोर्ट बैंक कैडर के अधिकारियों के खिलाफ आ जाय और फिर उसमें नोट हो जाये कि अभी जांच पूरी नहीं हैं, तो मेरा यह सवाल है कि उस अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखनी चाहिए और मंत्रीजी को वह रिपोर्ट पढ़ कर यहां सुनानी चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा। सुरेश चारण की जांच को दबाया गया। करणी सिंह राठौड़ की जांच हेतु नियुक्त की गई, उसको क्यों रोका गया ? वह जांच करने के लायक नहीं थे या उनके ऊपर कोई चार्ज था या वह कोई सक्षम अधिकारी नहीं थे इसलिए उनको जांच नहीं सौंपी जा सकती थी। यह सारा काम उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम जारी है जैसा कि जगमाल सिंहजी ने कहा। असेम्बली सेल में आपके जवाब तैयार होते हैं, वह आदमी इस सेल का इंचार्ज है, और वही अपनी रिपोर्ट बनाकर असेम्बली को पेश करा रहा है और वहां के कर्मचारियों को बाकायदा दबाव दिया जा रहा है कि तुम जवाब इस प्रकार का दो कि हमारे खिलाफ जांच नहीं हो। तो हमारी यह मंत्रीजी से गुजारिश है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के एडिशनल डाइरेक्टर जनरल से भी हमारी बात हुई है, वह भी इसमें जांच कर रहे हैं, वह कोई फालतू चलते मामले की जांच नहीं करते। आपको तुरन्त इनको सस्पैण्ड कर देना चाहिए। नहीं करते हैं तो क्यों ? और एन्टीकरेप्शन में यह तत्काल केस रजिस्टर करके इस बेइमानी की सजा मिलनी चाहिए अन्यथा इस तरह के आदमी अगर बच जायेंगे तो सरकार की छवि पर इसका दाग लगेगा और जनता यह समझेगी कि चोरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। बड़ी ताकत हो और पैसा हो तो कोई किसी का बुरा होने वाला नहीं है। इसलिए इसको गम्भीर लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जो जवाब यहां दिया है उसमें सही तथ्यों को उन्होंने जानबूझकर छिपाया है। आपके विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने माननीय मंत्री महोदय, 16 फरवरी, 2000 को सुरेश चारण की जांच रिपोर्ट पर निष्कर्ष जारी कर दिये और दो महीने बाद यहां जवाब दे रहें हैं उसमें आप इस बात को बिलकुल छिपा गये, उससे यह स्पष्ट है कि आप सही सूचना सदन को देना नहीं चाहते और जानबूझकर के आपने इस तथ्य को छिपाया है। दूसरा, आपने शुरू में ही कहा कि यह जांच रिपोर्ट बार-बार जिनके खिलाफ जांच हो रही थी उनके निवेदन पर आपने बदली। तो इसी से यह साबित हो गया कि उनके कहने से आप जांच करवा रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि डिप्टी सेक्रेटरी ने 17.2 को जो आदेश जारी किये हैं जांच निरस्त करने के, क्या धारा 70 में जो जांच हो गई, रिपोर्ट प्राप्त हो गई, सक्षम अधिकारी जो इसमें रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार है, उन्होंने उसके निष्कर्ष जारी कर दिये, उसके बाद में डिप्टी सेक्रेटरी को जांच निरस्त करने का कहां अधिकार है। को-आपरेटिव एक्ट में इस मामले में केवल रजिस्ट्रार को ही अधिकार है। इसलिए यह आदेश जो राज्य सरकार ने निकाला है यह बिलकुल गलत है, क्योंकि धारा 70 की जांच अर्द्ध न्यायिक जांच है, उसका आप फैसला कर सकते हैं, फैसला करने का रजिस्ट्रार को अधिकार है, उस फैसले में वह निरस्त कर सकते हैं लेकिन एक प्रशासनिक आदेश से उस जांच को निरस्त नहीं किया जा सकता। दूसरा मेरा यह था कि यही अधिकारी जब जोधपुर में तैनात था और 1991 में उनके खिलाफ जो जांच रिपोर्ट आई है वह भी आई.ए.एस. अफसर ही था और उसने लिखा है कि यह इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है और इनको तुरन्त निलम्बित करके आगे की कार्यवाही की जाये। आप उसको अभी तक दबाये बैंठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और छिपा हुआ है। इस जांच को लम्बा करना, और इस जांच का जो परिणाम होगा उसमें दो तरह का असर उनके ऊपर होगा। पहला तो प्रशासनिक कार्यवाही और दूसरा होगा फाइनेंशल, जो धारा 74 में है। और 74 में जो फाइनेंशल भार उनके ऊपर आने वाला है उसके लिए धारा 76 में मियाद का प्रोवीजन है। तो यह घुमा-फिरा कर उस मियाद को निकाल करके जो फाइनेंशल इनके ऊपर भार आने वाला है उससे वह बचना चाहते हैं। तीसरा, मेरा यह भी था कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिन घोटालों को दबाये रखा, क्या उनको दबाये रखना आपके लिए जरूरी है जबकि अपने मुख्य मंत्री बार-बार यह घोषणा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खतम करना है और भ्रष्टाचार को दबाने में पहले वाली सरकार लगी, उसी रास्ते पर आप चलने लग गये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अधिकारियों को, जिनके खिलाफ 1991 से चली कार्यवाहियां चल रही हैं, आगे कार्यवाही करने से पहले तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करें। लेकिन जैसा आपने उत्तर दिया, उनको अभी महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रखा है, आपने उनको बैंकिंग सेल का इंचार्ज बना रखा है पूरे राजस्थान का, और वह जहां-जहां भी रहे, सब बैंकों में घोटाले किये, उन घोटालों को दबाने के लिए उनको आपने वहां बैठा रखा है और अभी यह चर्चा हुई कि विधान सभा सेल के भी वही इंचार्ज हैं, वही अपने खिलाफ उत्तर का जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप कानून मंत्री अलग हैं, इसलिए कानून की पालना भी आप करिये और अभी आप थोड़े दिन पहले कह रहे थे, यह राठौड़ का हुक्म है तो यह राठौड़ी कहां गई आपकी। इसलिए आज परीक्षा होगी कि आप राठौड़ हैं या नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवी सिंहजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप राठौड़ी को चुनौती नहीं दे सकते।

श्री महेश जोशी : शेखावाटी को दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तैयार बैठे हैं छुरी-कांटे लेकर, अभी देखों क्या होता।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जोश में आ जाये तो अच्छा है, कोई नतीजा निकल जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अविनाश रणवा का मामला नहीं हैं, इसमें पूरे का पूरा गैंग है। यह बाड़मेर को-आपरेटिव बैंक का तो एक उदाहरण है, यह पूरे राजस्थान में इस प्रकार के गैंग काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप देखियेगा उपाध्यक्ष महोदय, जो ऋण आवेदन है जिसके अंदर, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में भी बताया गया कि फोटो लगना उसमें आवश्यक है, अब यह मृतक है, धोरीमन्ना शाखा का यह साजन पुत्र मूंगड़ा रोहिला का रहने वाला है, इसका कहीं भी फोटो फार्म पर नहीं है और इसके अंदर इतनी काटपीट की गई है, यह तो एक उदाहरण है, आपने कई बताये हैं कि ऐसे मामले हैं जिसकी पूरी जांच आपके डिप्टी रजिस्ट्रार जोधपुर ने की है। इसमें कोटेशन दिया गया है उपाध्यक्ष महोदय, और उसके अंदर भी बार-बार कटौती करके पुनः उसको पेश किया गया है इसके अन्दर जो शपथ-पत्र पेश किया गया है, आप कानून मंत्री भी हैं नोटेरी वगैरह जो आपके तहत लाइसेंस लेकर काम करते हैं उनका भी देखिये हाल कहीं भी इसमें नाम नहीं है और नोटेरी महोदय ने बगैर हस्ताक्षर देखे ही खाली फार्म के ऊपर अटेस्ट करके पेश कर दिया। यह नमूने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक जगह हस्ताक्षर दूसरे हैं दूसरी जगह हस्ताक्षर और कोई आते हैं। जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपनी जांच कम्प्लीट करके एडिशनल रजिस्ट्रार, जोधपुर को पेश कर दी और एडिशनल रजिस्ट्रार ने 16.2 को उस रिपोर्ट

(श्री देवीसिंह भाटी)

को मानते हुए सिफारिश कर दी कि ये–ये बिन्दु हैं जिनके अन्दर गड़बड़ पायी गई है उसके बावजूद भी यह बार–बार जांच बदलने को जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने आगाह किया है इसके पीछे बराबर दबाव बनाया हुआ है और यह आप भी जानते हैं कि एक आई.ए.एस. जहां कोई रूचि ले ले फिर किसी मंत्री या और किसी की मजाल, किसी व्यवस्था की भी नहीं हैं कि वह उसके अंदर कुछ करना चाहें और कर गुजरे। गर्दन भले ही हिलायें मंत्री महोदय, पर मैं जानता हूं आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसको गोल माल करके सारी प्रक्रिया हो रही है। जब एक ईमानदार अधिकारी को आपने जांच दी। जांच कम्पलीट कर ली उसके बाद आपने जो करणी सिंह राठौड़, आई.ए.एस. है उसके चरित्र के ऊपर किसी को संदेह नहीं है सिर्फ जिसके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं उसके कहने पर आपने उसकी जांच ड्राप कर दी इससे ज्यादा कोई भी आपकी शर्मनाक घटना या इस प्रकार का कोई कृत्य हो नहीं सकता जब आपके सामने रामावतार आई.ए.एस. की जांच रिपोर्ट आ चुकी है तीन वर्ष से मामला लंबित है। कितनी बार यह मीडिया में छप चुका है उपाध्यक्ष महोदय, आज से डेढ़ माह पूर्व दूरदर्शन पर पत्रिका के संचय कार्यक्रम में वहां की मौके की सारी घटना आ चुकी है। आपने किसी का भी नोटिस नहीं लिया एक साल से यदि कोई जांच कर रहा है तो कर रहा है, उसके बाद फिर जांच बदल दो। आखिर आपकी खुद की कॉ–आपरेटिव की व्यवस्था है इस सारे में जैसा कि यहां लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि एक आई.ए.एस. श्रीवास्तव ने इनके पूर्व के कारनामों की जांच की और उसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि यह इस प्रकार से दोषी पाया गया है 16 की चार्जशीट दी जाए। इनके खिलाफ मुकदमा करवाया जाए लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। यह आखिर क्यों किस प्रकार से दबाया जा रहा है कृपया आप इसको आगाह करें आपने सिर्फ अपने उत्तर में गोल माल करके चार लाइनों में मौखिक रूप से बता दिया, तथ्यों को आपने इस प्रकार से रखा जिससे यह मामला कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि इसमें कार्यवाही हो। कार्यवाही यदि नहीं होती है तो हम नहीं चाहते कि मंत्री महोदय के ऊपर किसी अपराधी को बचाने का कोई आरोप लगे। हम चाहेंगे कि आज खेतसिंह जी राठौड़ इस प्रकार घोषणा करे कि यह दोषी हैं, पहले तो उसको निलम्बित किया जाएगा और उसके बाद जिसको आपको जांच देनी है उसके लिए टाइम बाउंड आप समय तय कीजिये इतने दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। यदि आप उसे निलम्बित नहीं करते हैं, निलम्बन का आधार भी है मंत्री महोदय, आपके पास जांच रिपोर्ट आ चुकी है। उसको निरस्त करने की साजिश

(श्री देवीसिंह भाटी)

थी। इसके लिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, आज ही यहां इस सदन में घोषणा करें कि इस अविनाश रणवा और उसकी पूरी गेंग को सस्पैण्ड किया जाता है और आगे जांच निरन्तर जारी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह सम्भवतः पहला मौका है जब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्य पार्टी लाइन के ऊपर उठकर उस सरकार से मांग कर रहे हैं जो सरकार एक बार नहीं हर बार कहती है कि...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन-क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ... भ्रष्टाचार को खतम करेगी पर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संदेह हैं कि जिस अधिकारी को केन्द्र बिन्दु माना गया है मैं मंत्री महोदय, से पूछना चाहता हूं कि रात को यह अधिकारी 10 बजे आपके बंगले पर क्या कर रहा था। जब बाड़ ही खेत को खा रही है तो किस तरह से न्याय होगा। आज एक दिन की बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय जितने सरकारी विभाग के इनके पास जवाब आये हैं खुद के दिमाग से एक का जवाब नहीं देते हैं, पढ़ते हैं और उसका उत्तर तैयार करते हैं रणवा जी जो इनके बंगले में बेरोक-टोक आते हैं। और उसका परिणाम उपाध्यक्ष महोदय, जिस जांच रिपोर्ट का उल्लेख कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने किया उन्होंने कहा कि सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70(6) के अन्तर्गत जो डिप्टी रजिस्ट्रार, कॉ-आपरेटिव श्री सुरेश कुमार ने जांच की है, जांच की कांपी आप आदेश देंगे तो सदन के पटल पर रख दूंगा और उस जांच को अतिरिक्त रजिस्ट्रार अपील सहकारी समिति ने आगे भेजा है और उस जांच में जिस तरह आपने कहा है पूरी सूची है कुएं बनाने के लिए लोन, फव्वारा पर लोन मिल गया आदमी जिन्दा नहीं है लोन मिल गया, अनुदान उठा लिया। परन्तु अब करते क्या है कि यह सारी जांच जब मंत्री महोदय, को भनक हो गयी कि अब यह मामला चूंकि एक ईमानदार आदमी के हाथ में जांच आ गई, तो एक आदेश इन्होंने टेलीफोन करके दिया सेक्रेटरी को, मैं आरोपित करता हूं मंत्री महोदय को, और सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के आदेश हैं। 17.2.2000 क्रमांक प6(12)सहकारी/99 जिसमें यह कहते हैं कि सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड बाड़मेर द्वारा फव्वारा ऋण वितरण एवं अनुदान योजना के अनुदान में हुई अनियमितताओं के बारे में अतिरिक्त पंजीयन अपील सहकारी समिति, जोधपुर ने राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 में दिये गये जांच के आदेश को एतद्द्वारा 1.1.2000 को निरस्त किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब ऐसे मंत्रीजी से क्या उम्मीद करें, किस तरह का न्याय होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप सारा इसको देखें आप कहें तो मैं आपको नाम पढ़ कर सुनाऊं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो क्वेश्चन पूछो ना आप चाहते क्या हैं जो पूछ लो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुएं नहीं फिर भी ऋण वितरित हो गया। मंत्री महोदय बतायें कि बिना कुएं बने किस तरह ऋण वितरण हो गया। रावता पुत्र सूरता कोली, तुलसाराम पुत्र चतराराम भील, श्रीमती ईदो पत्नी श्री जैकब मुसलमान आप बतायें तो सही ये कुएं बने नहीं और ऋण वितरण हो गया। आदमी इस धरती पर नहीं है और ऋण वितरण हो गया अनुदान उठा लिया। और उसके बाद, आप कौन सी जांच कराना चाहते हैं, यह फुलप्रूफ केस है। इसलिए मैं मंत्री महोदय, आप राठौड़ हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप कसोटी पर कसे गये हैं। आज इस सदन के माध्यम से पूरा राजस्थान देखता है कि खेतसिंहजी राठौड़ में वह पुराना पानी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने चहेते अफसर को बचाने के लिए जो पूरी प्रमाणित जांच है इस जांच को दबा कर पुनः जांच के आदेश की बात गोलमाल जवाब देने की बात है, फिर किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात करते हैं। यह सारी थोथी बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले पूरी गेंग इसमें एक नहीं है इसमें आपके चहेते दो आदमी और हैं आप कहें तो मैं अलग से आपको नाम बता दूंगा उन सारे लोगों को आप निलम्बित कीजिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रामस्वरूप : नाम यहां पर बतायें। आप यहीं बतायें वैसे क्या बता देंगे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री हीरालाल विश्नोई : नाम बता नहीं रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार का षडयंत्र है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप यहां बताइये। आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं इस तरह।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोलिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : यह तो दोनों राठौड़ों की लड़ाई है यहां तो बताते नहीं आप अलग से बतायेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) इनके मिलने वाले हैं इसलिए नाम बताना नहीं चाह रहे हैं यहां।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय जगमाल सिंहजी, संयम लोढ़ाजी, वृद्धिचन्दजी साहब, अमीन खांजी साहब, हरजीरामजी बुरड़क साहब, देवीसिंहजी साहब, राजेन्द्र

(श्री खेतसिंह राठौड़)

राठौड़ साहब ने कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे हैं और उनका एक-एक करके मैं आपके सामने जवाब प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, पहला सवाल आपका यह था कि क्या यह सही है कि रणवा आपके आफिस में काम करते हैं और ये ही क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं। यह बात सही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने यह कहा है कि सहकारी विभाग के...(व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कहा तो वापस पूछ लेना। उनको सुन लें पहले आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं जो आपने कहा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये यहां हैड आफिस में लगे हुए है। और क्वेश्चन ये ही बना करके तैयार करते है। लेकिन उनको देखता मैं हूं, पढ़ता मैं हूं, उनको स्वीकार मैं करता हूं, अप्रूव मैं करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : करते तो हैं लेकिन आज तक कभी भी किसी भी विधान सभा सत्र में इनकी ड्यूटी यहां पर नहीं लगी। जब इनको पता लगा कि इस बार यह मामला उठेगा तब इन्होंने यहां पर अपनी ड्यूटी लगवाई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे से पूर्व ही लगे हुए है। मुझे जब यह डिपार्टमेंट मिला है उससे पूर्व से ही ये यहीं काम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गुलाब सिंहजी ने कर्म किये हैं, सबके श्रेय आप ले रहे हैं। आरोप नहीं है आप पर। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जवाब...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब जो उनके खिलाफ था यह भी उनसे अप्रूव कराना जरूरी था क्या ? दूसरे से क्यों नहीं कराया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह जी। माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : किसी और अधिकारी से कराते। यह जांच उसके खिलाफ थी फिर भी वो जवाब आपने उनसे अनुमोदित कराया। वे अपने खिलाफ लिखते क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप इसको शांतिपूर्वक चलने देना चाहते है तो पहले मंत्रीजी को सुनिए। यह बार-बार उठकर करोगे तो मैं इसको बन्द कर दूंगा। लैट हिम रिप्लाई। आपकी इतनी सुनी है, फिर पूछ लेना जरूरत हो तो। इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपको रिप्लाई माकूल और जो आपने फैक्ट बताये हैं उन्हीं के आधार पर दूंगा। जो आपने पहला क्वेश्चन उठाया वह बात सही है कि वह काम करते

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं। लेकिन काम करने से कोई इतना फ़र्क पड़ता हो ऐसा कुछ नहीं है और हम गाइड नहीं होते है। दूसरी बात, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो उस वक्त मंत्री महोदय थे उन्होंने यह ओदश दिये थे कि यह जांच श्री किशोर सिंह, जो वहां पर एडिशनल रजिस्ट्रार को-आपरेटिव है उनके मार्फत यह जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सीरियस बात चल रही है और आप उसको मजाक में टाल रहे हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि तत्कालीन मंत्रीजी ने यह आदेश दिया था कि यह जांच किशोर सिंह जी जो एडिशनल रजिस्ट्रार अपील के जोधपुर में लगे हुए हैं, उनके द्वारा की जाये। श्री किशोर सिंहजी की बीमारी की वजह से उन्होंने वह जांच श्री सुरेश चारण को दे दीं। श्री सुरेश चारण रणवा साहब से जूनियर है, सीनियर नहीं हैं। इसलिए यह मजबूरी आ गई कि श्री सुरेश चारण की जांच उनके ऊपर लागू करना अच्छा भी नहीं लगेगा। जूनियर आदमी सीनियर आदमी की जांच करे यह अच्छा नहीं था। (व्यवधान) आप पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यह तय किया गया कि ऐसा अंदेशा हुआ और यह बात सही है कि रणवा साहब और इन्होंने यह कोशिश की कि यह जांच श्री किशोर सिंहजी से होगी तो हमारे साथ अन्याय होगा। तो उस जांच मंत्रीजी ने एक आई.ए.एस. आफिसर श्री रामावतारजी को दी और श्री रामावतार उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। लिहाजा उनको वहां भेजा गया। उन्होंने इसकी पूरी जांच की और जांच करने के बाद जो आपने पाइंट कहे हैं इनमें से कई पाइंट बिलकुल सही उन्होंने बताये। उन्होंने यह बात बताई कि इसमें कुछ आदमी मर गये, उनके नामों से लोन उठाया है। उन्होंने यह बात भी बताई है कि कुछ आदमियों को सब्सिडी के लिहाज से सब्सिडी नहीं दी गई और लोन दे दिया गया। यह भी बताया गया है कि इन के कुएं थे ही नहीं और उनको लोन दे दिया गया। यह सारी बातें जो आपने अभी यहां पर फरमाई हैं यह उनकी रिपोर्ट में आई हुई है और वह रिपोर्ट जब पेश हुई तब हमारे उस वक्त के जो प्रिंसिपल सैक्रेटरी थे, जो आज भी हैं उन्होंने उस पर यह टीप दी कि इसमें कुछ और पाइंट रह गये है जिन पर जांच आवश्यक है। उसके ऊपर तत्कालीन मंत्रीजी ने यह आर्डर दे दिया कि ठीक है कि इस जांच में अगर और कोई कमिया रह गई है। तो श्री करणी सिंह राठौड़ से यह जांच करवा ली जाय। इस पर फिर यह फैक्ट है कि श्री रणवा साहब ने यह कहा कि इनसे भी मुझे कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस पर वह जांच तीसरे अधिकारी श्री धीरेन्द्र हैं, वह भी आई.ए.एस. आफिसर है, हमारे डिपार्टमेंट में लगे हुए है, उनको दी गई और उनके द्वारा वह जांच जारी है। (व्यवधान) अभी तक

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उनकी रिपोर्ट आयी नहीं है लेकिन आपकी सारी बात सुनने के पश्चात् मैं पहला अनाउंसमेंट यह करता हूं कि यह जांच मैं एन्टीकरप्शन ब्यूरो को सुपुर्द करता हूं और निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्रीजी को कि एक महीने में यह अपने एस.पी. से जांच करवा लें, जांच कराने के बाद अगर यह साबित होता हो कि वाकई इसमें गबन हुआ है, इसमें रिश्वत ली गई है तो उसी वक्त उसके खिलाफ चार्ज शीट और मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया जायेगा और ज्यों ही मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया जायेगा उसी रोज शाम को उसको सस्पैण्ड कर दिया जायेगा। अभी मैं कर नहीं सकता।

श्री संयम लोढ़ा : पद पर रहते हुए जांच प्रभावित होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : आपके पास जांच रिपोर्ट आ चुकी है। श्री रामावतार आई.ए.एस. की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, क्यों कलंकित होना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, सारे सबूत उसने जुटाये है इस आधार पर सस्पैण्ड करने का सारा मेटर आपके पास है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उस व्यक्ति को अगर निलम्बित नहीं किया गया...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक मिनट। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी आपने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि श्री रामावतारजी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कुछ ऐसी खामियां पाई गई हैं जो बहुत गंभीर हैं। नार्मली, प्राइमाफेसी यदि चार्जेज फ्रेम हो जाते हैं तो आफिसर सस्पैण्ड होता है इसमें आप एन्टीकरप्शन ब्यूरो को जांच दे रहे हैं तो एक महीने में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन नार्मल प्रोसीजर गवर्नमेंट का है तो यदि आप कर सकते है तो कहिए, नहीं कर सकते हैं तो आपकी मर्जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा इतना ही निवेदन है मैं अभी भी यह कर देता लेकिन आप देखिए पहली जांच हुई वह श्री रामावतारजी ने की, उसके बाद कुछ ऐसे बिन्दु रह गये जिन पर जांच आवश्यक थी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : वह जो जांच हुई है उसके आधार पर कीजिए आप। (व्यवधान) जो जांच हुई है उसके आधार पर क्यों नहीं करते आप। रामावातारजी ने जो जांच की है उसमें स्पष्ट रूप से सामने है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जांच में सारे तथ्य आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि रामावतार की रिपोर्ट आपने पढ़ी है। उस रिपोर्ट के आधार पर क्या इस अधिकारी के खिलाफ कोई काग्नीजेबल आफेंस बनता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रिपोर्ट के आधार पर आफेंस बनता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर सीधी सा यह है कि आप एन्टीकरप्शन ब्यूरो को न दे, पुलिस को दें कि इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करें और रजिस्टर्ड करने से पहले आप उसको सस्पेंड करें। फिर पुलिस अपने आप कार्यवाही करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें मेरा इतना ही निवेदन था, आप पूरी बात तो सुनिए। एक बार जांच हुई उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट ने और उस वक्त के प्रिंसिपल सैक्रेटरी और मिनिस्टर साहब ने यह तय किया कि इसमें इन–इन बिन्दुओं पर जांच और होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो तय हुआ कि अविनाश रणवा तो दोषी है, सजा नहीं दी जा रही है। (व्यवधान) प्राइमाफेसी दोषी माना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक महीने में क्या फर्क पड़ता है ?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : दोषी मानते हैं, मंत्री महोदय फिर उस आदमी को शील्ड करने का काम यहां सदन में क्यों कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : रही सही पुलिस कर लेगी इंवेस्टीगेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने माननीय मंत्री महोदय, ने यह स्वीकार किया है कि उस रिपोर्ट के आधार पर काग्नीजेबल आफेंस बनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आपके सामने काग्नीजेबल आफेंस जानकारी में आ गया तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं, किस कानून के अंतर्गत रोक सकते हैं, एफ.आई.आर. क्यों नहीं रजिस्टर्ड करवायी जाती, यह बताइए आप ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपको यह पढ़कर सुनाया कि सन् 1991 में एक आई.ए.एस. आफिसर ने यह लिखा है कि इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। यह रिपोर्ट आपके पास है और उसमें लिखा है उसको निलम्बित करके कार्यवाही की जाये। इस रिपोर्ट को आप 10 साल से लिये बैठे हो। उसमें एक आई.ए.एस. आफिसर ने लिखा है कि आपराधिक कृत्य किया है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आपराधिक प्रवृति वाले अधिकारी को सरकार इस तरीके से संरक्षण दे, यह बड़े शर्म की बात है। जबकि हमारी सरकार बार–बार यह कह

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

रही है कि हम भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एन्टीकरप्शन ब्यूरो से यह जांच हो जाती है तो यह एक पुख्ता ऐसा केस बन जायेगा जिसमें निश्चित तौर से सजा मिलेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सस्पैण्ड कीजिये। (व्यवधान) आप इस बात के भागीदार क्यों बन रहे हो, आप भ्रष्ट लोगों को बचा रहे हो। आपको सस्पैण्ड करना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्क्वायरी करना चाहते हो, भ्रष्ट कर्मचारी को सस्पैण्ड कीजिये। (व्यवधान)

श्री लक्षण सिंह रावत : आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरू खान : मंत्री महोदय, सस्पैण्ड करने की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : मंत्री महोदय, आप क्यों बचाना चाहते हो ? (व्यवधान) मंत्री महोदय, इस अधिकारी को बचाना चाहते हैं, क्या कारण ? (व्यवधान) इतना बड़ा मुद्दा आ गया इतनी बड़ी बात हो गई, फिर क्यों बचाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सरकार भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही है ? (व्यवधान)

श्री भंवरू खान : मंत्री महोदय, सस्पैण्ड की घोषणा करें, सरकार पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगायें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप सस्पैण्ड नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये आप। वो बोल रहे है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूं तो 1996–97, 1997–98 में उस वक्त में यह बाड़मेर बैंक के जनरल मैनेजर थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस समय माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार थी। पर उस वक्त इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और लोगों की सब्सिडी में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है इसमें कोई शक नहीं है। (व्यवधान) मैं यह चाहता था, (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये, मैं यह चाहता हूं बाकी मुझे किसी को कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, न ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : फिर सस्पैण्ड करो आप। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कतई डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं...(व्यवधान) मैं कतई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका जवाब इस बात का प्रमाण है कि आप डिफेण्ड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं उसके खिलाफ एक मजबूत और ऐसा केस बनाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : छोटे कर्मचारी को पैंडिंग इन्क्वायरी सस्पैण्ड करेंगे। इनको आप पैंडिंग इन्क्वायरी सस्पैण्ड क्यों नहीं कर रहे हो ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पैण्ड करो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको सस्पैण्ड करना चाहिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्यों बचाना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पेंडिंग इन्क्वायरी सस्पैण्ड नहीं कर रहे हो आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बचाना क्यों चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आपने गलत सस्पेंशन आर्डर जारी किया। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंद्धू : उस अपराधी का चेहरा जिनसे इनके संबंध है...(व्यवधान) इनके पास आते हैं, उससे प्रभावित है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज बड़े दुःख की बात है सदन के अंदर जब एक भ्रष्ट आदमी के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज उठाई है और उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, मेरा विनम्र निवेदन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खड़े होकर कहिये आप, आप उसे बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मंत्री महोदय, आप ऐसे कैसे भ्रष्टाचार बन्द करोगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप ऐसे कैसे भ्रष्टाचार पूर्ण करेंगे। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अपने स्थान पर बैठो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार चोरों को कभी नहीं बचाएगी, हमारी संवेदनशील सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : न कभी बचाया है, न कभी चोरों को बचाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, रामस्वरूप जी बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : मुझे मंत्रीजी का विश्वास है यह निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ ...(व्यवधान) उसको जरूर दण्ड देंगे, उसको सस्पैण्ड करेंगे, मुझे भरोसा है। हमारी सरकार

(श्री रामस्वरूप)

संवेदनशील है, यह चोरों को कभी नहीं बचाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठिये... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष भी यह चाहता है और यह कहता है कि इनकी जांच से यह सबूत मिले हैं। लिहाजा मैं इस अधिकारी को सस्पैण्ड, दोनों को सस्पैण्ड करता हूं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत, बहुत धन्यवाद...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : केस रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा...(व्यवधान) उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सस्पैण्ड कोई सजा नहीं हैं। बाड़मेर में पुलिस में केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गयी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री की आत्मा को सुख प्राप्त हो, धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, देख लो जो उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। आपकी सरकार थी तो आपने कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, एक दुष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज सारा सदन इस बात पर गर्व करता हैं कि कांग्रेस जब से आयी है भ्रष्ट लोगों को निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी की आत्मा सुख पाये। +++ मंत्रीजी की आत्मा सुख पाये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वो बोलेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्य को सूचित करना है कि आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग की डिमाण्ड पर यहां चर्चा होने वाली है। 30 माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं। मेरी इच्छा है कि चाहे रात के 12 बजे तक सदन चले, लेकिन जितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, थोड़ा समय का ध्यान रख कर के चर्चा को सार्थक करें ताकि सरकार को भी इससे कुछ एनलाइटेनमेंट मिले और हमको भी कुछ लाभ मिले। श्री गुलाब सिंहजी शक्तावत, गृह मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस प्रस्तुत करेंगे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-16, पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय, को रुपये सात अरब सत्रह करोड़ नब्बे लाख सत्तानवें हजार रुपये 7,17,90,97,000/- तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मास्टर भंवरलाल।

मांग संख्या-17, कारागार की प्रस्तुति

मास्टर भंवर लाल (राज्य मंत्री कारागार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये अठाईस करोड़ चार लाख तिरानवें हजार रुपये 28,04,93,000/- तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

मांग संख्या-12, अन्य कर (परिवहन) की प्रस्तुति

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 12-अन्य कर (परिवहन) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय, को रुपये सैंतीस करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार रुपये 37,22,72,000/- तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित करने एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

2. बाड़मेर जिले के पूर्व प्रधान व उसके भाई को जान से मारने व झूठे मुकदमों में फसाने पर चर्चा के लिये।
3. बाड़मेर जिले के थाना इलाका गिड़ा के ग्राम कैसूला फान्टा निवासी गंगाराम व उसकी पत्नी सरपंच के खातेदारी के खेत में तलवार से बकरे की हत्या कर ललकारने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. बाड़मेर जिले के ग्राम गागरीया स्टेशन हकसानी व भीभाड़ में सरकारी जमीनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा खुलमखुला कब्जे किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खान)

5. बाड़मेर जिले के केसूला फान्टा ग्राम निवासी सरपंच पर जबरन हमला कर चीणी तोड़कर भूमि पर तलवारों के बलबूते पर अत्याचार करने पर चर्चा के लिये।

6. बाड़मेर जिले के कसूम्बला भारीयोन के पूर्व सरपंच को जान से मारने के षडयंत्र में पूलिस की निष्क्रयता पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

7. पुलिस विभाग द्वारा रात्रि में पुलिस गश्त की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगू)

8. विधान सभा क्षेत्र बेगू की जावदा चौकी को क्रमोन्नत करने व काटुन्दा मोड, मेडावरी व रेनखेड़ा में पुलिस चौकियां कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा)

9. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. पचपदरा तहसील के ग्राम कीटनोद व आसोतरा को सिवाना थाना क्षेत्र से हटवाकर बालोतरा थाना क्षेत्र में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

11. जैसलमेर जिले के लाठी ग्राम में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

12. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराधियों के विरुद्ध न्यायालयों में चालान स्वीकृति के लिये प्रेषित मामलों में वर्षो तक सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

13. थाना लाडनूं जिला-नागौर में इन्चार्ज के पद को इंस्पेक्टर ग्रेड का किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. मुकदमा नम्बर 9/2000 थाना मोलासर जिला-नागौर में स्थानीय पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

15. जनसंख्या और अपराधों में वृद्धि के अनुपात से पुलिस बल नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. जिस प्रकार से अपराधों का आधुनिकीकरण अपराधी कर रहे हैं उस गति से पुलिस का आधुनिकीकारण नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

17. जयपुर शहर में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु "पुलिस कमिशनर"

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. एफ.एस.एल. विभाग को और सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. पुलिस विभाग में वर्तमान में बढ़ रही आबादी के अनुपात से कांस्टेबलों के पदों में वृद्धि नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. पुलिस विभाग में सिपाहियों को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में 20 रुपये की राशि वार्षिक काटकर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

21. सिरोही ज़िले में कृष्णगंज चौकी क्षेत्र को सिरोही पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

22. थाना तिजारा की गौ तस्करों से सांठ-गांठ होने पर चर्चा के लिये।

23. मार्च के अन्तिम सप्ताह में किशनगढ़ (अलवर) के हास्पिटल से चोरी गई मोटर साइकिल से उत्पंन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. ग्राम जैस्ती का थाना किशनगढ़ बास (अलवर के मुकदमे में मुल्जिम एवं उसके भाई को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. थाना तिजारा ग्राम तिजारा में अप्रेल के पहले सप्ताह में हुई डकैती को चोरी में दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

26. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नये थाने खोलने, थानों में संसाधनों एवं कर्मचारियों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. टोडाभीम थाने में पुलिस वाहन न होने के कारण हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. मेहन्दीपुर बालाजी महान तीर्थ स्थान पर करौली जिले की तरफ से पुलिस चौकी के लिये जमीन मिलने एवं एक लाख रुपये विधायक कोटे से मिलने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

29. झुंझुनूं जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

30. झुंझुनूं जिले में पंचायत चुनावों के दौरान हुई हत्याओं की निष्पक्ष जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल राठोर (झालरापाटन)

31. इटलाई (जिला झालावाड़) की पुलिस चौकी को थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

32. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के थानों को वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में थानों की इमारतों के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

37. पुलिस विभाग में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

38. भादरा पुलिस थाना के अन्तर्गत एक पुलिस चौकी खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. भादरा क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पुलिस थाना भिरानी को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. हनुमानगढ़ जिले में पर्ची सट्टा बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. भादरा विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना भादरा व पुलिस थाना भिरानी के क्षेत्र का पुनर्सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

43. कुन्जेड़ (बारां) में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

44. पुलिस बल अपराधों तथा बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. पुलिस प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने बाबत चर्चा के लिये।

46. जहाजपुर क्षेत्र में खजूरी, आमरवासी, मारोली में नये पुलिस थाने और टीकड़, रोपा, बावड़ी तरवारिया में नयी पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

47. पुलिस थानों में खराब जीपों व कई थानों में वाहन नहीं होने के कारण थानों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलने तथा अपराधों के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. राज्य में महिला अत्याचारों की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में दिनों-दिन अपराधों में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ बलात्कार, पुलिस हिरासत में हुई मौते, राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. राज्य में पुलिस की कार्य-पद्धति में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

52. राज्य में पिछले एक वर्ष में पकड़े गये आई.एस.आई. एजेन्ट एवं उनके पकड़ने में राज्य गुप्तचर विभाग की सक्रियता के बारे में चर्चा के लिये।

53. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय प्री.पी.जी. एवं पूनर्मूल्यांकन घोटाला का चालान पेश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. एफ.आई.आर. नम्बर 49/2000 में थाना सरदारशहर जिला-चूरू में थाना इन्चार्ज द्वारा मुल्जिम को बचाने के प्रयास के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. एफ.आई.आर. नम्बर 53/2000 थाना उदयपुरवाटी जिला-झुंझुनूं में कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)

56. सैपऊ, जिला-धौलपुर के थाने के कर्मियों द्वारा जनता को आतंकित करने पर चर्चा के लिये।

57. धौलपुर क्षेत्र में पुलिस की अकर्मण्यता के कारण बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. धौलपुर क्षेत्र के सेपऊ थाने के थानेदार द्वारा मनमाने तरीके से एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार कर जनता को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

59. विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसीलों में स्थित पुलिस थानों में समुचित साधन एवं व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में लिप्त अधिकारियों पर

(श्री जनार्दन गहलोत)

कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

61. पुलिस स्टेशन सेंदड़ा 50-60 वर्ष पुराना होने के कारण नया पुलिस स्टेशन भवन का शीघ्र निर्माण करवायें जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. तहसील व पंचायत समिति क्षेत्र रायपुर पाली के राजस्व गांव कुशालपुरा, करमावास, मालीधन, निम्बेड़ा कलां, रामपुरा तथा देवली कलां को पुलिस स्टेशन जैतारण से निकाल कर पुलिस स्टेशन रायपुर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. तहसील व पंचायत समिति रायपुर के मुख्यालय हाजीवास को जैतारण पुलिस थाना क्षेत्र से निकाल कर रायपुर पुलिस थाना के अधीनस्थ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राज्य में अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशनों में आरक्षीगण की पर्याप्त संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. पाली जिले में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के बर ग्राम में स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

66. कोटा जिले की पंचायत कनवास, धूलेट आदि क्षेत्र में चोरियों की भरमार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. जिला कोटा के तहसील सांगोद के पंचायत देवली मुख्यालय पर पुलिस थाना व तहसील दीगोद के बड़ौद पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

68. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के जिला बारां में कार्यरत रामगढ़ चौकी को क्रमोन्नत करके थाना बनाये जाने एवं किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां के किशनगंज थाने को बस स्टेण्ड पर (रानीबड़ेद) निर्माण करवाये जानें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

69. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था सुधार पर अमनचैन कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. नीमकाथाना में बढ़ती हुई चोरियों व गुण्डागर्दी को रोकने पर चर्चा के लिये।

71. राज्य में पुलिस विभाग में रिपोर्टकर्ता के साथ दुर्व्यवहार व फीस की वसूली पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

72. सिरोही जिले से गुजरात राज्य में की जा रही शराब की अवैध तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. सिरोही जिले के शिवगंज थाने में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए झूठे मुकदमे 9/2000 (13.1.2000) से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

74. चौमूं बस स्टेण्ड की ट्रेफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये ट्रेफिक कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम हस्तेड़ा में नया थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थाना चौमूं, गोविन्दगढ़, सामोद में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कालाडेरा व खेजरोली में नया थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

78. प्रदेश में अपराधों की बढ़ती संख्या तथा अपराधियों द्वारा अपनाई जा रही नयी-नयी तकनीक के अनुसार पुलिस प्रशासन को साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पुलिस थानों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पुलिस विभाग में अनुसंधान दल तथा सामान्य प्रशासनिक कार्यो हेतु अलग-अलग दल रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर मानवाधिकार आयोग के निर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन नहीं करने व निर्देशों की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

82. अभियोजन विभाग स्वतंत्र न होकर गृह विभाग के अधीन होने से अभियोजन की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर चर्चा के लिये।

83. महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे असीमित पुलिस कर्मचारियों से होने वाले अपव्यय और इससे आम नागरिक की सुरक्षा प्रभावित होने पर चर्चा के लिये।

84. पुलिस प्रशासन को अनुसंधान एवं कानून

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

व्यवस्था, दो अलग भागों में विभाजित नहीं करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा),

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत),

श्री सांवर लाल (भिनाय) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

85. विधान सभा छबड़ा के थानों में से हिस्ट्रीशिटरों के फोटो हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा),

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत),

श्री सांवर लाल (भिनाय) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

68. कोटा व बारां जिले से लगने वाली मध्य प्रदेश सीमा पर पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. छीपाबड़ौद (बारां) के सारथल में एवं छबड़ा (बारां) में पाली में थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना),

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

89. एक व्यक्ति के विरुद्ध बासखेड़ा पुलिस स्टेशन जावर के खिलाफ अनेक मुकदमे होने के बाद जैसे 302, 307 में दर्ज होने के तीन वर्ष के उपरान्त भी गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय),

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

90. पुलिस कर्मियों की सुविधा व वेतन बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. मुकदमे की तफतीश खुले में आम जनता के सामने करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

92. डूंगरपुर जिले में पुलिस की लापरवाही से बेगुनाह लोगों का परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. डूंगरपुर जिले में थानों के प्रभावी (थानेदारों) द्वारा गलत तरीके से लोगों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. डूंगरपुर जिले में पुलिस थानों के भवनों की कमी के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

95. जिला-श्री गंगानगर में शस्त्र लाइसेंस नहीं बनाये जाने एवं पंजाब से लाइसेंस बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

96. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

97. राज्य में दलित वर्गो पर एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, डाका, लूट, अपहरण की घटनाएं तथा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. बानसूर थाना के अन्तर्गत अपराधों में हो रही भारी वृद्धि से वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर का पद सर्जित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कई लोगों की हुई हत्या एवं एफ.आई.आर. दर्ज होने के बावजूद भी कातिलों का पता न लगाने तथा अपराधियों पर मुकदमा न चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. पुलिस विभाग में 1989 के नियमों के तहत स्थानान्तरण रोटेशन से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

101. स्पेशल ब्रांच सी.आई.डी. या आई.बी. बनी है तबसे सभी पदों के ग्रेड (वेतन) रिवाइज हो जाने के पश्चात् भी विशेष वेतन नहीं बदले जाने पर चर्चा के लिये।

102. गंगरार विधान सभा क्षेत्र के बस्सी में एवं राशमी तहसील के पहुना कस्बे में पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

103. सुरोठ थाने एवं हिण्डौन थानों में नयी जीपें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. थाना हिण्डौन के मुकदमा नम्बर 788/99 में शेष रहे मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. ग्राम खरेटा, झिरना, आरणी गुर्जर, पोंछड़ी, भंगो जेवर बाढअटक आदि गांवों को सुरोठ थाना क्षेत्र से हटाकर हिण्डौन (करौली) में लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. पुलिस की निष्क्रयता के कारण हिण्डौन क्षेत्र में डकैतों से हो रहे आतंक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. हिण्डौन थाना क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये समुचित उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

108. पुलिस थाना चन्दवाजी, मनोहरपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली

(श्री रामचन्द्र सराधना)

के बजाय जयपुर के अधीन करने एवं व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

109.डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा स्थान पर थाना स्वीकृति एवं ज़िले के सीमलवाड़ा, झोथरीपाल में चौकियां नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार)

110.विधान सभा क्षेत्र खण्डार में डकैतों से पीड़ित क्षेत्रीय जनता को सुरक्षा हेतु पुलिस उप अधीक्षक (ग्रामीण) का पद खण्डार मुख्यालय पर नवीन सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

111.बढ़ती वारदातों को देखते हुए मध्य प्रदेश की सीमा पर पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112.ग्राम रामपुलिया में नयी पुलिस चौकी स्थापित करने एवं रात्रि गश्त बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

113.राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर एवं बीकानेर में पुलिस संस्थान को आधुनिक हथियारों से लेस कर सक्रिय एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114.पुलिस को आधुनिक बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

115.केन्द्रीय कस्टम विभाग बाड़मेर एवं बाड़मेर जिला पुलिस द्वारा दिनांक 18.9.1996, 6.10.1996 एवं 10.10.1996 को क्रमशः कुल 75 किलो आर.डी.एक्स., बी.एस.एफ. एवं मिलेक्टरी के (एक्स) गुप्तचर द्वारा बरामद किये जाने एवं किन-किन स्थानों में एवं किन-किन को भेजी जा रही थी और किन-किन स्थानों पर विस्फोट की योजना थी, के कारण मालूम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

116.पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के राज्य सरकार की सेवा में रहते हुए स्वर्गवास होने पर उनके आश्रितों को नियुक्तियां देने में विलम्ब होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

117.राज्य की पुलिस प्रदेश में हुई चोरी-डकैती में लिप्त डकैतों को पकड़ने में रही असफलता के बारे में चर्चा के लिये।

(श्री फतेह सिंह)

118.प्रदेश में पुलिस चौकियों पर सरकारी वाहन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के असमर्थ रहने के बारे में चर्चा के लिये।

119.राज्य सरकार के पुलिस थाना सज्जनगढ़ में खोलने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

120.मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े गांव बोरखेड़ी में अस्थाई पुलिस चौकी सुरक्षा की दृष्टि से कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121.राज्य सरकार के पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रहने की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)

122.बागीदोरा कस्बे में जैन हत्याकाण्ड में अभियुक्तों को पकड़ने एवं भ्रष्टाचार को रोकने में पुलिस के असफल रहने से उत्पन्न स्थति पर चर्चा के लिये।

123.पुलिस द्वारा अवैध शराब की गुजरात को हो रही तस्करी को रोकने एवं राजस्थान व गुजरात सीमा पर चौकी कायम करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

124.पुलिस विभाग द्वारा आवंटित सामान में भेदभाव बरतने व भरतपुर जिले के साथ न्याय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)

125.पुलिस थानों में व्याप्त अनियमितताओं के कारण जनता में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

126.सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में नया थाना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127.सवाईमाधोपुर में डी.आर.जी. आफिस खोलने एवं नये थाने खोलने तथा पुराने थानों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

128.रामगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

129.पुलिस विभाग में आवश्यकता के अनुरूप कर्मियों की संख्या में वृद्धि नहीं करने से हो रही समस्या पर चर्चा के लिये।

130.पुलिस की कार्यवाही को पारदर्शी, निष्पक्ष व जवाबदेह बनाने के लिये नागरिक समितियों के गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131.आर्थिक संकट को दृष्टिगत रखते हुए

(मोहम्मद माहिर आजाद)

महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक व अन्य बड़े पदों को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132.एक पुलिस अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

133.पुलिस विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।

श्री के.सी.विश्नोई (संगरिया)

134.सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर व आर.पी.एस. तक के अधिकारियों के जिले व रेन्ज में पदस्थापित किये जाने की अवधि के बारे में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

135.विधान सभा क्षेत्र खारची में बढ़ती हुई चोरियों तथा मारवाड़ थाने को अपग्रेड करने पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

136.जयपुर शहर में बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

137.लाखेरी में पुलिस निरीक्षक का पद सृजित करने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने एवं पंचायत समिति केशवरायपाटन पोषाहार घोटाला के आरोपियों की गिरफ्तारी करने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

138.राज्य में नये थानों की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

139.राज्य में पिछले एक वर्ष में लूट, हत्या, बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

140.खानपुर विधान सभा क्षेत्र हरिगढ़ ग्राम में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141.खानपुर विधान सभा क्षेत्र में दहीखेड़ी पनवाड़ में थाना नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

142.अपंजीकृत मनोरंजन क्लबों में शराब से वन एवं कार्ड रूम में जुआं संचालन की समुचित रोकथाम पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143.यातायात पुलिस द्वारा शैक्षणिक संस्थान बाहुल्य क्षेत्रों में भारी वाहनों की रोकथाम नहीं होने से बढ़ रही असुरक्षा से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

144.अजमेर शहर में कच्ची बस्तियों में बेची जा रही अवैध शराब पर पुलिस द्वारा अंकुश लगाये जाने में असफल रहने के संबंध में में चर्चा के लिये।

(श्री ललित भाटी)

145.अजमेर शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातों के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146.शहर में अवैध रूप से चल रहे लाटरी, जुआं एवं सट्टा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खीची (कठूमर)

147.खेरली में पुलिस निरीक्षक के पद पर स्वीकृति एवं भनोखर या खेरली रेल में पुलिस चौकी स्थापित करने तथा पुलिस कल्याण कोष की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुंढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

148.गत पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के समय झुंझुनूं जिले की पापड़ा ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मतपत्र फाड़ने, मतपेटियों में पानी डालने आदि की घटना के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

149.बाड़मेर, जैसलमेर एवं गंगानगर सीमावर्ती जिलों में सीमा की तारबंदी के उपरान्त भी तस्करी चालू रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

150.उदयपुर जिले चित्रावास पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शांन्ति पहाड़िया (वैर)

151.निर्वाचन क्षेत्र वैर के बयाना रोड़ समराया में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152.निर्वाचन क्षेत्र वैर (भरतपुर) हिन्डौन रोड पर कारवाना क्षेत्र में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153.विधान सभा क्षेत्र वैर के खेड़ली मोड़ पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154.विधान सभा क्षेत्र वैर के बड़ा सलेमपुर में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

155.हाल ही सम्पन्न पंचायत चुनावों के दौरान झुंझुनूं जिले में हुई विभिन्न हत्याओं के कारण जिले में उत्पन्न विषम स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

156.जैसलमेर जिले में पुलिस थानों की सीमाओं का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

157.जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में नयी चौकियां एवं थाने स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)

158.सवाईमाधोपुर में हुए अपहरण कांड में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के संदर्भ में चर्चा के लिये।

मांग सख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. राज्य में कारागृहों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

2. राज्य की जेलों में कैदियों के लिये समुचित आवश्यक व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

3. कारागार विभाग के उच्च पदों पर विभाग के अधिकारियों को पदोन्नत नहीं करके पुलिस विभाग के अधिकारी लगाये जाने के कारण विभागीय अधिकारियों में फैले असंतोष पर चर्चा के लिये।

4. राज्य की जेलों में मादक पदार्थों सप्लाई को रोकने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिये।

5. अच्छे चरित्र वाले कैदियों को अधिक से अधिक संख्या में खुली जेल में भेजने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. लम्बे समय तक जेलों में बन्द कैदियों को पर्याप्त औद्योगिक प्रशिक्षण नहीं दिया पाने पर चर्चा के लिये।

7. जेलों में बन्द कैदियों के आचरण सुधार के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

8. कैदियों के साथ कारागार में कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

9. हिण्डौन कारागार में जगह की कमी के कारण व्याप्त परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. कारागारों से अपराधियों के भागने उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

11. कारागार में सजा भुगत रहे व्यक्तियों को अच्छी शिक्षा एवं धार्मिक भावना जागृत कर अपराधियों को भी अच्छे इन्सान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

12. कारागृहों की व्यवस्था में सुधार तथा

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

13. राजस्थान की जेलों में हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

14. कारागारों में लम्बे समय से विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर हर 3 महीनों में समीक्षा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. जेलों में बन्द कैदियों के संबंध में सुधार कार्यक्रम को चालू करने तथा व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. जेल विभाग में सलाहकार समिति की बैठकों को नियमित रूप से नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश में समय-समय पर कैदियों के भागने, जेल तोड़कर भागने से विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. कारागारों की इमारतों को पूर्ण मरम्मत एवं सुरक्षात्मक प्रबंधों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

19. नीमकाथाना जेल से फरार कैदियों के पुनः गिरफ्तार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. राज्य के कारागारों में व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जानंर्दन गहलोत (करौली)

21. कारागृह में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

22. नीमकाथाना सब जेल से पेशी पर ले जाते हुए कैदियों की फरारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

23. कारागारों में कैदियों के साथ अमानीय व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. कारागारों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

25. राजस्थान के कारागारों में सजायापता कैदियों को अन्य अभियुक्तों के साथ

(श्री सरेन्द्र व्यास)

बन्दीगृह में रखने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय),

श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

26. कैदियों के भोजन व आवास व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

27. हिण्डौन में उपकारागार की नयी बिल्डिंग बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

28. डूंगरपुर जिले के कारागार पर आवासीय भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

29. कारागार में कैदियों के खाने–पीने का माकूल प्रबंध न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. राज्य के कारागारों की दयनीय स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन एवं सुधार लाने पर चर्चा के लिये।

31. राज्य के जिन–जिन जेलों से कैदी भाग गये हैं, उनके कारणों पर विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

32. कुशलगढ़ में कारागृह भवन निर्माण करने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों को पूरा राशन देने में राज्य सरकार के असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

34. कारागृहों में बन्दियों को पौष्टिक आहार (भोजन) नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. कैदियों द्वारा सजा अवधि में किये गये श्रम कार्यों से प्राप्त धन राशि के उपयोग पर चर्चा के लिये।

36. नगर में उपकारागृह बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

37. राज्य में कारागारों में बन्दियों को रोजगार योजना व अन्य सामाजिक सुधार के कार्यों हेतु शिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राज्य में स्थित कारागारों के दशा सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (प्राटन)

39. कापरेन में उपकारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

40. उप कारागार लक्ष्मणगढ़ में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

41. जिला कारागार जैसलमेर में महिला कर्मचारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-12 पर कटौती प्रस्ताव

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. राज्य में परिवहन व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

2. निजी बसों के अनियमित संचालन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान रोडवेज की सेवाएं न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. जयपुर–दिल्ली के बीच नेशनल हाई वे–8 पर जयपुर से शाहजहापुर तक आधे घंटे के अन्तराल से नियमित बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. नारनौल–रेवाड़ी रोड पर स्थित राजस्थान के एकमात्र ग्राम काटूवास में आर.एस. आर.टी.सी. की बसों के ठहराव न होने से बहरोड विधान सभा क्षेत्र के लोगों को होने वाली असुविधा के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

6. जैसलमेर जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

7. जयपुर शहर में ऑटो रिक्शा मीटर रेट पर चलाने की विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

8. राज्य में सब रजिस्ट्रार स्तर पर स्टाम्प ड्यूटी की हो रही भयंकर चोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. राज्य में छोटी जगहों पर कम मूल्य के स्टाम्प नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य के स्टाम्प खरीदने की मजबूरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. राज्य में चल रहे अवैध वाहनों को विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं रोके जाने के कारण राज्य पथ परिवहन निगम को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

11. कांट्रेक्ट कैरीज की बसें लाड़नूं-सुजानगढ़-जयपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नियम विरुद्ध नियमित रूप से चलाये जाने से निगम को हो रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

12. परिवहन विभाग में वर्षो से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों को दो वर्ष बाद हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से चलाये जा रहे वाहनों से कर लगा कर उन्हें नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

14. ग्रामीण क्षेत्र में ऑटो रिक्शा परमिट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

15. राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम में विभिन्न विभागों द्वारा फ्री अथवा रियायति दर पर यात्रा करना एवं निगम को पुनः भरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विभिन्न विभागों द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के गत वर्षो के 110 करोड़ रुपयों का भुगतान अविलम्ब करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बढ़ते हुए घाटे को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा तिजारा आगार में नयी बसों की व्यवस्था न करने से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

19. परिवहन विभाग में करदाताओं को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

20. अवैध वाहनों के चलने के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लाभांश पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

21. परिवहन विभाग को चुस्त-दुरूस्त करने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु कारगार कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. बसों, ट्रकों वाहनों पर लम्बे समय से बकाया कर दण्डनीय ब्याज आदि में छूट कर वास्तविक राशि वसूलने व वाहनों के नकारा होने की स्थिति रोकने एवं वाहनों पर अकाल के कारण छूट छह माह बढ़ाने से राज्य कोष की आय

(श्री रतना राम चौधरी)

में बढ़ोतरी बाबत चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

23. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में बसों के परमिट में गांवों के नाम होते हुए भी बसों द्वारा अपने निर्धारित रूट पर नहीं चलने से यात्रियों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

24. भीलवाड़ा से करेड़ा वाया रायपुर वाले मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसें नहीं चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. गंगापुर से भीलवाड़ा राष्ट्रीय राज मार्ग पर जीपों व अन्य अवैध वाहनों के चलने व यातायात विभाग द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांव आलोली, पनोतिया, बागोलियां, अड़सीपुरा आदि गांवों में बसें नहीं चलने से यात्रियों को होने वाली असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

27. सीकर आगार में डीजल में मिलावट प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. परिवहन विभाग में दलाल व्यवस्था होने से आम नागरिकों की हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

29. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में व्याप्त अत्यधिक असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

30. राजधानी के 40 कि.मी. दूरी तक के गन्तव्य स्थानों के लिये रोडवेज की बसों के किराये में कमी करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. चौमूं में रोडवेज डिपो खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों में कटौती व व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. जयपुर से दिल्ली चलने वाली एक्सप्रेस बसों में से 5 बसों का वाया रास्ता चौमूं-चन्दवाजी होकर किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. राजधानी जयपुर से 50 कि.मी. परिधि के चारों ओर निजी वाहनों को परमिट जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

35. वाहनों के रजिस्ट्रेशन आदि पर अव्यवहारिक कर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. अवैध वाहनों पर रोक लगाने तथा वाहन करों की वसूली की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

37. राज्य में भारी पैमाने पर प्राइवेट गाड़ियों के टैक्सी के रूप में संचालन व सरकार को कर अदा नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

38. डूंगरपुर आगार में रोडवेज की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. डूंगरपुर में रोडवेज के वाहनों, प्राइवेट वाहनों का सही तरीके से संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

40. केकड़ी में बस डिपो बनाये जाने व बसों के ठहराव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

41. डूंगरपुर जिले में संचालित बहुत पुरानी बसों से यात्रियों को हो रही दुविधा एवं डूंगरपुर जिले की पीठ से पुनावाड़ा, डूवा, चारवाड़ा, मोदरतलैया पर बस सेवाएं सुलभ नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)

42. राज्य में अवैध वाहनों के संचालन, राष्ट्रीय परमिटों के दुरूपयोग एवं इस बारे में राज्य सरकार की दुलमुल नीति के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)

43. बांसवाड़ा से अरधूना वाया रैयाना जौलाना बोड़गाया तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने में असफलता तथा अरधूना कस्बे को पर्यटक होने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से चालू रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. बांसवाड़ा से आनन्दपुरी वाया गांगड़तलाई तक परिवहन निगम की बसें चलाने में तथा बांसवाड़ा से आनन्दपुरी वाया शेरगढ़ तक पथ परिवहन की बस चलाने में सरकार की आसफलता पर चर्चा के लिये।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

45. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली पावटा-कोटपूतली वाया ढांतिल बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)

46. सवाईमाधोपुर क्षेत्र में जयपुर से सवाई माधोपुर तक नयी पर्यटक लग्जरी बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. सवाईमाधोपुर में रोडवेज डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

48. मुबारिकपुर, अलावड़ा, चौमूं गोविन्दगढ़, बाम्बोली ग्रामों की रोडवेज व्यवस्था को दुरूस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

49. मुण्डावर तहसील हैडक्वार्टर से अलवर-जयपुर-देहली के लिये सीधी बस सेवा एवं तहसील हैडक्वार्टर पर यात्रियों की सुविधा के लिये बस स्टेण्ड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

50. अलवर से भरतपुर वाया नगर जाने वाली परिवहन विभाग की बसों को सेमली व मानोता में रुकवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. नगर (भरतपुर) में रोडवेज का डिपो (आगार) स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रात्रि के दौरान स्थान-स्थान पर चौथ वसूली कर यातायात को बाधित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. जयपुर से नगर-डीग परिवहन विभाग की सुपर डीलक्स बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर)

54. जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर लालबत्ती लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

55. विधायकों की सुरक्षा की दृष्टि से लालबत्ती लगाने की इजाजत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

56. प्रोटोकोल के आधार पर विधायकों को भी वाहन पर लालबत्ती लगाने देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

57. विधायकों की सुरक्षा हेतु लालबत्ती लगाने की इजाजत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. सुरक्षा की दृष्टि से विधायकों को वाहनों

(श्री अमराराम)

पर लालबत्ती लगाये जाने की इजाजत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह गण्डूरा (लक्ष्मणगढ़)

59. विधायकों को भी वाहनों पर लालबत्ती लगाने की कानूनी छूट दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

60. सदस्य, राजस्थान विधान सभा को भी कश्मीर, हरियाणा आदि प्रांतों की तरह वाहन पर लालबत्ती लगाने की छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया)

61. वाहनों पर लालबत्ती व नीलीबत्ती लगाने के लिये अधिकृत अधिकारियों/ व्यक्तियों पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

62. विधान सभा क्षेत्र खारची, फालना, देसूरी, खिवाड़ा धतला, मारवाड़ जंक्शन, पाली, तथा पाली–भीलवाड़ा राणावास काली–धाटी रूट पर बस चलाने पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र खारची, पाली–देसूरी वाया सोमेसर, इन्द्रवाड़ा खिवाड़ा तथा फालना–राणी मारवाड़ जंक्शन सोजत सिटी से जयपुर पर बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र खारची जाड़ण–खिवाड़ा–देसूरी वाया मारवाड़ जंक्शन तथा पाली उदयपुर वाया मारवाड़ जंक्शन–राणावास कालीघाटी रूट पर बसें चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र खारची में परिवहन विभाग द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार बसें न चलाकर गलत रूट पर बसें चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहन (परबतसर)

66. विकलांगों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित रात्रि बस सेवा में भी रियायती दर पर यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

67. केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर पर यात्री सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर में चल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

69. राज्य में ट्रेक्टर ट्रॉली पर कर लगाने हेतु आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ललित भाटी)

70. वर्ष 1990 से कंडक्टरों की भर्ती नहीं करने तथा 1990 से डेलीवेजेज पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. परिवहन विभाग में वर्ष 1995 से ब्लैक लिस्टेड सप्लायर्स से ही माल खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर)

72. वैर से धरसोनी मंदिर हलैना होती हुई भरतपुर के लिये रोडवेज़ की बसें चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. वैर से भुसावर एवं रुंदीलगढ़ होती हुई टोडाभीम तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. दिल्ली से महावीरजी के सिरस मंदिर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

75. दिल्ली से भुसावर महिला विद्यापीठ तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

76. जैसलमेर जिला मुख्यालय पर बस डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-16, 17 एवं 12 पर विचार

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हैं जिसमें हमारी सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। पुलिस हमारी रक्षक होती है। जिस प्रदेश की पुलिस जागरूक होती है उस देश का नागरिक सुख और शांति की नींद लेता है और जहां पुलिस में भ्रष्टाचार भरा हुआ होता है, जहां पर पुलिस प्रशासन सही तौर पर काम नहीं करता है, वहां पर आम नागरिक की नींद बैचेन हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आज इस सदन में सबसे बड़ी अगर कोई बात सामने आई है, वह यह है कि आधुनिक विज्ञान के युग में अपराधों की प्रवृति या तकनीक बढ़ी है, उस हिसाब से उसे रोकने की हमारी तकनीक नहीं बढ़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अपराधी इतने चतुर हो चुके हैं, अपराधियों को टेलीविजन के जरिये या फिल्मों के जरिये अनेक तरह की इस प्रकार की आपराधिक फिल्में दिखायी जाती हैं उनके कारण से बड़े-बड़े अपराधों से बचने का उनको तकनीकी ज्ञान हो जाता है। आज जन्म से ही छोटा सा बच्चा इस बात को सीख

(श्री रामस्वरूप)

जाता है चोरी किस प्रकार होती है किस प्रकार चोरी से बचा जाता है। ये सारी बातें इस बात को साबित करती है कि पुलिस विभाग के लिये आज इतना कठिन हो गया है, अब वह किस प्रकार से चोरों को पकड़े।

(13.50 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

इसके लिये सबसे बड़ी जानकारी हमको होनी चाहिए, वह आधुनिक, इस प्रकार के इनके पास साधन होने चाहिए ताकि वे अपराधियों को पकड़ सकें। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि पुलिस के पास आज साधनों की कमी है। अपराध तो बढ़े हैं लेकिन साधन उतने नहीं बढ़ाये गये हैं. माननीय गृह मंत्रीजी वहां विराजमान हैं, माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि थानों में संख्या जो है, आज इस प्रकार से पहले की संख्या है उसी आधार पर संख्या आज बना रखी है। अपराधों की संख्या, आप देख लीजिये, लम्बी-चौड़ी लिस्ट अपराधों की बढ़ती चली जाएगी। और अब की बार भी सदन में जो क्वेश्चन लगाया, उसमें इतने अपराधों की बढ़ी हुई संख्या आयी है, उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर साधन भी बढ़ाये जाएं। स्टाफ भी वहां बढ़ाया जाए ताकि अपराधों को रोक सकें। उनके पास साधनों की कमी है। अपराधी लोग आते हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी गाड़ियां लेकर आते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे हथियार होते हैं, और आकर के अपराध करके चले जाते हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, पुलिस के अधिकारी, उनके पास ऐसी-ऐसी गाड़ियां हैं, जो कई बार तो यह स्थिति आ जाती है कि अपराधी की गाड़ी 5 किलोमीटर चली जाती है, यहां एस.एच.ओ. की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। यह साधनों की कमी है। मेरे ही टोडाभीम थाने के अंदर आज कोई जीप नहीं है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी जेलों से भाग रहे हैं, अपराधी थानों से भाग जाते हैं। अपराधी मारपीट करके पुलिस वालों को चले जाते हैं। इसका कारण क्या है, कारण यह है साधनों की कमी। आज उनके पास पुलिस के पास जीप भी नहीं है। इनके पास जीप ऐसी होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है। उनमें हीटर नहीं लगाना पड़ता है और पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां है जो आज हीटर लगाने में ही उनको 10 मिनट लग जाते हैं और तब जाकर के गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे। आप पुलिस को जिप्सी दीजिये ताकि वह अच्छी दौड़ कर सके, उनकी रफ्तार अच्छी हो और वे अपराधियों के पीछे भाग सके और अपराधियों को पकड़ सके। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार से अपराधीकरण बढ़ा है, उनके संसाधन इस प्रकार से बढ़े हैं, उसी प्रकार से थाने की व्यवस्थाओं में भी इसी प्रकार का परिवर्तन लाये।

(श्री रामस्वरूप)

दूसरा मेरा पांइट है, सबसे बड़ा अपराधीकरण में सहयोग दिया है तो एक सेल्युलर फोन ने, टेलीफोन, जिसके जरिये अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। आज इस प्रकार की सुविधा घर-घर में, कोई भी पैसे वाला, ये अपराधी लोग जिनके पास दो नम्बर का पैसा होता है जो लूट-खसोट करते हैं, डकैती डालते हैं, ये सब लोग, अपने घरों में इन्होंने इस प्रकार के टेलीफोन लगा रखें हैं और उनको छूट है टेलीफोन लगाने की, कोई भी आदमी टेलीफोन लगा सकता है तो उस मशीन के जरिये तीन किलोमीटर चार किलोमीटर तक ये लोग अपने फोन से बात कर लेते हैं और यह बता देते हैं कि पुलिस इतनी दूरी पर हैं, यहां पर आ रही है। पुलिस वहां पर नहीं है, नाकेबंदी नहीं हो रही है। इधर से रास्ता खुला है। इस सारी बातों का पता अपराधियों को लग जाता हैं। जो इस प्रकार की सरकार ने छूट लोगों को दे रखी है अपराधियों के लिये, और वे इस प्रकार के माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं आप सोचते हैं आम जनता को इससे कोई लाभ होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के फोन से आम जनता को लाभ कम हैं। इससे ज्यादा अशांति बढ़ी है। अपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है।

तीसरा और निवेदन है माननीय सभापति महोदय, कि पुलिस विभाग में दो प्रकार के एक तो पुलिस प्रशासन, अनुसंधान और कानून व्यवस्था, इन दोनों को आपने एक कर रखा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इन दोनों को अलग-अलग किया जाए। तो इससे हमारी कानून व्यवस्था और भी अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही मेरा विनम्र निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर जितने भी अपराध बढ़े हैं, उन अपराधों के पीछे हमारी सबसे ज्यादा कोई पुलिस काम करती है तो हमारी सी.आई.डी. (सी.बी.) पुलिस करती है, सी.आई.डी. पुलिस करती है। लेकिन आपने उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, आज वे इतनी कम हैं कि उनकी ड्यूटी को देखा जाए, आज एक टीचर को जितनी तनख्वाह मिलती है, तो ये कर्मचारी जो इस प्रकार से रात-दिन ड्यूटी देते हैं, कहीं परीक्षा होती है तो पुलिस काम में आती हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है तो पुलिस काम में आती है, कहीं भी कोई अशांति फैलती है तो पुलिस काम में आती है। आज चारों तरफ पुलिस ही पुलिस हो जाती है। मंत्री महोदय, पैधार रहे हैं तो पुलिस काम में आ रही है। सबसे ज्यादा समय नष्ट होता है तो मंत्री महोदय के पधारने से नष्ट हो रहा है। वे सब लोग आपकी खातिरी में लग जाते हैं, अपराधी उधर अपना काम करते हैं इसलिए आप भी इस प्रकार की व्यवस्था में तो सुधार करें मंत्री महोदय कि आप जब भी पधारें तो उसके लिये कोई अलग से पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। वह पुलिस जयपुर से ही आपके साथ आये या कहीं से भी आपके

(श्री रामस्वरूप)

साथ लगे, हमारे थानों की पुलिस आपके साथ लग जाती है, अपराधी उधर अपना काम करने में लग जाता है। उसको पता है इस बात का।

श्रीमती बीना काक : रामस्वरूपजी, आप मंत्री बन गये तो क्या होगा ?

श्री जगत सिंह दायमा : सुना है, ये मंत्री बन रहे हैं अब। (व्यवधान) और पुलिस ने पैर तोड़ा था इनका पिछली बार।

श्री हीरालाल विश्नोई : वे मंत्री बनने के लिये तैयार नहीं है।

श्री रामस्वरूप : मुझे पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं खुद ही...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस का कितना काम बढ़ चुका है, हर काम में पुलिस काम आ रही है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि कई बार तो स्थिति यह आ जाती है कि पुलिस को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। एक दिन मैं खुद आ रहा था, नेशनल हाइ-वे के उधर से, इधर से एक गाड़ी एक्सीडेंट करके दौड़ी। एक्सीडेंट की सूचना तुरन्त आगे के थाने पर दी गयी कि गाड़ी नम्बर इतने को पकड़ लिया जाए। पुलिस के सिपाही बगैर गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगे। वे आगे से उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया और उनके सामने गाड़ी को लगा दिया। अपराधी लोग जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, वे आकर के टक्कर मारते हैं उनकी गाड़ी के अन्दर और 2 सिपाही वहीं पर शहीद हो जाते हैं। लेकिन कोई इस बात को नहीं कहता है। पुलिस विभाग को अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। देश के अन्दर, जो सीमा पर काम कर रहा है, जब वह शहीद होता है तो सारे देश में उनके लिये बड़ी-बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन यह पुलिस का सिपाही, पुलिस का अफसर जो उस अपराधी का पीछा करता है उसको गोली मार दी जाती है, उसके टक्कर मार दी जाती है और वह वहीं पर शहीद हो जाता है लेकिन उसका कोई शहीद नाम नहीं रखता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि पुलिस को हेय दृष्टि से देखने के बजाय, पुलिस को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। जब तक हम उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे वे अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हो सकते हैं। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा सुझाव है मंत्रीजी, कि आप भी इनको भी इसी प्रकार शहीद माने जो समाज की रक्षा के लिये, जो हमारी रक्षा के लिये इस प्रकार से शहीद होते हैं। उनका शहीद स्मारक बनाया जाए। उनके परिवार को उसी प्रकार की सहायता दी जाए जिस प्रकार से उस सैनिक को दी जाती है जो कारगिल में मरा है। वही कार्य वह कर रहा है, वही काम यह कर रहा है। ये भी देश की रक्षा कर रहे हैं आकर के, हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये भी वही सिपाही हैं। इसलिए मेरा

(श्री रामस्वरूप)

विनम्र निवेदन है कि उनको भी उसी प्रकार की तनख्वाहें, उसी प्रकार की सुविधाएं और उसी प्रकार का मान-सम्मान उनको मिलना चाहिए। आज इनकी तनख्वाहें आप देख लो, क्या हैं ? इसलिये मेरे कुछ सुझाव हैं, मंत्रीजी आप उन पर गौर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कहीं भी ये जाते हैं तो यह स्थिति आ जाती है कि बस में इनको कोई बैठने नहीं देता है। कई बार ये पुलिस की वर्दी के रोब से बस में बैठ जाते हैं। मैं भी कई बार बस से यात्रा करता हूं। हमको आपने फ्री बस सेवा दे रखी है। लेकिन वह सिपाही जो पास में बैठा होता है उसका झगड़ा ही चलता रहता है जब तक वह उतर नहीं जाता है तब तक। वह क्या अपराधी को पकड़ेगा एक बस में नहीं बैठ सकता, इतनी ताकत नहीं है उसकी। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है इसको इस प्रकार से, इनकी तनख्वाह में से आप 50 रुपये काट लीजिये। लेकिन उनको फ्री पास आप बस का दीजिये। ताकि जहां भी अनुसंधान करने के लिये जाए अपराधियों का पता लगाने के लिये जहां भी जाए राजस्थान की रोडवेज में तो आप इनको फ्री पास की सुविधा इसके अन्दर कराएं। यह मेरा सुझाव है, सभापति महोदय।

दूसरा मेरा निवेदन है पदोन्नति के बारे में एक वेकेंसी पर 6 उम्मीदवारों का बैरियर करते हैं उसके बजाय एक वेंकेसी पर 10 उम्मीदवारों की परीक्षा लेने से अच्छे पुराने उम्मीदवार आपको मिल जाएंगे। आपने इसमें 6 का कर रखा है। 6 आदमियों की आप परीक्षा लेते हैं इसकी जगह आप 10 कर दीजिये, यह संख्या, तो क्या दिक्कत है। और भी अच्छे योग्य आदमी मिल जाएंगे इसके अन्दर। इसमें कोई आपका विशेष खर्चा भी नहीं होने वाला है और इससे आपके अच्छे आदमी चुनकर के सामने आ जाएंगे तो यह मेरा एक सुझाव है।

तीसरा मेरा एक निवेदन है पदस्थापन के चक्कर के बारे में। 1989 के पुलिस सबोर्डिनेट नियम के बन जाने पर ए.पी., सी.बी., आई.बी. कामन कर दिया। परन्तु इसकी मंशा पूर्ण नहीं हो पाई है। क्योंकि धन बल पर एक एस.एच.ओ. जो रहता है, जिससे पक्षपात, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। इसके स्थान पर प्रथम 3 वर्ष पदोन्नति के बाद सी.आई.डी. (आई.बी.), एवं सी.आई.डी. (सी.बी.), 3 वर्ष ए.सी.डी. तथा उसके उपरान्त थानों में पदस्थापन पर दिया जाए। तो इससे बहुत ही सुधार होगा और इससे ज्यादा ही फायदे हमको मिलेंगे। अब वह थानेदार है, वह अपनी तानाशाही काम में लेता है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था आप कर देते हैं तो उसकी तानाशाही भी इससे खतम हो जाएगी।

सभापति महोदय, चौथा मेरा सुझाव है, पुलिस में एक स्थानान्तरण नीति लागू कर देनी चाहिए। सी.आई.डी. (आई.बी.) विभाग

(श्री रामस्वरूप)

को जिला एस.पी. के अधीनस्थ करने से सूचनाओं के संग्रहण में तीव्रता आएगी तथा सी.आई.डी. की कार्य कुशलता बढ़ेगी। इसके साथ-साथ इनको और सुविधाएं, जैसे मैस भत्ता है, उन सुविधाओं में भी, मतलब इतना कम मैस भत्ता इनको दिया जा रहा है, आज इनका मैस भत्ता और भी बढ़ाया जाए। इस समय जो इनको दिया जा रहा है वह मात्र साढ़े तीन सौ रुपये है जबकि अलग उनको जो भत्ता दिया जाता है पुलिस वालों को, सिपाही को जो दिया जाता है, उसके बजाय जो सी.आई.डी. वाले हैं इनका तो बहुत ही

(14.00 बजे)

कम है। इनमें दोनों को मिलाकर दो हजार रुपये का फर्क है। अगर इनका भी उतना ही कर दिया जाए तो माननीय मंत्रीजी, दोनों में समानता हो जाएगी और इनको भी फायदा मिल जाएगा। 2750 रुपये है जेल प्रहरी को, और सिपाही का है 3050 रुपये। तो इसी प्रकार से जेल प्रहरी का भी अगर 3050 रुपये कर दिया जाता है तो यह दोनों में एक समानता हो जाती है। इसी प्रकार उनको जो मैस भत्ता दिया जाता है उसमें भी बहुत कम दिया जा रहा है। आज खाने में, सब में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है अब जिस प्रकार का जो भत्ता इनको दिया जाता है, दूसरा, वर्दी जो इनको दी जाती है उस वर्दी के बजाए कुछ नकद पैसे देने आप शुरू कर दें तो आपके विभाग को भी इससे फायदा होगा। वर्दी में आपके जितना खर्चा आता है, आप देख लो उसके सारे आंकड़े निकाल करके देख लो कितने रुपये में आपकी अब वर्दी बनी है, कितना खर्चा आपके वर्दी के ऊपर आता है। इसके बजाए आप पैसा इस पर निश्चित कर दीजिए तो उससे कम, आपको फायदा होगा उसमें, और उससे इनको लाभ मिलेगा और वह अच्छी से अच्छी वर्दी बनाकर आपकी सेवा को हाजिर रहेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, यह बात आपने भी कई बार इस सदन के अन्दर स्वीकार की है, लेकिन अच्छे और बुरे तो सभी विभागों में होते हैं आज पुलिस में ईमानदार लोग भी है, पुलिस में भ्रष्ट लोग भी है। आज नेताओं में भी ईमानदार है और नेताओं में भी बहुत से भ्रष्ट नेता हैं। तो हर विभाग में आपको भ्रष्ट और अच्छे लोग मिल जाएंगे। इसलिए आप यह कहकर चलो कि पुलिस ही भ्रष्ट है यह भी कहना बहुत गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब जो लोग अच्छा काम करें उनको तो आपको ईनाम देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से कार्य के अनुसार पदोन्नति आपको विभाग के अन्दर देनी चाहिए और कार्य के अनुसार ही उनका ट्रांसफर और पदोन्नति हो, इन सबको आप जोड़ दीजिए।

आज अगर सबसे ज्यादा अपराधीकरण का कोई कारण है तो वह है शराबबाजी। इस शराब के कारण यह सारे अपराधी

(श्री रामस्वरूप)

बढ़ते हैं। शराब के कारण थानों में बलात्कार होता है। बलात्कार वह सिपाही नहीं करता है, वह अधिकारी नहीं करता है, बलात्कार करती है आपकी यह शराब। शराब पीकर तांडव नृत्य करते हैं इसलिए आप अनिवार्य कर दीजिए कि कोई भी कर्मचारी/अधिकारी थाने के अन्दर शराब नहीं पीएगा। कहीं भी इसकी पालना नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप माननीय मंत्रीजी, मेरे साथ चलो और अकस्मात रात्रि में आप थानों का निरीक्षण करो अगर रात्रि में वहां पचास परसेंट लोग थाने में पीए हुए नहीं मिल जाए तो। इस विभाग को बदनाम किया है तो इस शराब ने किया है। वह विभाग अपनी जगह पर बिलकुल सही है लेकिन शराब के कारण अपराध हो रहे हैं। आज वह शराब पीकर थाने में बैठा रहता है, उसको पता नहीं रहता कि मेरी बहन यहां आयी हुई है। आज बहन को बंद किया गया है और बहन को यहां किसलिए बुलाया गया है और वह इस बात को भूल जाता है। वह शराब के नशे में धुत रहता है। आज यह क्यों लूट करते हैं। ट्रकों को जगह-जगह रोक लेते हैं, पैसे लेते हैं क्योंकि आज उनकी तनख्वाह कम है। आज एक मास्टर की तनख्वाह आज देख लो और आज इनकी तनख्वाह मिलाकर आप देख लो, आधी भी तनख्वाह आप उनको नहीं दे रहे हो। इनके काम देख लो और उस मास्टर का आप देख लो, तो कम से कम ऐसे तो नहीं होना चाहिएं। मरता क्या नहीं करता, जो भूखा मरेगा तो कुछ न कुछ तो अपराध करेगा ही। उनको जो तनख्वाएं कम मिलती हैं, उसके कारण इनके दिमाग के ऊपर तनाव रहता है और इसीलिए वे लोग तनाव में आकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस तनाव को भी हमको कम करना है। इनकी जो वास्तविक आवश्यकता है, वास्तविक जो मांग है, इस पर भी विचार करना है। टाइम बहुत है। इसलिए मेरी विनम्र निवेदन है, मैं वह वेदना देता हूं जो वे आपके सामने बोल भी नहीं सकते। इनको आज मारते हो और वे रो नहीं सकते, ऐसा डिपार्टमैंट है यह। और तो आन्दोलन कर देंगे। टीचर्स ने आन्दोलन कर दिया, और आन्दोलन कर दिया, सब विभागों ने आन्दोलन कर दिया। लेकिन पुलिस वाले कोई आन्दोलन नहीं कर सकते। यह वह मूक आदमी है जिसके साथ अन्याय होता रहता है, जिसको दबाया जाता रहता है लेकिन वह रो भी नहीं सकता, अपने दुःख को इसलिए मैं तो उनकी पीड़ा को कह रहा हूं मेरी सरकार है इसलिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी संवेदनशील सरकार आयी है। ईमानदार सरकार आयी है। इस सरकार ने अभी ईमानदारी का परिचय दिया है। विपक्ष में बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं, इनकी जब सरकार थी तो भ्रष्ट अधिकारी को यह सस्पैण्ड नहीं कर सकें लेकिन मैं धन्यवाद

(श्री रामस्वरूप)

देना चाहता हूं हमारी सरकार को, हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी को, हमारे माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरन्त सदन में बर्खास्त कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक उदाहरण पेश किया है आपने इस बात के लिए। यह बहुत बड़ी कीर्ति आपने स्थापित की है। माननीय सदस्य यह कह रहे थे इस बात को कि सरकार को तो ऐसी होनी चाहिए। जो कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। एक के बाद एक कदम इस प्रकार उठाती चली जा रही है तो हमारा अच्छा प्रशासन हमको मिल रहा है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे जो सुझाव मैंने माननीय मंत्रीजी को दिये हैं, निश्चित रूप से वे उनके ऊपर गौर फरमाएंगे ताकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, वह और भी ईमानदारी से अपना काम कर सकें और इनकी संख्याएं जो कम हैं, थानों के अंदर संख्या को बढ़ाएंगे और आप साधनों को बढाएंगे, उनकी जगह पर। तीसरा मेरा विनम्र निवेदन है कुछ मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं क्योंकि जिस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर यहां पर भेजा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं वहां की कुछ समस्यांए हैं, हमारे थानों की, मैं माननीय मंत्रीजी को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1948 का हमारा थाना बना हुआ है। उसी समय की बिल्डिंग वहां पर चल रही है और वह बिल्डिंग कई बार तो गिर गयी। पिछली बार भी जब मैं विपक्ष में था तो इस सदन में यह बात रखी थी। तो मेरे थाने की बिल्डिंग अगर जल्दी से जल्दी बन जाए, आपकी सरकार, आप जब से मंत्री बने हो, हमारी सरकार जब से आयी है, मुझे यह विश्वास है कि आपने चालीस लाख मेरा स्वीकृत किया है, थाने के लिए, वह कार्य स्वीकृत हो गया लेकिन आपने कहा कि वित्तीय अभाव के कारण अभी चालू नहीं हुआ है। मेरा विनम्र निवेदन है कि अब तो वित्त अभाव नहीं है आपके पास। अब तो मुझे विश्वास है, अब तो वित्त आने लग गया है और जब रक्षा के लिए आप वित्त नहीं देंगे तो फिर इस वित्त की रक्षा कौन करेगा ? जब थाने आपके नहीं होंगे, बिल्डिंग ही आपकी नहीं होगी तो फिर इस वित्त की, आपकी और हमारी रक्षा कौन करेगा ? इसलिए आप सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए मेरे थाने की बिल्डिंग जो स्वीकृतशुदा है, चालीस लाख रुपये आपने जो स्वीकृत कर दिये हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं मेरे थाने की बिल्डिंग का कार्य आप जल्दी शुरू कर दीजिए।

दूसरा, मेरा निवेदन है। मेरे थाने के अंदर सी.आई. की पोस्ट आपने लगा दी। सी.आई. वहां पर काम कर रहा था।

(श्री रामस्वरूप)

सी.आई. को हटा भी दिया गया। मैंने बाद में जाकर पूंछा कि मेरे सी.आई. क्यों नहीं लग रहा है, कह रहे हैं कि वह तो पोस्ट टेम्परेरी लगायी थी। हमारी सरकार कांग्रेस की आ गयी और अब भी टेम्परेरी पोस्ट। अब कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़े ही बैठी है। जिसके सामने हम रोते रहे हैं और धरने देते रहे हैं। अब आयी है हमारी सरकार, कांग्रेस की संवेदनशील सरकार अगर आज हमारी बात को ही हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सुनेगा कौन ? बड़ी मुश्किल से हमनें आठ-नौ साल निकाले हैं। इनसे हमने कैसे बाजी पायी है, नौ साल तक, टांगे इन्होंने हमारी तोड़ी, सब कुछ इन +++ हमारे साथ किया था लेकिन आज हमारी सरकार आने के बावजूद भी मेरी सी.आई. की पोस्ट तोड़ दी जाए, टोडाभीम में और आप मेरे खास गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, यहां पर। खास बिलकुल, लेकिन मेरी पोस्ट तोड़ दी जाए। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिसने भी मेरी सी.आई. की पोस्ट तोड़ी है, चाहे वह टूट जाए लेकिन मेरी पोस्ट नहीं टूटनी चाहिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : टांग टूट जाए लेकिन हमारी पोस्ट नहीं टूटनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप : दूसरा, मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, टोडाभीम के अंदर हमारी एक पुलिस चौकी का मामला आया था मेंहदीपुर बालाजी में पुलिस चौकी के लिए जमीन दे दी गयी, अतिक्रमण हटा दिया, पुलिस के नाम जमीन कर दी गयी।

श्री सभापति : कृपया, समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : हमारी एक पुलिस चौकी का मामला आया था। एक लाख रुपया मैंने मेरे विधायक कोटे से आपको दिया है, आपके विभाग को। एक लाख रुपये से वहां की चारदीवारी चारों तरफ की कर दी जाए लेकिन दुःख की बात है कि आठ महीने हो गये, आपकी चारदीवारी विभाग की आज तक नहीं हुई है। इतने महीने से मेरा विधायक कोटे का पैसा वहां पड़ा हुआ है लेकिन आपने उस पैसे को अभी तक काम में नहीं लिया है। मेरा, सभापति महोदय, विनम्र निवेदन है, कोई विधायक अपना पैसा नहीं देता है, एक मैं ही पहला ऐसा विधायक हूं इस सदन के अंदर जो मैंने पुलिस विभाग को अपना पैसा दिया, एक लाख रुपया। उसके बावजूद भी पुलिस वाले इसको काम में नहीं लेते हैं तो कम से कम आप इस बात के लिए भी उन पर दबाव डाले कि उस पैसे को तुरन्त काम में लिया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा, मेरा सुझाव है, हमारे थाने का, आज वहां अपराध इतने बढ़ चुके हैं, वह एक ही थाना अभी तक वहां पर है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

माननीय मंत्रीजी हमारे यहां नांगलशेरपुर में एक थाना और खोल दिया जाए। उसका सर्वे भी हो चुका है। अपराधों की संख्या को देखते हुए दूसरा थाना मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत जरूरी है उसके आधार पर आपने नांगलशेरपुर को चुना लेकिन वहीं वित्तीय मामला फिर उसके बीच में आ गया। इसलिए सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्रीजी तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे बीच में माननीय सदस्या पहुंच गयीं, उन्होंने व्यवधान पैदा कर दिया, वहां जाकर माननीय मंत्रीजी का ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया इन्होंने।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : इसलिए आपके माध्यम से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, हमारे यहां थाने के अंदर जो दूसरा थाना खोलने के लिए स्वीकृति पड़ी हुई है, वह भी वित्तीय अभाव में अभी तक नहीं हुआ है। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे थाने को, जो दूसरा थाना नांगल-शेरपुर में खुलना है, वहां आप निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी खुलवाएंगे।

इसके साथ ही एक विभाग का और है, पुलिस के साथ-साथ यह कारागार विभाग है। जेल विभाग, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे हिण्डौन की जेल लगती है, टोडाभीम में। हिण्डौन की जेल की यह हालत है कि वहां पर आज अपराधियों को बंद करने के लिए जगह नहीं है। आपकी अभी तक कोई बिल्डिंग वहां पर नहीं बनी है। मेरा विनम्र निवेदन है, इस जेल के अंदर जब आप अपराधियों को बंद करते हो, सजायाफ्ताओं को भी उसी के अंदर बंद कर देते हो और जिन लोगों को वैसे चालान के साथ भेजा जाता है, वे जो अपराधी होते हैं, उनको भी एक साथ ही एक जगह कर देते हो तो गम्भीर मामले में जो सजायाफ्ता अपराधी होते हैं, वे सब एक जगह रहते हैं तो उनकी आपराधिक प्रवृति और बढ़ती है। उन दोनों को एक जगह मत रखा करो आप। वे जेल में जाकर अपराधी बनते हैं। परीक्षा में टीपता हुआ लड़का पकड़ लिया आपने और उसको जेल भेज दिया, भीतर चला जा। और वह भीतर कहां गया ? वह तो उससे बात करके हमेशा के लिए एक अपराधी बन गया। वह स्टूडेंट नहीं रहा। उसका भविष्य ही बदल गया, उसका जीवन ही बदल गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, उनको आप वहां पर अलग-अलग रहने की व्यवस्था कीजिए। अपराधी की अलग व्यवस्था हो। कई बार तो उनको अन्दर पीटा जाता है, इनको मारते हैं जेल के अंदर बुरी तरह से, जेल के अन्दर पीटा जाता है इनको।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : दो मिनट और लूंगा। दो मिनट और। मेरा नम्र निवेदन है कि

(श्री रामस्वरूप)

दोनों को अलग-अलग किया जाए। दोनों अपराधियों को अलग-अलग रखा जाए, एक जगह नहीं रखा जाए। दूसरा, मेरा निवेदन है कि कारागृहों को सुधार गृह माना गया। गांधीजी भी यही कहते थे कारागृह में जाने के बाद उसका जीवन, चरित्र बदल जाना चाहिए। लेकिन कारागृह में वास्तविकता में नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि माननीय जेल मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, कारागृह में अच्छे लोगों के प्रवचन करावें, अच्छी बातें उनको बतावें, उनको प्रशिक्षण दें और उद्योग-धन्धे वगैरह के बारे में आप उनको जानकारी दें। इससे जानकारी बहुत होती है। मैं तो यह कहता हूं जेलों के अन्दर शराब, मादक पदार्थ, इस प्रकार के पदार्थ जेल में पहुंच जाते हैं। माननीय मंत्रीजी, ध्यान से सुनों, आपकी जेलों के अन्दर शराब पहुंच रहीं है। जेल मंत्रीजी यहां बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, जेल मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आपकी जेलों के अन्दर शराब पहुंच रही है, मादक पदार्थ लगातार पहुंच रहे हैं और आये दिन वह पकड़े जाते हैं और उसी का परिणाम है कि आपकी जेल से लोग फरार हो रहे हैं। अपराधी आपकी जेलों से भाग रहे हैं। आपने इस पर कभी गंभीरता से विचार किया। सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के जो लोग पहुंचाते हैं, वह काला धन इन लोगों को देते हैं जो ड्यूटी पर लगे हुए होते हैं और वह पैसा लेकर दो नम्बर में उनको माल पहुंचाते हैं वहां। खाना तक वहां पहुंचाते है। शराब वहां पहुंचती है। सारी चीजें उनको जेलों के अंदर पहुंचाते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री के.सी. विश्नोई। आप विराजिए।

श्री रामस्वरूप : मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके जेलों में सुधार करिये। माननीय, मैं आखिर में यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी, मैंने जो आपसे निवेदन किया है आप निश्चित तौर पर हमारी जो संवेदनशील सरकार है, जिसने राजस्थान में इस प्रकार नाम रोशन किया है। हमारे अशोकजी महान जब से मुख्य मंत्री बने हैं। आप हमारे गृह मंत्री बने हैं तो आप निश्चित रूप से आज ऐसी-ऐसी घोषणा करेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों की, और हमारे थानों की व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे। आपने जो मुझे अमूल्य समय दिया, माननीय सभापति महोदय, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय के.सी. विश्नोई।

श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री के.सी. विश्नोई)

डिमाण्ड–16 पुलिस के ऊपर चर्चा के अंदर हिस्सा लेते हुए मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि पुलिस के अंदर जिनके रिटायरमेंट का टाइम बहुत कम रहता है, उनको महत्वपूर्ण पदों पर लगाया जाता है जिससे कि वह अपना आखिरी बचा हुआ समय वहां से अच्छा धन कलेक्शन कर सके और वहां से लूटपाट कर सके। इसलिए जो रिटायर होने वाला व्यक्ति हो जिसके डेढ़–दो साल बचे हुए हों, उसको महत्वपूर्ण पद पर नहीं लगाना चाहिए। वहां वह न तो भ्रष्टाचार को कम कर सकेगा और न ही वहां की कानून व्यवस्था बनाए रह सकता है। इसलिए मैं आपको इसके कई उदाहरण दूंगा। जिले की रेंज हैं, आज रेंज के अन्दर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीवाई.एस.पी., एडिशनल एस.पी. के उसी रेंज के अन्दर प्रमोशन हुए और बीकानेर में ऐसे आठ डीवाई.एस.पी. हैं, 11 इंस्पेक्टर हैं और एक एडिशनल एस.पी. है। अगर उनका इतना ही बढ़िया कार्य है तो राजस्थान के अन्दर बहुत लूटमार हो रही है। उनको उन रेंजों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। जबकि बैंकों का नियम है एक आदमी का प्रमोशन होता है तो उसको दूसरी स्टेट में भेजा जाता है। मिलीटरी का नियम है दो साल से ज्यादा उस मिलीटरी की यूनिट उस जगह नहीं रह सकती। यह ज्यादा वहां रहने के कारण आज यह जो भ्रष्टाचार पुलिस के अंदर फैला हुआ है यह एक जगह ज्यादा रहने से उनके जितने जिले के अन्दर या रेंज में जो बिचौलिये हैं, उनके वह घर पर जाते हैं और बिचौलियों के थ्रू सारी जनता को लूटते हैं। क्या अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, यहां सी.आई.डी. में आ जाएंगे या दूसरी रेंज में उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी ? गृह मंत्रीजी, आपके पहले जो गृह मंत्री थे, हम जाते थे उनको कहते थे बीकानेर रेंज का हाल बहुत बुरा है। मैं पार्लियामेंट का चुनाव होते ही ठीक कर दूंगा। मैंने कहा साहब, पार्लियामेंट चुनाव इन इंस्पेक्टरों और डीवाई.एस.पी., एस.पी. से नहीं जीता जा सकता, चुनाव जीता जाएगा तो जनता से जीता जाएगा। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट चुनाव के बाद ठीक कर दूंगा। हम तो मिलकर आते और सुबह पढ़ते कि यह इंस्पेक्टर, जो कल निकाले थे, वे बीकानेर रेंज पहुंच गये और वह पार्लियामेंट के चुनाव भी हो गये। उसके बाद में भी वह वहीं बैठे हुए है माठाधीश हुए। क्या बताऊं ?

चाहे किसी का राज आया हो, चाहे कांग्रेस का राज आया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज आया हो लेकिन वह अधिकारी वहीं के वहीं जमे हुए हैं। उनके अंदर बड़े गुण हैं और उस गुण के अंदर भी भागीदार हम भी हैं। आप अकेले हो मैं नहीं कह सकता, सरकार को नहीं कह सकता। हमारी डिजायर भी है, हम भी भागीदार हैं ऐसे अधिकारियों को रखने के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं जिस रेंज के अंदर या

(श्री के.सी. विश्नोई)

जिले में तीन साल से ऊपर की अवधि जिसकी हो जाए, उनको तुरन्त आपको रेंज से निकाल देना चाहिए और दूसरी रेंज में भेज देना चाहिए।

इसी तरह से आज हमारे हनुमानगढ़ के अंदर मैंने आपको कहा था हमारे एक पर्ची सट्टा होता है जिसके अंदर सिर्फ गरीब लोग पर्ची सट्टा लगाते हैं, उसमें धनाढ्य कोई नहीं लगाता। हमारे पूर्व में जो एस.पी. थे, जो आजकल नागौर हैं, जब उन्होंने जोइंन किया तो हमारे हनुमानगढ़ का सट्टे का किंग था, वह जिला छोड़कर चला गया दस महीने तक। अब हमारे जो एस.पी. महोदय लगे, वह सुबह जोइंन करते हैं और सट्टा किंग ने रात को 12 बजे जोइंन कर लिया जिले को। उसके बाद में मैंने ज़िला अध्यक्ष होने के नाते कई बार लिखकर दिया मुख्य मंत्रीजी को।

एक नया उदाहरण बताऊं गांव थालड़का का, जिसका फैक्स भी आपके पास आया होगा। इसमें लिखा है थालड़का, बुधवालिया और चाइया, इन तीनों गांवों की, यह दैनिक भास्कर की खबर है, 15 तारीख की, इसके अंदर 20 और 25 हजार रुपये का डैली का सट्टा कलेक्शन होता है और उसके अंदर यह लिखा है गांव वालों ने कि यहां झगड़ा होने की आशंका है, एक बार झगड़ा हो गया है। अब इन्होंने लिखा है कि इसमें किसी का मर्डर भी हो सकता है। लेकिन हमारे एस.पी. साहब क्या कहते हैं, वह यह कहते हैं हमारे एक सी.आई. ने तो एक अनोखी बात कही कि सट्टे वाला आप 100 लगाते हो, वह 105 दे रहा है,क्या गलती कर रहा है। यह सी.आई. कहता है थाने में, अचम्भे की बात तो यह है। जनप्रतिनिधियों को सी.आई. अगर थाने में ऐसा कहता है तो बाकी बच ही क्या गया ? अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट को ही सट्टा लगा लेना चाहिए और अभी अपना +++ है, यह उस सट्टे से दूर हो जाएगा गवर्नमेंट का। उसके बाद मैं गृह मंत्रीजी आपको बताऊं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी, थाने ठेके पर दे दीजिए जिससे राजस्थान के पास बड़ा कलेक्शन हो जाएगा। आज एक एस.पी. थाने से दस हजार, दो हजार, तीन हज़ार रुपये बंधी ले और उसके बाद में अगर वह थाने से बंदी लेते तो गवर्नमेंट को ही ले लेने चाहिए इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू ठीक हो जाएगा। ऐसी चीज अगर कोई करता है और एक चीज और बताऊं। हमारे एस.पी. महानुभाव की सूरावाला से डालिया काटी गयीं, जिनको शीशम कहते हैं, 28 पेड़ काटे गये। गांव नाई वाला है उसके अन्दर वह एस.एच.ओ. टीब्बी उसने 28 पेड़ कटवाये और उनको कटवाकर 7 पेड़ तो उन्होंने जब्त दिखा दिये, 21 पेड़ आज की डेट में भी एस.पी. साहब के घर पर मौजूद पड़े हैं। अतः गृह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री के.सी. विश्नोई)

मंत्रीजी, उस एस.पी. का मकान है, वहां भेजा जाए, दो कैंटरों से वह पेड़ नहीं आएं हों तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूं और उसका घर यहां जयपुर में है।

एक चीज और बताऊं। गृह मंत्रीजी, 4 तारीख को बीकानेर रेंज की मीटिंग थी। एस.पी. बीकानेर जाता है। सट्टा किंग टाटा सूमों में अंदर 4 तारीख को बीकानेर पहुंचता है और उनकी मुलाकात सट्टा किंग से सर्किट हाउस में होती है। सर्किट हाउस के अंदर उस एस.पी. का लड़का आया हुआ था जिससे उनका लेन-देन सट्टा किंग से हुआ और वह लेन-देन के पैसे लेकर सीधा जयपुर आ गया।

आपको और बताऊं सबसे बड़ा उदाहरण पत्रकारों ने फोटो खींच रखी है एस.पी. की उस गाड़ी की। सट्टा किंग की लड़की की शादी थी एक महीने पहले। एस.पी. अपनी लालबत्ती की गाड़ी चमचमाता हुआ सट्टा किंग के घर गया। जब मैंने और पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके आफिस में जाकर कहा सट्टा वाले के घर आप गये हो। तो एस.पी. साहब ने कहा तो क्या हो गया, मैं बच्ची की शादी में चला गया तो। हमने कहा सट्टा किंग का हौसला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ? पुलिस के जो छोटे अधिकारी हैं या एस.एच.ओ. हैं वह डिमोरलाइज होंगे या नहीं होगे एस.पी. की यह हरकत देखकर। इसलिए, आपको और बताऊं मैं वहां के एस.पी. ने हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर दो महीने के अंदर पांच मर्डर हुए हैं और आज तक एक मुल्जिम को नहीं पकड़ा। मैं ताजा बताता हूं। 18 तारीख को हमीरा बावरी और उसकी लड़की आशा जिनके साथ रेप करके 18 तारीख को मर्डर कर दिया और हमारे एस.पी. साहब इतने एक्टिव थे, जिनको 19 तारीख को रात को कल पता लगा। 45-46 घण्टे बाद में एस.पी. को पता लगता है कि शहर में दो मर्डर हो गये और जबकि उनका मकान वहीं पर ही है उनको जब पता लगता है कि दो मर्डर हो गये तो रात को पुलिस को पता लगा और उसके बाद में दूसरे दिन शाम को क्या हुआ, उसके बाद में एक मर्डर हुआ है, यह डबली में एक मर्डर हुआ है, सुरसिया में एक मर्डर हुआ है हनुमानगढ़ जंक्शन की जेल के पास। इस तरह पांच मर्डर हुए पिछले दो महीनों में लेकिन आज तक एक मुल्जिम नहीं पकड़ा गया।

सभापति महोदय, गोलुवाला मण्डी के अंदर एक ट्रक तामिलनाडु से आ रहा था लुधियाना जा रहा था, उसको लूटा। लूट कर ट्रक को ले गये। आज तक पता नहीं लगा कि मुल्जिम कौन थे और कौन नहीं थे।

(समय-सामाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी ही चालू किया है और अभी घंटी बजा रहे हो। आप कहो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि आप कन्क्लूड करने की तरफ बढ़ें।

श्री के.सी. विश्नोई : मैं अब वहां बढ़ रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : हां, बढ़िये।

श्री के.सी. विश्नोई : पुलिस की हरकतों से लगता है कि हमारा जो लॉ एण्ड आर्डर बहुत बढ़िया हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूं। सभापति महोदय, कभी तो मौका मिलता है पुलिस के खिलाफ बोलने का।

श्री सभापति : यह पुराण काफी हो गया अब कोई दूसरा ले लीजिये।

श्री के.सी. विश्नोई : सभापति महोदय, अभी नहीं हुआ है।

इस तरह से वो कहते हैं कि पुलिस के यहां जितने गुंडा एक्ट के केस बने हैं उसमें सिर्फ सटोरियों को पकड़ा गया है। हमारे सट्टा किंग बड़ा होशियार है। वह हर थाने में एक महीने तीन-चार केस करवा देता है क्योंकि इसका ज्यादा जुर्माना नहीं हैं, सिर्फ 50 रुपये का जुर्माना है। 100, 200 की रकम देकर फिर मुकदमा बनावा देता है। हमारे एस.पी. साहब अखबार में न्यूज दिलाते हैं, देखो, मैंने कितने सटोरियों को पकड़ा, भाई, पहले सट्टा हो रहा है जब ही तो पकड़ा है न। वही हम कह रहे हैं, सट्टा करवा रहे हो आप, मंथली ले रहे हो आप और हम क्या कह रहे है।

गृह मंत्रीजी, यहां मेरे को याद है कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जो ईमानदार अफसर हैं वह ज्यादा चापलूसी नहीं करते इसलिए उनकी सी.आर. खराब हो जाती है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ज्यादा चापलूसी करते है इसलिए उनकी सी.आर अच्छी हो जाती है। वहां बेचारे दो सी.आई. हैं, उन्होंने कह रखा है हम सट्टे का पैसा नहीं लेंगे, उनके पीछे एस.पी. साहब लैटर दे देते हैं और उन दो थानों से उनको बंधी भी नहीं आ रही है इनमें एक है संगरिया और एक टाउन। लेकिन उनके खिलाफ रिपोर्ट देते हैं। गृह मंत्रीजी, एक चीज में बताऊं कि कोई एस.पी. हो या डी.आई.जी. हो, वह किसी अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट भेजते हैं, पहले उनका चरित्र देखो कैसा है। यह महानुभावजी गंगानगर में एडिशनल एस.पी. थे। ए.के. जैन एस.पी. थे। रातों-रात इनको अरेस्ट कर रहे थे, जो आज एस. पी. हैं। रातों-रात भागे, इनका ट्रांसफर हुआ था, बीकानेर जाकर रुके। इसलिए यह आज पूरे जिले की जो कानून व्यवस्था है, जो आपके लॉ एण्ड आर्डर है, जो आपके भ्रष्टाचार खतम नहीं हुआ है उनकी कहानियां बताई हैं। तो इन पर आप कुछ कर सकते हैं, मैं तो यह विचार ही रख सकता हूं।

सभापति महोदय, एक दैनिक तेज अखबार है। कल शाम को टैम्पो वाले इकट्ठे होकर उसको पीटने लगे। एक घंटे तक पुलिस नहीं भेजी और उसका सारा सामान तोड़ दिया, सारा नष्ट कर दिया तब कहीं जाकर पुलिस गयी।

(श्री के.सी. विश्नोई)

सभापति महोदय, हिसार के कैदी भागे थे। मैं मानता हूं कैदियों को पकड़ता कोई है और इनाम लेने के हकदार कोई और बन जाते हैं। पकड़ते तो हैं थाने वाले फिर डीवाई.एस.पी., एस.पी. कहते हैं हमने पकड़ लिया। तुम तो रात को सो रहे थे, तुमने कहां से पकड़ लिया गश्त तो हैड कांस्टेबल वगैरह लगा रहे थे। मैं एक बात और बताऊं कि रात को 12 बजे मैं थाने के अंदर पहुंच था जब उन मुल्जिमों को पकड़ रखा था जंक्शन के अंदर तब डीवाई.एस.पी. और इंस्पेक्टर, टाउन, दोनों उनकी पूछताछ कर रहे थे। बाईचांस 12 बजे मैं निकल रहा था उनको देखकर, मैं भी चला गया। मैंने कहा कि देख लेते हैं क्या हो रहा है जब मैंने कहा कि यहां का सी.आई. कहां हैं, बताया कि यहां का सी.आई. नींद ले रहा है। दोनों सी.आई., जो दूसरे थाने का सी.आई., डीवाई.एस.पी. तो पूछताछ कर रहे थे और वहां थाने का सी.आई. सो रहा था। बाद में, गृह मंत्रीजी, किया क्या, उन्होंने उनके रिवाल्वर अपनी तरफ से रख कर दिखा दिये। यह रिवाल्वर रख दिये, इनके पास रिवाल्वर थे। क्यों ? क्योंकि केस के पेटे हम भी प्रमोशन ले लेते हैं। यहां लैटर आये हैं प्रमोशन लेने के लिए। रिवाल्वर किस-किस जगह से लाये, यहां वह भी मैं आपको लैटर दे दूंगा। वह रिवाल्वर दिखा दिये गये और ला कर दिखा दिये गये। इसलिए अगर ऐसे झूठे केस बना कर, कागजी कार्यवाही कर के आज तक जितने यह प्रमोशन हुए हैं और जितने मैडल मिले हैं यह मैं दावे से कह सकता हूं कि एस.पी. लेवल और आर.पी.एस. लेवल को मिले हैं, सब-इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के नीचे लोग जो मेहनत करते हैं, रातभर गश्त करते हैं उनको पांच या दस प्रतिशत के बीच में मैडल मिले हैं और यह ज्यादा फर्जी बन कर, एडिशनल एस.पी., आर.पी.एस. और आई.पी.एस. को 90 प्रतिशत मैडल मिलते हैं। इसलिए पुलिस के अंदर इसको रोकने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि रात को गश्त के टाइम किसने पकड़ा।

सभापति महोदय, एक चीज और बताऊं। आज से बहुत पुरानी बात है, 1984 के अंदर हनुमानगढ़ में बैंक डकैत के नाम से कुछ अपने तत्वों को भेज दिया और बैंक डकैती कर रहे थे, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। रातों-रात प्रमोशन कर दिया गया। डकैती हुई है, किसने की है, कहां से डकैत आये हैं, जांच कर के प्रमोशन करना चाहिए। किसी का बगैर जांच किये प्रमोशन, बहुत बढ़िया है। उसके बाद में, प्रमोशन होने के बाद में कोई भी सी. आई. आज तक उस थाने के अंदर नहीं रहा। वह प्रमोशन होने के बाद आता है, एक साल की ट्रेनिंग करता है, उसका उसी दिन प्रमोशन, उसी दिन हनुमानगढ़ टाउन का एस.एच.ओ. एक साल तक रखा गया। यह कानून हैं ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्री के.सी. विश्नोई : अब घंटियां ज्यादा बज रही हैं इसलिए मैं मेरे बिन्दुओं पर आऊंगा और मैं आपको एक-दो प्रमोशन जो गलत हुए हैं, उनका लिखित में दूंगा। 20 साल से पहले प्रमोशन नहीं होना चाहिए था, उसका प्रमोशन हो गया 1993 में और वह और प्रमोशन चाह रहा है गलत कार्य की रिपोर्ट तैयार करके मैं आज आपको कह रहा हूं कि किसी भी अधिकारी से जांच हो। आज मैंने यह जो आपके सामाने तथ्य रखे हैं, मैं कहता हूं यहां से ईमानदार आई.पी.एस. अधिकारी भेज दो और उस एस.पी. के यह करनामे हैं, यह गलत हो तो मैं इस सदन से रिजाइन कर दूंगा। यह मैं कह सकता हूं।

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री के.सी. विश्नोई : सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट रह गया है। ऐसे जल्दबाजी मत करो।

श्री सभापति : अच्छा बोलो, बोलो। नहीं, जल्दबाजी नहीं, 20 मिनट हो गये।

श्री के.सी. विश्नोई : होम पर नहीं है। सभापति महोदय, एक अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने मेरे को लिस्ट दी है कि लाल बत्ती और नीली बत्ती किस के होती है। गृह मंत्रीजी, और ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी दोनों बैठे हुए हैं और दोनों का दायित्व है। यह लाल बत्ती और नीली बत्ती भ्रष्टाचार के अड्डे बने गये हैं। जिनके लगनी चाहिए उनसे कहीं ज्यादा लोगों के लगी हुई है। जो अधिकारी उस लाल बत्ती लगाने के हकदार नहीं हैं, आज उस तिब्बती लड़की का जो अपहरण हुआ वह नीली बत्ती के कारण हुआ था, जिन गाड़ियों पर लाल और नीली बत्ती नहीं लग सकती उन पर यह बत्तियां लगने के कारण भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। इस पर आपको यह अभियान चलाना पड़ेगा और अभियान चला कर आपको कहना चाहिए, चाहे कोई एस.एल.ए. हो, चाहे कितनी ही बड़ा आदमी हो लेकिन अगर उसको लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है तो उसकी गाड़ी को वहीं सीज करनी चाहिए। गृह विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग भी बैठा है, मेरे को बता दे कि पिछले साल में कितनी लालबत्तियों की गाड़ियों को पकड़ा, जो अवैध लगा रखे थे, आज पकड़नी है तो आज सदन के अंदर खड़ी हैं बहुत-सी गाड़ियां। क्या है कि चुम्बक वाली बत्ती आती है, ऊपर लगा लेते हैं चुम्बक से और उतार लेते हैं। इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम होगा।

सभापति महोदय, मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस ने वार्षिक प्रतिवेदन, 1999 जारी किया है, उसके मुख पृष्ठ पर महात्मा गांधी का चित्र है और एक संदेश लिखा हुआ है। उसको पढ़ करके

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आत्मा खुश हो जाती है कि शायद हमारी पुलिस जो कुछ यह हम को सिखाने के लिए प्रतिवेदन भेजती है वो भी शायद इस पर अमल करेगी। लेकिन, सभापति महोदय, जब व्यावहारिक जीवन में जाते हैं और इनके कर्म देखते हैं तो फिर आत्मा रूदन करती है। जिन लोगों के हाथों में हमारा जीवन है और जिस संविधान को हम शपथ लेकर, नोमिनेशन से लेकर इस सदन तक आने तक बारबार उसकी शपथ लेते हैं, उस संविधान के अंदर भी गारंटी दी हुई है। A State would protect the person and property of each citizen of this country. और वो प्रोटेक्शन की गारंटी पुलिस विभाग को दी गयी है लेकिन वो गारंटी का निर्वहन किस तरीके से करते हैं यह हाथ लगने पर ही पता लगाता है।

सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने डिमाण्ड रख दी और यह सदन पास करेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर पुलिस पूरी फोर्स को मैं तीन भागों में विभाजित करता हूं। यह मेरा खुद का मानना है। डी.जी. से लेकर डीवाई.एस.पी. तक और सैकण्ड ग्रेड इंस्पेक्टर, एस.आइज और ए.एस.आइज. और थर्ड कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल्स। अब श्रीमान्, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस आर्गेनाइजेशन को आमूलचूल परिवर्तन और साधन सम्पन्न करने के लिए धन मुहैया कराने की मांग आती है तो हम सारे लोग भावावेश में आकर उन बातों का समर्थन करने लग जाते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हा–हाकार मच रहा है, इसको ठीक किया जाए और दुरूस्त किया जाए लेकिन हकीकत में क्या पैसा इसलिए लगता है ? आप देखेंगे कि 1980 तक राजस्थान में एक इंस्पेक्टर जरनल होता था। उसी से काम चलाया जाता था और आज एक पूरी की पूरी +++ तैयार कर दी गयी है। उन अधिकारियों की और इतना इम्पेरलल इन लोगों को बैठाया गया है जो बजट के ऊपर +++ बैठे हुए हैं। जनता जिस उम्मीद से पैसा देती है कानून व्यवस्था को सही करने के लिए। कानून व्यवस्था कौन सही रखेगा। ये अधिकारी कोई कानून व्यवस्था सही करने के लिए नहीं, बीच की श्रेणी है। इंस्पेक्टर, सब–इंस्पेक्टर और असिसटेंट सब इंस्पेक्टर और मैदाने जंग में जो मरता है वे हैड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स हैं, सभापति महोदय, मैंने उनके आंकड़े निकालकर देखे हैं। एक अधिकारी के पीछे 82 कांस्टेबल्स का रेशो बैठता है और इन अधिकारियों के घरों पर उनकी तिमारदारी के लिए एक–एक अधिकारी के दस–दस कांस्टेबल्स रहते हैं। क्या वे कानून व्यवस्था के लिए हैं ? सवाल यह आता है, संगरिया से आने वाले माननीय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

सदस्य अभी बार-बार कह रहे थे मैडल किसको मिलता है मैडल किसको मिलता है, कांस्टेबल्स की यह हालत है, जिन आदमियों की ड्यूटी डिफाइंड नहीं है। वक्त कोई तय नहीं उनके आराम का। उनको कोई साधन मुहैया नहीं करवाता और उनका कोई वक्त और बेवक्त नहीं और हम उनके खाने पीने का कोई बन्दोबस्त नहीं कर सकते। लिहाज़ा अनुशासन के नाम पर उस कांस्टेबल के मुंह पर पट्टी बांधी हुई है। नतीजा क्या होता है कि वह गलत रास्ते पर जाता है। वह शराब पीयेगा। जब उसको आराम नहीं मिलेगा, भूख मिटाने के लिए अपने शरीर की पीड़ा को मिटाने के लिए फिर वह नशेबाज हो जाएगा और बीड़ियों का सेवन करेगा।

बलवन्त सिंह, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जिसमें बताया गया था कि 19 प्रतिशत सिपाही क्षय रोग से ग्रसित होते हैं और उसके पीछे कारण उन्होंने यही बताये थे। जो पैसा लगे, आप उस ताकत पर लगाइये, उस फोर्स में लगाइये जो फोर्स जमीन पर जाकर कानून व्यवस्था को सही करने के लिए अपनी जान झोंकती है और अधिकारीगण इनका अहम जो इनको सलाम करेगा, जो इनकी तिमारदारी करेगा। जमीन पर लड़ने वाले लोगों को रिवार्ड नहीं दिये जाते हैं। सभापति महोदय, रिवार्ड उनको दिये जाते हैं जो इनकी तिमारदारी करते हो, जो इनकी मिजाजपुर्सी करते हों, जो इनके घर पर इनके जूतों पर पालिश करते हो, जो इनके झूठे बरतनों को साफ करते हों, बच्चों को खिलाते हों, बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हों या उनको लेकर आते हों। ये राजस्थान की जनता के लिए अपाइंट हुए हैं, हम कहते हैं कि वे पब्लिक सर्वेन्ट हैं लेकिन **They are not public servants. Really those persons who are serving to these officers, are servants of these officers at the cost of the population of the State.**

सभापति महोदय, इन हालात के अंदर एक-एक चीज को जब हम देखते हैं, बड़ी अजीब स्थिति सामने आती है। मैं पुलिस रिक्रूटमेंट रूल्स का हवाला देना चाहूंगा। 1974 में बीच की केटेगरी के रिक्रूटमेंट के लिए ये सर्विस रूल्स बने। उसके अंदर चार श्रेणियां बतायी गयी हैं-फर्स्ट श्रेणी है आर्म्ड पुलिस, सिविल पुलिस इंटेलिजैंस ब्रांच जनरल ड्यूटीज ब्रांच एण्ड टेलीकम्युनिकेशन डाइरेक्ट्रोरेट सैकण्ड, मेवात भील कार्पस। थर्ड, डायरेक्ट्रेट आफ टेलीकम्युनिकेशन राजस्थान पुलिस और फोर्थ है, राजस्थान आर्म्ड कांसटेबुलरी। इसके बाद 1989 में रूल्स बने। उन 1989 के रूल्स के अंदर यही चारों केटेगरीज हैं। सभापति महोदय, फर्स्ट केटेगरी के अंदर जिन लोगों को प्रमोशन के लिए बोर्ड के सामने जाना पड़ता

(श्री हरचन्द सिंह सिद्ध)

शामिल किया और बड़े जद्दो-जहद के बाद वह कांस्टेबल अपना हक ले पाया।

इसी तरीके से सभापति महोदय, एक वीरेन्द्र कुमार जाखड़ है जो नोहर से एस.एच.ओ. है। श्री वीरेन्द्र कुमार, उनकी कार्यशैली यह है, मुझे थाने में बुलाया गया सूरतगढ़ में वह तैनात थे। मैं बाहर से आया थाने में गया और सभापति महोदय, मुझे 107, 151 में गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे पास दस्तावेज हैं। (व्यवधान) वह अभी नहीं आपके जमाने की मैं करतूते बता रहा हूं। आपके टाइम की करतूते हैं यह आप मत बोलिये आपके पाले हुए हैं। (व्यवधान) और जमानत तस्दीक होने के बाद उस इंस्पेक्टर की यह हिम्मत कि 24 घण्टे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। यह मैं नहीं कह रहा हूं वह मजिस्ट्रेट महोदय की उस पत्रावली की सर्टिफाइड कापी है, 342 का केस और उस आदमी ने जब कांग्रेस सरकार बनी, वहां के व्यापार मण्डल, सभापति महोदय, जुर्म करके पुलिस में आ जाए कोई आदमी, समझ में आता है लेकिन पुलिस से पहले राय-मशविरा करके और फिर जुर्म करके आए यह बात समझ में आने की नहीं है।

सूरतगढ़ में रामा काटन-फैक्ट्री पर कब्जा कराया गया। सत्तर हजार रुपये लिये...

श्री सभापति : अब तो समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं भावावेश में नहीं बोल रहा हूं। मैं फैक्ट्स दे रहा हूं फिगर दे रहा हूं। अगर आप पुलिस को करैक्ट करना चाहते हैं...

श्री सभापति : पीड़ा सबको है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : तो मेरे पास सामान है वह मैं देना चाहता हूं और माननीय गृह मंत्री महोदय इस फोर्स को सही कर ले इसीलिए मैं उनको सारे सबूत पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : और जब सूरतगढ़ का पूरा व्यापार मण्डल उस कब्जे का विरोध करने गया तो यही श्रीमान् वीरेन्द्र जाखड़ शराब के नशे में पूरे के पूरे व्यापार मण्डल को थाने में लाकर के थाने का गेट बन्द करके उन संभ्रान्त लोगों को जो पेशे से व्यापारी हैं उनको मारा और जब जनता उठ खड़ी हुई तो, सभापति महोदय, उसको सस्पैण्ड किया गया और उसके साथ छह आदमियों को सस्पैण्ड किया गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि 15 दिन के अंदर उस आदमी को रीइंस्टेट करके फिर पुलिस स्टेशन सार्दुलशहर दिया गया और जब सार्दुलशहर में, संगरिया से आने वाले सदस्य ने इसका विरोध किया तो उनको नोहर में ला दिया गया। आज नोहर बिराजे हुए हैं। मैंने होम मिनिस्टर साहब को इनकी कारतूतों

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

के बारे में इन लोगों के गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले में स्टे के बार में एक लैटर दिया और वह लैटर इन्होंने कहीं जांच के लिए भेज दिया। डी.आई.जी. ने कमेंट्स मांगे होंगे एस.पी. से और जिनका अभी माननीय संगरिया से आने वाले सदस्य जिक्र कर रहे थे, के.एस. शर्मा साहब ने, मुझे अफसोस है कि एस.पी. की यह हिम्मत, सरकार कोई इंफार्मेशन मांगे और जिन आदमियों के खिलाफ इंफार्मेशन चाही गयी थी उन लोगों को वह लैटर दिया गया। वह लोग जराइमपेशा लोगों के साथ सांठ-गांठ करने के लिए, मेरी जिन्दगी पर घातक हमला करने के लिए उन्होंने यह साजिश रची। इनके मेरे पास प्रमाण हैं।

सभापति महोदय, हम लोग इन जराइमपेशा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपने मुंह पर पट्टी बांध लें, मैंने निवेदन किया पुलिस महानिदेशक महोदय को, और मैंने सारे हालात उनसे निवेदन किये सस्पेंशन के खिलाफ और नतीजे ढाक के तीन पात। यह उनकी तीमारदार लाइन के लोग हैं। और इतना ही नहीं जिनका यह आचारण है और के.एल. शर्मा साहब एस.पी. हनुमानगढ़ उनको रिवार्ड दिलाने के बात कर रहे हैं। पुलिस मैडल के लिए उनका नाम रख रखा है। और वह क्यों नहीं करे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिन पेड़ों के लिए मैं बार-बार निवेदन कर चुका हूं इस सदन के अंदर वह राजस्थान प्रदेश की महान जनता की सम्पत्ति है। उन पेड़ों को हम काट लें तो हमारे खिलाफ मुकदमा, लेकिन सभापति महोदय, पुलिस के एस.पी. ने जयपुर में बनने वाले अपने बंगले के लिए उन शीशम के पेड़ों की कटाई करवाई। आज टीब्बी थानेदार को उस कैंटर के साथ जिसमें दो कैंटरों में लकड़ी आई, एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा। क्या वह थानेदार जुर्म पर कन्ट्रोल करेगा। और यहां आकर उनके घर के अंदर वह गंगानगर का शीशम जो प्रदेश की जनता की सम्पत्ति थी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह आ चुका। माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : एक सैकण्ड, मेरा एक निवेदन है जो कांस्टेबल्स जमीन पर संघर्ष करते हैं और इस राजस्थान प्रदेश की महान जनता के कानून के तहत वह जीवन जी सके उसके लिए वह कारगर सिद्ध होता है। जब उनकी बात आती है तो उन लोगों के लिए रिवार्ड नाम की कोई चीज नहीं है और जब वह प्रमोशन में जाते हैं. कोई भूले-भटके। एक 24.8.1995 का सर्कुलर पुलिस विभाग का निकला हुआ है। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इसका मुलायजा फरमा लें। एक जुर्म की एक सजा हो सकती है लेकिन एक जुर्म की चार-चार सजा नहीं होती। अगर इस सर्कुलर का आप आकलन करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका

(डा. किरोड़ी लाल)

रौंगटे खड़ी करने वाली हुई। एक एस.सी. की युवती के साथ एक नहीं तीन लोगों ने गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद उस युवती को तेल छिड़क कर आग लगा डाली। घर में बैठी युवती सुरक्षित नहीं है। पैदल चलती महिला सुरक्षित नहीं है। सभापति महोदय, बगरू की घटना की आपको जानकारी है।

(15.00 बजे)

बगरू की जो महिला पैदल आ रही थी, एक दिन नहीं पांच-पांच दिन तक उसका देह शोषण किया। कालेज से लौटती हुई छात्रा सुरक्षित नहीं है। बारह कालेज से छात्राएं आ रही थीं उनके साथ छेड़खानी की। घर में बैठा वृद्ध सुरक्षित नहीं है। 23.10.1999 को बीनपार्क में कलेक्ट्रेट के पास कोठारी दम्पति का मर्डर कर दिया गया। दुकान पर बैठा व्यापारी सुरक्षित नहीं। संजय सर्किल थाने से मात्र 150 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े प्रदीप ताम्बी को गोली मार दी 17.2.2000 को। फैक्टरी और फैक्टरी में बैठा मालिकया कैशियर सुरक्षित नहीं है। 12.11.1999 को भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जवाहर लाल गुप्ता को दिन दहाड़े गोली मार लूट ले गये। दिनांक 8.4.1999 को पांच लाख रुपये भिवाड़ी के कैशियर से लूट ले गये। मंदिर में साधु सुरक्षित नहीं है। त्रिवेणीधाम, शाहपुरा में साधु किशनदास जिसकी उम्र 60 साल थी 25.12.1999 को उसकी मंदिर में हत्या कर दी गयी। मंदिर में मूर्ति सुरक्षित नहीं। रणथम्भौर दुर्ग स्थित लक्ष्मी नारायणजी के मंदिर से आठ मूर्ति जो चोर ले गये, उसका आज तक पता नहीं है। (व्यवधान) मैं जाति का कहां सपोर्ट कर रहा हूं ? अपराधी की कोई जाति नहीं हुआ करती है। अपराधी कोई भी हो उसको पकड़ा जाना चाहिये। बस में यात्री सुरक्षित नहीं है। दिनांक 2.10.1999 को उदयपुर से आगरा जाती हुई बस लुट गयी। पैट्रोल पंप पर बैठा सैल्समैन सुरक्षित नहीं है। 8.4.2000 को चंदबाजी के सैल्समेन को मारा, पीटा और लूट कर ले गये। घर में परिवारजन सुरक्षित नहीं हैं। अनिल शर्मा को तिलक नगर में मारा, पीटा और लूटा, लहूलुहान कर डाला और लूट कर ले गये। सड़क पर चलता व्यक्ति वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पुलिस का व्यक्ति सुरक्षित नही। ट्रांसपोर्ट एवं गलता गेट के बीच बाई पास पर एक दिल्ली के पुलिस अधिकारी, उसकी पत्नी को लूटा और ढंढ़ गांव के पास लूटकर बांधकर डाल गये। थानेदार थाने में सुरक्षित नहीं है। हुलासाराम थानेदार की रामगंज में हत्या कर दी गयी। संतरी सुरक्षित नहीं है। संतरी को गोली मार कर, हत्या कर बीरबल मीणा को 10.3.2000 को अपराधी छुड़ाकर ले गये, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। थाने में महिला सुरक्षित नहीं है। हमने उठाया था यह मामला। केलवाड़ा में अभिरक्षारत महिला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया 5 अप्रेल को। परीक्षा के पर्चे यहां पर

(डा. किरोड़ी लाल)

इस सरकार में दो बार लुटे ही हैं जो बच्चों का भविष्य खराब हो गया। कलेक्टर सुरक्षित नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट जयपुर से साल भर पहले डेढ़ लाख रुपये की चोरी हुई थी उसका आज तक सुराग नहीं लगा। कलेक्टर से पैसे ले गये। पुलिस लाइन भी खतरे से बाहर नहीं है। पुलिस लाइन से पुलिस वालों के, सिपाहियों के स्कूटर ही उठा कर ले गये 6.12.1999 को। पेड़ों में लाशें लटकी हुई हैं। 8.2.1999 को सामोद में छह लाश लटकी मिलीं। पहाड़ों पर नर कंकाल पड़े हैं और अधजली लाशें पड़ी हैं। सांगानेर में 13.1.2000 को अधजली लाशें दिखीं।

सभापति महोदय, यह स्थिति कानून की हो गयी है और सुरक्षित इस हिसाब से मैं मानकर चालता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस राजस्थान की धरती पर इस अशोक गहलोत की सरकार में सुरक्षित नहीं है और वह सुरक्षित इसीलिये नहीं है कि थाने बिक रहे हैं। थानों की बोलियां ले रहे हैं और थानों की जब बोलियां लग रही हैं तो आज थानेदार को हटाने की किसी एस.पी. या डी.आई.जी. की हिम्मत नहीं। क्योंकि वह उल्टे यहां से तय होकर जाता है।

माननीय सभापति महोदय, गहलोत साहब बहुत कहते हैं और इनकी जो बाइबल छपी है यह घोषणा-पत्र, इसमें भी यह बात कही गयी कि शोषित वर्ग को सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जायेगा, अशोक गहलोत और शोषित वर्ग के साथ क्या हो रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक एफ.आई.आर., नम्बर 489/99 है थाना भादरा की 27.10.1999, 307,341,323 थ्री एक्ट एस.सी., एस.टी.। सभापति महोदय, इसमें दिनेश नाम के एक व्यक्ति पर तलवार से हमला किया गया। शिड्यूल्ड कास्ट का था। हमलावरों ने हमला कर दिया। पुलिस ने पैसे ले-देकर इसमें एफ.आर. लगा दी और एफ.आर. लगाने के बाद में जो कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी की है उससे पुलिस की कार्यवाही का पता लगता है कि पुलिस किस दिशा में जा रही है। उन्होंने लिखा है सी.जे.एम. ने टोनी उर्फ राजू पुत्र भाणुखा, नीलगर निवासी वार्ड नं. 15 भादरा जिला हनुमानगढ़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341,323,307 एस.टी., एस.सी. की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है, के लिये अप्रसंज्ञान किया जाता है कि इस प्रकरण में श्री रिछपाल सिंह, डीवाई. एस.पी. जिला हनुमानगढ़ के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध बाबत प्रसंज्ञान लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह आई.ए.एस., पुलिस का अभी एक अधिकारी है, उन्होंने कहा कि हम दलितों का संरक्षण करेंगे, दलितों की मदद करेंगे, दलितों पर किसी प्रकार का अत्याचार होगा तो उसमें सहयोग देंगे। इससे ज्यादा गंभीर मामला और क्या हो सकता है कि सैक्शन 3 का मुकदमा दर्ज हो एक हरिजन को तलवार से मारा, काटा

(डा. किरोड़ी लाल)

जाये और उसे मार काटने के बाद में डीवाई.एस.पी. लेवल का अधिकारी. उसमें एफ.आर. लगा दे और कोर्ट उसमें एडवर्स रिमार्क पास करे, यह दलितों की रक्षा करने वाली सरकार है। ऐसे अनेकों और उदाहरण मेरे पास हैं जो दलित समाज के लोगों को आये दिन इस राज में घोड़ियों से उतारने की घटना हो रही है, उनकी बारात नहीं निकल सकती। उनकी बिंदोरी नहीं निकल सकती। मैं अनगिनत ऐसे केसेज को गृह मंत्रीजी, यहां पर गिनाना नहीं चाहता लेकिन आपने कहा था हम जब राज में आयेंगे तब हम ऐसा सुरक्षा कवच पहनायेंगे कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि दलितों के साथ इस ढंग का अत्याचार हो। आजादी के 50 साल गुजर जाने के बाद में अगर दलितों की बारात नहीं निकले घोड़ी पर और उनकी बिंदोरी न निकले तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सरकार के लिये और कुछ नहीं हो सकती।

इन्होंने कहा था कि महिलाओं के बारे में कार्यवाही की जाये। महिला आयोग भी बनाया गया। पर आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 30 महिलाओं के साथ गहलोत सरकार में रोज वारदात होती है। किसी के साथ अपहरण, किसी के साथ बलात्कार, किसी के साथ छेड़खानी की। यही नहीं, कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां औरतों को बेचने का धंधा खूब जोरदार चल रहा है। टोंक में चल रहा है। धौलपुर में चल रहा है। करौली में चल रहा है लेकिन यह सरकार +++ किसी की बात को सुनना नहीं चाहती और आपने...

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, यह आप गलत रेफर कर रहे हैं टोंक को। टोंक में कोई धंधा महिला बेचने का नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, ने मेरे को टोका, इसलिये मैं उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता हूं। औरतों को बेचने संबंधी कार्यक्रम के प्रसारण से टोंक में हड़कम्प, महिला अत्याचार। नलिनी सिंह ने टी.वी. पर इंटरव्यू दिया था। यह खुद यहां जाकर आयी थीं और खुद रूबरू पब्लिक से हुई थी...

श्री सभापति : आप अपनी बात कहना चाहें, नहीं, आप अपनी बात कहिये। आप अपनी बात कहिये।

डा. किरोड़ी लाल : और यह टोंक में मैं नाम बता दूं कि जिस-जिस स्थान पर यह धंधा होता है...

श्री सभापति : आप अपनी बात कहते चलिये।

डा. किरोड़ी लाल : मैं आपको महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं। महिलाओं में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

में महिलाओं के साथ सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं। सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं तो राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं। इसमें 30 वारदातें इन्होंने खुद ने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि सरकार ने, उसमें स्वीकार की है और पुलिस वाले वारदातों में शामिल हैं। किशनगढ़ रेनवाल में सिपाही द्वारा महिला से छेड़खानी की गयी। यह आपकी जानकारी में सबको ध्यान है।

दिनांक 25.11.1999 को छात्राओं के साथ ब्लैकमेल प्रकरण अलवर में हुआ और उस ब्लैकमेल प्रकरण में अलवर शहर का एन.एस.यू.आई. का महासचिव इनवाल्व था। अब एन.एस.यू.आई. का महासचिव जिस मामले में इनवाल्व हो जाये तो क्या हम इस सरकार से आशा कर सकते हैं कि वह हमारे साथ न्याय कर देगी। इसलिये गृह मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ऐसी काकस बन गयी है, ऐसे अपराधी चारों तरफ से छा गये हैं कि आपकी जानकारी में मामले आ नहीं रहे हैं। इन्होंने अपना जो घोषणा-पत्र जारी किया उसमें लिखा है कि हम जब राज में आयेंगे तो डी.आई.जी. टंडन को गिरफ्तार करेंगे। यह घोषणा-पत्र में है। गृह मंत्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं कि उस डी.आई.जी. टंडन पर आपने आज तक क्या कार्यवाही की है। एस.टी. की महिला थी जिसके साथ वाकया हुआ, आपने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

सभापति महोदय, इसी ढंग से जैसे ही यह राज में आये तो काली देवी नामक महिला का अपहरण हुआ। आपस में धारा 144 लगी, धरने, प्रदर्शन हुए, वहां पर प्रतिपक्ष के नेता भी गये, हम भी गये और काली देवी के संबंध में एक आंदोलनकारी मारा गया। काफी लोग जेल के सींखचों में डाले गये। लेकिन यह राजस्थान की निकम्मी पुलिस आज तक उस काली देवी का पता नहीं कर पायी है। यही नहीं, सरकार ने तो निर्देश दिये, लेकिन हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उसको कहीं से भी बरामद करके लायें। यह सरकार हाई कोर्ट के डायरेक्शन भी मानने के लिये तैयार नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को प्रताड़ना दें। गृह मंत्रीजी का मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आपके मेनिफेस्टो में जो चीज लिखी है, आप उनकी पालना करेंगे।

सभापति महोदय, इनके राज में ही 17.12.1998 को महुवा में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसने गृह मंत्रीजी से और पुलिस के बड़े अधिकारियों से गुहार की। और उस बच्ची को जब न्याय नहीं मिला तो फांसी के फंदे पर झूलकर उसने आत्महत्या कर ली। गृह मंत्रीजी, यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नाम पर कलंक है। बच्ची को न्याय नहीं मिला तो फंदा लगा लिया। इसलिए महिलाओं के साथ अत्याचार जमकर हो रहे हैं और उन महिलाओं के अत्याचार को रोकना, यह कांग्रेस

(डा. किरोड़ी लाल)

की सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं ला सकी है। सभापति महोदय, जो पुलिस का व्यवहार होना चाहिये उसके बारे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में पुलिस अपने आप में एक संरक्षक है, मार्गदर्शक है एवं एक समाजसेवी है। वह चौराहे पर खड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दायित्व सही की रक्षा करना और गलत को पकड़ना है। लेकिन आज यह धारणा धूमिल हो चुकी है। सही को पकड़ती है और गलत को छोड़ती है। इसलिए अभी दो माननीय सदस्य कांग्रेस के बोले हैं, संगरिया वाले और पीलीबंगा वाले। उन्होंने एस.पी. का नाम हवाला देकर बोला है और जिस ढंग के कृत्य राजस्थान के पुलिस अधिकारी मिलकर कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से राजस्थान में जंगल राज आ गया है।

यही नहीं, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि अनुशासन और सतर्कता पुलिस अधिकारी के सिद्धान्त वाक्य होते हैं। पुलिस की वर्दी पहना हुआ या रैंक का बैज लगाने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने कर्तव्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहना चाहिये और निष्ठावान पुलिसकर्मी की तरह भूमिका निभानी चाहिये। उन्होंने कहा था कि पुलिस का मूल्यांकन उनकी सत्य निष्ठा, कार्य कुशलता और चातुर्य से किया जाता है। पुलिस बल स्पष्टतः देश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए उन पर भारी उत्तरदायित्व है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। थाने में शराबी सिपाही उत्पात मचा रहे है। 24.2.2000 की आंधी थाने की घटना है आपस में पुलिस वाले ऐसे लड़े जैसे मेंढे लड़ते हैं। यह पुलिस के थानों का हाल हो गया है। करौली के मण्डावर थाने में सिपाही ने एक साथी के गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया।

सभापति महोदय, मुकदमा दर्ज कराने के लिये जब थाने पर जाते हैं तो आसानी से मुकदमा दर्ज नहीं होता है। न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है कई मामलों में। सिपाहियों के शराब पीकर उत्पात करने की घटनाएं तो घणी हो गयी हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वह किसी परेशानियों में रहता होगा जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। मैं इसको भी कुछ हद तक सही मानता हूं कि आखिर में ऐसे क्या कारण हैं कि सिपाहियों को इस स्थिति पर जाना पड़ता है। यह बात सही है कि 12 घण्टे, 20 घण्टे, 22 घण्टे सिपाही काम करता है और बड़े अधिकारी इनाम लेते हैं थाने से जाते हैं तो घरवाली की डांट सुनते हैं और घर से आते हैं तो थानेदार की डांट सुनते हैं इसलिए कोई न कोई ऐसा रास्ता

(डा. किरोड़ी लाल)

इस मामले में अपनाना पड़ेगा वरना जो हुलासाराम, एस.एच.ओ. के साथ जिस तरह की घटना हुई उनकी पुनरावृति बार-बार होती रहेगी। इसलिए सरकार कोई इस ढ़ंग का रास्ता निकाले पुलिस के सिपाहियों का।

अभी बात चल रही थी कि पुलिस के सिपाही बसों में जाते हैं तो उनको किराया देना पड़ता है। अगर सरकार उनको फ्री पास दें दो तो उसमें कौनसा ज्यादा फाइनेंशल बर्डन आने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सिपाहियों को थोड़ी सुविधा और दी जाये तो और सक्रियता के साथ वह काम कर सकते हैं। मैं इस मौके पर गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जो अनुशासनहीनता की वारदातें बढ़ रही हैं उनके कोई न कोई निश्चित रूप से कारण हैं और अगर उन कारणों को आपने गंभीरता से देखा नहीं, उन पर कार्यवाही नहीं की तो यह ज्यादा बढ़ेंगे और पुलिस बेड़ा उसमें बदनाम होगा।

सभापति महोदय, मानवाधिकार आयोग को भी राजस्थान की बहुत ज्यादा शिकायतें जा रही हैं। मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री रामास्वामीजी जयपुर पधारे थे उन्होंने उस समय अपने वक्तव्य में कहा था कि मानवाधिकार हनन के मामले में राजस्थान तीसरे नम्बर पर है। अधिकतर मामलों में प्रशासन दोषी होता है इसलिए गृह मंत्रीजी, प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रतिवेदन और छपा है, उसमें लिखा गया है कि 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनुचित, दोषपूर्ण, कार्यप्रणाली तथा अकुशलता के कारण होती है। आरोप सिद्ध नहीं होने पर बड़ी संख्या में आरोपी मुकदमे के बाद रिहा हो जाते हैं। 80 प्रतिशत जघन्य अपराधी भी बिना सजा पाये छूट जाते हैं। यह मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान ने जो तीसरा नम्बर अपना बनाया है, इस अत्याचार के कारण जो लोग मानवाधिकार आयोग के पास जा रहे हैं इससे राजस्थान की छवि बिगड़ रही है। राजस्थान की पुलिस की छवि बिगड़ रही है।

सभापति महोदय, यही नहीं राजस्थान में जन-प्रतिनिधियों पर हमले हो रहे है। ग्राम महलपुर, थाना रूपवास में कांग्रेस विधायक श्री निर्भयलाल पर प्राण घातक हमला हुआ था, 22.4.1999 को श्रीमती शांति पहाड़िया पर भुसावर में प्राण घातक हमला हुआ था, दोनों दलित विधायक हैं। एक हमारे दलित विधायक मदन दिलावर बैठे हैं, उन पर दो बार हमला कर डाला। मीनाक्षी चन्द्रावत, विधायक महोदया को चार घण्टे तक सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों ने बन्द रखा। कितनी बड़ी घटना है, और जब तक लिखित कमिटमेंट नहीं करा लिया तब तक उनको छोड़ा नहीं। अब आप बतायें

(डा. किरोड़ी लाल)

जहां से हमारा राज चलता हो, जहां से शासन चलता हो। जहां पर गहलोत साहब बैठते हो, जहां पर गृह मंत्रीजी बैठते हो। वहां पर विधायक को एक कमरे में बंद कर दिया और उसको जब तक नहीं छोड़ा जाये जब तक लिखित में माफी नहीं मांगी हो। यह जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहा है।

यहां इस राज्य में कोई सुरक्षित बचा हुआ मेरे को तो लगा नहीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी जब आप जवाब दें तो कम से कम इस बात को गंभीरता से ले कि आखिर स्थिति यहां तक आ गयी कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इस राज्य में सुरक्षित नहीं है।

सभापति महोदय, आई.एस.आई. की एक्टिविटी बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारे यहां आतंकवादी गतिविधियां भी बहुत बढ़ चुकी हैं। एक उग्रवादी परमजीत सिंह उर्फ जनरल सिंह 4.1.2000 को जवाहर नगर स्थित गुरुद्वारे में पंजाब पुलिस ने पकड़ा। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस कहां सो रही थी ?

एक आतंकवादी दो महीने से राजस्थान में छिपा हो, ट्रेण्ड आतंकवादी हो, उसकी सूचना पंजाब की पुलिस ने पहले दे दी थी कि इस नाम का आतंकवादी जयपुर में छिपा हुआ है आप उसे ढूंढ़कर हमें सहयोग दो, जब राजस्थान पुलिस ने सहयोग नहीं दिया तो पंजाब पुलिस आई और उस आतंकवादी को गिरफ्तार करके ले गई, यह कह रहे हैं आपने आपके राज में क्या-क्या किया ? हमारे राज में समलेटी बमकाण्ड हुआ था, उस समलेटी बमकाण्ड में दौसा जिले के समलेटी गांव के पास 22 मई, 1996 को राजस्थान रोडवेज की बस में बम विस्फोट हुआ। आतंकवादियों ने किया था। आई.एस.आई. से जुड़े हुए थे, सारे के सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जेल के सींखचों में डाल दिया और इस सरकार को आतंकवादियों की हवा तक नहीं लगी कि आतंकवादी कहां पर बैठे है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : दौसा जिले में किसने आतंक फैलाया ? दौसा जिले को, मेरे महुवा को ले जाओ वापस।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये इनको सदन में कार्यवाही शांतिपूर्वक चल रही है, ऐसे ही चलने दीजिए। माननीय सदस्य, आप जारी रखिए।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि इस राज में जो अपराध हो रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को और पुलिस को जितना गम्भीर होना चाहिए, उतनी गम्भीर नहीं है। हम लोगों ने आतंकवादी जिन्होंने बमकाण्ड किया, सभापति महोदय, एक और बात कहना चाहता हूं कि जैसे ही घटना हुई, घटना के ढाई घंटे बाद तत्कालीन राजस्थान के मुख्य मंत्री मौके पर पहुंच गए और इस सरकार की क्या हालत है ?

(डा. किरोड़ी लाल)

बांदीकुई का यह जो बोले न कि बांदीकुई में आतंकवाद किसने फैलाया।...

श्री सभापति : कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला।

डा. किरोड़ी लाल : बांदीकुई के माननीय सदस्य को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपके वहां पांच साल के बिलकुल मासूम बच्चे को उठा कर ले गए, एक लाख फिरौती के मांगे, एक लाख फिरौती के नहीं दिये तो उस बच्चे को मार दिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बी.जे.पी. के लोग लाश की राजनीति करने गए, आप गए, आपके माननीय कटारिया साहब गए, और आपके भैरोंसिंह शेखावत साहब गए, आपने लाश पर राजनीति करना चाहा लेकिन आपको मुंह की खाकर बांदीकुई से लौटना पड़ा। आपको कुछ नहीं मिला। आपने कहा कि पांच लाख दिलवाएंगे, एक लाख दिलवा कर कर्फ्यू लगवा दिया। बांदीकुई को धूं-धूं करके जलाना चाहते थे, बांदीकुई को राख करवाना चाहते थे, बांदीकुई की जनता को परेशान करना चाहते थे। तीनों नेताओं के पहुंचने के बाद भी आप हाथ मल करके आ गए। बांदीकुई से उस बच्चे को जो श्मशान में राख का ढेर था, उसको नमन करके लौटना पड़ा आपकी राजनीति की टांय-टांय फिस्स हो गई।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, उसमें तो पुलिस की निष्क्रियता रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दायमाजी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए आप विराज जाएं।

डा. किरोड़ी लाल : अब कौन आतंकवाद फैला रहा है ? पांच साल के मासूम बच्चे को स्कूल से उठा कर ले गए, वहां पर क्षेत्र का विधायक नहीं पहुंचा और गृह मंत्री नहीं पहुंचा, विधायक न पहुंचे तो कोई बात नहीं लेकिन राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने ऐसी घटना को गम्भीरता से नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि दौसा के गीजगढ़ में घटना हुई थी, एक शिड्यूल्ड कास्ट की बच्ची के साथ तेल छिड़क कर आग लगा डाली बलात्कार करके किया, आपके गृह मंत्री बांदीकुई पहुंचे थे क्या ? राजस्थान के मुख्य मंत्री खुद भैरोंसिंह शेखावत समलेटी बमकाण्ड में पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद तुरत-फुरत कार्यवाही करवाई कि सारे के सारे आतंकवादी पकड़े गए। अब आतंकवादी कौन है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। विधायक ने थप्पड़ जड़ा थानेदार को, अशोक बैरवा, थानेदार और अशोक बैरवा, एम.एल.ए., थानेदार बहरावंडा कला को। सभापति महोदय, शुरू-शुरू में मैंने आपको जो नाम गिना कर कहा था, रात के डेढ़ बजे काम करते हुए दो किसानों को डकैत उठाकर ले गए और जब एक लाख रुपये दिये फिरौती के नाम पर तब वे

(डा. किरोड़ी लाल)

वापस आए, उस थानेदार ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जिस डकैत ने पैसा लिया उससे मैं पैसा वापस करवाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस के उस थानेदार को और पुलिस को कि 62 हजार रुपये वापस करवा दिए और इस बीच इनसे बंधे हुए एक कांग्रेस के प्रधान हैं उस गांव के, उस कांग्रेस के प्रधान के भाई को 216 ए में बंद कर दिया। 216 में बंद करने का परिणाम यह हुआ कि यहां खण्डार क्षेत्र से विधायक, थाने पर पहुंचे और उपस्थित थानेदार को चांटा मार दिया, कौन आतंकवादी है ? मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपके विधायक थाने में जाकर चांटा मारेंगे तो पुलिस फिर कैसे काम करेगी ? यह खण्डार के विधायक का नमूना है।

सभापति महोदय, राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण हुआ, आतंकवादियों ने अपहरण किया। सभापति महोदय, मैं समलेटी और राजेन्द्र मिर्धा का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारे राज में ये दुर्दान्त आतंकवादी कोई घटना कर भी देते थे तो इनको पकड़ कर डाल देते थे, इनके राज में आतंकवादी नहीं पकड़े जा रहे हैं, बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, राजस्थान की पुलिस ने इस कांग्रेस के राज के चलते कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है ?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : जुगताराम का क्या हुआ ? वह काण्ड किसके राज में हुआ था ?

डा. किरोड़ी लाल : जुगताराम का लिंग काटा था, वह सरकार ने दुबारा प्रत्यारोपित करवा दिया, आपके यहां तो कइयों के काटे गए जो अभी तक प्रत्यारोपित भी नहीं कर पाए। (व्यवधान) +++

सभापति महोदय, प्रदेश की सीमाएं किसी तरह भी सुरक्षित नहीं हैं। सीमा पर से स्मैक आ रही है, हेरोइन आ रही है, स्मगलिंग का सामान आ रहा है, आई.एस.आई. की गतिविधियां सीमा पर इतनी बढ़ गई हैं कि पांच-चार सौ के नकली नोटों का रोज अखबारों में छपता है। आई.एस.आई. हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है। इसलिए मैं राज्य पुलिस के गृह मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि पुलिस को पेरेलाइज करना चाहते हैं, कानून की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, वे आई.एस.आई. और पाकिस्तान से आने वाले लोग ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राजस्थान में इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। आपने अलवर में पकड़ा, जयपुर में पकड़ा। सभापति महोदय, मेरे पास ऐसी एस.टी.डीज. के नाम हैं, जिनकी पाकिस्तान के बात होती थी, उसके कारण पुलिस परेशानी में है। मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि ऐसे एस.टी.डी. और पी.सी.ओ. जहां से पाकिस्तान बात कराई

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

जाती है, जो आई.एस.आई. के एजेण्ट बने पड़े हैं, उन पर आपने कार्यवाही नहीं की तो आई.एस.आई. की गतिविधियों को न्यौता देने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में अशोक अग्रवाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, सी.बी.आई. ने पकड़ा। गंगापुर सिटी में ही राहुल वर्मा पुत्र एन.एन. वर्मा, गगन होटल के नाम से 50903 फोन नम्बर रिलीज कराया, सुरेन्द्र जैन ने 51379 नम्बर का फोन इश्यू करवाया और इन दोनों व्यक्तियों ने डेढ़ महीने तक गंगापुर सिटी में एस.टी.डी., पी.सी.ओ. चलाया; दस लाख का बिल आया और बिल आने के बाद दोनों व्यक्ति वहां से गायब हो गए, वे गंगापुर सिटी के रहने वाले हीं नहीं थे, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आपने परमीशन दी होगी, आपने देखा होगा, इसका मतलब है कि वह पाकिस्तान का व्यक्ति भी हिन्दुस्तान में आकर एस.टी.डी. पी.सी.ओ. चला सकता है और सारी सूचना दे सकता है, यह निकम्मी राजस्थान की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

सभापति महोदय, पांच सौ के नोट बिखरे पड़े हैं, हमारे राज में नकली नोटों का चलन था, मुझे ध्यान नहीं आता। आपके राज में नकली नोट बिछाए जा रहे हैं, आई.एस.आई. की एक्टिविटीज चल रही है, आपने किसी एक को भी पकड़ा हो। देश में नकली नोट चलाने के अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए सी.आई.ड़ी. (सी.बी.) जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर शहर में पुलिस को सौ और पांच सौ रुपये मूल्य के नकली नोट चलाने के अपराध में लिप्त गिरोह के बलवंतदान, बीजदान, अली आसफ, जुम्मा, सत्तार आदि 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली तथा 3 लाख 82 हजार रुपये मूल्य के सौ और पांच सौ मूल्य के नकली नोट बरामद किए और उन्हें गिरफ्तार किया। आज चारों तरफ छप रहा है अखबार में कि नकली नोट आ रहे हैं लेकिन आप किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, यह आपकी जबर्दस्त विफलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई.एस.आई. के नैक्सस को अगर खत्म करना है तो आप इस संबंध में विशेष विचार करके एक विशेष टीम बना कर आप इनकी धर पकड़ करेंगे ताकि इनकी आगे ज्यादा कार्यवाही नहीं हो सके। ऐसी एस.टी.डी. को चैक करेंगे। सभापति महोदय, आज जहां पर ये अवैध गोरख-धंधे चलते हैं, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा टेलीफोन काल्स के द्वारा गोपनीय सूचनाएं भेजी जा रही है। बाड़मेर शहर में 116 एस.टी.डी. पर, बालोतरा में 7, जैसलमेर में 80, धोरीमन्ना, चौहटन, सिवाना, समदड़ी, पचपदरा एवं शिव में ऐसी एस.टी.डी. के द्वारा धंधा चल रहा है। ऐसे प्रकरणों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया की धारा 140 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पता नहीं लगता

(डा. किरोड़ी लाल)

कि आपकी सरकार ने ऐसा एक भी अधिकार प्रयोग किया हो।

सभापति महोदय, यही नहीं सिरोही जिले के मण्डार गांव का दर्जी इब्राहिम। ये मामले भी बहुत हैं, सभापति महोदय। वीजा का समय समाप्त हो जाने के बाद भी वो देश को छोड़कर नहीं गया और उसकी करोड़ों की सम्पत्ति है और उसको पाकिस्तान आई.एस.आई. के एजेंट से बात करते हुए सी.बी.आई. ने पकड़ा एक मार्च, 2000 को। तो गृह मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आई.एस.आई. की एक्टिविटीज चल रही हैं, जाली नोट बनाकर हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने की एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के द्वारा पाकिस्तान में बात करके की जा रही है।

सभापति महोदय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी पत्थर की खदानों के विस्फोटक से बम बनाते हैं। इस बाबत जनवरी, 2000 में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर गृह मंत्रालय ने हिदायत दी एवं राजस्थान सरकार को भी सतर्क कर दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी, 2000 को गृह सचिव, महानिदेशक को पत्र लिखकर यह कहा है कि ऐसे क्षेत्रों में जो विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं उन क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट विस्फोटक एवं डिटोनेटर्स के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखें। जहां तक मेरी जानकारी में है आपके जिला कलेक्टर इस मामले में ज्यादा गंभीर नहीं है। इसलिए गृह मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहूंगा खदानों में जो विस्फोटक काम ले रहे हैं उन विस्फोटकों पर कड़ी निगरानी पुलिस को और राज्य के जिले के अधिकारियों को रखनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, हम पर बड़े लांछन लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी है और इस भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़े दंगे हुए। सभापति महोदय, आपने पहली बार देखा होगा कि लालकृष्ण आडवाणी इस देश के गृह मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके रहते हुए आप एक नजीर ऐसी नहीं दे सकते जहां हिन्दु-मुस्लिम दंगे हुए हों। एक नजीर नहीं दे सकते और इन्होंने वोट बैंक समझकर मुसलमान भाइयों से इतने दंगे कराये कि हमको इनके वोट लेने हैं, ये दंगे कराते थे।

सभापति महोदय, आपने पीपाड़ सिटी का संघर्ष देखा। यह तो कल-परसो ही हुआ है। पीपाड़ सिटी में दंगा होने की नौबत आ गई। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आपके रहते हुए राजस्थान में अब तक चार-पांच जगह कर्फ्यू लग गया है। आपकी पुलिस का नियंत्रण बिलकुल नहीं है। आपने हम पर अब तक जो लांछन लगाया हम सम्प्रदायवादी हैं। हम सम्प्रदायवादी नहीं हैं आपकी राजस्थान की पुलिस हो या

(डा. किरोड़ी लाल)

राजस्थान की सरकार हो, राजस्थान सरकार का इतना +++ है कि यह न तो दलितों की बात कर सकती, न अल्पसंख्यकों के कोई काम हो सकते। गृह मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा अगर आपने इस बारे में कोई सख्ती से कार्यवाही नहीं की तो आपकी विफलता और ज्यादा जाहिर होगी और लॉ एण्ड आर्डर की प्रोब्लम ज्यादा बढ़ेगी। सभापति महोदय, कुछ बदमाश जानबूझकर ऐसी बदमाशी कर रहे हैं जिसके कारण से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पुलिस भी लिप्त है। हमारे सवाईमाधोपुर जिले से एक बच्ची को उठाकर ले गये और बिहार तक ले गये। वहां अग्रवाल समाज ने आंदोलन किया, डेढ़ महीने तक आंदोलन किया। ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। बच्ची छूटकर आई, ट्रेनों में आंदोलन किये, धरने किये, प्रदर्शन किये और बच्ची ने छूटने के बाद बयान दिया है, राधा गोयल ने कि इसमें वहां का सी.आई. लिप्त है हुमायूं कबीर। वहां का एस.पी. लिप्त है। गृह मंत्रीजी मैं कहना चाहूंगा कि जहां का सी.आई. इस घटना में लिप्त हो जाए, अगर आपने ऐसे सी.आई. को माफ किया तो एक दिन ऐसा आयेगा कि राजस्थान की धरती हिन्दू-मुस्लिम दंगों में बदल जाएगी। आप इसको लाइटली नहीं लेंगे, वो किसी बड़े नेता का भाई होगा, लेकिन आप ऐसे सी.आई. को माफ नहीं करेंगे। इसलिए सभापति महोदय, राजस्थान में कानून की हालत चौपट हो चुकी है, किसी प्रकार का इनका नियंत्रण नहीं रहा है। ऐसे मौके पर मैं आपसे कहना चाहूंगा गृह मंत्रीजी, वैसे तो यहां के पुलिस महानिदेशक ने बड़े अच्छे निर्देश दिये, अमिताभ गुप्ताजी ने, उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को, एस.पीज. को गांवों में जाना चाहिए, गांवों की जनता से संवाद करना चाहिए। गांवों में जाने के बाद आपको इन सब समस्याओं का पता लगेगा और उनकी मांगों का निराकरण होगा। डी.जी. साहब ने निर्देश दिये और गृह मंत्रीजी आप इन निर्देशों की पालना करा देंगे तो मैं कहना चाहता हूं 50 पर्सेन्ट मामले तो गांव के स्तर पर ही निपट जाएंगे, आपके पास शिकायत लेकर कोई नहीं आयेगा। इसलिए पुलिस महानिदेशक या आपने जो भी डाइरेक्शन दिये हैं वे हैं तो बड़े तर्कसंगत, लेकिन कागजी घोड़े की तरह नहीं दौड़ने चाहिए, उसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मोहन लाल चौहान : पुलिस अधीक्षक और डी.आई.जी. जहां भी दौरे में जाते हैं। तो सुनते हैं और गांव वालों को बुलाते हैं।

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा, कहने दीजिए आप। बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कुछ सुझाव पुलिस में सुधार की दृष्टि से देना चाहूंगा।

श्री सभापति : समय को ध्यान में रखकर ही।

डा. किरोड़ी लाल : बिलकुल समय को ध्यान में रखकर, क्योंकि मुझे पता है आप आधा घण्टे से ज्यादा बोलने नहीं दोगे। सभापति महोदय, हम इधर-उधर जाते हैं, जयपुर से चाहे दौसा जाएं या गांव जाएं पुलिस ने बेरीकेड्स लगा रखे हैं कि गाड़ी को तीन-चार बार टर्न लेना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस को चैकिंग का अधिकार है ? पुलिस को चैकिंग का अधिकार उसी स्थिति में है, आपको किसी प्रकार की सूचना मिले किस अपराधी को पकड़ने के लिए तो आप खूब चैक करें, अपराधी को पकड़ें, लेकिन पुलिस नाजायज तरीके से, एक नहीं सैकड़ों वाहनों को खड़ा कर देती है, लाइन की लाइन खड़ा कर देती है। और सिवाय उगाही के इसमें कोई काम नहीं होता। इसलिए यह पुलिस चैकिंग का पावर नहीं होना चाहिए। वैसे तो पुलिस महानिदेशक के आदेश है अप्रेल, 1995 के कि, पुलिस का कोई कर्मी वाहन की चैकिंग नहीं करेगा। क्या उन आदेशों की आप पालना कराएंगे ?

सभापति महोदय, एक बात की ओर मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फरियादी जिस स्तर पर शिकायत लेकर जाए तो उसकी शिकायत उस स्तर पर निस्तारण करने की शत-प्रतिशत व्यवस्था न हो तो कुछ व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। गांव का व्यक्ति थानेदार के पास गया तो थानेदार अपने स्तर पर कार्यवाही करे, डीवाई.एस.पी. के पास गया तो डीवाई.एस.पी. करे और आई.जी., डी.आई.जी. के पास गया तो वहां कार्यवाही हो। लेकिन सभापति महोदय, हो क्या रहा है, थानेदार के पास कोई फरियादी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती तो डी.आई.जी., एस.पी. तक आता है और डी.आई.जी. एस.पी. को लिखता है, एस.पी. डी.एस.पी. को लिखता है, डी.एस.पी. थानेदार को लिखता है, वो दरख्वास्त वापस उसी आदमी के पास पहुंच जाती है। इसलिए इसमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस स्तर पर शिकायत आये उसका निस्तारण उसी स्तर पर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है कि हम बहुत पारदर्शिता रखने वाले हैं। सभापति महोदय, मनमाने तरीके से मर्जी आये तब जचे जिसको उठा लाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मानव अधिकार में पुलिस अत्याचार की शिकायतें ज्यादा बढ़ रही हैं। गृह मंत्रीजी, आपने अगर यह व्यवस्था कर डाली कि जिस किसी व्यक्ति को आप किसी के घर से उठा लाये और घर वालों को यह लिखकर दे आये कि हम फलानां मामले में इसको

(डा. किरोड़ी लाल)

जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं तो घर वालों को भी पता रहेगा कि हमारा बच्चा या बच्ची कहां गये हैं और उससे स्थिति का पता लग जाएगा। लेकिन पुलिस इस व्यवस्था को नहीं कर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इतनी ट्रांसपेरेंसी तो विकसित की जानी चाहिए कि अमुक व्यक्ति को उठाना है कांस्पीरेंसी में या इंटेरोगेशन के लिए बुलाना है तो घरवालों को लिखित में सूचना देकर आना चाहिए।

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, पुलिस का तफतीश का स्तर गिर रहा है एक्साइज व फोरेस्ट की तरह तफतीश की हालत हो गई है। इसलिए सरकार अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, उसका स्तर बढ़ाना चाहिए ताकि अपराधी को कंविक्शन मिल सके। सभापति महोदय, प्रोसीक्यूशन पर पुलिस का कोई कंट्रोल आज की तारीख में नहीं है। पुलिस चालान करने के बाद मामले को भूल जाती है। पहले पुलिस गवाहों को लाती थी एवं समझाती थी और सारे केस को पुलिस खुद संभालती थी, जिससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाता था। अब हुआ क्या है, अब यह काम करने लगे ए.पी.पी., पी.पी, जो आम तौर पर अपराधी से मिल जाते हैं। इसलिए इस मामले में मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्रीजी कि प्रोसीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी अगर पुलिस पर डाल दी जाये जैसे पहले किया करते थे, तो मेरे को लगता है कि अपराधी बच कर नहीं निकलेगा, उसको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी, सभापति महोदय...(व्यवधान) हां, हां, पढ़कर आया हूं, ज्यादा मत बोलो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सी.आर.पी.सी. बदलनी पड़ेगी उसके लिए।

डा. किरोड़ी लाल : 161 सी.आर.पी.सी. के बयान में।

श्री शैलेन्द्र जोशी : असेम्बली कांपीटेंट नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करने दीजिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : 155 का प्रचंड बहुमत है बदल क्यों नहीं देते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सी.आर.पी.सी. राजस्थान की असेम्बली नहीं बदल सकती है, माननीय सदस्य महोदय...

डा. किरोड़ी लाल : आपके क्या +++

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में है।

डा. किरोड़ी लाल : जब चाहो तब मत बोला करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त होने दीजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरी मरजी है, आपसे पूछकर नहीं बोलूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : आपकी मरजी है, मैं आपको दखल नहीं देता।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, यह कांकरेंट लिस्ट का भी मैटर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह क्या तरीका है ?

श्री सभापति : सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य को अनुमति दी है, वे अपनी बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सब ठीक हो गया, बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : यह कांग्रेस वाले भी धमकाते हैं और आप भी धमकाते हो, यह कोई बात है क्या ? हम इनका साथ देंगे।

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : समाप्त कर रहा हूं, साहब। सभापति महोदय, एक 161 सी.आर.पी.सी. के बयान पुलिस ले लेती है और जिसने बयान दिये उसको कोई पता नहीं लगता। अगर 161 सी.आर.पी.सी. के बयानों पर उनके हस्ताक्षर करने की कोई योजना बन सके, सभापति महोदय, तो बहुत अच्छी बात होगी वरना इन 161 के बयानों में हेराफेरी बहुत होती है जिसके कारण भी अपराधी आपस में बच जाते हैं।

श्री सभापति : बहुत खतरनाक प्रोविजन हो जाएगा, माननीय सदस्य इस तरह करवाना।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, एक शहर के जो थाने हैं वे प्रोफेशनल होने चाहिए।

श्री सभापति : अब समाप्त करें आप। जगमाल सिंहजी, छोड़ो आप। अब समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, शहर के थाने प्रोफेशनल होने चाहिए। जैसे डकैती का मामला है, रेप का मामला है, महिला उत्पीड़न का मामला है, एस.सी., एस.टी. एट्रोसिटीज का मामला है, बलवा का, भू-माफियां का है, एक ही हैड कांस्टेबल सारी एफ.आई.आर. को लिखता है, वही आई.पी.सी. लगाता है। इसलिए जो डकैती की धाराओं का एक्सपर्ट है, भू-माफिया की धाराओं का एक्सपर्ट है, इनका एक्सपर्टाइजेशन या प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है वरना एक ही तरह का होने के कारण सही न्याय नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय, थानों पर 1315 लोगों की नफरी है। इससे ज्यादा अब फाइनेंशल प्राब्लम है, यह ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। यह

(डा. किरोड़ी लाल)

जो थाने के बाहर 4-4 सिपाही रखते हो न 8-8 घंटे के लिए तैनात करने के लिए, जो अंग्रेजी सिस्टम है कि आपने सिपाही बाहर तैनात कर दिये, उसकी जरूरत क्या है ? वह अंग्रेजी जो सिस्टम चल रहा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत हो चुका है, अब कृपया खतम करें।

डा. किरोड़ी लाल : जो यह अंग्रेजी सिस्टम चल रहा है, गृह मंत्रीजी उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नफरी का चार-चार का यह पहरा खतम कर दिया तो चार आदमी आपकी पुलिस को और मिलेंगे और वे आपकी लॉ एण्ड आर्डर को मेनटेन करने में काम देंगे। इसलिए इस मौके पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, गृह मंत्रीजी आप इन सुझावों पर कार्यवाही करेंगे और जो कानून की व्यवस्था, सभापति महोदय, इस कांग्रेस के राज में चौपट हो गयी है, आप बड़ों को इनाम दे रहे हो और जो सिपाही हैं उसके प्रति कुछ नहीं करो, यह बरदाश्त नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी।

डा. किरोड़ी लाल : इसलिए पुलिस की जो यह कार्यवाही की जा रही है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, सदन में पुलिस, कारागार और यातायात मांगों पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने अधिकतर ने जिन्होंने भी अभी तक भाग लिया, उन्होंने अधिकतर ने पुलिस के ऊपर ही अपना ध्यानाकर्षित किया और कारागार के विषय में कोई अभी तक नहीं बोला। मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट है कि कारागार की जो स्थिति है वह माननीय मंत्रीजी को बधाई देवें कि कारागार के अंदर इन्होंने हालात ठीक ही रख रखे हैं। सभापति महोदय, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि ठीक है कि नहीं। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अभी इनका भाषण सुन रहा था और उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और पुलिस विभाग के ऊपर निश्चित रूप से आज कई तरह की जिम्मेवारियां आ गयी हैं। पुलिस प्रशासन को सब तरह के कार्यों के अंदर उसको देखना पड़ता है और पुलिस प्रशासन आज अगर रेवेन्यु का कोई मामला आ जाय, कोई झगड़ा हो जाय तो पुलिस प्रशासन जाता है कहीं डिमालेशन होता है तो पुलिस प्रशासन जाता है। तो इतनी मल्टी फेरियस फरदर एक्टीविटीज आज उसकी हो गयी है और उसको देखते हुए इनकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है सभापति महोदय, कि मैं कोई इस बात के लिए कह रहा हूं कि जिम्मेदारी बढ़ गयी उसके साथ-साथ इसके दायित्व भी बढ़ गये और अपने कर्तव्यों का इस विभाग को भी इस प्रकार

(श्री दिग्विजय सिंह)

से निर्वहन करना चाहिए कि जनता के अंदर इसकी एक छवि बने। और छवि इस प्रकार की बने कि वह अपना कर्तव्य करते रहें और छवि भी बनाते रहें ताकि पुलिस के ऊपर जो आज आये दिन यह अनर्गल आरोप भी लगते हैं, कई सत्य भी होते हैं, उन आरोपों से कैसे बचा जा सकता है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से अभी के.सी. विश्नोई साहब जो एक बात बता रहे थे, इन सारे तथ्यों को आप देखें तो एक विचारणीय प्रश्न है कि इन सब बातों को देखते हुए हमें यह सोचना होगा कि पुलिस प्रशासन के इस ढांचे को रि–आर्गेनाइजेशन करते समय किस अधिकारी को कहां लगाया जाय। कौन कहां रहे उसके लिए खुली छूट के रूप में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। उन्होंने सही कहा था कि उसके लिए कुछ हमें भी जो जनप्रतिनिधि हैं हमको भी जिम्मेदारी सहित काम करना होगा। कभी–कभी होता यह है कि सभापति महोदय, मुझे इसलिए अनुभव है कि मैं जानता हूं कि कभी–कभी किसी अधिकारी के खिलाफ काफी गम्भीर आरोप होते हुए भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि उसको फिर वहीं पोस्टिंग देने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ता है। तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूंगा कि अपने इस विभाग को इस तरह से सारे को संतुलित करें और जो पोस्टिंग करें तो इन सब परिस्थितियों को देखें।

सभापति महोदय, अभी डाक्टर साहब बता रहे थे, क्राइम के संबंध में और क्राइम्स कह रहे ये बढ़ गये। बलात्कार का भी कहा, महिलाओं के अत्याचार का भी कहा और भी कई बातें कही। सभापति महोदय, मैं तुलनात्मक दृष्टि से उनको याद दिलाना चाहूंगा, उनको ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वर्ष 1997 में डकैती 149, 1998 में 140 और 1999 में 109, लूट की वारदात 1997 में 1347, 1998में 1354, 1999 में 1209, हत्या 1997 में 1558, 1998 में 1514, 1999 में 1520, बलात्कार 1997 में 1255, 1998 में 1256 और 1999 में 1198 इस प्रकार से यह सारा विवरण इसमें दिया है। बलवा की भी स्थिति देख लें, जो अभी बतला रहे थे 1997 में 21565 स्थानों पर बलवो हुए, 1998 में 21389 स्थानों पर बलवे हुए और 1999 में 16598 स्थानों पर बलवे हुए। तो तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें तो इस शासनकाल में यह क्राइम और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से उनमें कमी आयी है। सभापति महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा और वह इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि हम क्राइम्स के आंकड़ों को, बलात्कार के, महिलाओं के अत्याचार के जो हो रहे हैं निश्चित रूप से वे जघन्य अपराध हैं और उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और उनके रेकार्ड से या उनके कमिट होने से या क्राइम किये जाने से अगर हम पुलिस की एफिशिएंसी या

(श्री दिग्विजय सिंह)

इनएफिशिएंसी को इसमें जोड़ेंगे तो वह मैं समझता हूं आज के इस युग में सब तरह के क्राइम्स हैं। वे भी आज कई तरह की फिल्में देखते हैं, कई तरह के टी.वी. देखते हैं, इंटरनेट पर कई प्रोग्राम देखते हैं और उसके अलावा क्राइम की रेट आज यहां ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर ही बढ़ती जा रही है। तो उस सारी परिस्थिति को देखकर अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो आप समझते हैं कि पुलिस जितनी होशियार हो जाती है और जितनी सुसज्जित होती है क्राइम डिटेक्ट करने में, क्राइम करने वाला भी उतना ही होशियार होता है। वह भी बहुत सोच समझ करके क्राइम करता है। वह जब डकैती भी करने जाता है तो ग्लव्ज पहन कर जाता है। लूटपाट करता है तो भी पहन करके जाता है। ताकि उसके फिंगर प्रिंट वगैरह नहीं छूटे। इसलिए पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आती हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आज हमारी आवश्यकता इस बात की है कि हम पुलिस को और इस विभाग को ज्यादा सुसज्जित करें, इसके अन्दर हम ज्यादा इस प्रकार के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करायें, आधुनिक चीजें दें ताकि ये जो क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स को डिटेक्ट करने में वह जल्दी से जल्दी सफल हो सके।

सभापति महोदय, मैं यहां इस सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो पुलिस प्रशासन का स्ट्रक्चर है वह मेरे ख्याल से टोप हैवी है। इतना टोप हैवी है कि अगर आप आंकड़े देखें तो सीनियर आफिसर्स डी.जी. से लेकर के एस.पी. तक 161 हैं। डी.जी. से लेकर एडिशनल डी.जी., आई.जी., डी.आई.जी., एस.पी. उनकी संख्या 161 है। एडिशनल एस.पी., डीवाई.एस.पी. को जोड़ें तो 551 और दूसरे जो स्टाफ हैं, इंस्पेक्टर हैं, एस.आई. हैं, ए.एस.आई., हैं, हैड कांस्टेबल हैं तो वे 15019 हैं और कांस्टेबल हैं वे 52727 हैं। अब सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज राजस्थान की जनसंख्या 3.5 करोड़ हो गयी और उस अनुपात में हमारी जो पुलिस फोर्स है, हमारी जो कांस्टेबल्स की नफरी है वह 52727 है जो 1:40 या 45 का रेशो भी नहीं रहा जबकि आज होना चाहिए 1:20 का। बड़े–बड़े शहरों के अंदर निश्चित रूप से आज थानों के अन्दर 32–40 कांस्टेबल्स हैं पर बाकी आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में थाने हैं उनके अंदर कांस्टेबल की नफरी है वह मेरे ख्याल से 14 से 16 के बीच में है। 14 और 16 के बीच के अंदर अगर है तो सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि उनमें से 3 या 4 तो ड्यूटी पर रहते हैं, 3–4 बीमार चलते हैं, 2–3 तामीलों में चलते हैं कुलमिलाकर थाने के अंन्दर 3–4 आदमियों से ज्यादा नहीं होते। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई वहां पर उपद्रव हो जाए तो फोर्स बुलानी

(श्री दिग्विजय सिंह)

पड़ती है तब तक वह घटना और गम्भीर हो जाती है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस पुलिस फ़ोर्स को, इस नफरी को बढ़ायें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके ये टोप लेवल के आफिसर्स हैं जो आज यहां पर पी.एच.क्यू. में बैठे हैं, आप इनको कमीशन रेट पर कमिश्नर हैडक्वार्टर्स पर, डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर भेजें ताकि कुछ कंट्रोल हो। जैसे आई.जी. लेवल के आफिसर्स या जो भी हैं उनको आप रि-आर्गेनाइजेशन करके डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर भेजें और कुछ आई.जी. यहां हैं वे वैसे भी प्रशासनिक दृष्टि से अपने-अपने डिविजनल हैडक्वार्टर्स को देखते हैं। तो अगर उनको वहां शिफ्ट किया जाए तो ज्यादा सार्थकता होगी और मौके पर जो डिविजन के अंदर समस्याएं आती हैं और यहां से निर्देश लेने पड़ते हैं, उनका समाधान हो सकेगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि पुलिस विभाग के पास जो भी आज समस्या आती है वह आती है साधनों की। साधन सीमित होने से, साधन कम उपलब्ध होने से खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आज साधन इस प्रकार के थानों में हैं कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो थानेदार जब जीप लेकर जाता है तो उसकी गाड़ी तो चलती है 30 किलोमीटर की रफ्तार से और क्राइम करने वाले की गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर की रफ्तार से। क्राइम करने वाले की गाड़ी की स्पीड और उसमें दुगुना फर्क रहता है। आपकी गाड़ियां सारी खराब हैं। सभापति महोदय, आप यहां से जो गाड़िया अलाट करते हैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां से जब नयी गाड़ी अलाट की जाती है और डिस्ट्रिक्ट को जो अलाट होती है उसमें होता क्या है कि वह जिले में ही रह जाती है। पहले तो जब वह डिविजन को होती है, डिविजन के अंदर आती है तो डिविजन में जो डी.आई.जी. है। वे अपने स्तर पर रख लेते हैं। अगर नयी जिप्सी आ गयी तो डी.आई.जी. साहब पहले खुद रख लेते हैं और उनके पास जो जिप्सी है उसको आगे भेज देंगे। इसी प्रकार से जिलों के लिए जीप जाती है तो थाने के नाम से अलाट होकर जाती है और थाने में नहीं पहुंचती है। थानों में वही कंडम गाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट में खराब हो रखी है, हैडक्वार्टर्स में खराब पड़ी है उनको आप थानों में भेज देते हो और नयी जीपों को वहां रख लेते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करें। मैं यह चाहूंगा कि ये जो गाड़ियां जाएं, ये संसाधन जाएं वे वहां से ही आप क्यों नहीं भेजते कि अमुक थाने के, लिए पहुंचेगी और यह वहां ही

(श्री दिग्विजय सिंह)

जाएगी ताकि वह एक सही जग़ह पहुंचे और उसका सही उपयोग भी हो।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट। आप हमारे नेता भी रहे हैं और होम मीनस्टर भी रहे हैं। जब होम मिनिस्टर थे तब आपने कितनी गाड़ियां थानों में प्रोवाइड कीं। यह बता दें कि कितनी नयी गाड़ियां थानों में प्रोवाइड की ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने आपको तो कर दी थी।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे कहां की ?

श्री सभापति : ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके लिए तो कर दी थी। आपके थाने में तो मैंने कर दी थी। आपको शायद याद नहीं है, आपके थाने में कर दी थी।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी दूसरी बात है माननीय पूर्व गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं, आपके थाने में तो कर दी थी।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा तो यह अर्थ है कि कैसे क्या की जा सकती है।

श्री दिग्विजय सिंह : आज अगर पुराना रिकार्ड चैक कर लें तो...

श्री जगत सिंह दायमा : जो सार्थक हो सकता है वह आप सुझाव दे दें।

श्री सभापति : अब विराजिये, विराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर आपके कोई थाने में वाहन खराब पड़ा है तो आप बता दें, मैं सिफारिश कर दूंगा, मिल जाएगी। सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूं और वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह यह है कि हमारा जो एफ.एस.एल. है उसको भी और सुसज्जित करने की आवश्यकता है। हालांकि उसके लिए अब के बजट में प्रावधान रखा है 10 करोड़ या कुछ का, पर उसमें और होना चाहिए। सभापति महोदय, एफ.एस.एल. के अंदर क्या है कि एफ.एस.एल. में आज गांवों में कहीं भी कोई मर्डर हो जाता है तो सारा का सारा जांच के लिए यहां आता है और 3-3 साल तक, 2-2 साल तक कई यहां पड़े हैं, तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि अगर एफ.एस.एल. की रिसर्च डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर स्थापित हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो मुकदमे हैं और क्राइम करने वाला जो क्रीमिनल है उसको यह समय मिल जाता है अपने एविडेंस को विन-ओवर करने का। वह नहीं मिल पाएगा और जल्दी से इसका निपटारा होगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह कर रहा था, मैंने यह बात पहले भी कही थी और मैंने मेरे मंत्रीकाल में भी इस बात के लिए पूरी बात कही थी कि जयपुर की आबादी को देखते हुए यहां पर पुलिस कमिशनरेट लागू होनी चाहिए। अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में भी माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया और इस बात को उन्होंने कहा है कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

कैबिनेट में ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी इसकी दुबारा जांच कर लें। मैं खुद मंत्रिमण्डल में था, मुझे मालूम है और कैबिनेट का फैसला हुआ। फैसला ही नहीं बल्कि यहां तक हो गया था कि पूर्व राज्यपाल चेन्ना रेड्डी के नाम के कार्ड भी छप गये थे और उसका उद्घाटन होने जा रहा था। वह तो किसी कारण से, जिसका मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहूंगा कि दो दिन पहले वह कमिश्नरेट का उद्घाटन होने से रह गया। आज इन्होंने जो मुझे उत्तर दिया, मुझे अफसोस है कि गृह मंत्रीजी, आपने जानकारी नहीं की।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इंटरवीन तो नहीं करना चाहता, आपके कैबिनेट के फैसले के बाद आपकी सरकार कितने दिन तक चली ?

श्री दिग्विजय सिंह : हमारी कैबिनेट की बात है, कैबिनेट ने फैसला कर लिया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह पूछना चाहता हूं क्लेरिफिकेशन के लिए कि क्योंकि भ्रांति नहीं रहे, आपके कैबिनेट के निर्णय के बाद आपकी सरकार कितने दिन तक चली और आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाये ?

श्री जगमाल सिंह यादव : हम तो भैरोंसिंह के +++ थे। हम तो भैरोंसिंहजी के +++ थे। हम तो +++ थे और दिग्विजय सिंहजी आप भी उनमें से एक थे। सरकार तो उनकी थी, कैबिनेट तो उनकी थी।

(16.00 बजे)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही कि आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया ? मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने इन्कार क्यों किया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह आपने लागू नहीं किया। वह लागू नहीं हुआ तो...

श्री दिग्विजय सिंह : लागू नहीं होना अलग बात है। डिसीज़न होना अलग बात है। मैंने पूछा था कि क्या मंत्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया था ? आपने कहा नहीं। लागू नहीं हो, वह अलग बात है। मैंने यह नहीं पूछा कि लागू क्यों नहीं हुआ ? लागू हुआ या नहीं हुआ ? मैंने पूछा है, यह रहा मेरा सवाल...

श्री सभापति : पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो ? छोड़ो यह सब।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर की आबादी लगभग 25 लाख हो गई और यहां पर निगम भी स्थापित हो गया तो नोर्म्स के हिसाब से और आज जो सारा पुलिस का स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

को अगर आप देखें तो पूरा का पूरा उसी प्रकार का है जो कि एक कमिशनरेट लेवल पर होता है अब केवल एक नोमेनक्लेचर की आपको जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आता, चलिये, हमने नहीं किया, उस समय सरकार ने नहीं किया तो आपको लागू करने में क्या आपत्ति है ? केवल जो ब्यूरोक्रेटिक उलझन है, आई.ए.एस. आई.पी.एस. के बीच में, ये उसको नहीं चाहते और ये इसलिए नहीं चाहते कि आई.ए.एस. वालों की उनकी अथोरिटी खतम हो जाएगी। मैं यह कहता हूं कि अगर आज जयपुर में कमिशनरेट लागू करेंगे, आप एक तरफ तो पुलिस को चोर बतायेंगे, एक तरफ तो आप पुलिस को गैर जिम्मेदारान बतायेंगे और दूसरी तरफ आप उसको जिम्मेदारी देना नहीं चाहते। आप दीजिये उसको जिम्मेदारी। आपके आई.पी.सी. के कई सेक्शन उनके तहत तो जायेंगी नहीं। आज यह कहकर पुलिस वाले बरी हो जाते हैं कि साहब हमने तो उस गुण्डे को पकड़ लिया, हमने तो वैसा कर दिया परन्तु मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया। आज जो मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से करीबन 10,000 होंगे, उस समय तो 5,000 होंगे, अब यह 10,000 मुकदमें जो पुलिस वाले वहां चालान कर देते हैं 110 में, 151 में, 323 में, वे सब आज पेंडिंग पड़े हैं और वहीं से जमानत करके आते हैं उन थानों में वापस आकर फिर वहां गुण्डागर्दी करते है और गुण्डागर्दी करके बदमाशियां करते हैं और आर्गुमेंट यह देते हैं हायर आफिसर्स इसके लिए, अगर वह लागू हो जायेंगी तो एस.पी. की अपील डी.आई.जी. सुनेगा और डी.आई.जी. की अपील आई.जी. सुनेगा और आई.जी. की अपील कमिश्नर सुनेगा तो यह तो सब एक ही एक हो जायेंगे। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि आज कलक्टर की अपील कौन सुनता है ? आज कलक्टर की अपील रेवेन्यु बोर्ड में जाती है। वहां कौन बैठता है ? वहां आई.ए.एस. है। आज एस.डी.ओ. की अपील कौन सुनता है ? ए. डी.एम. सुनता है, आई.पी.एस. है। यह आर्गुमेंट्स दें कि सब ये के ये हो जायेंगे और उसको न्याय नहीं मिलेगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अगर सारे एक होते तो, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो ए.सी.आर. लिखी जाती है तो फिर किसी भी पुलिस अधिकारी की ए.सी.आर. खराब क्यों हो ? जब सारे आई.पी.एस. एक जैसे हैं और सब मिले हुए ही हैं तो एस.पी. की ए.सी.आर. डी.आई.जी. क्यों बिगाड़ता ? एस.पी., डीवाई.एस.पी. की क्यों बिगाड़ता, एडिशनल एस.पी. की क्यों बिगाड़ता क्योंकि वह तो मिले हुए हैं सब, इसलिए ए.सी.आर. तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। यह मुझे भी मालूम है। मैं खुद बहुत टाइम का पाबंद हूं इसलिए आपको कष्ट नहीं दूंगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, आपसे आग्रह है गृह मंत्रीजी, अगर पूर्व

(श्री दिग्विजय सिंह)

सरकार ने लागू नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया तो इसका मतलब है, आपकी सरकार तो पारदर्शी सरकार है और हर मामले के अंदर क्या कदम उठाना चाहती है तो आप कम से कम आपके इस टेन्योर में, मैं चाहता हूं कि आपके टेन्योर में और इस साल ही पुलिस कमिश्नरेट आप लागू कर दें तो आपके लिए और सरकार के लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं एक-दो बात और कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट, मैं उसमें ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। अभी हाल ही में आपको कुछ रिशफल्स किये थे। मैंने अखबारों में पढ़ा है चार दिन पहले, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि ए.सी.डी. के अंदर जिस किसी की भी आज पोस्टिंग करें आप कॉफिडेंशियली डोजियर्स मंगाकर देखिये, इनके डोजियर्स मंगाकर देख कर फिर आप उनको करें तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहां बैठ गये, वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया और आपने कर दिया, यह उचित नहीं है। ए.सी.डी. में तो ऐसा होना चाहिए कि बिलकुल निष्पक्ष और इस प्रकार के अधिकारी होने चाहिए, किसी प्रकार से किसी दबाव में नहीं आये। मैं सभापति महोदय, एक और बात निवेदन करना चाहूंगा। जैसे कहते हैं कि ए.सी.डी. छापा मारते हैं बहुत बढ़िया है। हम भी चाहते है छापा मारे पर Charity begins at home, आप घर से शुरू कीजिये। ए.सी.डी. में कितने पुलिस अधिकारियों के यहां छापे मारे। डीवाई.एस.पी. ले लीजिये, एस.पी. ले लीजिये, डी.आई.जी. ले लीजिये, आई.जी. ले लीजिये। गृह मंत्रीजी, आज आप जयपुर की जांच करा लें। आज इनके सबके यहां पर करोड़ों की सम्पत्तियां मिलेगी। कहां से आई ? पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं ? आय से ज्यादा सम्पत्ति के ऊपर छापा मार दिया। अब कोई मार दिया तो आपने इनको पूछा कि यह भी आप करिये इसलिए मैं चाहूंगा, आप चाहेंगे तो मैं आपको सूची भी दे दूंगा। मेरे पास सूची है। कई ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने, थोड़ा बहुत स्वायत्त शासन मंत्रीजी से भी ताल्लुक रखता है। स्वायत शासन मंत्रीजी, आप भी सुन लें। धारीवाल साहब, आपसे भी ताल्लुक रखता है। कई ऐसे अधिकारी हैं आई.ए.एस.,आई.पी.एस. जिन्होंने कई जगह मकान बना रखे हैं जिनकी स्वीकृति ही नहीं हुई...

श्री शांति कुमार धारीवाल : दुबारा से फरमायें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं दे दूंगा सूची आपको, आपके ध्यान में नहीं रहा। मैंने भी नहीं सुना आपने क्या कहा ? मैं यह कह रहा हूं कि ए.सी.डी. ने छापे मारे, बहुत बढ़िया है। मैं आपकी भी जानकारी में लाना चाह रहा हूं, कई ऐसे अधिकारी हैं, आज

(श्री दिग्विजय सिंह)

कुछ रिटायर भी हो गये, कुछ-कुछ अभी भी हैं जिनके मकान बने हुए हैं बगैर स्वीकृति के और उनकी सूची आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा और उनकी आप जांच करा लें, उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करें। यह भी मैं गृह मंत्रीजी से चाहूंगा, ए.सी.डी. में अपने खुद के विभाग से भी शुरू करें। आप चाहे सलेक्ट कर लें आफिसर्स और उसमें ले लें। एक डीवाई.एस.पी. ले लें, एक एडिशनल एस.पी. ले लें, एक एस.पी. ले लें, एक डी.आई.जी. ले लें, एक आई.जी. ले लें और उसके बाद में आप उसको दीजिये। आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि पारदर्शिता के हिसाब से जनता को भी इस बात का मालूम होगा कि हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करती, पुलिस विभाग में नहीं करती। पुलिस विभाग में बिलकुल अच्छी तरह से काम करती है।

अंत में सभापति महोदय, एक यह निवेदन करना चाह रहा हूं, जो पूर्व में हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आप एक नियम तो बना लें और वह बनाना आवश्यक भी है, भले ही आज हम माननीय सदस्यगण हैं, हम भी आपसे सिफारिश करें तो जैसा अभी स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने आपरेशन पिंक चलाया तो उसके अंदर किसी की भी नहीं सुनी। मुख्य मंत्रीजी के पास एक डेलीगेशन गया था झोटवाड़ा का, मुझे मालूम है एक हफ्ते पहले, इन्होंने भी कह दिया कि कुछ नहीं जानते, यह तो होगा जो होगा इसलिए आप कम से कम यह नियम बना लें। जो अधिकारी तीन साल से जयपुर में रह रहे हैं, उसको आप जयपुर से बाहर करें और यहां से बैन लगा दें कि तीन साल हटने के बाद छह साल तक वापस जयपुर में नहीं आएगा। आज कई अधिकारी चाहे बड़े से बड़ा हो और छोटे से छोटा हो, जयपुर से बाहर नहीं जाना चाहता। आप चाहेंगे तो कुर्सी उसकी बदल देंगे। इस कुर्सी से उस कुर्सी पर जायेगा पर जयपुर नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं आखिर जयपुर से उसका लगाव इतना क्यों है ? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप यह रेस्ट्रिक्शन कर देंगे चाहे हम भी कहें, हम पर भी यह नियम लागू होगा चाहिए। हम कहें उसके पहले सोच-समझकर सिफारिश करें। तो यह आप करेंगे। तीन साल का बैन करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा नहीं। तो यहां रहते-रहते उनका लगाव हो जाता है और लगाव होने की वजह से फिर वह अधिकारी यहां रह नहीं पाता है तो उसको ज्यादा परेशानी होती है।

सभापति महोदय, अंत में आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। थोड़ी बहुत घोषणाएं होती हैं औपचारिक गृह मंत्रीजी करते हैं तो उन घोषणाओं के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। आप करेंगे जरूर, जैसे मैस अलाउंस के लिए है जो हमेशा होता है कि मैस अलाउंस आप बढ़ाते हैं। अभी शायद

(श्री दिग्विजय सिंह)

350 रुपये मिल रहा है। अब उसको बढ़ाकर शायद आप 100 रुपये और बढ़ा देंगे, 150 रुपये बढ़ा देंगे और ज्यादा बढ़ायेगें तो, इसमें इतना ही निवेदन गृह मंत्रीजी से है, अभी तक जो उनको 350 रुपये अलाउंस मिल रहा है तो उनसे 500 रुपये काटा जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैस अलाउंस जितना आप दे रहे हैं, साढ़ तीन सौ रुपये मिलते हैं, साढ़ें तीन सौ ही काटिये। आप पांच सौ रुपये काटते हैं तो पांच सौ न काटे। साढ़े तीन सौ रुपये मिलता है मैंस अलाउंस और वह इसलिए काटते हैं, वह कह देते हैं कि साहब, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी आ गई, तेल महंगा आ रहा है, उससे कोई क्या मतलब, जब आपने साढ़े तीन सौ रुपये का अलाउंस दिया है तो साढ़े तीन सौ ही काटिये, आप उसको डेढ़ सौ रुपये की मार कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि वह सिपाही तो भ्रष्ट हो रहा है, आप खुद उसको इस प्रकार से बना रहे हैं कि वह भ्रष्टाचार करे।

सभापति महोदय, अंत में एक और निवेदन करूंगा, आप गृह मंत्रीजी, इसकी भी जांच करा लें कि अभी आपके पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव हुए और पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव हुए तो यह सराहनीय है कि पुलिस विभाग ने बहुत अच्छी ड्यूटी अंजाम दी और सारा पुलिस विभाग और सारे कांस्टेबल सब उसमें लगे हुए थे और काम किया। पर मेरे को मालूम पड़ा कि आपके विभाग से केवल 665 आदमियों की सिफारिश गई है कि इनको अलाउंस दिया जाय क्योंकि इन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी दी। जब यह सारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, अब यह 665 या 660 किस प्रकार से छांटे गये, किस प्रकार से आपके यहां सिफारिश आई जबकि आपका सारे का सारा अमला इसके अंदर लगा हुआ था। तो इसकी आप जांच करा लें।

एक माननीय सदस्य : वह तीमारदार थे।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तीमारदार हों, कोई भी हों, पर यह गई है, इसको आप दिखवा लें। एक और दिखवा लें...

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन लाल मोदी, आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री दिग्विजय सिंह : एक निवेदन कर दूं, बस यह एक ही है। जब रिटायरमेंट किसी का होता है तो रिटायरमेंट के बाद, खास तौर से सिपाही, उसको छह-छह महीने, साल-साल भर तक पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आप कम से कम यह तो पाबंदी करें कि सिपाही का जब रिटायरमेंट हो उसके तीन महीने के अंदर-अंदर उसके सारे कागजात तैयार हो जायं और उस सिपाही को एक महीने के बाद पेंशन चालू हो जायं। नहीं तो वह गरीब सिपाही रिटायर होने के बाद यहां आपके चक्कर लगाता

(श्री दिग्विजय सिंह)

रहता है। चक्कर लगाये सो लगाये और आने में भी कोई बात नहीं, पर यहां पर जो कागजों के अंदर पैसा चलता है नीचे से वह सिपाही जिसको पहले आप कहते थे वही भ्रष्टाचार करता है खुद, वह देता है अपनी जेब से। इसको आप दिखवा लें। और अंत में सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और यह सुझाव है, इसकी आप जानकारी कर लें। हरियाणा में भी यह बात लागू है। आज आपका सिपाही, आज आपका थानेदार, आज आपका ए.एस.आई. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट जीप या किसी में बैठ कर आता है या कभी-कभी ट्रक में बैठ कर आता है। अब आपका फीत लगा हुआ थानेदार, ए.एस.आई. एक ट्रक में बैठ कर आ रहा है, क्या बस में वह नहीं आ सकता। रोडवेज वाले उससे चार्ज कर लेते हैं। तो आप क्यों नहीं, फिर उधर उनके ऊपर, सिपाही पर या थानेदार पर आरोप लगता है कि यह अवैधानिक रूप से ट्रक मालिकों से मिला हुआ है या जीप वालों से मिला हुआ है, उसमें आता है। वह अपनी सुविधा के हिसाब से आता है, कुछ पैसे बच जाते हैं। मिलता क्या है उसको। आप उसका अलाउंस सारा देखें तो पांच हजार, छह हजार से ज्यादा नहीं जाता। तो मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि आप क्यों नहीं पच्चीस रुपये माहवार हर कांस्टेबल से या हर जो आपकी पुलिस नफरी वाला है उनकी पे में से काट लें और उनको फ्री पास रोडवेज का दिलवा दें। आज आपके 52,600 या कुछ हैं या साठ हजार होंगे और यह दोनों मिला लेंगे तो सत्तर हजार होते हैं, अगर आप पच्चीस रुपये माहवार काट लें और उनको फ्री पास मिल जाये तो वह उस बस में बैठ कर चला जाया करेगा। आज भी, सभापति महोदय, आज भी होता है प्रेक्टिकल के अंदर कि सिपाही अपनी ड्यूटी के बाद जो जयपुर के आसपास है, वह किसी न किसी जीप में बैठ कर या कोई जुगाड़ लगाकर या किसी में भी बैठ कर जाता है और वापस आ जाता है। अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो मैं समझता हूं कि रोडवेज को भी आमदनी होगी और वह सिपाही भी और जो पुलिस की नफरी वाला आदमी है उसको भी सुविधा मिलेगी, तो उसको आने-जाने में सुविधा होगी। इसलिए गृह मंत्रीजी, आप इन सुझावों पर ध्यान देंगे और यह मामूली बात है, आपको आमदनी आयेगी, पुलिस का सिपाही भी खुश होगा और जो पुलिस का अमला है वह भी आपकी वाहवाही करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विचार रखता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या-16 पुलिस, मांग संख्या-17 कारागार एवं मांग संख्या-12 अन्य कर पर बहस चल रही है, विचार चल रहा है। मैं अपने को इसमें

(श्री मोहन लाल मोदी)

शामिल करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे मुख्य काम पुलिस का होता है सुरक्षा व्यवस्था करना, सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। पुलिस का व्यवहार कैसा हो, लोगों से बातचीत किस ढंग से करे, लोगों में किस तरह की उनमें आस्था है अभी जितने माननीय सदस्यों ने यहां कहा है उससे पुलिस के आवरण पर से पर्दा हटेगा आपके, यानि हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात है कि पुलिस बहुत खराब है, पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है।

(16.15 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की इस धारण को बदलिये, लोगों को व्यवहार सिखाइये, थाने में कोई आदमी रिपोर्ट करने जाता है उससे किस तरह का व्यवहार करें, किस तरह का उसको सम्मान दे। बजाय सम्मान देने के रिपोर्ट करने वाले आदमी के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि मौके पर चलेंगे जीप लेकर आओ और उनकी फीस देवो, उसके बाद मौके पर जायेंगे। आम आदमी की इतनी बड़ी धारणा गंदी होती जा रही है और वैसे सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। कोई सारे आदमी पुलिस में करप्ट नहीं हैं, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं लेकिन इस सारी धारणा को आप सही करिये, उनको आप ट्रेनिंग दें, कोई, कोई शिक्षा दें और थोड़ा आप अपना कन्ट्रोल करें, चैकिंग करें। शाम के बाद तो आप देखेंगे, रात में कभी कोई आदमी पुलिस में, भूलाभटका चला जायें थाने में तो ज्यादातर लोग शराब के नशे में रहते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनी जाती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी जब पुलिस पर है और पुलिस का यह हाल होगा तो किस तरह से हम स्वच्छ प्रशासन दे सकेंगे लोगों को। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें सुधार कीजिये। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, नाम लेकर भी यहां एस.पी. के बारे में बताया है, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे यहां नीमकाथाना में एक समानान्तर पुलिस का प्रशासन चल रहा है। इन हमारे माफिया, शराब माफिया, समानान्तर गाड़ियां हैं, दो-दो, तीन-तीन गाड़ियों में उनके लोग बैठे रहते हैं, उनकी गाड़ियों में वायरलेस सैट लगे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर क्या है यह, किस तरह से उनको वायरलेस सैट लगाने की छूट दे रखी है जैसे कोई डकैतों के वायरलेस लगा हुआ हो और वह कहते हैं, वहां तक रास्ता साफ है, यहां साफ है, इस तरह की बात है। तो वहां पर वह जिसको चाहे उसको पीट देते हैं और पीटने के बाद यह आबकारी वाले, इनसे ऐसी सांठ-गांठ है कि जिस आदमी को पीटा उसी आदमी को ले जाकर झूठा दारू का मुकदमा लगा कर उसको बंद कर देते हैं। इस तरह से इतना

(श्री मोहन लाल मोदी)

आतंक मचाया हुआ है। इन माफियां गिरोहों ने; शराब माफिया ने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान में इस शराब माफिया को पनपने मत दीजिये वरना बिहार की हालत होगी। जगह-जगह लोगों को उठा ले जाते हैं, लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, ऐसी हालत कर रखी है। अब पुलिस के अधिकारी जो भी हैं, मैं कहूं कि लोकल तो जो भी हैं लेकिन उनकी बड़ी-बड़ी पहुंच है, यहां जयपुर में जितने ऊंचे अधिकारी बैठे हैं, उनके पास एप्रोच है, उनसे टेलीफोन करा देते हैं और एक आदमी उनकी पकड़ में नहीं आता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे यहां से ब्लाक अध्यक्ष कांग्रेस का, उसको इन्होंने रास्ते में रोक कर छुररा दिखाकर तीन हजार रुपये छीन लिये, रिपोर्ट की, कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों से अगर कोई कार्यवाही नहीं हो तो आखिर क्या नतीजा निकलेगा। मैं आपको दो-तीन उदाहरण ऐसे बताता हूं। मुकदमा नं. 160/99, 217 का है मेरे यहां का, रायपुरपाटन का, लालचन्द बलाई। उसके घर में घुस करके सात आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, मारपीट की, बन्दूकों से हमला हुआ महिला को घायल कर दिया और किस बात के ऊपर कि उनके हैण्ड पम्प लग रहा था, बोले हैण्ड पम्प नहीं लगने देंगे यहां पर। हरिजन के हैण्ड पम्प लग जाए, हम ऊंची जाति के लोग हैं उसको हम नहीं लगने देंगे और उस पर मारपीट होकर मुकदमा बना। मुकदमे में एक आदमी की गिरफ्तारी हुई बाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए यहां जयपुर में आ गये। जयपुर में फाइलें आ गई। जयपुर से फाइलें यहां सी.आई.डी. में चली गई। इतना डिले हो जाता है कि उससे उसकी अहमियत खतम हो जाती है और उसमें उन्होंने नामजद रिपोर्ट दी है। उस नामजद रिपोर्ट में दो-तीन आदमियों के नाम ऐसे हैं कि जिनको बचाने में लोग लगे हुए हैं ऊपर के अधिकारी बचाने में लगे हुए हैं उनके रिश्तेदार हैं कोई ऊपर की जगह बैठे हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें भंवर सिंह है, भगवान सिंह है, विक्रम सिंह एक अध्यापक है वहीं, विजय सिंह, तेजसिंह, देवीसिंह, शिवराज सिंह ये सात आदमी बन्दूकें लेकर आये और उस पर हमला किया और यह विजय सिंह कहीं फौज में है। यह लालबत्ती की गाड़ी लेकर आया वहां पर बोले कि इस सरपंच को जान से मारेंगे और इसके बाद हालत अब यह हो रही है कि यहां उसने अपनी फौज का असत्य सर्टीफिकेट लाकर पेश कर दिया कि यह यहां पर मौजूद था। आप बताइये कैसे आपका कानून चलेगा। जो आदमी वहां मौजूद सैकड़ों आदमियों ने देखा, सारे लोग बता रहे हैं इसके बावजूद डी.जी. के यहां पेश होकर उसका नाम कटाने के लिए वह लिखवा दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं

(श्री मोहन लाल मोदी)

कि इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दें। हरिजनों के साथ ऐसा अत्याचार हो और इसमें वो लोग तो आये चले गये, और वहां से भिजवा दिया सर्टीफिकेट। आप कम से कम इस बात की जांच तो करायेंगे कि आखिर कैसे यहां से लिख कर सर्टीफिकेट पेश कर दिया और उसको उससे हटाने के लिए लिख दिया ? दूसरा और बताऊं, मैं आपको, छोटू बलाई के लड़के की शादी थीं। वहां वहीं रायपुरपाटन उसकी निकारी में घोड़ी पर बैठाँ था लड़का उसको रोक लिया, नीचे डाल दिया। मारपीट की और उसका मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। यहां इस तरह के हालात हैं, इन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। ज्यादा नहीं मैं आपसे कहना चाहूं कि जिस तरह से यह माफिया गिरोह काम कर रहा है यह सारी शह उनकी होती है और फिर आपके यहां से उनकी मदद होती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि शराब माफिया पर पूरा का पूरा कंट्रोल कराइये आप और उस पर पूरी निगरानी रखें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि इसके यहां डी.एस.पी. हाजरी देने जाते हैं, इसके यहां सी.आई. हाजरी देने जाता है।

श्री परसादी लाल : शराब माफिया का नाम बताइये आप।

श्री मोहन लाल मोदी : शराब माफिया का नाम तो अब आप बता देना मेरी जगह।

श्री अमराराम (धोद) : सबका नाम क्या लेना।

श्री मोहन लाल मोदी : ये अमराराम जी बता देंगे। उसके यहां हाजरी देने जाता है और उसके यहां हाजरी नहीं देने जाएं तो मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं मेरे यहां जगदीश मीणा डीवाई.एस.पी. था वह उसके यहां कभी गया नहीं तो उसका ट्रांसफर करकें कोई ट्रेनिंग सेन्टर है उसमें लगा दिया। महज इसलिए कि वहां आने वाला अधिकारी इस बात के असर में रहे कि यह आदमी नहीं आया इसलिए उसको वहां से निकलवा दिया। मैं न तो किसी की सिफारिश करके आपके यहां से अफसर लगाता हूं। वह मेरी सिफारिश पर भी नहीं लगा था, अपने आप लगाया था। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप पुलिस के लोगों को डेमेज करेंगे तो वे किस तरह काम करेंगे। मेरा यह निवेदन करना है कि आपको पुलिस में थोड़ा सा विशेष तौर से इनका मानसिक सुधार करें। आज आम आदमी वहां जाने से डरता है। थानों में डरता है आपके ऊपर के अधिकारी के पास फिर भी आ जाता है लेकिन खास कर थानों में जाने से डरता है।

अभी मेरे यहां एक जेल में से कैदी जा रहा था पेशी पर। अब आप देखिये कि किस तरह की घटना हुई है। उस जेल से उस डिग्गी वाले मामले में भी वह मुल्जिम है

(श्री मोहन लाल मोदी)

और उसको वह ले जा रहे थे वहां ले जाने में उसके साथ एक सिपाही आप देखिये और एक वह जेल का सिपाही है उसके बावजूद रास्ते में एक फर्लांग भी नहीं गये होंगे। एक फर्लांग पर उनके साथियों की गाड़ी आयी 8-10 आदमी थे और उसको साथ में जेल का जो सिपाही आ रहा था उसने उसके बाथ डाल ली, छोड़ा नहीं उसको। तो उसे गोली मार दी और गोली मार कर उसको छुड़ा कर ले गये। अब आप देखिये, एक फर्लांग पर आपके जेल और उसके बराबर में डी.एस.पी. आफिस और एक फर्लांग पर कोर्ट, कोर्ट में डी.एस.पी. मौजूद। 5 मिनट में इंफोर्मेशन हो गई उसके बाद वह आदमी पकड़ा नहीं गया जो मुल्जिम था डकैती में था वह पकड़ा नहीं गया। पांच मिनट का डिफरेंस आप अंदाजा लगाइये उबड़-खाबड़ रास्ता 5 मिनट में डी.एस.पी. को इंफार्मेशन मिल गई। डी.एस.पी. भागा भी पीछे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वह तो पकड़ में नहीं आया। अब यह कहते हैं कि जो गाड़ियां काम में ली गई थी उनको पकड़ लिया कुछ नामजद कर लिया ऐसा बता रहे हैं लेकिन आम पब्लिक में इस बात की चर्चा है कि ऐसे सरेआम 10 बजे इस तरह से मर्डर होंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। हर आदमी डरना चाह रहा है इस बात से। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यही लोग जिन्होंने इसका मर्डर किया है जेल वाले सिपाही का वे ही कुछ दिन पहले हजामपुर में एक दम्पति को मार कर पीट कर और वे यहां डकैती डाल कर गये थे। तो यह रोजाना का ही एक ऐसा धंधा हो रहा है।

मंत्री महोदय, लोगों की भावना में डर पैदा हो रहा है। लोग निकलने में डर रहे हैं कि हम सवेरे जाएंगे तो शाम को हम सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसी स्थिति हो रही है। चौरियों का तांता लगा हुआ है। चाहे जिसका मर्डर हो जाए पता नहीं है उसका। तो यह ऐसी स्थिति है कि आप चाहे कोई स्पेशल फोर्स लगायें कोई इस तरह की आप एक टास्क गठित करें कि जो इस तरह के मामले हैं, मर्डर है, डकेती है, इनमें तो विशेष तौर से आपको ट्रेंड आदमी भेजने चाहिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सुधार करिये। जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी आदमी की तो क्या करेगा कोई आदमी। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं ऐसा ही एक केस नम्बर 14/95 का है मेरे यहां हरिजन सरपंच को पीटा है। आज देख लीजिये 95 से 2000 पांच साल हो गये। वह फाइल यहां सी.आई.डी. में आ गई। आपके यहां तो सी.आई.डी. एक ऐसा महकमा है कि जिसको अगर कूड़े में डालना हो तो सी.आई.डी. में भेज दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मोदी साहब और भी वक्ता काफी हैं। 15 मिनट हो गये हैं। प्लीज कम्प्लीट कीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

श्री सभापति : काफी बोल लिये 15 मिनट हो गये है। 10 मिनट से ज्यादा दे नहीं रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : अच्छा, ज्यादा नहीं कहूंगा एकाध बात ही कहना चाह रहा हूं 14/95 का एक केस हरिजन सरपंच को मारा। वह फाइल यहां सी.आई.डी. में आ गई। सी.आई.डी. ने भी उस पर लिख दिया कि इसका चालान किया जाए। इसके बावजूद दुबारा उसको सी.आई.डी. ने मंगा लिया क्योंकि यह सारा का सारा माहौल जो एक इसका बना हुआ है तो यह इस तरह के बावंडी का सरपंच है मेरे यहां का, के साथ मारपीट है। उसके केस में यहां से चालान के आदेश हो गये सी.आई.डी. के और फिर दुबारा किसी बड़े अधिकारी ने फिर सी.आई.डी. में मंगा ली। मेरे यहां तो एक ऐसा मामला हो रहा है कि जैसे पुलिस कोई चीज ही नहीं है वहां की तो पुलिस समानान्तर पुलिस वह है। मैं आपको एक छोटी सी बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि मेरे यहां नीमकाथाना में बस स्टेण्ड था उस बस स्टेण्ड को यह ठेकेदार अपने उसमें ले गया। पिछले हमारे इनके मंत्री जो थे, परिवहन मंत्री उनके खास मित्र थे उस ठेकेदार के शराब माफिया रमेश खंडेलवाल के उसके ये बहुत गहरे मित्र थे। उधर पूर्व मंत्री जो हैं बी.जे.पी. के, उन्होंने उसको वहां शिफ्ट कर दिया और आज जनता को इतनी असुविधा हो रही है। वहां न पैसेंजर जाते हैं, पैसेंजरों के आने जाने की दूसरी जगह है। मेरे यहां तो इस तरह से एकदम वातावरण बिगाड़ रखा है, सारे लोग भयभीत हैं उनसे। मंत्री महोदय, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्रम से कम लोगों को तो भय रहित कीजिए। भय नहीं रहें यह व्यवस्था आप कीजिए, और तुरन्त उसकी सुनवाई हो यह काम होना चाहिये। जो अधिकारी कमजोर हैं, उन अधिकारियों को आप दुरूस्त कीजिए। लोगों में भावना बदली है कि पहले तो बी.जे.पी. का राज था, इसलिए लोग यह समझते थे कि बी.जे.पी. के राज में सुनवाई नहीं होगी, इनका तो सीधा सम्पर्क है इसलिए कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन अब तो आप राज में है, आप इसको पूरी तरह से सुधार कीजिए। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ 155 आदमियों को जिता कर भेजा है। अभी जयपुर में जो आपरेशन पिंक चला उसकी गांवों में बहुत तारीफ है गांव वाले कहते हैं सारा का सारा काम इंसाफी के साथ हुआ है। मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप निश्चित तौर से इसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, आज हमारे इस समाज का पुलिस प्रशासन कहिए, पुलिस बल कहिए, एक आवश्यक अंग है और इस आवश्यक अंग को हमें उसी रूप में देखना पड़ेगा।

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहे हम आलोचना कितनी ही करें, लेकिन जिस अंग को काट कर नहीं फैंक सकते उसमें सुधार की बात तो हम कह सकते हैं। लेकिन बराबर उसकी आलोचना ही करते जाएं, उससे मेरे ख्याल से कोई परिणाम आने वाला नहीं है। पुलिस बल किसी समय में एक आतंक माध्यम हुआ करता था। लेकिन आज समय बदला है और पुलिस प्रशासन में, पुलिस के क्रिया-कलापों में भी बदलाव आया है। पूरा बदलाव नहीं आया है इसके लिए सभी दोषी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज समय आ गया जब पुलिस में अच्छे लोग भी भर्ती हो सकते हैं। एक कांस्टेबल का आप उदाहरण लीजिए। पहले समय में बड़ी-बड़ी मूंछ होनी चाहिये, अच्छा खासा शरीर होना चाहिये और रोबदार हो ताकि अगले के सामने जाये हो उसका आधा प्राण तो निकल जाये। लेकिन आज साइंटिफिक वे से तफतीश करना चाहते है, बात करना चाहते है और मानवाधिकार आयोग, हमारे सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की व्यवस्था बाराबर देते जा रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य समझकर पुलिस उसके साथ व्यवहार करे। इसके लिये आवश्यक है आज जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें बदलाव लाया जाना चाहिये। आज अनपढ़ नहीं है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कें आपके पुलिस बल में कांस्टेबल की भर्ती में आने को तैयार हैं। ऐसे व्यक्तियों को भर्ती कीजिए और फिर भर्ती करने के बाद उनको उसी रूप से ट्रेनिंग दीजिए। पुरानी ट्रेनिंग के मैथड को छोड़ना चाहिये। यदि अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो कोई आवश्यक नहीं है कि पुलिस एक आतंक के रूप में हमारे सामने आये। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो साइंटिफिक तरीके से तफतीश का युग आ गया है, बातचीत का युग आ गया है, उसमें कहीं डराने-धमकाने की आवश्यकता नहीं है। यहां गलती हमारी यह हो रही है कि हमने इंवेस्टीगेटिंग ब्रांच और प्रशासनिक ब्रांच को एक साथ कर रखा है। समय आ गया माननीय गृह मंत्रीजी अब हमें सोचना पड़ेगा कि इंवेस्टीगेटिंग ब्रांच अलग हो और प्रशासनिक ब्रांच अलग हो। आज थानेदार के पास कई ड्यूटीज़ हैं। वही इंवेस्टीगेशन करता है, वही लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन को देखता है, वही दूसरे काम करता है। इसलिए सही तफतीश नहीं हो पाती है और हम दोष देते हैं पुलिस प्रशासन को कि सही तफतीश नहीं हुई। लेकिन तफतीश के सही तरीके की ट्रेनिंग यदि इनको दी जायेगी तो मेरे ख्याल से पुलिस पर आज जो लांछन लगाया जा रहा है, पुलिस की जो आलोचना की जा रही है उसमें बहुत कमी आयेगी। माननीय गृह मंत्रीजी आज इस बात को सोचने की आवश्यकता हो गई है। इसलिए मैं सार रूप में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस में इंवेस्टीगेटिंग ब्रांच अलग हो और प्रशासनिक ब्रांच अलग हो और उसी रूप में

(श्री शिवनाथ सिंह)

उनकी ट्रेनिंग हो।

माननीय सभापतिजी, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन हम आलोचना तो करते हैं लेकिन हमारे पुलिस कर्मचारियों को, जो कांस्टेबल हैं नीचे के स्तर पर व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हैं उनको ट्रेनिंग क्या मिलती है। सबसे पहले जब वह रिक्रूट होकर जाता है तो 5–10 कोर्स उसको गाली के सिखाये जाते हैं। आज नया पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का गाली देने का आदी नहीं है। उसको मजबूर किया जाये यह भी अच्छा नहीं है। अच्छी ट्रेनिंग उसे मिले इसलिए गृह मंत्रीजी ट्रेनिंग की व्यवस्था को भी आप सुधारने की चेष्टा कीजिए।

माननीय सभापतिजी, आज पुलिस के सामने भी समस्याएं हैं। आज से 40–50 साल पहले जो पुलिस के थाने थे, जो पुलिस बल था उसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई। आज नये–नये तरीके अपराध करने के हमारे सामने आ गये। आज लोग–बाग विदेशों से भी ट्रेंनिग लेते हैं, यहां भी ट्रेनिंग कैम्प्स हैं। जो अपराधी है इतने अच्छे ट्रेंड हैं कि हमारे पुलिस बल के पास वह ट्रेनिंग नहीं है, साधन भी नहीं है। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमारे पुलिस बल को कितना अच्छा हम ट्रेंड करें। राजस्थान एक बहुत शांतिप्रिय प्रदेश था। इन पिछले दिनों में ब्रोडगेज ने हमको फायदा भी दिया है लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आज मैं प्रान्त का नाम नहीं लूंगा लेकिन राजस्थान के बाहर के लोग बाग यहां आते हैं। वह जुर्म करने में ट्रेंड हैं। वह शाम को आते हैं, रात को आते हैं और सुबह वारदात करके निकल जाते हैं और हमारी पकड़ से बाहर होते हैं। इसलिए इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा और पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो अपराधी आते है उन पर निगाह रखें और निगाह रखने के साथ–साथ किस प्रकार से उन पर रोक लगायी जा सकती है वह भी हमें चेष्टा करनी चाहिये।

माननीय सभापतिजी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जो आज पुलिस के पास साधन हैं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करता हूं। अपराधी के पास साधन बहुत ज्यादा हैं। अपराध करने के तरीके भी बढ़ गये हैं। पहले अपराध क्या होता था गांव में आपस में झगड़ा हो गया, खेत पर झगड़ा हो गया या कहीं छोटी–मोटी घटना हो गई लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही है। जो चार्ट पुलिस की तरफ से पेश किया गया है मैं उसके आगे निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधों की प्रवृत्ति ही बदल गई है। पुराने प्रकार के जो झगड़े थे जिसमें पुलिस को दखलन्दाजी करनी पड़ती थी उस प्रकृति के अपराध ही नहीं रहे। इसलिए इस ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और उसी के

(श्री शिवनाथ सिंह)

अनुरूप हमको अपने पुलिस बल को तैयार करना पड़ेगा।

सभापतिजी, कुछ बातें मैं दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन ऐसा वातावरण फैलया जा रहा है, मीडिया इसका सबसे बड़ा माध्यम है और हम लोग भी, सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य भी, जनता के प्रतिनिधि भी उसके शिकार होते जा रहे है। एक छोटी सी बात को बहुत बड़े रूप में हम प्रकट करते है। महिलाओं पर अत्याचार, एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार, एक घटना हो गई उसको बहुत बड़ा रूप हम देना चाहते है। कहीं छुट-पुट भी घटना हो जाये उसको इतना बड़ा हम विस्तार करते है उससे कठिनाइयां आती है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। हमारे समाज में डिमोरलाइजेशन भी आता है। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप खुद भी जानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार कौन करता है। अधिकांश केसों में महिलाओं पर अत्याचार महिलाएं ही करती है, बहू पर अत्याचार सास करती है। ऐसा एक भी मामला, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : दहेज के लिये कहिये, किसी बात के लिये कहिये, उसमें उसकी सास, ननद, भाभी और जेठानी उसमें सम्मिलित नहीं हो। इसलिये इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि अपराध न हो यह बात तो सही है, लेकिन महिलाओं को भी इस बात को सोचना चाहिये कि वह भी कभी बहु थीं आज सास बन गई तो क्या हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होता है बहुत से महिलाओं के उत्पीड़ित पुरुष भी हैं। माननीय दायमा साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं से पीड़ित हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये, उनके लिये भी कोई बचाव का काम होना चाहिये।

माननीय सभापतिजी, अट्रोसिटीज का मामला बहुत आता है, हरिजनों पर एस.टी., एस.सी. पर अट्रोसिटी के मामले हो रहे हैं। मैं मानता हूं हो रहे हैं लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है उतना नहीं हो रहा है। आज मैं फिगर्स भी दूंगा जो प्रोविजन कानून के ढाल के रूप में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को दिया गये थे वो आज ढाल के रूप में काम में नहीं लिये जाकर तलवार के रूप में काम में लिये जा रहे हैं। दूसरे लोगों के कहने से दूसरों लोगों के आपस में गांव की दुश्मनी है मैंने किसी एक को अपनी काख में डाला दूसरे ने किसी को अपनी काख में डाल दिया। और वह एस.सी. और एस.टी. के भाइयों का दोष नहीं है, हम आपनी आपस की दुश्मनी निकालने के लिये इस प्रकार का काम करते है। इसलिए पुलिस को बहुत सावधान रहना

(श्री शिवनाथ सिंह)

पड़ता है और सावधान रहने का परिणाम हमारे इन कागजों में भी हैं। आप देखेंगे कि जितने भी मामले, चाहे बलात्कार के हों, अट्रोसिटी के हों, जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है मैं उसमें एक-दो उदाहरण पेश करना चाहूंगा।

राज्य में बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में अदमवकुआ का प्रतिशत 25 से अधिक रहा है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 5 प्रतिशत ही है। बलात्कार के मामले दर्ज किये जाते हैं और उनमें 25 प्रतिशत अदमवकुआ अदम सबूत तो हो सकता है लेकिन अदमवकुआ, उनमें एफ.आई.आर. लगती है।

इसी तरह से दहेज उत्पीड़न के अभियोगों में अदमवकुआ अभियोगों का प्रतिशत अत्याधिक है। दहेज, हत्या एवं छेड़छाड़ के अभियोगों में भी अदमवकुआ 20 प्रतिशत से अधिक पाया गया है। इस प्रकार से यह फिगर्स शो करता है कि किस प्रकार से झूठे आरोप लगाये जाते हैं। माननीय सभापतिजी, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे जो रेगुलर कानून हैं उनमें अभियोगों की या जुर्मो की संख्या कम है और शायद इसमें 1997-98-99 में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। 1997 में 3898 थे 1999 में वो 38 से 50 हो गए। जो एक्ट 2420 थे 5601 हो गये। आर्म्स एक्ट 795 से 1437 चले गये। इसलिये यह जुर्म ऐसे हैं जिन पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से उनके पास साधन नहीं है। केवल एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों में वर्ष 1997-98 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण इस एक्ट के तहत झूठे अपराध पंजीकृत कराने की प्रवृति है। यह पुलिस की रिपोर्ट है, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसमें इस शीर्षक के तहत पंजीबद्ध लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक प्रकरण झूठे पाये गये और इस प्रकार की जो प्रवृति समाज में बनी है उसके लिये वह भी दोषी है उसमें पुलिस अकेली क्या करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पुलिस के लिये बहुत जरूरी चीजे हैं उनको सहूलियत होनी चाहिये। उनमें वर्दी की बहुत सी, राज्य सरकार दे रही है पिछले सालों में उसमें बढ़ोतरी भी हुई है लेकिन जहां संभव हो सके उनको सहूलियतें दी जाए। आज पुलिस कांस्टेबल की हालत क्या है उसके लिये थाने में रहने को स्थान नहीं है। दिन भर ड्यूटी करता है और ड्यूटी करने के बाद उसको रहने, सोने, बैठने के लिए स्थान नहीं है उसका दिमाग खुराफात की तरफ जाता है। इस प्रकार के साधन भी गृह मंत्रीजी, आप जितने बना सको बनाने की चेष्टा कीजिये। माननीय सभापतिजी, एक दो मिनट और लेना चाहूंगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हमारे यहां काम

(श्री शिवनाथ सिंह)

करता है इसमें इसका काम है भ्रष्टाचार के संबंध में जितने भी इनको मामले रेफर किये जाए या इनकी जानकारी में आये उनकी तफतीश करना और चालान पेश करना। और यह उनकी ड्यूटी है कि जो मुजरिम है उनको सजा दिलाई जाए। इस ब्यूरो की एक कठिनाई है आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अभियोजन स्वीकृति, यह स्वीकृति या तो राज्य सरकार देती या उसका विभाग देता है और उनके लिये जुर्म की शिकायत वह कर देते हैं, लेकिन उसके बाद, इंवेस्टीगेशन पूरा करने के बाद में बहुत लम्बे समय तक उनको इसकी इजाजत नहीं मिलती है। सभापतिजी, यह फिगर्स है। 1999 में 126 अभियोग राज्य सरकार विभागाध्यक्ष के पास अभियोजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन थे, 1999 के प्रारम्भ में 126 ऐसे अभियोग थे जिनमें स्वीकृति चाही गई थी। आलोच्य वर्ष में 266 अभियोजन और आ गये, विभागाध्यक्षों को और भिजवाई गई, इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति के लिये कुल 392 अभियोग विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने सिर्फ 23 में अनुमति दी है और विभागाध्यक्ष ने 172 में स्वीकृति दी है।

सभापतिजी, हम चाहे इस ब्यूरों की कितनी आलोचना करें लेकिन जहां इस प्रकार की स्थिति, राज्य सरकार अनुमति नहीं दे, विभाग अनुमति नहीं दे तो फिर इस ब्यूरो की आलोचना करना मेरे ख्याल से बहुत तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार अलग-अलग न्यायालयों में यह मामले पेंडिंग पड़े हैं। न्यायालय को तो हम नहीं कह सकते लेकिन फिर भी राज्य सरकार इसमें देख सकती है, देखना चाहिये।

दूसरा पहलू यह है कि जितने भी मामले अदालतों में पेश किये गये हैं उनमें जो कनविक्शन का पर्सेंटेज है वह बहुत कम है बहुत नीचा है। उसमें करना यह चाहिये कि सही तरीके से उसकी तफतीश हो यह बहुत आवश्यक है। सही तरीके से तफतीश नहीं होने के कारण इनमें सजा नहीं हो पाती है। माननीय सभापतिजी, मैं इस विषय को यही छोड़ता हूं और दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। कारागार के संबंध में।

श्री सभापति : कम्पलीट करेंगे क्या आप ? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, एक शिकायत पुलिस के बारे में यह होती है कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते, यह बात सही है। इसका निराकरण तभी हो सकता है, फरियादी पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये जाये, उसकी वहां एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है तो वह जिले के अधिकारी के पास जाता है। जिले का अधिकारी आदेश देता है कि एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी, यदि ऐसी व्यवस्था आप कर पाएं कि जिस एस.एच.ओ. ने, जिस पुलिस स्टेशन के खिलाफ 10-5 फरियाद एस.पी. के पास गयी हों और

(श्री शिवनाथ सिंह)

एस.पी. ने आदेश दिया हो कि इसकी एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जाए उस थानेदार के खिलाफ, उस एस.एच.ओ. के खिलाफ मेरे ख्याल से कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि वह मामला सही है। जब इस बात का सबूत हो गया कि उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई और एस.पी. के आदेश से दर्ज हुई, इंवेस्टीगेशन हुआ और मामले में चालान पेश हुआ तो सरासर उस स्टेशन आफिसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका मामला होना चाहिए।

कारागार के संबंध में, माननीय सभापति जी, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जेलों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। सुधार हो भी रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं, जैसे ही जेल में नया कैदी जाता है, बहुत अच्छे ढंग से उसका इलाज किया जाता है। और वह इलाज ऐसा होता है कि जेल के अंदर जो कैदी है, गुंडे हैं, उनके सुपुर्द उसको किया जाता है और सुपुर्द करने के बाद वह जब तक उन लोगों को और जेल के अधिकारियों को अपने परिवार वालों से रुपये मंगवाकर नहीं देता है तब तक उसकी पिटाई होती रहती है। मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं, झुंझुनूं जिले का उप अधीक्षक, शिकायत हुई कि जेल में जाने के बाद में नये कैदी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता है। मेरे पास वे लोग आये। मैंने टेलीफोन किया कि ऐसा बात सामने आती है। उन्होंने कहा कि कतई नहीं, अपना तो बिलकुल दूध का धोया हुआ जेल है। वह कैदी जेल गया, कैदी जाने के बाद में उसकी वह दुर्दशा हुई यदि मेरे से टेलीफोन नहीं करवाते तो मरे ख्याल से उसकी दुर्दशा नहीं होती। यह कहा गया कि 15 हजार रुपये दोगे तब तुम्हारी पिटाई बंद की जाएगी। वह आदमी चतुर था, उसका गार्जियन, वह एन्टी करप्शन में गया, 5 हजार रुपये उस उप अधीक्षक को दिये, रेड हेण्डेड ट्रेप हुआ वह, और ट्रेप होने के बाद में आज मुझे पता नहीं कि सरकार क्या कर रही है उसका। लेकिन इस प्रकार के जो कारनामे जेलों में हो रहे हैं, इस पर चैक लगाना चाहिए। तीसरी बात मैं...

श्री सभापति : अब ओवर कीजिए आप। ये टाइम बढ़ाएंगे, आप कर लीजिए पूरा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक ने निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय प्रस्तावानुसार 2 घंटे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या-16, 17 एवं 12 पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, एक ट्रांसपोर्ट के बारे में, अन्य कर में आता है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वे यह जवाब हमेशा देंगे कि हमने बहुत सुधार किया है, अवैध वाहन नहीं चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। हम सब इससे पीड़ित हैं। अवैध वाहनों के चलने से रोडवेज की बसें नुकसान में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था पर भी मंत्री महोदय चैक लगाएं। मैं इस बात को मानता हूं कि यह मुश्किल जरूर है, असम्भव नहीं है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं।

दूसरा, जो टैक्स वसूल होते हैं उसका बहुत कम प्रतिशत आपके खजाने में आता है। रोजाना बसों वाले माहवारी बंधी हुई है और वे जिससे 10 हजार रुपये लेने की बात हो, टैक्स लायबल होता है उससे 5 हजार रुपये लेकर, एक हजार रुपये आपके खजाने में और 4 हजार रुपये बीच वाला लेता है। इसलिए मैं इसको ध्यान में रखते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस और भी मंत्रीजी ध्यान दें और इस रटे रटाये अपने स्वाभाविक उत्तर को न देकर यह भी सोचें कि हम भी जो कहते हैं तो कुछ न कुछ सत्यता उसमें जरूर होगा। आप अपने विभाग के अधिकारियों की बात मानें, सही-सही मानें। लेकिन यहां माननीय सदस्य सदन में जो कहते हैं उनके अंदर भी, उनके विचारों में भी सत्यता कहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापतिजी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इन तीनों मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रा सिंह जी। (व्यवधान) आप प्रारम्भ करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश और प्रदेश में जब तक अमन और चैन नहीं होता तब तक वहां न विकास होता है और न समृद्धि आ सकती है। सदन आज मांग संख्या-16, 17 और 12 पर विचार कर रहा है। 796 करोड़ के आसपास ये तीनों मांगे आती हैं। मैं आपके माध्यम से, अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से तीनों की मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, पुलिस विभाग ने अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन दिया है उसमें स्वयं ने ही माना है और लिखा है कि 1999 के साल में अमन और चैन की, कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है लेकिन उसके साथ ही साथ अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी भी दर्शायी गयी है। इसलिये यह बात मेरी समझ में नही आयी कि एक तरफ अपराधों में वृद्धि और दूसरी तरफ संतोष जाहिर करें, यह कैसा प्रतिवेदन हुआ। अभी सदन में मुझसे पहले बोलने वाले करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दोहराया कि कुछ अपराधों में तो कमी अवश्य आयी लेकिन कुलमिलाकर के जो अपराध हैं उनमें 1997, 1998 के मुकाबले 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव भी हुए हैं। थोड़े दिनों पहले ही फलौदी के अंदर मुरलीधर बोहरा की हत्या को लेकर साम्प्रदायिक तनाव हुआ और इसी तरह की छोटी-मोटी, छुट-पुट कई बातों को लेकर के करीब-करीब 39 स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव हुआ। इसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अभी मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जब कह रहे थे कि आज बैंकों में डकैती, बस में लूटपाट, संभ्रांत घरों में जाकर के दिन दाहाड़े, हत्याएं, पेट्रोल-पम्प लूटे जा रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे है। ऐसी हालत के अंदर यह कैसे माना जा सकता है। महिलाओं के साथ पुलिस थानों में बलात्कार और इतना ही नहीं, थानेदारों की हत्या, तो कैसे पुलिस प्रशासन इस बात पर संतोष व्यक्त कर सकता है। गृह मंत्रीजी कैसे आप इस बात पर संतोष व्यक्त करेंगे कि कुलमिलाकर 1999 में हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। यदि यही पैमाना है आपके संतोष का तो मैं समझती हूं कि राजस्थान अमन और चैन के मामले में, आपनी कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जाएगी, जैसे और प्रदेशों में, लोग नाम लेते है, मैं तो नाम लेने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी, जिस तरीके से आज बिहार के बारे में कहते हैं, जंगल राज उसी तरीके से यदि यही होता रहा तो इसी तरह महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे, पेट्रोल पम्प लुटते रहे, बसों में डकैती जारी रही और लोगों के घरों में घुसकर के इसी प्रकार से लोगों की हत्याएं होती रहीं तो मैं समझती हूं कि यहां भी जंगल राज कायम हो जाएगा। इसलिये ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि कुल अपराध यहां बढ़े हैं वहां पर हत्याओं में भी बढ़ोतरी हुई है। 1998 में 1514 हत्याएं हुई थीं और 1999 में 1520 हत्याएं हुई हैं अन्य अपराध भी बढ़े हैं।

महिलाओं के साथ, जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि महिलाएं ज्यादा महिलाओं के प्रति, जिसे कहना चाहिए अत्याचार करती हैं और उनका उत्पीड़न करती हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि पुरुष के सहयोग के बिना कभी किसी महिला की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वह इस प्रकार से दहेज के लिये अपनी बहू को परेशान करे या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करें।

(17.00 बजे)

इसलिए महिलाएं जो कुछ करती हैं वह पुरुष की कनाइवेंस से करती है। बेटे की कनाइवेंस से, पति की कनाइवेंस से करती है, तब सास की हिम्मत होती है वरना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

किसी महिला की हिम्मत नहीं हो सकती, खास तौर से ऐसे समय में जबकि आर्थिक तौर से महिला अपने पांव पर नहीं होती है। उसकी बिलकुल हिम्मत नहीं हो सकती इसलिए उन्होंने जो आरोप लगाया है, महिलाओं पर मैं उसका पुरजोर शब्दों से विरोध करती हूं और यह कहती हूं कि इसके पीछे पुरुष ही जिम्मेदार है, इन सब बातों और अपराधों के लिए पुरुष ही जिम्मेदार है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने आरोप नहीं लगाया था, एक वास्तविकता बताई थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है, आपकी नजरों में वास्तविकता होगी और आप कुछ भी कहें, कुछ भी समझे लेकिन मैं कहूंगी कि यह बात बिलकुल गलत है। मैं निवेदन कर रही थी आपसे यह बात सही है कि एस.सी. और एस.टी. के साथ जो अत्याचार और उनके प्रति जो अपराध हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई और इसके लिये उन्हें उचित संरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यदि इस तरीके से एस.सी./एस.टी. एक्ट का दुरुपयोग होता रहा क्योंकि जब किसी के खिलाफ भी इस तरह के केस बन जाता है तो सबको डर लगता है। सब, जिसे कहना चाहिए प्रगतिशील कहलाने की होड़ के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह यह कहे कि यह गलत बना है और उस हालत में समाज के अंदर यह एस.सी. और एस.टी वे अलग-थलग पड़ जाएंगे इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए लेकिन यह बात भी सही है कि इन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए और जहां सचमुच में कोई उनके खिलाफ इनका उत्पीड़न करते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनके खिलाफ अत्याचार हो, वहां पर निश्चित तौर से कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो, माननीय गृह मंत्रीजी, इस बात के लिए आप अपने अधिकारियों को कहिये कि इसका दुरुपयोग करके समाज को विभाजित करने का काम नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगी कि झुंझुनूं के अंदर पंचायत चुनाव के दौरान तीन हत्याएं हुई। यह हत्याएं कैसे हुई, क्यों हुई ? नगरपालिका के चुनाव थे और नगरपालिका के चुनाव के अंदर गांवों से लोगों को बुलाकर, असामाजिक तत्वों को बुलाकर जिस प्रकार के पार्टी विशेष ने या व्यक्ति विशेष ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारो को जिताया, उससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ गये और लोगों ने सोचा कि चुनाव जीतने का यही तरीका है। यदि उस वक्त इसकी रोकथाम होती तो शायद झुंझुनूं में ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत चुनावों के दौरान कहीं भी हत्या नहीं हुई है केवल झुंझुनूं ही ऐसा बदनसीब जिला है यहां एक दो नहीं तीन-तीन मासूम लोगों की बलि चढ़ाई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

गयी। मुझे अफसोस है इस बात का लेकिन हम इस बात पर यदि उस समय ध्यान देते तो शायद यह सब बातें नहीं होतीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि झुंझुनूं में तीन हत्याएं हुई, पंचायत चुनाव के दौरान। एक पुलिस की गोली से मरे, शिमला के अंदर, पुलिस की गोली से मरे और दो हत्या जो हुई वह आपस की रंजिश और आपस के द्वेष के कारण से हुई। एक मुकदमे को, मेहरादासी में भी व्यक्ति मरा था लेकिन उसकी पत्नी चूंकि भूतपूर्व विधायका नहीं थी इसलिए उसे एक मिनट के अंदर आपने सी.आई.डी. (सी.बी.) को सौंप कर बस्ता-ए-खामोशी में डाल दिया। कल परसों आपके मुख्य मंत्रीजी यहां पर कह रहे थे कि सी.आई.डी. (सी.बी.) को सौंपने का मतलब है बस्ता-ए-खामोशी में डाल देना इसलिए उसे तो आपने बस्ता-ए-खामोश में डाल दिया और इसके इस मुकदमे के बारे में, बीरबल सिंह हत्याकांड के बारे में आज एक महीने से पूरा झुंझुनूं आन्दोलित है, झुंझुनूं में 18 तारीख को मीटिंग हुई, आपने स्थगन-प्रस्ताव का जो जवाब दिया, आपके विभाग ने जो स्थगन-प्रस्ताव का जवाब मुझे दिया है, उसमें आपकी पुलिस ने माना है कि साढ़े तीन हजार व्यक्ति वहां पर 18 तारीख को मौजूद थे जिन्होंने मांग की जांच सी.आई.डी. सी.बी. को सौंपने की। आपने उसी के साथ में यह भी लिखा है कि वे उनके परजिन और हितैषी और परिवारजन थे। किसी के साढ़े तीन हजार परिजन और हितैषी हुआ करते हैं, सोचने की बात है ? जिस प्रकार से एक महीने से झुंझुनूं उबल रहा है, आक्रोश है, आन्दोलित हैं और आपके कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है, यही संवेदनशीलता है ? संवेदनशीलता भूतपूर्व विधायक के प्रति तो आपकी है। संवेदनशीलता सांसद के प्रति तो आपकी है लेकिन उनकी पीड़ा और उनके आक्रोश की कल्पना भी करिये, उनके साथ भी संवेदनशील बनने का प्रयत्न कीजिए। जिन निरपराध लोगों को, जिनका कोई हाथ नहीं है, जिस हरफूल सिंह को आपने मुख्य अभियुक्त माना है, मैं इस बात को चुनौती देती हूं, माननीय गृह मंत्रीजी आपको और सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपके जरिए सारे पुलिस प्रशासन को कि वह आदमी जिस वक्त बीरबल सिंहजी की हत्या हुई, उस समय कलेक्टर और एस.पी. के पास अपनी फरियाद करने के लिए आया था और यह कहने के लिए आया था कि मेरे पोलिंग बूथ के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और कुमास गांव के लोगों ने कहा कि हमें बीस साल से वोट नहीं डालने देते और सेखसर बूथ पर कब्जा कर लिया है। माननीय गृह मंत्रीजी, जिसको आपने मुख्य अभियुक्त बनाया है, हरफूल सिंह को उसकी दादी और बीरबल सिंह की बुआ एक ही औरत है। बीरबल सिंह की बुआ और हरफूल सिंह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की दादी है। इतना नजदीक का रिश्ता था इन दोनों परिवारों का लेकिन आखिर हद होती है किसी चीज की कि बीस साल तक आप किसी को वोट नहीं डालने दे तो उसके नतीजे क्या होते हैं, यह भी आप विचार कर लीजिए। मैं निवेदन करना चाहती हूं, मैं सदन का उपयोग किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं करना चाहती लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं, इस संवेदनहीन सरकार से जो अपने आपको संवेदनशील तो बताती है तो मैं कहना चाहती हूं कि बीरबल सिंह की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई ? इसलिए हो गयी कि हरफूल सिंहजी वहां गये। हरफूल सिंहजी के थप्पड़ मारा सेकसर के अंदर जो बीरबल सिंहजी का घर है, सुधा देवी का ससुराल है, आपकी भूतपूर्व विधायका का, वहां पर थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद ट्रेक्टर के नीचे कुचलने की कोशिश की गयी। जब ट्रेक्टर के नीचे कुचलने की कोशिश की गयी तो घर की ही एक औरत ने कहा कि जान से नहीं मारने दूंगी और हरफूल सिंह को चाय पिला कर कहा कि आप भाग जाओ यहां से। हरफूल सिंह किसी तरह भाग आया वहां से और फिर इलाके में खबर फैल गयी कि हरफूल सिंह की अपहरण कर लिया गया, पता नहीं उसे मारा दिया गया है या जिन्दा छोड़ा गया है। और इसलिए यह दो जीपों में भरकर इसलिए आये थे कि बताओ हरफूल सिंह कहां है, बताओ हरफूल सिंह कहां है और बताओ हरफूल सिंह कहा है, बताओ हरफूल सिंह कहा है कहते-कहते बीरबल सिंह के प्राण निकल गये। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, उनकी हत्या की जितनी निंदा की जाए वह कम है और मैं अपनी पूरी संवेदना प्रकट करती हूं। और यह भी चाहती हूं कि दोषियों को कठोर से कठोर दंड मिले लेकिन गृह मंत्रीजी, जिनको आपने पकड़ रखा है, जिन 13 लोगों को आपने पकड़ रखा है, उनमें से एक या दो की तो मैं नहीं कहती लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन कर देना चाहती हूं कि बाकी दस बिलकुल निरपराध है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई देना नहीं है, कसूर है तो केवल इतना है, रामकुमार बेनीवाल, प्यारेलाल बेनीवाल का कसूर है तो इतना है कि छह महीने पहले अपनी बेटी की सगाई हरफूल सिंह के लड़के के साथ कर दी थी। इतना ही कसूर है और इसी कसूर के फलस्वरूप राजनीतिक विद्वेष के कारण उनका नाम लिखाया गया है। रामकुमार के भाई की बीवी चुनाव लड़ रही थी, हनुमानपुरा के अंदर सुधाजी के पीहर में चुनाव लड़ रही थी और रामकुमार बेनीवाल सारे दिन वहां मौजूद था। उसका लड़का वहां मौजूद था। प्यारेलाल बेनीवाल खुद अपनी पंचायत में मौजूद था और जिन अनगासर के भागीरथ और रामेश्वर है मैं व्यक्तियों के नाम बताती हूं, लिख लें आप, 80 लोग गांव से उठकर आये। रामेश्वर,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भगीरथ नाम के व्यक्ति जिनके पिता का नाम धन्नाराम है, अनगासर के रहने वाले हैं, वे उस दिन उसी गांव के अंदर चुन्नीलाल नाम व्यक्ति की उस दिन...(व्यवधान)

श्री सभापति : ओवर कीजिए, प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं कर रही हूं, पांच मिनट का समय दीजिए, मैं कर रही हूं।

श्री सभापति : पांच मिनट तो मिलेंगे लेकिन थोड़ा जल्दी कर दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, कर रही हूं। मैं मेरी बात को समाप्त कर रही हूं। वह तो उस दिन दाह संस्कार के अन्दर मौजूद था। सारा गांव आया पुलिस के पास। पुलिस वाले सुनते ही कहां है। सारे गांव ने आकर कहा कि यह दो बजे तक, साढ़े बारह तो वकुआ होना बताते हैं। यह दो बजे तक गांव के अंदर वहां पर दाह क्रिया में मौजूद थे उनका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है लेकिन वे भी चूंकि हराफूल सिंह के रिश्तेदार है इसलिए इनका भी नाम लिखा दिया गया। बारह साल के सोनू का नाम लिखा दिया। 15 साल के राजकुमार का नाम लिखा दिया और श्वास से पीड़ित इन्द्राज सिंह जो वोट देने की स्थिति में नहीं हैं, जो वोट देने भी नहीं गया और वह पम्प पर जिन्दा है, उसको भी आज जेल में पटक रखा है। तीस जनवरी से आज उन नौ आदमियों को जिनको आपने जेल में डाल रखा है उनका कोई कसूर नहीं है इसमें।

(17.10 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

इससे दूरदराज का वास्ता भी नहीं हत्या काण्ड से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जो जवाब दिया है और आपने खुद ही न मानी सब बातें, कि झुंझुनूं बंद हुआ कभी भी किसी भी एक दोषी को छुड़ाने के लिए बंद नहीं हुआ। झुंझुनूं बंद हुआ अनप्रीसिडेंटेड बन्द हुआ। मेडिकल स्टोर के अलावा वहां कोई दुकान नहीं खुली। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप जिस तरीके से जब एक दरख्वास्त के ऊपर, मामूली से दरख्वास्त के ऊपर सी.आई.डी. (सी.बी.) में सौंपते है। तो क्या आपने इतना हठ क्यों कर रखा है ? इतना दुराग्रह क्यों है आपका कि उस मामले को सी.आई.डी. (सी.बी.) को देने को तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने इस बारे में काफी कुछ कह दिया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतना होने के बाद भी 28 दिन से झुंझुनूं आन्दोलित है, वहां आक्रोश है। कल आप मिले थे, ऐसे चेहरे, गांवों से आई हुई ग्रामीण औरतें घाघरे-ओढ़नी के अंदर जो शायद कभी किसी डेपुटेशन और डेलीगेशन में आया नहीं करती हैं, वह कल आकर आपसे मिलकर गयीं। उन्होंने ही कल आपसे कहा,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

फरियाद की अपनी। फिर कहा कि आप क्या अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं विचार कीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस घटना के चक्कर में अपने सुझाव नहीं दे पायेगी, अपने सुझाव तो दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं दे रही हूं सुझाव। आप तो बिराजे रहिये। बैठकर तो मत बोलिए। आखिर मंत्री हैं आप। मैं निवेदन कर रही थी, सभापति महोदय, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सदन के अंदर कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे और सत्यता कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लगता है +++ कुछ नहीं होना जाना। लेकिन मन की पीड़ा है, इसलिये उस पीड़ा को व्यक्त किये बिना मैं रह भी नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कारागार के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं कि कारागारों की भोजन व्यवस्था और इनका रहन-सहन, आवास व्यवस्था, यह सब सुधारा जाना चाहिये। महिला और बाल कल्याण समिति की चेयरमैन होने के नाते मैं जयपुर में महिला बंदियों से भी मिलने गयी थी। वहां पर मैंने जो महसूस किया वह यह किया कि आप उन्हें साड़ी देतो तो पहनने की सफेद रंग की और साबुन एडिक्वेट देते नहीं हो, पूरा पर्याप्त साबुन देते नहीं हो। इसलिए उन महिलाओं के कपड़े जिस तरह के मुझे नजर आये तो बजाय सफेद रंग के यदि आप रंगीन दे दें तो क्या एतराज है और बजाय मोटी झोटी साड़ी के यदि आप उनको हाथ करघे की साड़ी दे दें तो उसमें क्या एतराज है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

श्री सभापति : सुझाव तो दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुझाव तो सुन लीजिए आप मेरे। उन्हें पर्याप्त साबुन दे दें तो क्या एतराज है ? मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय, दहेज उत्पीड़न के मामले में जो महिलाएं जेल में जाती हैं मेरी उनसे रत्तीभर भी सहानुभूति नहीं है क्योंकि उन्होंने अपराध ही ऐसा किया है कि उनके साथ सहानुभूति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मर्डर केस के अंदर, हत्या के मामले में, हत्या हमेशा जानबूझकर नहीं होती है, कई बार एक्सीडेंटल भी हो जाती है। आपस में लड़ाई-झगड़ा होता है और आपस के लड़ाई-झगड़े में किसी वाइटल पार्ट पर कभी लग जाती है और वाइटल पार्ट कर लगने से, जिसे कहना चाहिए मर्डर तो हो जाता है और मर्डर जब

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हो जाता है तो घर की औरतों को, बहुओं को, सबको लिखाकर वह अपनी आत्म सन्तुष्टि कर लेते हैं कि चलों, हमने सबको लिखा दिया और इसी तरीके से बदनसीब महिलाएं हत्या के मामले में जेल में भेज दी जाती हैं और उन्हें कारागार की पूरी अवधि गुजारनी पड़ती है। इनके बारे में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि उनकी सजा को कुछ दृष्टिकोण से आपको सोचना चाहिए, आखिर उनके पीछे कई बार तो बहू भी आ गयी, सास भी आ गयी, बेटी भी आ गयी तो घर एक तरीके से बिलकुल ऐसा हो जाता है जिसमें उजड़ने की स्थिति आ जाती है। ऐसी हालत के अंदर हमें कुछ संवेदनशील तरीके से सोचना चाहिए, संवेदन के साथ सोचना चाहिए। माननीय सभापतिजी, मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय कारागार मंत्रीजी, भोजना का जहां तक सवाल है, उसमें भी थोड़ा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। दाल के अंदर एकदम पानी है, नीचे दाल है, कंकर मिली रोटियां हैं। इन सबको थोड़ा सुधारना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जेल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जेल हो तो क्या हुआ। सबसे बड़ी एक बात और है इसके बारे में आपको अंग्रेजों का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए आज भी आपकी जेल के अंदर यह कानून है कि आप काटन की कोई चीज वहां नहीं रख सकते। ओढ़ने-बिछाने के लिए कांटन नहीं रखोगे। बिछाओगे तो आप कम्बल बिछाओगे, ओढ़ोगे तो आप कम्बल ओढ़ोगे। मुझे बताइये एक कम्बल देते हो ठिठुरती सर्दी के अंदर, माघ-पोष की सर्दी के अंदर एक कम्बल, उसी को नीचे बिछा लो और एक कम्बल ऊपर ओढ़ लो। क्या उससे सर्दी मिट सकती है आदमी की। इसलिए यह अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून, जिसमें आप केवल ऊनी, जिसे कहना चाहिए, कपड़े मुहैया कराते हो, यह गलत है। इसमें आपको माननीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और उनको कोटन की लिहाफ दें या नीचे बिछाने का गद्दा देना चाहिए। और जो लोग ले जा सकते हैं, उनको तो अलाउ करना ही चाहिए। आप नहीं दे सकते है तो जो बारह से लाना चाहे उन्हें लाने दे। लेकिन नियम भी नहीं हैं आपके यहां पर। कोई चाहे तो बाहर से लेकर भी नहीं जा सकता। एक कम्बल नीचे बिछाना पड़ेगा और एक कम्बल ओढ़ना पड़ेगा। इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब मैं परिवहन के बारे में और अन्य करों के बारे में तो कह दूं।

श्री सभापति : आप ही के कहने से दो मिनट दिये थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, अब एक मिनट में बात समाप्त कर दूंगी। अन्य करों के बारे में, पहिवहन के बारे में माननीय परिवहन मंत्रीजी, मुझे निवेदन करना है कि यह वाहनों का जो अवैध संचालन होता है यह आपके ही विभाग की मिलीभगत से होता है। इसलिए देखने की आवश्यकता है और इसीलिए आपका जो परिवहन विभाग है, आपकी जो रोडवेज है वह इसीलिए घाटे में चल रही है। यदि सख्ती के साथ उसको निपटा जाए तो मैं समझती हूं कि अवैध वाहन भी नहीं चलेंगे और आपको भी मुनाफा होगा, आपको भी फायदा होगा।

इसके साथ ही साथ अपनी एक और बात निवेदन करते हुए कि आज सब लोग टैक्सी के रूप में परमिट लेते हैं फिर उसे चलाते हैं। पहले आपने जीप खरीद ली और खरीदेने के थोड़े दिनों बाद उसे टैक्सी के रूप में चलाया और जहां टैक्सी लिखा हुआ नहीं है वहां भी जीप, अपनी प्राइवेट जीप है उसका उपयोग हो रहा है टैक्सी के रूप में। कार है, उसका उपयोग हो रहा है टैक्सी के रूप में। इसको भी सख्ती से देखना चाहिए।

आपके करों की चोरी होती है उस चोरी को रोकना चाहिए और करों की चोरी नहीं हो उसका पूरा बन्दोबस्त करना चाहिए। कहना तो बहुत कुछ था, माननीय सभापति महोदय, लेकिन आपकी समय सीमा है। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ मेरे कटौती के प्रस्तावों को इस सदन में पेश करती हूं।

श्री सभापति : श्री जगत सिंह दायमा। समय का ध्यान रखना आप। आप शुरू करो।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, जिस वर्ग की मैं बात कहता हूं...

श्री सभापति : आपके दो मिनट तो इसी में निकल जाएंगे। आप शुरू करो।

श्री जगत सिंह दायमा : अब हो जाएं, हो जाएं तो।

श्री सभापति : आप शुरू करो। आप प्रारम्भ करो।

श्री जगत सिंह दायमा : जिस वर्ग की मैं बात कहने खड़ा हुआ हूं उसका इस भारतीय जनसंख्या कहिए, या राजस्थान की जनसंख्या कहिए, उसका हिस्सा 1/5 है। अब कम से कम कहना तो मुझे समय मिलना चाहिए। जब मैं ऐसे वर्ग के बार में कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, अब तक के जितने माननीय सदस्यों ने विचार रखें, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सब की बातें इन्होंने कह दी। परन्तु दलित वर्ग की बात किसी ने भी एक भी शब्द इसके बारे में नहीं कहा।

श्री मोहन लाल मोदी : एस.सी. दलित वर्ग में नहीं आते क्या ? इसका मतलब सुना ही नहीं आपने

श्री जगत सिंह दायमा : कहां कही ? किसी ने बात ही नहीं कही। आपने शराब

(श्री जगत सिंह दायमा)

मफिया की बात कह दी। सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि आज भी भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले जिन मनु को हमने उठाकर फेंक दिया, आज भी वही व्यवस्था समाज में चल रही है। सभापति महोदय, ऐसे समय में बड़ा मुश्किल होता है जब आज भी वही व्यवस्था हो जो राजाओं के समय में थी या अंग्रेजों के समय में थी और ऐसे समय में अगर किसी दलित वर्ग की महिला के ऊपर अत्याचार होता है या उस पर बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो उसके बावजूद भी हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है। सभापति महोदय, उसकी अकर्मण्यता देखिये कि उसमें भी कितने ही सारे केस, 40 परसेंट से, 60 परसेंट से ज्यादा केसों में एफ.आर. लगा रही है। बड़ी मुश्किल से कोई हिम्मत कर पाता है। यों तो एस.सी., एस.टी. पर बलात्कार कितने होते होंगे परन्तु बड़ी मुश्किल से वे लोग थाने में जाती हैं थाने में जाकर के अगर किसी ने रिपोर्ट भी लिखवा दी तो भी हाल यह है कि उसमें भी चालन पेश नहीं होते और ज्यादातर, 60 परसेंट जाकर उसमें एफ.आर. लगा दी जाती है।

सभापति महोदय, अभी कहा गया कि बलात्कार की घटनाएं पहले से कम हैं। मैं मानता हूं, परन्तु जहां 1997 में दलित वर्ग की महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं 199 थी वह 1999 में मात्र 175 तक पहुंचीं और आज दो-तीन महीने अंदर-अंदर 27 घटनाएं ऐसी हो गयी हैं सभापति महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि 1997 में 199 घटनाएं हुई परन्तु चालन उसमें मात्र 136 का हो पाया। बलात्कार जैस जघन्य अपराध में भी आगर पुलिस एफ.आर. लगा देती है तो दलित वर्ग के ऊपर यह बहुत बड़ा अत्याचार मैं कहूंगा।

सभापति महोदय, यही नहीं, मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि हम टोटल इस बात को देखे कि दलित वर्ग पर एस.सी., एस.टी. पर कितने केसेज हर साल लगते हैं। और उनको अगर मैं रेशियो में देखता हूं तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि सिर्फ 40 परसेंट में ही, चाहे किसी तरह का भी अपराध हो परन्तु सिर्फ 40 परसेंट में चालान किया जाता है। सभापति महोदय, मैं इस बात को क्या कहूंगा मैं इस बात को इस तरह से कहूंगा कि बेशक मेरे दलित वर्ग का जो पीड़ित व्यक्ति है, जिस पर अत्याचार हुआ है। वह थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है परन्तु थाने में भी वह रिपोर्ट तो लिखवा देता है, सभापति महोदय, परन्तु उनको न्याय नहीं मिल पाता। क्योंकि जिस थाने में जो थानाधिकारी होता है वह थानाधिकारी बाद में पुलिस वाला है पहले वो किसी उच्च जाति वर्ग से संबंधित होता है मैं उन लोगों को अच्छा नहीं मानता जो लोग यह तो कहते हैं कि मैं पहले भारतीय हूं और बाद में मैं फलां जाति का हूं, या बाद में मैं राजस्थानी हूं, या मेरी यह भाषा

(श्री जगत सिंह दायमा)

है। सभापति महोदय, जिस व्यक्ति के मन में यह भावना हो कि मैं पहले भारतीय हूं और बाद में यह हूं, उसके मन में जातिवाद का जहर घुला हुआ है। यह दो बातें नहीं चल सकतीं कि पहले मैं भारतीय हूं फिर उस जाति का या उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। इसके अंदर जातिवाद का जहर घुला होता है और इसी कारण से यह हाल हो रहा है कि दालित वर्ग वर्ग पर अत्याचार बंद नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, यही नहीं, स्वतंत्रता के 52–53 साल के बाद भी मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूंगा कि आज भी अगर दलित वर्ग का दुल्ला घोड़ी पर चढ़ कर के निकासी में जाता है तो आज के दिन भी उसको घोड़ी पर निकासी नहीं करने दी जाती है। बड़ी धूमधाम से बारात लेकर, बाप बड़ी धूमधाम से अपने बच्चे को उसकी शादी करने के लिए ले जाता है, नाचते–गाते हुए जाते हैं, सभापति महोदय, कितने दुःख की बात है कि थोड़ी दूर चलने के बाद ही दूल्हे की घोड़ी को चाकू मार दिया जाता है, दूल्हे के कपड़े फाड दिये जाते है नंगा कर दिया जाता है, बाप की पिटाई होती है और आज भी बारातियों की पिटाई होती है। मैं यह नहीं कहता कि आज यह कम हुआ है। मुझे दुख है कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं पिछड़े वर्ग के हैं परन्तु चाहे जिस वर्ग का मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो, उस कास्ट में ऐसा कुछ आ जाता है कि वो अपराध करना शुरू कर देते हैं कि हमारा फलाना मंत्री है और वहां जयपुर में बैठे हैं, सब देख लेंगे। तीन–चार दिन पहले यह घटना हुई और एक दूल्हे को फिर घोड़ी पर से उठा कर के फैंक दिया गया और मारा–पीटा। चाहे वे गहलोत थे या कोई भी थे। सभापति महोदय, यह मैं इस बात के लिए पूछना चाहता हूं और इस समाज से भी पूछना चाहता हूं, यह जो हमारा, पवित्र सदन है, इससे भी पूछना चाहता हूं कि अगर यह कुछ नहीं कर सकते, आज के युग में भी अगर दलितों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो आखिर में फिर कौन आयेगा ऐसा, लोकतंत्र होने के बावजूद भी अगर राजाओं का राज होता, अगर इस गुलाम होते फिर हमारे ऊपर अत्याचार होते तो यह समझ में आ सकता था परन्तु आज लोकतंत्र पद्धति है। हमारे ही द्वारा हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हम पर ही राज कर रहे हैं परन्तु उसके बावजूद भी हमारा दलित वर्ग प्रताड़ित होता रहता है, उस पर अत्याचार होता रहता है। मैं जोर देने की स्थिति में यह बात कहना चाहता हूं कि यह वर्ग जो हजारों साल से दलित है, पिछड़ा हुआ है इस पर अत्याचार हुआ है। अगर अब स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसका यही हाल हुआ तो फिर मैं कह सकता हूं कि और कोई ऐसी पद्धति नहीं है जो उन पर जुल्म ढाने से बचा सके।

सभापति महोदय, इस बात के लिए मैंने आज आपको बताया कि जाति का जहर

(श्री जगत सिंह दायमा)

इसमें ज्यादा घुला हुआ है और जाति के जहर के कारण जो सामाजिक स्थितियां हैं उसके अंदर अंतर आता है। आज भी इस राजस्थान की बात मैं कहूं, आज भी जो रजवाड़े है, जो किले बने हुए हैं, उनके सामने से आज भी दलित वर्ग का व्यक्ति जूती पहन कर के नहीं जा सकता, आज भी वह जूतियों को हाथ में उठा कर के जाता है। आज भी वह राजाओं, महाराजाओं और उच्च वर्ग के लोगों के सामने घाट पर नहीं बैठ सकता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से यह लोग अपने हक–हकूक की बात को, उनके हक–हकूक मारे जाते हैं तो वे थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो वहां भी उनका वही हाल होता है। सभापति महोदय, कितने ही केसेज ऐसे हैं जिनमें एफ.आर. लगा दी जाती है। क्यों ? इसलिए लगा दी जाती है कि जो थानाधिकारी बैठा है वह उच्च वर्ग का बैठा है और ऐसा कमजोर केस बनाता है कि गिरफ्तार होने से पहले ही अग्रिम जमानत होई कोर्ट में हो जाती है या दूसरे कोर्ट में हो जाती है।

सभापति महोदय, हम समझते थे कि शायद कोर्ट हमारी रक्षा कर सके परन्तु मुझे दुःख है कि कोर्ट भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कचहरी भी हमारी रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि आज भी वहां पर मनु की मूर्ति लगी हुई है। आज भी मनु की मूर्ति इस राजस्थान के हाई कोट में लगी हुई है, उसके परिसर में लगी हुई है। सभापति महोदय, जब व्यक्ति खुद यह सोच कर जाता है कि यहां पर मुझे न्याय मिलेगा परन्तु जब हमारी अधिवक्ता या हमारा जो जज है, जो फैसला हम को देने वाला है वह खुद मनु के सामने हाथ जोड़ कर जाता है तो आप समझ सकते है कि इस बात को कि वह दलित वर्ग के लिए क्या न्याय दे सकता है। हमारी बारबार मांग करने के बावजूद, कितन ही संगठनों ने, संस्थाओं ने इस बात का जिक्र किया कि जब मनुवाद नहीं है तो भी उस मनु की मूर्ति को वहां क्यों लगाया जाता है ?

श्री मदन दिलावर : मनु तो ऐसे महान पुरुष थे देश के, और उनका तो सबको सष्टांग प्रणाम करना ही चाहिए, मनन करना ही चाहिए उनको तो।

श्री सभापति : आपका मौका आये जब आप बता देना। आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, उनको तो न्यायमूर्ति भी प्रणाम करते हैं और करना चाहिए और तभी तो वो न्याय के देवता हैं।

श्री सभापति : अच्छी बात है, आप करते हो।

एक माननीय सदस्य : आप मनु हो क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, आज भी जब पुलिस में भर्ती होती है तो चाहे एस.सी., एस.टी. के कितने ही नौजवान, तगड़े लड़के उस भर्ती के लिए जाएं परन्तु जितना आरक्षण की सीमा में है, बड़ी मुश्किल से यह हो पाया है। उससे ज्यादा चाहे कोई कितना ही अच्छा लड़का हो, अच्छी कूद हो, दौड़ हो, पर उसको नहीं लिया जाता। सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भी लोग हमको इस हेय दृष्टि से देखते हैं कि शायद यह दलित वर्ग का व्यक्ति है, यह कमजोर है। सभापति महोदय, मुझे याद आता है वह समय जब हमारा देश 50 साल पहले जब रजवाड़ों का देश था और जब दूसरे राजा और दूसरे आक्रांता हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते थे उस वक्त सिर्फ हक यह था कि सिर्फ क्षत्रिय ही शस्त्र धारण कर सकते हैं और जब क्षत्रिय मर जाते थे, उनकी संख्या घट जाती थी और जब वे लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि चौथा वर्ग दलित जो है वह तो शस्त्र धारण नहीं कर सकता था, इसलिए आराम से आक्रांत आये और आक्रांताओं ने आकर इस देश के ऊपर राज किया।

श्री मदन दिलावर : यह अनुसूचित जाति और जनजाति का अपमान है दलित कहना। यह वंचित वर्ग है और बहुत वर्षो तक इस वर्ग को वंचित रखा है इसलिए दलित-दलित कहना दरिद्र कहना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, उनका अपमान है जिसको सहन नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : आप जब बोले तब आप स्वयं भी ध्यान रखना।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं, विद्वान माननीय सदस्य, इंटेलेक्चुअल है और सदन जानता है कि गम्भीर बात करते हैं इसीलिए किसी के भी बीच में इंटरवीन करें तो सुना करें। (व्यवधान) विद्वान हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा था कि हमारा देश गुलाम हुआ इसके पीछे यह भी एक कारण था कि हमारा जो चौथा वर्ग है शूद्र वर्ग है उसको कभी हथियार रखने का मौका नहीं दिया जाता था और जब क्षत्रिय मर जाते थे उनको तो मौका दिया नहीं जाता था और आराम से आक्रांता आकर उसके ऊपर राज कर लेते थे। आज भी उसी हेय दृष्टि से वही व्यवस्था बनी हुई है। हमारा कितना ही अच्छी लड़का नौजवान पढ़ा लिखा अगर वह जाकर पुलिस में भर्ती होना चाहता है तो जो आरक्षण है उसमें तो वह बेशक ले लिया जाता है परन्तु वह वैसे नहीं लिया जाता है। आज भी इस अस्त्र और शस्त्र के ऊपर मनुवादियों का ही अधिकार है सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है जब आज आरक्षण की बात समाप्त करने की कहते हैं। मैं कई जगहों पर जाता हूं। मैं थानों में भी गया। मुझे वह वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को परन्तु मैं यूज इसलिए कर रहा हूं कि

(श्री जगत सिंह दायमा)

वास्तविक स्थिति आनी चाहिए। वे देखते हैं कि जगत सिंह दायमा है। यह तो गूजर है। यह तो कोई चौथे वर्ग का व्यक्ति है और जो अति पिछड़ा हुआ है जिसको कहते वह हैं नहीं सभापति महोदय, क्या कहते हैं कि यह आरक्षण की बीमारी कहां से आ गयी ? जो मेरे से जूनियर था वह मेरे से सीनियर बनने जा रहा है। पहले वह मेरे सैल्यूट मारता था और आज मैं सैल्यूट मार रहा हूं। यह सबसे ज्यादा पुलिस में है। यह वर्ड यूज करते हैं और वे कहते हैं कि +++ चमार आ गया और मेरे ऊपर आ गया। अब मुझे सेल्यूट मारनी पड़ रही है। (व्यवधान) मैंने कह कर शब्द कहा है। मैंने बोलकर कहा है।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, यह शब्द सदन के पटल पर तो आया है "चमार" शब्द आया है, इसको निकलवाया जाए। "चमार" शब्द आया है, सदन के अंदर। चाहे कैसे भी कहा है इन्होंने, लेकिन "चमार" शब्द आया है साहब इसके अंदर। इसको निकलवाया जाए कार्यवाही से।

श्री मदन दिलावर : "चमार" शब्द का प्रयोग किया गया है। नम्र निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकवाया जाए।

श्री रामस्वरूप : आज इस युग में भी "चमार" कहकर बोले किसी को साहब। इसको कार्यवाही से निकाला जाए। विनम्र निवेदन है साहब। सदन के अंदर इस शब्द का आना, बहुत ही गम्भीर मामला है। आज मेहरवानी करके इसको निकलवाये, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति : जगत सिंहजी, आप जारी रखें। आपका समय हो जाएगा।

श्री मदन दिलावर : वे मायाबतीजी के नेता हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह शब्द कोई अच्छी बात है, साहब ? (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : वे मायावतीजी के नेता हो सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के नेता नहीं हो सकते। वे चाहे जो हमारे लिए बोलें। हम लोगों के लिए चाहे जो बोले।

श्री अमराराम (धोद) : सदन के नेता बोल रहे हैं।

श्री सभापति : दिलावर साहब, बिराजें।

श्री रामस्वरूप : यह कोई मजाक है क्या ?

श्री मदन दिलावर : यह कहकर उनके मसीहा बनकर, काहे के मसीहा हैं ?

श्री सभापति : उनकी जो भावना है वह उन्होंने बता दिया है। बिराजें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : यह राजस्थान अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान है, कैसे सहन किया जा सकता है ?

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : सभापति महोदय, ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको डांटो तो सही। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वाले आपस में ही लड़ने लग गये।

श्री मदन दिलावर : निकलवाइये। सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : जगत सिंहजी, आप जारी रखें।

एक माननीय सदस्य : निकलवाइये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, दो विद्वान माननीय सदस्य, रामस्वरूपजी और मदन दिलावर जो कह रहे हैं। इसको स्वीकार कर लें। दोनों विद्वान हैं। दोनों ही गम्भीर बात करते हैं, दोनों ही गम्भीर मामले उठाते हैं।

श्री सभापति : दोनो ही समझ लेंगे आपस में।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं जिस पार्टी में हूं, मैं यूज नहीं करता, मैं अच्छी तरह जानता हूं इसलिए कहां कि यह बात मैं नहीं कहता तो मालूम नहीं होता कि वह क्या कहना चाहते हैं वहां पर इस तरीके से कहते हैं। सभापति महोदय, आज भी वहां पर जातिवाद का जहर पड़ा है। वहां हम छोटे और दलित वर्ग के लोग हैं, एस.सी. के लोग हैं और एस.टी. के लोग हैं उनको क्या न्याय मिल पायेगा ? सभापति महोदय, मै इस बात के लिए कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो तीन मिनट और हैं। सभापति महोदय, अधिकार तो हमें संविधान में दे रखे हैं। मैं मानता हूं इस बात को परन्तु अधिकारों की रक्षा कौन करेगा ? यही एक सवाल है। जो बार-बार हर व्यक्ति जो दलितों का रखवाला है वह इस बात को कहता है इसलिए हम सिर्फ एक बात कह देते हैं कि कानून की प्रक्रिया के अलावा और हम क्या कर सकते हैं ? इसलिए मैं सदन से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ कोई और प्रक्रिया भी अपनायी जानी चाहिए इस बात के लिए। यह एक मेरा सुझाव है। यही नहीं हमारा...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्या प्रक्रिया अपनाये ? आप सुझाव दें।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत प्रक्रियाएं हैं। समाजिक तौर पर ही बहुत प्रक्रियाएं है। उसको लताड़ा जा सकता है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार किया जा सकता है। ऐसे लोगों को नौकरी से वंचित किया जा सकता है। कितने ही ऐसे सुझाव मैं दे सकता हूं। इस तरीके से वह है।

श्री सभापति : जगत सिंहजी, मेरे खयाल से यह काम तो अगर समाज करें तो ज्यादा ठीक है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं यही कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं अन्त में अपनी बात यह कहना चाहता हूं कि वह अधिकारियों और कर्मचारियों की बात मैं कह रहा था...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरकार समाज से बाहर कैसे कर सकती है ?

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे आज खुशी है कि आज जो पिछड़े वर्ग का जो सी.एम. आया है उन्होंने इस सदन में यह कहा है कि जिन लोगों की ए.सी.आर. खराब है मैं उनकी पुनः जांच करवाऊंगा। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने कम से कम इस तरफ तो ध्यान दिया। इसके पीछे कारण भी यही है कि जो उच्च वर्ग के अधिकारी बैठे हैं वे सोच रहे हैं इस बात के लिए इस अधिकारी की अगर ए.सी.आर. खराब नहीं की गयी तो यह हमसे पहले ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा और बात फिर वहीं आती है कि मुझे फिर उसको सैल्यूट मारनी पड़ेगी। इसके पीछे ए.सी.आर. खराब हो रही है। मैं कहना चाहता हूं। मैं मांग करना हूं सदन से, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और विशेष तौर से जो आज गृह मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप व्यवधान नहीं डाले। इनको बोलने दे।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनकी ए.सी.आर. खराब की है तो मैं चाहता हूं कि क्या आप पुनः उनकी जांच करवाने का कष्ट करेंगे ? सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पुलिस को भी हमने पंगु बना दिया कई मामलों में और कमजोर से कमजोर सिफारिशी लड़के ले लिये जाते हैं और तगड़े जो अच्छे नौजवान हैं उनको भर्ती नहीं किया जाता। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं मंत्री था तो मेरे पास में एक आरक्षी भेज दिया कि दायमाजी की निगरानी करना। कहीं कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। रास्ते में जाम हो गया। वह पिस्तौल लटकाये भागा-भागा गया कि अपने ट्रक क्यों खड़ा कर रखा है इसको हटाइये। उसको छोटा सा देखकर ट्रक के ड्राइवर ने उसको यों पकड़कर उठा दिया। उसको बचाने के लिए मुझे जाना पड़ा। वह मेरी रक्षा करने के लिए घूम रहा था। मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ी। यही नहीं सभापति महोदय, वह किराये पर रह रहा था। मैंने कह दिया कोई ढंग का सा भेजो, वह किराये पर रह रहा था तो कुछ लोग गये और उसका बर्तन-बर्तन बहार फैंक दिया। वह भागा-भागा मेरे पास आया और कहा कि मैं किराये पर रह रहा था, मेरा तो बर्तन-बर्तन ही बाहर फैंक दिया। सभापति महोदय, अन्त में मुझे वहां जाना पड़ा और देखा तो वहां बड़े-बड़े लोग, तगड़े तगड़े लोग उससे, उसका सामान बाहर फैंक दिया और उसके कपड़े फाड़

(श्री जगत सिंह दायमा)

रखे, और फाड़ रखे।

सभापति महोदय, यह बात तो सही है कि पुलिस में जो व्यक्ति जाए मजबूत हो और ऐसा नहीं है कि हमारी सिफारिश आप मानें परन्तु मजबूत व्यक्ति को हटाकर के कमजोर कमजोर लड़के ले लेते हो तो फिर वह क्या करे और क्या नहीं करे। सभापति महोदय, आज मैं कह सकता हूं इस बात को कि थानों में और इसमें जो...

श्री नाथूराम अहारी : एक तरफ तो आप पैरवी करते हो फिर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। कुछ सुझाव देना चाहता हूं, सुझाव यह है सभापति महोदय, कि जो मेरे से पहले माननीय सदस्य कह चुके हैं थानों में गाड़ियां, इसलिए कह रहा हूं कि इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। आपने भी कहा पूर्व में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है इस बात को। सभापति महोदय, हमारा जो क्षेत्र है वह तो हरियाणा और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। वहां तो ऐसे अपराधी आते हैं जिप्सी से और दूसरी गाड़ियों से। वह डेढ़-डेढ़-सौ की स्पीड से आते हैं और खून खराबा करके, माननीय जगमाल सिंहजी का क्षेत्र है परन्तु मेरा भी गांव है इधर तो वह करके चले जाते हैं और हाथ नहीं आते हैं।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी जो इस तरह के थाने हैं, जो बोर्डर पर हैं कम से कम वहां पर तो आप जिप्सी का प्रबन्ध करें और अच्छे हथियार कम से कम उनको आप दें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सभापति महोदय, वह पहले ही कहते हैं कि हमारे पास तो दुनाली है और उसके पास ए.के.-47 है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जगत सिंह दामया : खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, जो पुलिस में आ गये परन्तु आज उनको सुविधा नहीं है आठ घंटे के बजाय चौबीस घंटे इनकी ड्यूटी है परन्तु अगर कभी भी इनको सुविधा की बात होती है तो थाने में इनके पास कोई मकान नहीं है। यह बात भी कर चुके है दूसरे जो महिलाएं हैं, बहार मैं गया तो मुझे कहा कि हमसे आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जाती है तो महिलाओं को तो आपको कम से कम यह प्रबन्ध करना चाहिए कि आठ घंटे से ज्यादा उसको ड्यूटी पर नहीं रखना चाहिए। उसके अपने बच्चे भी हैं, अपना परिवार भी है।

श्री सभापति : आप समाप्त करें। आपकी सहानुभूति पर विचार करेंगे जरूर। श्री हरजीराम बुरड़क। आपकी सहानुभूति पर विचार करेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने मुझे समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं पुलिस की डिमांड के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जितनी भी जांच की जा रही हैं उसमें चालान का परसेंटेज बहुत कम है और इसका मुख्य कारण यह भी है कि जो मामले चालान हो जाते हैं वह इतने लम्बे समय के बाद होते हैं, उनमें गवाह बदल जाते हैं और अदालत में वह सफल नहीं हो पाते।

मेरा माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय, से निवेदन है कि जितने भी मामले पैण्डिंग हैं और वर्षों से आपके सचिवालय स्तर पर पड़े है। उनको तत्काल आपको चालान की अनुमति देनी चाहिए। मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, आप इस विभाग का विस्तार कर रहे हैं, इसमें नये पद सृजित कर रहे हैं लेकिन इनकी की हुई मेहनत लम्बे समय तक यह अपनी मेहनत करके किसी मामले को तैयार करें और विभाग से चालान की अनुमति नहीं मिले इससे इस विभाग की कार्यकुशलता पर तो असर पड़ता ही है साथ ही साथ जिस उद्देश्य के लिए आपने इस विभाग को बनाया है उस पर भी असर पड़ता है। एक अधिकारी या कर्मचारी जिसको इस विभाग ने चाहे किसी जांच में या ट्रेप करके उसका चालान करना चाहा, वह वर्षों तक उसी पोस्ट पर बैठा हुआ भ्रष्टाचार करता रहे और समय बीतने के बाद वह उनके विरुद्ध जो भी सबूत हैं, जो भी गवाह हैं उनको वह नष्ट करने में सफल हो जाता है। पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत लम्बी लिस्ट इन मामलों की बिना स्वीकृति के छोड़ी थी। तो आपको यह तो प्रथम दृष्ट्या ही देख लेना चाहिए था कि सरकार जिन अधिकारियों का बचाव कर रही है उन मामलों में तो आपको एक साथ ही सारी अनुमति दे देनी चाहिए थी।

दूसरा, सभापति महोदय, सी.आई.डी. (सी.बी.) के कार्यकलापों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना है। इस विभाग का अलग से गठन इसलिए किया गया था कि जो उलझन वाले मामले हैं उन मामलों का निस्तारण सही तरीक से हो सके। आपको भी मालूम हैं, मेरे को भी ध्यान है कि मर्डर जैसे मामले इस विभाग द्वारा जांच करके चालान करने के लिए थानों में भेज दिये जाते है। उसके बाद भी उनका चालन नहीं करके और कई बार उन्हीं मामलों को वापस मंगवा लिया जाता है और लम्बे समय तक पड़े रहते हैं। इससे इस विभाग की छवि खराब होती है साथ ही जिन लोगों से संबंधित यह मामले होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इस ओर भी ध्यान देना है। इसमें आपको न तो किसी बजट प्रावधान की जरूरत है, आपको सिर्फ यही करना है कि एक बार आपने इस विभाग से जांच करवा ली और फाइनल करके केस को भेज दिया उसको दुबारा नहीं मंगाना चाहिए। इससे विभाग की और

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सरकारी की छवि खराब होती है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जिस प्रकार से आबादी और अपराध बढ़े हैं उस हिसाब से पुलिस बल की वृद्धि नहीं हुई है। यह मामला हर बजट सत्र में चर्चा में रहता है लेकिन इसका कोई समाधान आज तक हुआ नहीं। जिस गति से अपराध और जनसंख्या बढ़ी है अगर उसी हिसाब से आप पुलिस बल को नहीं बढ़ायेंगे तो पुलिस अपनी छवि सुधार नहीं सकती चाहे कितना ही आप प्रयत्न कर लो। इसलिए आपको इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना है।

इसके अलावा जो भी वृद्धि आपने की है उसमें छोटे लेवल के कर्मचारियों की वृद्धि कम हुई है और बड़े अधिकारियों की ज्यादा हुई है। मेरा यह मतलब नहीं है बड़े अधिकारियों की आप वृद्धि नहीं करें लेकिन उनके अनुपात में सिपाही से लेकर जो छोटे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी आपको वृद्धि करनी चाहिए। अगर उनकी आप वृद्धि नहीं करेंगे तो बड़े अधिकारियों के पदों की वृद्धि करके जो आप रिजल्ट लाना चाहते है वह रिजल्ट उसमें आ नहीं पाएगा।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, पुलिस आधुनिकीकरण की जो बात है, अब आधुनिकीकरण का मतलब आप कहां तक इसको ले जाना चाहते हैं। आपने कोई वायरलैस सैट बढ़ा दिये, मोटर साइकिलें बढ़ा दीं इससे पुलिस का आधुनिकीकरण आप मान रहे हैं यह नहीं है। आज जो नये-नये शोध हो रहे हैं उस हिसाब से पुलिस का आधुनिकीकरण आपको करना चाहिए। सभापति महोदय, इसके अलावा जिन अधिकारियों की कार्यक्षमता है उसके अनुरूप उनको काम दिया जाये ताकि वह अच्छा रिजल्ट आपको दे सकें।

पुलिस के अलावा मैं माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कई वर्ष हो गये आपका विभाग बारबार यह घोषणा कर रहा है कि जयपुर में आटो रिक्शा मीटर से चलेगा। न तो आप आज तक उनको चला पाये न कोई इसमें प्रयत्न किया। सिर्फ आपने उनके चालान करके कुछ रुपये वसूल कर लिये लेकिन इससे जनता को कोई राहत नहीं मिली।

दूसरा जो अवैध वाहन चल रहे हैं उसके बारे में कितना ही प्रयत्न करो, आपके विभाग का उत्तर एक ही होता है कि चल ही नहीं रहे हैं। मैंने पहले आपसे एक सवाल इसी विधान सभा में पूछा था। आपने उत्तर दिया कि लाड़नूं से जयपुर के बीच में कोई नियमित कांट्रेक्ट कैरिज की बसें नहीं चल रहीं हैं। आपके विभाग ने एक-दो बसों को पकड़ा भी, चालान किया लेकिन आज जो कटौती प्रस्ताव का उत्तर भेजा है उसमें आपने वही बात लिखी है कि यह नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार जब तक आपके विभाग के अधिकारी सच्चे मन से इस काम को नहीं करेंगे तब तक इसका परिणाम आने वाला नहीं है या

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तो आप यह खुली छूट दे दो कि चाहे जो चलाओ, चाहे जो करो इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हो सकता है आपके विभाग का यह सोच हो। आपने एक कटौती प्रस्ताव के उत्तर में यह भी लिखा है कि पांच सौ और कितने लाख रुपये या करोड़ रुपये हमने जुर्माने के वसूल कर लिये यह जुर्माना करने के लिए ही अवैध वाहन चलाना चाहते हो यह तो अलग बात है। लेकिन अगर आप रोडवेज को सही सलामत चलाना चाहते हो या उनको कोई लाभ देना चाहते हो तो इनको आपको बंद करना चाहिए। इसके अलावा सभापति महोदय, यह अन्य कर में स्टाम्प ड्यूटी भी सम्मिलित थी इससे संबंधित कोई मंत्री मेरे को दिख नहीं रहा है, और कटौती प्रस्ताव इसमें मेरा स्वीकृत है। इसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि स्टाम्प ड्यूटी की चोरी ज्यादातर सब रजिस्ट्रार लेवल पर हो रही है। आज कोई माननीय सदस्य सदन का ऐसा नहीं है जो इस सत्य को नहीं जानता हो लेकिन इसके संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके अलावा छोटी जगहों पर तहसील स्तर पर कम कीमत के स्टाम्प नहीं मिलने के कारण जनता को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। 5 रुपये 10 रुपये का स्टाम्प चाहिए वहां 100 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ रहा है। यह मामला कई बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया लेकिन इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 के कटौती प्रस्ताव पर मैं अपने कुछ विचार व सुझाव प्रस्तुत करना चाहती हूं। अभी हाल ही में अमेरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत यात्रा पर आये और तब हमने अहसास किया कि हमारी पुलिस और उस पुलिस में कितना अंतर है। यह मैं जरूर मानती हूं कि हमारा देश इतना रिच नहीं है लेकिन जहां तक सुधारों का सवाल है और जिनमें वित्त कहीं बीच में नहीं आता। हमें ऐसे मामले में पुलिस प्रशासन में, पुलिस विभाग में सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, ब्रिटिश साम्राज्य जब हमारे देश में था तो उन्होंने खाकी वर्दी हमारे देश में पुलिस की बना दी। और इस खाकी वर्दी का खौफ इतना जबरदस्त है कि इस वर्दी का रंग बदलना मैं मानती हूं कि अब अति आवश्यक हो गया है। (व्यवधान) वह आप समझाइये।

श्री सभापति : आपका खाकी नेकर के बारे में क्या कहना है।

श्रीमती ममता शर्मा : वह उनसे पूछिये। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, पुलिस की वर्दी का रंग बदल देना चाहिए। खाकी

(श्रीमती ममता शर्मा)

वर्दी में माननीय सभापति, कुछ दमनकारी और शोषण की बू आती है। उसको हटाने के लिए मैं समझती हूं कि इसका रंग बदला जाये तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात पहले मिलिट्री शासन हुआ करता था और मिलिट्री शासन में लॉ एण्ड आर्डर था। उनका खौफ था, जितनी सख्ती थी हमारी पुलिस की क्रिमिनल्स के प्रति, उतनी ही सख्ती बरतनी चाहिए यह जान कर कि क्राइम उसने किया है या नहीं किया है इसका प्रूव होना अत्यन्त आवश्यक है तो क्रिमिनल्स को ट्यूटर करना पड़ेगा और ट्यूटर करके ऐसी सजा देनी पड़ेगी जिससे दुबारा कोई क्राइम करने की हिम्मत नहीं कर सके। एक ही आदमी 2-2, 3-3 मर्डर कर देता है, 10-10 मर्डर कर देता है।

(17.55 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह इसलिए करता है कि उसे पता है कि मैं बहुत आसानी से छूट जाऊंगा उसके लिए हमारी पुलिस को बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिएं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की एग्जिस्टेंस का, अप्रूवल बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक यह अप्रूव नहीं होगा पुलिस की एग्जिस्टेंस का तब तक जनता पुलिस के सहयोग में आगे नहीं आयेगी। और कुछ ऐसे कार्य पुलिस के द्वारा किये जाये, विभाग के द्वारा किये जाये कि जनता स्वयं उसकी मदद के लिए आगे आये और पुलिस का खौफ इतना कम हो कि जनता उससे अपनी बात, अपना सलाह मशविरा जाकर थानों में या बड़े आफिसेज में कर सके। पुलिस की पावर और ड्यूटी को अन्जाम देना इसी बात पर निर्भर करेगा कि जनता उनको कितनी एप्रूवल देती है। पुलिस का जो व्यवहार है, बिहेवियर है उसकी सराहना जनता के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पुलिस को जनता तभी आदर से देखेगी जब जनता के प्रति पुलिस भी संवेदनशील हो। क्योंकि आज आम जनता यह कहने लगी है कि हम क्या थानों में जाये, खास तौर से ग्रामीण जनता, हमारे रक्षक हमारे भक्षक हो गये हैं। यह बहुत अहम मुद्दा है। मैं बड़े अधिकारियों की बात नहीं कर रही हूं। जो हमारे आई.पी.एस. और बड़े-बड़े अधिकारी हैं। उनका मैं यहां जिक्र नहीं करूंगी कि उनके व्यवहार में कोई कमी है। वह बहुत सभ्य और सोफस्टिकेटेड व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं, दूसरे लोगों के साथ करते हैं लेकिन जो थानों में दुर्व्यवहार होता है माननीय-उपाध्यक्ष महोदय, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इन थानों में इनकी डिक्शनरी में तू के अलावा तुम और आप शब्द नहीं है। इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए विभाग को थोड़ी सी सख्ती से काम लेना पड़ेगा। जनता के लिए फिजिकल फोर्स और विवशता, बाध्यता को

(श्रीमती ममता शर्मा)

किस तरह से घटाया जाये इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। पुलिस एक्ट. में अब संशोधन होना चाहिए। 1861 में जो पुलिस एक्ट बना उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ और इस रोल को इफेक्टिव करने लिए अब संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता है और लेटेस्ट टेक्नीक के हथियार पुलिस को दिये जाए, इसकी भी अत्यन्त आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो क्रिमिनल आता है वह ए.के. 47 लेकर आता है, टोयोटा जीप में आता है और जिप्सी जीप में आता है और हमारी पुलिस के पास वही पुरानी थ्री नाट थ्री की बंदूकें और वहीं जिप्सी और वहीं पुरानी जीपें जो चल रही हैं। क्रिमिनल क्राइम करके कितने मील दूर निकल जाता है।

(18.00 बजे)

और हमारी पुलिस समय पर पहुंच भी नहीं पाती। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, खास तौर से गांवों में। अब तो शहरों में क्राइम इतना बढ़ गया है, चाहे वह लोग बोले, चाहे इस लोग बोले, पुलिस वही है विभाग वही है तो कोई सुधार अभी भी नहीं आया है। जिस टाइम जो था वह आज भी है। तो इसका मैं विरोध करती हूं, इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है और गुंजाइश है। ऐसे हालातों का मुकाबला करने के लिये पुलिस पुरानी, पुलिस के पुराने वी.एच.एफ., सैट हैं, पुलिस हमारी साधन सम्पन्न नहीं है और जो क्रिमिनल आता है वह लेटेस्ट मोबाइल फोन, लेटेस्ट टैक्निक के ऐसे हथियार और औजार लेकर आता है कि हमारी पुलिस उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और क्राइम को प्रिवेंट करना कठिन है। क्रिमिनल के भाग जाने पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। फिर केस भी दर्ज हो जाता है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रेफिक पुलिस के बारे में थोड़े से अपने विचार प्रकट करूंगी। ट्रेफिक पुलिस का जो सबसे बड़ा रोल होना चाहिये, खास तौर से मैं देखे रही हूं कि नेशनल हाइवेज पर पुलिस का होना बहुत जरूरी है। नेशनल हाइवे 8, जो दिल्ली जयपुर को कनेक्ट करता है उस पर तो है लेकिन और बड़े-बड़े हमारे यहां संभाग हैं और जो नेशनल हाइवेज जहां से निकल रहा है वहां भी इसकी बहुत आवश्यकता है और इसके लिये एक कारगर कदम इस तरह से उठाये जा सकते हैं कि पंचायत हैडक्वाटर्स पर ट्रेनिंग हो गांव वालों की। क्योंकि ज्यादातर जो भीषण एक्सीडेंट्स होते हैं वह मैं मानती हूं कि ट्रेक्टर्स के द्वारा होते हैं। इनमें बैक लाइट्स का कोई सिस्टम नहीं है। पीछे से आने वाली गाड़ियां जो रात को आती हैं, जब डार्क जोन होता है तो सीधी जाकर भिड़ जाती हैं और भीषण एक्सीडेंट्स को हम इनवाइट करते हैं। इसके लिये पंचायत हैडक्वाटर्स पर अगर उनको ट्रेनिंग दी जाये ग्रामीणों को और यह सिखाया

(श्रीमती ममता शर्मा)

जाये कि ट्रेफिक के यह रूल्स हैं तो मैं सोचती हूं कि एक बहुत बड़ा कारगर कदम हम उठायेंगे।

हमारे शहरों में भी ट्रेफिक सैंस की भारी कमी है। स्कूटर, साइकिल और कार वाले डिपर देना तो समझते ही नहीं हैं। जो नयी-नयी गाड़ियां खरीदते हैं उनको यह नहीं पता कि हमें डिपर को कब यूज करना है। फुल लाइट्स में वह चलते हैं शहरों में, तो इन पर रोक लगाने के लिये पुलिस को थोड़े से कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।

मोबाइल पुलिस की यह हालत है कि वह खुद ही हेलमेट नहीं पहनती है तो जनता को क्या बाध्य करेगी कि आप हेलमेट पहनो। यह एक बहुत बड़ी कमी है कि मोबाइल पुलिस जो आज अपनी हैं वह खुद ही हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पहले उनको बाध्य करना चाहिये कि वह खुद हेलमेट पहने और उसके बाद वह जनता को इस बात के लिये आगाह करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का शहरों में कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना वीक है कि जिसका हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है और जब तक यह नहीं बनेगा मैं इस बात को नहीं मानती कि हमारे यहां कुछ ढंग के काम पुलिस द्वारा हो पायेंगे।

एफ.एस.एल. फैसेलिटी में पुनः सोचकर अत्याधुनिक जामा हमें पहनाना होगा।

इसी के साथ एक पाइंट बहुत इम्पोटेंट बता रही हूं कि हमारे यहां ट्यूरिस्ट पुलिस की अब अत्यन्त आवश्यकता हो गयी है। क्योंकि जो ट्यूरिस्ट आता है उसकी सुरक्षा का कोई भी प्रावधान हमारे पास नहीं है। कभी किसी की चेन खींच ली जाती है, कभी किसी महिला का पर्स ले जाया जाता है। कितने होटल्स की घटनाएं आयी हैं कि होटल्स में विदेशी युवती के साथ गड़बड़ हुई है, उसकी हत्या हो गयी है और इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा ट्यूरिस्ट सेंटर जो हमारा देश है इसकी इमेज विदेशों में कितनी खराब होती है इन छोटी-छोटी बातों से। इसके लिये अगर एक ट्यूरिस्ट पुलिस बनायी जाये और उस ट्यूरिस्ट पुलिस में, मैं जहां तक मानती हूं महिलाओं को रखा जाये और ऐसी शिक्षित महिलाओं को रखा जाये जो कम से दो लेंग्वेजेज जानती हों अंग्रेजी और फ्रेंच। क्योंकि जो ट्यूरिस्ट आता है वह अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह हिन्दी नहीं जानता और हमारे यहां अंग्रेजी का इतना चलन है कि अंग्रेजी आसानी से बोली जा सकती है। इसके लिये अगर ऐसी शिक्षित महिलाओं को रखा जाये तो मैं सोचती हूं बहुत अच्छा कदम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंवेस्टीगेशंस के तरीकों को बदलना होगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती ममता शर्मा)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है। अभी पांच मिनट भी नहीं हुये हैं। यह तो बड़ी पार्शियलिटी है महिलाओं के साथ...

श्री उपाध्यक्ष : आपको ध्यान नहीं रहता है कितना समय हो गया...

श्रीमती ममता शर्मा : एक अकेली महिला कांग्रेस से बोलने के लिये खड़ी हुई हूं...

श्री उपाध्यक्ष : बंद थोड़े किया, मैंने आगाह किया है आपको।

श्रीमती ममता शर्मा : इंवेस्टीगेशंस के तरीकों को बदलना पड़ेगा और जो फालतू रिकार्ड पन्ने पर पन्ने इकट्ठे हो रहे हैं, इर्रेलेवेंट रिकार्ड हैं इसको किसी भी तरह से सलटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। गांवों में पंचायत के स्तर पर पुलिस का रोल जो भयानक है उसे ग्रामीणों द्वारा आज भी सरकारी डाकूओं की तरह देखा जाता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 50 साल बाद भी पुलिस को सरकारी डाकूओं की तरह देखा जाये ऐसा नहीं होना चाहिये।

पुलिस को इस तरह के बड़े-बड़े जो थाने हैं, जो सेंसेटिव थाने हैं वहां शिक्षित पुलिस लगानी चाहिये। कम से कम जो एस.एच.ओ. हो वह एम.ए. पास हो, या कुछ ऐसे कोर्सेज कर रखे हों कि वह आसानी से अपनी बात को समझा सके ग्रामीणों को और उनकी बात को समझ सके। आम आदमी के लिये पुलिस रोल माडल के रूप में कानून व्यवस्था की पालना नहीं करेगी तो जनता से हम कैसे एक्सपैक्ट कर सकते हैं, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता भी इसके साथ सही काम करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दमनकारी पुलिस के लिये भी कानून और व्यवस्था की आवश्यकता है। हम देखते हैं जो ट्रेफिक लाइट्स हैं उनमें जब लाल लाइट होती है तो पुलिस की गाड़ी धड़ल्ले से निकल कर चली जाती है, उनको रोकना पड़ेगा। उन्हें भी गाड़ी रोकनी चाहिये। अधिकारियों की बात तो आप छोड़िये लेकिन जो इनके ट्रक्स चलते हैं, मिनी ट्रक्स, वह तो ब्रेक लगाने को कहीं तैयार नहीं। अगर किसी को टक्कर लगती है तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं हैं। तो ऐसे दमनकारी कार्य जो इनके हैं उस पर कहीं न कहीं जरूर रोक लगाने की हमें आवश्यकता है...

श्री जगत सिंह दायमा : विधायकों को लालबत्ती मिलनी चाहिये ?

श्रीमती ममता शर्मा : नहीं मिलनी चाहिये। कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुलिस एक्ट जो 1861 में बना था, उसको और उसके प्रावधानों को बदलने की अब इतनी जरूरत आ गयी है कि अब वह अव्यवहारिक सा नजर आने लगा है। इसलिए जो नेशनल पुलिस कमीशन ने पहले भी

(श्रीमती ममता शर्मा)

स्टेट और सेण्ट्रल गवर्नमेंट को राय दी थी कि पुलिस एक्ट को दुबारा संशोधन होना अब बहुत जरूरी है और उस पर अमल करने का मैं सोचती हूं कि अब समय आ चुका है। आबादी का बढ़ना, ऐसे कई कारण हैं कि अब सिस्टम में चेंज आना चाहिये। अब वह सिस्टम नहीं चल सकता। पुलिस को अपनी इमेज बदलकर ऐसी बनानी होगी कि जनता पुलिस के पास आये, अपनी बात को कहे और पुलिस पब्लिक हो और पब्लिक पुलिस हो। ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई संशोधन किया जाये जिससे एक नया रूप सामने आये।

पुलिस को जुर्म हटाने के लिय कुछ मापदंड तक करने होंगे और बहुत अहम मुद्दा जो हमारे प्रदेश का है। गुजरात और हमारा प्रदेश पाकिस्तान की सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है और ऐसे चार जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ऐसे हैं हमारे यहां कि जो बिलकुल सीमावर्ती, सीमाओं से लगे हुये हैं। तो उनके लिये हमें बी.एस.एफ. को और मजबूत करना पड़ेगा। बी.एस.एफ. को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। उनको ऐसे नये अत्याधुनिक हथियार और जीपें देनी पड़ेंगी क्योंकि वहां जो स्मगलिंग होता है, वह तो ठीक है पाक का कोई जासूस आया और पकड़ा गया। लेकिन स्मगलिंग जिस कदर होती है उसमें बड़े-बड़े लोग लिप्त हैं और उनसे निपटने के लिये इतने ट्रेंड अधिकारियों की जरूरत है और इतने अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सैट यहां पर होने चाहिये जिनसे कि हम वहां कुछ काबू पा सके। टोटल री-माडर्नाइजेशन करने की जरूरत है।

श्री अमीन खान : अब आजकल तस्करी का वह काम बंद हो गया, सीमा सीज हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बोलने दें।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाक जासूसों को जो पुलिसकर्मी पकड़ते हैं उनको एक पदक दे दिया जाता है। मैं सोचती हूं कि पदक ही न देकर उनका प्रमोशन भी करना चाहिये। वह बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर उनको इस तरह का कोई रिवार्ड मिलेगा तो मैं सोचती हूं उनके लिये अच्छा कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं जो जिला लेवल की हैं पहले एस.पी.क्राइम मीटिंग्स लिया करता था। वह क्राइम मीटिंग्स लेना बिलकुल बंद कर दिया है। उन क्राइम मीटिंग्स में जो बातें होती थीं तो उसमें इम्पोर्टेंट इश्यू डिस्कस किये जाते थे। पुराने केसेज के बारे में में जानकारी होती थी कि फलां केस में चालान पेश क्यों नहीं हुआ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एस.पी.लेवल पर मीटिंग अभी भी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्रीमती ममता शर्मा : केसे इतना लंबा क्यों चल रहा है। इसमें चालना पेश क्यों नहीं हुआ। पैंडेंसी क्यों है ? ऐसी सभी बातें उस क्राइम मीटिंग्स में हुआ करती थी और एक टेक्निकल फार्मूला और भी था कि 25–30 एस.एच.ओ. को खड़ा करके उनकी क्लास ली जाती थी कि तुमने यह काम अभी तक क्यों नहीं किया तो वह वैल प्रिपेयर्ड आया करता था और उससे यह फायदा होता था कि जो नहीं आता था वह शरमाता था और शर्म से आगे के लिए अपने आपको मजबूत और तैयार करके लाया करता था। उपाध्यक्ष महोदय, थानों में जुर्म घटना अत्यंत जरूरी है। अगर वहां कोई महिला जाती है, मुझे कहना तो नहीं चाहिये लेकिन वह अपनी बात कहने जाती है और खुद बलात्कार कर शिकार होकर के आती है। यह हमारे लिये शर्म की बात है। यह नीचे के लेवल पर जो एस.एच.ओ. और आपके जो पुलिस कर्मचारी हैं इनको कोई कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे इन महिलाओं की सुरक्षा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने थाने का केस बता रही हूं, केशोरायपाटन का थाना जहां एक सरपंच अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये गया तो जिसने एफ.आई.आर. दर्ज की उसने उससे एक हजार रुपये लिये और जब उसे पता लगा कि विधायक के द्वारा भेजा हुआ सरपंच है तो तीसरे दिन उसने खुद आकर सरपंच को एक हजार रुपये लौटा दिये। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने का पैसा अगर पुलिस लेने लगेगी तो न्याय का कहीं मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती ममता शर्मा : और यह तो हालत तब थी जब एडिशनल एस.पी. ने टेलीफोन कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी का जिक्र तो किया नहीं है। बूंदी में ट्रैफिक लाइट की अत्यंत आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये। आप तो ठेठ बी.एस.एफ. तक चली गयी थी।

श्रीमती ममता शर्मा : लबाना बहुत बड़ा गांव है, वहां चौकी स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। वहां बस स्टैण्ड है, हास्पिटल है, लेकिन चौकी नहीं है। चौकी के लिये दूरदराज के गांव लक्ष्मीपुरा में जाना पड़ता है। तो क्राइम को रोकने के लिये वहां चौकी का स्थापित होना अति आवश्यक है।

अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि आठ घंटे से ज्यादा महिलाओं की ड्यूटी नहीं होनी चाहिये। इसके लिये मैं भी आपसे पुरजोर निवेदन करूंगी कि महिलाओं को आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवानी चाहिये। रोज की खबरों मे जो पुलिस की ज्यादतियों के बढ़ते हुए क्राइम हैं उनके लिये सरकार को एक रिसर्च एंड एनेलेसिस विंग बना लेनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इन एक्सपर्ट्स की राय पर गंभीरता से

(श्रीमती ममता शर्मा)

विचार करें और इसको खतम किया जाये। मैं अपनी बात को कहकर समाप्त करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्रीमती ममता शर्मा : लेकिन जेल के बारे में मैं कहूंगी कि बूंदी की जेल इतनी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है कि उस जेल को सुधारने के लिये कुछ कारगर काम किया जाये तो मैं सोचती हूं बहुत उत्तम होगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें एक भी नहीं छोडूंगा। आप चिंता मत करें, एक भी नहीं छोडूंगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह फर्क नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक भी नहीं छोडूंगा। आप चिंता मत करें...(व्यवधान) अभी आप इंतजार करें...(व्यवधान) एक भी नहीं छोडूंगा।

श्रीमती ममता शर्मा : अब परिवहन की जहां तक बात है माननीय मंत्री महोदय, हमें भी एक एयरकंडीशंड बस जयपुर से कोटा के लिये दें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक आदमी बोला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके आठों को बुलाऊंगा। आप चिंता मत करें...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : क्योंकि अब कोटा ट्यूरिस्ट सेन्टर हो रहा है तो एक बस की आवश्यकता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तीन उधर से और एक इधर से बोल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये ना...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-16, मांग संख्या 17, मांग संख्या–12 ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी पार्टी के बोले हैं ना...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक ही तरफ के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी पार्टी के भी तो बोले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के लायक हैं तो हम हैं यह क्या कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं वह भी हैं कहने लायक।

श्री रतन लाल ताम्बी : के संबंध में मैं अपने दिये हुए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुए...

श्री उपाध्यक्ष : वह भी हैं कहने लायक ...(व्यवधान) बिराजिये, प्लीज बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल सिस्टम से चला रहा हूं। एक भी माननीय सदस्य नहीं रहेगा। आप निश्चिंत रहे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ ? सुबह से बैठा रखा है। वैसे ही नींद आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये माननीय सदस्य, आप तसल्ली रखें, सबको बुलाऊंगा।

श्री मदन दिलावर : यह तो चिकनी, चुपड़ी बातें कहेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक भी नहीं छोडूंगा। सबको बुलाऊंगा...(व्यवधान) नैक्स्ट आपका नम्बर आयेगा...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16, मांग संख्या-17 और मांग संख्या-12 की डिमांड पर आज...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, आप सब चिंतित हो जाने के लिये लेकिन आप रुकेंगे सब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां हां, बोला है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंरे द्वारा दिये हुए कटौती प्रस्तावों के समर्थन करते हुए मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था, शांति और सद्भाव पुलिस पर बहुत कुछ निर्भर करती है और जिस प्रदेश की पुलिस आधुनिक उपकरणों और यंत्रों से सुसज्जित होगी और उनको सभी प्रकार की सुविधाएं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्यों और देर में देर कर रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपकी आदत में सुधार नहीं होगा क्या ? मैं समझता था कि अब सुधरने लगे होंगे, आप एक कदम आगे बढ़ते हो, दो कदम पीछे हट जाते हो। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पुलिस को आधुनिक स्वरूप देने की आवश्यकता है और पुलिस के पुनर्गठन के लिये 10 करोड़ का जो आज प्रावधान रखा गया है मैं समझता हूं जनसंख्या की वृद्धि और अपराधों में वृद्धि के साथ-साथ पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिये काफी आवश्यकता है और पुलिस बल में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। थानों और चौकियों में भी वृद्धि की आवश्यकता है और जब तक हम इन सारी बातों को पूरी नहीं करते है तब तक अपराधों पर कंट्रोल

(श्री रतन लाल ताम्बी)

करना बहुत मुश्किल बात है। फिर भी बधाई देना चाहूंगा कि 1998 और 1999 के बीच में पुलिस अपराधों में 0.43 की वृद्धि हुई है, यह वृद्धि में वृद्धि नहीं कही जा सकती है।

कम साधनों के बावजूद भी राजस्थान में अपराधों पर काफी नियंत्रण किया गया है। पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं और जब तक इसके साथ इनको पूरा प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था, यह सारी बातें ठीक नहीं होती है, तब तक आजकल विज्ञान और टेक्नोलाजी के इस युग में जिस प्रकार अपराध करने की प्रवृति और जो साधन अपराधियों के पास मुहैया होने लगे हैं उसको देखते हुए हम इस दिशा में पूरा विचार करें तब जाकर हम राजस्थान में कानून व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुसज्जित करके जनता को राहत दे सकेंगे। मैं इस अवसर पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस को पुराने तौर-तरीके बदल कर आज, जब हमारी प्रदेश की सरकार ने संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की अवधारणा की है वैसी स्थिति में पुलिस को भी इन तीनों आधार पर अपने आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जनता का, पुलिस का एक सीधा संबंध, सद्व्यवहार रहे इसके लिए एक सुझाव तो मेरा यह है कि जब भी थानों का निरीक्षण करने डीवाई.एस.पी. और एस.पी. जाये और वहां के नागरिकों से बैठकर वहां की पुलिस की व्यवस्था और सुझाव के बारे में भी चर्चा करें। इससे आपस में तालमेल बढ़ता है, सद्भाव बढ़ेगा और उसके सहयोग के कारण अपराधों पर रोकथाम हो सकेगी और जनता का भी उसमें सहयोग मिल सकता है। इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

विधि विज्ञान वाला जो मामले हैं, इस मामले में अपराधियों का काफी समय तक चालान नहीं होना और उसमें काफी लोटाफेरी हो जाती और समय बहुत लगता है। इस व्यवस्था को कैसे ठीक की जा सकती है उसको आज देखने की आवश्यकता है, ताकि मुकदमों का समय पर चालान हो सके।

पिछले वर्षों में कई बार आपस में झगड़ों को लेकर एक दूसरे सम्प्रदाय, वर्ग के खिलाफ मुकदमेबाजी, कई जगह पिछले शासन के टाइम पर कायम की गयी थी। और वह मुकदमे कोर्टों में लम्बे समय तक अनावश्यक चलते हैं जबकि दोनों संप्रदायों में सद्भाव है और वह चाहते हैं कि इस प्रकार के मुकदमे, जो काफी पिछले शासन ने बनाकर प्रस्तुत किये हैं, इन मुकदमों का भी इस बार निस्तारण करने की आवश्यकता है या उठाने की आवश्यकता है। हमारे इलाके में जब जनजीवन में सदभाव अच्छा बन गया है, दोनों वर्ग चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको उठाने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर अपने इलाके, बहुत बड़ा इलाका है, वहां थानों और चौकियों की कमी है,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारोली, आमरवासी में पुलिस थाना, खजूरी, टीकड़ और तसवारया बावड़ी में पुलिस चौकियों की मांग बराबर हर वर्ष हम करते रहे हैं। मैं इस दिशा में समझता हूं कि ध्यान दिया जाएगा।

मैं इसके साथ-साथ कारागार की वर्तमान व्यवस्था के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था, वहां पहुंचने पर मिलने-जुलने की व्यवस्था, बड़ी कठिनाई होती है, जेलों की हालत भी बड़ी खराब है, उनको भी समय-समय पर देखकर उनमें सुधार की आवश्यकता है।

अब मैं परिवहन की मांग पर आना चाहता हूं, पिछली बार सरकार ने पुराने कई मामलों में दण्ड और ब्याज के आधार पर वसूली में छूट दी थी और उससे करोड़ों रुपये राजस्थान के खजाने में आए थे। आज भी हम देखते हैं कि राजस्थान के पुलिस थानों में सैकड़ों गाड़ियां वर्षो से खड़ी हुई है, जब से एस.आर.टी. 1982 से बढ़ा तब से यात्री बसों और ट्रकों, इनके हालात इस तरह की बने कि इनका चलाना बड़ा असम्भव है। एक जमाना था जब लोग परमिट प्राप्त करने के लिए बहुत ताकत लगाते थे, बहुत दौड़-धूप करते थे, आज के दिन नया परमिट लेने लोग नहीं आते, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रहीं है, यातायात व्यवस्था में सुविधाओं का अभाव है, अवैध बसों, अवैध जीपों का संचालन, बड़ी संख्या में राजस्थान में हो रहा है। इससे करोड़ों रुपये राजस्थान के खजाने में आ सकते है। हमारे कानून में संशोधन करके, सुधार करके अवैध बसों और जीपों, मिनी बसों में जो बड़ी तादाद में चलती हैं, और इतनी सवारियां भर-भर कर चलती हैं, अभी तक हम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से सारे यातायात पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जनता को किस प्रकार यातायात सुविधा सुलभ हो सके, इस बारे में आज सोचने की आवश्यकता है मैं मंत्री महोदय, को सुझाव देना चाहता हूं कि अवैध बसों पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे है, यह मैं देख रहा हूं, बराबर घड़ल्ले से चल रही है। टैक्स चोरी आराम से हो रही है, सब जगह, जगह-जगह पर पैसा देकर गाड़ियां चल रही है। ऐसी स्थिति में आप कानून के माध्यम से, दिन में अपनी बसें चलती है, रात में प्राइवेट बसें बहुत चलती है, उन लोगों को आप एक प्रणाली तय करके निश्चित रूप से परमिट पैसा देकर आप उनसे और भी ज्यादा ले सकते है। वे देने को तैयार हो सकते हैं बजाय जो जगह-जगह पैसा जा रहा है, मैं समझता हूं एक तो यह मामला ठीक करना चाहिए। दूसरा बड़े-बड़े कस्बों के आसपास सैकड़ों की तादाद में जीपें खड़ी रहती है लोग उनमें भेड़ बकरी की तरह भरकर जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए भी निश्चित रूप से आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अभी आपने पुराने वाहनों को बकाया के मामले में छूट देने की एक योजना निकाली। यह योजना 31 मार्च तक थी, उसका लाभ कई लोगों ने लिया और कई लोगों को जानकारी नहीं मिली। कई लोगों के पास इतना बकाया था कि वे इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए और गाड़ियां बेकार पड़ी-पड़ी खतम हो रही है। टैक्स भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इस तरह की व्यवस्था को आगे और छह महीनों के लिए बढ़ाएं जिससे करोड़ों रुपये राजस्थान के खजाने में आ सके। इस बात का प्रयास करना, मैं समझता हूं उपयुक्त होगा।

मेरे इन सुझावों के साथ एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल मंदिरों में चोरियों के मामले बहुत चल रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले टोडारायसिंह गया था, वहां बीच बाजार में लोगों ने बताया कि चारभुजा का मंदिर है, उसमें सोने चांदी के जेवरात और कुछ सामान वहां से चोरी चला गया। 11 जनवरी की बात है, गांव के लोग कई बार पुलिस के पास गए। 11 जनवरी से आज तक इस घटना पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। मूर्तियां प्रायः चोरी चली जाती हैं, अन्तरराष्ट्रीय गिरोह कहीं न कहीं इसमें संलग्न है। इस प्रकार मंदिरों से जो चोरियां होती है, उससे जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पुलिस को इन दो मुद्दों पर विशेष तौर से प्रशिक्षित करें ताकि मूर्ति चोरने वाले अन्तरराष्ट्रीय गिरोहों और अन्य लोग जो इसमें सक्रिय रहते हैं उनका जल्दी पता लग सके ताकि आम जनता संतुष्ट हो, इस बात का प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

पुलिस को वर्तमान में सद्व्यवहार के बारे में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि लोगों को यह महसूस हो कि थाने में जाने से हमारी सुनवाई होगी, हमें न्याय मिलेगा। बजाय, वे जाते हुए डरते हैं। वहां अनावश्यक रूप से उनसे कई प्रकार का पैसा लेते हैं। कई बार कहते है वहां जाना है तो जीप लाकर दो, इस तरह जीपों की व्यवस्था करवाते है। गरीब आदमी पहले से ही परेशान होकर जाता है और इसका उसको लेना देना पड़े, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। वर्तमान में पुलिस में इस प्रकार की व्यवस्था समय पर की जानी चाहिए ताकि लोगों को यह विश्वास पैदा हो पुलिस में कि पुलिस वास्तव में हम लोगों को न्याय दिला सकती है। पुलिस का हमारे साथ सद्व्यवहार रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि मानवाधिकार आयोग के बाद पुलिस के लोग इस बात से भी भयभीत रहते है कि अगर चोरी बरामद करने या किसी घटना को और खुलवाने का प्रयत्न किया तो कहीं न कहीं मामला

(श्री रतन लाल ताम्बी)

गम्भीर न हो जाए। मानवाधिकार आयोग की तलवार उन पर लटकी रहती है, उन चुनौतियों का उनको मुकाबला करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन किस तरह से संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही बने इसके लिए अब ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा मैंने अनुरोध किया कि अत्याधुनिक साधनों और सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ छोटे पुलिस कर्मचारियों की सुविधाएं कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनकी किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें चौबीसों घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहना पड़ता है, कि कभी भी कोई भी घटना हो जाए। उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें भाग लेना पड़ता है। उनके लिए भी राज्य सरकार को बिलकुल कल्याणकारी दृष्टि से सोचना चाहिए। पुलिस के कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रित परिवारों को वापस नौकरी देने के मामले में साल-साल, दो-दो साल, तीन-तीन साल तक का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए इसका समयबद्ध कार्यक्रम तय हो कि आश्रित परिवारों को छह महीने में नौकरी मिल जाए। किसी भी प्रकार हम उस परिवार की इतनी मदद कर सकें, इसके लिए वर्तमान व्यवस्था में और सुधार करके समय पर लोगों को नियोजित करवाने का कार्यक्रम बना सके, यह मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने जो अपनी कटौती प्रस्ताव दिए हैं और मांगे प्रस्तुत हुई है, उस पर मैंने अपने विचार प्रकट किए है, धन्यवाद।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : सुबह से खाना नहीं खाया सर, भूख बहुत तेज लग रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग क्रमांक-12, 16 और 17 पर बोलूंगा। मांग संख्या-12, परिवहन के लिए तो इतना ही निवेदन करना है कि परिवहन की व्यवस्था पहले से खराब हुई है। जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार जिसको कहते है, वह गैर जिम्मेदार और गैर संवेदनशील सरकार है। मेरे क्षेत्र अलवर में रोडवेज की जो बसें चल रही थी, उनको बंद कर दिया गया है और बार-बार कहने और चीफ मैनेजर और डिपार्टमेंट से मिलने के बावजूद उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। परिवहन मंत्रीजी उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, लाएं। साथ ही वहां के कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है, रोडवेज के कर्मचारी जिनके साथ मेरा सहानुभूति है। मैं स्वयं 20 वर्ष तक कर्मचारी और मजदूर नेता रहा हूं इसलिए उनके सुधार के लिए, उनके लाभ के लिए क्या संभव हो सकता है, वह परिवहन मंत्रीजी देखें। विद्वान परिवहन मंत्रीजी से मुझे इतना ही कहना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी परिवहन का हुआ है, असली जखीरा, सामान तो अब आ

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं लेकिन कुछ जिम्मेदार मंत्रीगण अभी विराजे हुए हैं। अलवर जिले की जो स्थिति है वह बाकी राजस्थान से कुछ अलग है। बहुत प्रचार किया गया था संवेदनशील सरकार का और जवाबदेही सरकार का मैंने सबसे पहले 30 जुलाई को पत्रकार वार्ता लेकर अलवर में कुछ मुद्दे उठाए थे, उनको एक-एक करके बोलूंगा। अलवर जिले में आई.एस.आई. के एजेंटों का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है। दूसरे वहां पर इस एक वर्ष में लूटपाट, बलात्कार, हत्या राजस्थान के बाकी जिलों से तीन सौ गुना बढ़ गई है। कुछ सेक्स स्कैंडल हुए है। अवैध हथियारों के बारे में भी मैंने पत्रकार वार्ता में कहा, उसके लिए एक-एक करके खुलासा करूंगा, इन हथियारों की डिटेल भी आपको दूंगा। सिंथेटिक दूध यहां तक है, सिर्फ दूध ही नहीं है अब तो आईसकैण्डी और आईसक्रीम कुल्फियां बनाकर सिंथेटिक दूध की खिलायी जा रही है। यह अलवर जिले की स्थिति है इसका खुलासा बाद में करूंगा।

पाकिस्तान के और विदेशों के अवैध नागरिक जिनका वीजा खतम हो गया ऐसे लगभग दो हजार लोग मय सबूत के मैंने पत्रकार वार्ता में कहा पूरी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन उस तरफ पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसका खुलासा डिटेल में लाया हूं।

इसी तरह से मेवात क्षेत्र से आने वाले अवैध नोटों का प्रचलन और संकलन है उसके बारे में भी एक-एक करके मैं जानकारी दूंगा। वहां पर हर महीने, हमारे लिए कष्टदायक बात है कि जिस गौवंश के कारण से भारत की पहचान बनी, जिस गौवंश के कारण से भारत का सम्मान बढ़ा, लगभग 5 हजार एवरेज गाय, बछड़े, बैल की तस्करी करके बूचड़खानों की तरफ अलवर की मेवात सीमा से ले जाया जा रहा है। इसी प्रकार से सट्टे और जुएं की भरमार हैं इस बारे में मैंने खुलासा किया था और पुलिस की कृपा से, यहां पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं, माननीय मंत्रीगण भी बैठे हैं, पुलिस की कृपा से वहां पानी नहीं मिलता, पानी कीचड़नुमा है, लेकिन हर दस घर की ढाणी पर एक शराब के ठेके की ब्रांच, एक खोखा, एक दुकान आपको मिल जाएगी। ये कुछ मुद्दे उठाये थे।

इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा और है। यहां बिजली मंत्री नहीं हैं, बहुत बढ़-चढ़कर बोलते हैं, पत्रकार वार्ताएं जो पहले 30 जुलाई को और उसके बाद में 8 मार्च को हुई, बिजली मंत्री महोदय आज नहीं हैं, जरा पुलिस के अधिकारी सुने और सरकार के माननीय मंत्रीगण सुने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 10 लाख रुपये बकाया है और डिसकनेक्ट हो गया एस.पी. आफिस, एडिशनल एस.पी. आफिस, लेकिन अवैध कनेक्शन चल रहे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं। एक शिवाजी पार्क थाना है उसमें आज तक डिमाण्ड नोटिस नहीं दिया। कोई डिमाण्ड नोटिस देकर कनेक्शन नही लिया है, अवैध रूप से जो हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर हैं, मैंने परसों बताया था, कब्जा है। साथ ही उन्होंने अवैध बिजली का कनेक्शन ले रखा है। इन बारे में बिजली मंत्रीजी, आप बहुत बढ़-चढ़कर बोलते हैं, सी.पी. जोशीजी का मुकाबला करना चाहते हैं, वे कर नहीं सकते, जितने त्वरित तरीके से बोलतें हैं, यह मेरा निवेदन है।

अब एक-एक पाइंट पर खुलासा करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी का जोधपुर जिला और अलवर जिले में बहुत फर्क नहीं है। वहां पर भी आई.एस.आई. के एजेंट पनपे हुए हैं, अलवर में भी पनपे हुए हैं, अब क्या समानता है इसका निर्णय आप लोग ही करें। क्या कारण हैं कि जोधपुर में भी आई.एस.आई. एजेंट हैं और अलवर में भी आई.एस.आई. के एजेंट हैं और उनको आपस में तारतम्य है। हमारे किशनगढ़, खैरथल के माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं वहां एस.टी.डी./पी.सी.ओ. से जो फोन किये गये, किन-किन को किये गये इसका जानकारी माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार करें। पाकिस्तान बात की गई, अरब के तीन देशों में बात की गई। यहां कौन जिम्मेदार है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नोटिस नहीं दिया है, कुछ मंत्री महोदयों से बात की गई। एस.टी.डी., पी.सी.ओ. की सारी लिस्ट आई.बी. और सी.बी.आई. के लोग लेकर गये हैं और जो बयान फजरू, जो आई.एस.आई. में पकड़ा गया और जो अब्दूल इदरीस पकड़ा गया...

श्री जगत सिंह दायमा : पाइंट आफ आर्डर। मान्यवर, अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता को या पोलिटिकल वर्कर को बाहर से कोई टेलीफोन कर तो उसके माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि यह आदमी कैसा है, कैसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या पाइंट आंफ आर्डर है।

श्री जगत सिंह दायमा : महोदय, ये बोल रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया, बाकी गलत सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, श्री ज्ञानदेव आहूजा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जासूस अब्दुल...

श्री जगत सिंह दायमा : गलत सूचना है, ये माननीय मंत्रीजी के लिए बोल रहे थे और यह कह रहे हैं मैंने नोटिस नहीं दिया। जिस मंत्री के खिलाफ ये कहना चाहते हैं वे मंत्री देशभक्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम ही नहीं लिया किसी मंत्री का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नाम ही नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : किस मंत्री का नाम

(श्री उपाध्यक्ष)

लिया इन्होंने ? आप अपेरेंट क्यों कर रहे हो वो नाम लेंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : वो हमारे मंत्री पर चार्ज लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप गिल्टी कांसेस हो क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : वो मंत्री देशभक्त है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने नाम ही नहीं लिया, आप कह रहे हो नाम ले लिया।

श्री जगत सिंह दायमा : उनके फादर हैं वे जवाहर लाल नेहरू के साथ के लीडर हैं, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विराजिए। आज मैंने किसी को व्यवधान नहीं किया, आज सुबह से मैं चुपचाप बैठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं ही लिवाना चाह रहे हो उनसे नाम, ऐसा लगता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जासूस, जो दिल्ली छावनी में एक मस्जिद में इमाम था, उसके पिता स्वतंत्रता सैनानी हैं, वे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसका लड़का राजस्थान युवक कांग्रेस का मोहम्मद कासिम, उसका इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि कांग्रेस वालों ने खुद ने हटाया, यूथ कांग्रेस की शिकायत पर ही हटाया, वहां से पत्र आया। मोहम्मद कासिम मेवाती, वह युवक कांग्रेस के प्रान्त के महा मंत्री बन गये। किस ढंग से बन गये, उनके पिता श्री अब्दुल मजीद, जो दिल्ली में इमाम थे ये भी जासूसी में पकड़े गये। मेवात अंचल में जासूसों की गतिविधियां तेज, खुफिया विभाग की संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर। यह भी समाचार है। जासूसी प्रकरण में अभियोग पत्र की तैयारी। ये सारे पत्र मेरे पास हैं। मैंने दोनों पत्रकार वार्ताओं में कहा था, पुलिस अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने क्यों नहीं दिया, क्योंकि बहुमत के आधार पर ये +++ बन गये, ये +++ बन गये हैं, +++ बन गये हैं, बहुमत मिल गया +++ इनको, तो जैसी मर्जी है करेंगे। देश के साथ गद्दारी हो रही है, देशद्रोही पनप रहे हैं, आई.एस.आई. के एजेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। ये सारे पुलिंदे आई.एस.आई. से संबंधित हैं, ये मैं एक तरफ रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध हथियारों के बारे में मैंने पत्रकार वार्ता में निवेदन किया था, छह कारखाने चल रहे थे, मेरे ही रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हैं। मेरी निशानदेही पर एस.एच.ओ. को पर्सनल रिक्वेस्ट करके भूरा का बास में 150 लोग बंदूकें, कट्टे, रिवाल्वर बना रहे थे और

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कुल चार सिपाही लेकर थानेदार गया क्योंकि वहां पुलिस के बड़े अधिकारी का उनको निर्देश था कि आप सिर्फ एक बार देखकर ही आवें। 150 लोग व हजारों अवैध हथियार पकड़े गये, थानेदार के ऊपर गोलियां चलायी अवैध हथियार बनाने वालों ने। एक सिपाही के हाथ में गोली लग गई। ये कारनामे अवैध हथियारों के बारे में है और बाकी पांच कारखाने अभी भी बदस्तूर हैं, पहाड़ों की घाटियों में हैं। (व्यवधान) मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, चिन्ता मत करिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाली नोटों का जो मामला है तिजारा में, खैरथल में...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध नोटों का प्रचलन भी है। सबसे पहले इसी क्षेत्र में हमारे बी.जे.पी. शासन के समय भी कुछ लोग पकड़े गये थे, बाद में किस मिलीभगत से पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। वैसे ही आज भी 500 का नोट नऊ में, बड़कली में और हरियाण गुड़गांव में सोहना, तावड़ में मिलते हैं। वैसी ही नम्बरों की 500 के नोटों की गड्डियां भिवाड़ी में, तिजारा में, टपूकड़ा में, किशनगढ़ थाने के क्षेत्र में रामगढ़ गोलुंदर, खेपर इन क्षेत्रों में मिलती है, बहरोड, बानसूर की तरफ नहीं है। मेरा निवेदन है कि अवैध नोटों का प्रचलन है इस पर पुसिल ने ध्यान नहीं क्यों नहीं दिया, अवैध नोटों का प्रचलन है इस पर पुलिस ने ध्यान क्यों दिया, अवैध लोगों को क्यों नहीं पकड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यह गौहत्या का इतना बड़ा पुलिंदा है, 500 गायें पकड़ी गयी, एक हजार गायें पकड़ी, 200 गायें पकड़ी गयी, तीन हजार गायें पकड़ी गयी, हर दिन का वहां दौर चला है। हमने गौशालाएं खुलवायी हैं, लेकिन कहां तक गौशालाओं की व्यवस्था करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार, जिसमें गौवंश का सर्वनाश करने का तय कर लिया, पाप तो इनको पड़ेगा ही लेकिन सरकार के कारण, अव्यवस्था के कारण से राजस्थान के गौवंश का खात्मा हो रहा है। इतना ही नहीं मेरे क्षेत्र में कैमासा में एक गाय काटी गयी, खाल बरामद हो गई, हड्डियां बरामद हो गई, सींग बरामद हो गये और उसको गलत तरीके से हलफनामा वहां के एस.एच.ओ. ने पेश किया लक्ष्मणगढ़ कोर्ट में और वे आठों बरी हो गये, ऐसी भी घटना गौवंश के बारे में है। सिर्फ गौवंश के बारे में ही नहीं है, उन्होंने कबूतरों का मारना, राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारना, उनकी हत्याएं करना, बाकायादा नामजद रिपोर्ट है और अलवर पुलिस के एक बड़े अधिकारी उनको क्यों बचा देते हैं। उनको राष्ट्रपति एवार्ड मिल गया, कैसे मिल गया, गोड नोज, लेकिन मिल गया। वे क्यों बचाना चाहते हैं इसके

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बारे में भी मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। पुलिंदे बहुत हैं, समय बहुत लगेगा, यह जानकारी आप लोग रखें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं इस बारे में जानकारी दे रहा हूं वहां लूटपाट और ट्रकों तक को लूटा गया, बजाज स्कूटर से भरा ट्रक लुट गया, तेल से भरे टैंकर लुट गये, सरियों से भरा हुआ टेंकर लुट गया। दुकानें लुट गयीं, बैंक लुट गये, तीन-तीन बार एक ही बैंक के ताले टूट गये। ऐसी घटनाएं भी इस एक वर्ष में हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे पुलिंदे अधिकारी लेना चाहे, मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने भेजे हैं, बाई पोस्ट भेजे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, पत्रकार वार्ता में बोला गया है। यह कातिलों ने इस प्रकार से सरेआम कत्ल किये हैं। यह कत्ल के पुलिंदे है। ये सारे मैं लाया हूं इक्ट्ठे करके। बलात्कार के बाद हत्याएं हुई हैं, गांवों में हत्याएं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी आप अपने स्थान पर आइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा एक निवेदन है आपको, इसके अलावा दूध का जो मुझे संक्षेप में बोलना है, अब मैं लवण और मिर्च नहीं मिला रहा हूं। सिंथेटिक दूध का जो मैंने कहा, सिंथेटिक दूध जो बिक रहा है। हजारों लीटर राजस्थान में बीकानेर से और जोधपुर से, उदयपुर से और जयपुर से डेयरी के दूध के जो ट्रक जाते हैं, 12-12 हजार लीटर के, उसमें से 3 हजार लीटर निकाल लिया जाता है। भिवाड़ी के मोड़ पर, और वहां निकाल कर उसमें सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है। यह जो 10 थाने हैं इन थानों में मैंने बताया यह जो क्षेत्र है यहां सिंथेटिक दूध ही नहीं, अब तो खैरथल में एक आइसकैंडी की फैक्ट्री में आइसक्रीम पकड़ी गयी है सिंथेटिक दूध की, और पुलिस और मेडिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं करते। मुख्य भूमिका इसमें पुलिस की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुल मिलाकर घटनाक्रम है इसको मैंने संक्षेप में कहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अफसरों को, यहां मैंने चर्चा सुनी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। हनुमानगढ़ मैं प्रवास पर गया था। एक सरवर अली खानजी अच्छे अफसर हैं लेकिन यहां पता नहीं कांग्रेस को, उन्होंने तो तस्करी को, हनुमानगढ़, गंगानगर में तस्करों को पकड़ा, सट्टेबाजों को पकड़ा। आज कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य उनके खिलाफ ही बोले गये। एक है सी.आई. वीरेन्द्र जाखड़ जिनको पर्सनली मैं जानता हूं। उन्होंने नाम लिया इसलिए नाम ले रहा हूं। मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं सरवर अली खानजी की और प्रशंसा कर रहा हूं हमारे सी.आई. वीरेन्द्र जाखड़ जैसे लोगों की। ऐसे लोगों ने अच्छे काम किये, सट्टे जुएं पकड़े और उनके खिलाफ ही

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह मुझे ताज्जुब की बात लगी। आज ही मैंने चर्चा में सुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.आई.जी. ने तीन दिन पहले अफसरों को फटकार लगायी है कि अलवर में तीन सौ गुना अपराध कैसे बढ़ गये। पाटनी साहब फटकार लगायी है इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। एस.पी. साहब ने खुद पत्रकार वार्ता में माना है वहां के लोकल अखबारों, राजस्थान पत्रिका भास्कर और दैनिक जागरण में छपा है। हमारे ग्रामीण एडिशनल एस.पी. ने मांना है कि अपराध बढ़े हैं, हम लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जनता की हालत बहुत बुरी है। जनता ने तो रो रोकर आंसुओं के टब भर दिये लेकिन ये सरकार इतनी +++ निकली कि सारे के सारे मंत्री उसमें नहाकर चल दिये। ये संवेदनशील हैं और इतना ही नहीं है, यह सब अपराध जो अलवर में बढ़े हैं उसकी बराबरी जोधपुर करता है। आज क्यों करता है जोधपुर ? मैंने बताया, मैंने एक सिमिलियरिटी दिखायी है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके एम.एल.ए. बनने के बाद ही आपराध हो रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इतना ही मुझे कहना है कि "इस जुल्म को देखा है तवारीख की नजरों ने, लमहों ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी" यह अपराध मत कीजिये, इन अपराधों को रोकिये। हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, और माननीय खेतसिंहजी राठौड़ साहब बड़े गम्भीर हैं, हमारे गृह मंत्रीजी हैं वह भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रियं हैं तो देश को बचाओ इन आई.एस.आई. एजेंटों से, इन हत्यारों से...

श्री जगत सिंह दायमा : आप एस.पी. अलवर को इसलिए कह रहे हैं कि वह मुस्लिम वर्ग से संबंध रखता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तिम दो मिनट में अपनी बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, आप बिराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : वह मुस्लिम वर्ग से संबंध रखता है इसलिए एस.पी. को आप गाली दे रहे है अलवर वाले को। अभी राष्ट्रपति से राष्ट्रपति पदक मिला है उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हर माननीय सदस्य के बीच में खड़े होते है यह कोई तरीके की बात नहीं है। आप मेहरबानी करके अपने आपको कंट्रोल कीजिये नहीं तो मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। आपने सबको बांधे नहीं रखा, आप चेयर से पहले इजाजत लीजिये बोलने की। आप बैठ जाइये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मैंने आज कहां इंटरप्ट किया ? मुझे बताये।

श्री उपाध्यक्ष : You have to seek permission from the Chair. यह तरीका नहीं चलेगा आपका। आप यह समझोगे हाउस इस तरह से चलता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था। यह जो सारी व्यवस्थाएं है। इसके बारे में तो सरकार देखेंगी। यह गृह मंत्री महोदय, हमारे क्षत्रिय भी है, देशभक्त भी हैं और राष्ट्रभक्त होने के नाते कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो गयी न आपकी बात। आपने शेर पढ़ दिया उसके बाद क्या बचा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब कारागार के बारे में कहना चाहता हूं। अलवर की जो कारागार है इसकी क्षमता सेंट्रल जेल जयपुर के बराबर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि, सुझाव है कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर सेंट्रल जेल अलवर किया जाय। एक निवेदन और है, वहां 60 बीघा जमीन है, अभी भी सरसों और गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में हुआ। अगर ओपन जेल की व्यवस्था वहां की जाय तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वहां की जेल की ग्रेड बढ़ायी जाय। साथ ही, मेरा आपसे कुछ और जेल के संबंधित है कि वहां पर कुछ कुटीर उद्योग भी उस जमीन जो कि स्टेट टाइम की जेल को दी हुई है वहां चलाये जायं। और अन्त में कुछ और सुझाव देकर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पुलिस विभाग है, थानेदार से नीचे के लोगों से मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं कर्मचारी नेता रहा हूं और जेल के कर्मचारी हैं, चाहे परिवहन के कर्मचारी हैं, इनको क्या लाभ दे सकती है। इनकी पे-स्केल में, इनकी सुविधाओं में, इनकी व्यवस्थाओं में, आप लोग इनको दें। अच्छे अफसरों को भी अवार्ड दिया जाय। एक अफसर आये थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे नाम लेने से यह कांग्रेस सरकार समझेगी वह बी.जे.पी. का है। वह बी.जे.पी. का नहीं है। अलवर एस.पी. थे। उन्होंने अच्छा काम किया। अवार्ड देने लायक था। वे बड़े बुजुर्ग थे। पैर छूकर उनसे मिला, इतने भावुक रूप से। इसलिए जो ईमानदार अफसर है उनका स्वागत किया जाना चाहिए, जो ईमानदार हमारे कर्मचारी हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी पुलिस खराब है। ऐसा नहीं है कि सारे अल्पसंख्यक खराब हैं या बहुसंख्यक खराब हैं। इनमें कुछ अच्छे बुरे सब जगह मिल जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जितने मुद्दे मैंने उठाये हैं, मैं सबूत उपलब्ध करा सकता हूं। डी.जी.पी. साहब तक लोग फरियाद करने चले गये। एक अल्पसंख्यक बंधु ने लिखकर दिया है। उसके बच्चे को ट्रेक्टर से कुचलकर मार दिया। लिखकर दिया है मेरे नाम से

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

देउराम पुत्र छुटमल, 7 साल का बच्चा कुचलकर ट्रेक्टर से मार दिया। वह मारा मारा भटक रहा है नीचे एस.पी. से लेकर थाने से लेकर डी.जी.पी. तक, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कुछ लड़कियां वहां से उठायी गयीं, आठ और उनका धर्म परिवर्तन हो गया। इसके बारे में सरकार ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंहजी। बिराजिये माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक लड़की नीतू मीणा थी और बाकी सब आठ लड़कियां। उसमें एक एस.एच.ओ. लिप्त है। मैंने पहले भी निवेदन किया था 295 में।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। बस हो गया। धन्यवाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा आपसे निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, इन सब पर कार्यवाही हो तब तो बोलने का है फायदा यहां, सिर्फ सदन में बोल दिया और आपने सुन लिया। माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय अन्य मंत्री महोदय, इस पर उचित कार्यवाही करें। मेरा जो सहयोग है, मेरी पार्टी की ओर से जो सहयोग हो वह मैं देने के लिए तैयार हूं लेकिन बहुमत के आधार पर अंधे मत होइये, बहुमत के बजाय हमारा सहयोग लीजिये। यही आपसे कहना है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया मुझे बोलने का उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होनें तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय डिमाण्ड पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-16, 17 एवं 12 पर विचार

श्री यशवंत सिंह (रामू) (निदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-16 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सत्ता पक्ष ने पुलिस प्रशासन की बड़ी ही तारीफ की लेकिन अगर सच्चे मायने में चलें तो इस विभाग से ज्यादा भ्रष्ट विभाग कोई भी नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक +++ उच्च कुर्सियों पर बैठा रखा है। जो ईमानदार अफसर हैं वे वैसे ही लटक रहे है। बी.जे.पी. के राज में भी लटके और कांग्रेस के राज में भी लटक रहे हैं। कांग्रेस

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यशवंत सिंह)

शासन में आयी और उनको उम्मीदें जगीं लेकिन आज उनका हाल यह है कि उनको कांग्रेस से भी निराशा ही मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री तो है नहीं, परिवहन मंत्रीजी बैठे हुए है। जेल मंत्री फरार हैं और जब जेल मंत्री फरार हैं कैदी कहां से रुक जाएंगे ? मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि ईमानदार अफसरों को पदोन्नति दी जाये और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाय। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। भ्रष्ट अधिकारियों को, चापलूसों को पदोन्नति दी जाती है, काले-काले सूटकेस लेकर जो पहुंच जाएं उनको पदोन्नति दी जाती हैं। ईमानदार जो अधिकारी है, जिसने जिंदगी में कुछ कमाया नहीं, अपनी नौकरी के प्रति सच्ची धारणा रखी उनको दंडित किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा कारागार पर बोलना चाहूंगा। कैदियों को दाल में कंकर मिला कर दिया जाता है, बिस्तरों में जूं और खटमल पड़े हुए हैं। एक बार धना गोलीकांड में मुझे जेल में जाने का मौका मिला तो, उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा जेल से नफरत सी हो गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की हालत यह हो गयी है कि राजस्थान की जनता पुलिस के नाम से घृणा करती है। राजस्थान में बिहार और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा जंगलराज है। इसको रोकने के कोई सच्चे मायने में उपाय नहीं किये जा रहे हैं। मैं भरतपुर की बात करूं तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी खुलेआम रिश्वत लेते है। जन-प्रतिनिधियों से कहते हैं कि हमारा कुछ कराओ। इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। चार दिन पहले, आप भी वहां बैठे थे, उदाहरण देता हूं, मंडी सैक्रेटरी को पीटा था मैंने एक तारीख को। आप भी वहां बैठे थे। मुख्य मंत्रीजी को शिकायत लिखकर भेज दी, मंत्रीजी को भेज दी, डायरेक्टर को भेज दी। आप भी उस समय डायरेक्टर के पास बैठे हुए थे। लेकिन सैक्रेटरी ने क्या किया ? मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। इस शनिवार को जा रहा हूं, फिर दुबारा पीटूंगा। भ्रष्ट अधिकारियों को एक को भी नहीं रहने दूंगा नदबई में। सरकार सुनती है नही। ईमानदार अधिकारियों को लगाती नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यह तो मेरी समझ में नहीं आता।

परिवहन मंत्रीजी हैं, इनका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि मेरी नदबई दिल्ली बस चलती थी। या तो उसको आप 7 दिन के अंदर-मंदर चला दे नहीं तो डिपो का ताले लगा दिये जाएगा। इसको मात्र धमकी मत समझना, चेतावनी दे रहा हूं। डेढ़ साल हो

(श्री यशवंत सिंह)

गये +++ पहले बस चलती थी लगातार। हम किससे जाएं ? हमारे पास साधन नहीं है। दिल्ली जाने को हमारे यहां ट्रेन भी नहीं है। बस चलती थी उसको भी रोक दिया क्योंकि वह सी.एम. को 50 हजार रुपये महीना प्राइवेट वाला दे आता है इसलिए वह बस रोक रखी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप गलत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : आप गलत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : मैं चीफ मैनेजर की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जो मर्जी आये बोलते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये बैठिये। माननीय जाड़ावतजी बैठिये। आर्डर आर्डर। बैठिये। क्या हो गया ? क्यों उत्तेजित हो रहे हो ? बोलने दो उनको।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : मायने समझ में नहीं आते हैं। (व्यवधान) हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो उनमें बीती वह बोल रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है ? कमाल आदमी हो। (व्यवधान) ये क्या करें। क्या बुलवाना चाहते हो इनसे ? आप कहें जो बोलें ? आप बिराजें प्लीज।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : हम कहते हैं आपको कि हमारे बीच में न बोलें। अल्पसंख्यक हैं, निर्दलीय है, कम बोलते हैं। आपकी तरह हमको नहीं आता है कि हर बात पर खड़े हो जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यशवंत सिंह जी, आप अपनी बात चालू रखो। आप उधर मत देखो, इधर देखो।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उस बस को चला दें। नदबई–नगर, नदबई–कुम्हेर, नदबई–भरतपुर और नदबई–हलैना आपके डिपार्टमेंट की एक भी बस नहीं चल रही है। पहले 10–10 बसें चलती थीं उनमें से एक भी बस नहीं चल रही है। जीपों की हालत यह है कि उनमें डेढ़–डेढ़ सौ आदमी बैठकर भरतपुर जाते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई 15–20 घटनाएं हो चुकी हैं एक साल में जिन आदमियों की मृत्यु हो गयी। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिये। ज़ातिवाद छोड़कर जनरल आदमियों के भी काम कीजिये। पार्टी से थोड़ा बहुत ऊपर उठिये, आप सब के मंत्री हैं, कांग्रेस के या पार्टी कार्यकर्ताओं के ही मंत्री नहीं हो, आप सब के मंत्री हो, राजस्थान के मंत्री

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यशवंत सिंह)

हो। आपके गेट पर जाते हैं तो सन्तरी अंदर घुसने नहीं देता है। एम.एल.एज. की यह हालत है इनके घर पर। आप अपने सन्तरी से भी कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्यों प्रोवोक कर रहे हैं ? बोलने दो उनको। अच्छा बोल रहे हैं तो बोलने दो। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको अच्छा बोलने का।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को भी थोड़ा सा सुझाव है। अमूल्य सुझाव है, इसका कोई मूल्य नहीं है जो मैं दे रहा हूं आपको, किसी ने दिया भी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा तीन ने नाम पर 90 प्रतिशत लोगों को जनरल लोग, आपस में रहते हैं, कोई भंगी भी रहता है, उसके नाम से केस करवा दिया, 90 प्रतिशत मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नोन-बेलेवल आफेंस है, इसमें तो थोड़ा सा सुधार किया जाए क्योंकि मेरे पर भी धारा तीन लग चुकी है इसलिए कह रहा हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जितने भी एम.एल.ए. बैठे हैं वे चिढ़ते हैं, कोई नये एम.एल.ए. को बोलने नहीं देते। आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस की मांग पर मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, गृह मंत्रीजी को भी कल प्रस्तुत किया है, पहले गृह मंत्री थे उनको भी प्रस्तुत किया है और पहले जो मुख्य मंत्री थे भैरोंसिंहजी, उनको भी प्रस्तुत किया है। परन्तु क्या है कि कोई भी परिणाम नहीं निकला। वह पत्र यह है कि दिनांक 28.9.1996, 6.10.1996 और 10.10.1996 को केन्द्रीय कस्टम्स विभाग ने और बाड़मेर पुलिस ने 75 किलो आर.डी.एक्स. पकड़ा था और श्री कूंजराज सिंह सोढ़ा से बरामद हुआ था जो कि मिलिटरी और बी.एस.एफ. का गुप्तचर था। पहले तो मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि मिलिटरी और बी.एस.एफ. ऐसे आदमी को गुप्तचर बनाती है जो पाकिस्तान से आर.डी.एक्स. लाते हैं और पाकिस्तान से आर.डी.एक्स. लाकर के हमारे राष्ट्र को भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो कूंजराज सिंह सोढ़ा अरेस्ट हो गया, बरामद हो गया। परन्तु यह जो आर.डी. एक्स. इतना बड़ा 75 किलो, जो कि बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, अहमदाबाद और बम्बई को नुकसान पहुंचा सकता है तो यह मालूम नहीं कर सके हमारी राजस्थान की पुलिस, यहां तक कि अशोक भण्डारीजी जो इंटेलीजेंस विभाग में बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी इंवेस्टीगेशन किया परन्तु यह मालूम नहीं कर सके कि यह आर.डी.एक्स. कहां

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पहुंचाया जा रहा था, किनको पहुंचाया जा रहा था, विस्फोट की क्या योजना थी, उसके साथ में कौन सा गैंग शामिल था। इस संबंध में गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं आप प्रयास करें और आपकी पुलिस सक्सेसफुल नहीं होती है तो इसके बारे में आप सी.बी.आई. से जांच कराये क्योंकि यह प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न है और इस प्रकार के जो गड़बड़ करने वाले हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो आतंकवादी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक है कि इन जिलों में, ग्रामीण क्षेत्र और नगरों में जब सुपरिंटेंडेंट पुलिस ईमानदार और योग्य अधिकारी आ जाता है,

(19.00 बजे)

तब तो वास्तव में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी सुधर जाती है। अभी मैं बाड़मेर जिले के बारे में कहना चाहता हूं। सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस बहुत ही योग्य, ईमानदार और बहुत स्मार्ट आये हैं तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी काफी बढ़िया तरीके से कामयाब हुई है। मैं साफ कह रहा हूं, जो अधिकारी है, वह भले सब इंस्पेक्टर्स हो, भले ही इंस्पेक्टर्स हो, जो सी.आई. कहे जाते हैं, डीवाई.एस.पी. हो। आज कोई भी गड़बड़ करने की उनकी अगर इच्छा भी है तो उस इच्छा को हम नाकामयाब कर देते हैं कि हम एस.पी. के सामने बात रख लेते हैं और वह सही बात को मान लेते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है, मेरा यह तजुर्बा है कि जब-जब भी एस.पी. आते हैं और ओनेस्ट और बिलकुल सक्रिय होते हैं तब जाकर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी हो जाती है और जब एस.पी. इस प्रकार के आते हैं जिनकी फिक्स हो जाती है, पुलिस थानों से राशि फिक्स हो जाती है तो वह कानून व्यवस्था कायम नहीं कर सकते। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी बाड़मेर जिले में और उसके साथ में जितने भी जिले हैं, राजस्थान के सभी जिलों में यह मालूम करें कि जो एस.पी. पुलिस थानों से फिक्स राशि मुकर्रर किए हुए लेते हैं, उनको एस.पी. के पद से तुरन्त हटा दिया जाये। यह मुख्य मंत्रीजी भी कोशिश करें और गृह मंत्रीजी भी कोशिश करे और हमारी सरकार कोशिश करे। अगर वास्तव में कानून व्यवस्था सही ढंग से कायम करना चाहते हैं तो एस.पी. बहुत ही योग्य, बहुत ही ओनेस्ट और बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और इस संबंध में जो भी अधिकारी इस प्रकार के है, एस.पी. है, जो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते, ओनेस्ट नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मैंने तो यह पाया है कि मैं 1949 से बराबर देख रहा हूं पुलिस एस.पी. में, उसमें 60 प्रतिशत सही अधिकारी एस.पी. नहीं आये हैं और 40 प्रतिशत अधिकारी हार्ड ओनेस्ट आये

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यदि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन वास्तव में सही ढंग से कायम करना चाहते हैं तो इस संबंध में आप परिवर्तन अभी जो कर रहे हैं, उस प्रकार से परिवर्तन करें। एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पुलिस के पुनर्गठन का मामला है। उस पुनर्गठन के मामले के अंदर आपने प्रावधान सिर्फ 10 करोड़ रुपये का किया है। वह प्रावधान बहुत ही अपर्याप्त है। पुलिस पुनर्गठन के लिए जो प्रावधान है, हम जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में है, और हम पुलिस का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। आज हम यह चाहते हैं कि जीपों की व्यवस्था हो। वायरलैस सब जगह, सब पुलिस स्टेशन पर वायरलैस का प्रबन्ध हो। हम यह चाहते है कि जो सारा रिकार्ड है, वह कम्प्यूटराइज्ड हो। आधुनिक जगत में हमारी ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। यह जो 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, वह बहुत ही अपर्याप्त है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र में यह आधुनिकीकरण का कार्य बड़े जोरों से करें। जहां जीपें नहीं हैं, वहां जीपों का प्रावधान करें ताकि जीपों की पूरी व्यवस्था हो। वायरलैस प्रबन्ध जहां होने चाहिए, वहां वायरलैस का प्रबन्ध करें। जहां टेलीफोन की सुविधा नहीं है, जहां पुलिस चौकी पर या पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन नहीं है, उनको टेलीफोन की व्यवस्था करें और इस प्रकार की व्यवस्था करके पूरी तरह से व्यवस्थित करके और कानून और व्यवस्था कायम करने में आप सक्रिय योगदान प्रस्तुत करें।

अब मैं, पचपदरा में मांग है पुलिस स्टेशन की। पचपदरा तहसील का हैडक्वार्टर है। पुलिस स्टेशन की मांग है। पचपदरा आज कल बहुत इम्पोर्टेंट स्थान हो गया है क्योंकि बाड़मेर टू जोधपुर जाते हैं तो पचपदरा इम्पोर्टेंट बस स्टैण्ड हो गया है और तहसील का हैडक्वार्टर है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस संबंध में पूरी तरह से व्यवस्था करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पचपदरा महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इस पर भी प्रकाश डाल दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पचपदरा महत्वपूर्ण यों हुआ था, यो तो पचपदरा साल्ट के लिए महत्वपूर्ण है और यों पचपदरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप बाड़मेर टू जोधपुर जाते हैं तो पचपदरा बीच में पड़ता है, बड़ा बस स्टैण्ड वहां पर है, सारी सुविधाएं हैं और वहां बहुत ज्यादा ट्रेफिक है। इसलिए लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए पचपदरा में पुलिस स्टेशन होने की बहुत ही आवश्यकता है।

अब मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। हमारी अन्तरराष्ट्रीय सीमा में जो तारबंदी है, जैसलमेर जिले में 219 किलोमीटर दूरी में अभी तारबंदी नहीं है। उसकी तारबंदी नहीं होने से अभी तस्करी का, हेरोईन की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तस्करी का कार्य चल रहा हैं। इसलिए यह तारबंदी का काम तीव्र गति से चलना चाहिए क्योंकि बाड़मेर जिले की तारबंदी पूरी हो चुकी है। वह तारबंदी होने से जुर्म कम हो गये हैं और तस्करी कम हो गई है इसलिए 219 किलोमीटर की सीमा है जो जैसलमेर जिले की सीमा है, उसमें तारबंदी का काम पूरी सख्ती के साथ में किया जाना चाहिए। एक देवीलाल खारवाल, सम्पादक है, विकलांग है, पचपदरा का है। उसके विरुद्ध सेशन कोर्ट बालोतरा में मुकदमा किया गया हैं क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के खिलाफ विशेष रूप से खराब प्रचार किया है और वह खराब प्रचार करके उसके लिए हमने परमिशन मांगी है। उसकी परमिशन के लिए होम मिनिस्ट्री में वह पेंडिंग है, उसकी परमिशन दी जाए, यह आपसे निवेदन है।

अब मैं ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में यह कहना है कि मंत्री महोदय कतई जागरूक नहीं है। मैं बार–बार उनसे अवैध वाहनों के बारे में कहता हूं। मैं बार–बार कहता हूं कि नेशनल परमिट्स का दुरुपयोग हो रहा है पर इनके दिमाग में कोई असर नहीं पड़ता है। यह मैं मंत्री महोदय आपको कह रहा हूं, कि यद्यपि बाड़मेर के अंदर तो अवैध वाहन रोकने की कोशिश की थी, अवैध वाहनों को हमने तो रोक दिया और हमारे कलेक्टर और एस.पी. स्वयं आये। बालोतरा से लेकर जोधपुर अवैध वाहन चलते है। आज अवैध वहान जोधपुर डिवीजन में बहुत सी जगह चल रहे हैं और अवैध वाहन चलने पर कहते हैं कि हमने परमिट्स दे रखे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर परमिट्स की मियाद खतम हो जाये तो उनको, निजी वाहनों को बिलकुल बंद कर देना चाहिए। आज अगर आपके पास में गाड़ियां नहीं हैं तो अनुबंधित वाहनों का प्रयोग करे और अपनी इनकम बढ़ाये परन्तु यह बार–बार निजी वाहनों का अलाउ करते हैं, उनके परमिट का एक्सटेंशन करते रहते हैं, उनको लाइसेंस देते रहते हैं। यह उनको लाइसेंस देने के लिए और यह भी कि हमारे जो रूट्स हैं, इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, राष्ट्रीय रूट्स है, जो राज्य के रूट्स हैं, उन पर कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। और नेशनल परमिट दिये गये हैं, उनका दुरुपयोग किया जाता है। मैंने बार–बार कहा है कि जैसलमेर से लेकर अहमदाबाद के रूट का दुरुपयोग किया जाता है। जैसलमेर टू सूरत के रूट का दुरुपयोग किया जाता है, जैसलमेर टू भूही का दुरुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग करके बीच में सवारियां लेते हैं। बाड़मेर में सवारियां लेते हैं, जैसलमेर के बीच में सवारियां लेते हैं और जो उनकी लिस्ट में हैं, उनके अनुरूप एक्शन नहीं करते हैं। परन्तु अभी कतई भी लाइसेंस जब्त नहीं किया जाता है और ट्रांसपोर्ट अधिकारी का एक बड़ी आयं का बहुत बड़ा साधन बन गया है। अब कितनी आय वह कर रहे हैं,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

यह मुझे पता नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, दरअसल के अंदर आप बार-बार बता देते हैं कि हमने जुर्माना कर दिया, बड़ी खुशी हो जाती है। आप इसका एक अभियान चालू कर दें इसलिए कुछ नहीं होने का है। कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आप ठोस कदम उठाकर हमें संतुष्ट करें तो हम समझेंगे कि वाकई में आपने कार्य किया है अन्यथा यह कार्य बिलकुल आपका संतोषजनक नहीं है। हम कतई नहीं मानते। आज जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के एस.एल.ए. बार-बार मांग कर रहे हैं कि वहां डिपो होना चाहिए। जैसलमेर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर आज जैसलमेर में बस का डिपो स्थापित नहीं करते और आपने रेवदर में स्थापित कर दिया उसकी क्या उपयोगिता है ? उसकी फिर आलोचना भी होती है, आलोचना हमारी और आपकी होती है तो होती है, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार की होती है कि इस प्रकार का मंत्री बिलकुल अपने खुद के क्षेत्र के लिए, जोकि महत्वपूर्ण नहीं है, रेवदर और उसके लिए आपने डिपो कायम किया और जैसलमेर के लिए हम बार-बार मांग करते हैं और आप कायम नहीं करते हैं। तो इसलिए यह बहुत ही आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। आप कुछ नियमों के अनुसार चले। अगर इस प्रकार नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम इस प्रकार के मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-16 पुलिस पर कुछ मेरे कटौती प्रस्ताव की ताईद में कुछ विचार रखना चाहता हूं। पुलिस महकमा पूरी दुनिया में, देश में और राजस्थान में एक ऐसा महकमा है जो कि इन्सान की इज्जत, इन्सान की जान और इन्सान के माल की हिफाजत करता है। इस महकमे से कोई व्यक्तिगत, चाहे सामजिक, चाहे धार्मिक किसी को लाभ टके-पैसे का होता नहीं है, इसलिए हर आदमी पुलिस महकमे पर गुस्सा और खिलाफत जाहिर करता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से अपन अखबारों में पढ़ते हैं और घटनाएं भी सुनते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं, बी.बी.सी. भी सुनते हैं और बाहर देश-प्रदेश में भी कहीं-कहीं घूमने का मौका मिलता है, उनको देखते हुए हमें यह महसूस होता है कि दूसरे स्टेट्स से राज्य की पुलिस का ढांचा बेहतरीन है। राज्य के पुलिस अफसर करीब-करीब, उच्च अधिकारी जितने आये हैं उनमें ज्यादा संख्या अच्छे अफसरों की, ईमानदारों की हमने देखी है। हमारे बाड़मेर जिले में आजादी के बाद में आई.पी.एस. एस.पी. जितने भी आये हैं, साउथ

(श्री अमीन खान)

के भी आये हैं और अपने राजस्थान के भी आये हैं, दो–तीन को छोड़ कर के आनेस्ट रहे हैं और उन आनेस्ट अफसरों की वजह से वहां के हिन्दू–मुसलमान और हर वर्ग की जनता को रिलीफ मिली और कभी भी ऐसा तनाव और अप्रिय घटना नहीं हुई। आज तक सीमावर्ती जिला होते हुए भी वहां के लोगों के आपस में मोहब्बत और मधुर संबंध बने हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार के रहेंगे। पुलिस महकमे में हमारे ख्याल में कुछ पदों पर ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है जो इतने पद होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कोई वक्त एक आई.जी. भी पूरी स्थिति का कंट्रोल करता था। आज हमें एकदम कोई सवाल पूछ ले तो आई.जी. के नम्बर भी शायद करेक्ट मालूम नहीं होंगे, इतने आई.जी. बना दिये, ए.डी.आई.जी. बना दिये, डी.जी. बना दिये लेकिन हकीकत में फोर्स निचली की जरूरत है कांस्टेबल की। इसमें कमी है। उस कमी पर अपन खर्च नहीं कर पाते हैं और उच्च अधिकारियों के प्रमोशन पर और वह पोस्ट बढ़ाने में अपन ध्यान ज्यादा देते हैं, यह मेरे ख्याल में राज्य हित में नहीं होगा। माननीय गृह मंत्रीजी, इस पर आप अपने दिमाग से पूरे स्टेट को फायदा देने का सोचे।

दूसरे, इस महकमे में यह भी पाया कि करीब 70 डीवाई.एस.पी. की पोस्ट ऐसी हैं जो तीन सालों से खाली हैं इनकी डी.पी.सी. लगातार तीन वर्षो से आप नहीं बैठा रहे है जिससे यह खाली पद होना राज्य हित में और जनहित में मैं नहीं मानता हूं।

इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ जिलों में, जैसे यह नारकोटिक्स एक्ट जो है, ड्रग एक्ट, संगीन मुकदमा जिसकी जमानत भी नहीं होती है, उसमें यह अफीम आती है। हमारे जिले जैसे जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर और जालौर में पुलिस के आदमी भी इसके आदी हैं। जब इतने बड़े संगीन को बंद करने वाली मशीनरी भी वहां इसकी आदी है तो आम लोगों को यह अफीम छोड़ने का कोई विश्वास ही नहीं है। अपने थानेदार साहब ही ले रहे हैं, मुंशीजी ले रहे हैं, ले आ न, कोई कोनी। तो इसका पुलिस की छवि पर बुरा असर पड़ता है। इस पर सख्त निगरानी होनी चाहिए कि चोरी और यह पुराने रीति–रिवाज का अफीम है, यह जन–जन को छुड़ाना एकदम आसान नहीं है। हम महसूस करते हैं लेकिन सरकारी थानों में, पुलिस लाइन में और पुलिस की चौकी में अगर अफीम तकसीम होती है तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इस पर आपकी सख्त निगाह होनी चाहिए और आपके सीनियर अफसरों को इसके लिए पाबंद करना चाहिए। यह ठीक नहीं हैं।

एक मैं आपको यह कहना चाहता हूं

(श्री अमीन खान)

गृह मंत्रीजी, राष्ट्रीय सुरक्षा के पाइंट आफ व्यू से हमारे बाड़मेर जिले की पूरी सीमा सीज है। यह जब तक सीमा खुली थी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसमें चोर तो चोरी करके अपना धन्धा करते थे लेकिन साहूकार आदमी भी झूठे इल्जाम में फंसता था खोज वगैरह साइड, किसी की ढाणी में निकलने से। पिछले दो–ढाई साल के बाद में हमने इससे राहत ली है और झूठे इल्जामों से बचे हैं और आना–जाना बंद हो गया जिससे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। लेकिन इस तारबंदी के अंदर मुकामी किसानों की खातेदारी की जमीन अंदर आ गई, वह सदा के लिए छूट गई। मेरा प्रश्न भी आज था लेकिन वह लगा नहीं, इसमें दो–तीन बस्तियां मेरे क्षेत्र में हटाई गई हैं और उनको दूसरी जगह बसाया। गृह मंत्रीजी, मैं इस सदन के मार्फत कहना चाहता हूं कि जिन्होंने सात पीढ़ी से अपनी एक बस्ती बसाई हुई थी। ठीक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पाइंट से उनको हटना पड़ा, यह हम बुरा महसूस नहीं करते हैं, वह हट गये, लेकिन उस बस्ती को मुआवजा झूठे बनाने का, उनके टांकों का, उनके पेड़ का और उनकी गोचर भूमि का न मिले तो यह उनके साथ ज्यादती है और इस पर पैसा देश का खर्च होता है। आपके उत्तर में मैंने पढ़ा कि एक बस्ती के लिए 21 लाख 60 हजार कुछ सैकड़ा रुपया तखमीना मुआवजे का बनाया और भारत सरकार से पत्र व्यवहार है लेकिन अभी स्वीकृति नहीं हुई। तो उन बस्तियों को ढाई–तीन साल पहले हटा दिया और उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिले, यह उन लोगों के साथ ज्यादती है। चाहे वह भारत सरकार भुगतान करे, चाहे राज्य सरकार करें, ऐसी बस्तियां हटाये जाने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की जमीन खातेदारी की गई है, तो हम यह नहीं चाहते हैं कि उनको बहुत बड़ा मुआवजा मिल, उन्हीं गांवों में सिवाय चक भूमि है, जितना रकबा आपने लिया है, वह रकबा सिवाय चक भूमि को आप उनको आवंटन करें। अगर किसी गांव में सिवाय चक भूमि नहीं है तो फिर तहसीलदार और कलेक्टर से उस जमीन की रेट मुकर्रर करके उनको पेमेंट करना चाहिए क्योंकि जमीन उनसे सदा के लिए चली गई है। यह मेरी आपसे गुजारिश है। एक मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कोई किशनदान नाम का सिपाही था, उसकी ड्यूटी पर डैथ हो गई। उसके लड़के का दलपतदान नाम है। लोगों में इतनी जागरूकता और नियमों की अनजानी थी, पैंतालीस दिन में ऐसे किसी वारिस को पुलिस महकमे को इत्तला करनी पड़ती है, वह पैंतालीस दिन से देरी से इत्तला कर पाया इसलिए उसके बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा गया। मेरी गुजारिश है कि जो सिपाही खतम हुआ है उसके खुद के बच्चे को इस पैंतालीस छियालीस दिन से आप रिलीफ देकर के उसको नौकरी पर

(श्री अमीन खान)

रखायें, यह मेरी अर्ज है।

सीमावर्ती थानों में, गृह मंत्रीजी, मेरा यह निवेदन है, पुलिस अफसर भी आपके इससे शायद सहमत होंगे कि जो तस्करी चलती थी और इन्टरनेशनल सीमा के नाम से हमारे यहां के पुलिस थाने हैं उनमें जुर्म का नाम न के बराबर है, जैसे मेरे खुद के गांव का थाना हलका गिराफ है, पड़ौस में गडरा रोड थाना है, रामसर थाना है, इनमें मुकदमे दर्ज होते हैं, साल में 30-35 तक। और वहां सी.आई. की पोस्ट कर दी। अब सी.आई. जितने भी हैं। ऐसे 30-35 मुकदमे भी कौन से होते हैं 323, 341 बरसात के मासम में 447। वहां खुदा की मेहरबानी है मर्डर का मुकदमा तो हमारे साल में भी एक थाने में नहीं होता है और 307 का भी मुकदमा इक्का-दुक्का होता है। अब वो अच्छे जो सी.आई. हैं वे तो ऐसे थानों को बेकार समझते हैं, कोई जाना नहीं चाहते और रद्दी से रद्दी या बीमार सी.आई. कोई हो उसको सजा के तौर उन थानों में भेजते हैं। वे काम नहीं करते हैं। इसलिए ये थाने सब-इंस्पेक्टर के लायक हैं और ऐसे थानों में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रखी जाए ताकि राज्य का खर्चा भी कम होगा। थाने के अंदर इन्चार्ज सी.आई. चाहे डीवाई.एस.पी. भी होते हैं हम मानते हैं, लेकिन जिन थानों में 25 और 30 मुकदमे सालाना दर्ज होते हैं ये कोई क्राइम के थाने नहीं है। और तारबंदी होने से वहा तस्करी हमारे यहां तो जीरो है।

लास्ट में मैं एक बात पुलिस विभाग पर यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी जैन साहब ने कहा कि हमारा किसी नाम से और किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल भी सीमा पर अगर कोई गलत धन्धा होता है तो स्टेट पुलिस और इंटेलीजेंस का तो कोई आदमी पाकिस्तान नहीं जाता है लेकिन ये मिलीट्ररी इंटेलीजेंस, रॉ और आर्मी इंटेलीजेंस इनके सैकड़ों आदमी गांव के लोफर, लुच्चे, बदमाश छोरे हैं वो सोर्स बनाये हुए हैं। और सोर्स के फंड का इनको एक ट्क्का ही नहीं देते है और उनसे रसीद ले लेते हैं। उनका यह हिसाब देते है कि 10 हजार रुपये का सामान आप उधर ले जाओ आपको हम पार कर देते हैं और 10 हजार रुपये का सामान पाकिस्तान से लेकर यहां आओ तो आपको पार करेंगे। और उससे जो आपको मुनाफा होता है वो आप कमाये। और यह मिले करके जम करके तस्करी करते हैं। पाकिस्तान से ताम्बे की देगें आती हैं। एक देग में 13 किलो हेरोईन निकली। तो यह अभी होता है। उससे हमारा जोखिम नहीं है हम तो कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान से रॉ की तरह करके खुफिया कोई बहुत ज्यादा इत्तलाएं मंगाता है, इत्तलाएं क्या मंगाते हैं अनपढ़ चोरी करते हैं। कोई इत्तला में समझते नहीं हैं। हमारा तो यह ज्ञान है कि ये न तो यहां

(श्री अमीन खान)

की कोई खुफिया खबर उधर दे सकते हैं और न उधर की इधर दे सकते हैं इनको तो अपना प्राइवेट चोरी का धन्धा करना है। चाहे नोटों का, चाहे चरस का। हमें जो तकलीफ है वह यह है कि जहां कोई ऐसी चीज निकलती है तो कहते हैं कि बार्डर के लोग सब चोर हैं, बदमाश हैं। तो इस चोरी पर रुकावट होनी चाहिए। वास्तव में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या राष्ट्र की नीति के अनुसार ऐसा कोई काम करना हो तो फिर पैसा ज्यादा दिया जाए लेकिन चोरी दूसरे करे और बदनाम तीसरा आदमी हो, यह अच्छा धन्धा नहीं है। इसके लिए मेरे खयाल से अपने पुलिस हैडक्वार्टर से डाइरेक्शंस जाते हैं जिलों के एस.पीज. को कि आप भी कुछ न कुछ माल पकड़ों तो आपका प्रमोशन होगा आपको इनाम मिलेगा तो वे भी कोशिश करते हैं। हम किसी को छूट देते हैं कुछ न कुछ लाओ। तो साहब चोरी जो आदमी करता है, किसी को पाकिस्तान ये भेजते हैं कि 50 किलो हेरोईन लाते हैं तो 10 किलो इनको दे देते हैं, 40 किलो वह बेच देता है। फिर वह 10 किलो हेरोईन जो इनके पास बचती है उस हेरोईन को वह हस्ट्रीशीटर, जो स्मगलर है, जिसका आम आदमी सुन करके यह मान ले कि ये चोर था उसके कब्जे से यह बता कर और अपनी कामयाबी बताते हैं। ऐसे बाड़मेर, जैसलमेर में कई केस हैं। अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ओसवाल बनिये को पकड़ा जैसलमेर पुलिस ने। देवकोट थाने में वह बनिया भारतीय जनता पार्टी का था लेकिन उन बनिये का तस्करी करने का कोई धन्धा नहीं था। मैं और श्री हरेन्द्र मिर्धा गये। पूरे गांव की जनता ने हमको घेरा। औरतों आदमियों ने कहा कि साहब जुल्म है इसने कभी कोई चोरी नहीं की। तो मैंने भी वहां के अफसरों को कहा कि यह बनिया, मैं जानता हूं हमारी विरोधी पार्टी का है हमको वोट नहीं देता है। वोट न देना और देना यह कोई जुर्म नहीं है लेकिन इस आदमी का हमने तस्करी का धन्धा नहीं सुना है। फिर उसकी सी.आई.डी. (सी.बी.) ने जांच की और उस मुकदमे में एफ.आर. लगायी।

मैंने जैसलमेर एस.पी. को कहा, आप अपने मतलब के लिए ऐसे धन्धे करते हैं बदनाम हम होते हैं बदनाम सरकार होती है कि इस तरह के असत्य मुकदमे बनाये जाते हैं। आप क्यों बनाते हैं ? अब वह एस.पी. क्या करे पूर्व में जो एस.पी. था, कोई खन्ना था, उसके नाम काम किया। और बीकानेर में जो अभी कल्ला साहब के पास एस.पी. है इसने यह धन्धा किया और दूसरे आदमियों ने यह धन्धा करके...(व्यवधान) इस तरह के धन्धे पर पाबंदी लगनी चाहिए। चोरी खुद कराए और दूसरे लोगों को बदनाम करे उनके गले में नमाज दें यह नहीं होना चाहिए। उससे शासन बदनाम होता है वहां के लोग बदनाम होते हैं। चोर हो उसको भले ही फांसी पर लटकाया जाए हमें कोई

(श्री अमीन खान)

उससे तकलीफ नहीं हैं।

अन्त में जेल के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जोधपुर की सेन्ट्रल जेल में गृह मंत्रीजी ईमानदारी की बात है हजारों रुपये रिश्वत के कैदियों से लेते हैं और यह रासूका में जो बंद होते हैं, उनको पहले दिन जेल में जो आते हैं पहले हमें उनसे मालूम हुआ, तो काल कोठरी में बंद करते हैं, भूखा रखते हैं। फिर इधर-उधर रिश्तेदारों से मिल करके 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार रुपये देते हैं तब उनको बैरक में रखते हैं। फिर उनको खाने की, पीने की हर तरह की छूट मिलती है। तो जेल में भी जब इस तरह की चोरी का धन्धा होता है तो हुकूमत के इंतजाम का खुदा ही भेली है। उसमें शासन की बदनामी होती है, इस पर आपको सख्ती रखनी चाहिए। मैंने मेरी बात कही मेरा कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए उपाध्यक्षजी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मांग संख्या-16, मांग संख्या 17, मांग संख्या-12, पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जो उप चुनाव हुए उसमें मैं मुण्डावर क्षेत्र से जीतकर अभी पहली बार मुझे सदन में आने का मौका मिला। 23 तारीख से जो सदन चालू हुआ राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर, सभी माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की चर्चा की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कहा और अभी 18 तारीख को दो डी.आई.जी. और चार एस.पी. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पदस्थापित किये। लेकिन बड़े दुःख की बात है ये राज्य सभा के जो चुनाव हुए उसके बाद जो ये सदन में बैठे हैं सभी माननीय सदस्यगणों ने सभी विभागों के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। लेकिन इस हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में समाचार छपा है कि राजस्थान में 40 विधायकों की निष्ठा संदिग्ध थी। माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि सदन के सदस्यों के प्रति जो अखबार में छपा है उसकी जांच कराकर अगर इसमें कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय जिससे इस सदन की गरिमा बच सके और आने वाले भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। राज्य में भ्रष्टाचार के बारे में वन मंत्रीजी ने खुद माना है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है और मेरे विभाग में सबसे ज्यादा है। आज पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए जाता है तो ज्यादातर लोगों की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती उनसे पैसे की मांग की जाती है। और दूसरा यह भी होता है कि अगर केस ज्यादा दर्ज होंगे तो यह होगा कि पिछले वर्ष से इस बार मुकदमों की संख्या ज्यादा रही। कांग्रेस ने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में चौपट कानून व्यवस्था थी। बलात्कार, लूट, डकैती, सामूहिक बलात्कार हुएं लेकिन आज इस 15 महीने के समय में कांग्रेस के राज्य में जो लूट, चोरी, डकैती, सामूहिक बलात्कार जातीय दंगें हुए, वह पिछले शासन में भी नहीं हुए। इनके बारे में हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी बोले थे। सभी ने बताया। अभी हमारे यहां अलवर जिले में फैक्ट्री में डकैती हुई। भिवाड़ी में दिन दहाड़े डकैती हुई और लूट मार की घटनाएं आम हैं।

हमारे यहां गौवध घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि हमारे उधर हरियाणा पड़ता है और उस हरियाणा में इस गौ-धन को काटने के लिये ले जाते है। हमारे यहां तिजारा में 500 गायें 31 मई को पकड़ी। इसी तरह गोविन्दगढ़ में 10 जून को 32 गायें पकड़ी। इसमें और भी मुकदमे हैं, लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी कर के 14 अक्टूबर को गायों से भरा ट्रक पकड़ा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वह तो हमारे कई गांवों में दिखाई देने को भी नहीं मिलता है। पुलिस चौकियां पुलिस ने इसलिए लगा रखी है कि आने-जाने वालों के साथ लूट-खसोट की जो घटनाएं होती हैं या और कोई घटना हो उसको चैक करने के लिये होती है। लेकिन जयपुर के चारों तरफ़ सभी रोडों पर जो पुलिस चौकियां हैं वह सब शाम के समय में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। हमारे डी.जी. साहब के आदेश है कि वह गाड़ियों के कागज चैक नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वह चैकिंग के लिये लगी हुई हैं। हमारे अलवर जिले में करतारपुरा से अलवर 30 किलोमीटर की जगह है जिस पर चार पुलिस चौकियां हैं। अभी एक दिन रात को जाने का मौका मिला तो चारों जगह गाड़ियों को रोका हुआ था और मेरी गाड़ी को भी रोक कर कागज मांगें। रात के 11-12 बजे अगर किसी के साथ कोई परिवार हो और उसकी गाड़ी की तलाशी लेकर कागज देखे जाय तो उससे बुरी बात कोई नहीं है। गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इनको चैक करवाएं।

नेशनल हाई वे पर हाई वे पुलिस लगा रखी है। वह सिर्फ इसलिए लगा रखी है कि कोई एक्सीडेंट हो या कोई रोड जाम हो तो वह हाई वे पुलिस वाले वहां पहुंचे और उस जाम को खोले या वह जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई उसको वहां से हटायें। हमें इस दिल्ली रोड पर जाने का मौका मिला। वहां गाड़ियों के कागज देखते और मंथली लेते हुए हमने देखा है इस हाई वे पुलिस को जो उनका कार्य है उसी को करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये, यह मेरा आपसे निवेदन है। हरियाणा में और दूसरी कई स्टेट्स में पुलिस के सिपाहियों को राजस्थान रोडवेज में यह हरियाणा रोड़वेज में बैठने का 20 या 25 रुपये प्रति माह वसूल किया जाता है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में भी जो सिपाही और छोटे कर्मचारी हैं या

(श्री धर्मपाल चौधरी)

पुलिस के थानेदार हैं उनको भी ऐसा ही पास यहां देना चाहिये।

परिवहन विभाग में जो गोल्डन टोकन योजना चालू की है यह योजना बहुत अच्छी है। इससे इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिली है लेकिन हमारे यहां आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. आफिस में पहले कई बार दलाल प्रथा को समाप्त किया हुआ है और खिड़की योजना चालू की हुई है। लेकिन इस समय यह आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. आफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राजस्थान परिवहन निगम की बसों की संख्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए बहुत कम है। ज्यादातर स्टेट हाई वे और राष्ट्रीकृत मार्ग हैं जिसके कारण से वहां पर बसें नहीं चल सकतीं जिनको परमिट नहीं मिल सके। इसलिए वहां पर अवैध वाहनों और जीपों में यात्रियों को मजबूरन बैठकर जाना पड़ता है। जीपों में 30-30, 35-35 सवारियां बैठती हैं और वह चैकिंग के डर से तेज गति से उन गाड़ियों को चलाते हैं जिसके कारण महीने में एक-दो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी चार-पांच दिन पहले सीकर रोड पर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 10 लोग मरे। इसलिए सरकार को यह चाहिये कि जो हमारी ओवर लेपिंग की स्कीम 10 किलोमीटर की नेशनल हाई वे पर है उसे बढ़ाकर 40-50 किलोमीटर करना चाहिए। आज शाहपुरा से जयपुर रोड पर अगर इन मिनी बसों और टैक्सी जीपों को परमिट दिया जाय तो यात्रियों को भी सुविधा हो और सरकार को भी टैक्स मिले।

एक समस्या बहुत ज्यादा है वह है कि राजस्थान रोडवेज की बसों की हालत बहुत खस्ता है। कई बार यह गाड़ियां बीच में ही खराब हो जाती हैं और यात्रियों से जो पैसा लिया जाता है वह आगे स्थान पर जाने के लिये उन्हें वापस नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमलजी।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-16, 17 और 12 पर कुछ अपने विचार रखना चाह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और जिले की दक्षिणी जो सीमा है, राजस्थान के इस दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा की सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से सटी हुई है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि गुजरात की सीमा से और मध्य प्रदेश की सीमा से आये दिन ट्रकों में और जीपों में बैठकर डकैत सरेआम बांसवाड़ा की सीमा में प्रवेश करते है और दिन दहाड़े डकैती करके भाग जाते है उस की तर्ज पर मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नवम्बर, 1999 को पूरा ट्रक भर कर एम.पी. से डकैत आये, शाम को 7 बजे चारों तरफ

(श्री जीतमल खांट)

से उस गांव को घेर लिया और वहां पर उस गांव में कभी बंदूक की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी थी, वहां चारों तरफ से बंदूकों की गड़गड़ाहट की आवांज सुनाई दी। चारों तरफ से गांव चौकाने लगा। खेत-में दो किसान पानी पिला रहे थे। अकस्मात वह दौड़ कर आये कि गांव में क्या हो रहा है। जैसे ही वह गांव की सीमा में घुसे वे काश्तकार जो अपने कंधे पर फावड़ा लेकर आ रहे थे उनको दूर से ही गोली मार दी गई और घटना स्थल पर ही दोनों किसानों की मौत हो गई। उसके बाद जिला प्रशासन का इस तरफ ध्यान दिलाया गया। जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने अपनी 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन डकैतों को बांसवाड़ा की सीमा से पकड़ा और सारा का सारा गिरोह अभी जेल में बंद है। यही नहीं इस तरीके से कई तरह के गिरोह उस इलाके में सक्रिय है और वह इलाका पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में अधिकांश थानों में पुरानी जीपे हैं मैं मेरे विधन सभा क्षेत्र गढ़ी थाने का ही निवेदन करना चाहूंगा। एक दिन मैं किसी काम से जा रहा था, रास्ते में थानेदार साहब मिल गये। मैंने उनसे कुछ बात करने के लिये उनको रोका, गाड़ी अकस्मात बन्द हो गई। गाड़ी चालू करने के लिये वे सभी जो उस जीप में बैठे थे, उन्होंने जीप को धक्का मारा तब जाकर स्टार्ट हुई। तो मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जिले के अंदर जो भी थाने हैं। अधिकांश थानों के अंदर पुरानी जीपें हैं, नयी जीप की व्यवस्था करवाएं ताकि हमारे पड़ौसी राज्यों से आये दिन जो डकैतियां होती हैं, वहां का जन जीवन काफी भयभीत रहता है, अगर पुलिस के पास में कुछ नये साधन होंगे, हथियार से लैस होंगे तो स्फूर्ति से उन डकैतों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

आज हमारे माननीय सदस्यों ने पुलिस के महकमे के संदर्भ में काफी कुछ सुझाव दिये हैं। मैं सुझाव नहीं देकर मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही एक उदाहरण देकर गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बागीदोरा कस्बा वहां मात्र ढाई हजार जनसंख्या निवास करती है। उसी कस्बे में मार्च, 1999 को दिन दहाड़े, 12वीं कक्षा का एक विद्यार्थी अपने ही घर में बैठकर अध्ययन कर रहा था, उसके परिवार के सारे लोग किसी काम से बांसवाड़ा शहर को आये हुये थे। दिन के 12 बजे मनोज जैन जिसकी उम्र 18 साल थी, उसकी घर में घुसकर निर्मम हत्या कर डाली और हत्या भी किससे की, मिर्च पीसने का इमामदस्ता आता है उस इमामदस्ते से उसके सिर को इस तरीके से फोड़ा गया जिस तरीके से आलू पकाकर पीसा जाता है इस तरीके से उसका सिर फोड़ दिया गया। पूरे जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी। वहां का सारा पुलिस प्रशासन आया और उसकी

(श्री जीतमल खांट)

खोजबीन की गई, आज दिन तक मनोज जैन के हत्यारे नहीं पकड़े गये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कस्बे के अंदर ढाई हजार पब्लिक रहती है और ढाई हजार पब्लिक में इतना बड़ा हादसा, आपके माध्यम से हमने कई बार लिखा है। आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है। हमने अभी विधान सभा में भी इसके बारे में प्रश्न लगाया था। हमने जो प्रश्न पूछा था उसमें आपने जवाब दिया है आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं, मैंने जो प्रश्न किया था, क्या बागीदोरा कस्बे में जैन हत्याकाण्ड के हत्यारों को ढूंढ़ने हेतु कोई प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? आपने जवाब दिया है जी हां, मनोज जैन की हत्या के संबंध में दर्ज अभियोग संख्या 183/99 थाना कनिजरा में अनुसंधान के दौरान मौके से जांच प्रिंट उठावा कर संदिग्ध व्यक्ति के फींगर प्रिंट से मिलाना करवाया गया है। जासूसी कुत्तों की मदद से अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न किये गये है, मृतक के परिवारों की दुश्मनी संबंधी जांच करवाई गई है। इस घटना के घटित होते ही लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो जाने से, महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाने के कारण एवं अभियुक्त अज्ञात होने के कारण अभी तक इस प्रकरण में सफलता नहीं मिल सकी है, अनुसंधान जारी है।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि इतना बड़ा जवाबदेह डिपार्टमेंट अगर यह कहे, साल भर बीत गया और हमें उत्तर मिल रहा है कि लोगों की भीड़ घटना स्थल पर आ गई, साक्ष्य नष्ट हो गये हैं, अपने आप में एक बड़ा दुःखदायी जवाब सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है। इतना ही नहीं, मैं एक और घटना जो बागीदोरा कस्बे की है, आपके सामने रखना चाह रहा हूं।

श्री हरिप्रकाश जोशी, जो हालमुकाम बागीदोरा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जून, 1999 में इन्दौड़ा निवासी प्रवीण उपाध्याय के साथ करवाई थी। प्रवीण उपाध्याय वर्तमान में एक विद्यालय में शिक्षक है। प्रवीण अपनी पत्नी को अपने साथ एक फरवरी को यह कहकर कि बाड़ाघोड़िया में मेरे मौसी की लड़की की शादी है, अपनी पत्नी और उसके और परिजनों को लेकर जाता है। होता क्या है श्रीमान् जी, वहां पर लाइट का अभाव है, जेनरेटर से घूमधाम से शादी हो रही थी। प्रवीण ने रात के 12-1 बजे तक शादी में भाग लिया और पत्नी को यह कहा कि अब सारा काम हो गया है, आप और हम सब एक कमरे में जाकर आराम करते हैं। यह कह कर वह अपने सहयोगियों के साथ में रख कर रात के एक बजे उसकी हत्या करके मकान के पीछे जो बाड़ा था, वहां फैंक दी। होता यह है, फिल्मी अंदाज में यह नाटक किया जाता है कि कहां गई ? दिन खुलते ही उसकी छानबीन होती है उसकी लाश बाड़े में पड़ी हुई

(श्री जीतमल खांट)

मिलती है सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, बारात वहां से रवाना हो जाती है। प्रवीण जो कि आध्यापक है, ने बिना कोई पुलिस को सूचना दिये बाड़ाघोड़िया से जीप करी और अपने गांव इन्दौड़ा ले आया। मृतका निमिशा के पिता को सूचना दी कि आपकी बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई है आप तत्काल आयें, यह कहकर टेलीफोन से सूचना दी गई। इस बीच में निमिशा को गुलाल से इस तरीके से सारा का सारा रंग दिया गया और बड़े आनन-फानन के अंदर उस मृतका को जलाने की सारी तैयारी की और जब मौके पर उसके पिता और सारे रिश्तेदार आते हैं तो उनको लाश दिखाई नहीं जाती है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बड़े आनन-फानन के साथ, में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई न कोई पोस्टमार्टम करवाने दिया। किसी प्रकार की कोई हरकत में वह बात नहीं आई। एक फरवरी, 2000 को उसे मौत के घाट उतार कर उसको जलवा दिया गया। आज स्थिति यह बनी हुई है कि उस पूरे बागड़ क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की घटनाएं आये दिन घट रही है। इतना ही नहीं, लाश को दफन करने के बाद में उसका पति अखबारों के अंदर यह शोक समाचार निकालता है। आपका हुक्म हो तो मैं एक लाइन पढ़कर सुना दूं। वह लिखता है।

"तुम तार हिलाकर चली गयी, झंकार अभी बाकी है। निमिशा, तुम साथ छोड़ कर चली गयी, याद अभी तो बाकी है।"

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन हत्यारों ने, उसका पति, उसकी ननद, उसकी सास, जो कोई भी लोग इस प्रकरण में शामिल हों, अभी झंगार बाकी है, उसकी इंद्रियों की झंगार बाकी है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से भ्रष्ट लोगों को, हत्यारों को पकड़ा जाए ताकि उनको यह महसूस हो कि हम इस तरीके के कृत्य करके भी सरकार की इस कानून व्यवस्था से बच नहीं सकते हैं। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रकरणों पर माननीय गृह मंत्रीजी, आप समय रहते हुए आवश्यक कार्यवाही करें ताकि इस बांगड़ क्षेत्र में जो आम जनता में पुलिस के प्रति, जो एक संदिग्ध भावना बनी हुई है उससे हम लोगों को, जनता को राहत मिले।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहूंगा, हमारे परिवहन मंत्रीजी हमारे बीच में बिराज रहे हैं। बांसवाड़ा से जयपुर गाड़ी सुपर डीलक्स लगा रखी है, अनुबंधित गाड़ी है, इतनी छोटी गाड़ी है कि हम सब लोग वहां से 13 घंटे बैठते हैं उस गाड़ी में, तब जाकर हम बांसवाड़ा से जयपुर और जयपुर से बांसवाड़ा पहुंचते हैं। हम बार-बार निवेदन कर चुके हैं कि आप इस अनुबंधित गाड़ी को हटाएं और हमारे यहां सिल्वर लाइन पहले से बस चल रही थी

(श्री जीतमल खांट)

उसी को वापस रखें। एक दिन तो यहां तक नौबत आ गयी कि उस अचुबंधित गाड़ी के ड्राइवर ने, टैंकर से जा भिड़ाई और सभी जो यात्री बैठे हुए थे, किसी का नाक टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, इस तरह की स्थिति बनी है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके वहां पर सिल्वर लाइन बस स्टार्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16, 17 और 12 के लिये मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। पुलिस-बड़ा संवेदनशील मामला है। अगर अंग्रेजी के शब्दों में हम देखें और जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये सब बातें आ जाएं तो जैसा अभी तक सबने यहां पर अपनी अभिव्यक्ति दी है, मैं समझता हूं कि वह सब बात साकार हो सकती है और पुलिस के बारे में राय बदल सकती है। पी फार पोलाइटनेस-नम्रता, ओ फार ओबिडियेंस-आज्ञाकारिता अपने कर्तव्य के बारे में, और समाज के बारे में, एल फार लोयल्टी-कर्तव्य के बारे में और समाज के बारे में, आई फार इंटेलीजेंसी-बुद्धिमता हो, सी फार करेज-साहस भी हो, तथा इ फार एफिशिएंसी-जिसमें सक्षमता भी हो। इन सब बातों का समावेश जिस पुलिस के अंदर होगा; मैं यह मानता हूं कि शायद जिस तरीके के, इसके विपरीत, आचरण की बात कही जाती है, इन सब चीजों का विलोम, उल्टा यहां चर्चा के अन्दर आया। इसलिये मैंने कहा कि यदि व्याख्या बन जाएं और यह व्यवहार के अंदर लक्षण नजर आए तो जिस पुलिस की अपन अपेक्षा कर रहे हैं। वह पुलिस हो सकती है। इसके लिये आपकी तरफ से कठोर कदम भी उठाए जाएंगें, प्रयास भी किये जा रहे हैं और किये जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

अपराध नियंत्रण के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है, नागरिक सुरक्षा भी आज एक अहम बिंदु है और यह भी आप ही के अधीन आता है। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से मानवाधिकारों की बात की जा रही है, उसमें हमें नागरिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भी काम करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज में अपराध जिन तबकों के अंदर देखने को मिलते हैं, जो समाज के सम्पन्न वर्ग हैं, मैं समझता हूं कि उनकी बहुत कम एफ.आई.आर. पुलिस थानों में दर्ज होती होगी कि उन्होंने कोई छीना झपटी की या उन्होंने कोई अपराध किया। समाज का जो गरीब तबका है, अल्प आय वर्ग का है,जो वे-पढ़ा लिखा है, उनके बीच में अपराध की प्रवृत्तियां ज्यादा, चाहे वे उनके स्वभाव से होती हों, चाहे जाने में

(श्री ललित भाटी)

होती हों, या अनजाने में होती हों। समाज का यही तबका कोर्ट कचहरी और पुलिस से पिस रहा है, सनातन से, एक लम्बे समय से और ऐसे में यह जरूरी है कि हम उनको, पुलिस के जो कर्तव्य हैं, और उनके नागरिक अधिकार क्या हैं, इस बारे में भी सरकार काम करे। इनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक पहल की है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपके मंत्री परिषद को, हमारे मुख्य मंत्रीजी को और उन तमाम् मंत्रियों को जिन्होंने एक सकारात्मक पहल शुरू कर दी। नागरिक अधिकार पत्र शुरू करने का सिलसिला जो आपने शुरू किया है, मैं इस मांग में अपने को शामिल करते हुए, अपनी अभिव्यक्ति करते हुए, आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में, इस साल में जो शुरू हो रहा है वित्तीय वर्ष, इसमें आप पुलिस का भी नागरिक अधिकार पत्र जारी करें। हर थाने में वह लगा हुआ हो। ताकि जो आदमी इन सब चीजों से अनभिज्ञ हो, जिसकी जेब कटती है, वह अधिकार पत्र अगर वहां टंगे हुए होंगे, ये अधिकार पत्र अगर वहां हम जनता के बीच में वितरित करे सकें तो एक बहुत बड़ा जन जागरण का काम करने में हम सफल हो पाएंगे और एक राहत जनता को मिल सकेगी। उनको अपने अधिकारों के बारे में पता लगेगा कि ये आपके अधिकार हैं जिनके ऊपर यहां कार्यरत अधिकारी को आपको सुनना ही है, आपकी मदद करनी है। इसलिए नागरिक अधिकार पत्र आप जारी करें। ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

नागरिक सुरक्षाओं में, आजकल जिस तरीके से आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं और दूसरी तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, अभी आज हमने अखबार के अंदर पढ़ा कि आधे से ज्यादा, और करीब-करीब पूरा गांव ही जल कर राख हो गया। हमें इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि हम पुलिस के द्वारा नागरिक सुरक्षा की दिशा के अंदर जो काम कर रहे हैं उसमें और किस तरीके से अपनी क्षमता को बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपनी और मजबूत सेवाएं उनको दे पाएं। मैं यह महसूस करता हूं कि यूं तो नगर परिषद के पास भी अग्नि-शमन सेवाएं हैं। आपके पास भी हैं और कई डिपार्टमेंट्स के पास भी हैं। मगर इनका कोई सामंजस्य नहीं है। इस सामंजस्य के लिये जरूरी है कि आप फायर सर्विस एक्ट, जो कई दूसरे प्रदेशों के अंदर है, फायर सर्विस एक्ट आप राजस्थान के अंदर लागू करें। उसके अंदर इन तमाम् विभागों के बीच में, नगरपरिषद में एक सामंजस्य उत्पन्न होगा और उससे आप बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे और आपकी सेवाओं के अंदर अभिवृद्धि होगी। ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, और तो बहुत सारे

(श्री ललित भाटी)

सुझाव की बातें यहां पर माननीय सदस्यों ने कही हैं और कहेंगे, बाकी जिनको अभी कहना है। मैं कुछ व्यवहार की बात करना चाहता हूं। व्यवहार सामान्य हो तो सबको ठीक लगता है। असामान्य हो तो अखरता है और असामान्य में भी अगर सौतेलापन नजर आये तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है।

(20.00 बजे)

आपके विभाग में आपके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐसा महसूस होता है और हमारे को भी यह महसूस होता है या महसूस हमें कराया जाता है कि उनके साथ जो आप इनको सुविधाएं दे रहे हैं, आप जो इनको साधन दे रहे हैं, उसमें कुछ सौतेला व्यवहार है। तो यह सौतेलापन हटना चाहिए, मंत्री महोदय। सी.आई.डी. में आप 25 साल से आप एक जैसी स्पेशल पे देते चले आ रहे हैं जबकि आपके दूसरे विभागों के अंदर अपने देख लें, नर्सिंग है या और लोग इस स्पेशल पे के हकदार हैं, इनमें सबमें रिवीजन हुआ है। मगर आपके विभाग में सी.आई.डी. ब्रांच में आप वहीं 25 साल पुरानी स्पेशल पे देते चले आ रहे हैं। इसके अंदर बदलाव होना चाहिए। सिविल पुलिस में ए.एस.आई. और इससे ऊपर के जो लोग हैं, इनको आप मोटर साइकिल भत्ता देते हैं। आपका जो आई.बी. ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच जो है, जिनसे आप इंफोरमेशन कलेक्ट कराने का कार्य करते हैं उनको आप यह भत्ता देते ही नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इंफोरमेशन बैठे-बैठे तो एकत्रित नहीं की जा सकती हैं, उसमें भी वाहनों का कोई न कोई तो प्रयोग होता है। और जब वह वाहन का प्रयोग राजकीय सेवाओं के लिए किया जा रहा है तो फिर उनको इस चीज से महरूम क्यों रखा जाए ? मैं इस बात की पैरवी करता हूं और यह सुझाव विनम्रता के साथ आपको देता हूं कि आप इस ओर भी आज जब घोषणा करेंगे, जैसे हमारे वरिष्ठ सदस्य दिग्विजय सिंहजी कह रहे थे कि रस्म अदायगी होगी, यह रस्में आज अदा कर ही दें आप। यह स्पेशल पे रिवाइज हो, इनको मोटर साइकिल भत्ता मिले।

हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों में इनको मैस भत्ता भी दिया जाता है, वह अपन इनको यहां पर नहीं दे रहे हैं। आज यू.पी. के अंदर इनको दिया जा रहा है, गुजरात के अंदर दिया जा रहा है, राजस्थान के अंदर भी इनकी सेवाएं बेहतर हो सकें, जैसा कि यहां पर उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात में कहा था कि जिनको आप भत्ता दे रहे हैं 350 और पड़ता है उनका 500। तो भूखे भजन न होए गोपाला, साहब, भूख लगती है तो फिर आदमी इधर-उधर देखता है। और जब आप इस विभाग को संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो इसमें कार्यरत लोगों की संवेदनाओं पर भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर इनमें संवेदनहीनता आएगी तो फिर उनका व्यवहार भी वैसा ही होगा। व्यक्ति

(श्री ललित भाटी)

संवेदनशील है तो हम उससे संवेदनाओं की अपेक्षा कर सकते हैं और पेट की भूख बड़े-बड़े अपराध करा देती है, मंत्री महोदय, और उसमें अगर यह भ्रष्ट होने तक ही खसक रहे हैं तो मेरे ख्याल से कम है तो हम उन छोटी-छोटी चीजों को जिन्हें हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिनसे हमारे पर बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं आता हो, अगर वह हम अपने कर्मचारियों को देते है, अधिकारियों को देते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह बेहतर निर्णय होगा और इससे भी इनके कार्य में गुणवत्ता के अंदर वृद्धि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे सी.एम. साहब हैं, यह 1989 में इस प्रदेश के गृह मंत्री थे और मैं भी उस विधान सभा का भी सदस्य था। तब उनके निर्देशन में कह दीजिए, नेतृत्व में कह दें, उनके अधीन कह दें, एक शुरूआत हुई थी कि ए.पी. और सी.पी. में कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा मगर वह वही का वही जाम है। उस समय सरे नियम बन गये, उन नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है और आज यह अपेक्षा है उन तमाम लोगों की जो इससे प्रभावित हो रहे हैं या होंगे। उनको अपेक्षा है कि जब वे होम-मिनिस्टर थे, उन्होंने इस दिशा में पहल की, इसका स्वागत किया गया। पर अब जब वे हमारे चीफ-मिनिस्टर हैं तो यह स्वाभाविक है कि एक विश्वास बनता है कि अब वह काम आगे बढ़ेगा। एक साल का समय निकल गया है, सवा साल का समय बीत रहा है। मेरा यह निवेदन है, मंत्री महोदय, कि आप उन नियमों को लागू कराएं, सी.आई.डी., सी.आई.डी. (सी.बी.) और सिविल पुलिस इन तीनों के स्थानान्तरण की भी एक नीति आप बनाएं। जिस तरीके से यहां कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना सदन के अंदर व्यक्त की है, जैसा सिद्धू साहब ने भी कहा कि 18-19 लोगों को तो आई.बी. से आपने सिविल पुलिस में लगा रखा है और बाकी लोगों के लिए कानून की आड़ लगा रखी है। तो कानून तो फिर एक निगाह वाला ही चलना होगा और उसके लिए आप कोई नीति ही बना देंगे कि इनको हर ब्रांच के अंदर काम करना है तो उससे मंत्री महोदय, इस विभाग में काम करने वाले लोगों के ऊपर अंगुली उठती है। इस अंगुली उठने में आप कमी पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और नहीं तो जो लोग दस-दस साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, और यह बात सही है कि जब एक लम्बे समय तक कोई कहीं पर बैठा हुआ होता है तो उसके रसूखात बनते हैं। और उन रसूखातों में ऊंच-नीच स्वभाविक है और गलती करना मानव स्वभाव है। मैं यह नहीं कहता कि आपका सारा का सारा डिपार्टमैंट ही भ्रष्ट है, मगर गिनती ज्यादा आज गिनी जाती है। यह अपना-अपना देखने का नजरिया है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप हर जिले में, आज हमारे

(श्री ललित भाटी)

अजमेर जिले को भी अगर हम लेकर देखें तो सी.आई. लेवल पर, ए.एस.आई. लेवल पर डीवाई.एस.पी. लेवल पर यह तीन लेवल तो ऐसे हैं कि जिन पर आठ आठ, दस-दस साल से, बस उनकी जगह ही बदल रही है, वे वहीं के वहीं पर विराजमान हैं। तो इनकी जो +++ हो रखी है, इनकी +++ नहीं हो कि +++ और अब हिलेंगे नहीं, यही पूजा होगी, इससे अपराध बढ़ता है। मंत्री महोदय, इसमें भी आप कोई नीति बनाइये। और मैं यह मानता हूं कि इसमें माननीय सदस्यों की जिस तरह से भावना आयी है, सबका सहायोग आपको मिलेगा और कोई आपको आकर नहीं कहेगा कि यह तो मेरा खास है, इसको रखो। क्योंकि इनका तो खास होना भी नुकसान ही देकर जाता है। यह डिपार्टमैंट ऐसा है। यह किसी को श्रेय दिलाये यह विभाग ऐसा नहीं है। मेरा कोई नहीं है। आप दिखवा लें, मैंने किसी एक के लिए भी अगर कहा हो तो। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप इसके अंदर नीति बनाएं।

मैंने कुछ कट मोशंस पेश किये है। उसके ऊपर अपनी बात माननीय मंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : यह घंटी मेरे हाथ ही...

श्री ललित भाटी : मेरे साथ कुछ जरा ज्यादा ही है। मैं आपनी बात कहना चाह रहा हूं कि इस आधुनिक समाज में एक और संस्कृति पल रही है और बढ़ रही है। वह संस्कृति है, क्लब संस्कृति, और इन क्लब संस्कृतियों की तरफ माननीय मंत्री महोदय, आपको ध्यान देना पड़ेगा और ठोस कदम आपको इसमें उठाने पड़ेंगे। ठोस कदम इसलिए मैं आपको जोर देकर कह रहा हूं कि जिस तरीके की बात आज हमारे माननीय सहकारिता मंत्रीजी के साथ करी गयी है, ऐसी ही बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं क्योंकि यह निर्णय लेने में आपको यह नहीं देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है या नहीं। आज कई क्लब इन तरीके के न सिर्फ जयपुर में बाकी वड़े-बडे शहरों के अन्दर, सब जगह पर इस तरीके के क्लब चल रहे हैं और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं हैं। उसमें आपके पुलिस विभाग के अधिकारी मैम्बर हैं, आई.ए.एस. आफिसर्स मैम्बर हैं, समाज के जो रूतबादार वर्ग है, वे लोग इसके अंदर मैम्बर है और कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पर वह सब गतिविधियां चल रही हैं, जिन्हें आप आम-आदमी और गरीब आदमी के लिए गैर-कानूनी करार देते हैं। वहां पर कार्ड रूम के अंदर गेम्बलिंग होती है। बार रूम के अंदर शराब पी जाती है, बगैर लाइसेंस के अगर उनका परमिट रूम है तो वह कानूनी बात है। इस तरीके के जो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललित भाटी)

अपंजीकृत क्लब चल रहे हैं, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में आपको इनके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। या तो वे कानून के दायरे में आकर काम करें और अगर वे कानून के दायरे से अपने आपको नहीं बांधना चाहते हैं तो आपको नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि इन क्लबों को आप कह दें कि कानून की नजर में सब एक है और यह बंद करिये। और अगर उसके बाद भी वे चलाते हैं तो फिर चाहे उनके संचालक कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। यह स्टेटमेंट आपका होना चाहिए फिर वह बख्शे नहीं जाने चाहिएं और मेरा विश्वास है कि इस तरीके के जो क्लब चल रहे हैं, वह आपकी जानकारी में होंगे। इस विधान सभा में एक क्वेश्चन के माध्यम से मुझे जवाब मिल चुका है कि कौन–कौनसे क्लब कहां–कहां पर चल रहे हैं। सिर्फ आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप उन पर कानून लागू कराने की कार्यवाही करावे। अगर वह बार चलाते हैं तो आबकारी विभाग से लाइसेंस ले। उन क्लब्स का कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चाहे वह नान ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट के तहत हो, चाहे वह को–आपरेटिव के तहत हो। जो कानून हमारे इस तरह के क्लबों को चलाने की इजाजत देते हैं उनके अंदर उनका पंजीकरण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों में, हमारे अजमेर शहर की बात मैं जानता हूं और दूसरी जगह पर भी यह होगा। अवैध रूप से तस्करी करके लायी गयी दारू। एक तो वह कुछ जातियां इस काम में लगी हुई हैं, वह कच्ची शराब बनाते हैं और इन कच्ची बस्तियों के अंदर बेचते हैं। कुछ केमिकल्स इस तरीके के हैं, उन केमिकल्स में पानी मिलाकर इन कच्ची बस्तियों के अंदर बेचा जाता है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। अजमेर की कच्ची बस्तियों में करीब-करीब सबमें इस तरीके का इल्लीगल इल्लीसिट लिकर बेचा जाता है। हम उनको, जो लोग इस काम में संलग्न हैं, उनके ऊपर संबंधित थानेदार या एस.पी. या डीवाई.एस.पी. वह कार्यवाही करें और पुख्ता व्यवस्था इसके ऊपर हो। जैसा आप भी जानते हैं कई फिल्मों में डायलाग भी होते हैं कि पुलिस की छत्रछाया में ही अपराध पलते हैं। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं हो सकती। फिल्म वाले भी समाज में जो देखते हैं, उसी को ही कहते हैं। उनका अपना अलग से कोई समाज या दुनिया नहीं है और वह सच्चाई है कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसके अंदर मंथली एक है, वह मंथली ही गड़बड़ कराता है और इन लोगों को परमिट दिलवाता है तो इसके ऊपर भी रोक लगायी जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं।

(श्री ललित भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शहर में चोरियां बहुत बढ़ गयीं और चोरियां का स्टाइल बदल रहा है। इसके हिसाब से यह तो हो नहीं सकता कि थाने में बैठे हुए पुलिस को कोई खबर हो कि यहां वारदात होने वाली है और वह पहुंच जाए। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर के अंदर यह देखने में आया कि राह चलते लोगों को, वाहनों को लूटने की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं। हालांकि हमारे शहर के अंदर तो दिन में भी बहुत चोरियां हुई हैं घरों में घुसकर। उपाध्यक्ष महोदय, अब या तो कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था शहरों में भी होनी चाहिए कि अपने-अपने हलके में न सिर्फ थाने में ही बैठे रहे वह लोग, उनका कोई न कोई एक रूट इस तरह का तय किया जाए... (व्यवधान) अब तो रात को होता है, वारदातें दिन में ज्यादा हो रही हैं। तो जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारे सिस्टम में अगर बदलाव अपेक्षित है, तो वह बदलाव हमें लाना चाहिए, यह मैं कहना चाह रहा हूं। सट्टा लाटरी और पर्चियां...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया।

श्री ललित भाटी : मैं पुलिस को खतम ही कर रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब आ गया। गेम्बलिंग में आ गया। गेम्बलिंग में...

श्री ललित भाटी : यह एक अलग है जुएं वाला। मैं जुएं वाली बात कर रहा था। अगर यह समाज शिक्षित है तो पहले तो यह सब वैसे ही समाप्त हो जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : पुलिस को ही खतम कर रहे हो।

श्री ललित भाटी : नहीं-नहीं, मैं पुलिस की डिमांड पर अपने विचार खतम कर रहा हूं मैं और कोई बात नहीं कर रहा। यह सब चीजें और उनके ऊपर सजगता के साथ हमारा विभाग लगे। जैसे मैंने अपनी बात पहले भी कही कि सारे के सारे कुएं में भांग घुली हुई हो, ऐसी बात नहीं है। मगर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और इस मछली की अगर हम पहचान कर लें और इनको पनिश्मेंट की जो बात चल रही है, हमारी सरकार का नारा है कि हम भ्रष्ट अफसरों को रहने नहीं देंगे तो इसको अमलीजामा पहनाना पड़ेगा। फिलहाल चाहे टोकन ही हो और ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। जानकारी है कि कौन भ्रष्ट है, कितने सारे नाम गिना दिये। अगर एक के खिलाफ भी कार्यवाही हुई तो सब लाइन पर आ जाएंगे। मेरा यह कहना है, उपाध्यक्ष महोदय।

ट्रांसपोर्ट पर मैं अपना एक रचनात्मक सुझाव माननीय मंत्रीजी को देना चाहता हूं। जो ट्रेक्टर-ट्रोलियां हैं, उन ट्रेक्टर-ट्रोलियों में आपने भी देखा है और हम रोज देखते हैं कि इनका पंजीकरण होता है कृषि कार्यों के लिए, आप अपने विभाग में करते हैं। व्यावसायिक उपभोग के लिए और गैर-कृषि

(श्री ललित भाटी)..

कामों के उपयोग के लिए इसका पंजीकरण नहीं करते और उसके हिसाब से आपने इनका पंजीकरण शुल्क रखा है। आज जिस तरीके से अकाल पड़ा हुआ है गांवों में, तो ट्रेक्टर काम आ नहीं रहे है। क्योंकि खेत में जाएं कहां ? आज ज्यादातर ट्रेक्टर बजरी, पत्थर, चूना, यह सब डालकर रॉ मैटीरियल जो बिल्डिंग में काम के आते हैं, ट्रेक्टर-ट्रोलियों के अंदर भरकर आते हैं और परिवहन अधिकारी इनको जाकर धमकाते हैं। और उनसे पैसा ऐंठते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनका व्यावसायिक उपयोग करने में यह सरकार विधिवत ही इसको कानूनन रूप दे दें, जैसा अजमेर के अंदर एक अभियान चला था जब इनका एक महीने पहले निरीक्षण का कार्यक्रम चला। उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रेक्टर-ट्राली वाले मेरे पास में आये उनके दर्द को मैंने इसलिए जाना। उनसे 3600 रुपये इन्होंने चालन के एक साल के काटे एक-एक ट्रेक्टर-ट्राली के। जब मैंने अधिकारियों से बात की अजमेर में, तो वह कहते हैं साहब, जो छोटे लोडर टैम्पो हैं, उनका पंजीयन शुल्क है 3600 रुपये। और उसके साथ वह कुछ पैनेल्टी लगा देते हैं। 3600 रुपये पैनेल्टी और वह एक पर्ची काटकर उसको दे देते हैं कि अब तू एक साल तक चाहे इसमें चूना ढो, चाहे तू पत्थर ढो। ऐसे तो उदाहरण कम हैं जिन्होंने 3600 रुपये जमा करा दिये। कुछ ने तो 100 रुपये देकर अपना काम चलाया। जिसकी जितनी बन पड़ी उसने अपना दिया और काम चलाया। व्यावसायिक उपयोग हो रहा है ट्रेक्टर-ट्रोलियों का, इसको आप भी नहीं रोक पाएंगें और हम भी नहीं रोक पाएंगें। पूरे राजस्थान में यह देखने को मिल रहा है तो क्यों नहीं इसके ऊपर आप कानूनन टैक्स लगाकर अपनी राजस्व वृद्धि करें। आज 3600 रुपये से भी आप कम में कोई नोमिनल अमाउंट तय कर सकते हैं और वह मिनिमम अमाउंट, जो आपको ठीक लगता है...

श्री जगमाल सिंह यादव : आप क्या कह रहे हैं कि ट्रेक्टर-ट्राली पर टैक्स लगा दें।

श्री ललित भाटी : जो व्यावसायिक उपयोग में काम आ रहे हैं। आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हैं। जो व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, जिनका काम ही सिर्फ बजरी, पत्थर लाने का है। जो इसका काम करना चाहते हैं, वह टैक्स दें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री ललित भाटी : एक बहुत इम्पार्टेंट बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना सारी इम्पार्टेंट ही थी, अन-इम्पार्टेंट क्या कहा ?

श्री ललित भाटी : अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप मुझे बिठा देना। 1990 से

(श्री ललित भाटी)

रोडवेज में कंडक्टरों की भर्ती ही नहीं हो रही है और जबकि कंडक्टर काम कर रहे हैं। अगर कंडक्टर्स काम नही कर रहे होते तो समझ में आता। डैली वेजेज पर आपने कंडक्टर्स को रख रखा है 1990 से लेकर अब तक। मगर जिन लोगों को आपने डैली वेजेज पर रखा है, न तो आप उनका नियमन कर रहे हैं कि वह परमानेंट स्टाफ के अंदर जाए और आपको आवश्यकता है। पेमेंट तो आपको करना ही पड़ रहा है। डैली वेजेज पर कोई बेगार नहीं कर रहे है। आपने 1990 से जो भर्ती रोकी हुई है, उस भर्ती को भी आप शुरू करें। इस पर आप ध्यान दें।

अजमेर सेंट्रल वर्कशाप, आपका जो है, वहां एक तो मुझे पता है बाकी और कहां वर्कशाप हैं आप मालूम करें, हर महीने लाखों रुपये की खरीद आप कराते हैं और जो डिपार्टमैंट में ब्लैक लिस्टेड सप्लायर्स हैं उन ब्लैक लिस्टेड सप्लायर्स से माल खरीदा जा रहा है, तो फिर आपने उनको ब्लैक लिस्ट करा ही क्यों ? वहां जो अधिकारी पदस्थापित हैं वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन सब बातों पर पर्दा डालकर बैठे हुए हैं। आप इस बात की जांच करवाइये। अजमेर वर्कशाप पूरे राजस्थान का टायर रिपेरिंग का काम करता था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री ललित भाटी : मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, हो गया।

श्री ललित भाटी : एक मिनट में उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न एक मिनट। एक मिनट के आपने तेरह मिनट ले लिये।

श्री ललित भाटी : एक मिनट और। उसके बाद आप नाम उच्चारण कर लें। यह अपनी सारी इच्छा पूर्ति के लिए वहां टायर रिट्रेडिंग का काम होता था, जो ठेके पर कराया जाता है। वहां सरकार की मशीनें पड़ी हुई हैं, डिपार्टमैंट है उसको बंद कर रखा है और कमीशन पर टायर रिट्रेडिंग आप बाहर करवाते हैं। टायर वहां जो पड़े हुए हैं, उसके अंदर घोटाला, आग लगा दी। अगर आपने देखा हो, ऐसे कई किस्से हैं मंत्री महोदय, जो आपकी जानकारी के अंदर हो सकते हैं। आप ऐसे अधिकारियों को जब आपने कम्पलसरी रिटायरमेंट की बात की, आपको ऐसे लोगों को छांटकर उनके यहां पर लिफाफा भिजवाएं। एक लिफाफा आपने अजमेर में भेजा। चोर के मन में चांदना। घबरा गये और जब वह लाटरी किसी और की खुल गयी तो उन्होंने कहा, यह मेरी खुल गयी, मैं प्रसन्न हूं, मैं यहां रह गया हूं। आप जांच करवाइए। कई जांचें हो चुकी हैं। उनको दोषी पाया गया है। उनको आप घर भेजने की व्यवस्था करें, तब जाकर रोडवेज को जो घाटा हो

(श्री ललित भाटी)

रहा है और जो यात्री सुविधाओं की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के रहते हुए उनमें सुधार नहीं आयेगा। हमारे वहां सुलभ काम्प्लैक्स को भी आप दिखायें, व्यवस्थाएं, यात्री सुविधाएं वहां नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के जो बड़े-बड़े शहर हैं उसमें कई मर्तबा हम देखते हैं कि कई विद्वतजनों के प्रवचन आयोजित होते हैं। जैसे आसारामजी महाराज, मोरारी बापू, आचार्य, महाप्रज्ञ। एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख लोग उन प्रवचन में इकट्ठा होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और उन प्रवचन को श्रवण करते है और उस वक्त उस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान भी करते हैं लेकिन वहां से लौट कर जब वापस व्यावहारिक जिंदगी में आते हैं तो वो जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हम हमारे पुलिस के उच्च अधिकारियों और माननीय नेताओं के यह वक्तव्य पढ़ते और सुनते हैं कि पुलिस थानों को सेवा का मंदिर बनायें। सुनने में, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा लगता है। वक्तव्य पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन पुलिस से जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए या उस मुकाम तक पुलिस का काम लाने के लिए कई व्यावहारिक प्रयास की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सालों में भारत सरकार ने पुलिस आयोग का गठन भी किया, उसकी रिपोर्ट भी आयी लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट धूल चाट रही है। उस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिनको लागू करने में किसी भी शासन पर कोई खर्चा नहीं आता लेकिन इसके बावजूद उस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसी रिपोर्ट में ऐसे सुझाव भी हैं जिसमें आर्थिक भार भी शासन पर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सोचिये कि आज हिन्दुस्तान की जितनी भी राज्य सरकारे हैं उनका जो पुलिस का बजट है स्टेट्स का वह 5.03 परसेंट है और हमारे स्टेट पर पुलिस बजट है 3.30 परसेंट। यह फर्क अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम पुलिस से हमारी अपेक्षाएं और बदले में उनको दी जाने वाली स्थितियों के प्रति कितने गम्भीर हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जो जनसंख्या है और उस जनसंख्या के आधार पर जितने पुलिस कर्मियों को जिलों में होना चाहिए, राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो जनसंख्या के भार के अनुरूप पुलिस कर्मियों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो। अभी हमारे माननीय सदस्य, भाटीजी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, खुद उनके जिले में पुलिस के भार के अनुपात में 28 फीसदी कमी है और इस कमी की पूर्ति हम उन स्थानों को भर कर ही कर सकते हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, हम पुलिस से बहुत बेहतर काम की अपेक्षा रखते हैं लेकिन आज राजस्थान के अंदर 54,594 पुलिस-कर्मी ऐसे हैं जिनके पास आवास की कोई सुविधा नहीं है। हम उनको आवास जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करना चाहते और उसके बाद भी हम यह अपेक्षा रखते हैं कि उनका बेहतर से बेहतर काम हो, किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं आये, वो थानों को मंदिर समझते हुए काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो थानेदार है, थाना-प्रभारी है सारा दायित्व उसके ऊपर है। कानून व्यवस्था भी वो देखेगा, अन्वेषण का काम भी वो देखेगा, कहीं भी जुलूस निकल रहा है, कोई भी नेता आ रहा है, मंत्री आ रहा है, कहीं बलवा हो गया, कुछ भी हो गया उस थानेदार के जिम्मे सारा काम है और इतना तनाव में होने के बाद हम उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि अन्वेषण का काम भी वही करें, कानून व्यवस्था का काम भी वो ही देखे। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवहार में हम देखने जाएं तो यह सारी अपेक्षाएं उनके द्वारा पूरी की जानी संभव नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और अन्वेषण, यह दोनों आप पुलिस के अंदर पृथक-पृथक करने का प्रयास करें इतनी जिम्मेदारी का काम अगर हम एक ही आदमी से लेने की सोचेंगे तो वह अपेक्षित परिणाम जो राजस्थान की जनता पुलिस से रखती है, उसको हम हासिल नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल पुलिस अधीक्षकों और जिला कलेक्टर्स की सचिवालय में एक बैठक ली। उन्होंने इस बात के निर्देश दिये कि पुलिस के अधिकारी और कलेक्टर जनता दरबार लगायें, जनता के बीच में जा कर उनकी सुनवाई करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जो हमारे मुख्य मंत्रीजी की भावना थी उसके अनुरूप किसी भी जिले में यह काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि पुलिस के अधिकारी या कलेक्टर जनता के बीच में नहीं गये, वो गये लेकिन उनकी स्टाइल और उनकी शैली वो ही है जो मुख्य मंत्रीजी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। आज डी.आई.जी. जिले के दौरे पर आते हैं तो जनता को उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। सर्किट हाउस में जायेंगे या किसी पर्टिकूलर थाने में भी जायेंगे तो पुलिस के अधिकारी जिन लोगों को भी बुलाना चाहते हैं, जो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकें, उनकी +++ नहीं कर सके, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सके एक तरफ का एक प्रयोजित ड्रामा होता है और ऐसा ही एस.पी. के साथ भी होता है। एस.पी. जिले की किसी भी जगह पर जायेगा, किसी को पता नहीं होता कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री संयम लोढ़ा)

आज एस.पी. आ रहे हैं। फलां थाने में गये, बढ़िया काजू खाये, ठंडा पीया और वापस लौट कर आ गये। मैं गृह मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस महानिरीक्षक जिस जिले में भी दौरे पर जाएं, उसकी बाकायदा जनता को सूचना मिलनी चाहिए। एस.पी. जिले में जिस थाने में भी दौरे पर जाएं, उसकी बाकायदा पहले सूचना मिलनी चाहिए और इस बात का पूरा रिकार्ड मेनटेन होना चाहिए और उसकी जानकारी गृह मंत्रीजी तक आनी चाहिए कि अपने उस दौरे के दौरान; अपने इस प्रवास के दौरान उन्होंने क्या-क्या काम किये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव का आदमी है, अगर उसको पुलिस थाने के अंदर न्याय नहीं मिलता तो वह एस.पी. के पास जाता है। एस.पी. के पास फरियाद करने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता तो वह डी.आई.जी. के पास रेंज हैडक्वार्टर पर वहां जाकर के अपनी फरियाद करता है। डी.आई.जी को उसने अपना कागज दे दिया। डी.आई.जी. उसको वापस जो भी कार्यवाही करनी होती है, एस.पी. के पास भेज देते हैं। उस फरियादी को यह बिलकुल पता नहीं चलता कि उसके मामले पर क्या कार्यवाही हुई। मैं गृह मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस पुलिस अधीक्षक या डी.आई.जी. के पास जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाता है, आप इस बात की व्यवस्था करें कि जो फरियादी उसके पास इतने दूर चल कर, अपना इतना खर्चा कर के न्याय की उम्मीद में उनके दरवाजे तक पहुंचा है, उसको इस बात की डी.आई.जी. और पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना दी जाय कि उसने जो फरियाद की है उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है या क्या निर्देश दिये है। नहीं तो होता यह है कि वह बार-बार महीने में दो बार वहां जायेगा, भटकता रहेगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यह मेरा गृह मंत्री को विनम्र सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भ्रष्टाचार के मुक्त प्रशासन देने के अपने इरादों को जाहिर किया और उसके अनुरूप भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के गठन में उन्होंने कुछ और एडिशनल पद सर्जित करने का भी प्रयास किया है। उसकी संरचना को एक तरह से देखने का प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भ्रष्टाचार पीड़ित आदमी होता था तो अखबार में खबर छपवाता था कि अखबार में खबर आयेगी तो कार्यवाही हो जायेगी। वह सब बंद हो गया। उसके बाद जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, तो उससे उसको यह उम्मीद बंधी कि वह उसमें अपनी शिकायत देगा तो कार्यवाही होगी लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अपने आप में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया। 1973 में राजस्थान की इस विधान सभा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की और आज 27 साल बीतने के बाद भी उस लोकायुक्त

(श्री संयम लोढ़ा)

संस्था से राजस्थान की जनता को कोई परिणाम हासिल नहीं हुए और इसलिए नहीं हुए कि वो एक सिफारिशी संस्था बन कर रह गयी। उसकी सिफारिशों को सदन के पटल पर रखा जायेगा कि नहीं रखा जायेगा। उस पर कोई कार्यवाही होगी कि नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था को जिस रूप में ताकतवर बनाया गया है, किसी हद तक वो जनता की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में आगे पहुंची। मैं गृह मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस लोकायुक्त संस्था को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में आप प्रयास करें। उसकी इण्डिपेंडेंट जांच एजेंसी हो, सीज और सर्च के उसको अधिकार दिये जाएं और जब तक आप यह नहीं करोगे तब तक इन चोरों का नाश करने में आज जो जनता की अपेक्षा है वह किसी भी सीमा तक, किसी भी स्तर तक पूरा नहीं कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के संबंध में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो हमारे पुलिस अधिकारी चयनित होकर जाते हैं, अभी भी राजस्थान के कुछ अधिकारी बोस्निया के लिए चयनित किये गये, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें आई.पी.एस. और आर.पी.एस. स्तर के भी अधिकारी हैं, अगर हमारे सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट होते या उनको पैसे खाने की हवस होती तो वो उस सेवा में जाने की क्यों सोचते ? क्यों चला कर अपना प्रस्ताव रखते और दिल्ली में जाकर इस बात का प्रयास करते कि उनका चयन हो जाय ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को एक प्रभावी और कारगर एजेंसी रूप में काम करते हुए देखना चाहती है कि इस तरह के इंसेंटिवज इस विभाग में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को दिये जाने चाहिए, जिससे इस विभाग में काम करने के लिए पुलिस अधिकारियों का विशेष चयन किया जाना चाहिए जिससे जिनके मन में यह इरादा हो कि समाज को इस बुराई से मुक्त करने की भावना है, वही लोग इस दिशा में प्रवृत हों। वरना आज स्थिति यह हो गयी है कि जो पुलिस अधिकारी फील्ड में काम नहीं कर सकता जो सबसे नाकारा है, जो सबसे निकृष्ट है उसको आप एंटीकरेप्शन में लगा दीजिए। और इस वजह से यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग हमारे लिए एक चिन्ता का विषय बन गया है। चारों तरफ बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश के लिए हा-हाकार का निमित्त बन गया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में ही एक आपको इण्डिपेंडेंट इंटेलीजेंस विंग बनानी चाहिए जो इस तरीके की सूचनाओं को एकत्रित करें और उसके बाद, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जो काम देख रहे हैं उनको वह सूचनाएं उपलब्ध करायें। भ्रष्टाचार

(श्री संयम लोढ़ा)

निरोधक विभाग जिनके मामलों की जांच करता है, व्यवहार में क्या होता है कि विभागीय स्वीकृति लेने के अंदर सालों निकल जाते हैं और वह कार्यवाही नहीं हो पाती। आप इस तरह की व्यवस्था करें कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जब एक बार इस तसल्ली पर पहुंच जाता कि उस मामले में गलत काम हुआ हैं, तो वह इण्डिपेंडेंट उसके खिलाफ कार्यवाही करने की स्थिति में आ सके। इस बात का नियमों में अगर संशोधन भी करना पड़े तो वह आप से करने का मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के काम-काज के लिहाज से हम नाउम्मीद नहीं है। हमको संतोष है और मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में पुलिस का काम और बेहतर तरीके से सामने आयेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन की तुलना नहीं करना चाहता। वही पुलिस तब भी थी और वही पुलिस आज भी है लेकिन पिछले सालों की हम तुलना करें और आज का हम अगर काम देखें तो पुलिस के काम-काज के तरीकों में काफी सुधार आया है। पहले वाली, मैं यह नहीं कहता कि वह सब कुछ सुधर गया लेकिन यह बात हमें निश्चित रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी कि पुलिस के काम-काज में सुधार आया है और इतनी नाउम्मीद होने की कोई बात नहीं है। जब से छात्र कार्यकर्ता के रूप में हमने काम शुरू किया, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सम्पर्क में आने का मौका मिला, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पिछले छह महीने में मेरे जिले में देखें और मैं यह कह सकता हूं कि उनमें से एक भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो बेईमान हो। उनकी इंटिग्रिटी थी। उनके अंदर नैतिकता थी और उन्होंने जिले की सेवा करने का अच्छा काम किया। इसके विपरीत आई.ए.एस. के लिए मैं कहना चाहता हूं कि छह में से पांच कलेक्टर चोर थे। इसलिए भारतीय पुलिस सेवा का जो नया बैच आया है पिछले दस साल का, मैं समझता हूं उने अंदर क्षमता है; काम करने का जज्बा है और उनकी क्षमता का कहीं और जगह हमारी सरकार उपयोग कर सकती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि केरल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के काम में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का उपयोग किया जाता है और उसके वहां पर अच्छे नतीजे आये हैं।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। हमारा यातायात विभाग भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है। फर्जी बाउचर, फर्जी बिल और बैंकों में फर्जी जमा कराना। अजमेर-पाली के काण्ड उसके उदाहरण हैं। आप इन नौजवान और जागरूक अधिकारियों की क्षमता का उपयोग करें। राजस्व हमारे स्टेट के लिए सबसे जरूरी चीज है और राजस्व संकलन के मामले में जितना हो सके अगर ईमानदार अधिकारी

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहे वह किसी भी सेवा का हो उसका उपयोग करने का प्रयास हमारे शासन को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल के जो अपराध का स्तर है वह भी इस बात का गवाह है कि पुलिस का काम सामान्य है। हमें कोई बहुत ज्यादा व्यथित होने और चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि अपने तरीके से हुई और पिछले एक साल में सिर्फ 0.43 प्रतिशत की वृद्धि अपराधों के अंदर हुई है और इसमें भी जो जघन्य अपराध है, चाहे डकैती का लें, लूट का ले, बलात्कार का ले, बलवे का लें, नकबजनी का लें और चोरी का लें, इन सारे अपराधों में पिछले एक साल में लगातार कमी आयी है जो इस बात को इंगित करता है कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और अच्छे तरीक से काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान एक बार फिर आकर्षित करना चाहूंगा कि महिला अत्याचार और दलित अत्याचार के जो मामले हैं उसमें राजस्थान की स्थिति बेहद शर्मनाक है। और शर्मनाक स्थिति इस रूप में भी है कि बलात्कार के मामलों में अदमवकु का राजस्थान में आंकड़ा 25 प्रतिशत से अधिक है। जब पूरे देश में यह आंकड़ा देखें तो 5 प्रतिशत और इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार के मामले 1997 में 56 फीसदी मामले झूठे पाये गये। 1999 में 55 फीसदी मामले झूठे पाये गये और 1999 में 55.22 प्रतिशत झूठे पाये गये। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी वजह यह नहीं है कि ये मामले झूठे दर्ज होते हैं, या महिला अत्याचार के मामले झूठे दर्ज होते हैं। इसकी वजह हमारी मानसिकता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लगातार एक सामन्तवाद और रूढ़िवादी सोच से प्रभावित राज्य रहा है। आज भी हमारे परिवारों हमारे समाज में महिलाओं के प्रति बराबरी का सोच नहीं है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं बनाया। उन्हें स्वावलम्बी नहीं बनाया। हमारा नकारात्मक सोच, चाहे पुलिस अधिकारी बैठे हैं वह इसी समाज से निकलते हैं कोई ऊपर से नहीं आते। और वही सोच, महिलाओं के प्रति वह नकारात्मक सोच पुलिस के उन अधिकारियों में भी है और समाज का वह कमजोर तबका दलित वर्ग के लोगों के प्रति वही नकारात्मक सोच पुलिस के अधिकारियों में है और यही वजह है कि उस सोच की वजह से इतनी बड़ी संख्या में मामले झूठे पाये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम जो बनाया गया उसके पीछे क्या भावना थी ? यह भावना थी कि इन कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा लेकिन इसके बाद क्या है ? व्यवहार में जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो अनुसूचित जाति के आदमी को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है और पुलिस

(श्री संयम लोढ़ा)

का जो जांच अधिकारी होता है उसके घर पर मुकदमे के समझौते होते हैं और बाद में एफ.आर. दी जाती है। हम लोग भी व्यावहारिक जिन्दगी में है। सार्वजनिक जीवन में हैं। मैं धौलपुर का एक उदाहरण आपको बता सकता हूं, जहां पर एक गूजर के खिलाफ एक दलित वर्ग के आदमी ने मुकदमा करवाया। उस संघर्ष को लड़ते-लड़ते उसकी जमीन बिक गयी लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कि डीवाई.एस.पी. के घर पर उसको समझौता करना पड़ा। राजस्थान में गृह मंत्री महोदय, आप अपने राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के रिकार्ड की जांच करवाइये। कई अधिकारी तो बाजार में बहुत दावे से कहते हैं कि मैंने आज तक एक भी मुकदमा एस.सी. और एस.टी. का चालान नहीं किया। इस तरह की स्थिति उस मानसिकता की वजह से है इसलिए इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों और महिलाओं के साथ हमारी कुत्सित मानसिकता की वजह से जो अत्याचार हो रहा है वह अत्याचार नहीं हो। जिस न्याय की उम्मीद में वह पुलिस थाने तक आता है वह न्याय उन लोगों को मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस से मेरी एक ही शिकायत है और सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पुलिस कर्मी जो अनैतिक आचरण करते हैं जो अपराध कारित करते हैं, उन्हें पुलिस के बड़े अधिकारी पूरी ताकत से बचाने में जुट जाते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर पुलिस के फलां अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी तो डिपार्टमैंट की बदनामी होगी। जबकि अपनी कमजोरियों को दबाने की वजह से, उन कमियों को छिपाने की वजह से पुलिस डिपार्टमैंट में निचले स्तर पर सडांध फैल रही है। और वह लोग जो इस तरह के अपराध कारित करते हैं, उनमें होसला बढ़ता है और इस तरह की गतिविधियों से दूसरे भी प्रेरित होते हैं। उसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। आज पुलिस विभाग का जो रिकार्ड हमें उपलब्ध कराया है सिर्फ 50 मामले ऐसे हैं पूरे एक साल के अंदर, जिनमें पुलिस के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी हो। जिसमें टर्मिनेशन तो एक भी नहीं है और पदावनति भी सिर्फ एक आदमी को किया गया है, वह ए.एस.आई. स्तर का है। बाकी को किसी को नोटिस दे दिया, किसी का कोई इन्क्रीमेंट रोक दिया। इस तरह के हैं। राजस्थान में जिस तादाद से पुलिस इस तरह की गतिविधियों में इन्वाल्व है और यह संरक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा मिलता है। वह हमारी सबसे बड़ी बदनामी का कारण है। इससे पुलिस की प्रतिष्ठा भी समाज के अंदर धूमिल हो रही है। मैं कई मामले ऐसे बता सकता हूं जैसे तारामण्डल, जो बिड़ला का है, उसमें पुलिसकर्मी द्वारा चोरी की गयी। मोती डूंगरी थाने में एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा सत्यपाल सिंह के

(श्री संयम लोढ़ा)

साथ मारपीट की गयी। सांगानेर थाने में पिटाई के कारण एक दम्पति ने आत्महत्या कर ली या पुलिस हिरासत में फरारी के मामले जो पिछले तीन सालों से...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो इसलिए घंटी बजायी है कि आप ट्रांसपोर्ट पर भी बोलेंगे। इसको बन्द करके उसको अब चालू कर दो।

श्री संयम लोढ़ा : अब मैं ट्रांसपोर्ट पर नहीं बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोलेंगे ? ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा विशेष प्रेम है इसलिए नहीं बोलूंगा।

माननीय गृह मंत्री महोदय, आपने जो आंकड़े दिये हैं कि आबकारी विभाग ने 50 फीसदी मुकदमे दर्ज कराने में तरक्की की। पिछले साल की तुलना में हमने 50 फीसदी अधिक मुकदमे दर्ज किए। यह सच्चाई गृह मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में पुलिस शराब के ठेकेदारों की रेड पार्टी के रूप में काम करती है। शराब के ठेकेदार यह कहते हैं कि हमने रेड पार्टी रखी हुई है। हम महीने का एक लाख रुपये इस रेड पार्टी पर खर्च करते हैं। 50 हजार का टुकड़ा हम पुलिस वालों को भी डाल देते हैं। वह भी हमारी रेड पार्टी का काम करते हैं। होता क्या है ? रैड पार्टी की जीप तो चलती है आगे और पीछे-पीछे पुलिस की जीप चलती है वह जिसकी गाड़ी में माल रख दे वह गाड़ी पकड़ ली उसी का मुकदमा बना दिया।

एक पत्रकार है विजय विद्रोही। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, जयपुर की एक घटना बताता हूं एक शराब के ठेकेदार की रेड पार्टी की जीप और उनकी कार आगे खड़ी हुई थी। गाड़ी के टर्न को लेकर कोई विवाद हो गया। पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी। रेड पार्टी के आदमी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि इसमें शराब पड़ी हुई है। वह पुलिस अधिकारी इनको जानता था, बोला, मरवाएगा क्या ? और मेरे खुद के होम टाउन शिवगंज की घटना का मैंने जिक्र किया। रात को शराब के ठेकेदार की रेड पार्टी रिवाल्वर दिखाकर गाड़ी लेकर आयी ठेकेदार की रेड पार्टी ने ही उसको शराब डाली, पुलिस को हैंड ओवर किया और मुकदमा बना दिया। आज तीन महीने हुए वह गाड़ी बंद पड़ी है उसके अंदर और जब एस.पी. से मेरी बात हुई और वह इस बात पर कंविंस हुए कि हां पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। उसका क्रास केस दर्ज हुआ रेड पार्टी के खिलाफ। एडिशनल एस.पी. ने उसकी इंक्वायरी की और यह पाया कि पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। शराब के ठेकेदार जोधपुर जाकर डी.आई.जी. से फाइल चैंज करवाकर आ

(श्री संयम लोढ़ा)

गया। दूसरे एडिशनल एस.पी. को दे दिया। दूसरे एडिशनल एस.पी. ने फिर जांच की और यह पाया कि पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। तीन महीने हो गये आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए, कि पुलिस के अधिकारी यह सोच नहीं रखते कि उनको सजा दी जानी चाहिए।

मैं यहां डी.जी.पी. साहब बैठे हुए हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के खिलाफ जो लोग काम करते हैं साल में चालीस पचास को पार्टी से छह साल के लिए बाहर निकाला जाता है। चाहे वह एम.एल.ए. रहा हुआ हो, एम.पी. रहा हुआ हो। आप भी यह सोच मत अपनाइये। अगर किसी आदमी ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जब तक आप यह नहीं करेंगे पुलिस की छवि इसी तरह धूमिल होती रहेगी। खराब होती रहेगी।

अन्त में मैं एक सुझाव यातायात मंत्री को देना चाहता हूं। मेरा कटौती प्रस्ताव है इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मना कर दिया नहीं बोलूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोडवेज पर नहीं बोल रहा हूं, ट्रांसपोर्ट पर बोल रहा हूं। यह जो आटो रिक्शा के परमिट राज्य सरकार जारी करती है, यह अभी तक सिर्फ नगर की सीमा में जारी किये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में भी आटो रिक्शा उसी मुताबिक चलते हैं क्योंकि लोगों की जरूरत है। आटो रिक्शा का परमिट सरकार जारी नहीं करती है और उसकी एवज में एक आटो रिक्शा वालों से जो चौथ वसूली होती है, जो कुछ भी होता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि पांच हजार से ज्यादा आबादी के जो गांव हैं आप उनमें यह आटो रिक्शा परमिट जारी कर दें। इससे आपको राजस्व भी प्राप्त होगा और हमारे इलाके के पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16, 17 और 12 पर बोलने के लिए आपने मुझे इजाजत दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी अमूल्य सुझाव दिये हैं और तकरीबन हरेक का पुलिस विभाग के प्रति काफी रोष रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस में काम करने वाले जो इन्सान हैं, किन परिस्थितियों में यह लोग काम करते हैं कभी इस ओर भी हमने ध्यान दिया है क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ महीने पहले इण्डिया टुडे में दिल्ली पुलिस का एक सर्वेक्षण आया था और एक बहुत ही चिन्ता का विषय था कि सत्तर प्रतिशत से लेकर नब्बे

(श्री रामप्रताप)

प्रतिशत तक पूरी फोर्स है वह कहीं हाइपरटेंशन से, कहीं नींद न आने की बीमारी से, पैप्टिक अल्सर से, पाइल्स और फिशर इस किस्म की बीमारियों से ग्रस्त हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका कारण है आदमी चलता फिरता रहता है तो वह नहीं थकता लेकिन सुबह से शाम तक कोई घंटे नहीं है उसके निश्चित। इन परिस्थितियों से वह काम करता है। कहीं वी.आई.पी. की ड्यूटी देनी हो कि वी.आई.पी. साहब आयेंगें सुबह सात बजे या साढ़े छह बजे फोर्स को वहां जाकर खड़ा होना पड़ता है। (व्यवधान) में मना थोड़े ही कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब फोर्स को पुलिस को तो वहां जाना पड़ता है साढ़े छह बजे। अब वह वी.आई.पी. साहब कितनी बजे आते हैं दस बजे आएं, ग्यारह बजे आएं, बारह बजे आए, उनको वहां खड़ा रहना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : न भी आए।

श्री रामप्रताप : न आए तो न भी आए लेकिन उनको इन्तजार करना पड़ेगा। लेकिन आदमी खाली पेट इस तरीके से खड़ा रहे तो आफ्टर ऑल वह भी तो इन्सान है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि आज का वक्त है वह सुपर स्पेशिलाइजेशन का वक्त है। जब हमारे वक्त में...

श्री रामस्वरूप : आपके वक्त में भी...

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री रामप्रताप : आप सुनते जाओ। हमारा तुम्हारा कहां सवाल है। डाक्टर होता था मरीज उसके पास में गया वह सर्जन का काम भी कर देता था, दिमाग का इलाज भी कर देता था, पेट का इलाज भी कर देता था। बीमार गया उसके पास पेट तकलीफ है हाथ लगाया, लीव–52 या जो भी दवाई दे दी। आज का वक्त वह नहीं है अब ऐसा वक्त आ गया है, क्रिमिनल्स ने नये–नये तरीके अपना लिये हैं। हमारी फोर्स के पास में हमने क्या सुविधा दी ? इसलिए जरूरत है कि फोर्स का भी हम इस तरीके से स्पेशिलाईजेशन करें। मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि उसी से तो हम इंवेस्टिगेशन करवाते हैं, उसी से हम लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन करवाते हैं। एक अमुक आदमी मेरे साथ में पांच साल के लिए मेरी सिक्योरिटी में रहा। पांच साल के बाद आप उसी को किसी थाने का इन्चार्ज बनाकर भेज दो तो क्या आप उससे उम्मीद करते हो कि सही काम कर सकेगा। यह तमाम् हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम कमियां निकाल रहे है। क्या कभी हमने यह भी सोचा कि वी. दी सो काल्ड पोलिटिशियन्स, हम इस बात के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं। चाहे कोई पालिटिकल पार्टी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। चाहे कल हम उधर बैठे थे, आज इधर थे, आप उधर

(श्री रामप्रताप)

हैं यह कोई महत्व नहीं रखता है लेकिन हम कितना इंटरफियरेंस करते हैं। उसका भी तो हमें सोचना चाहिए।

मैं यहां पर दो बातें विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अपराध मानव की दुष्प्रवृत्ति से पैदा होते हैं। यह कोई आज का सवाल नहीं है। राम राज्य अगर कहीं था तो उस वक्त भी अपराध होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त अपराधी पकड़ा जाता था। समाज उसको बुरी नजरों से देखता था। राज का काम है कि अपराधी को पकड़े और उसको सजा दे। अगर उसमें कहीं कोताही होती है तो जितनी भी प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे पास में जितने भी एवेन्यूज हैं हम उनको एग्जास्ट करें, हम प्रदर्शन करें, हम विरोध करें हमारा अधिकार है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां का तरीका है कि एक अपराध घटित हो जाए, पुलिस कोई कार्यवाही कर रही है फिर भी जाकर हम हल्ला करने लग जाए। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं आप इसको अन्यथा नहीं लें।

मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, शिवानी जड़ेजा कांड हुआ था। आप इसको अन्यथा नहीं लें, घटना घटित होते ही लोगों को यह कैसे पता चल गया कि अमुक आदमी का लड़का या अमुक आदमी उसमें शामिल था ? और उसको पूरे राजस्थान में इस तरीके से पेश किया गया जबकि अपराधी कोई और ही निकले। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर जे.सी. बोस छात्रावास कांड का जिक्र करना चाहूंगा। एक 29 साल की महिला मर्जी से जाती है तो उसको कोई जबर्दस्ती लेकर गया था क्या या वहां कोई मंदिर था क्या ? वह किसलिए गयी थी वहां। अगर वह घटना वहां घटित नहीं होती वह किसी मकान में होती। वह घटना तो घटित होनी थी और उसमें एक जाति विशेष के नौजवानों को आज से दस-दस साल पुराने केसेज में उठाकर के जिसका भी नाम ले लिया, कोई किसी सर्विस में लगा हुआ है, उनको पकड़-पकड़ कर आप अंदर कर रहे हो। पूरे राजस्थान में एक माहौल बनाया गया। यहां तक कि उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद अखबार में पढ़ा है चौधरी देवीलालजी के गांव से एक लड़का पकड़ा गया। उस अखबार में लिखा जाता है चौधरी देवीलालजी के गांव से एक लड़का पकड़ा गया as if Chaudhary Devi Lal has committed the rape. उपाध्यक्ष महोदय, आपका लड़का या मेरा लड़का अपराधी नहीं हो सकता क्या ? किसी का बच्चा अपराधी नहीं हो सकता ? उसमें उस बाप का क्या कसूर है, उसमें उस चौधरी देवीलाल का क्या कसूर था ? इस किस्म के हालात पैदा किये गये उससे वातावरण दूषित होता है, हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। जरूरत इस बात की है

(श्री रामप्रताप)

कि हम आलोचना करने से पहले इन तमाम् मुद्दों की तरफ ध्यान दें।

इसके साथ-साथ हमारे संसाधन सीमित हैं लेकिन इस काम के लिए? पुलिस फोर्स को मार्डर्नाइजेशन करने के लिए, इसका स्पेशिलाइजेशन करने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें संसाधन जुटाने होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में कोई साइलेंट किलर है गृह मंत्रीजी, तो वह है रोड एक्सीडेंट। आज की तारीख में एड्स से इतने आदमी नहीं मरे रहे हैं, आज की तरीख में इतने कैंसर से नहीं मर रहे हैं, आज की तारीख में इतने क्षय रोग से नहीं मर रहे हैं, जितने लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। तो यह तमाम् बातें कोई बैठे-बैठे यहां पर बात करने से नहीं होगी इनका हमें समाधान करना होगा। हमारे कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली है।

इसके साथ-साथ मैं मेरे क्षेत्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आर्म्स लाइसेंस की बात है। यह एक किस्म का मानवीय पहलू बन चुका है गृह मंत्रीजी। बहुत से जिले ऐसे हैं बोर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं या कोई संवेदनशील इलाका है। कामुनल्ली अगर कोई कम्युनल गड़बड़ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वहां पर अगर आम आर्म्स लाइसेंस को रेस्ट्रिक्ट करों तो कोई बात समझ में आती है। मेरे यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है फिर भी आर्म्स लाइसेंस नहीं दिये जाते उसका नतीजा क्या होता है ? गृह मंत्रीजी, इर्रिगेशन का एरिया है लोग ढाणियों में बैठे हैं। क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। पास में पंजाब और हरियाणा पड़ता है क्रिमिनल्स वहां से क्राइम कमिट करके हमारे यहां पर शरणास्थली बना रखी है। ऐसी स्थिति में जो इन्सान खेत में बैठा है। अपनी सेफ्टी के लिए आप तो लाइसेंस देते नहीं हो। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। हमारे टाइम में यह व्यवस्था थी और गलत थी। हम नहीं कर सके आप कर सको तो यह बहुत महत्वपूर्ण इशु है। उस डर के मारे आप लाइसेंस देते नहीं हैं। खेत में बैठे आदमी इल्लीगल आर्म्स रखेगा उसके फाल आउट्स यह है कि उसको आर्म्स एक्ट में पकड़ कर आप अपनी रिपोर्ट में लिख दो कि हमने इतने आर्म्स एक्ट के केसेज बनाये। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में पढ़ा होगा मेरे क्षेत्र में विशेष तौर से कारखाने पकड़े जाते हैं आर्म्स के। कमरानी, मसानी, इस क्षेत्र में विशेष तौर से वह कारखाने सिर्फ इस वजह से चलते हैं कि राजस्थान सरकार लाइसेंस नहीं देती। इसलिए लोग गैर कानूनी तरीके से उसको खरीदते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा इसमें सबसे बड़ा एक और कारण है कि बहुत से लोग जो प्रभावशील हैं वह पंजाब, हरियाणा में जाकर अपना राशन कार्ड बना लेते हैं वहां से लाइसेंस ले लेते हैं। आर्म्स भी खरीद लेते हैं। और जो गरीब आदमी वहां नहीं जा सकता है, वह खेत में बैद गया तो भगवान

(श्री रामप्रताप)

के भरोसे या कोई इल्लीगल आर्म्स रखेगा। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस बात को सतही तौर पर नहीं ईमानदारी से पता करके, आज की तारीख में ए.के., 47, 57, 56 पता नहीं क्या-क्या आर्म्स आ गये। आपकी और हमारी सोच शायद यह थी कि इससे उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर देंगे तो वह एक लट्ठनुमा हथियार है, उससे कौनसा उग्रवाद बढ़ता है ? इसको आप रिव्यू करें। दूसरा इसका एक नुकसान और है। अगर किसी आदमी की डैथ हो जाती हो और उसके पास में कोई असला है तो उसका लड़का अगर वह क्रिमिनल है तो उसको नहीं दिया जाये। उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था यह होगी वहां के थाने से एस.पी. से जानकारी कर लो। वह गरीब वहां से सारा कुछ करवा कर यहां आते हैं, रिकार्ड यहां आता है। यहां पड़े रहते हैं साल-साल, दो साल के लिए। उसका हथियार है वह आपके थाने में पड़ा रहेगा। पड़ा-पड़ा वह खराब हो जायेगा या किसी बंदूकधारी लाइसेंसी होता है उसके पास में जमा रहेगा वह उससे किराया वसूल करता रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि गम्भीरता से लेकर इसको रिव्यू निश्चित तौर पर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता जो मेरे जिले के थे, माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी जिक्र भी आया कि डबल मर्डर हुआ है कल ही, जिसमें एक अभागिन लड़की थी और साथ में कोई आदमी मरा वह उसका कोई बाप नहीं था, बुजुर्ग था। लड़की कोई अनाथ थी। छोटी बच्ची को ऐसे अकेले घूमते हुए उसने पास में रखा, उसको पाला-पोसा, उसको बड़ा किया। और सबसे जघन्य अपराध यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि दोनों का मर्डर हुआ और मर्डर होने से पहले उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। यह घटना कल की है। मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे थोड़े महीने पहले इसी जगह पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जहां इस वार्ड में कमिट हुआ, यहां एक मर्डर पहले हो चुका था। और इसी वार्ड के अंदर, जैसा संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हिसार के जो कैदी भाग गये थे वह यहां इसी जिले में पकड़े गये। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जिला मुख्यालय पर इस किस्म की घटना बारबार हो और अन्ट्रेस्ड रहे और उसका काज है उसको हम नहीं पकड़ सके यह हमारे लिये शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 बातें और निवेदन करना चाहूंगा। संगरिया पुलिस स्टेशन में केस नम्बर 594/99, 304 बी. 498 ए और 406 में केस रजिस्टर हुआ एक दहेज हत्या का मामला था। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, आपसे निवेदन कर सकता था, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बात बता देना

(श्री रामप्रताप)

चाहता हूं कि इतने क्लीयर किस्म के केसेज हैं, इस किस्म के क्राइम्स हैं जिसमें कहीं अनुसंधान की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नहर के अंदर उस लड़की को डूबना बताया। यह बड़े शर्म की बात है वहां के आई.ओ. के लिए कि वह लड़की 6 बजे नहर में गिरती है, 9 बजे नहर बंद होती है उसकी जीरो रीडिंग है। उसका रिकार्ड देख सकते हैं इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से और 30 किलोमीटर दूर उसकी शाम को डैड बाडी मिल रही है यह कोई सम्भव बात है क्या ? बंद नहर में डैड बाडी चल कर चली गई क्या वहां ? उसमें चालान पेश किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी सास नन्द दोनों अभी तक मिली नहीं है। एब्स्कांड किया है। 173 सी.आर.पी.सी. की धारा होती है उसके अंदर किया गया यानी कि इसमें अभी अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस केस में कहीं अनुसंधान की जरूरत है क्या What does this show ? इसका मतलब इन मुल्जिमों को बचाने की यह प्रक्रिया है, यह साफ नजर आता है इसको आप गम्भीरता से लें। इस किस्म के जो केसेज होंगे उसमें हम अपने आप को क्यों नहीं सोच करके देखते। पुलिस अधिकारी अगर हायर लेवल पर जाकर इस तरीके से आंखें मूंद कर बैठेंगे तो क्राइम्स बढ़ेंगे घटेंगे नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिक्र भी किया आपके पुलिस गश्त या इस नाम से टी.वी पर कोई प्रोग्राम आता है। रावतसर का किस्सा है इस किस्म के मनघडंत किस्से बना करके प्रचार किया जाता है उससे एक किस्म की घृणा होती है। हकीकत में मानना उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि बावरी जाती के लोग पंजाब पास में पड़ता है अबोहर से पकडे गये थे। जरायमपेशा लोग थे उनका काम है कपास और नरमे की फसल होती है तो साइड पर कहीं क्विंटल, कहीं आधा क्विंटल चोरी कर लेते है। अब फसल के टाइम पर कहीं अन्य चोरी कर लेते हैं। उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस स्टेशन में 60-70 जितने भी केसेज थे कूटकूट करके उनसे हां करा ली। अब मन्नें थे लट्ठ पकड़ा दियो कूट-कूट के थांसे कियां नी हां करा ल्यूं। और जब अखबारों में दिया गया कि यह-यह केसेज पकड़े गये हैं और चोरियां पंजाब और हरियाणा दूसरे स्टेट की थीं वहां से पुलिस आई। पुलिस उनको मौका तफतीश के लिये ले गई उन्होंने कुछ किये ही नहीं वह कहां से उसको कन्फर्म करते। इस किस्म के केसेज रजिस्टर किये जा रहे हैं। इसी तरीके से वहां एक सुनार जो पकड़ा गया। चांदी की चोरी उसने निश्चित तौर पर की थी उसने इस बात को भी माना कि मैंने मेरठ में ले जाकर बेची थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरठ में ले जाकर बेची थी

(श्री रामप्रताप)

तो वहां मेरठ में जिस आदमी को दी थी कानूनन वारंट लेकर जाना चाहिए था उसके पास में उसको अरेस्ट करने के लिए। मैं आरोप लगाता हूं कि बहुत बडा धन्ना सेठ था तो पैसे लेने के चक्कर में यहां से पुलिस वाले जाते हैं टाटा सूमो और दो–तीन गाड़ियां ले करके। वहां जाकर उस सेठ से, सुनार से बात की। वहां का काफी प्रभावशाली आदमी था। मैं नहीं कहता कि वह चोर था। हो सकता है उसका बहुत बड़ा कारोबार हो और 5-7-10 किलो चांदी उसके लिए रूटीन में हो सकती है तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि वहां पर पुलिस के साथ में जो व्यवहार हुआ उसमें एक कांस्टेबल तो सीरियसली इंजर्ड हुआ और हरियाणा का रहने वाला था। रामस्वरूप उसका नाम था। उसको कई दिन तक उसके गांव में रख कर उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। आपको इस नजारे का जो फोटो है टाटा सूमो उल्टी हुई स्थिति में दैनिक जागरण में और इन अखबारों में आई है, और ऐसे–ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं। वह यहां इनाम लेने के लिए पुलिस की गश्त और इस किस्म के नाटक करते है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यहां पर एक शर्मनाक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले साल के सत्र में मैंने इसको स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाया था, ग्राह्य नहीं किया गया। मुझे कहते हुए इस बात के लिए शर्म आती है यह नोहर पुलिस स्टेशन का मामला है 20 जनवरी, 1999 की घटना है। एक माइनर लड़की के साथ रेप ही कमिट नहीं किया गया। साथ में उसका अब्डक्शन किया गया। मौके पर पुलिस गई है। शाम का 5-6 बजे का टाइम है। लड़की को बंद ताले में से ताला तोड़ कर पुलिस ने बरामद किया। लड़की बिलकुल ही बदहवास

(21.00 बजे)

स्थिति में थी। निश्चित तौर पर यह एक खतरनाक घटना उसके साथ में थी कि वह सारे हालात बयान नहीं कर सकी। बाद में जब उसने अपनी मां को बताया मेरे साथ यह घटना भी घटित हुई है, दूसरे दिन उसके बाप ने दुबारा एफ.आई.आर. करवायी। लड़की का मुआयना किया गया। मुआयने के अंदर जो भी रेप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वह तमाम् उसमें मिले हैं सीमन रप्चर के डैड स्पर्म मिले हैं उसमें। उसके अण्डरगार्मेंट पर सीमंस के स्टेंस मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, रेप किसको कहते हैं और क्या चीज चाहिये थी। इसके साथ–साथ में जब पुलिस उसको ताला तोड़कर निकाल कर ले आती है 50-60 आदमियों के सामने, तो क्या यह अब्डक्शन नहीं है ? उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 15-20 दिन तक कार्यवाही नहीं हुई। अखबारों में जब यह केस सारा का सारा प्रकाशित हुआ उसके बाद में तकरीबन 25 दिन के बाद में 15 जनवरी को तत्कालीन एस.पी. ने इसकी

(श्री रामप्रताप)

सारी बात की रिपोर्ट मांगी और जब इसको माइनर बताया गया है। एफ.आई.आर. के अंदर तब उन्होंने उसका स्कूल का सर्टिफिकेट मंगाया और स्कूल सर्टिफिकेट में उस बच्ची की उम्र साढ़े चौदह साल बतायी गयी है। एस.पी. ने इसको गंभीरता से मानते हुए डीवाई.एस.पी. से स्पष्टीकरण मांगा। फिर मुल्जिमों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिये आदेश दिये। एक एस.पी. जिला मुख्यालय पर बैठा, पुलिस सीट है, वह इसको गंभीरता से लेते हुये और डीवाई. एस.पी. को यह डायरेक्शन देता है और स्पष्टीकरण भी लेता है उसके बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टे उसके दबाव से धमकाकर उसके बाप से एफिडेविट लिया जाता है। 164 में लड़की के बयान किये जाते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक माइनर लड़की अगर केसेट भी दे देती है तो क्या वेलेडिटी है उसकी ? गृह मंत्रीजी, उसकी वेलेडिटी है क्या ? तो फिर उसके बाद में उस केस में एफ.आर. कैसे लगी, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जब मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया तो उसके बाद में किसी आई.पी.एस. अधिकारी से उसकी जांच करवायी गयी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना जमीर से गिरा हुआ कोई इंसान नहीं हो सकता है। यह तमाम् इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं और अंडर लाक एण्ड की से उस लड़की को बरामद किया गया हो उसके बाद में उस डी.एस.पी. को कोई माफ नहीं कर सकता लेकिन वह फाइल शायद ,बस्ता-ए-खामोशी में लगा दी गयी है और इसमें एफ.आर. लगा दी गयी। इस किस्म के क्राइम्स होंगे, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, आपको कौन शाबाशी देगा। कौन आप पर विश्वास करेगा। यह वही आदमी है जो सन् 1984 में, जैसा पूर्व में जिक्र हुआ है बैंक डकैती दिखा करके और डाकू को मार कर रातों रात प्रमोशन लेकर के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होते हुये एक साल तक इंस्पेक्टर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी करूंगा। आप मेरे से वरिष्ठ हैं। मैं खुले रूप में यह कहना चाहता हूं न उस आदमी का दारू का बैल है, न उसको बीड़ी, सिगरेट का बैल है। कई दफा बड़ा अचम्भा होता है कि इतने पैसे का करेगा क्या वह। अगर आदमी की कोई कमी है तो खाने पीने के लिये थोड़ा बहुत ले ले। अनापशनाप पैसे लिये जा रहा है और इस पैसे के जोर के ऊपर वह आदमी यह गश्त, पुलिस और फल नाटक कर करके दुबारा पुनः प्रमोशन लेना चाहता है। पूर्व वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया है। अगर मैं कही गलत हूं तो जो सजा आप देंगे, अपने मुंह से देंगे, वह सजा को लेने के लिये तैयार हूं। आज तक मेरी जानकारी के मुताबिक बोसनिया तो वह इंसान जरूर

(श्री रामप्रताप)

गया है। डेपुटेशन पर आपकी पुलिस जाती है। अन्यथा शायद ही, अगर इतनी लम्बी सर्विस के अंदर कोई 4-6 महीने कहीं चला गया होगा, उस आदमी ने यह दोनों जिले नहीं छोड़े। क्या खासियत है उस इंसान में कि उस इंसान ने, उसका ट्रेक रिकार्ड इस किस्म का है। मैं एक—एक शब्द कह रहा हूं, ऑन ओथ कह रहा हूं। यह घटना, मैं इस इंसान की ओर जिक्र करना चाहता हूं। क्योंकि मैं आपना दायित्व समझता हूं। मैं शायद यह बात कर करके, एक पुण्य कर रहा हूं। इस इंसान ने, फसल काटने के टाइम में बाड़मेर, जैसलमेर से हमारे यहां पर लोग आते हैं। वह गरीब आदमी थोड़ा—बहुत खर्चे पानी के लिये, थोड़ा अफीम साथ में ले आते हैं जैसा माननीय गृह मंत्रीजी, I concede him the most efficient and competent minister. He knows it very well. इसमें कहीं छिपाने की भी जरूरत नहीं है। चाहे माननीय सदस्य ने जैसा जिक्र किया कोई एक्साइज के केस बनाने हो, कोई आर्म्स एक्ट के केसेज बनाने हो, तो यह जो होशियार लोग होते हैं, यह इतने केसेज लाकर दो, यह अपनी खानापूर्ति करते हैं।

इसी तरीके से मेरे क्षेत्र में बाप्पासारणा एक गांव है। वहां पर एक शख्स है, वह यह धंधा करते हैं। इस श्रीमान् ने कहा कि केस की जरूरत है कोई केस दो, बोले, आज आ जाना। आज मेरे पास एक आदमी बाड़मेर का है वह लेकर आयेगा। वह बाड़मेर वाला आदमी जिस गांव में था तो एक—दो से दोस्ती भी हो जाती है। वह कहने लगा कि मैं आज बाप्पासारणा जा रहा हूं तो वह सरदार साथ में हो लिया कि मेरे साइकिल का पंचर निकालना है, मैं भी साथ चलता हूं। यह हकीकत है। वह दोनों वहां आते हैं, चाय की दुकान है उसकी, वह सरदार साइकिल का पंचर निकालने के लिये साइकिल देकर वहां उसके बाहर बैठ जाता था और वह बाड़मेर वाला आदमी अंदर जाकर इनका अपना कोई लेन—देन कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस, क्योंकि तयशुदा मामला था आ जाती है। उसको पकड़ लेती है। अब बाड़मेर वाले गरीब से उसको क्या मिलना था। साथ में उस सरदार को भी पकड़ लिया। उस आदमी से पैसे एक्सटोर्ट करने के लिये उसको इस तरीके से टार्चर किया गया। दोनों पैर इकट्ठे करके पालथी मार कर झटका दिया। यहां से दोनों टांगें उसकी टूट गयीं। फिर भी दो हजार रुपये ले करके उसको छोड़ा। वह परिवार इतना शरीफ जिसका आप अंदाज नहीं कर सकते। वह घर बैठा इलाज कराता रहा। नोजवान लड़का था। 22 साल की उम्र थी उसकी। छह महीने के बाद में क्योंकि मेरी क्लिनिक थी, मेरे पास में आता है। जब मैंने उसका एक्सरे कराया एक साइड् का, तो उसका यहां से टूटा हुआ था। क्योंकि टूटा हुआ

(श्री रामप्रताप)

टेढ़ा जुड़ा हुआ था हमने दूसरी साइड का एक्सरे करवाया। दूसरी साइड भी टूटी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी बाकी पड़ी है, आप जयपुर जाकर उसका दुबारा आपरेशन करवाकर उसका इलाज करवा सकते हैं। तब उसने हाथ जोड़ लिये। बोला, साहब पांच बीघा जमीन थी मेरी। मैंने इधर-उधर से दूसरे लोगों से देशी इलाज करके मैं एडजस्ट कर चुका हूं। आज की तारीख में वह झंडेवाले गांव में एक लाठी के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इस किस्म के अधिकारी आपके, आप अगर फैक्ट्स लें, उसका नाम लें, उसकी डिटेल लें, या चाहे तो उस व्यक्ति को मैं यहां आपके सामने लाकर पेश कर सकता हूं। ऐसे-ऐसे अधिकारी आपके यहां बैठे हैं तो हम कहां उम्मीद कर सकते हैं। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, लादिये को क्या फर्क पड़ेगा। उसके लिये तो सारे ऐसे हैं यह अधिकारी इस किस्म के रहेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। गांव में बैठा है उस गरीब को क्या लाभ मिलेगा।

तो मेरी आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से गुजारिश है कि तमाम् बातें जो मैंने निवेदन की है कम से कम आप इनके तथ्यों को देख करके, अगर कहीं गलत हूं तो सजा का हकदार होऊंगा मैं। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की करतूतों का एक पक्ष सदन के सामने आया है, मैं मेरी बात लीक से हटकर कहना चाह रहा हूं... (व्यवधान) मेरी खासियत है कि जिस बात पर कहता हूं उस पर रुकता ही नहीं हूं।

एक मुल्ला ने पुलिस की परिभाषा दी कि गुंडों के सुसंगठित गिरोह को पुलिस कहते हैं। एक मुल्ला ने...(व्यवधान) जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े क्रिमिनल के प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने तो परिभाषा की कि पुलिस उस संस्था का नाम है यानि पुलिस सुसंगठित गिरोह है गुंडों का। मानव अधिकार आयोग ने कह दिया और यदा-कदा आप भी कहते रहते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर। रामस्वरूपजी, आप उधर आ जाओ ना थोड़ी देर। आप इनके, इन मंत्री महोदय के पास बैठ जाओ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मानव अधिकार आयोग ने कह दिया और हमारे गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी चाहे वह पहले वाले मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे आज के हों, चाहे आपके गृह मंत्री हों, चाहे पिछले गृह मंत्री हों, उनके रोज बयान आते रहते हैं कि थानों को मंदिर बनाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस बिलकुल ईमानदार

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है। लेकिन पुलिस को जिस परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, अगर आपने थानों को मंदिर बना दिया तो पुलिस का रहा-सहा मनोबल भी टूट जायेगा और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो जायेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे यहां एक वाक्या हुआ। दिल्ली का कुख्यात बदमाश था चंद्रकांत पंडित, मोस्ट वांटेड में भी उसका आया था। एक है निरंजन आचार्य, जो भिवाड़ी में अपना अड्डा बनाकर रहता है। निरंजन आचार्य भिवाड़ी की पुलिस में इतने आदमी लाया और उसके पास ऐसे वेपन थे कि थाने में कोतवाली में जितने पुलिस वाले थे सबको बंद करके और चाबी फेंक कर चला गया। दिल्ली पुलिस का एक हैड कांस्टेबल जो अपने आप में महान निशानेबाज बनता था। मेरे टपूकड़ा के पास हिन्दौर की पहाड़ियों में चूहड़पुर की पहाड़ी में चंद्रकांत पंडित शरण लिये हुआ था। दिल्ली की जासूसी पुलिस ने उसका पीछा करके पता लगा लिया। दिल्ली पुलिस के उस हैड कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस ने सलाह दी कि कुख्यात बदमाश है, उसके पास आधुनिकतम हथियार हैं, तुम अकेले मत जाओ। वह ओवर कांफिडेंस में अकेला चला गया। उसके पास वह वेपन था जिस पर दूरबीन लगी हुई थी उसको गोली मार दी। और वह वहां से फरार हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है कि जो चंद्रकांत पंडित के साथी पकड़े गये थे, वह तो फरार हो गया। उनको जब टपूकड़ा पुलिस तिजारा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया तो मैं वहीं मौजूद था। उस मुंसिफ मजिस्ट्रेट तिजारा ने यह टिप्पणी की और उसने उस एस.एच.ओ. को इतना जलील किया कि तुम इसको हथकड़ी लगाकर क्यों लाये। इस किस्म के जो संगीन अपराधी हैं, जो संगीन जुर्म करते हैं जब वह एस.एच.ओ. बाहर आया तो सब वकीलों के सामने उसने अपनी यह दास्तान बतायी, दुःख बताया, कि अगर मैं इसको हथकड़ी लगाकर नहीं लाता और इसने अगर चढ़कर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट का गला ही दबा दिया तो मैं तो तब भी मर गया और अब भी मर गया। और यह कहा मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने, उस जुडिशियल अफसर ने कि आज के बाद अगर इन मुल्जिमों को मेरी अदालत में हथकड़ी लगाकर के लाया गया तो मैं तेरे खिलाफ पुलिस के उच्चाधिकारियों को लिख दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है उनमें सख्ती भी करनी पड़ती है। आप चाहे कानून में सीआर.पी.सी., आई.पी.सी. में, चाहे पुलिस एक्ट में कुछ भी ना लिखे लेकिन जो शातिर अपराधी हैं, उनसे आप बरामदगी कैसे करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पी.जी.कोलेज का प्रिंसिपल है, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, जो सेशन जज है वह अगर बाजार से निकल जाये तो उसको कोई सलाम इसलिए

(श्री जगमाल सिंह यादव)

नहीं करता कि उसके पास डंडा नहीं है। एक नायब थानेदार या पुलिस के सिपाही को केवल इसलिए सलूट पड़ता है कि उसके डंडे में जोर है। और यह आज की बात नहीं है आदिकाल से और आज और भविष्य में आने वाले राज में माइट इज राइट का सिद्धान्त था, है, और रहेगा। ऐसे-ऐसे संगीन अपराधियों से अगर हलवा खिलाकर, कानून की दुहाई देकर बरामदगी करना चाहें, उनसे और डकैती और चोरी छानना चाहें तो वह बता देंगे क्या ? और फिर हमारी पुलिस किन परिस्थितियों में काम कर रही है। हमारी पुलिस के पास-आप ज्यादा से ज्यादा डीजल की जीप दे देते हैं। और जो अपराधी हैं वह या तो टाटा सूमो में आते हैं या जिप्सी में आते हैं उनका पीछा कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, साथ ही साथ सुझाव भी देता चल रहा हूं गृह मंत्री महोदय, हर थाने में कम से कम एक जिप्सी पेट्रोल की गाड़ी होनी चाहिये, जो अपराधियों को कारगर ढंग से पीछा कर सके। मैं आपसे अपील करूंगा कि हर थाने को एक-एक पेट्रोल की गाड़ी दें। आपने गाड़ी कहां दे रखी है, विकास अधिकारीजी को गाड़ी, महिला बाल विकास के अधिकारी को गाड़ी, तहसीलदार को आपने गाड़ी दे रखी है, डी.आई.जी. स्टाम्प को अपने गाड़ी दे रखी है। उन लोगों को गाड़ी दे रखी है जिनका गाड़ी से दूर-दूर का भी रिश्ता नहीं है। लेकिन चूंकि वह आर.ए.एस. अफिसर हैं, वह आई.ए.एस. आफिसर हैं इसलिए उनको गाड़ी मुहैया करा दी जाती है। पुलिस का जो थाना है जिनको लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन करना है, उनके पास कई थानों में तो गाड़ी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है कि फिफ्थ पे कमीशन की बात आप कर रहे हैं। एक प्राइमरी का टीचर जिसको 10 साल नौकरी करते हो गये, उसका 15 हजार का वेतन आपने कर दिया। पुलिस को क्या दिया ? पुलिस में रहने के लिये क्वार्टर भी नहीं है। पुलिस का जो मैस भत्ता है वह भी नाकाफी है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि अगर पुलिस का मनोबल बढ़ाना है तो पुलिस को वह सुविधाएं मुहैया करायें, मैं टीचर की भूमिका को इस समाज में नकार नहीं रहा हूं, लेकिन चूंकि लॉ एण्ड-आर्डर का काम और 24 घंटे की ड्यूटी है। कहीं कोई 12 बजे, 1 बजे रात को अगर सूचना दे दें कि फलां गांव में डकैती हो गयी, चोरी हो गयी तो उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिला अपराधियों का जिला नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि अलवर जिला स्वर्ग है, लेकिन अलवर जिले में जितने अपराध होते हैं वह माननीय कृषि मंत्रीजी का जो मूल स्टेट है, 90 परसेन्ट अपराध करके हरियाणा के लोग हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं। हरियाणा में जब

(श्री जगमाल सिंह यादव)

गुड़गांव में, फरीदाबाद में कोई मजबूत पुलिस अफसर आता है तो वह बुलाकर अपराधियों की एक मीटिंग लेता है कि तुम हमको तो माफ करो और अब अलवर जिले में प्रवेश कर जाओ। अगर तुमने हरियाणा में अपराध किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा। वह उनको पकड़ता नहीं है वह उनका पलायन करा देता है। अलवर में, होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि थाने में आपने 14 का स्टाफ दिया है। चार आदमी तो पहरा देने वाले हैं। कानून को जो फालो करने वाले लोग हैं अगर कोई एक भी सिपाही कहीं थाने में नहीं है, जो कानून की कद्र करते हैं, जो कानून को फालो करने का काम करते हैं, वह तो बिना पुलिस के भय के भी करेंगे। लेकिन होम मिनिस्टिर साहब जो अपराधी हैं, जो अन सोशल एलिमेंट हैं वह आपके सख्त थानेदार से डरेंगे। अगर आपने कोई टीचर थानेदार बैठा दिया जो आई.पी.सी. पढ़ता रहा, जो सी.आर.पी.सी. पढ़कर मुल्जिमों को बताता रहा तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। गुडों को, बदमाशों को अन सोशल एलिमेंट की भाषा में वह कहते हैं कि थानेदार बहुत बदमाश आ गया। क्योंकि थानेदार उनकी कूटपीट करता है, मारपीट करता है। इसलिए अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। इसलिए पुलिस का जो रूप है, जो कहते हैं और भी बयान देते हो, मुख्य मंत्रीजी भी देते हैं, पहले की सरकारों ने भी दिये हैं, मानवाधिकार आयोग भी चाहे कोई परिभाषा कर ले, और चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील कोई भी परिभाषा कर ले, अगर पुलिस का यह रोल आपने खतम कर दिया तो ना तो आप सुरक्षित रहेंगे, ना हम सुरक्षित रहेंगे। पुलिस के पास डंडा तो होना चाहिये। लेकिन पुलिस अधिकारियों से भी मेरा एक निवेदन है कि उस डंडे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। उस डंडे का नैतिकता के साथ अपराधियों के लिये उपयोग होना चाहिये। जैसा डाक्टर साहब कह रहे थे, उन गरीब, बेगुनाह और जो निर्दोष हैं उनके साथ पुलिस का यह डंडा ज्यादती नहीं करे यह भी गारंटी आपको देनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आई.एस.आई. का जिक्र अभी सदन में हुआ। मैं अलवर जिले से आता हूं, मेवात का जिला है। मेवात केवल अलवर जिले में रामगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, अलवर, डीग, नगर, कामां यहीं तक नहीं हैं, हरियाणा का और दिल्ली का जो इलाका लगा हुआ है। तावडू, नूह, सोहना, फरीदाबाद, हतीम यह एरिया भी जुड़ा हुआ है। यह सही है कि कारगिल आपरेशन के समय भारतीय इंटेलीजेंस को और हमारी राजस्थान की पुलिस को यह सूचना लगी कि अलवर जिले और अलवर जिले से जो लगता हुआ इलाका है मेवात का, हरियाणा का इससे संदेश जा रहे हैं और वायरलेस सैट पर संदेश पकड़े गये। लेकिन माइनोरिटी के उन लोगों को जो देश भक्त हैं उनके नाम

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पर अगर कोई ऊंगली उठाता है तो यह इस मुल्क को तोड़ने की बात है। यही नहीं उसमें हिन्दू भी हैं, गोठड़ा का अशोक यादव जो आई.एस.आई. का एजेन्ट मिला है और यही नहीं खेड़ला का जो इदरीस पकड़ा गया है जिसका जिक्र हो रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, उसी के पार्टी के लोगों ने, उसी गांव के लोगों ने उसकी सी.आई.डी. दी और पुलिस के हवाले किया। जो काशी की बात करते हैं, जो कांग्रेस का जनरल सैक्रेटरी था, यह सही है कि वह कांग्रेस का जनरल सैक्रेटरी है लेकिन वह जो गिरफ्तार हुआ है बाजोट का, उसका आरोप लगा है कि कृषि मंत्री के घर पर ठहरा है, बिलकुल सरासर गलत है। मैं जानता हूं ये हरियाणा के रहने वाले थे, आज राजस्थान में मंत्री बने है। पिछली बार कामां, राजस्थान से एम.एल.ए. बने लेकिन इनकी कद्र, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि इनके अहसान हैं, इनके बाप का और इनका नाम उन लोगों में है जो नेहरू के जमाने के, नेहरू के सिद्धांतों का पालन करते थे। देशभक्त हैं और इन लोगों ने इस देश को सेक्यूलर बनाने का काम किया है और इनसे ज्यादा, अगर इनकी देश भक्ति पर कोई इन्सान ने शंका की तो इस देश में कोई माइनोरिटी का आदमी देश भक्त हो ही नहीं सकता, जो बात रखी गई, मोशन रखा, यह सही है कि टुच्चे-पुच्चे लोग आरोप लगा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि, मैं बी.जे.पी. पर दोषारोपण नहीं करता, लेकिन इनका एक सूत्री प्रोग्राम है कि जब तक साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे हमारा वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये प्रयास करेंगे, चाहे पीपाड़ में हो, चाहे तीन साल के बछड़ों को फलौदी में रोकने के लिए किसानों को मार दिया हो, वह अन सोशल एलीमेंट चाहे बी.जे.पी. से जुड़ा हुआ हो चाहे नहीं जुड़ा हुआ हो, फितना फिसादी लोग जो सूबे के अमन चैन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते है, सीधी लाइबिलिटी आपने डाली हुई है। और मैं पुनः कहता हूं, सख्ती से कलेक्टर और एस.पी. पर यह लाइबिलिटी डाल दें कि अगर कहीं साम्प्रदायिक दंगा हुआ, चाहे मर्डर हो जाएं आपसी विवाद में, चाहे कितने ही अपराध हो जाएं लेकिन अगर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं किसी जिले में तो सख्ती से आपको, सरकार को, एस.पी. को और कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का भी एटीट्यूड है कि एक सिपाही की अगर किसी आदमी ने शिकायत कर दी, एक नजरिया बना हुआ है कि हमको उसका प्रोटेक्शन करना है। अगर सिपाही की कहीं शिकायत कर दी, अगर किसी थानेदार की शिकायत कर दी, किसी डीवाई.एस.पी. की पुलिस अधिकारी की शिकायत कर दी तो जो जांच एस.पी. करेगा। जो जांच एडिशनल एस.पी.करेगा, जो डी.आई.जी. करेगा, आई.जी.

(श्री जगमाल सिंह यादव)

करेगा, वही नतीजा बिना अपनी बुद्धि अप्लाई कर डी.जी.पी. करेगा। राजस्थान का पुलिस महानिदेशक भी वही फैसला करेगा। तो जो प्रिजम्पशन है कि आम आदमी असत्य बोलता है, पुलिस का आदमी सत्य बोलता है, जो विभागीय प्रोटेक्शन देने की बात है। अगर इसको खतम कर दें तो शिकायत से डरेंगे। आम आदमी अगर शिकायत करेगा तो आपकी सरकार का जो वायदा है कि हम सरकार देंगे पारदर्शी, हम सरकार देंगे ईमानदार, हम भ्रष्ट को बख्शेंगे नहीं। खासकर पुलिस की शिकायत करते हुए आदमी डरता भी है। वह जानता है कि आना जाना तो कुछ नहीं. फिर इसी इलाके में रहना है। जैसा संयमजी कह रहे थे फिर किसी एक्साइज एक्ट का केस लगाएंगे, जैसा डाक्टर साहब कह रहे थे, अफीम का केस लागाएंगे और भी नहीं हुआ तो कहीं से 80 रुपये में नाजायज कट्टा खरीदकर आर्म्स एक्ट का केस लगा देंगे। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि पुलिस के अफसर की जो शिकायत आती है, चाहे दूसरे अधिकारियों की शिकायत इतनी गम्भीरता से ले या न लें, लेकिन आम आदमी को प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से और पुलिस में जो ऐसे गंदे लोग घुस गए, जो भ्रष्ट लोग घुस गए, आपका भी दायित्व बनता है होम मिनिस्टर साहब, कि उसकी जांच आप ईमानदार पुलिस अफसर से कराएं और पुलिस अफसर से भी मेरा निवेदन है कि वह निष्पक्ष जांच हो, केवल इसलिए उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए कि वह पुलिस का कर्मचारी है इसलिए इसको बचाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एन्टी करप्शन की बात आपसे करना चाहता हूं। मैंने पिछले सत्र में एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने ऐसे मुकदमे हैं जो पुलिस ने तो जांच कर ली और सरकार की इजाजत के बगैर जिनका चालान पेश नहीं हो सका। आशुतोष गुप्ता भार्गव था, दो साल पहले 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आई.ए.एस. था, उसको सात-आठ महीने, आपने रिइंस्टेट कर दिया, उसे बहाल कर दिया। मैं चाहता हूं कि सात-आठ महीने,जो अधिकारी रंगे हाथ पकड़ा जाए उसकी तो प्रोइमाफेसी जांच करने की भी जरूरत नहीं है, रिइंस्टेट क्यों कर दिया ? अगर आप इसी तरह रिइंस्टेट करते रहे, फिर पटवारी को मारते रहे और कानूनगों को पकड़ते रहे और बाबूओं को पकड़ते रहे और आई.ए.एस. जो 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, अगर आपने पुनः बहाल यह कह कर दिया कि लम्बी इंक्वायरी चलेगी, रिइंस्टेट कर देते हैं, अण्डर पेंडिंग इंक्वायरी रखते हुए, तो कौन आपके कानून पर भरोसा करेगा होम मिनिस्टर साहब ? बी.के. मीणा, गरीब तबके का था। भैरोंसिंहजी के राज में महिला बाल विकास में उस पर चार्ज लगा। कोई उसका प्राथमिक साक्ष्य नहीं था, उस आई.ए.एस. को अपने काल कोठरी में बंद

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कर दिया, वह आई.ए.एस. नहीं था ? वह आई.ए.एस. था। इसलिए हमारे दिमाग में एक भावना पैदा हो जाएगी डिप्टी स्पीकर साहब, कि जो ऊंची जाति का कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, अगर वह अपराध करता है तो कानून के ये रखवाले उसको बचा लेते हैं, निम्न तबके का हो, चाहे मीणा हो, चाहे एस.सी. हो, चाहे ओ.बी.सी. हो, वह अगर अपराध करता है तो उनको रगड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसने सस्पैण्ड किया, किसने रिइंस्टेट किया ? मेरे क्षेत्र में अकील अहमद नाम का तहसीलदार था जो आजकल एस.डी.ओ. हो गया। आर.ए.एस. में पांच साल हो गए। पुलिस ने उसे दोषी करार दे दिया लेकिन राजस्थान सरकार, पहले तो इन्होंने इजाजत नहीं दी और अब आप अपनी इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं ? अगर उसकी जांच सही नहीं हुई हो, अगर आपको उसे बचाना ही है तो वैधानिकता का जामा तो पहना दें, उसकी दूसरी जांच करवा लो, अगर वह निर्दोष साबित होता है, कोई तो मुल्लमा लगाओ, कोई तो राजस्थान की जनता में ऐसी चीज दिखाओ, पक्षपात भी करना हो तो ढंग से करो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि एन्टी करप्शन ही मुकदमा दर्ज क्यों करती है ? पुलिस को भी यह अधिकार है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिसके पास ज्ञात स्रोतों से आय ज्यादा है, वह अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रही है, कोई बैन है क्या ? आई.पी.सी. में वे सब सैक्शन हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होने चाहिए, फिर आपके एन्टी करप्शन में ही मुकदमा दर्ज क्यों करवाते हैं ? यह आपकी पुलिस क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करती ? लोकल पुलिस भी मुकदमा दर्ज करे, यह मेरा आपसे आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, लालबत्ती की बात बार-बार आती है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के चुने हुए सदस्य, एम.एल.ए. को क्या आपकी और पुलिस अपराधी मानती है ? आप भी हम में से हैं, जितने मंत्री परिषद् के सदस्य बैठे हैं, पहले वह एम.एल.ए. हैं, बाद में मंत्री परिषद् के सदस्य हैं। हम एम.एल.ए. आपसे लालबत्ती लगाने का अधिकार इसलिए नहीं मांगते हैं कि आपकी लालबत्ती, लाल झण्डी छीन लें। हम केवल इसलिए मांगते हैं कि रात के समय जब हम लोग नेशनल हाई वे पर चलें तो ट्रक हमको आसानी से साइड दे दें, हम इसलिए मांगते हैं। एम.एल.ए. को आपने एक आदेश जारी कर रखा है कि अगर किसी को ग्रिवेंसेज हो तो अपने एस.पी. को लिख दे, नहीं तो होम मिनिस्टर को लिख दे, आपको सुरक्षा प्रहरी अलाउ करा देंगे, बाडी गार्ड अलाउ करा देंगे। किसी एम.एल.ए. ने लिख कर नहीं दिया क्योंकि हमको अपनी जान का खतरा नहीं है, हम असामाजिक अनसोशल एलीमेंट नहीं हैं।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

एम.एल.एज. को आपको अनसोशल एलीमेंट नहीं मानना चाहिए क्योंकि आप भी हमीं में से हैं चूंकि आप भी हमीं में से हैं, इसलिए हम केवल छोटी सी सुविधा आपसे मांगते हैं कि हमारी भी सुरक्षा हो जाए। लालबत्ती केवल इसलिए मांगते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत ज्यादा बत्तियां हो गई तो ट्रक वाले ही परवाह नहीं करेंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : यू.पी. का, हरियाणा का, जितने भी एम.एल.ए. हैं, जितने भी सांसद हैं, सब लालबत्ती लगा रहे हैं, आप किस–किस को रोकेंगे ? फिर यह धारणा क्यों है, आप यह मानकर क्यों चलते हैं ? प्रद्युम्न सिंहजी और मेरी हॉट टॉक्स हुई थी पिछले सत्र में; उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ जाएंगे। यानी आपका कहना यह है कि...(व्यवधान) इसका मतलब सरकार का यह मानना या प्रिजम्प्शन है कि एम.एल.ए. को अगर गाड़ी दे दी, लालबत्ती अलाउ कर दी तो ये दो सौ सदस्य...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : लालबत्ती की अनुमति नहीं होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आपका नम्बर आएगा। आर्डर–आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग बिना बोले ही विद्वान नजर आते हैं, अगर वे बोल देते हैं सदन में तो उनकी पोल खुल जाती है। इसलिए अटरू से आने वाले माननीय सदस्य से मैं चाहूंगा सदन छूटने के बाद मुझे बता दें। तो मैं लालबत्ती की बात कह रहा था। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और यह कोई अधिकार नहीं हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए आपको हमें अलाउ करना चाहिए।

अब मैं परिवहन पर आना चाहता हूं।...

श्री उपाध्यक्ष : उसी में लालबत्ती हो गई, अब क्या चाहिए आपको। वे लालबत्ती लगा रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी नजर–ए–इनायत होगी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, क्लेंडेस्टाइन आपरेशन का यहां जिक्र हुआ। यह सही है राजस्थान में क्लेंडेस्टाइन आपरेशन दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक पीड़ा यह भी है कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है और जो ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी होता है वो रोडवेज को अपनी विंग मानते ही नहीं। जब भी बाकोलिया साहब ने स्टेटमेंट दिया है या प्रेस में आप गये हो, चाहे सदन में स्टेटमेंट दिया है, आपने कहा है क्लेंडेस्टाइन आपरेशन को रोकने के लिए हमने इतने वाहनों का चालान किया, इतनी पैनेल्टी हमने वसूल की।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब मुझे यह विभाग संभलाया था 36 हजार कर्मचारियों को आई.एस.कावड़िया साहब, जो तत्कालीन चेयरमैन थे, उन्होंने घर बिठाने की नीयत और फैसला कर लिया था और वह टोटे में चल रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेहनत करके, मुझे मुख्य मंत्रीजी का सहयोग मिला, मैंने मेहनत करके 14 करोड़ रुपये में पहली बार आर.एस.आर.टी.सी. को मुनाफे में लाकर दिखाया। आज हालत क्या है, आप क्यों घोषणा करते हो ? मैं इज्जत करूंगा कि राजस्थान सरकार डी.पी.आर. के पत्रकारों को फ्री पास दे। मैं इसकी भी वकालत करता हूं कि छात्रों को रियायती दर पर पास मिलना चाहिए। मैं इसकी भी वकालत करता हूं कि समाज कल्याण विभाग के वे लोग, जो लाचार हैं, जो अपाहिज हैं उनको रियायती पास या फ्री पास देना चाहिए। मैं इस बात का भी हामी हूं जो स्वतंत्रता सैनानी हैं या जो सैनिकों का परिवार है, जो इस देश के लिए शहीद हो गये उनको भी फ्री पास मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए, आर.एस.आर.टी.सी. की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। आपने उसको एटोनोमस बॉडी बनाया, आपने उसको कारपोरेशन बनाया। कोई धर्मशाला है ? मुख्य मंत्री के जब जंचा तब घोषणा कर दी कि फलां-फलां को फ्री पास दिये जा रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि चाहे आप उनका जो लोड फैक्टर है राजस्थान सरकार पुनर्भरण करे, लेकिन राजस्थान सरकार रोडवेज को पैसा दे। आज हालत क्या हो गई ? रोडवेज का बकाया जिन विभागों पर है, आज तक पत्रकारों को फ्री पास की जो राजस्थान सरकार ने रियायत दी है वो बकाया है 373.36 लाख। स्वतंत्रता सैनानी, जो फ्री पास से यात्रा करते हैं, राजस्थान सरकार जिसके लिए वाहवाही लूटती है, रोडवेज को उसका वजन उठाना पड़ता है वो राशि है 25 करोड़ 38 लाख 28 हजार। इसी तरह से विकलांगों को रियायत देते हैं वो है 8 करोड़ 50 लाख रुपये। इस तरह से कुलमिलाकर 136 करोड़ 85 लाख 45 हजार रुपये रोडवेज ने कमाये लेकिन मंत्रियों ने मुख्य मंत्रियों ने अपनी थोथी वाहवाही लेने के लिए रोडवेज को घोटे में दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह 136 करोड़ रुपया जो 137 करोड़ के लगभग बनता है, आप पुलिस को रियायत दो, चाहे शिक्षा में दो, चाहे समाज कल्याण में दें, लेकिन आप राजस्थान की आर.एस.आर.टी.सी. को एक पत्र तो भेज दें, अगर आपके पास टोटा है और आप नहीं दे सकते हैं तो उनकी देनदारियों को स्वीकार तो कर ले। आप रोडवेज के एम.डी. को, चेयरमैन को यह पत्र तो भेज दें कि आपका इतना कर्जा इन-इन विभाग पर है और ये विभाग जब पैसे हो जाएंगे आपको दे देंगे, बैलेंस शीट बदल जाएगी। कहां है रोडवेज टोटे में ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रोडवेज तो आज भी 26 करोड़ के मुनाफे में चल रही है बशर्ते ये राजनेता इस कारपोरेशन का बुरा हाल न करें तो। अपनी वाहवाही के लिए, अपनी राजनीति के लिए इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाये। दूध की डेयरी से दूध फ्री दिला दो आप ? बिजली वालों से बिजली फ्री दिला दो ? जो भी और विभाग हैं, जो सब्सिडाइज रेट पर अपनी सुविधाएं देते हैं वे आपसे उनके लिए पैसा लेते हैं। रोडवेज बिना धणी का, बिना धोरी का एक ऐसा संस्थान है जिसने 136 करोड़ रुपये की राजस्थान सरकार के हुक्म से सवारियां ढोयी हैं और आज रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं और आप एक पैसा नहीं दे रहे हैं। 136 करोड़ रुपये की लेनदारियां रोडवेज की हैं राजस्थान गवर्नमेंट पर। अगर नहीं दे सकते है तो मैं यह चाहूंगा एक पत्र भेज दें कि इतने कर्जदार हैं, बैलेंस शीट बदल जाएगी और यह घोषणा सोच-समझ कर करें। अगर कोई पब्लिक का नुमाइंदा चेयरमैन आ गया तो आपको मना कर देगा और मैं चाहता हूं अगर रोडवेज के प्रशासनिक अधिकारी यहां बैठे हैं अगर उनमें जरा सा पानी हो तो राजस्थान सरकार के आदेशों को कूड़ेदान में फेक दें और किसी को फ्री पास नहीं दें जब तक उनका पिछला बकाया आप चुकता नहीं कर दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रोडवेज को अपनी विंग मानो। आप केवल ट्रांसपोर्ट विभाग से बड़ा मन लगाये बैठे हो, मेरे जमाने में भी उपाध्यक्ष महोदय, एल.एन. गुप्ता साहब होम सैक्रेटरी भी थे और ट्रासपोर्ट सैक्रेटरी भी थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मेटर आता था तो उसको छोटा समझते थे। मैंने भैरोंसिंहजी से कहा कि यह मेरे यहां नहीं चलेगा, इसके दिमाग में तो आसमान छूता हुआ होम डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास तो आता ही नहीं। इसलिए मेरे जमाने में मैंने ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी की पोस्ट अलग करायी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी से काम नहीं चले तो एक ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी का पद और क्रियेट कर लो, वो रोडवेज को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जानकारी के लिए कह दूं ट्रांसपोर्ट सैक्रेटरी अलग है।

श्री जगमाल सिंह यादव : 36 हजार आदमियों की तकदीर और भविष्य रोडवेज से जुड़ा हुआ है। मैं केवल अधिकारियों की बात नहीं करता, चेयरमैन और एम.डी. की बात नहीं करता, मैं रोडवेज की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे जुड़ा रहा हूं। मैंने 36 हजार आदमियों को, जो रोडवेज के कर्मचारी थे अपने जमाने में बर्बाद होने से और उनको नौकरी से निकालने के फैसले को ठुकरा दिया था जिसका मुझे प्रतिफल इस सरकार से इस्तीफा देकर देना पड़ा। लेकिन मैंने 36 हजार आदमियों को बेरोजगार नहीं होने दिया। इसकी वजह थी इस्तीफा देना। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक बैंरवा। हो गई ना, आपकी तारीफ बहुत कर ली आपने।

श्री जगमाल सिंह यादव : किसकी तारीफ की है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक बैरवा।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने मुझे समय दिया, इसके लिए शुक्रिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.एज. ने खाना खाया है, ये जो विधान सभा के कर्मचारी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, ये भी खायेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको खाना नहीं मिल रहा है, ये भूखे रहें यह अच्छा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सब व्यवस्था है, आप चिन्ता मत करो, सब व्यवस्था है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अधिकारियों को भी और कर्मचारियों की भी भोजन की व्यवस्था हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो। सबकी व्यवस्था है, आप विराजो तो सही। आप पहली दफे आये हो इसलिए मालूम नहीं, बाकी सबकी व्यवस्था है।

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग संख्या-16 के बारे में मैं अपने विचार सदन में रखता हूं। राज्य में पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष में उत्पन्न परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों को देखते हुए कानून-व्यवस्था को सुचारू व सुदृढ़ बनाये रखना ताकि आपराधिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के दायित्व का निर्वहन करना होगा। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही तथा कड़ी निगरानी की आवश्यकता है ताकि राज्य में सर्वत्र शांति और साम्प्रदायिक सोहार्द्र की स्थिति कायम रह सके। पुलिस प्रशासन को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना ताकि पुलिस एवं प्रशासन के मध्य सहयोग एवं समन्वय की दिशा में सरकार प्रयासरत हो। वर्तमान में उभरती हुई चुनौतियों को बदलते हुए परिवेश के अनुरूप पुलिस बल एवं संसाधनों में अभिवृद्धि और पुलिस की कार्यप्रणाली को जनसाधारण की अपेक्षाओं एवं आकाक्षों के अनुरूप ढालने हेतु राज्य पुलिस विभाग एवं सरकार का सतत् प्रयास करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विभिन्न अपराधों की विभिन्न भारतीय दण्ड संहिताओं में दर्ज करना दर्शाया है और उसकी तुलना की है, परन्तु अंतिम कार्यवाही का जिक्र और क्या प्रगति रही है वह नहीं किया है और तुलनात्मक आंकड़े बड़ी सफाई से पेश किये हैं। तुलनात्मक आंकड़ों का जिक्र इस प्रकार किया है। और वर्ष 1998 में डकैती के 148 मुकदमे और 1999 में 189 मुकदमे, लूट के मुकदमे 1354 और 99 में 1289, हत्या के मुकदमे 1514

(श्री अशोक)

और 1999 में 1520, इस तरह से बलात्कार के 1266 मुकदमे 1998 में और 1999 में 1198 मतलब कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि स्थिति ज्यादा संन्तोषजनक नहीं रही है। मेरा आग्रह है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, पुलिस जिम्मेदारी और ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करें। इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे। इस प्रकार से वर्ष 1998 और 1999 में स्थानीय विशेष अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण जो दर्ज किये हैं इन्होंने, उसकी स्थिति इस प्रकार है एक्साइज एक्ट में 1998 में 4346 मुकदमे दर्ज किये हैं और 1999 में 6150 कम से कम 2252 मुकदमे ज्यादा हुए हैं, जो एक्ट में 1998 में 4355 और 1996 में 560, इस प्रकार से 1381 मामले ज्यादा हुए हैं। आर्म्स एक्ट में 1998 में 1392 मुकदमे और 1999 में 1437 मुकदमे इस प्रकार से 642 मुकदमे ज्यादा हुए है। अपराध एवं अन्य मुकदमे इस प्रकार से ज्यादा ही बढ़े हैं। कोई खास पुलिस की प्रभावी कार्यवाहियां नहीं रही। अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न स्थानीय तथा विशेष अधिनियमों के तहत की गयी कार्यवाही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इस श्रेणियों के तहत अपराध एवं अपराधों की वृद्धि में अधिकतर जगह पर पुलिस द्वारा पूरा संरक्षण दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि पूरी पुलिस की मिलीभगत रहती है, इनकी देखरेख व जानकारियों में होता है यह सारा काम, जो सार्वजनिक होता है तो उसको यह दर्ज कर लेते हैं और जो गुपचुप चलता रहता है, वह इनकी देखरेख में, इनके संरक्षण में चलता रहता है और आंकड़े तो सार्वजनिक हैं। ऐसे अपराध तो प्रदेश में चार गुने बढ़ रहे हैं। जुआं, शराब, कालाबाजारी बढ़ रही है। सभी माननीय सदस्य एवं प्रदेश की जनता में जगजाहिर है कि अपराधों में कोई खास कमी नहीं है। इनकी कार्यवाहियां, इनके आंकड़े इस तरह से पेश होते हैं कि मैं समझता हूं कि जनता बड़ी दयनीय स्थिति में है। पिछले आठ साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो स्थिति भयावह थी परन्तु हमारी सरकार एक साल से, डेढ़ साल से काम कर रही है। कमी तो हुई है, परन्तु कारगर उपाय इस तरह के नहीं हुए कि ज्यादा संतोषजनक स्थिति हम मानें। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि अपराध बढ़ रहे हैं। कोटा, झालावाड़, जयपुर के सीमाव्रती जिलों में अधिकतर शराब के ठेकेदार पुलिस से मिले हुए हैं, पुलिस एजेंट की तरह काम कर रही है। अपराध बढ़ ही रहे है, कोई प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री महोदय, इस दिशा में सरकार का कल्याणकारी संदेश देने के लिए प्रभावी और शीघ्र ठोस कार्यवाही करनी होगी।

राज्य की महिलाओं पर घटित होने वाले संबंधित अभियोगों को पुलिस अत्यन्त

(श्री अशोक)

संवेदनशीलता एवं प्रथामिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें वैधानिक राहत एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध रहनी चाहिए परन्तु वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। वर्तमान युग में महिला अत्याचार एक गम्भीर अपराध का रूप ले रहा है। राजस्थान राज्य के पिछले 3 वर्षो के आंकड़े यह इंगित करते हैं कि महिला अत्याचार के अपराधों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है, समय रहते इन पर प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता है ताकि हमारे प्रदेश की महिला मान सम्मान से जीवन निर्भर कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला अत्याचार संबंधी अपराधों की रोकथाम प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने एक वर्ष में सात ज़िला मुख्यालयों में महिला पुलिस थाने खोले जाने की घोषणा की है और खोले जा रहे हैं। पुलिस विभाग में भी महिलाओं के लिए आरक्षण 10 परसेंट से बढ़ाकर 30 परसेंट किया गया है, यह सराहनीय कदम है और स्वागत योग्य है। मेरा ऐसा मानाना है कि महिला थानों का पुलिस वृत्त कार्यालय भी सम्पूर्ण ही महिला पुलिस अधिकारियों की देख-रेख में जैसे पुलिस का डीवाई.एस.पी. भी महिला हो, उनकी देख-रेख में संचालित होने चाहिए ताकि महिलाएं सहजता से न्याय पाने आ सकेंगी और जो महिला पुलिसकर्मी या जो भी अफसर काफी परेशानी महसूस करती हैं वह भी सहजता से अपने कर्तव्य का निवर्हन कर सकेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचारों में भी कोई प्रभावी रोकथाम नहीं हुई है। राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या में 29.78 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की है। इस वर्ष राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर हालांकि अपराधों में कमी तो आयी है परन्तु घटनाएं घट रही हैं। सरकार को इसमें प्रभावी रोकथाम करनी चाहिए और पुलिस को भी इसमें प्रभावी रोकथाम करनी चाहिए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभावी कदम नहीं किये जाकर कानून की सत्ता इन कमजोर लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बड़ी सफाई से इन सम्बन्ध में भी पुलिस विभाग ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वर्ष 1998 में अनुसूचित जाति के हत्या के 50 मामले दर्ज हुए और 1999 में 49 मामले दर्ज हुए, गम्भीर चोट के मुकदमे 119 दर्ज हुई और 1999 में 118, इसी प्रकार से बलात्कार के 136 मुकदमे दर्ज हुए और 1999 में भी 136 मुकदमे, गम्भीर क्षति के मुकदमे 59 दर्ज हुए और 1999 में 67, यह सारा अवलोकन करने पर लगता है कि कोई खास प्रभाव रोकथाम नहीं हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग ने केवल इस तरह से आंकड़ों का मायाजाल प्रस्तुत किया है जैसे अपराधों में कमी हुई है,

(श्री अशोक)

अत्याचार कम हुए हैं जबकि स्थिति बहुत ही दयनीय है और सोचनीय है और साथ में, पुलिस की ज्यादतियां भी बढ़ रही हैं। उनको डराया धमकाया जाता है एस.सी., एस.टी. के लोगों को और बराबर से पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाता। अनुसूचित जाति के लोगों पर गम्भीर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं और कई प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनको अकसर अधिकतर गरीब दलित व्यक्ति एफ.आई.आर. के लिए ही, कार्यवाही के लिए ही मारा मारा फिरता है। उन्हें पूरा सहयोग भी पुलिस विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। केवल एस.सी., एस.टी. के तहत पंजीकृत अपराधों में 1997-98 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण इस एक्ट के तहत झूठे पंजीकृत मुकदमे दर्ज कराना पुलिस बताती है जबकि यह गलत है। इनको एस.सी., एस.टी. के दलित लोगों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभावशाली और सम्पन्न समाज के लोग अपने दलबल के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा पुलिस के ही सहयोग से डराते धमकाते रहते हैं और दलित समाज को हतोत्साहित किया जाता है और उसके गवाह सबूत को भ्रमित किया जाता है और ऐसी स्थिति में वह हताश हो जाता है। मेरा यह मानना है कि ऐसे में दलित समाज के लोगों को सरकार की ओर से न्याय दिलाने का विश्वास दिलाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अशोक (खण्डार) : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोल थोड़े ही रहे हैं वह तो, यही तो झगड़ा है, पढ़ रहे हैं।

श्री अशोक : नहीं, क्यों ? आंकड़े बता रहा हूं, पुलिस विभाग के आंकड़े बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े भ्रामक आंकड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, आर्डर, आर्डर। बोलने दो, बोलने दो। बोलिये।

श्री अशोक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र खण्डार है और जिसमें काफी हिस्सा दस्यु पीड़ित क्षेत्र है, अक्सर वहां डकैती की, अपहरण की, लूट की और मारपीट की घटनाएं डकैतों द्वारा की जाती है और ऐसे में वहां के लोग बड़े भयभीत और आतंक से ग्रसित हैं। मेरा यह अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की उस पीड़ित जनता को, उस परेशान जनता को जो डकैतों से आतंकित हैं उनको राहत दिलाने के लिए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के दस्यु पीड़ित क्षेत्र में डिप्टी एस.पी. का कार्यालय खण्डार मुख्यालय पर खोले ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके, सुगमता से वे लोग अपनी बात को कह सकें क्योंकि वहां पर एक थाना है बैरावंडा कलां...(व्यवधान) आनन्द से नहीं रहता, यही तो बता रहा हूं सुचित्राजी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आप उधर मत देखो, आप तो बोलो।

श्री अशोक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरावंडा कलां थाने का जिक्र करना चाहता हूं आपसे, वह ऐसी जगह पर है जो बिलकुल दस्यु पीड़ित क्षेत्र में है और वहां जो थानेदार रहता है अक्सर जो मुख्यालय पर नहीं रह सकता ऐसे लोगों को वहां पर लगाया जाता है और वह परेशान और फ्रस्ट्रेट रहता है और वहां पर जानबूझकर ऐसी कार्यवाहियां करता है कि वहां के लोगों को परेशान करता है। एक तरफ तो वहां की जनता डकैतों से परेशान रहती हैं और इसी तरह पुलिस से परेशान रहती है। वहां का थानेदार अपने आपको +++ काम करता दिखता है। अपने आपको किसी तोप से कम नहीं समझता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें आप। मेरे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं और माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के पुलिस प्रशासन को पाबंद करवाया जाए क्योंकि पिछली 13 अप्रेल को मैं क्षेत्र के दौरे पर गया था और वहां के लोगों ने पुलिस की ज्यादती को बताया। अभी जुम्मे-जुम्मे एक-डेढ़ महीने पहले एक थानेदार लगाया था। वह भी +++ हो रहा था। वहां पर पब्लिक बहुत परेशान थी। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी दयनीय स्थिति है। मैंने गृह मंत्रीजी को निवेदन किया है इस बारे में वहां की जनता ने मुझे, जो मेरे क्षेत्र की है, मुझे चाहने वाली है, मैं पहुंचा तो उससे पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जिक्र किया कि हम डकैतों से परेशान तो हैं ही और एक यह +++ और आ बैठे। मैं भी बड़ा भावावेश में, नौजवान तो था ही, मैंने भी भावावेश में कहा कि चलो समझा देते हैं। मेले से मैं लौटा तो वहां थाना रोड पर पड़ता है। मैंने सन्तरी को बुलाकर कहा कि थानेदार को बुलाना, जरा मैं पब्लिक की समस्या बताऊं। मेरे साथ 40-50 आदमी जीप में चल रहे थे। मैंने बुलाकर समझाया तो जनता उसकी ज्यादतियों से परेशान है और वह तो अपने आपको +++ पेश आया और मेरे साथ बद्तमीजी और बदसलूकी से पेश आया। सारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की और समझाने बुझाने पर एक आम गुंडा आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता ऐसी हरकतें हमारे सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ की। मेरे ऊपर उसने थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने आप पर संयम रखा, अपने जोश को होश में रखा। मैं वापस लौटा और एस.पी. महोदय से रात के 9 बजे मैंने जिक्र किया। माननीय मंत्री महोदय, स्थिति भयानक है, आप गौर करेंगे। मैं वापस लोटा, मेरी आत्मा जानती है। मेरे पर थप्पड़ मारने का अरोप लगाया और समझाने के बावजूद भी उसने अपनी पिस्तौल मेरे ऊपर तान ली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अशोक)

ऐसी हरकतें करेंगी तो मैं समझता हूं कि आम आदमी तो वहां कैसे जी पायेगा। स्थितियां ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा भयावह है। जिला मुख्यालयों पर ऐसी स्थिति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय एस.पी. साहब से कहा, कलेक्टर साहब से कहा और मैंने अपनी शिकायत भी दर्ज करायी। परन्तु एफ.आई.आर. दर्ज अभी नहीं हुई है। मेरे विपक्ष के साथी कहते हैं कि पुलिस विभाग एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करता उसको मैं तो सही मानता हूं। मेरे जैसे आदमी एफ.आई.आर. के लिए परेशान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप गृह मंत्रीजी से मिल लेना।

श्री अशोक : गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरी एफ.आई.आर. दर्ज करावें और कानूनी कार्यवाही करावें। अगर मैं गलत हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीरता से कह रहे हैं, इनके साथ न्याय करवाओ, साहब। माननीय सदस्य गुहार कर रहे हैं और उस समय कर रहे हैं जब आप विराज रहे हैं, डी.जी. साहब विराज रहे हैं। इनके साथ न्याय कराओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य हैं। आपके सदस्य हैं। (व्यवधान) मैं सदन का सदस्य हूं इस नाते कह रहा हूं। ये भी सदस्य हैं।

श्री महेश जोशी : आपके कहने से गम्भीरता थोड़ी ही हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आखों में आंसू चल रहे हैं, इनकी पीड़ा देखो आप।

श्री महेश जोशी : आपके कहने से गम्भीरता नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अशोक : माननीय राठौड़ साहब सुन लें आप। एस.सी. का आदमी है, कमजोर नहीं है इस वक्त। मेरे जैसे आदमी को कमजोर कहने की आप परेशानी मत लो। मैं संयम में रहकर, क्योंकि मैं कांग्रेस सरकार में एम.एल.ए. हूं इसलिए अपना संयम रखकर वापस लौटा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आपने क्या किया है वह तो बता दो ? आपने क्या किया था थानेदार के साथ वह बता दो ?

श्री अशोक : माननीय राठौड़ साहब, मैं सक्षम हूं और मैं सरकार में हूं इसलिए अपने संयम को होश में रखकर वापस लौटा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संयम से ?

श्री अशोक : बिलकुल संयम से वापस लौटा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा।

श्री अशोक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा, निवेदन सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया न।

श्री अशोक : मेरी बात तो सुनें आप पूरी। तो मेरा यह निवेदन कि ऐसी स्थिति में ऐसे पुलिस के अधिकारियों को मेरे क्षेत्र में न लगाया जाए। मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं की। केवल जिम्मेदार लोगों को लगाया जाए। इसलिए गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है।

बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने दिन के भाषण में मेरे बारे में आरोप लगाया कि मैंने किसी की सिफारिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप और गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उस थाने में कहीं टेलीफोन नहीं है, वहां जाने के लिए 40 किलोमीटर बिलकुल कच्चे-पक्के में जाना पड़ता है और डेढ़ महीने में मैं उस जगह पर गया हूं। मेरे जाने आने का कोई कार्यक्रम इस क्षेत्र का नहीं रहा तो मेरे सिफारिश करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। परन्तु चूंकि बी.जे.पी. वालों की तो +++ करने की आदत है, आरोप लगाने की आदत है और माननीय सदस्य जो वामनवास से पधारे थे उनकी कोई व्यक्तिगत उनके प्रति कोई नजदीकियां रही होंगी उससे पीड़ित होकर उन्होंने मेरे पर आरोप लगाया है जबकि मैं समझता हूं कि माननीय बामनवास के सदस्य को इसी पुलिस विभाग ने सवाईमाधोपुर के सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन में बेतहाशा मारा था, हाथ-पांव तोड़े थे क्योंकि उन्होंने एस.पी. साहब के थप्पड़ मारी थी। ऐसी स्थिति में वे पुलिस की कैसे वकालत कर गये, मुझे समझ में नहीं आता। हाथ-पांव तोड़े थे और हास्पिटल में भर्ती हुए थे। उस वक्त मैं छात्र नेता था, मैंने खुद ने भर्ती कराया, उनके हालचाल मैंने पूछे हैं। उनके सिर पर टांके आये थे और पता नहीं कैसे वे वकालत कर गये जबकि हाथ-पांव टूटे उस पुलिस के द्वारा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके बयान को खण्डन करता हूं।

श्री मदन दिलावर : वे बता रहे थे कि ये डकैतों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। वे सुबह बता रहे थे कि ये डकैतों को प्रोटेक्शन दे रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।(व्यवधान)

श्री अशोक : डकैत वहां नहीं है।(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और वे थानेदार डकैतों को पकड़ने जा रहा था तो उन्होंने उसको यहां झगड़े में उलझा कर डकैतों को भगवा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना नहीं चाहते। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य सुबह बता रहे थे, हम इस चर्चा को करना नहीं चाहते थे। (व्यवधान)

श्री अशोक : माननीय दिलावर साहब, आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...माननीय सदस्य चर्चा करें, यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अशोक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें। बैरावंडा कलां के थानेदार के खिलाफ़ चार मुकदमे खुद के विरोध में है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक : इनका जवाब दे रहा हूं दिलावर साहब, दो मिनट सुन लें आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...इलाका है, लोग इलाका छोड़कर भाग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

श्री अशोक : मननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैरावंडा कलां के थानेदार के खुद के विरुद्ध चार मुकदमे दर्ज हैं। लूट के मुकदमे दर्ज हैं, कंजरों के साथ में बुरी हरकत करने के मुकदमे दर्ज हैं और सिर में 9 टांके आये हैं जनता के द्वारा सवाईमाधोपुर में, इसी वजह से ट्रांसफर किया गया। परेशान होकर उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मैं इनके बयान का खण्डन करता हूं और मेरे खण्डार क्षेत्र में भविष्य में जिम्मेदार लोगों को लगाया जाए, मेरा यही निवेदन है गृह मंत्री महोदय से। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-16 पर अपने विचार आपके माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महाभारत के अंदर प्रसंग आया है कि जिस राजा की दण्ड नीति कठोर नहीं होती वह शासन करने लायक ही नहीं रहता। कठोर दण्ड नीति के अंदर सज्जन पुरुष आराम् पाते हैं और दुष्ट समाज, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वे आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो यह दण्ड नीति का एक बहुत बड़ा भाग पुलिस विभाग है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस विभाग की ऐसी स्थिति हो रही है, एक कहावत है कि किसी व्यक्ति ने जो चार-पांच आदमी उसके घर का काम सम्भाल रहे थे उसके लिए कहा कि इनको हटाकर एक रख दें। तो एक कहावत है कि पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, ये चार काम करने वाला कोई एक ला दो तो उन्होंने एक महिला को लाकर रख दिया। जो गुरु का काम भी करे, गृहस्थी का काम भी करें और सारा काम करे। आज पुलिस की यही हालत हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विभाग का काम हो सारा काम पुलिस विभाग को ही देखना पड़ता है। चाहे वन विभाग का

(श्री हेमन्त कुमार)

हो, चाहे आबकारी विभाग का हो, चाहे नारकोटिक्स विभाग का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग का हो या कोई भी काम हो। इन विभागों के पास अपना स्वयं का अमला है, सिपाही से लेकर अधिकारी तक, लेकिन फिर भी सारा काम पुलिस को ही करना पड़ता है। आप यह देखिये कि इन सारे विभागों का काम भी पुलिस ही देखे और फिर हम उससे यह आशा करें। तो इतने बड़े काम को करना कोई आसान काम नहीं है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चाहे कोई धार्मिक समारोह हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कर्मचारियों का कोई आंदोलन हो, पुलिस की आवश्यकता होती है। थानों में पुलिस का जो सिपाही है उसके काम की कोई सीमा नहीं है, 24 घंटें वह बराबर ड्यूटी पर खड़ा रहता है। किन परिस्थितियों में वह काम करता है इसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। पुलिस विभाग के कर्मचारी का पाला अधिकांश रूप से जो अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति है, समाजकंटक हैं, उनसे पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि जो 24 घंटे कर्मचारी काम करता है, छुट्टी उसको मिलती नहीं, छुट्टी भी अगर वह हफ्ते में चाहता है तो अधिकारी की दया के ऊपर निर्भर करता है। परिवार के अंदर उसके स्त्री है, बच्चे हैं, मां है, बहन है, रिश्तेदार हैं लेकिन उनको वह अपना समय नहीं दे पाता। वह भी एक मनुष्य है, उसके अंदर भी हाड, मांस और खून है, उसकी भी कुछ भावनाएं होती हैं। उस पर विचार नहीं करके बल्कि आलोचना करना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में ऐसा कर्मचारी गुजरता है उसकी वही जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि पुलिस के ही कर्मचारी जो सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम के अंदर तत्पर रहता है और उसके साथ समाज जिस दृष्टि से उसे देखता है उसको देखते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर के किसी अपराधी को,

(22.00 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

समाजकंटक को पकड़ता है जान हथेली पर रखकर। और उसके बाद में घंटे-दो घंटे या एक दिन बाद में ही जब वह अदालत से जमानत पर छूट जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी ? इसका आपने किसी ने अनुमान नहीं लगाया। किसी तरह से वह अपनी जान को हथेली में लेता है, किस तरह से वह अपने परिवार की चिंता नहीं करके समाज के भले के लिए काम करता है। उसका ऐसा काम है जो नींव का जैसे पत्थर है जिसके ऊपर दीवार खड़ी है। नींव के पत्थर को कोई नहीं जानता, उसकी परिस्थितियों को हम कोई नहीं जानते। आलोचना हम जरूर करते हैं लेकिन वह किस परिस्थितियों में, किस आधार पर

(श्री हेमन्त कुमार)

वह अपनी जान को खतरे में डालकर काम करता है, इसके बारे में अगर हम कभी विचार करें, सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा। सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस पुलिस के पास में जो साधन हैं, अपराधी प्रवृति के जो व्यक्ति हैं उनके पास, अभी मेरे से पूर्व आदरणीय विद्वान वक्ताओं ने बताया कि उनके पास में आधुनिक गाड़ियां हैं, इलैक्ट्रोनिक्स के साधन हैं। पुलिस के पास में ऐसे कोई साधन नहीं है। अपराधी प्रवृति के व्यक्ति जिसके पास पैसे की बहुतायत है, आधुनिक इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण हैं, वायरलैस सैट हैं और गाड़ियां हैं, वे उनके पास में उपलब्ध हैं और पुलिस के पास में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनको कम्पेयर किया जा सके और उनसे वह मुकाबला कर सके और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस विभाग को नीचा देखना पड़ता है।

आदरणीय सभापति महोदय, पुलिस के अंदर जो कर्मचारी हैं और उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं आपकी जयपुर राजधानी है और जयपुर राजधानी के अंदर पुलिस अकादमी है और पुलिस अकादमी के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वे खुद पुलिस से इतने भयभीत क्यों हैं, मेरी समझ में नहीं आता। पुलिस अकादमी का क्षेत्र है, कैम्पस है, उसके अंदर ही उन्होंने अपने बंगले को 10-12 फीट ऊंची दीवार से घेर रखा है। ऐसा क्या खतरा आ गया पुलिस का पुलिस को, ऐसा क्या खतरा है, मेरी समझ में नहीं आता। प्रिंसिपल साहब 10-12 फीट ऊंची दीवार में घिरे हुए रहते हैं। उस दीवार के अंदर, उस एरिया के अंदर जैसे उन्होंने पुराने जमाने में किले में व्यवस्था रहती थी, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। वहीं तो अन्न पैदा करते हैं, वहीं सब्जी पैदा करते हैं और उस किले के अंदर सारी घेराबंदी की है। आप एक नजारा देखिये, सभापति महोदय, और यह अनाज पैदा किया जाता है, सब्जी पैदा की जाती है, यह सारा खर्च, इसका पानी का बिल, बिजली का बिल मेरे ख्याल से सरकार ही पे करती होगी और पैदा करने वाले मजदूर कौन है ? जो ट्रेनिंग में आये हुए हैं, उन ट्रेनिंग में आने वाले जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो वहां पर चयनित होकर आते हैं। उनका काम है खेती करना, सब्जी पैदा करना, पशुओं की देखभाल करना, गाय-भैंस को संभालना। अब ऐसे जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जायेंगे, अब हम उनसे आशा करें कि थानों में नियुक्ति के बाद में वह हमारे प्रति संवेदनशील रहे, तो यह भी एक शोचनीय है। उसको ट्रेनिंग दी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम उनसे अगर काम, पहली बात तो काम उनसे लिया जाए तो वह गलत है लेकिन उनको ट्रेनिंग का भी कुछ पाठ्यक्रम पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। यह नहीं कि घर पर काम करते रहे, खेती का काम करते रहे। जब वह पासिंग आउट परेड में जायेंगे और पासिंग

(श्री हेमन्त कुमार)

आउट परेड में जाने के बाद में वह वहां के स्थानों में जायेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह जनता के साथ कैसा सलूक करेंगे ?

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पुलिस के अंदर जो 2-3 भाग है, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। आर्म्ड पुलिस, अलग है, सिविल पुलिस अलग है। सिविल पुलिस का अधिकांश काम थानों का है। आर्म्ड पुलिस का काम इतना नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि आर्म्ड पुलिस वालों को सिविल पुलिस में नियुक्त दे दी जाती है और सिविल वालों को आर्म्ड में नियुक्ति दे दी जाती है और आर्म्ड पुलिस का आपको मालूम है और सब जानते हैं कि इसका जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। उनको तो वही लठमार ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे जो थानों का काम है, सिविल पुलिस का काम है, काफी संवेदनशील काम है तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो सिविल के अंदर काम करता है उनको सिविल में रखा जाए ताकि जो संवेदनशील काम है, जनता से सम्पर्क का काम हैं, वह जितना अच्छा कर सकता है वह आर्म्ड पुलिस वाले नहीं कर पायेंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांगोद, वह बहुत ही अत्यन्त संवेदनशील इलाका है। वहां सब तरह के आदमी हैं और अपराधी प्रवृति के ज्यादा आदमी रहते हैं। इसके लिए उन परिस्थितियों को देखते हुए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां देवली के अंदर थाना स्थापित किया जाए। सरकार की और पुलिस विभाग की इसमें यह रिपोर्ट है कि वहां पर थाना होना अति आवश्यक है क्योंकि वहां पर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ज्यादा हैं। अगर वहां पर थाना खुलवा दिया जाता है तो इससे वहां पर अपराधों पर काफी रोक लगाई जा सकेगी। इसी प्रकार नीमोदा और बड़ौद, ये दो जगह हैं जहां पर थाने तो नहीं लेकिन वहां पर पुलिस की चौकी खोल दी जाए तो इससे भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसी तरह से हमारे कोटा के एस.पी. साहब हैं, उनसे और हमारे मंत्री महोदय हैं, उनसे भी निवेदन किया कनवास थाने के अंदर जो सी.आई. साहब हैं, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, वह भी अपने आपको वहां इलाके के अंदर आपने पूरी राठौड़ी चला रखी है। अगर उनके बारे में बात भी करते हैं तो वह किसी की सुनना पसंद नहीं करते। मेरा निवेदन है वहां की जनता उनकी राठौड़ी से बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने निवेदन भी किया मंत्री महोदय से और हमारे जो क्षेत्रीय मंत्री महोदय, हैं, धारीवाल साहब से लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी बैन लगा हुआ है, ट्रांसफर नहीं हो

(श्री हेमन्त कुमार)

सकता। वह भी जानते हैं कि बैन लगा हुआ है, मेरी राठौड़ी पूरी चलेगी। तो मेरा अनुरोध है कि जनता की मांग है, जनता की जो परेशानियां हैं, पुलिस विभाग में उनको देखते हुए यह बैन जो आपने पुलिस में कायम कर रखा है, ऐसी परिस्थितियों में बैन की आड़ नहीं लेकर वहां की जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करेंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन बातों से जो वहां की जनता की तकलीफें हैं, उनको दूर करवाने में पूरा-पूरा सहयोग करेंगे।

सभापति महोदय, अब में थोड़ा मांग संख्या-12 है यातायात की, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बसों की हालत बहुत ही खराब है। जिस प्रकार से मेरे ख्याल से जैसा मंत्री महोदय जानते हैं, आंकड़े भी देख लें कि जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है और हमारी रोडवेज की बसों की संख्या घटती जा रही है। एक तरफ हम, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि निजी बसें चलती हैं, जीपें चलती हैं, अवैध वाहन चलते हैं। जब साधन ही मुहैया नहीं होगा आदमी को तो किसी न किसी साधन का तो उपयोग करेगा या तो आप बसों की संख्या बढ़ाइये। बसों की संख्या बढ़ जायेंगी, बसें ठीक स्थिति में टाइम पर चलेंगी तो कोई भी अवैध वाहनों में जाना पसंद नहीं करेगा। जब वाहन ही नहीं मिलते हैं, जब कोई सुविधा ही नहीं मिलती है सरकार से तो चाहे वह वैध हो या अवैध, मजबूरी के अंदर जनता को सफर करने के लिए अवैध वाहनों का सहरा लेना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जनसंख्या के हिसाब से अगर बसों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए तो सन् 1990 के अंदर जो बसों की संख्या थीं, वह संख्या तो कम से कम रखी जाए, इसमें तो कमी नहीं की जाए। कोटा से दरा, कनवास, सांगोद, मण्डावरा, बुढ़ादति की पहले बस थी, इन बसों में एक दिन के अंदर एक-एक बस जाती है जहां कि काफी यातायात का वहां पर दबाव है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन रूट की बसों की संख्या बढ़ाई जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, कोटा बस स्टैण्ड जो रोडवेज का है, उसके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर पालतू सूअर हैं, वे खुले आम घूमते हैं। अगर कोई यात्री थोड़ासा सामान को संभालने में चूक कर लेता है तो उसके सामान को खराब कर दिया जाता है या कहीं अच्छा सा खाने का सामान भी रखा हो तो बहुत मुश्किल है कि आप सूअर से बच जाएं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां पर अधिकारी लगे हैं, उनको पाबंद करें कि इस प्रकार से यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए कोई कारगर उपाय करें। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा रोडवेज के अंदर एक और निवेदन है। आज की स्थिति में पता नहीं चलता कि बस का ड्राइवर कौन है और कंडक्टर कौन है ? कोई भी दोनों में

(श्री हेमन्त कुमार)

से अपनी वर्दी नहीं पहनता है। जब तक वर्दी नहीं पहनेगा, ड्राइवर या कंडक्टर बैठा है। अगर कोई कंडक्टर का खरीदा हुआ उसका कोई साथी पैसे वसूल कर रहा है, इसका कोई पता नहीं चलता। मेरा यातायात मंत्रीजी से अनुरोध है कि कम से कम ड्राइवर नहीं तो कंडक्टर को तो पाबंद करें कि वह अपनी वर्दी के अंदर रहे ताकि यात्री को पता चले कि हम जो पैसा दे रहे हैं और जो टिकट खरीदा जा रहा है वह एक रोडवेज का कर्मचारी है और जो हम पैसा दे रहे हैं वह कर्मचारी को दे रहे हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, यह वार्षिक प्रतिवेदन मैं पढ़ रहा था और माननीय सदस्यों ने और सरकार ने काफी संतोष जाहिर किया है, सत्ता पक्ष वालों ने कि पुलिस का काम अच्छा रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। माननीय मंत्री महोदय ने भी जो यह प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है उसमें ऐसा बताया गया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति पर अत्याचार, एट्रोसिटी के जो मामले हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है 31 प्रतिशत। अनुसूचित जाति पर अत्याचार 31 प्रतिशत बढ़े हों और इनको यह संतोषजनक बताते हैं। सभापति महोदय, गम्भीर क्षति के 13.55 प्रतिशत बढ़े हैं, और बलात्कार के मामले भी बढ़े हैं और इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति पर हम देखें, एट्रोसिटी के मामले 52 प्रतिशत बढ़े हैं और गम्भीर क्षति के मामले 8 प्रतिशत और बलात्कार के मामले 34 प्रतिशत। एस.सी., एस.टी. पर इस प्रकार के इतनी बड़ी संख्या में मामले हैं और इतने ज्यादा अत्याचार हैं। और यह सरकार और सरकार में बैठे लोग यह कहें कि हमें संतोष है, अनुसूचित जाति के ऊपर इतने बड़े अत्याचार करके यह संतोष जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगी इनको जनता ? इनको पता है कि नहीं है। परन्तु यह संतोष जाहिर कर रहे हैं। श्रीमान् अपराध बढ़े भी क्यों नहीं, क्यों नहीं बढ़े। वह इसलिए बढ़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय महिला थानों की व्यवस्था की गई थी और उसके पीछे सोच यह थी कि कुछ सालों में इनकी ठीक प्रगति रहेगी तो आगे इनको बढ़ायेंगे। लेकिन आप जयपुर की स्थिति देखें, कौन सा महिला थाना है जिसमें महिला इंस्पेक्टर लगी हुई है, थाना प्रभारी कौन महिला है किस थाने में ? थानों का नाम महिला थाना और उसमें पुरुष इंचार्ज हैं श्रीमन् थाना महिला, इंचार्ज पुरुष। अब किसे कहने जायेगी महिला, अपने मन की बात कैसे बता सकती है और जब मन की बात नहीं बतायेगी तो बदमाशों को सजा नहीं मिलेगी और बदमाशों को सजा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेंगे। लेकिन इनके बस की बात नहीं है

(श्री मदन दिलावर)

क्योंकि बहुत सिफारिश आती हैं, बहुत थैलियां आती हैं, इसके कारण सारे नियम, कानून–कायदे तोड़कर के महिला थानों पर पुरुषों को बैठाया हुआ है सभापति महोदय, और हम अपेक्षा करते हैं, और फिर आप देखते हैं छोटे–छोटे जो पुलिस वाले होते हैं उनको, हैड और सिपाही, कभी भी आर्डर दे दिया जाता है उनको, जाइये, रात के चार बजे वहां जाना है आपको। वह कहते हैं कि वारन्ट दे दो, किराया तो है ही नहीं मेरे पास। जाना पड़ेगा। अब चाहे घर का पैसा लगाकर जाय, वारन्ट दिया नहीं और वारन्ट नहीं दिया तो उसको भत्ता भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां रिकार्ड में ही नहीं, वारन्ट दिया ही नहीं, वह गया ही नहीं तो उसको भत्ता भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से छोटे–छोटे कर्मचारियों पर अत्याचार। मैं समझता हूं और यह कहते हैं कि सी.आई.डी. पुलिस दूसरी पुलिस, तीसरी पुलिस अलग–अलग है। पुलिस महकमा एक है, सब इंस्पेक्टर की एक तरह की परीक्षा होती है, साक्षात्कार एक तरह के होते हैं फिर भी उनके बारे में कहा जाता है तुम सी.आई.डी. में रहो, तुम वहां रहो। भारतीय जनता पार्टी के समय इनको एक करने की कोशिश की थी और आपस में ट्रांसफर होते थे लेकिन अब उनके ट्रांसफर आपस में नहीं करते हैं मुख्य मंत्रीजी ने भी उस दिन कहा था कि यदि किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना हो तो सी.आई.डी. में दे दो। क्या सी.आई.डी. में जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं या एस.एच.ओ. हैं या जो ए.एस.आई. हैं क्या वह नाकारा हैं और नाकारा हैं तो क्यों नहीं सेवा से उनको पृथक करते, क्यों नहीं अलग करते। गुप्तचर पुलिस का बहुत बड़ा काम होता है, वह अपनी जान जोखिम में डालकर के सरकार को सूचना देते हैं और सूचनाओं के आधार पर बड़े–बड़े स्कैण्डल खुलते हैं लेकिन उनकी चिंता नहीं श्रीमन्। मैं आपको एक नमूना बताना चाहता हूं और नमूना इस बात का बताना चाहता हूं कि किस प्रकार यह अत्याचार करते हैं। कन्हैया लाल खण्डेलवाल एक कोटा का निवासी है। उसके बच्चों पर किसी के तीन लाख रुपये आते होंगे। व्यापारी व्यापार करता है। वह पिता अलग रहता है। कन्हैया लाल खण्डेलवाल को रात में गुण्डों ने उठाया। जिप्सी में डाला और ले गये। रात भर मुर्गा बनाया, पीटा और फिर उसको कहा–तुम्हारे बच्चों को बता। उसने कहा मुझे बच्चों का पता नहीं कि कहां गये हैं। गर्म–गर्म सलाखों से, सिगरेटों से, बीड़ियों से शरीर को जला दिया और आज उसके पूरे शरीर से मवाद बह रही है, बड़ा व्यथित है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी लेकिन गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही।

महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा तो यहां करना गंजों के मोहल्ले में कंघे बेचने वाली बात है श्रीमन्। मैं बताना चाहता हूं, मैं एक सूची लाया हूं महिलाओं के साथ

(श्री मदन दिलावर)

बलात्कार की, मैं तो आपको वह बताना चाहता हूं। इसमें 13-14 साल से छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। पांच दिसम्बर को बयाना-भरतपुर में छह वर्षीय हरिजन बालिका के साथ बलात्कार सात दिसम्बर को थाना खैतून अन्तर्गत कोटा में 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार। 11 दिसम्बर ग्राम करवर-नैनवां में एक किशोरी के साथ बलात्कार। 15 दिसम्बर दौसा में बैरवा जाति की एक बालिका के साथ बलात्कार कर जिंदा जला दिया। सोजत सिटी थाना अन्तर्गत सड़ियां निवासी एक पांच वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार। 9 जनवरी, 2000 को बाड़मेर जिले के शिव थानान्तर्गत आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार। 30 जनवरी बांदीकुई में खिड़की मोहल्ला निवासी एक छोटी सी बालिका के साथ बलात्कार। श्रीमन्, एक बड़ी सूची मेरे पास है। लगभग तीन सौ महिलाओं के साथ बलात्कार और श्रीमन्, कई महिलाओं के साथ तो ऐसी दुर्घटना घटी कि उसके साथ बलात्कार नहीं कर पाये तो उनके गुप्तांगों पर पैट्रोल डाल दिया, तेजाब डाल दिया। मैं समझता हूं ऐसा कभी नहीं हुआ होगा लेकिन यहां हो रहा है श्रीमन्, कौन कहे इनसे, कैसे कहे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : यह तीन सौ घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, किस पीरियड का है, जरा यह तो बता दें और कौनसे साल का है।

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, यह मैं बताना चाहता हूं, जो आपको बता रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौन से ईयर का है, कौन से गांव का है, कौन सी जगह का है, कहां है यह।

श्री मदन दिलावर : हां-हां, बिलकुल, एक-एक गिनाता हूं। आप थोड़ा मुझे समय दे देंगे श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं। खाजपुर ग्राम अजमेर निवासी ताराचंद पुत्र केसर सिंह रावत द्वारा 22 दिसम्बर, 1999 को पंचायत के समक्ष भांगी जाति की एक किशोरी की शील भंग कर गर्भवती कर दिया। लाडपुरा ग्राम गैंगल के रावत जाति के एक युवक ने भील जाति की चौदह वर्षीय किशोरी का शील भंग कर उसे बिन ब्याही मां बना दिया। पांच नवम्बर, 2000 को...(व्यवधान) पांच नवम्बर, 1999 को गीजगढ़ कस्बा दौसा की मुन्नीदेवी के साथ बनवारी भाट द्वारा बलात्कार। 2 जनवरी, 2000 को...

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह घटना जो है, उसको टेबल पर रखा दें, इसको टेबल पर रखाओ।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं यदि इसको टेबल पर रखने के बाद पढ़ने के बाद...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो तीन सौ का जिक्र किया है वह टेबल पर रख दीजिये।

श्री मदन दिलावर : मैं टेबल पर रख दूंगा और एक भी घटना इसमें से गलत निकल जाएगी तो मदन दिलावर इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देगा। ये असत्य आंकड़े नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, ऐसे अनर्गल आरोप लगाने से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं।

श्री मदन दिलावर : ये असत्य आंकड़े नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर इनमें सत्यता है तो कागज टेबल पर रखिये। एक तूफान मचा रखा है जबरदस्ती का।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 300 हो गई। तीन नाम नहीं बोल पाये ये। आप रखिये, कागज रखिये तीन सौ घटनाओं का। तीन सौ घटनाओं का। तीन सौ घटनाओं का कागज टेबल पर रखिये।

एक माननीय सदस्य : यह कोई एम.एल.ए. का काम है कि औरतों का पूरा नाम ले यहां पर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक-एक सुनना चाहे तो मैं बता सकता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेज थपथपाने के अलावा आपको कोई धंधा नहीं है।

श्री मदन दिलावर : और यदि मेरी इस बात पर अविश्वास करते हैं तो मैं टेबल पर रख देता हूं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : या तो सदन की टेबल पर रखिये या चार्ज वापस लीजिये। या तीन सौ केसेज सारे टेबल पर रखिये।

श्री मदन दिलावर : निश्चित करेंगे।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब। माननीय राठौड़ साहब, एक सैकण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट। माननीय गृह मंत्रीजी ने बड़े गुस्से में यह बात कही है कि जिन घटनाओं का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उनको सदन की टेबल पर रख दें। गृह मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) वो सारी अनर्गल नहीं हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तीन सौ का कागज आप टेबल पर रख दीजिये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह यहां रख देंगे परन्तु आप समयबद्ध तरीके से जांच कराकर मुल्जिमों को सजा दिलाने की घोषणा करेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तीन सौ का टेबल पर रखो मैं तैयार हूं। तीन सौ का टेबल पर रखें। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आप बात बदलने की कोशिश मत करें। आप बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन घटनाओं को टेबल पर रखिये।

श्री महेश जोशी : दो चारों से काम नहीं चलेगा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि शायद आपका जो प्रगति प्रतिवेदन है और जो संख्या आपने इसमें दी है उसी के आधार पर उनके पास जो कटिंग्स के आधार पर जो सूची बनी है वो ही सूची पढ़ रहे हैं। कोई अपने मन से बनाया हुआ नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब।

श्री महेश जोशी : इसमें आपके बोलने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। जब माननीय सदस्य टेबल पर रखने के लिए तैयार है...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : ये तो फीगर्स हैं आप विश्वास मत करिये। ये तो फिगर्स हैं आप बोल रहे हैं जो। (व्यवधान)...फिगर्स कोट कर रहे हैं। No body is challenging the figure. आसन पर रखवाइये फिर।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) इनके पास जो सूची है उसका आधार है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आधार कुछ नहीं है।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य आप सूची रखिये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये जोर-जोर से बोलकर असत्य को सत्य साबित करना चाहते है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, इस तरह असत्य आंकड़े नहीं चलेंगे। असत्य आंकड़े प्रस्तुत करके सदन को गुमराह नहीं किया जाएगा...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वे सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान) अगर ये सदन के पटल पर रखवाना है तो आसन आदेश दे आप कहने वाले कौन हो।

श्री सभापति : आप बैठिये माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : रख दो सदन के पटल पर...(व्यवधान) कागज रखें सदन के सामने ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) आसन आदेश दें, आप आदेश देने वाले कौन हो.. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी। आप बैठिये एक बार।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाइये क्या मतलब है यह बात–बात में यों ही +++ हो। ...(व्यवधान) ये सदन के सदस्य कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आसन आदेश करें। बैठ जाएं आप लोग। +++

श्री रामस्वरूप : रख रहे हैं असत्य आंकडे यहां पर...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई असत्य आंकड़े नहीं है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) अपके टाइम के हैं सारे ये...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आपने सूची पढ़ना शुरू किया और माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि यह तीन सौ महिलाओं के साथ बलात्कार की बात हुई इसको सदन के पटल पर रखा जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको सदन के पटल पर रख दीजिये... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप रख दो इस फर्जी दस्तावेज को सदन की मेज पर। यह फर्जी दस्तावेज रखा हुआ आ गया, देख लो गृह मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पहले कागज आप मंगाइयें फिर गृह मंत्रीजी को दीजिये। सदन की टेबल पर रखा है न पहले आसन पर मंगाइये आप। ये सीधे कैसे ले सकते हैं, पहले आपकी इजाजत लेंगे ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले सभापतिजी के पास। पहले सभापतिजी आप मंगाइये।

श्री हीरालाल विश्नोई : अगर यह बात असत्य है तो माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : आप दे सकते हैं यह।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप देख लीजिये। अगर यह बात असत्य है तो माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे।

श्री सभापति : बात खतम हो गयी। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था और बात समाप्त हो गई।

एक माननीय सदस्य : नहीं खतम नहीं हुई बात।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं माननीय सभापति महोदय, यह जानना चाहूंगा कि जो टेबल पर रखी है वो कितनी घटनाएं हैं इसका तो उल्लेख कीजिये। तीन सौ हैं कि नहीं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, आप देखिये और फिर सदन को बताइये जो कागज रखा है उसमें कितनी घटनाओं का जिक्र है...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कितनी घटनाओं को टेबल पर रखा है इन्होंने आप बताइये सदन को।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोलते हैं, असत्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह गलत-बयानी मत करें आप।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब यह तो हो गया अब आप आगे कहिये शुरू कीजिये। इस पाइंट को छोड़ दीजिये आप।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, आप यह कागज देख कर सदन को यह तो बताइये कि इन्होंने जो सूची रखी है उसमें कितने मामले हैं ये तीन सौ बता रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं देख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो प्रगति प्रतिवेदन सरकार ने सदन को वितरित किया है उसमें 1999 में...(व्यवधान) बलात्कार की घटनाएं हुई हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान की धरती पर बलात्कार, हुए हैं। यह बात उस प्रगति प्रतिवेदन में हैं।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब बात यह नहीं है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हरिशचन्द्र नहीं हो आप लोग। असत्य बोलते हैं...(व्यवधान) बैठ जाइये आप। मंत्री महोदय बोले या सभापति महोदय बोले...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) बलात्कार आपके टाइम में हुए हैं...(व्यवधान) आज तीस बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) इनको बैठाइये +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमने कोई असत्य आरोप नहीं लगाया आपने लगाया है असत्य आरोप ...(व्यवधान) बिलकुल आपने लगाये हैं। आप कौन होते हैं मुझे बैठाने वाले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिखाते हैं +++ कोई भी असत्य...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

एक माननीय सदस्य : डरा धमका कर आप नहीं बैठा सकते।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपके चेहरे से पता लग गया कि यह असत्य बात है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) प्रगति प्रतिवेदन यह कहता है कि 1198 बलात्कार 1999 में हुए...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : पाइंट ऑफ आर्डर है माननीय विराजिये आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ये आंकड़े कहां के हैं यह बता दीजिये आप।

श्री रामप्रताप : बलात्कार, यह रहा। यह आपकी प्रगति है। यह प्रोग्रेस की है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रगति प्रतिवेदन में हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) ये यहां के ही हैं राजस्थान के और आपके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में है। 1198 राजस्थान की सूची दी है। यह प्रगति प्रतिवेदन दिया है आपने, इसको पढिये राजस्थान में आपने दिया है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इसमें से 25 प्रतिशत निकाल दो तो भी साढ़े तीन सौ से ज्यादा हैं।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब उनका पाइंट आफ आर्डर है। राठौड़ साहब।

श्री रामस्वरूप : आपकी सरकार के टाइम में कितने बलात्कार हुए हैं अगर उससे ज्यादा हुए हैं तो बता दें, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना इस्तीफा।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर क्या है आपका।

श्री रामस्वरूप : बताइये आप बलात्कार किसके टाइम में ज्यादा हुए ? सारे आपके शासन के टाइम में सबसे ज्यादा हुए हैं... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) बलात्कार का मुकाबला कर रहे हैं आप। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनको बिढाइये, ये सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं...(व्यवधान) यह शालीनता है क्या। सुबह से शांति थी।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान) 154 की संख्या हमारी यों ही आयी हैं क्या ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुबह से शांति थी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जनता ने हमको युधिष्ठिर माना है, तभी 154 भेजे हैं यहां पर।

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब बैठिये आप। हां पाइंट आफ आर्डर क्या है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने जिस डाक्यूमेंट, माननीय दिलावर साहब कोट कर रहे थे, उसको यहां सदन की मेज पर रखा दिया। उसके बाद माननीय कटारिया साहब और राठौड़ साहब ने इस पुस्तक को बताते हुए कहा कि इसमें वही है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई उल्लेख इस बात का नहीं है। जब डाक्यूमेंट टेबल पर आ गया। It has become the property of the

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

House. इसको हर मेम्बर को देखने का अधिकार है। तो यह जो बीच में कह रहे थे कि आप नहीं देख सकते। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं, जब वह प्रापर्टी आफ द हाउस को गई तो उसको हर मेम्बर को देखने का अधिकार है कि नहीं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य वह सब चेप्टर बंद हो गया और यह कागज यहां टेबल पर आ गये। इसको एग्जामिन करके जो-जो माननीय सदस्य एलिगेशन लगा रहे थे और हरेक को पाइंटवाइज कह रहे थे, वह इंसमें है कि नहीं इसको देखने के बाद इस पर फैसला कर दिया जायेगा। अब इस पाइंट को छोड़कर दूसरी बात आप कहिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आप इनको पूरा-पूरा बताओ, एक-एक बताओ।

श्री अब्दुल अजीज : एक विधायक होकर असत्य बोलते हैं। चाहे जिस पर एलिगेशन लगाते हैं। (व्यवधान) दिस इज रोंग। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : कटारिया साहब, आपने ही +++ ले रखा है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले आप फैसला करवाइए कि 300 है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : चाहे जिस पर एलिगेशन लगा दें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मन में आये वो बोल दिया, अपने घर का राज़ है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय विराजिए आप। चलिए आप शुरू कीजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर के नानता स्कूल में छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ उस स्कूल के...(व्यवधान) यह बलात्कार नहीं हैं, मैं बोल रहा हूं सुनो तो सही। माननीय सभापति महोदय, छठी क्लास की बालिकाओं के साथ अलग कमरे में बुलाकर वहां का अध्यापक अश्लील हरकतें करता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कौन है वह ?

श्री मदन दिलावर : +++ क्या हुआ इसका मतलब ? सभापति महोदय, मैं बिलकुल तथ्यों के साथ बोलता हूं और आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। कक्षा 6 की बच्चियों को अलग कमरे में बुलाकर हरकतें करता था।

श्री सभापति : यह तो आप पहले कह चुके हैं।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, बच्चियां परेशान हो गई। अपने मां-बाप के पास गई तो उन्होंने कहा कि बच्चियों स्कूल जाओ। उन्होंने कहा हम स्कूल नहीं जायेंगे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

वह रोने लग गई। उनको पुचकार-पुचकार कर उनकी मां ने पूछा तो पता चला कि वहां ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, इसलिए हम स्कूल नहीं जायेंगी। ऐसी स्थिति हो गई।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सभापति महोदय, यह कोई गीत हो गया क्या। बलात्कार के सिवाय और कोई बात ही नहीं करना चाहता क्या और कोई बात इनके पास नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मां-बहनों की रक्षा करने में अक्षम लोग, उनकी जब सुरक्षा की बात करते हैं तो ऐसी महिला सदस्य... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सदन में बलात्कार और शराब दो ही चीजों की बात करते हैं, यह इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते।

श्री मदन दिलावर : मैं माताओं और बहनों की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। चलो यह छोड़ता हूं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते। इसलिए ऐसी उत्तेजना की बात यहां न करें, अच्छा रहेगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरी की पूरी बात असत्य बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : आप विराजो, इसलिए आप ऐसी कंट्रोवर्शियल बातों में न पड़ें और अपनी बात कहें।

श्री मदन दिलावर : 4 मार्च, 2000 को रात्रि को ढाई बजे मुश्ताक पुत्र नूरू मोहम्मद ने एक गाय के साथ कुकर्म किया। मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, श्रीमन्। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : फिर वही बलात्कार की बात ले आये यह...(व्यवधान) यह सदन है। बलात्कार के अलावा कोई बात नहीं करते हैं यह।

श्रीमती ममता शर्मा : आप अपने स्तर को सुधारने की कोशिश कीजिये सबसे पहले। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें पुलिस क्या करेगी आप बताइए।

श्री रामस्वरूप : आप हंस रहे हो यहां महिलाएं भी बैठी हुई हैं और सिवाय बलात्कार के अलावा कोई चर्चा नहीं करते हैं। (व्यवधान) एक ही विषय है आपके पास।

श्री अशोक बैरवा : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, बलात्कार पर चर्चा बंद हो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम अहारी। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : +++ (व्यवधान) ऐसे सदस्य का इलाज करवाना बहुत लाजमी है। (व्यवधान) इनका इलाज करवाना बहुत जरूरी हो गया है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जाइए। मेरा निवेदन है आप विराज जाइए। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : ऐसे सदस्य का जिसका +++ सही नहीं हो उसको बिठाया जाय।

श्री रामस्वरूप : इस सदन में बलात्कार की ही चर्चा होती है और कोई चर्चा नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी यह बर्दाश्त नहीं होगा, विराजिए आप। माननीय सदस्य विराजिए। श्री नाथूरामजी अहारी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, 30 लोगों ने फांसी के फंदे से लटकर... (व्यवधान) सभापति महोदय, मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं मांग को वोट के लिये रखता हूं। आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : क्या कह रहे हैं साहब मैंने सुना नहीं।

श्री सभापति : मैंने सुन लिया सब।

एक माननीय सदस्य : कुर्ता फाड़ लो, वाक आउट कर दो।

श्री सभापति : माननीय नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-12, 16 और 17 के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। पुलिस विभाग का काम हमारे समाज में शांति कायम रखना, कुकर्म नहीं हो, हत्याएं नहीं हो, डाकू परेशान न करे, यह सब पुलिस का काम है। पुलिस के रवैये में काफी कुछ गड़बड़ियां हैं। पुलिस विभाग, खास कर के थानों में जो भी वादी जाता है उसकी एफ.आई.आर. तो दर्ज की जाती है, लेकिन उस केस के बारे में प्रतिवादी को कह दिया जाता है। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को केस में डालकर इन सबसे पैसा लिया जाता है और फिर उसी रिपोर्ट को आगे भेज दी जाती है। लोग पैसे इसलिए देते हैं कि हमारा केस नहीं बनेगा, हमारा नाम निकाल दिया जायेगा। पुलिस में जो काम होते हैं उसमें काफी कुछ गड़बड़ी होती है। इस बारे में मेरी मांग है कि पुलिस का जो इस तरह का रवैया है उसे सुधारा जाय और खास कर के थानेदार और जो छोटे कर्मचारी, सिपाही हैं वहां काफी गड़बड़ियां होती हैं। लोग पुलिस से बहुत डरते है। लोगों में तो यह होना चाहिये कि पुलिस आई है हमारी रक्षा हो जायेगी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूराम अहारी)

लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पुलिस में जिस तरह से अवैधानिक काम होते हैं उन कामों को रोका जाना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति : माननीय विश्नोई साहब, थोड़ा शांत रहिए।

श्री नाथूराम अहारी : 1995-96 में डूंगरपुर में एक केस बना था। एक मर्डर हो गया और वो लाश कुएं में मिली थी। शक के हिसाब से एक आदमी को पकड़ा और पकड़ कर उसको बंद किया। जब उसकी जांच हुई तो वह बरी हो गया और इसके बाद जिस कुएं में लाश मिली थी वहां के 12 परिवार के लोगों को गांव से निकाल दिया और इन सारे परिवारों की चल-अचल सम्पत्ति सारी नष्ट कर दी। उनके घर, उनके बीड़, उनके खेत सारे के सारे नष्ट कर दिये। मैंने पहले भी पूववर्ती सरकार में निवेदन किया था, चार एस.पी. बदल गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है आज तक 10-12 परिवार सगे संबंधियों में, कहीं कस्बों में अहमदाबाद में जाकर अपना गुजर बसर करते हैं। यह पूर्व सरकार की शिकायत है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी गत वर्ष से उसका निरीक्षण किया जा रहा है, और पाबंद किया जा रहा हैं, लेकिन यह कहकर कि मुर्दा को वापस जिंदा करे तब जाकर हम उन लोगों को गांव में बसने देंगे। कहने का मतलब यह है कि वहां पर पुलिस की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण उन लोगों को भारी परेशानी हो रही है। 10-12 परिवार गांव-गांव भटकते फिरते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, उनकी वापस अपने गांव आने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसका मेन कारण यह है कि पुलिस की थोड़ी लापरवाही है, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से किया है, यह कांग्रेस की सरकार है मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे नलबा के जो केस हैं वह सुलझाएं जाएं, 10-12 परिवार गांव-गांव भटकते फिर रहे हैं उनको वापस लाकर बसाया जाए।

आरक्षण के बारे में मेरी एक प्रार्थना है कि पुलिस में जो भर्ती होती है, चूंकि आदतन जो अच्छा काम कर सकते हैं, जनजाति के लोग, राजपूत, इस तरह के लोग हैं उन लोगों की भर्ती करेंगे तो मेरा मानना है कि यह लोग अच्छा काम कर सकेंगे। क्योंकि आदतन इनमें शूरवीरता है, यह काम करने की क्षमता रखते हैं, यह निडर होते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि आप जब भी भर्ती करें इस तरह के लोगों की भर्ती करें ताकि वह हमारी जनता की रक्षा कर सके, यह मेरी मांग है।

जघन्य अपराधी होते हैं उनको हमने अच्छी तरह से सजा नहीं दी है उनको मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जाता है। इसलिये मेरी मांग हैं जघन्य अपराध करने वाले जो लोग है, उनको कड़ी से कड़ी

(श्री नाथूराम अहारी)

सजा दी जावे और उन्हें शिक्षा दी जाये ताकि आगे कोई भी वह इस तरह का कार्य नहीं कर सकें।

पुलिस के कर्मचारियों में शराबबंदी होनी चाहिये। शराबबंदी नहीं है। इसलिये शराब के नशे में आकर यह गरीब लोगों की बात नहीं सुनते हैं इसलिये अधिकारी, खास तौर से पुलिस के अधिकारियों पर यह पाबंदी लगानी चाहिये। जो भी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उनको शराब नहीं पीनी चाहिये और लोगों का जो न्याय है उसे करना चाहिये।

एट्रोसिटी एक्ट के बारे में भी अभी चर्चा आई थी। उसमें क्या होता है, दो-तीन आदमी आपस की ज्वेलिसी निकालने के लिये, दुश्मनी निकालने के लिये किसी एस.टी. और ए.सी. के व्यक्ति को कह देते हैं कि आप लोग ऐसा केस कर दो ताकि वह आदमी फंस जाए। मेरी मांग है कि जब भी इस तरह का केस हो, उसकी बहुत छानबीन करनी चाहिये ताकि ऐसा कोई नाजायज आदमी और नाजायज केस न बन जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : पुलिस के कर्मचारी का जो वेतन है वह बहुत कम है, उनके वेतन और अलाउंस बढ़ाने चाहिये। आज के युग में मंहगाई बढ़ी है इसलिए हमारी मांग है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए और उनको आलाउंस भी अच्छा दिया जाएं।

छापों के बारे में मेरी मांग है, छापों के बारे में अक्सर कोई नहीं बोलता है। ऐसे लोगों के यहां छापे पड़ते हैं, पुलिस अधिकारी मंत्री, एम.एल.ए. इनके यहां भी छापे पड़ने चाहिये। छापे डालकर इनकी असलियत क्या है, ऐसे लोगों के पास कई ऐसी पूंजी है जिससे सरकार की तंगाई को दूर किया जा सकता है बशर्ते कि हम ठण्डे दिमाग से ऐसे लोगों को भी देखें और छापे डालें, यह मेरी मांग है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये।

श्री नाथूराम अहारी : डूंगरपुर जिला आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। मेरी मांग है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस चौकियां और थाने खोले जाएं और अच्छे ईमानदार व्यक्ति रखे जाएं जिससे गरीबों को परेशानी नहीं हो।

मैं परिवहन के बारे में भी दो बातें कहना चाहता हूं। परिवहन में अवैध वाहन खूब चलते हैं। आगे-आगे प्राइवेट बसें चलती हैं पीछे-पीछे रोडवेज की बसें जाती हैं, इससे रोडवेज को नुकसान होता है। हमारे यातायात मंत्रीजी ने बताया कि इस साल हमारा घाटा नहीं है, हम मुनाफे में हैं। लेकिन मैं आपसे मांग करता हूं कि इस तरह का जो रवैया है उसे बंद कराया जाना चाहिये। और जिन रूटों को अलाट किया

(श्री नाथूराम अहारी)

है उन रूटों में यह प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं दूसरे रूटों पर चलती हैं। तो इसके लिये भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन्हें बंद करें और रोडवेज की गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरारामजी (धोद)।

श्री नाथूराम अहारी : डूंगरपुर में जो सिल्वर लाइन की बस चलती है, एक बार 5 दिन के लिये चलाकर उनको बंद कर दिया गया। वह इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है बिलकुल खटारा गाड़ी दी है। मैंने मंत्रीजी से कहा है, मंत्रीजी ने कहा कि जल्दी से जल्दी बदल देंगे। मेरी मांग हैं कि डूंगरपुर की जो सिल्वर लाइन बस चलती है, उस गाड़ी को तुरन्त बदला जाए और नयी गाड़ी अलाट की जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री नाथूराम अहारी : डूंगरपुर सबसे ज्यादा दूरी का एरिया है। वहां पर कम से कम 10-12 एम.एल.ए. उस गाड़ी में सफर करते हैं, इसलिए आप तुरन्त उस गाड़ी को बदलें।

श्री सभापति : श्री अमराराम (धोद)।

श्री नाथूराम अहारी : जेल के बारे में मेरी यह मांग है कि जेल में अक्सर आदतन अपराधी को रखा जाता है लेकिन मेरी मांग है कि वहां पर ट्रेनिंग स्कूल खोलनी चाहिये। अच्छे से अच्छे विचार वाली और अच्छी पढ़ाने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये ताकि इनकी अपराध की प्रवृति को दूर कर सकें। उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी, अभी मेरे से पूर्व सदस्य ने बताया था कि खाने की व्यवस्था में बहुत ही पक्षपात किया जाता है, उसमें भी सुधार किया जाना चाहिये। जो अपराधी प्रवृति के लोग हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो वे वैसा ही अपराध करेंगे और जेल में भी इस तरह से करने लग जाएंगे। तो मेरी मांग है कि वहां अच्छे व्यक्ति रखे जाएं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम (धोद) समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, समय नहीं है तो मैं समझता हूं कि मेरा बोलना...(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : मांग संख्या-16 पुलिस, मांग संख्या-17 जेल और मांग संख्या-12 यातायात के संबंध में विचार रखे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मांग संख्या-16 जो पुलिस विभाग की है और सबसे ज्यादा जनता की जानमाल की रक्षा के लिये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग है। सभापति महोदय, जो जिम्मेदारी इस विभाग की है, सबसे पहली सीढ़ी थाना है। राजस्थान के साधारण व्यक्ति के मन में थाने के प्रति एक

(श्री अमराराम)

बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है। लेकिन उसी थाने में और पुलिस में जिनके दिल में पुलिस का भय होना चाहिये उनको तो भय नहीं है। जो अपराधी ब्लेक मार्केटियर्स हैं, जो समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले हैं, उनके दिल में पुलिस का भय होना चाहिये। वह तो स्वतंत्र है, उसको पुलिस में जाने में, पुलिस से कहीं कोई खौफ नहीं करते और जो आम आदमी है जो थाने में अपनी पीड़ा की रिपोर्ट, अपने साथ हुई दुर्घटना, घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुये आज राजस्थान का, मैं नहीं समझता कि शहर में, बाकी गांव का आदमी आज भी अकेला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने में, उसके मन में आज भी, 53 साल की आजादी के बाद भी भय है। यह भय जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक सही सेवा मैं समझता हूं कि इसकी नहीं हो सकती है और जो इसमें सबसे बड़ी, सभापति महोदय, यह विभाग का प्रगति प्रतिवेदन है, जिसको इस विभाग की सबसे बड़ी सहायता की आवश्यकता है। जो पीड़ित हैं, समाज में जो वर्ग, चाहे वह दलित है, चाहे महिलाएं हैं जिनके प्रति जो सामन्ती सोच हमारे राजस्थान का जो पूरे समाज में है, वहीं इस विभाग के प्रगति प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर है। जहां दो वर्ग, एक दलित और महिला, उनके जो आंकड़े दिये गये हैं, सभापति महोदय, वह केवल जो असफल, आज अगर गौर फरमाएंगे तो जो महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं उनमें से आपने लिखा है कि 25 प्रतिशत राज्य में जो व्यभिचार की घटनाएं हैं, उनमें से 25 प्रतिशत से अधिक अदमवकुआ के अभियोग पाये गये हैं। वहीं जो दलित का आपने दिया है उसमें लिखा है कि झूठे अपराध पंजीबद्ध 50 प्रतिशत से अधिक। सभापति महोदय, इसके अलावा भी जितनी भी घटनाएं हैं, इस प्रतिवेदन में कहीं भी इन दो, एक महिलाओं के साथ और दूसरा दलितों के साथ जो घटनाएं, उनका जो एफ़.आर. देने का प्रतिशत है, केवल उनका एफ.आर. देने का प्रतिशत इस प्रतिवेदन में है। बाकी भी एफ़.आर. होती है, उनका इस प्रतिवेदन में हो सकता है, माननीय गृह मंत्रीजी से मैं ज्ञानवर्द्धन करना चाहूंगा कि इस प्रतिवेदन में बाकी जितनी भी एफ.आई.आर. दर्ज होती है, उनमें कितने प्रतिशत में एफ.आर. लगती है, इस प्रतिवेदन में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इन दोनों वर्गों के साथ घटने वाली घटनाओं के साथ जो एफ.आर. लगने का प्रतिशत तो इसमें दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो आम एफ.आई.आर. दर्ज होती है उनमें कितनी एफ.आर. लगती है, उसका प्रतिशत नहीं देने का, इस प्रगति प्रतिवेदन में देने का एक ही मकसद है कि विभाग भी आज की तारीख तक उस मानसिकता से उभरा नहीं है। हम यही साबित करना चाहते हैं कि इनके, जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, इनकी घटनाएं झूठी

(श्री अमराराम)

हैं और दलितों की घटनाओं पर तो लिख दिया कि झूठी हैं।

सभापति महोदय, 53 साल की आजादी के बाद, राजस्थान इस देश में वह पहला प्रदेश है जहां अपना दूल्लहा और अपनी घोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी और कांग्रेस के राज में भी, भारतीय जनता पार्टी का तो समझ में आता है कि 52-53 साल की आजादी के बाद इस स्वतंत्र भारत में दलित अपनी घोड़ी और अपना दूल्हा, वह गांव के बीच में नहीं निकल सकता। भारतीय जनता पार्टी का तो समझ में आता है कि आज के डेढ़ साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 5 मिनिस्टर इन दलितों को घोड़ी से उतारने वालों के पक्ष में वहां सभा करने के लिये जाते हैं। लेकिन यह सरकार बदलने के बाद कांग्रेस, जो अपने आपको दलितों की बहुत बड़ी मसीहा कहती है, उसके डेढ़ साल के शासन में भी जितने दलितों को घोड़ी से उतारने की घटनाएं हुई हैं, उनमें अरेस्ट भी, आज से 3 दिन पहले कोटा में घटना हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। क्या इससे बड़ा अपमान, हम स्वतंत्र भारत के इस महान सदन में खड़े होकर यह कह सकते हैं कि हमारा विभाग, यहां टोंक में हुई, आज वह घटनाएं और उनके साथ किसी तरह से रिपोर्ट भी अगर दर्ज हो गयी, मुल्जिम नहीं पकड़े जाएंगे। अगर मुल्जिम पकड़े और एफ.आई.आर. भी दर्ज हो गयी तो उसका चालान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह का समाज का दबाव, हम इससे उभरे नहीं हैं कि गांव के अंदर उस दलित, आज भी 52-53 साल की आजादी के बाद, सभापति महोदय, कोई भी गांव में आज दलित किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उस समाज में जिसमें वह दलित जीता है उसके साथ किस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। दलितों के साथ सामूहिक हत्या होने का काम कुम्हेर काण्ड में हुआ। उन दलितों पर कितने मुदकमे हुए, वे तो ट्रायल होते हैं, जयपुर में आकर और उन पर अत्याचार करने वाले, उनके खिलाफ जो मुकदमा था, जिसमें आज तक चालान नहीं हुआ, वे ट्रायल हो रहे हैं भरतपुर के अंदर मतलब, परेशान करने के लिये किस तरह से विभाग, दलितों का जो ट्रायल होगा, कुम्हेर से चलकर जयपुर में और जो दलितों पर अत्याचार करने वाले हैं, उनका ट्रायल होगा भरतपुर में। क्या दर्शाता है ? यही दर्शाता है कि वह किसी न किसी तरह से परेशान हो। मुकदमा दर्ज भी हो जाए तो समाज का दबाव इतना होता है कि उनको मजबूरन हां करनी पड़ती है, बदलना पड़ता है। आज कोर्ट में, आज इस कोर्ट में मैं कह नहीं सकता हूं आज जितने भी चालान होते हैं, आपके, उनमें से सजा मात्र दो प्रतिशत में है। आज इस समाज में इस तरह की व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था है, जिस गांव में मंदिर में नहीं जा सकता है, घोड़ी

(श्री अमराराम)

पर नहीं चढ़ सकता है, आज हम उम्मीद करें, आज उन महिलाओं से उम्मीद करें कि 53 साल की आजादी के बाद जो 75-80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं उनकी महिलाएं आज भी स्वतंत्र भारत में अपना घूंघट उठाकर गांव के बीच में नहीं घूम सकती हैं। आज भी पुरुष प्रधान समाज है। उन महिलाओं, केवल हम यह कह दें कि महिलाओं के साथ दहेज की हत्याएं नहीं, आज जिस तरह का, पैसे का समाज है, जिसमें प्रभुत्व है, चाहे पैसा किसी भी तरह से कमाएं समाज में, उसका सबसे बड़ा सम्मान है।

आज पुलिस शराब माफियाओं की, जो शराब माफियाओं के बारे में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिस तरह से असलियत आज यह है, आज तो माननीय सत्तापक्ष के सदस्य यह कह रहे हैं कि मेरी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। इससे बुरी और क्या बात होगी। आज शराब माफिया राजस्थान में इस तरह से इनके जो, आज उनकी जो रेड पार्टी चलती है, सभापति महोदय, मर्डर करते हैं। लेकिन आज रिकार्ड उठाकर देख लें, रेड पार्टी जो भी शराब का अधिकृत ठेकेदार है उसके कहने से और निर्देश से चलती है। मर्डर होता है लेकिन आज तक आप एक भी, गृह मंत्रीजी, बता दें कि उस अधिकृत ठेकेदार का एक भी कहीं 302 में चालान हुआ हो तो। उसके आदेश से चलते हैं और राजस्थान में यह हालत है। मैं तो सीकर जिले की कह सकता हूं कि जब तक कोई सार्वजनिक लोगों का दबाव नहीं हो तो शराब ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। आज जो हालत हमारी बिगड़ती जा रही है, शराब माफियाओं ने, सभापति महोदय, जो सबसे बुरी हालत हमारे समाज में, जो माफिया, हमारे राजस्थान में जो डवलप हो रहा है, जो सबसे खतरनाक और पुलिस का जो उपयोग, जो मजदूरों के खिलाफ, कहीं भी, यह बात सही है उसको निष्पक्ष होकर कहना चाहिए लेकिन जहां मजदूर और मालिक के बीच में कहीं भी टकराहट आती है तो वह मजदूर के हक में खड़ी न होकर मालिक के पक्ष में खड़ी रहती है।

सभापति महोदय, आज सबसे बुरी हालत, मैं समझता हूं कि पुलिस में खौफ, जो साम्प्रदायिक लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से हिचकिचा रही है। आज फलौदी का प्रकरण आप देखें। नियम के अनुसार मेला भरा , सब प्रक्रियाएं पूरी की गई और 40 रेलवे के वेगन भर दिये गये और विरोध करने वाले साम्प्रदायिक लोग, एक घण्टे नहीं, 4 घण्टे तक उनको नहीं उतार पाये। पुलिस कोर्यवाही नहीं करती है। जब विद्यार्थियों को ले जाकर डिब्बों से उतारते हैं, और प्रतिपक्ष के नेता, कहा कि नहीं कहा, मैं कह नहीं सकता हूं लेकिन अखबारों में यह बयान देते हैं कि कहां से गाय ले जाई जा रही थी। जबकि मैंने खुद ने

(श्री अमराराम)

जाकर देखा है एक भी गाय नहीं थी, बछड़े और बैल, और हमारी सरकार विरोध नहीं करे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करे।

श्री अमराराम (धोद) : पुलिस नहीं करें। पुलिस आज भी डरती है, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं उन साम्प्रदायिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में आज भी पुलिस हिचकती है। चाहे वह फलौदी का प्रकरण हो, चाहे वह पीपाड़ का प्रकरण हो, चाहे लोसल का प्रकरण हो। अभी जो मोहर्रम का, लोसल के मोहर्रम को दफनाने के रास्ते के लिये लाइसेंस दिया गया लेकिन आर.एस.एस. के लोगों ने जाकर कलक्टर को ज्ञापन दिया, बंद का आह्वान किया।

(23.00 बजे)

मोहर्रम का दिया हुआ लाइसेंस, सीकर की पुलिस ने वापस ले लिया। कहा, यह रास्ता नहीं क्योंकि आर.एस.एस. विरोध कर रहा है। केवल किसी के नाजायज, वाजिब उन्होंने लाइसेंस दिया और 15 तारीख को रात को थानेदार वापस बुलाकर मोहर्रम से लाइसेंस ले लेता है। अगर हम ऐसे लोगों से डरेंगे, केवल जो समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, सभापति महोदय, आज भी अगर ऐसे लोग जो केवल अपनी राजनीति के कारण समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अगर सख्ती से काम नहीं करेगी तो समाज को बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब समाप्त करो, अब समाप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : दो ही मिनट में कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति : सभी ठीक बोलते हैं, यहां गलत कोई नहीं बोलता है। सभी ठीक बोलते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : परिवहन के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, +++ ने संघ के प्रचारक का अभी-अभी ...(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए, आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और यह हमको गलत बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि +++ आर.एस.एस. को बदनाम किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, यह +++ का नाम लेकर यहां क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : हमारी नेता हैं +++ उनका नाम लेकर इस तरह की बात करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री रामस्वरूप : माननीय दिलावरजी, +++ का नाम लेना ठीक नहीं होगा इस सदन के अंदर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब, अपनी पार्टी को नियंत्रित कीजिए, माननीय कटारिया साहब।

श्री रामस्वरूप : यह बीच में कहां से +++ का नाम ले रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने कहा है कि... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी धर्मपत्नी के बारे में ऐसी बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठो–बैठो। मैं कह रहा हूं, आप बैठो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कहां से कहां चले गये। यह +++ कहां से आ गयी ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ ने आर.एस.एस. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, दो दिन पहले जो राजनीतिक उपयोग पुलिस का किया जा रहा है, इस राजस्थान में जिस तरह से उपयोग और मैं ताईद करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने यहां खड़े होकर कहा कि सी.आई.डी. किसी भी मुकदमे को ठंडे बस्ते में कायम करने का पूर्ववर्ती सरकार ने किया, रींगस का एक 302 का मुकदमा आज तक वापस नहीं गया। सीकर में दहेज हत्या हुई, इस सरकार के टाइम में, अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में सदर थाने का मुकदमा था, डेढ़ साल से अभी सी.आई.डी. को आदेश देने के बाद वापस, इसलिए मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता।

सभापति महोदय, यातायात पर दो मिनट के लिए कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यातायात में सबसे बड़ी जो राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ यह जो कांट्रेक्ट केरिज है, जो रोडवेज में होना चाहिए, उसकी बजाय जिन्दगी के साथ खिलवाड़, यह कांट्रेक्ट केरिज बसें जो फ्राड चलती हैं, वह किस तरह से करती है, उसका सीकर में सभापति महोदय, उनको सीकर के अंदर से नहीं जाने के लिए जिला

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम)

कलक्टर, सीकर ने पाबंद कर दिया लेकिन वहीं रोडवेज डिपों के सामने जाकर रोडवेज के कर्मचारियों को मारने तक की धमकी देते हैं।

सभापति महोदय, मैंने कट मोशन दिया था, यातायात मंत्रीजी को इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कट मोशन के जवाब सबके पास भेजे हैं लेकिन आपने कहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जो दलाल व्यवस्था है, क्योंकि यह अधिकार-पत्र, नागरिक अधिकार-पत्र जारी कर दिया गया है। दलाल व्यवस्था खतम हो गयी है। आज भी किसी भी डी.टी.ओ. और आर.टी.ओ. आफिसों के सामने पूरे राजस्थान का एक भी कार्यालय ऐसा नहीं होगा जिसके सामने दस से लेकर पचास तक दलाल नहीं बैठे हुए हैं। यह आपके केवल नागरिक अधिकार-पत्र से नहीं होगा। इसलिए उन दलाल व्यवस्थाओं को खतम करना होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : अभी एक ही सैकण्ड में कर रहा हूं। सभापति महोदय, अभी 26 फरवरी को सीकर में किस तरह से मिलावट हो रही है, रोडवेज में डीजल का टैंकर गया और चार में से दो उसके भाग पूरे के पूरे केरोसीन के पकड़े गये। यहां से 112 किलोमीटर सीकर है। लगातार कई महीनों से यह मिलावट होती रही। आधा केरोसीन जाता रहा। रोडवेज की बसों का इंजन डाउन होता रहा। ड्राइवरों को कम एवरेज के कारण चार्जशीट मिलती रही लेकिन यहां के रोडवेज के अधिकारी दो दिन तक दबाव डालते रहे कि इस टैंकर में जो आधा केरोसीन है इसको निकाल दिया जाए। आपने कट मोशन का उत्तर दिया है कि तेल वहां डलवाया नहीं गया, उससे पहले जितने भी टेंकर गये हैं, कोई अधिकारी नहीं, आपने एफ.आई.आर. वहां के कर्मचारियों ने, डेढ़ दिन तक वे घूमते रहे, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी. कि शिकायत हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आती, डी.एस.ओ. उस पर कार्यवाही करने के लिए है लेकिन आज भी उस पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह से हमारे जो आम जनता की सवारी हो सकती है, बड़े लोग कार से चलते हैं, कोई एयर कंडीशनर में चलते हैं, कोई फ्लाइट से चलता है...

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलालजी।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन आम जनता की सवारी जो रोडवेज है उसकी मैं समझता हूं कि आप व्यवस्था करेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलालजी। हां, यह बात ठीक है, अबकी बात ठीक है। ऐसे सब हो जाए तो निहाल हो जाए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : आदरणीय सभापति महोदय, बजट सत्र

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

2000-2001 की मांग संख्या-16, 17 और 12 के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से फौजी की वर्दी को देखकर हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक के मन में अंदर जो श्रद्धा और जो सम्मान है, उसी प्रकार से खाकी वर्दी के प्रति जो लोगों और समाज के अंदर जिस प्रकार से घृणा का भाव पैदा हो रहा है, जो शंका की भावनाएं हैं, चाहे पुलिस की वर्दी का पहना हुआ वह कांस्टेबल हो, चाहे सी.आई. रैंक का आदमी हो, चाहे वह समाज के अंदर किसी भी तबके व परिवार के घर बाहर वह चाहे पूछताछ करने जाए, चाहे रिश्तेदारी के हिसाब से जाए तो सुबह उठते ही चर्चा होगी कि यह पुलिस वाला आपके घर पर कैसे आया है ? तो इस खाकी वर्दी के प्रति किस प्रकार से लोगों में श्रद्धा रहे, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पूर्व में क्या होता रहा, वह नहीं पर इस चौदह महीने के अशोक गहलोतजी के राज के अंदर असाध्य से असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को जिस प्रकार से मुख्य मंत्री सहायता कोष से एक रिलीफ मिली है, एक लोक देवता के रूप के अंदर जिस प्रकार से जो चमत्कार किया है, उसको देखकर इस समाज के अंदर इस खाकी वर्दी के प्रति आदरणीय मुख्य मंत्रीजी गहलोत साहब की तरफ से कोई इस प्रकार का उसका अधिकार-पत्र जारी हो ताकि गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ वह अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग का जो आदमी जिसको थाने में न्याय नहीं मिल पाता है, वह मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से किसी प्रकार का एक अधिकार-पत्र जारी होना चाहिए ताकि उनकी ग्रीवेंसेज को सुना जाए।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह थाने के अंदर आचार संहिता लागू होती है। आम नागरिक थाने के अंदर जाकर आचार संहिता को पढ़ नहीं सकता है इसलिए आचार संहिता का एक नागरिक अधिकार-पत्र भी जारी करके आम लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों को अपने मौलिक अधिकारों का और अपनी प्रतिवेदना के बारे में जानकारी रहे, इसके लिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आम नागरिक के लिए इस प्रकार का एक नागरिक अधिकार-पत्र जारी किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, एट्रोसिटी के अंदर जिस प्रकार के मुकदमे दर्ज होते हैं और एट्रोसिटी कानून ही इसलिए बनाया गया है कि वह दलित तबके के व्यक्ति के मन में जो व्यथा है, जो कुंठा है, मानसिक रूप से कुंठा से पीड़ित लोगों के प्रति वह एट्रोसिटी का जो केस दर्ज करवाता है और जांच के दरमियान उस आदमी को डरा-धमका कर उस एट्रोसिटी के अंदर जिस प्रकार से एफ.आई.आर. का जो दौर चल रहा है, मैं चाहता हूं इस पवित्र सदन के

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अंदर जिस प्रकार से एट्रोसिटी का यह जो कानून बना, उसी प्रकार से एक अनिवार्य कानून ऐसा लागू कर दिया जाए कि एट्रोसिटी के अंदर तो चालान ही पेश होना चाहिए, चाहे उसका फैसला कोर्ट करती रहे कि वह मामला झूठा था या सच्चा था। तो वह फैसला कोर्ट के माध्यम से छोड़ देना चाहिए। इसके अंदर तो चालान ही पेश होना चाहिए, ऐसा आप अनिवार्य कानून लागू करें तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति व जनजाति और दलित वर्ग के साथ में कोई न्यायसंगत बात होगी।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से चाहे पक्ष के सदस्यों ने, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बात कही कि पिछले राज के अंदर दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता था, बिलकुल सही बात है। पिछले राज में और इस राज के अंदर रात-दिन का फर्क है। पिछले राज के अंदर हमारे कार्यवाही नहीं होती थी और इस राज के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने जिस प्रकार से सरकार बनते ही कड़े सख्त निर्देश दिये कि अगर अनुसूचित जाति व जनजाति का दूल्हा घोड़ी से उतरा तो दूसरी तरफ उसी के संबंधित अधिकारी अपनी कुर्सी से नीचे उतर जाएगा, इतना बड़ा जो वक्तव्य दिया, वह अनुसूचित जाति के साथ एक सम्मान की बात कही, इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के हम हृदय से आभारी हैं। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबकों को न्याय मिले इसके लिए मैं चाहता हूं हरेक थाने के अंदर वैसे नागरिक समितियों का गठन किया गया है लेकिन प्रभावी रूप से यह लागू नहीं है। इसलिए इनको भी प्रभावी रूप से लागू किया जावे ताकि पीड़ित पक्ष उन नागरिक समितियों के माध्यम से जाकर अपनी एफ.आई.आर. वगैरह लांज करवा सके। इसलिए भी एक प्रभावी कानून बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, जो अपराध की जड़ है वह है शराब और शराब के माफिया आज पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, मेरा यह मानना है, सभापति महोदय, कि पुलिस डिपार्टमेंट सरकार के अधीन नहीं चल रहा है वह चल रहा है शराब के ठेकेदारों के अधीन। शराब के ठेकेदारों की सिफारिश के माध्यम से ही हर जिले के अंदर एस.पी. लगाये जाते हैं इसलिए कि उन ठेकेदारों के माध्यम से जो एस.पी. लगा हुआ होगा, वह कभी भी दलित वर्ग की या आम नागरिक की जो भी जन समस्या होगी या जो भी पीड़ित होगा, उनकी जो प्रतिवेदना होगी या वेदना होगी उसके ऊपर वह सुनवाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ रात्रिकालीन से लेकर सवेरे तक मात्र कि दूसरे जिले से शराब नहीं आ जाए उसके लिए ही केवल वह अपनी जीप के माध्यम से रोकथाम कर पाएगा और आम आदमी की सुनवाई नहीं

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

कर पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले में जरा विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अशोक गहलोतजी की यह पारदर्शी सरकार है और इस राज के अंदर अगर पुराना वाला कुशासन और यह वर्तमान में जो शराब ठेकेदारों पर अगर अपन ने पाबंदी नहीं लगायी तो मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर इस समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा।

(23.12 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियों के अंदर पुलिस थानों के साये के अंदर जो अवैध शराब की दुकाने हैं उन शराब की दुकानों को किसी प्रकार से बंद किया जाए। इसलिए मेरा मानना है कि अवैध शराब की जो दुकानें हैं, आबकारी विभाग से भी हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं उसमें अनुसूचित जाति व जनजातियों की बस्तियों के अंदर वह दुकानें अवैध पाई जाती हैं। मांग करने के बावजूद भी अवैध शराब की दुकानें नहीं हटायी जातीं। इसलिए मेरा मानना है कि जो जुल्म और अपराध उन बस्तियों में होते हैं उनकी रोकथाम के लिए अवैध शराब की दुकानों को तुरन्त प्रभाव से बंद करवा दी जाएं। तो मैं समझता हूं कि अपराध पर काबू पाया जा सकेगा।

आदरणीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ए.पी. और सी.पी. की पिछली बार समान मानते हुए 19 अधिकारियों के तबादले कर दिये गये, लेकिन पिछले राज के अंदर, चाहे इस राज के अंदर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को फील्ड में सर्विस नहीं देने के कारण, इसको एक असमानता का कारण मानते हुए और इसकी आड़ के अंदर पाबन्दी लगा दी, जो गलत है। मैं यह मानता हूं कि ए.पी. और सी.पी. को समान मानते हुए उन अनुसूचित जाति व जन-जातियों के अधिकारियों को भी मौका दिया जावे। वह भी सक्षम हैं। वह भी सेवाएं देने में हर प्रकार से सक्षम हैं। इसलिए उन लोगों को फील्ड के अंदर सर्विस करने के लिए मौका दिया जाए।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन के बारे में आदरणीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि केकड़ी के अंदर तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और तीन राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर वह केन्द्र बिन्दु है और सबसे बड़ा राजस्व मैं समझता हूं अजमेर जिले के अंदर केकड़ी उपखण्ड से रोडवेज को राजस्व आय प्राप्त होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केकड़ी को डिपो घोषित किया जाए क्योंकि अजमेर जिले के अंदर दो-दो डिपो हैं अजयमेरू आगार और अजमेर आगार। दोनों में से एक आगार को यदि वहां शिफ्ट कर दिया जाए, बसें वगैरह सवेरे वहां से स्टार्ट हो जाएं, मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा और एक ही जगह अपने दो-दो

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

आगार रहने से कोई औचित्य नहीं है और इससे सरकार के ऊपर विशेष खर्च भी नहीं होने वाला है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उपखण्ड स्तर पर निरीक्षक कार्यालय भी खोले जावें जिससे राजस्व आय भी प्राप्त होगी और अवैध बसों और डिपो का संचालन भी बंद होगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के बारे में सबनें बात कही। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बस चालक के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हुए उनको हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जावे क्योंकि रात्रिकालीन जो बस चालक 52 या 60 सवारी को लेकर कृष्ण भगवान रूपी सारथी बनकर उस बस को चलाता है, उनकी हिफाजत करता है और सफल संचालन करता है इसलिए उन चालकों के प्रति संवेदनशील होते हुए उनको विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागृह के संबंध में जिस प्रकार से बालबंदी कारागृह हैं उनके अंदर बच्चों को किसी प्रकार का श्रम कार्य नहीं करवाया जाए। उसमें शिक्षा की जागृति पैदा करने के लिए मैं चाहूंगा कि वहां पर राजीव गांधी पाठशाला खोलकर उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए और जहां कारागृह हैं जिसको पश्चाताप गृह भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन बंदियों को भी औद्योगिक प्रशिक्षण देवें ताकि भविष्य के अंदर जब भी वह अपना कारावास का समय काटकर जाए तो कम से कम स्वरोजगार उसको मिले ताकि वह वापस चोरी, डकैती, खून-खराबा समाज के अंदर नहीं करे। वह स्वरोजगार मिलने के लिए रोजगार प्राप्त करें। ऐसे कारागृहों के अंदर धार्मिक प्रवचनों का भी ध्यान रखा जाए ताकि लोगों में पश्चाताप होवे। पुराने वाले समाज के अंदर वह अच्छे आदमी बनकर समाज की सेवा कर सकें। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : परम सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी मुझे अन्तिम छोर में बुलाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो बहुत बाकी है, कहां अंतिम है। अभी कहां अंतिम है।

श्री घासीलाल मेघवाल : आज भी धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-12, 16 और 17 पर चर्चा हो रही है। मैं भी इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। मैं सर्वप्रथम मांग संख्या-16 के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व अनेक माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग के बारे में अपनी राय व्यक्त की। मैं भी यह बताना चाहता हूं

(श्री घासीलाल मेघवाल)

कि पूर्व में कितने ही माननीय सदस्यों द्वारा एट्रोसिटी एक्ट धारा-3 के दुरुपयोग के बारे में कहा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 52 प्रतिशत अधिक अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है जबकि यह जो किताब है, इसमें 1998 और 1999 में मात्र 1.94 प्रतिशत की वृद्धि बतायी गयी है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए बोला था और आपने पढ़ लिया सब। थोड़ी कृपा करके पृष्ठ नम्बर मैं बता देता हूं। (व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप इनको रैफर मत करो, आप तो अपनी बात कहो। आप अपनी बात कहो। आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : मुझे गलत साबित किया है। मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं गलत बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप अपनी बात कहो। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : एट्रोसिटी एक्ट के बारे में मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ऐसे अनेक मुकदमे हैं आज भी, हिन्दुस्तान को आजाद हुए 52 वर्ष हो गये। मेरे पूर्व वक्ता भाई बाबूलालजी ने भी बताया आज भी आप गांवों में जाकर देखिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी खराब है। गांवों में आज भी शिड्यूल्ट कास्ट की महिलाओं को चप्पल पहनकर नहीं निकलने दिया जाता है। यहां तक कि जिस मंदिर को मेहनत करके अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति तैयार करता है, बनाता है, एक-एक ईट-पत्थर जोड़ता है उस मंदिर के पत्थर रखने के बाद जिसको वह बनाता है, उसमें उसको नहीं चढ़ने दिया जाता है, यह बड़े शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस किताब में दिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार के संबंध में जिला स्तर पर कमेटियां बनायी गयी हैं। मुझे 14 महीने हो गये लेकिन मैं बूंदी की बात करूंगा, बूंदी जिले में अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, सम्माननीय अशोकजी गहलोत, जो चाहते हैं दलितों को न्याय मिले, गरीबों का भला हो लेकिन इस प्रकार से कैसे काम चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर देखा जाता है कि जन सहभागिता के आधार पर राजस्थान के अनेक जिलों में पुलिस थानों और आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस थानों के निर्माण में और आवास निर्माण में जो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग

(श्री घासीलाल मेघवाल)

होते हैं वही पुलिस वालों से डर कर चंदा देते हैं और वही लोग अत्याचार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रवृति को रोका जाय ताकि गरीबों को न्याय मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस थानों में आम तौर पर देखा जाता है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होता है तो पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था भी की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी घंटी का डर लग रहा है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा कर खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से अपराधियों द्वारा आधुनिक हथियारों को अपनाया जा रहा है, आज हमारी पुलिस व्यवस्था में आप देखिये कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की बात करता हूं, मैंने देखा है कि सुबह उठते ही पुलिस वाला रोड़ पर खड़ा होता है और किसी ट्रेक्टर को हाथ देता है। वह इसलिए हाथ देता है कि जीप को स्टार्ट करनी होती है, जीप को ट्रेक्टर के पीछे बांधा जाता है और उसको खींचा जाता है तब जाकर वह स्टार्ट होती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी पुलिस थानों में आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के वेतनमान को भी ठीक किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेल पर एक मिनट बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिले में सलाहकार समितियों का गठन किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन सलाहकार समितियों की अतिशीघ्र बैठक बुलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन पर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए एक मिनट ही बोलूंगा। माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि हमें हमारी गाड़ियों की लालबत्ती की इजाजत दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैं अक्सर बस में बैठ कर जाता हूं, मुझे जयपुर और कोटा के बीच में दो चीजें रास्ते में मिलती हैं या तो रोडवेज की बस मिलती है जो खराब होकर रास्ते में पड़ी रहती है या फिर ट्रकों की लाइन मिलती है। वहां ट्रकों की लाइन क्यों मिलती है ? रास्ते में जगह-जगह ट्रेफिक पुलिस चौथ वसूली करती रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, रात को 11.30 बजे कल मैं और माननीय सदस्य अशोक तंवरजी आ रहे थे यहीं लक्ष्मी मंदिर टाकीज के पास में

(श्री घासीलाल मेघवाल)

देखा है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण सदन के सभी माननीय सदस्यों का यह मत है कि पुलिस से बहुत कुछ अपेक्षाएं तो रखते हैं, कि यह पूर्ति भी उसे करनी चाहिए, यह भी उसे करना है लेकिन सदन के सभी माननीय सदस्यों को उसके दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम वास्तव में अपने इस पूरे बेड़े पर खर्चा क्या करते हैं ? कितना प्रतिशत हमारे बजट का इस पर खर्च होता है, अगर इसको देश की तुलना में लें तो हम कहां स्टैंड करते हैं और इसमें से भी जितना हमारा बजट है उसमें से अधिकांश हिस्सा तो केवल वेतन-भत्तों में ही जाता है बाकी हिस्से में तो हमारा नहीं के बराबर खर्चा है। अगर हम वास्तव में कोई पोजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं, कोई अच्छी उपलब्धि चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस पक्ष की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। पिछले 1998-99 में टोटल बजट जो था वह 592.52 करोड़ था और वह टोटल बजट का जो परसेंटेज है वह मात्र 3.3 प्रतिशत है और अबकी बार जो आपका इसका खर्चा है वह 3.6 है। यानी यह परसेंटेज के हिसाब से भी हम कोई बहुत ज्यादा इस पर नहीं बढ़े जबकि देश का एवरेज खर्चा जो पुलिस पर आता है वह 5 प्रतिशत आता है। कहां पांच प्रतिशत कहां 3.3 प्रतिशत। अब इसके आधार पर हम उनसे उम्मीद तो बहुत लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो इन दूसरे पक्ष को भी मजबूत करने के लिए प्रयास करें। जितना हमारा पुलिस पर खर्च होता है उसका 87.66 प्रतिशत तो केवल वेतन-भत्तों पर होता है और 12 प्रतिशत में बाकी आइटम हैं जिनमें उनके कार्यालय का व्यय भी है, संयत्र, उपकरण भी उसमें हैं, वर्दी भी उसमें है, वाहन है, उनका संधारण है, बाकी पुनर्गठन है, लेखन सामग्री, मुद्रण जो भी है यह सब 12 प्रतिशत में हम खर्चा करते हैं और बाकी सेलेरी हैड में जाता है। क्या हम इसके आधार पर यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कोई बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं ? अगर हमारे इस प्रतिशत को ठीक किया जाय कि हमारा वेतन-भत्ते पर कितना खर्चा और उसकी बाकी चीजों पर कितना हो तो निश्चित रूप से होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सारे के सारे बेड़े में सबसे पहले अगर कोई तकलीफ में है तो हमारा कांस्टेबल है। कांस्टेबल को जहां आप ट्रेनिंग में भेजते हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहे वह पुलिस लाइन में रहता है, चाहे कहीं भी रहता है उसके बच्चे की शिक्षा का क्या होगा ? अगर वास्तव में कोई सबसे दुःखदायी विषय है इस पूरी पुलिस के सर्विस में तो उनके बच्चों की शिक्षा है। ना तो वे अपने घर जा सकते हैं ना अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, ना उनके बच्चों की कोई एजुकेशन का हमारा ध्यान है। तो जब हम इतना खर्चा करते हैं तो कम से कम जहां-जहां हमारी पुलिस लाइन है वहां कम से कम इनके बच्चों के लिए कोई होस्टल की या कोई रेजिडेंशल स्कूल की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके पिताजी तो किसी भी तरह से थक कर मर जायेंगे लेकिन कम से कम उनके बच्चे तो ठीक प्रकार से पढ़ें। वास्तव में विशेषकर जो कांस्टेबल हैं उनके बच्चों की अगर हिस्ट्री उठा कर देखी जाय तो सबसे ज्याद जिंदगी पूरे महकमे में अगर किसी की खराब होती है तो इस कांस्टेबल के बच्चों की होती है और उसके परिवार की होती है। इस दृष्टि से निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए। हो सकता है अभी राजस्थान में हम सब जगह शुरू नहीं कर सकें परन्तु हम जयपुर करें फिर अगली बार जोधपुर करें, जैसी हमारी आर्थिक क्षमता बनती हैं। परन्तु हमको जरूर इन सारे लोगों के लिए कोई रेजिडेंशल स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए जहां इनके बच्चे रह कर ठीक प्रकार से शिक्षा-दीक्षा कर सकें और योग्य बन सकें।

दूसरी बात, जहां कारगिल में शहीद होते हैं तो उनके बारे में तो सारा देश सहयोग करता है लेकिन पुलिस का आदमी भी कभी-कभी एनकाउंटर करता है, कभी किसी न किसी दंगे-फसाद में जाता है और ऐसे समय में वह जब मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में हमने उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की ? इस दृष्टि से हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। उसका काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, वह अपनी जान पर खेल कर इस शांति व्यवस्था को कायम करता है। कोई बीमारी से मर जाता है, उसे छोड़ दीजिये, कोई और बात से मर जाता है उसे छोड़ दीजिये लेकिन किसी न किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से उनके बच्चे को ठीक प्रकार की नौकरी मिले, ठीक प्रकार की व्यवस्था हो, इसके बारे में भी हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि कई कांस्टेबल की शारीरिक क्षमता इतनी कमजोर होती हैं, थाने में अगर आप कभी देखने का प्रयास करें तो उनमें से 14 की जो नफरी है उस नफरी में दो-तीन तो ऐसे मिल जायेंगे जिनको अगर जोर से धक्का दें तो जा गिरेगा। मेरा व्यक्तिगत सोच हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, उनमें से एक-दो को टीबी निश्चित निकल जायेगी। क्या हम इनके लिए कोई मेडिकल की दृष्टि से विचार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करते हैं कि इनकी यह स्थिति क्यों बनती है। हम जिस मैस भत्ते की बात को कहते हैं, 300-350 रुपये की, क्या 300-350 रुपये में उसको महीने भर की रोटी मिल सकती है 300-350 रुपये जो आप देते हैं उसके अलावा उसको अपनी तनख्वाह से मिलाकर अपनी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या हम उसके लिए इतनी भी व्यवस्था नहीं कर सकते कि कम से कम वह ठीक दाल रोटी खा सके ? उसके लिए जितना खर्चा आये उसको आप सीमा में और पैसे में मत बांधिये। अगर आप पैसे में बांधते हो तो 350 के बाद जो भी खर्चा होता है वह उसकी तनख्वाह से कट कर उससे एडजस्ट करते हैं, कुछ भी करते है, कुछ भी करते हैं। यह उसके लिए किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से आपको इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए और इस विचार के आधार पर ही अगर हम चलेंगे तब तो हम इनसे कामें लेने के लिए भी अगर ठीक प्रकार से सुविधाएं देकर फिर इनको काम की दृष्टि से अगर कसने का प्रयास करेंगे तो ठीक होगा। कमियां खामियां सब में है। कोई ऐसा नहीं है कि सब के सब खराब हैं और सब के सब अच्छे हैं। लेकिन बार-बार इस बात को इंगित करके इस पूरे महकमे को इस ढंग से देखते हैं, यह देखने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। मेरा आपसे एक विशेष आग्रह यह है कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, जैसा संयमजी भाई ने कहा, बात बिलकुल ठीक है, इसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आपने जो यह प्रगति रिपोर्ट दी है दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का विवरण यह जीरो है। आखिर आपकी इतनी बड़ी फौज है इसमें सब योग्य हैं ? सब बहुत अच्छा काम करते हैं ? किसी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होना चाहिए ? अगर हम इसके आधार पर प्रशासनिक तंत्र को सुधारना चाहेंगे तो कभी न आज सुधरा है और न कल सुधरेगा। जो भी खराब हो, कितने हो, संख्या में उसकी कोई सीमा नहीं है। निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए और इस कार्यवाही को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है ? एक आदमी को तो आपने, सेवा से पृथक तो है जीरो। सब आदमी चाहे वह दारू पीकर धमाल करे तो चलेगा। वह दारू पीकर बलात्कार करे तो भी चलेगा। मतलब सबको कोई धर्मशाला बनाकर इसमें रखने की इच्छा है क्या ? अगर उसका काम ठीक नहीं है तो उसे निश्चित रूप से दण्डित करना चाहिए और दण्डित ऐसा करना चाहिए कि बाकी के लिए एक सबक बन सके और उस दृष्टि से अगर आप डिस्चार्ज करेंगे और केवल पदावनत एक आदमी को किया, वेतन में कटौती एक व्यक्ति को, वेतन वृद्धि भविष्य प्रभाव से, यह कोई दण्ड है ? अगर इस आधार पर आप इतने बड़े डिपार्टमेंट को जिसके बारे में जनता के मन में यह बैठा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुआ है कि यह डिपार्टमैंट बिलकुल लोगों को लूट खाने के लिए है, जनता के मन में जिसके प्रति एक घृणा–नफरत बैठ गयी है। कुछ लोगों के क्रिया–कलापों के कारण सारे विभाग को जिस प्रकार से लांछित होना पड़ता है। उस विभाग की सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है उससे यह लगता है कि केवल खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। हम इसको गहराई से न देखते हैं न कोई इसका ठीक-प्रकार से निरीक्षण करते हैं। कभी थाने में जाकर निरीक्षण करने की किसी को फुरसत नहीं। क्या उसने अपराध किया, उसको देखने की किसी को फुरसत नहीं और इसके कारण से जो व्यवस्था में हम सुधार करना चाहते हैं वह व्यवस्था इस तरीके से नहीं सुधर सकती। अब केवल इन आंकड़ों के आधार कुश्ती लड़ें कि आपके समय कितने बलात्कार हुए और हमारे समय में कितने, यह कोई मतलब नहीं है। कोई सा राज रहेगा, बलात्कार होंगे। कोई जादू की तरह से डण्डी घुमाकर के कह दे कि मैं बलात्कार रोक लूंगा। यह कोई मतलब नहीं है और न उनकी संख्या की जोड़–तोड़ कि तीन पहले ज्यादा हुए, तीन अब ज्यादा हुए, उससे भी कोई मतलब नहीं निकलता है लेकिन मतलब इस बात से जरूर निकलता है कि बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को हम किस प्रकार से दण्ड दे सकते हैं और उसके दिमाग में भय बिठा सकते हैं। आखिर यह पुलिस है किसके लिए ? भय के लिए है। भय के आधार पर लोग अपराध नहीं करें। उसको इस प्रकार का भय होना चाहिए कि मैंने अगर अपराध किया है उसका यह दण्ड मुझे मिलेगा लेकिन हम वह नहीं कर पाये और इसके कारण से आपने देखा होगा कि मैं केवल दो तीन घटनाएं आपको बताता हूं। इन घटनाओं के आधार पर आपको स्वयं को लगता होगा कि आखिर हमारी कितनी लचर व्यवस्था है जिसके कारण से अपराध आदमी नहीं करता है पुलिस द्वारा अपराध करता है और उसके बाद भी उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या बात होगी। अगर किसी आदमी को दण्ड मिल जाता है मिल जाता होगा वह आपका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन उससे कानून तोड़कर उसने गलत काम किया है, विभाग के लिए कलंक का काम है तो उसको बचाने के लिए पुलिस की जरूरत कहा है। न उसमें कोई यह सरकार आड़े आती है और न वह सरकार आड़े आती है लेकिन कुछ मानसिकता ऐसी है जिसके कारण पुलिस की छवि खराब हो जाएगी। इस छवि को बचाने के लिए जैसे ही ढकने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही अंदर से विस्फोट हो जाता है। आपने देखा होगा कि रेनवाल की घटना क्या थी। क्या रेनवाल की घठना इस सम्पूर्ण पुलिस जगत को कलंकित करने वाली घटना नहीं है ? एक कांस्टेबल दारू पीकर रात को एक बजे पड़ौसी के घर में घुस गया। उसकी 16

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साल की बच्ची के साथ जो कि परिवार की बच्ची थी उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ की कोशिश की। उसके मां-बाप और भाई जग गये और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद रात को दो बजे एफ.आई.आर. लिखवाने के लिए गये तो थाने वालों ने कहा, अभी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होगी, कल सवेरे होगी। फिर सवेरे गये तो कहा कि नहीं एफ.आई.आर. कोई दर्ज नहीं होगी और फिर उसका बाप भी गया। कोई एफ. आई.आर. दर्ज नहीं होगी तो फिर और क्या करता ? जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई उसने सड़क के चौराहे पर आकर अपनी दास्तान सुनायी। लोग उससे क्रोधित हो गये और क्रोधित होने के बाद उन्होंने, निश्चित रूप से थानेदारजी आये थे। उसकी जीप को जला दिया अब उनकी जीप जला दी तो आपका उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं करो। एक तो पाप आप करो और पाप को भी दबाने की कोशिश करो अपने डण्डे के बल के आधार पर तो, इस तरह से तो व्यवस्था नहीं चलती। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस रेनवाल की घटना में जिस व्यक्ति ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और एफ.आई.आर.दर्ज करना कोई पाप तो नहीं है ? पता लग जाएगा। अगर दोषी नहीं है तो नहीं है। क्या एफ.आई.आर. दर्ज करने से कोई संख्या बढ़ जाएगी या पुलिस बदनाम हो जाएगी, ऐसी सोच जो है वह ठीक नहीं है और इसके कारण से उस व्यक्ति को भी दण्डित करना चाहिए जिसने एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना किया। बाकी लोगों के ऊपर तो आपने 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तुमने जीप जला दी, तुमने ट्रक जला दिया और फलां कर दिया और आपने गोलियां चला दीं बिना बात के। यानी अपराध कोई करे और सजा जनता भुगते। इस प्रकार के बरताव के आधार पर हम व्यवस्था को सुधारना चाहें तो नहीं सुधरेगी।

आपने देखा होगा बांदीकुई की घटना। ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं ? यानी यह कोई अपराधवृत्ति नहीं लेकिन यह जो शराब के नशे में आदमी अपना जो बैलेंस खो देता है उसके कारण से ये अपराध ज्यादा होते हैं। आप इसी तरह से इन माननीय सदस्य का और मेरी भी यह राय है कि कम से कम थानों में शराब को आप कैसे भी रोकिए। इसके लिए कठोर कदम उठाइये। और यह हकीकत है कि रात को आप 11 बजे जाएंगे तो आपको दो चार तो नशे में धुत्त मिल ही जाएंगे। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि महीने में एकाध बार तो एस.पी. साहब दो चार दारूड़ियों को पकड़ कर और उनको नौकरी से घर भेज कर आ जाएं कि तू जा घर। जो होगा तू मुकदमा लड़ेगा। कोर्ट से जीत जाएगा तो तुझे घर बैठे सारी तनख्वाह भेज देंगे। दस हजार, बीस हजार, दो चार लाख, जायेगा तो जायेगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन कम से कम बाकी दारूड़ियों को तो सबक मिल ही जाएगा कि थाने में दारू पीने की जगह नहीं है। अगर उसे पीने का शौक है न, जब तक यह बात नहीं करेंगे तो यह नहीं होगा। बांदीकुई की घटना क्या है ? कुछ नहीं बस एक पड़ौसी का बच्चा, पांच साल का बच्चा उसका पड़ौसी उसको लेकर स्कूल से गया। न तो वह अपराधी था, न कभी कोई ऐसा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज था। केवल बात यह थी कि उसके मन में यह आया कि मुझे कोई न कोई फिरौती का पैसा मिल जाएगा और किसी न किसी ने समझाया होगा कि इस बच्चे को उठा लिया। कुछ न कुछ पैसा कौड़ी मिल जाएगा। इसके कारण से उसने उठा तो लिया, फोन भी करा दिया कि मुझे एक लाख रुपया फलां जगह भेज दो। वह पैसा नहीं पहुंचा। उसको डर लगा। पहली बार तो किया था उसने। उसने सोचा कि पता लग जाएगा तो उसने बच्चे को वहां मार दिया। यह घटना है। यह इस बात को साबित कर रही है कि यह कोई अपराध की मनोवृत्ति से उस आदमी ने नहीं किया लेकिन उसके दिमाग में जो बात आयी वह यह आयी। उसे भय नहीं है। कानून का कोई डर ही नहीं। उसने सोचा मैं कुछ भी कर लूंगा कोई बात नहीं। यह जो भयमुक्त समाज हो रहा है, अपराधी भयमुक्त नहीं होना चाहिए। समाज तो भयमुक्त होना चाहिए लेकिन अपराध करने वाले के दिमाग में से अगर भय निकल गया तो फिर यह हमारी व्यवस्था नहीं चल सकेगी और यह जो अपराध हुआ है यह उसी कारण से हुआ।

आपने देखा है, जयपुर की बैंक डकैती को। उसमें आपने देखा है कि कितने अच्छे परिवार के लोग थे। खाते-पीते लोग थे लेकिन आजकल जिस प्रकार का टी.वी. वगैरह में देखते हैं कि एक दिन में लखपति बनने की सोचते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग थे। पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने बैंक डकैती की। यह सब इस बात को इंगित करता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि इस अंधेरगिरी में सब चलेगा। यह जो मन में बैठ गया कि इस अंधेरगिरी में सब चलेगा। यह कुछ नहीं होगा। इसके कारण से यह अपराध की वृत्ति बढ़ रही है। इसकी जड़ में जाने की कोशिश करें कि इन लोगों के दिमाग में अपराध के प्रति भय नहीं होने की जो वृत्ति बनती जा रही है इसको रोकना आवश्यक है। कौन बलात्कार करता है, कौन नहीं करता है लेकिन उस करने वाले व्यक्ति को हमें नहीं छोड़ना चाहिए।

इसी तरह तिब्बती लड़की को जो ले गये थे वे भी कोई आदतन आपराधी नहीं थे। इनका भी पुराना कैरियर कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई इस प्रकार की दो पांच घटनाएं की हों लेकिन वही शराब का नशा। शराब के नशे में एक महिला रात को मिल जाए तो देखा चलो ले चलें। यह जो वृत्ति है इस वृत्ति को रोकना आवश्यक है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसको आप नहीं रोक पाये तो आप लाख कोशिश कर लो, यह अपराध कभी नहीं रुक सकते। अपराध करने वाले लोगों के मन में इस बात का भय बिठाइये। तभी तो पुलिस है, पुलिस का काम है। अगर पुलिस से सज्जन को डर लगे तो दुर्भाग्य है इस पुलिस का। सज्जन आदमी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी है। मेरी इज्जत की तो रक्षा होगी और जो दुर्जन व्यक्ति है, पापी है उसको भय लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां तो घोड़े और गधे सब एक भाव हो गये। न उनको भय लगता है और न इनको भय लगता है। ऐसा लगता है कि सारे लोगों ने ऐसी कोई जोड़-तोड़ बैठा रखी है कि अपराध करने के पहले और उस अपराध के कारण से उनमें जो सत्यता है वह यह है कि अपराधी कहीं न कहीं जुड़े हुए लोग हैं इनका तार कहीं न कहीं पुलिस के साथ बंधा हुआ है। अब उस तार को तोड़िए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अपराधी हमारे ध्यान में ही नहीं आये तो हम क्या डिपार्टमैंट चला लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं हो सकता कि अपराधी पुलिस के ध्यान में नहीं हो। चाहे वह उदयपुर की पुलिस हो और चाहे आपके वल्लभनगर की पुलिस हो, ऐसा नहीं है कि उस गांव में रहने वाले बदमाश और अपराधियों को वे नहीं जानते हों और इनके कारण से आपने देखा कि उदयपुर में पांच दिन पहले जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कोई गोली से मर रहा है, फायरिंग हो रही है, कहीं तलवारों से वार हो रहा है। यानी सारा का सारा शहर अराजकता में जा रहा है और आपने देखा होगा, एक गुजराती जो पर्यटक आया उसका जो स्टेटमेंट था, उसने कहा कि मैं तो यह सोचता था कि उदयपुर तो शांत नगर है लेकिन चार दिन से मैं यहां रह रहा हूं उन चार दिन के अखबार पढ़ने के बाद यह लगा कि यह तो बिहार की दिशा में जा रहा है। एक गुजराती जो घुमक्कड़ आदमी है, जो हमेशा इस प्रकार का मानस रखता है परिवार को लेकर रात को निकलता है दिन को निकलता है, कभी भय नहीं लगता था उदयपुर में लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगा कि वास्तव में इस दृष्टि से भी सारी की सारी स्थिति बिगड़ती जा रही है।

अब आपने यह जो प्रगति रिपोर्ट दी, मैं सोचता हूं कि आप इस प्रगति रिपोर्ट को देखें तो आपको स्वयं को अन्दाजा होगा। आपने बाकी सब चीजें बता दीं इतने अपराध हुए अपराध का परिणाम क्या हुआ ? क्या आप अपनी प्रगति रिपोर्ट में यह नहीं देना चाहते हो कि आपके कितने केस तो चालान हुए, कितने चालान में सजा हुई, कितने एक्विटल हुए, क्या इसको देखना नहीं ? केवल दर्ज करना और उसकी संख्या बताना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान के लोगों को। यह बेईमानी है राजस्थान की जनता के साथ। जब आप इतना बड़ा डिपार्टमैंट चलाते हो तो निश्चित रूप से आपको यह भी देना पड़ेगा कि हमने कितने मुकदमे दर्ज किये, चाहे बलात्कार के दर्ज हुए, कितने में सजा मिली, कितने में एक्विटल केस हुआ, क्यों हुआ किस कारण से हुआ। अभी बहुत समय हो गया नहीं तो कई ऐसे हैं। उदयपुर में एक जर्मन महिला के साथ जिस प्रकार की घटना हुई उसमें वह जो अपराधी था वह इसलिए छूट गया कि हमने सात दिन में चालान पेश नहीं किया, इसलिए उसकी जमानत हो गयी। अब यह ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हैं। ऐसी गलतियां करके हम अपनी पुलिस को प्रोटेस्ट करना चाहेंगे तो इससे कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

इसमें आपने देखा महिला अत्याचार की दृष्टि से राजस्थान टोप पर जा रहा है। यह राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें यह कहा है कि राजस्थान हिन्दुस्तान में तीसरे स्थान पर है महिला अत्याचार की दृष्टि से, नम्बर एक मध्य-प्रदेश, नम्बर दो उत्तर-प्रदेश और नम्बर तीन राजस्थान। अब उनकी भी जनसंख्या के हिसाब से लेवें तो हम तो नम्बर वन पर पहुंच जाते हैं, हमारे हिसाब से। इस दृष्टि से हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और आपने देखा होगा यह जो महिला आयोग बनाया। महिला आयोग की रिपोर्ट को भी देखें। इसमें भी जिन बातों को इंगित किया उन बातों पर एक्शन होना चाहिए। अगर उन बातों पर एक्शन नहीं होता है तो महिला आयोग की रिपोर्ट का मतलब क्या है। इसी कारण से हम व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे हैं कि हम बात तो करते हैं लेकिन एक्शन में कुछ नहीं करते। केवल चर्चा करके समाप्त कर देते हैं और इसके कारण से जिस जगह हमको जाना चाहिए और जो इम्पैक्ट हमको देना चाहिए वह इम्पैक्ट हम नहीं दे पाते। इसमें चाहे आप शिड्यूल कास्ट ले लो, शिड्यूल ट्राइब ले लो। कई आंकड़ों का है लेकिन आंकड़ों से भी कुछ नहीं निकलेगा।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस बात की उलझन में मत पड़िये कि हमने क्या कहा और आपने क्या कहा। यह बराबरी की कुश्ती लड़ने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम इन अपराधियों को कैसे रोक सकते हैं, कारगर कदम कैसे उठा सकते हैं और इसमें आवश्यक है यह जो आपके पुलिस आफिसर है, यह थानेदार हो या सिपाही हो इनकी आप दो या तीन साल में जगह बदलिये। यह एक जगह रहने के कारण वहां की लिंक के साथ जुड़ जाते है। और उनमें सारे के सारे अपराधी उनके साथ तालमेल बैठा लेते हैं। विशेषकर के जो शराब माफिया है। एक समय ऐसा आएगा दस साल के बाद इस शराब माफिया की गैंग से सारा राजस्थान बिहार की स्थिति में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाने वाला है। आज इस शराब माफिया गैंग को रोको और उसका नहीं रुकने का कारण यह है कि आपके अधिकारियों के साथ लिंक बैठाकर यह ट्रकों में माल ले जाते हैं। यह जानबूझकर जाते हों ऐसा नहीं है। जिसको पकड़ना हो उस तो दस बोतलों में पकड़ लेते हैं और पूरी की पूरी ट्रक जा रही है उसको पकड़ने का काम नहीं और कोई सूचना दे तब पता लगता है तो तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या काम है। अगर आपको अपने एरिये में कौन तस्करी कर रहा है। इसका पता नहीं है तो यह संभव नहीं हो सकता है। अगर आपको और हमको साधारण सी जानकारी रहती है अपने-अपने शहर की कि कौन-कौन यह काम करता है तो जो पुलिस डिपार्टमैंट इस काम को करता है उसका कुछ नहीं।

आपने एक्सीडैंट केस का तो जिस प्रकार का इसमें फिगर दिया है वह चौंकाने वाले हैं। एक्सीडैंट के फिगर हैं, 19 आदमियों की रोज मृत्यु हो रही है। राजस्थान में एक्सीडैंट में एक दो नहीं 19, आपके इन फिगर्स के आधार पर लगभग कोई 90 और 97 लोग घायल हो रहे हैं रोज। एक्सीडैंट का एवरेज आपका इतना आ रहा है। यह बहुत गम्भीर है। जब हम इतना सब कुछ काम करते हैं तो क्या हम इसको कम नहीं कर सकते, क्या इसके लिए हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमारे कई एक्सीडैंट तो केवल इस कारण से होते हैं कि रात को खड़ी ट्रक के पीछे सामने वाले ने लाइट तेज आई, हमें दिखा नहीं और हम उस ट्रक के नीचे घुस गये। बिना बात के, कोई मतलब नहीं सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी के नीचे घुस गये। इसमें कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिखता जिससे लाइट दूर से दिखे, और आदमी जा रहा है और मर रहा है। क्या इतना भी हम नहीं रोक सकते। यह कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और इसको सुधारना चाहिए।

विशेषकर यातायात पुलिस तो बिलकुल फेल है। यातायात पुलिस का यह कटु सत्य है कि आप जिस जगह जाना चाहो यह जो रोक-रोक कर पैसे वसूल करने का काम करते हैं इसको आप रोकिये। किस तरह से रोक सकते हैं इसको देखिये और कभी कभी आप निकलिये अपनी बिना लाइट की गाड़ी के और पूरा 200-400 किलोमीटर चले जाइये। पांच दस इस प्रकार के लोग आपको मोर्चा दबाये हुए मिल जायेंगे। आप उनको वहीं निपटा दीजिये तब तो जाकर के प्रभाव होगा नहीं तो उनसे कौन तो माथाफोड़ी करे, कौन अपनी बात कहे इस तरह इस स्थिति को आप ठीक कर सकते हो। विशेषकर के यातायात मंत्रीजी से मेरी एक प्रार्थना है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जीपों के द्वारा बहुत अधिक सवारियां आती जाती हैं, 25-25, 30-30 सवारियां ऊपर नीचे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लूमटकर कोई आगे पीछे, कोई ऊंचा मुंह करके बैठता है। कोई न कोई सिस्टम बनाएं, कानून बनाइये, उनको अधिकृत करिये और अधिकृत करके जो पैसा लेना है आपको लीजिये लेकिन उनकी सीट तो तय करिये नौ सवारी से ज्यादा, दस सवारी से ज्यादा नहीं बैठाओं उनको चलाने के लिए कहो। ऐसे ही वीडियो कोचेज चल रही हैं और आप और हम सभी रोज इस विधान सभा में बोल-बोल कर थक गये। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कानूनी अधिकार दे दीजिये, कोई बात नहीं, कम से कम हमको रेवेन्यू तो आएगी और वह भी आराम से चलेंगे, हम भी आराम से चलेंगे। कोई तरीका निकालिये लेकिन इस प्रकार से नहीं आप जो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं आपने कभी गाड़ियों को देखा जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है, उनको कभी देखने की कोशिश की फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब एक यह केवल छाप लगाने के पैसे लेकर के फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहा है और लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। यह जितनी भी प्राइवेट बसें चलती हैं ना, कभी आप इनमें बैठकर के जाइये। एक टिकट नहीं देता है। जो मर्जी आए जितना पैसा वसूल करता है और गालियां और देता है। मजबूरी है उस रूट पर एक ही गाड़ी चलती है तो उसकी मर्जी हो, तो बैठाएगा नहीं तो सड़क पर आपको छोड़कर चला जाएगा और न कोई टिकट है, न कोई रेट है, कुछ नहीं, उसकी मर्जी आए तो 8 रुपया ले ले, मर्जी आए तो 12 रुपया लें ले और मर्जी आए तो 14 रुपया ले ले। क्या कोई सिस्टम डवलप नहीं कर सकते। पचास साल की आजादी के बाद भी क्या हम इस प्रकार का कोई नियम नहीं बना सकते, सामान्य जनता को हम यह जानकारी नहीं दे सकते कि अगर यह कच्चा रास्ता है तो इतने किलोमीटर का इतना पैसा लगने वाला है। हो सकता है कोई दो चार किलोमीटर आगे पीछे गांव के हिसाब से फर्क पड़ सकता है, वह समझ में आ सकता है पर मर्जी चाहे जितने पैसे वसूल करें।

यह जो रोडवेज का घाटा है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है रोडवेज के घाटे का सबसे बड़ा कारण है कि आपका प्रत्येक गाड़ी के ऊपर जो मैन पावर लगा हुआ है वह बहुत बड़ी संख्या में है। इस मैन पावर को घटाइये। एक गाड़ी और सात आदमी का आपका मैन पावर लग रहा है और कम से कम 6-6 हजार रुपये तो इनकी तनख्वाह होती है फिर उनके भत्ते, टी.ए. और मेडिकल भत्ता इसको किसी तरह से घटाकर कम करिये। दूसरा, जितनी भी आपने छूट दे रखी है, राज्य सरकार या तो भरपाई करे और अगर भरपाई नहीं कर पाती है तो मुक्त करिये उनको, पैसे लीजिए, आपकी अगर क्षमता नहीं है तो केवल रोडवेज को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बदनाम करने की दृष्टि से, आज भी गांव का आदमी अगर मांग करता है तो इस बात की मांग करता है कि हमारे गांव में रोडवेज की बस लगाओ। उसका कारण यह है कि वह सम्मान से जाना चाहता है, गालियां खाकर के नहीं बैठना चाहता गाड़ी में। पैसे भी दे और गाली खाए, धक्का खाए यह नहीं चाहता और इसलिए रोडवेज की मांग करता है तो इसी कारण से करता है कि वह समय पर चलती है, ठीक प्रकार से चलती है, सुरक्षित चलती है। वीडियो कोचेज में मरने के लिए नहीं जाता वह लेकिन वीडियो कोच क्योंकि उदयपुर जाने का 100 रुपया लेता है और आप पौने दो सौ रुपये लेंगे तो आपका पौन दो सौ रुपया नहीं देकर मौत के मुंह में जाता है। आप इसको किसी प्रकार से ठीक करिये जिसके कारण से इस व्यवस्था को सुधारा जा सके...(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या हुआ, बोलने दो ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना इस बात की कर रहा हूं कि आप निश्चित रूप से इसके बारे में और प्रशिक्षण को और अधिक कराएं। यह जो एक बार आपका कहीं लग गया उसको आगे का प्रशिक्षण ठीक नहीं और ठीक प्रकार से जानता नहीं है, किस प्रकार से डील करते हैं।

ऐसी कई घटनाएं हैं और विशेषकर कैलवाड़ा वाली है। मैंने उस दिन भी कहा था इस घटनाओं के आधार पर ऐसा कोई आसमान नहीं फट जाता अगर मान लो एक निर्दोष को भी हमने सजा दे दी। फिलहाल सस्पैण्ड कर दिया, क्या आसमान फट जाएगा ? कोई आसमान नहीं फटने वाला अगर वह सही होगा तो वापस आ जाएगा नौकरी में, लेकिन कम से कम जनता में एक मैसेज जाना चाहिए। इस प्रकार की घटना हुई तो इसका यह दंड हो सकता है दो-चार निर्दोष उसमें पिल जाते हैं, पिल जायेंगे क्या फर्क पड़ेगा जब इतना बड़ा डिपार्टमैंट चलाते हैं तो निश्चित रूप से दो-चार लोग चाहे दोषी नहीं होंगे लेकिन सजा मिल जाएगी और वापस अपनी जगह पर आ जायेंगे तो जनता को यह विश्वास होगा कि आप निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन लाल वर्मा। (अनुपस्थित), श्री त्रिलोक पूर्बिया।

श्री त्रिलोक पूर्बिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16, 17 व 12 पर आज सदन में काफी चर्चा हुई है। मैं इस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपने विचार सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का पुलिस विभाग प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील है।

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

पुलिस विभाग और जनता के साथ भय का वातावरण नहीं रहे। अतः पुलिस के लोगों के व्यवहार में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। इसलिए पुलिस कर्मियों को विभाग द्वारा समय-समय रिफ्रेशनल कोर्स आयोजित करते रहना चाहिए। साथ ही विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण के लिए भी पुलिस कर्मियों को प्रदेश के अंदर और बाहर भेजने के लिए उनको आधुनिकतम तकनीकों से रूबरू कराने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में पुलिस का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है और पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में सघन अनुसंधान भी करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक टैक्नोलोजी को उपयोग करने की दृष्टि से समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उदयपुर शहर में अम्बापोल गेट पर पुलिस चौकी थी जो पूर्व में किसी कारण से बन्द कर दी थी और इस पुलिस चौकी के बंद होने के बाद वहां काफी अपराध, चोरी व गुंडागर्दी की वारदातें आम बात हो गई हैं। असामाजिक तत्वों में दहशत के नाम की कोई चीज नहीं रही। भय मिटता जा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र की आबादी को देखते हुए जहां अधिक लोग, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं इस क्षेत्र में पुनः पुलिस चौकी को चालू किया जाये ताकि वहां के क्षेत्र के लोगों में भय नहीं रहे और सुरक्षा का लाभ मिल सके।

इसके साथ ही माननीय खेल एवं जेल मंत्रीजी से संबंधित मांग संख्या-17 जो कारागृह का है उस पर भी मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है इस प्रदेश में कुछ जेलों में खुला वातावरण दिया जाकर कैदियों के जीवन में सुधार लाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। वास्तव में अधिकतर कैदी पश्चाताप करते हैं तथा कारागृह में रहते हुए भावी जीवन अच्छा जीने की सोच सकते हैं। अतः कारागृहों में महापुरुषों की जीवनियों का उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यो के बारे में कैदियों को समझाना चाहिये इस हेतु वृत्त चित्रों को दिखाना एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इससे कैदी अपने द्वारा किये गये कुकृत्य पर पुनर्विचार कर सकेगा तथा पश्चाताप कर भावी जीवन को ठीक बना सकेगा।

मेरा अनुरोध है कि जिला सलाहकार कारागृह समितियों की समय-समय पर बैठकें की जानी चाहिए और उसमें उनके साथ उनके कैदियों के जीवन पर भी विचार किया जाना चाहिए। कारागृह में मूल रूप से अपराधियों को सजा भुगतने के साथ-साथ स्वयं को भी सुधार रखना, अतः कारागृह में साफ-सफाई आदि मनोरंजन के समुचित

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

साधन उपलब्ध किये जाने चाहिए। इसके साथ ही मैं...

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ ही समाप्त हो गया ?

श्री त्रिलोक पूर्बिया : दो मिनट। यातायात की जो मांग संख्या-12 है इस पर भी विचार रखना चाहूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है उदयपुर नगर आज एशिया के पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है इसे झीलों की नगरी एवं राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। इस नगर को देखने के लिए प्रति वर्ष लाखों की तादाद में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं तथा यहां के नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत होकर जाते है। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व और भी अधिक है कि यह नगर महाराणा प्रताप की राजधानी रही है। इस नगर का पर्यटन की दृष्टि से इतना महत्व होते हुए भी परिवहन की दृष्टि से यह काफी पिछड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह लिखा हुआ मंत्रीजी को दे दें यह पढ़ लेंगे।

श्री त्रिलोक पूर्बिया : नहीं, मैं तो पाइंट वाइज बोल रहा हूं। इस नगर की आबादी करीब 5 लाख से अधिक हो गई है। 20-20 किलोमीटर के आसपास का इसका फैलाव है चारों दिशा में। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से यातायात मंत्रीजी से अनुरोध है कि जब भी आप पहले उदयपुर आये थे तब भी मैंने आपसे अनुरोध किया था कि रोडवेज द्वारा सिटी बसों को चलाया जाना चाहिए ताकि इस नगर के लोगों को दूर-दूर आने जाने में काफी सुविधा हो सकेगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना। (व्यवधान) आप विराजो। मंत्रीजी बोलने दो। बोलो, बोलो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या-16, 17, 12 पर गम्भीर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं भी इसी में मेरे विचार शरीक करते हुए सुझाव प्रस्तुत करता हूं। पुलिस महकमे के बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार हुआ। लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिये और सुझावों में कई तरह की बातें आई। गम्भीरता से विचार आये और कुछ हल्की-फुल्की बातें भी आई। लोगों ने यहां तक सुझाव दिया कि खाकी वर्दी का रंग बदल दिया जाये, जेलों में कम्बल की जगह गद्दे बिछा दिये जाये। थाने में आने-जाने वालों के लिए तू की जगह आप कह कर ठंडा पानी पिलाकर माला पहना का बैठा दिया जाये, अपराधी हो तो भी, फिर पुलिस के पास ऐसा कौनसा जादू है जो अपराधों को रोक लेगी ? पुलिस का समाज में एक ऐसा डर है कि अपराधी से पुलिस का अधिकारी मिल जायेगा, मेरी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

शिकायत हो जायेगी मेरे साथ बदसलूकी होगी या मेरे साथ कानून की कार्यवाही होगी या मुझे बंद कर दिया जायेगा, मुझे सजा हो जायेगी। लेकिन मैं समझता हूं समाज में यह डर खतम हो जायेगा तो अपराध कम कैसे हो जायेंगे। मुझे मालूम है राजस्थान में डाक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया एक महानिदेशक हुआ करते थे। उन्होंने एक बात कही थी कि राजस्थान में जो थाने हैं उन्हें यह सेवा मंन्दिर का काम करना चाहिए। मैंने उस समय भी विचार किया था कि थाने में सेवा मंदिर का काम करेंगे तो मंदिर में तो जाकर कोई भी अपनी इच्छानुसार, श्रद्धानुसार भेंट चढ़ायेगा, अपनी मनौती करेगा जब चाहेगा जब जायेगा और जब चाहेगा तब आ जायेगा। पुलिस वाले देखते रह जायेंगे। उसमें अपराधी भी जायेगा और अच्छे आदमी भी जायेंगे। तो यहां मन्दिर का कोई महत्व नहीं रहा। मंदिर का महत्व अलग है, थाने का महत्व अलग है। मैं निवेदन करता हूं जिस तरह जेल की बात कर रहे थे, जेल में अपराधी जायेगा, दोषी जायेगा, जेल में उसको गद्दा बिछाने के लिए सरकार दे सकें तो देओ, नहीं तो फिर अपने घर से मंगवा लेगा यह ठीक नहीं। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी गम्भीरता से विचार हो रहा है यहां पर और सदन में अच्छे विचार आने चाहिए, सुधार होना चाहिए। हमारे साथियों ने बड़े अच्छे विचार दिये और गम्भीरता इतनी रही कई माननीय विधायकों ने यह सुझाव दिये और उनमें हल्की-हल्की बातें हुई। कल लोग अखबार पढ़ेगे छोटे-छोटे बच्चे पूछेंगे वहां पर विधान सभा में गाय और बछड़े की बातें हुई हैं। रात को दो बजा दिये, विधायकों ने दो बजा दिये कानून बनाने में और संशोधन करने में और राजस्थान की जनता का भाग्य बनाने के लिए, समाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए और यह हल्की-फुल्की बातें और नतीजा यह हुआ कि वह सुझाव देने वाले घंटों भर हंसते रहे उन बातों पर कि मैंने बड़ी अच्छी बात कहीं। बड़े शर्म की बात है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं। मुझे चार लाइने याद आ गई। मैंने बैठे-बैठे लिखा था उन हंसने वालों पर :

"नाचीज थी वह चीज हो गई । बेशऊर को शऊर आ गया।

सलाम तेरी सीढ़ियों को ए सदन ! चढ़ते ही दूध का नहाया हो गया।"

हम भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सब आ गया, अब बिराजो ना आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं आपसे माफी चाहता हूं, आप बोलने दीजिए थोड़ा-सा। मैं भी सारे दिन से सदन को +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : यह लास्ट में बोलना चाहिए, आप बीच में बोल गये।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं निवेदन इसलिए कर रहा था राजस्थान की पुलिस को भ्रष्ट बता दिया गया कि अधिकारी कुछ नही करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल दूध के धोये हुए हैं। हो सकता है, गलती करते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं। चोरों को पकड़ने के लिए कोई उनके पास दूरबीन नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। उसमें 2-4 तो गलत भी पकड़े जा सकते हैं, एफ.आई.आर. लिखने में गड़बड़ हो सकती है, इंवेस्टीगेशन में भी भूल हो सकती है। लेकिन इसको यह कह कर तो नकार नहीं सकते कि यह तो बिलकुल भ्रष्ट हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहां तक कि अमेरिका की पुलिस की सराहना हो रही है। जो क्लिंटन के साथ में आ गये। क्लिंटन को भरोसा नहीं था हमारी पुलिस पर। नहीं होगा, नहीं है तो। हमारी पुलिस को भरोसा हम पर है और हमें हमारी पुलिस पर भरोसा है। मैं निवेदन करता हूं इतने बड़े महकमे को लज्जित करना अच्छी बात नहीं है। अभी बहुत सारे साथी कई तरह के सुझाव दे रहे थे पुलिस के लिए।

(24.00बजे)

मैं पुलिस महकमे के मंत्री महोदय से आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि जो भी कमी, खामियां हैं उनको देखना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद लम्बा समय हो गया है इसलिए मेरे समय में कटौती करेंगे।

मैं मेरे क्षेत्र की 2-3 बातें बताना चाहूंगा। जयपुर से 20 किलोमीटर के निकलते ही चंदवाजी थाने का एरिया आ जाता है और उसमें एडिशनल एस.पी. बैठता है एक सौ किलोमीटर पर। एक सौ किलोमीटर पर कोटपूतली में एडिशनल एस.पी. बैठता है। यह आपने किस तरह से जोड़-तोड़ बैठाया, आप जाने। घटवाड़ी गांव आमेर तहसील का है, आमेर थाना उसका है। उसको 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आमेर आना पड़ता है जबकि 10 किलोमीटर पर चंदवाजी थाना है। यह छोटी-छोटी बातें हैं इनको देखना चाहिये। मैं लिखकर भी दूंगा मंत्री महोदय को। मैं अपका समय बरबांद नहीं करना चाहता हूं, उस यंत्र पर भी आप सुधार करें।

मैं निवेदन कर रहा हूं चंदवाजी थाने में अभी मार्च के महीने की बात है। एक बावरिया जो गांव में खेत की रखवाली करने के लिये रखा गया था और नील गाय जिसको कहते हैं, रोजड़ा जिसको कहते हैं, उनकी रखवाली करता था। दो रोजड़े लड़ मरे और एक खेत में थोड़ी फसल नष्ट हो गयी। बावरियां को घर से, खेत के मालिक ने पकड़ लिया और पीटा उसे। रुपये छीन लिये। कितना नुकसान कर दिया, तू कहां चला गया था। बावरिया रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये चंदवाजी के थाने में आया। वहां एक ए.एस.आई.

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मिले मोहरी लाल नाम के आदमी। उन्होंने एफ.आई.आर. पढ़ी और एफ.आई.आर. से संबंधित जो मुल्जिम थे, मुल्जिमों से संबंधित एक आदमी जिसकी चंदवाजी में दुकान थी उसको फोन किया कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आयी है। बावरिया थाने में खड़े है पति-पत्नी, थानेदारजी हाथ में लिये एफ.आई.आर. खड़े हैं। वह आदमी आया और थानेदार के हाथ से एफ.आई.आर. लेकर फाड़कर चला गया। बावरिया रोता रह गया। शाम को गांव गया तो पीटने को तैयार हो गये। गांव वालों ने कहा इसके पैसे तो वापस कर दो। बोले, नही देंगे। जब एस.पी. के पास जाकर शिकायत करी उस बावरिया ने, गांव वालो ने...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मै निवेदन करूं ...12 तो बज रहे हैं और पांच मिनट के लिये और ले लेना।

जब एस.पी. साहब ने उनको कहा और डीवाई.एस.पी. को कहा कि आप जांच करो उसकी तो डीवाई.एस.पी. ने 500 रुपये बावरिया के थे उसको दिलवा दिये और क्या अब जांच करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : बंद थोड़े ही किया। आगाह किया हमने, आगाह किया।

श्री रामचन्द्र सराधना : इतना बड़ा जुर्म था और क्या कर रहे हैं। उसकी जेब से पैसा निकाल लिया और अब वापस लौटा रहे हैं। क्या जुर्म खतम हो गया। मैं निवेदन कर रहा हूं इस बात पर कि गरीब आदमी की सुनेगा कौन।

आंधी के थाने की बात है। यहां पर ट्रक यूनियन का झगड़ा हो गया। दो ट्रक यूनियन के कार्यालय बदलने की बात थी। कार्यालय बदल दिया गया है और अब पुलिस ने यह तैयारी कर दी कि आंधी का मार्बल लेकर जाने वाला आदमी जो किशनगढ़ जायेगा, मकराना जायेगा वह दौसा और जयपुर होता हुआ जायेगा। 40 किलोमीटर की दूरी के बजाय 100 किलोमीटर की दूरी से चक्कर काटकर जायेगा और यह व्यवस्था बनी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं वह ट्रक में जो आदमी बहुत सारा वजन भर कर लेकर जाता है वह 100 किलोमीटर का चक्कर लगाता है और पुलिस वालों की यह व्यवस्था है, वह उधर से नहीं आने देंगे क्योकि झगड़ा हो जायेगा, हम डरते है इससे। पुलिस वाले डर रहे हैं। 40 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर के चक्कर में लेकर आ रहा है वह। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन पर गौर फरमायें।

जयपुर रूरल के एस.पी. से मैंने बात की, वह खुद परेशान हैं। मार्च महीने की बात है कि दो पुलिस वाले शराब पीकर लड़ मरे। पुलिस थाना मनोहरपुर की बात है। सर फूट गये। जब इंचार्ज को मालूम पड़ा, वेदप्रकाश शर्मा इंचार्ज हैं उनको मालूम पड़ा, छुट्टी ले करके भाग लिये। एस.पी.

(श्री रामचन्द्र सराधना)

का उधर से दौरा हुआ। एस.पी. ने कहा कि कहां गये इंचार्ज। निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा गौर फरमायें...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। बहुत हो गया।

श्री रामचन्द्र सराधना : कुछ भी नहीं हुआ। उधर से निवेदन कर रहा हूं जब एस.पी. साहब ने उनको लाइन हाजिर कर दिया दोपहर बाद में... मैं गौर चाहता हूं आपसे। दोपहर बाद में वही सब इंस्पेक्टर वापस थाने में चला गया और एस.पी. महोदय मुंह लटका कर आ गये। वह कह रहे हैं मैं क्या करूं मेरे कहने से एस.एच.ओ. नहीं बदला गया, सब इंस्पेक्टर नहीं बदला गया, मैं काहे का एस.पी. हूं। यह व्यवस्थाऐं क्यों हैं। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था इन बातों में गौर करना चाहिये माननीय मंत्री महोदय को।

आप मुझे समय कम दे रहे हैं। एक थोड़ी सी बात और निवेदन करूं यातायात के बारे में। यातायात के बारे में निवेदन यह करना चाह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना अभी।

श्री रामचन्द्र सराधना : मोटर व्हीकल एक्ट जब बना उस समय 9 टन वजन ट्रक में लादने की बात कही गयी...आप इसको मजाक में ले रहे है। शायद आप थक गये हैं माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मोटर व्हीकल एक्ट बना था उस समय 9 टन वजन की बात करीन थी और वह 9 टन वजन आज तक चलता आ रहा है जबकि उसकी चेसिस की क्षमता बढ़ गयी है इंजन का पावर बढ़ गया है, टायर की क्षमता बढ़ गयी है, फिर भी 9 टन की बात कह रहे हैं आप। जो गरीब आदमी, मैं ट्रक यूनियन वालों की बात नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों की बात नहीं करता, मैं ऐसे आदमी की बात करता हूं जिसने ड्राइवरी करते-करते ट्रक खरीद लिया है और वह 9 टन वजन लेकर जाता है तो उसमें वह पोसाता नहीं है। अगर चोरी करके 15 टन वजन भरता है और आपके वहां खड़े रहते हैं। 15 टन वजन है, बाकी का पैसा हमें दे जा। न तो आपको राजस्व मिलता है। पुलिस वाले खड़े रहते हैं आर.टी.ओ. वाले खड़े रहते हैं। वह भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप भी अपना दायित्व निभा रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं और वह ट्रक वाला चोरी-चोरी भाग रहा है।

दूसरा निवेदन कर रहा था कि परसों मैंने बात करी यातायात मंत्रीजी से, जयपुर से 40 किलोमीटर पर दस बजे तक सेवा चली है रोडवेज की बस की। आपने ई.डी.टी. को मार्क किया यह लैटर और उन्होंने कहा मैं लगा दूंगा लेकिन बस नहीं है। आपके पास बस नहीं है। पुलिस वालों ने बस की व्यवस्था कर रखी है। 4,000 रुपया एक बस वाले और जीप वाले से लेते हैं। यहां आपके 50 किलोमीटर की दूरी पर

(श्री रामचन्द्र सराधना)

300 बस और जीपें चलती है। चार हजार रुपया महीने दे रहे है वह। चार हजार रुपये महीने में वह परमिट दे रहे हैं और गाड़ियां चल रही है और आप देखते रह रहे हैं। आपकी न तो रोडवेज चल रही है। रोडवेज इसलिये नहीं चल रही है कि आपके पास, चलाने के लिये व्यवस्था नहीं है। परमिट इसलिये नहीं देते कि नाक का बाल बना रखा है। हम कैसे दे देंगे परमिट किसी को। आप परमिट मत दो। परमिट जिन्होंने दे रखा है, चल रही हैं गाड़ियां और यह सवारियां इसलिये परेशान हैं कि वह बैठकर जाने में डरती हैं कि कहीं लटक कर मर ना जाऊं कहीं पर। वह सवारियां ज्यादा भरते हैं कि एक हाथ से एक पांव से उसमें लटक कर जाते है कि कहीं गिर ना जाये...

श्री उपाध्यक्ष : रोडवेज घाटे में चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र सराधना : तो सुरक्षा कहीं नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी के लिये परमिट जारी कर दें। जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो तब तक परमिट रखें। बैठने वाले भी आराम से चले जायेंगे। आपको रेवेन्यु भी मिलेगा और पुलिस वाले भी शांति से उनको आने-जाने देंगे।

मैं देखता हूं चांदी की टकसाल पर, ट्रेफिक पुलिस वाले उसकी केवल नम्बर प्लेट को देखते हैं। यह देखते हैं कि आया इसका कि नहीं आया पैसा। इनका पैसा नहीं आया तो पकड़ो इनको अंदर ले जाओ, चलो साहब बुला रहे हैं। रोज का धंधा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यातयात मंत्रीजी से भी, गृह मंत्रीजी से भी, यह दोनों का सवाल है और इस पर गौर करके इसकी व्यवस्था को फरमायें। जब तक आपके पास रोडवेज की बस नहीं हैं तब तक इनको परमिट देवें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेहनत तो बहुत की थी लेकिन आपने समय इतना ही दिया, उसके लिये भी धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम वक्ता के रूप में आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो अंतिम कब कहा आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था, अमन, चैन और शांति, यह वह कसौटी है जिस पर आम आवाम सरकार को कसता है। यह दूसरी बात है कि वोट लेने के लिये हम घोषणा-पत्र के अंदर चौपट कानून-व्यवस्था और सारी बातें कह कर हम जनता के अंदर यह वातावरण बनाने की कोशिश करें कि हमारी सरकार आयेगी और हम ऐसा जादू का डंडा घुमायेंगे कि राजस्थान की धरती पर बलात्कार बंद, राजस्थान की धरती पर हत्याएं बंद, चारों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को कब तक ढोते रहेंगे। नये सिरे से पुलिस एक्ट को लिखे। इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है। अब अपराधी भी वह अपराधी नहीं रहे। अपराधी भी अब जीवट के साथ-साथ मस्तिष्क से काम करने लग गये। आधुनिक हथियार उनके पास हैं, आधुनिक वाहन उनके पास हैं। सही कह रहे थे तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कि अपराधी कहीं से कहीं चला जाता है और मोबाइल टेलीफोन पर सारी बात कर लेता है और आपकी पुलिस चेतती भी नहीं हैं। आपकी पुलिस कर क्या रही है ?

आज किसी राष्ट्रीय मार्ग पर चले जायें, 20 जगह आड़े-टेढ़े डंडे लगाकर और उनसे पूछें कि आप क्यों खड़े हैं तो कहेंगे कि चैकिंग कर रहे हैं, गृह मंत्रीजी, आप कभी खुद चले जाये कि चैकिंग के नाम पर वह गरीब आदमी जो कहीं से ट्रक लेकर चला है वह आम व्यक्ति किसी काम से अगर निकला है, उसे घर पहुंचना है, गाड़ी के कागज दिखाओ, गाड़ी का यह नहीं है, वह नहीं है और उससे लूट-खसोट करने का एक सुनियोजित तरीका अपना रखा है और यही कारण है कि आप मालूम कर लेना, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए थानों पर थानेदार लगाने के लिए आपके पास सिफारिशें खूब लेकर आते हैं। कम से कम इस लूट-खसोट को बंद करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास तंत्र है अगर कोई इस तरह की वारदात हो जाये तो आप नाकाबंदी करें और दूसरी बातें भी करें।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सड़को की दुर्घटनाएं चिंता की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2-3 मिनट में खतम करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सड़क की दुर्घटनाएं एक-दो नहीं, 26545 हुई हैं इस प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, निश्चित रूप से भागमभाग के युग में प्रत्येक व्यक्ति बड़ी तेजी से चलता है। परन्तु गृह मंत्रीजी, इस बात पर भी विचार करें। चूरू से जयपुर आना होता तो ज्यों ही लक्ष्मणगढ़ के पास से गुजरते हैं झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या भी इस बात से सहमत होंगी। 16-16 वर्ष के बच्चे, छोटी-छोटी उम्र के बच्चे पता नहीं कहां से ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आये है और वह ऊपर नीचे भरी हुई जीप और वह बेतहाशा रफ्तार। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस बात पर विचार करना चाहिये और सब चीजों के लिये तो यातायात मंत्रीजी कहेंगे कि हमने अवैध वाहनों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाकर इतने करोड़ रुपये वसूल कर लिये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कम से कम आप इस बात पर विचार करें कि किस तरह के लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेन्स हैं, यातायात मंत्रीजी। लोगों के जीवन के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, मैं तो धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूं जो अवैध वाहनों का संचालन कर रहे हैं। अगर अवैद्य वाहन नहीं हों तो यातायात मंत्रीजी, आपके रोडवेज के बेड़े से गंतव्य स्थान पर क्या कोई यात्री पहुंच सकता है, यह संभव नहीं है। किसी हालत में संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि आप यथार्थ को स्वीकार करें। यह अवैद्य वाहन, वह वीडियो कोच हमारे शासन में भी चले और आपने विधान सभा के पहले सत्र में बड़े जोर-शोर से कहा था कि पहले वाले मंत्रीजी ने यह कर दिया था और अब मैं यह कर दूंगा। क्या हुआ ? आप मेरे साथ चलिये मैं आज बताता हूं कि आज भी जयपुर के रोडवेज बस स्टैण्ड के आसपास में धड़ल्ले से बसें चल रही हैं। आप उनको क्यों नहीं रेगुलराइज करते....(व्यवधान) यातायात मंत्रीजी, आप क्यों नहीं समय निश्चित कर देते। आप दिन में चलाइये, सुबह आठ बजे से रात्रि के आठ बजे तक रोडवेज चलाइये और आठ बजे बाद चाहे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हों या दूसरे राजमार्ग हों, आप क्यों नहीं रेगुलराइज कर देते। यह लूट-खसोट का अड्डा क्यों बना रखा है ? कितना-कितना रुपया, किस-किस स्तर पर कहां-कहां जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे छींटें आज नहीं तो कल आपके दामन पर पड़ने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आर.टी.ओ. दफ्तर में चले जायें, उपाध्यक्ष महोदय, आप पधार जाये। आप ड्राइविंग लाइसेन्स या किसी गाड़ी की फिटनेस नहीं ले सकते। वहां पर एजेन्ट बैठे हैं, उनकी अलग-अलग फीस है, सरकार की फीस अलग, उनकी फीस अलग। उनकी फीस दे दो और आपके 15 साल के बच्चे को, अंधे आदमी को ड्राइविंग लाइसेन्स मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था सारी है और मैं समझता हूं इस सारी व्यवस्था के बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिये।

गृह मंत्रीजी, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, आप बड़े जोर-शोर से जब से सत्ता में आये हैं, आपने एक ही नारा दिया; भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास परिवादी जाकर उनको कहे कि मैं फलां भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी को पकड़वाना चाहता हूं। उसके तीन-चार चक्कर के बाद कोई जीवट वाला व्यक्ति तैयार हो जाता है तो दूसरी बात है परन्तु क्या भ्रष्टाचार विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वह निगाह रखे कि किस-किस विभाग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में, किस-किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे पहले छोटे स्तर पर सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए विभाग, चाहे वह चिकित्सालय हों, चाहे वह विद्यालय हों, चाहे दूसरे स्थान हों, आज पटवारी के पास कोई जाये नकल लेने लिये, पटवारी पहले पैसे मांगे, तहसीलदार डोमीसाइल सर्टिफिकेट साइन नहीं करे, हास्पिटल के समय चिकित्सक पैसे ले। आप क्यों नहीं इस तरह का एक तंत्र तैयार करते और उनका टारगेट तय करते ? भ्रष्टाचार विभाग के टारगेट तय कीजिए जिले के हिसाब से। या तो यह तय हो जाए कि जिले में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और या यह तय हो जाए आप अपने खुद के सोस पैदा करके इन भ्रष्ट लोगों को पकड़वाओ तब तो इसका कोई नतीजा निकलेगा, अन्यथा कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

एक निवेदन जेल मंत्रीजी से और करना चाहता हूं कि आपने जेलों के लिए जेल मैन्युअल बना रखा है, इसमें अलग-अलग अवधि भी तय है परंतु पेरोल की समितियों की बैठक नहीं होती। जेल मंत्रीजी, आपके इस छोटे से कार्यकाल के अंदर कौन व्यक्ति खुली जेल के अंदर कैसे जाएगा, इस बारे में लोग अलग-अलग चर्चा करते हैं, चर्चाएं बंद कीजिए, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई का इन्डेक्स बढ़ा है, इन्डेक्स बढ़ा है तो जेल मैन्युअल के अनुसार जितनी आप खुराक देते हैं तो वह राशि कम पड़ती है। आप कहते हैं कि जेल नहीं, सुधार गृह है, सुधार गृह की बात जब आप करते हैं तो उसे कम से कम आप उतना खाना, उतनी कैलोरी तो दीजिए जितनी आवश्यकता है। आज वहां किस तरह का खाना मिलता है, आप वहां जाकर तो देखिए। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, बड़े दुःखी मन से एक बार जेल में गए और छबरा गये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी, एक लोमहर्षक घटना जिसके बारे में लोगों ने मुझे बताया, ज्ञापन भी दिए कि रमेश सिंह गुर्जर का अपहरण होता है 9.1.2000 को। दतवास थाने में एफ.आई.आर. दर्ज होती है। आप नोट फरमा लें, एफ.आई.आर. नम्बर 2/2000, जिसकी बच्ची का अपहरण होता है, वह परिवादी जब एफ.आई.आर. दर्ज करवाता है तो थानेदारजी यह फरमाते है कि 50 हजार रुपये ले आओ, मैं बड़ी गम्भीरता से आरोप लगा रहा हूं। मैं आरोप के नाम पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, थानेदार यह फरमाता है, 50 हजार रुपये ले आओ, लड़की बरामद करवानी है तो, 20 हजार रुपये उस गरीब से ले लिए जाते हैं। गृह मंत्रीजी, आप कहे तो मैं सशपथ पत्र, उस आदमी को जिसकी बच्ची का अपहरण हो गया, उस गरीब आदमी को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। इस तरह की धारणा है तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जीवट के साथ ऐसा फैसला करो, एक मामले में फैसला कर लो तो राजस्थान के अंदर समाचार चला जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई है। अब तक आपने थोथे घोषणा-पत्र +++ करके, इस सरकार का काम चला लिया, +++ से नहीं, डेढ़ साल हो गया शासन करते हुए, आपको बताना पड़ेगा राजस्थान को, आपने जो अमन चैन राजस्थान को दिया है, वरना आने वाला समय, गृह मंत्रीजी, यह बालू मिट्टी की तरह समय है, समय न आपके हाथ में रहा, न हमारे हाथ में रहा, समय की धारा आपसे पूछेगी कि आपके शासनकाल में इस कलंकित इतिहास को आपने रचा है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है ? माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-16, गृह विभाग पर जब चर्चा हो रही थी तो सदन के कई माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया तथा अपने अमूल्य सुझाव दिए और कुछ शिकायत-शिकवे भी सदन के सामने रखे। जो मुद्दे सदन के सामने उठाए गये, उनका संक्षेप में, ब्रीफ में निवेदन करना चाहता हूं।

कानून व्यवस्था का मसला, महिला बलात्कार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, पुलिस का अत्याधुनिकीकरण, सीमा सम्बन्धी अपराध और तस्करी, पाकिस्तान द्वारा राजस्थान में गुप्तचर एजेंसी, मुख्य मुद्दे मेरे ख्याल से ये थे। मैं आकड़ों के जंजाल में जाने से पहले और तुलनात्मक स्थिति लाने से पहले माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान की जो स्थिति है, उसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। एक तरफ पाकिस्तान का लम्बा बोर्डर, जिसकी सीमाएं हमारे से लगी हुई है, दूसरी तरफ हरियाणा से राजस्थान लगा हुआ है। मध्यप्रदेश से हमारी सीमाएं लगी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, दिल्ली से मेरे ख्याल से डाइरेक्ट नहीं लगी हुई है, गुडगांवां और हरियाणा से लगी हुई है। (व्यवधान) खैर, मुझे ज्ञान नहीं, पंजाब से लगी होगी, हां, गंगानगर का कुछ हिस्सा लगा हुआ है, हां, भटिण्डा के आसपास पंजाब का इलाका आता है। इन सब परिस्थितियों में राजस्थान की पुलिस को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में, इतने साधन हो गये कि कभी भी आ सकते हैं और कभी भी चले जा सकते हैं। इन दिनों में जो घटनाएं हुई हुई हैं, उसमें जो पकड़े गये लोग हैं, पुलिस का मुस्तैदी से उनको पकड़ने का कार्य है, उसका अध्ययन करने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

से पता लगेगा कि राजस्थान के लोगों ने कम घटनाएं की हैं बनिस्पत हमारे पड़ौसी राज्यों ने उन लोगों से मतलब व्यक्तिशः नहीं अपराधियों ने ज्यादा घटनाएं की हैं, इस संबंध में हमें सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह का उल्लेख किया कि अलवर जैसी जगह में किस तरह से टेलीफोन की व्यवस्था है जिससे गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी जाती है। इस प्रकार का जिक्र और किसी माननीय सदस्य ने भी किया और धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने साम्प्रदायिक सद्भाव का प्रश्न भी खड़ा किया। उन्होंने पीपाड़ सिटी का जिक्र भी किया, उन्होंने फलौदी का जिक्र भी किया और उन्होंने लोसल का भी जिक्र किया। इन घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है, हमको उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आज पीपाड़ सिटी में अगर हमारे भाई जो इस देश के नागरिक है, अपना धार्मिक उत्सव कोई मनाता है जो कानूनी उसका अधिकार है तो कुछ हमारे भाई लोग उससे झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, उत्पात करना चाहते हैं, इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, इस प्रवृत्ति को सरकार नकारात्मक दृष्टि से नहीं दे सकती और ऐसे मामलों में हमें सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा तभी जाकर के इस तरह की घटनाओं को निश्चित रूप से नकारा कर सकेंगें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं आंकड़ों में जाऊगां, मैं न पिछली सरकार और न इस सरकार पर कोई दोषारोपण करना चाहता हूं लेकिन बढ़ा-चढ़ा कर हमें किसी का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो सत्यता है, उसको हमने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से स्वीकार किया है। घटनाएं ज्यादा घटी है तो उसके कारण हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि लोगों की शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, इस कारण से घटनाओं को सही रूप में दर्ज किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चालान कितनों में किया यह बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब भी मैं दे दूंगा लेकिन प्रतिवेदन का तरीका तो आप जो लाए, उसी तरह का चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे रास्ते पर चलेंगे न ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं हम उसको बदलेंगे, हम बदलेंगे उसको।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : भैरों सिंहजी ने आदेश दे रखा था कि हर के केस को रजिस्टर मत किया करो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो नयी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सरकार आने के बाद...(व्यवधान) आप कितना सत्य बोलते हो इसकी पोल खोलूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप तो खाली कागज यों ही करते हो, मेरे पास 10 कागज पड़े हैं, आप थोड़ा विराजो, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, आप विराजो तो सही। (व्यवधान) तो मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य आज देश की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, बेरोजगारी है, कुछ मीडिया भी समाज में कुछ इस तरह की उत्तेजना पैदा करता है जिससे कि आदमी को तत्काल करोड़पति और अरबपति बनने की लालसा पैदा हो जाती है। कुछ नशे की प्रवृत्ति भी इस देश में बढ़ी है और नशा भी हमेशा बुराई के रास्ते पर आदमी को ले जाता है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की कानून और व्यवस्था को देखना पड़ेगा। महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचारों के संबंध में देखना पड़ेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में देखना पड़ेगा और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी से भी हमें निपटना पड़ेगा और सख्ती से निपटना पड़ेगा। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, चाहे हमारा बाड़मेर, जैसलमेर का बोर्डर हो और चाहे अलवर के हिस्से में गुप्तचर एजेन्सी सक्रिय हो, उन सभी एजेन्सियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी ताकि ऐसी एजेन्सी नहीं पनप पाए ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय सदस्य, कुछ मुद्दे आपने सदन में उठाये थे। कट मोशन पर मैं आऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक-एक कट मोशन का जवाब दूं। (व्यवधान) जो भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज तो 21 तारीख हो, वैसे भी दूसरा सब्जेक्ट आ गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय आप तो घोषणा करो, ये आप आंकड़े वगैरह दोगे, सारे हम भी लेकर आये हैं फिर हम हरेक का प्रत्युत्तर देंगे। क्यों बिना मतलब बहस में पड़ते हो, कोई चलने वाली बात नहीं रही। अब वैसे पहले वाली बात नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आंकड़ों के जंजाल में न तो आपको फंसाना चाहता हूं और न मैं फंसना चाहता हूं, लेकिन कुछ गलतफहमी सदन में पैदा कर दी गयी है उनका तो स्पष्टीकरण देना मेरा कर्तव्य बन जाता है, मेरा धर्म बन जाता है। सदन गुमराह न हो उसके लिए मैं वास्तविकता की तरफ ले जाना चाहता हूं। वर्ष 1999-2000 में हत्या, बलात्कार जैस गंभीर अपराधों में वर्ष 1998 की अपेक्षा क्रमशः 16.19 एवं 5.37 प्रतिशत की कमी होना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महिला अत्याचार संबंधी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 97 से तुलना क्यों की है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने 98 से तुलना की है, 97 में गया ही नहीं। 98 बोला हूं, कटारिया साहब करेक्ट कर लें।

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आप बोलो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बैठिए तो सही। महिला अत्याचार प्रकरणों की अति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनको राहत पहुंचाने की दृष्टि से 7 नये महिला थानों की स्थापना की है और उनमें महिला पुलिस की नफरी बनाने का भी फैसला राज्य सरकार ने किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर...(व्यवधान) महिलाएं जिस दिन क्वालीफाइड हो जाएंगी, लग जाएंगी चिन्ता मत करिए, हम तो 100 पर्सेन्ट महिलाएं लगाएंगे। आप बैठिए दो मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तो एक महिला गृह मंत्री भी हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपकी इच्छा हो तो बन जाइएं। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों में 1997 और 1998 की तुलना में क्रमशः 2.28 और 30 प्रतिशत की कमी आयी है रजिस्ट्रेशन की खुली छूट होने के बावजूद। इसलिए यह कहना (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : सराड़ा थाने में एक महिला का मर्डर हो गया, इसकी तीन-तीन बार बड़ी मुश्किल से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये बार-बार बीच में टोक रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में व्यवधान करके माननीय मंत्रीजी के जवाब नहीं देने देते ये। फिर महिलाओं की बात नहीं आयेगी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था बीच में ठीक नहीं है।

श्री रामस्वरूप : ये जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य, कुछ सुने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री महोदय, वक्तव्य दें...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी प्रकरणों के अन्वेषण कार्य को गति देने के लिए विभिन्न जिला मुख्यालयों पर 12 नये अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ सृजित किये गये हैं और उनमें डीवाई.एस.पी. रैंक के अधिकारी को हमने लगाया है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्य जो खण्डार से आते हैं उनकी तो दर्ज करा देना, बाकी की तो हो गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : खण्डार के माननीय सदस्य की चिन्ता आपको है और सदन को है, मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य को कोई पीड़ा होगी तो कल ही दूर

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कर दूंगा, आप चिन्ता मत करिए। न केवल खण्डार की बल्कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य के साथ किसी भी तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो मैं चाहूंगा कि उस वक्त भी समय पर उसकी कार्यवाही करें, तो किसी तरह का विचार न हो। अब कई सवाल खड़े हुए हैं। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने और विधान सभा में भाजपा के उप नेता ने कहा कि दोषी कर्मी को नहीं बचाना चाहिए। हमारी मंशा किसी दोषी को बचाने की नहीं हैं, दोषी को दण्डित किया जाएगा और निर्दोष को सताया नहीं जाएगा, यह हमारी निष्पक्ष नीति रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में भी पुलिसकर्मी निष्क्रियता से काम करेगा, अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं करेगा, जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है उसको हमदर्दी नहीं मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार नहीं हिचकेगी, यह भरोसा दिलाना चाहता हूं। हमारा दायित्व है, समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा देना हमारा पहला ध्येय होगा और मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं जिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं करने की, रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की शिकायत एक से दुबारा आ जाएगी तो उस थानेदार को बिना कारण बताये मैं सस्पेंड कर दूंगा और उसके लिए एस.पी. को भी रेस्पोंसिबल बनाऊंगा। उसके लिए एस.पी. भी रेस्पोंसिबल होगा। (व्यवधान) इसके अलावा यह सही बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी तो घोषणाएं हो रही हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं कटारिया साहब, आप भी इस सदन में रहोगे, मैं भी रहूंगा, चाहे किसी तरफ रहें, लेकिन इस सदन में रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता लेकिन यह चुनाव थोड़े ही है, +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य राठौड़ साहब, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब चुनावों में थोड़े ही जा रहे हो आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं चुनाव का भाषण नहीं दे रहा, मैं तो...

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं सुनना चाहते क्या ? सुनना नहीं चाहते क्या आप ? इट इज हिज राइट, वो क्या बोलना चाहते हैं, आप थोड़े ही डिक्टेट कर सकते हो।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्रीजी, गृह मंत्रालय का पत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री मदन दिलावर : इसमें आरोपियों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

को बचाने के लिए सरकार लिख रही है कि इसके मुकदमे को वापस क्यों नहीं ले लिया जाए...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य। माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, आप प्रत्युत्तर सुनने के बाद में अपनी बात कहें। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा का उल्लंघन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो ? आप बैठ जाइए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामस्वरूप : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी। नो घंटे तो अगले ने सुनी और आप उनको आधा घंटा नहीं सुनना चाहते हो। यह कौनसा तरीका हुआ असत्य बोल रहे हो या वो बोल रहे हैं इसका फैसला कौन करेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने तो आज घोषणा की है सत्यता का एक साल बाद पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं प्लीज को-आपरेट।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दें उससे पहले एक व्यवस्था आसन से चाही गयी थी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, प्लीज।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उधर से तीन सौ महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप लगा और उसका दस्तावेज...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, उसका हो जाएगा, फैसला हो जाएगा।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : सदन के पटल पर रखा गया और उसमें स्पष्टीकरण नहीं आया। और...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : हम चाहते हैं कि सदन को बताया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, आर्डर आर्डर। माननीय कटारिया साहब, आई रिक्वेस्ट यू कि जवाब आने तक इनको कहिये कि शांत रहें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों ने कुछ कमियों की तरफ जिक्र किया। जो कमियां हैं मैं उस बात को स्वीकार करता हूं, उनको सुधारने का अपनी ओर से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या तरीका है ?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक सुझाव आया। पुलिस एक्ट 1868 का आज के दिन लागू है, पता नहीं इस तरफ ध्यान किसी भी सरकार का अब तक क्यों नहीं गया। ठीक है, आप भी सरकार में थे, हम भी सरकार में थे। 1868 के बाद तो, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं कि 1868 तक के पुलिस एक्ट में संशोधन करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया जाएगा जो आज की आवश्यकता के अनुसार नया पुलिस एक्ट... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, कृपा कीजिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कह दिया न कि कमेटी का गठन करूंगा और कमेटी की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है यह ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान में चाहे आई.एस.आई. की गतिविधियां हों, चाहे आतंकवादी गतिविधियां हो और चाहे साम्प्रदायिक तनाव के झगड़े पैदा करने वाली शक्तियां हों, सरकार उनको सख्ती से निपटेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजस्थान की पुलिस ने जो अच्छे काम किये उसके लिए भी आपको सराहना करनी चाहिए, केवल एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से देखा कीजिए। एक वर्ष में जो राजस्थान की पुलिस ने काम किये हैं, उसकी भी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, उसको भी हमको एप्रिसिएट करना चाहिए और जो कमियां है उनको गिनाना चाहिए, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन जो अच्छे काम किये उसको तो आपने बिलकुल एक तरफ रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इससे आप क्या चाहते हो ?

श्री जगत सिंह दायमा : वह आप गिना दीजिए, जो अच्छे काम किये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके लिए आप क्या चाहते है ? आप सुन लीजिए, ऐसी क्या बात है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और सवाईमाधोपुर में वर्ष 1999 में तीन अन्तरराज्यीय ईनामी डकैतों को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार गिराने के अतिरिक्त 74 अन्य को जिन्दा पकड़कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। यह तो आपकी निगाह में नहीं है ? वर्ष 1999-2000 में अब तक खाटूश्यामजी, सीकर, हरिमंदिर, डूंगरपुर, मालवीय नगर, जयपुर, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, विराटनगर, जयपुर ग्रामीण हिन्दुस्तान लीवर गोदाम, सीकर रोड, मानसरोवर, महाराजा कालेज स्थित बैंक, जयपुर गोविन्दगढ़ में साधु तथा कार चालक के साथ तथा अजमेर मांगलियावास पेट्रोल पम्प पर हुई सनसनीखेज डकैती की घटना सहित कई अन्य घटनाओं में राज्य पुलिस ने अभियुक्तों को घटना के

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

चन्द घंटों बाद ही माल सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। अजमेर में मासूम बालक अंकित की निर्मम हत्या, सांगानेर क्षेत्र में कुख्यात अपराधी अरविन्द नैय्यर द्वारा की गयी सनसनीखेज हत्याएं, राजसमन्द कांकरोली के पारस रेस्ट हाउस में जयपुर के जवाहरात व्यापारी की हत्या एवं मानसरोवर क्षेत्र में हुई संजय मीणा हत्याकाण्ड सहित कई जघन्य हत्याकांडों का राज्य पुलिस ने कठिन परिश्रम करके पर्दाफाश किया है। जिला गंगानगर अन्तर्गत घड़साना में स्थित बैंक में घटित 60 लाख रुपये की गम्भीर एवं सनसनीखेज नकबजनी का पर्दाफाश करने, जोधपुर पुलिस द्वारा शातिर नकबजनी के 16 प्रकरणों का खुलासा करने एवं राज्य पुलिस अपराध शाखा द्वारा मूर्ति चोरी गिरोह का पर्दाफाश करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नकबजनी एवं चोरी की घटनाओं में सफलता प्राप्त करते हुए राज्य पुलिस ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन्हीं सब चीजों की ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। अवैध हथियार, शराब, मादक, द्रव्य, विस्फोटक सामग्री की खरीद-फरोख्त एवं जुए-सट्टे जैसे सामाजिक बुराइयों में से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी राज्य पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए वर्ष 1999 में 14115 अभियोग पंजीबद्ध कर 21200 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की है। इसके साथ ही, लम्बे समय से कानून की गिरफ्त से बच रहे 243 घोषित अपराधियों को, 863 भगौड़ों को, 4929 स्थायी वारंटियों को और 70462 गैर जमानती वारंटियों को भी राज्य पुलिस ने 1999 में गिरफ्तार किया है। नकली नोटों के माध्यम से ठगी कर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वालों के साथ-साथ, नकली घी तेल मिलाकर बेचने वाले लोगों की जो, जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने वाले कई ठग गिरोहों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जयपुर शहर में सक्रिय लपका गिरोह के सरगना अर्जुन सक्सैना सहित 11 समाजकंटकों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंदर बंद किया गया है। जो विदेशी पर्यटक आते थे यहां पर लपका ग्रुप के लोग ठगी करते थे, हिन्दुस्तान का नाम विदेशों में बदनाम होता था, उस पर भी पुलिस ने अपनी सख्त कार्यवाही की है। यह बात सही है, सदन के उप नेता श्री कटारिया जी ने कहा कि पुलिस के साधन कम है अपराधियों के मुकाबले में, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। एवरेज बजट का जो हिस्सा, हिन्दुस्तान का जो एवरेज है वह 5 परसेंट है, हमारा पहले 3.3 परसेंट था, अब उसको बढ़ाकर हमने 3.6 किया है लेकिन यह अब भी कम है। हम इसको मानते है कि इसको और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि हम अधिक से अधिक इलाके जो कि आज

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

भी किसी न किसी रूप से प्रभावित है, उसमें साधन जुटाकर उसको कम कर सकें। पिछले वर्ष हमने गाड़ियां खरीदी है, मोटर साइकिलें दी है और दो सर्किल हमने कायम किये हैं। इस वर्ष हमारा इरादा है कि राज्य की अन्तरराज्यीय सीमाओं पर गश्त हेतु जिप्सी, जीप और मोटर साइकिल देने का प्रावधान हम करने जा रहे है ताकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बोर्डर पर अच्छी तरह से इसकी जांच कर सकें। फींगर प्रिंट ब्यूरो के लिए फैक्स मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं, वायरलैस जो पुराने हो गये उसके बजाय उनको रिप्लेस करने जा रहें हैं। हम 348 स्थानों, चौकियों, कार्यालयों और निवास हेतु, टेलीफोन की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि हमारी पुलिस ठीक ढंग से काम कर सके। माननीय मैं बोल चुका हूं कि हम जिप्सी, जीप और मोटर साइकिलों का प्रोविजन कर रहे हैं ताकि हमारी अन्तरराज्यीय सीमा पर जिस तरह की जो गतिविधियां होती है उनको हम चैक कर सकें।

मैं थोड़ा सा ध्यान आपका, एंटी करप्शन डिपार्टमैंट नहीं होकर ब्यूरो कर दिया गया है, की ओर दिलाना चाहता हूं। एंटी करप्शन डिपार्टमैंट का जो अब तक काम था, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा, कोई शिकायत लेकर आते थे तो उसको ट्रेप करने की बात होती थी। लेकिन उसके साथ-साथ इनकम से ज्यादा जिसकी प्रोपर्टी होती थी उसको भी सौर्स रिपोर्ट के आधार पर हमारा ए.सी.बी. कार्यवाही करता था लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से स्ट्रेंथन किया है और स्ट्रेंथन करके हमने ए.सी.बी. में एक आई.जी., दो डी.आई.जी. और चार एस.पी. लगाने का फैसला किया है। और हमने यह भी कहा कि हम इस बात पर डिपेंड नहीं करें कि कोई सोर्स रिपोर्ट हमारे पास आये लेकिन जो सबसे बड़ा काम है, हम जो सौंपने जा रहे हैं ए.सी.बी. को, अधिकारों का दुरुपयोग, चाहे वह सरकारी अधिकारी दुरुपयोग करता है, चाहे जनप्रतिनिधि दुरुपयोग करता है जो कि लाखों का नुकसान गवर्नमेंट को, करोड़ों रुपयों का नुकसान अधिकारों के दुरुपयोग से होता है। इसलिए इसका परव्यू और इसका दायरा बढ़ाकर, हम चाहें जनप्रतिनिधि हों और चाहे सरकारी अधिकारी हो, इस काम में हम उनको लगाना चाहते हैं। हमारी टैक्स रेवेन्यु की चोरी बहुत होती है। हमारे नाके लगे हुए हैं। चाहे माइंस के नाके लगे हुए हों, चाहे सेल्स टैक्स के नाके लगे हुए हों, चाहे किसी और के नाके लगे हुए हों, उन पर काफी गड़बड़ी होने की आशंका लगती है। हम इस ब्यूरो को अधिकृत कर रहे हैं कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के, वे इन सब टैक्स रेवेन्यु की गड़बड़ियां हैं, उनको भी अपने दायरे में लेकर उन पर भी सख्त कार्यवाही करें ताकि राजस्थान की टैक्स

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

रेवेन्यु बढ़ सके और भ्रष्ट लोगों को उस दायरे में लाया जा सके।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पुलिस तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, साधन सम्पन्न करना चाहते हैं, अपराधियों के मुकबले में उनको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। कुछ इस वर्ष आर्थिक कठिनाइयां है लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि हमने मोटर साइकिल, गाड़ियां, जिप्सियां, वायरलैस और पुलिस के फोन्स, सारे देने की व्यवस्था की है और अगले वर्ष भी हम इस प्रक्रिया को निरंतर रूप से जारी रखना चाहते है।

बहुत सी बातें कही गयी हैं। जो स्पेसिफिक सवाल आपने खड़े किये हैं जैसे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर.डी.एक्स. का जिक्र किया और भी कई लोगों ने जिक्र किया, आप लोगों ने कुछ हत्याओं का जिक्र किया, उन सब बातों का मैं लिखित रूप से आपको जवाब भेज दूंगा ताकि आपको सही स्थिति का आकलन हो सके और जिस चीजों का आपने कहा है, मैं आपके भाषण के आधार पर सारी चीज को समझ कर अधिकारियों को कार्यवाही करने का निर्देश दूंगा ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री जगमाल सिंह यादव : लालबत्ती का क्या रहा ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लालबत्ती का जवाब तो मेरे साथी यातायात मंत्रीजी देंगे क्योंकि यह उन्हीं के यहां से आदेश निकलते हैं। वे ही उस संबंध में आपको कुछ कहेंगे।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे हमारी हाईवे पुलिस हो, हाईवे पुलिस का दायित्व यह था कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों को उठाकर ले जाए। लेकिन अब हाईवे रोबरी का काम भी होने लग गया है। इसलिए हाईवे पुलिस को हम रोबरी के काम में भी लगाना चाहते हैं ताकि यह नाकेबंदी की जो बात कह रहे हो कि रोक देते हैं, वह कर देते हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम हाईवे पुलिस का उपयोग करेंगे। और इन घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, एक्सीडेंट्स की घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हाईवे पुलिस को सशक्त करेंगें और उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

यह बात सही है कि कुछ कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को कहता हूं कि सब कठिनाइयों के बावजूद राजस्थान पुलिस ने पिछले वर्ष में जो काम किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष में जो कमियां हमारे माननीय सदस्यों ने दर्शायी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठायेंगें ताकि बेहतर सेवाएं हम दे सकें।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मैं अन्त में आपको यही विश्वास दिला सकता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा वाला कागज निकाल लो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या घोषणा चाहते हो आप ? किस बात की घोषणा चाहिए आपको ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : घोषणाएं तो हम बहुत करते लेकिन 24 हजार करोड़ और ढाई हजार करोड़ ब्याज हम भर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं अपनी बात को सामप्त करने के पहले जो आप चाहते है उस पर भी आउंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : घोषणा कर रहे हैं, सुनो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : टोडाभीम क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य जीप की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको जवाब भेज दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा।

वर्तमान में जो समस्या और चुनौती हमारे सामने है उसके अनुरूप पुलिस बल को संगठित करके हम उसको उसके लायक बनाने का दायित्व हमारे पर है। उसके लिए हमने पुलिस की कार्य प्रणाली में प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया है। हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। हमने एक जिले में एक थाने में ट्रेंड लोगों को रखने का फैसला किया है, पढ़े लिखे लोग ही उस थाने में रहेंगे। हर जिले में एक थाने की स्थापना करने का भी हमने फैसला किया है। उसके आधार पर पुलिस अधिकारियों को हमने यह भी निर्देश दिया है कि जिले में जाएं तब वे जनता के बीच में बैठे और जनता के साथ संवाद कायम करें। एक माननीय सदस्य ने यह कहा था, मेरे ख्याल से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब पुलिस अधीक्षक आते हैं तब हमको सूचना नहीं मिलती, डी.आई.जी. आते हैं तब हमको सूचना नहीं मिलती। मैं सभी जिलाधीशों को निर्देश दे रहा हूं...

श्री संयम लोढ़ा : जनता के लिए कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे रहा हूं कि वे कम से कम अपना दफ्तर छोड़ कर जिलों की जितनी पंचायत समितियां हैं, जितनी तहसीले हैं उनके अनुरूप पंचायत समिति मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर जाकर के जनता से मिलने का कार्यक्रम निश्चित करें और उसकी सूचना हमको दे ताकि उसकी पालना की जा सके। हम चाहते हैं कि जनता और पुलिस का एक दूसरे का संबंध बना रहे, एक दूसरे के सहयोग से अपराधों में हम कमी ला सकें, यह हमारी मंशा है जिसका हम संवाद के जरिये पूरा करना चाहते हैं।

आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी जो पुलिसकर्मी दिन रात काम करते हैं उनकी सुख सुविधा के लिए जो कुछ राज्य के

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

बजट से कर सकते हैं वह करने की बात मैंने तय की है और सदन में मैं अनाउंस करता हूं कि मैस भत्ता जो अभी 350 रुपये माहवार मिल रहा है उसको बढ़ाकर के मैं 400 रुपये प्रति माहवार करने जा रहा हूं। पुलिस कल्याण कोष में 25 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूं। खेलकूद कोष में 20 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूं। पुस्तक कोष में 10 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूं। आधारभूत सुविधाएं, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पंखे, शौचालय एवं स्नानागार जिन बैरक्स में नहीं है उसके लिए 60 लाख रुपये का प्रोविजन करता हूं।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ में एक बार फिर आपका आभार प्रकट करते हुए आपके दिये गये सुझावों के अनुरूप पुलिस की कार्यशैली को निश्चित रूप से सक्षम बनाने की कोशिश करूंगा, धन्यवाद।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16, पुलिस के संबंध में है, उसको पारित कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यातायात मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, थोड़ा सा विलम्ब तो हो गया है लेकिन बहुत कम समय मैं आपका लूंगा और संक्षिप्त में कुछ आपको, आपके हक की बात कहेंगे, कुछ हमारे यातायात विभाग के हक की बात करेंगे ताकि आपस में बैठकर के उस पर निर्णय करते हुए आगे चलेंगे तो निःसंदेह हमारा यातायात विभाग सक्षम होकर आपको सेवाएं दे सकता है।

यातायात विभाग द्वारा मोटर यानों का पंजीयन, नियंत्रण, करारोपण व वसूली, जन सुविधार्थ नये मार्गों का निर्धारण करने का काम, पुराने मार्गों के विस्तार का काम और इसके लिए अनुज्ञा-पत्र जारी करने का काम तथा ड्राइविंग लाइसेंस व कंडक्टर लाइसेंस, नौकाओं का लाइसेंस व फिटनेस लाइसेंस देने का कार्य करता है। लालबत्ती के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी बात करूंगा। अभी थोड़ी देर में करेंगे। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को पिछले वर्ष के जो रेवेन्यु अचीव करने के टार्गेट दिये थे, उसमें इस साल तक हमने पिछले साल से 91 करोड़ रुपये ज्यादा देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है जिसके लिए मैंने केवल मेरे साथियों के सहयोग को, बल्कि इसके लिए मैं परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पवित्र सदन के माध्यम से सरकार की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कार्य निष्पादन में कोई कोताही नहीं रखी, और सबसे ज्यादा तीनों रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमैंट हैं, उनमें सबसे आगे आकर

(1.00 बजे)

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

अपने रेवेन्यु लक्ष्य को पूरा किया। निःसंदेह जो लक्ष्य पूरा करता है तो उन पर कितने भी आक्षेप आते हैं तो बावजूद उसके भी ये कार्य निष्पादन में अगर कोई कोताही नहीं रखते हैं तो उनको वास्तव में अपनी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथियों जैसे कि आपकी ये बातें आई, क्लेंडेस्टाइन आपरेशन बहुत हो रहा है, कुछ-कुछ तो आपको उत्तर में भी दिया गया था लेकिन वास्तव में सच्चाई को मैं भी छिपाता नहीं हूं लेकिन उसके रेमेडियल मैजर्स भी, कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश आज की तारीख में करूंगा जिसको शायद आप भी पसंद करें। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने टास्क फोर्स का गठन किया जिसके कारण से अभियान चलाये गये और अभियान में हमें आशातीत से ज्यादा पैसा वसूली के रूप में मिला भी है और उस पर कड़ाई के कारण से अवैध वाहनों के चालान में थोड़ी रुकावट हुई है। इसके अलावा बिना परमिट चलने वाले 10 सीटों के वाहनों के ऊपर, एक बस का कर पकड़े जाने पर, एक बस लगाये जाने के कारण वह जीपें भी क्लेंडेस्टाइन आपरेशन के अंदर काफी कम होने लगी हैं। इसके साथ-साथ जो क्षमता से अधिक जीपों के अंदर बैठते हैं। पहले से केवल मात्र 30 रुपये प्रति सवारी लिया करते थे लेकिन 30 रुपये से बढ़ाकर हमने 150 रुपये पैनल्टी कर दी है चाहे जीप में अगर क्षमता से ज्यादा बैठते हैं तो, अगर लटकते हुए होंगे तो उसके ऊपर हमने 300 रुपये प्रति सवारी की शास्ति लगाई है जिससे कि किसी भी तरीके से लटकते हुए और उस पर बैठने का प्रयास नहीं करें जिसके कारण से हमने यह इस तरीके का नियम बनाया और उसमें शास्ति लगाने की कार्यवाही की है। मेरे साथियों, जो निजी कांट्रेक्टर्स और बस स्टैण्ड के पास में रहते थे, उनको हमने हटाने के लिए कोशिश की है और उसके लिए आदेश भी जारी किये हैं। कई जगह पर इसका पालन हुआ कहीं पर पालन नहीं हुआ, तो हम चाहेंगे कि इसका सख्ती से पालन किया जाये और मैं इसके लिए हमारे विभाग के अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि इसकी सख्ती से पालना कराई जाए ताकि क्लेंडेस्टाइन आपरेशन रोका जा सके। जैसा कि आपको पता है कि आये दिन आसपास के एरिया के अंदर आपने जीपों को संचालन बहुत ज्यादा अवैध वाहनों के रूप में माना है। वास्तव में मैं भी मानता हूं और बड़े शहरों के आसपास तो इतनी सारी जीपें हो गई हैं जिसके कारण से क्लेंडेस्टाइन आपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा होने लग गया है। मैं यह चाहूंगा, हो सकता है आपको दर्द होगा लेकिन किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपरेशन अच्छी तरीके से सख्ती से करना चाहेंगे, निःसंदेह हमारे मंत्रीजी शक्तावत साहब...(व्यवधान) नहीं

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

होगी तो कोई बात नहीं लेकिन हो जाती है बाद के अंदर। कई लोग कहते हैं कि पिछले टाइम के अंदर इस तरह से अबैध वाहन ले लेकर चारों तरफ टैक्सी लगाकर अवैध वाहनों को थोड़ा सा पीछे, थर्स्ट आन किया था, मैं उसके जरिये आपको निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को लगे नहीं लेकिन मैं यह सख्ती से कहता हूं मैं एक-एक जिले को पकड़ूंगा। माननीय पुलिस अधिकारियों का और सबका सहयोग लेकर एक-एक जिले को पहले लेउंगा। अगर क्लेंडेस्टाइन आपरेशन को रोकने के बाद में वहां पर बसों की आवश्यकता होगी, रोडवेज की ड्यूटी है, रोडवेज के अधिकारियों को लिखें कि वे बसें प्रोवाइड करें। किसी भी तरीके से अगले महीने से यह अभियान चलाया जायेगा ताकि आपका जो क्लेंडेस्टाइन आपरेशन जीपों के द्वारा हो रहा है, वह बंद किया जा सके।

श्री अमराराम (धोद) : आप सिरोही से ही शुरू करना।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं सिरोही पहले ले लूंगा आप कहेंगे तो, इसमें क्या दिक्कत है, मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा क्लेंडेस्टाइन आपरेशन जयपुर के आसपास होता है या अलवर के आसपास बहुत ज्यादा होता है। पहले इनको लेकर देखेंगे ताकि आपको तकलीफ ज्यादा नहीं महसूस हो सके क्योंकि आये दिन मैंन हाईवे के ऊपर कई एक्सीडेंट होते हैं, अजमेर के आसपास में कई एक्सीडेंट होते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा रोका जाए ताकि ...(व्यवधान) मैं निःसंदेह इसलिए कह रहा हूं कि बसों के पुख्ता इंतजाम के लिए तो मैं यह कह रहा हूं कि मैं एक-एक जिले को पकड़ूंगा। अगर सारे जिलों को लिया जाए तो वास्तव में, मैं कह रहा हूं आपको जैसा कि पत्ता है, पूरे एक दिन के अंदर 30 लाख आदमी ट्रेवल करते हैं। जिनमें से छह लाख केवल मात्र रोडवेज की बसों के द्वारा होते हैं और 12 लाख आदमी प्राइवेट बसों से और बाकी के दूसरे अन्य साधनों से ट्रेवल करते हैं। बाकी के अन्य साधनों से ट्रेवल करते हैं इसलिए वास्तव में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, खतम करो। डिमांड पास करवाइये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ...एक मिनट। इनकी घोषणाएं बहुत हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लालबत्ती की बात तो कहो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लालबत्ती से पहले तो प्रिय मित्र की बात करेंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं लाल बत्ती के पहले तो मरे मित्र संयम लोढ़ा ने जो बात रखी है कि हमारे यहां पर जहां 5000 से ज्यादा आबादी के ग्रामीण क्षेत्र हैं, उस पर आटो रिक्शा और दूसरा प्रबन्ध होना

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

चाहिए। पंचायत क्षेत्र में जिसकी आबादी 5000 से ज्यादा है लेकिन अगर वह बस स्टैण्ड से दूरी पर गांव बसा हुआ है और रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर में बसा हुआ है या वह हमारा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान से नजदीक हो या पर्यटन स्थान के नजदीक हो लेकिन वहां आने-जाने की सुविधा नहीं हो तो वहां पर आटो रिक्शा का चिंहित करके ऐसे स्थानों के ऊपर आटो रिक्शा के परमिट देने के लिए मैं निर्देश देता हूं और यह पूरा किया जायेगा। (व्यवधान) अगर मैं रेड लाइट की बात पहले कह दूं तो मुझे कोई सुनेगा नहीं और जब आप सुनेंगे नहीं तो मैं मेरे विभाग की सारी बातें आपके सामने रखूंगा कैसे ? इसलिए अगर थोड़ी-थोड़ी बात मेरी भी सुनो तो मैं आपकी रेड लाइट की बात भी जरूर सुनूंगा। हमने विशेष टोकन लागू करके जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मेरे खयाल से राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कदम होगा कि जिसके द्वारा ओवरलोडिंग को रोकने के लिए और इंस्पेक्टर राज को ख़तम करने के लिए पिछली बार पीड़ा कई लोगों ने जताई थीं। उसको मध्य नजर रखते हुए हमने गोल्डन टोकन प्रोविजन किया जिसके कारण से आज कोई इंस्पेक्टर ट्रक को रोक नहीं सकता बीच में, कोई डी.टी.ओ. नहीं रोक सकता। केवल मात्र आर.टी.ओ. रोक सकता है जिसके कारण से न केवल प्रजा के द्वारा बल्कि ट्रक आपरेटर्स यूनियन के द्वारा हमारी प्रशंसा मिली है और उसको सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कदम बताया है जिसकी कि ट्रांसपोर्टर्स को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है और उसके कारण से हमे 91 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी मिली। हमने पिछले साल चार आर.टी.ओ. आफिस खोले थे 31 तारीख में और जिसके कारण से हमको 20 करोड़ रुपये ज्यादा अनुमानित वित्त विभाग को लक्ष्य दिया था। उस 20 करोड़ के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए चार आर.टी.ओ. आफिस बिलकुल वायवल होकर काम करने लग गये। हमने इसके साथ-साथ में ब्यावर के अंदर एक डी.टी.ओ. आफिस खोलकर, वह डी.टी.ओ. आफिस ट्रांसफर करके खोला था। आज वह कार्य करने लग गया है। और ब्यावर की जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो डिमांड पास कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक वह नहीं कहेंगे कि डिमांड स्वीकृत कराई जाये, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये साहब तो बोल रहे हैं कि प्रजा तकलीफ पा रही है... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं आपको जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के अंदर बताना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा जयपुर में रहते हैं और जयपुर

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

वाले निवासी सबसे ज्यादा मांग करते आये हैं जयपुर के...(व्यवधान) हैं। तो मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि हमने यहां पर यातायात व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, व्यवस्था में सुधार के लिए हमने इंटरसेप्टर उपलब्ध कराये हैं यातायात के लिए और चार क्रेन भी हमने उपलब्ध कराई जिससे कि यातायात के अंदर किसी भी तरीके से असुविधा न हो। (व्यवधान) आप थोड़ा बैठिये, थोड़ा सुन लीजिये।

इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन से सिंधी कैम्प होते हुए छह मार्गों पर रात्रिकालीन सिटी बसें हमने चालू की ताकि रात में अगर आपको खुद की गाड़ी नहीं मिले तो कम से कम आप आ जा सकें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो अखबारों में आ गया, हमने पढ़ लिया। दो महीने पहले ही आ गया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। हमने जो एक्शन लिया उसको सुनो तो सही। आपने भी कई बार बातें की थीं फिर भी आज आपने वापस वह की वह बात कहीं, हमने तो नहीं कहा कि आपका पहले भाषण सुन लिया था।

इसी तरह से रेलवे स्टेशन से जगतपुरा, रेलवे स्टेशन से सांगानेर, रेलवे स्टेशन से रामगढ़, रेलवे स्टेशन से झोटवाड़ा, रेलवे स्टेशन से खातीपुरा और रेलवे स्टेशन से हरमाड़ा, ये छह रूट्स के ऊपर हमने बसें चलाई हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बेकार बातें कहीं थी ? माननीय सदस्य सदन में बेकार बातें कहते हैं। यहां क्या सदन में बेकार बातें कहते हैं ? माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि बेकार बातें कही थी आपने, हमने सुनी, तो क्या हम यहां बेकार बाते कहते हैं ? इसको एक्सपंज कराइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बेकार नहीं कहा इन्होंने। बेकार नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आपने तो बेहतर बातें कहीं जो मैंने सुनीं है, अब आप मेरी सुनो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्सपंज कराइये आप।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, जरा सुनिये। मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आप क्यों कर रहे हैं ? इसमें एक्सपंज करने की क्या बात है ? मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं।

श्रीमती कमला : इन्होंने कहा कि आपने पहले भी ऐसी बात कहीं हैं, जो दुबारा आपने कही है इसलिए फिर भी मैंने सुनी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, मंत्री महोदय, आप स्पष्टीकरण मत दीजिये। हमने सुनी है। (व्यवधान) उन्होंने कहा कि आपने बेकार बातें कही हैं। हमने सुनी है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने बेकार नहीं कहा है। माननीय सदस्य, उन्होंने कहा है। आपने सुनी है। तो उनका एग्जामिन कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : लेकिन आपने सुना है तो गलत सुना है। मैंने तो जो कमलाजी ने कहा है वही कहा है।

हमने पिछले वर्ष के अंदर करीब 500 बसें खरीदने का लक्ष्य रखा था। 500 में से 430 बसें खरीदी हैं और इसी तरीके से अब की बार इस साल के अंदर हम 750 नयी बसें खरीदकर रोडवेज को और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि नाकारा बसों को रिप्लेस किया जा सके। आम जनता को सुविधा मिल सके। और ऐसी बसें, जो सुपर डीलक्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है। जिसके अंदर सारे करटेन और आपकी सिल्वर डीलक्स के बराबर की बसें देकर के सारी सेवाएं उपलब्ध करायेंगे जिससे कि आपको पूरा यकीन हो सके कि रोडवेज अच्छी सेवाएं दे रहा है। मेरे साथियों, यह हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारी कांट्रेक्ट बसें 3091 है, अगर 3091 को क्लेंडेस्टाइन आपरेशन को रोकना है तो उनके ऊपर सख्ती से हम कार्यवाही करें और एक-एक के अगर परमिट कैंसिल करते हुए उनकी पांच साल टर्म खतम होती है तो देते जावें, उसके बदले में तीन हजार बसें हमको रोडवेज की और चाहियेगी। इसके लिए धीरे-धीरे हमें यह कार्यवाही करनी पड़ेगी ताकि कांट्रेक्ट बसें, कांट्रेक्ट कैरिज की बसें बंद हो सकें, और धीरे-धीरे रोडवेज के ऊपर सारे का सारा भार आवे और सारा यात्रीभार रोडवेज के थ्रू चल सके। उसके लिए हमने धीरे-धीरे उपाय करते हुए अभी 750 बसें खरीदी हैं, आगे आने वाले टाइम में धीरे-धीरे आफ रूट होने वाली से ज्यादा खरीद करके इन मांगों को पूरी करने की कोशिश करेगें, उससे पहले हम जीपों का...(व्यवधान) मैं बहुत कम कहना चाहता हूं, हमने...

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं। क्या हो रहा है यह, बोल रहे हैं, आप सुनें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं यह चाहता हूं कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मंत्रीजी ? क्या करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करना चाहता हूं सम्माननीय सदस्य, मैं घोषण करना चाहता हूं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम इनकी मांग को पास करने को तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष : आप रोक सकते हैं क्या उनको ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मांग तो मंजूर कर देगा सदन।

श्री छोगाराम बाकोलिया : कि विभाग के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक माह

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

के अंदर निश्चित तिथि को हमारे लर्निंग लाइसेंस जारी करने हेतु कैम्प लगाकर लाइसेंस जारी किये जायेंगे जिसके अंदर परिवहन विभाग का एक निरीक्षक होगा, यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि होगा और पंचायत समिति का एक निदेशक, जो कि प्रधान के द्वारा नोमिनेटेड होगा, इन तीनों की होगी। और दो कम से कम उपस्थित होने चाहिए ताकि वह लर्निंग लाइसेंस उसी दिन दिये जा सकें। इसके लिए मैं निर्देश जारी कर रहा हूं और उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। मेरे साथियों ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ताम्बीजी ने एक बात रखी थी कि एमनेस्टी जो स्कीम् है, वह स्टेट कैरिज के लिए जो पुरानी बकाया को वसूलने के लिए पहले तीन महीने तक की, मार्च तक दी थी, उस को हमने जून तक बढ़ा करके माननीय हमारे ताम्बीजी की मंशा को पूरी करी है और जून तक वह पूरी हो जायेगी। हमारी राय में हम चाहते हैं कि क्लेंडेस्टाइन आपरेशन और ज्यादा रोके जायें लेकिन मेरे साथी विधायक महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास इंस्पेक्टर की 70 कमी है। 184 में और 263 सब-इंस्पेक्टर की स्ट्रेंथ में 110 सब-इंस्पेक्टर कम हैं लेकिन बावजूद उसके भी हम टारगेट पूरे कर रहे हैं, उसके साथ-साथ सारे आपरेशन कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इंस्पेक्टर को ज्यादा लगा करके ताकि यह क्लेंडेस्टाइन आपरेशन और सारी जो कार्यवाहियां हैं, पूरी हो सके, उसके अनुरूप हम कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। मैं तो चाहता था कि बहुत सारी बातें आपके सामने रखूं लेकिन आप लोग उससे पहले ही थपथपा रहे हैं टेबल को, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा थक गये हैं, (व्यवधान) अभी आप बहुत पहले घबरा गये हैं, मेरे को तो कम से कम आधा घंटे और बोलना था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोलना है तो सारी रात बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : नहीं, अगर आप कहें तो बोलूं।

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये, अब लालबत्ती पर बोलेंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : लालबत्ती पर बोल दूं ? चलो, आप कहते हैं तो अभी मैं लाल बत्ती पर भी आ जाता हूं, क्योंकि कुम्हेर वाले, नदबई वाले तो जरा चले गये, नहीं तो मैं उनको जवाब देता कि उनके यहां कितनी बसें हैं, दूसरी हैं...(व्यवधान) लिखकर भिजवाने की जो बात कह रहे हैं माननीय सदस्य, सुमित्राजी ने पिछली बार भी एप्रिसिएट किया था, माननीय सदस्या ने, और मैं उनके अनुरूप जो एक बार एप्रिसिएट किया था उसी के अनुरूप कट मोशन के इस बार भी माननीय सदस्यों को

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

सबसे पहले भेज दिये हैं और उनके जवाब मेरे ख्याल से सब को मिल गये हैं। एक से एक जवाब देकर, हमारे सभी माननीय सदस्यों को, जितने भी हैं, 71 हैं, उनको मैंने कहा कि रात तक भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पर कर देना। यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था इसलिए आप तक पहुंच गये अदरवाइज तो शायद नहीं पहुंच पाते।

डा. करण सिंह यादव : लेकिन रोडवेज का प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया इस बार ? राजस्थान रोडवेज का प्रतिवेदन क्यों नहीं मिला इस बार। आपका यह तो पांच बजे मिला।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मिल गया आपको।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, रोडवेज का प्रतिवेदन किसी सदस्य को मिला क्या, राजस्थान रोडवेज का।

एक माननीय सदस्य : वह तो साहब सोकर पांच बजे जगे थे यह।

श्री छोगाराम बाकोलिया : वह तो पहले ही भेज दिया था, प्रतिवेदन तो। इनको पता नहीं है। खतम करूं ? मैं लास्ट में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की सब की...

श्री परसादी लाल : अब लालबत्ती पर आ जाओ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आता हूं श्रीमान्‌जी, थोड़ा सा तो वेट कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या करेंगे लालबत्ती, यह कर सकते हैं क्या ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : एक बात आपने सब ने, जगमाल सिंहजी, माननीय सदस्य ने रखी कि निरंतर घाटे की तरफ राजस्थान स्टेट रोडवेज बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते हुए के ऊपर उन्होंने चिंता जाहिर की। और वास्तव में वह चिंता बहुत ही वाजिब है कि रोडवेज के प्रति चूकिं मंत्री रह चुके हैं और उनका सोचना वास्तव में बहुत सही था और उसी के अनुरूप आपने बात 10.4.2000 को रखी सदन के अंदर, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने भी उस बात को पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने रखी कि जो रियायती दर के ऊपर जितने भी यात्रा के लिए आदेश दिये गये हैं राज्य सरकार के द्वारा, उनका पुनर्भरण हो। उस पर वस्तुतः प्रिंसीपली हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सहमति प्रकट की। यह एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी तरफ से प्रिंसीपली अगर सहमति व्यक्त की है तो निःसंदेह उनका मन इसको भरण करने के लिए है और पुनर्भरण करने के लिए उनका मन है तो ठीक है, टाइम लग सकता है। लेकिन उनके आश्वासन के बेस पर भी हमारे 110 करोड़ रुपये कम करा सकते हैं, उसके लिए फाइनेंस के अंदर हमारी बात चल रही है और वह

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

जल्दी ही उसमें उपलब्धि प्राप्त करके उसके अनुरूप घाटे की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे जितने भी रियायती दर के ऊपर जो यात्रा करते हैं, उनके द्वारा पुनर्भरण होने की संभावना पूरी हो। और इसके तहत मैं आपको और निवेदन करता हूं इस लिबरलाइजेशन को देखते हुए और माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाव को देखते हुए...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : +++

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप विराजियेगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : थोड़ी सी दया कर दो, मेरी दिल्ली वाली बस चला दो, आपका अहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर। +++

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह आपकी ऐसी बसें, दूसरी सभी...(व्यवधान) आप जरा ठहरिये, विराजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। इससे और ज्यादा देर हो रही है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कुछ तो कर दो। देर तो वैसे ही हो रही है, साहब।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो रियायती दरों के ऊपर दिया जा रहा था उसके भरण–पोषणा के लिय जैसा मैंने निवेदन किया उसी के तहत जो हमारे हैण्डीकैप्ड पर्सन केवल दिन में चल सकते हैं, रात को चलने के लिए बिलकुल नहीं था, उसको मैं आज से हमारे अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि वह रात्रिकालीन जो सेवाएं पहले दिन में उपलब्ध होती उसी को रात्रिकालीन में भी दिया जाये क्योंकि डिफरेंस रखना कोई वाजिब नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : घोषणा करें जा रहे हैं, अठन्नी देते नहीं है। क्यों बैठायें रोडवेज ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय जो ऊपर के पत्रकार बिराजे हुए हैं, एक मिनट विराजिये...

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, रोडवेज क्यों सफर कराये, अठन्नी है क्या आपके पास ? रोडवेज को देने के लिए अठन्नी है क्या ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : हो जायेगी, आप बेफिक्र रहे, हमको अठन्नी की जरूरत नहीं है। आप सुनिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : क्या हो जायेगी ? घोषणाएं आये दिन कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, लेना देना कुछ नहीं। अगर रोडवेज कार्पोरेशन आपके आदेश को...

श्री छोगाराम बाकोलिया : जब संभावनाएं देखी लेने–देने की तभी तो बात कर रहे हैं। जब राज्य सरकार की मंशा होगी तो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

पुनर्भरण हो जायेगा। आप बेफिक्र रहियेगा। लेने देने की बात तो आपके पास है, मेरे पास कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट। आप सुने तो सही। अगर रोडवेज प्रशासन, जो कार्पोरेशन है उसने आपके आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया तो क्या करोगे ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप बेफिक्र रहिये। माननीय सदस्य, यह रद्दी की टोकरी में डालने की बात होती तो माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रिंसीपली एग्री नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, हो गया न बहुत।

श्री जगमान सिंह यादव : नहीं, दे दिया क्या ?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अगर अधिकारियों ने डाल दिया तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे माननीय मंत्री महोदय। चिंता मत करो।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, दे दिया है क्या ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदा-कदा हमारे पत्रकारों की मांग आती है...

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया, वह पैसा दे दिया है क्या ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : केवल मात्र एक धौलपुर जाने के लिए इंटरस्टेट थोड़ा बाउण्ड्री को पार करना पड़ता है क्योंकि धौलपुर के लिए मात्र एक ही रास्ता है थ्रू आगरा के जाने का, इसलिए मैं उन पत्रकारों, जो धौलपुर गमन करते हैं और जो अथोराइज्ड है उनके लिए यह सुविधा धौलपुर जाने की पूरी अनाउंस करता हूं जिसके कारण उन पत्रकारों की अब गिला खतम करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो बोलें यह डिमांड पास करी जाये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसके साथ में हमारे माननीय सदस्यों ने 8 से ज्यादा कट मोशंस के द्वारा लालबत्ती लगाने के लिए अपनी बात रखी।

श्री जगमाल सिंह यादव : हाउस में भी रखेंगे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हां, हाउस में रखी। 8 माननीय सदस्यों ने कट मोशन के द्वारा और हाउस में भी कई माननीय सदस्यों ने अपनी ये बात कही है और एक मत होने की कोशिश की है। राइटिंग में भी लिखने की कोशिश की है ऐसी बात को देखते हुए माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप, क्योंकि अभी केवल मात्र 19 कैटेगरी के लोगों को ही यह सुविधा उपलब्ध है दूसरे बाकी के दो जो है वे तो हमारे गश्ती ड्यूटी वालों के लिए और पुलिस और परिवहन विभाग के लोगों के लिए नीलीबत्ती लगाने के लिए और जो रेडक्रास की एम्बुलेंस है

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

उनको बैंगनी बत्ती लगाकर ऊपर कांच बैंगनी रंग का...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी यह आपके अधिकार क्षेत्र में है या जी.ए.डी. के ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : ये आंकड़े नहीं हैं उनको क्यों अलाउ किया जाए, उनको किया गया है बैंगनी रंग का ऊपर कांच लगा कर दी हुई फेसीलिटी है। मैं एम.एल.एज. और इसके साथ-साथ जिला प्रमुख और अन्य कैटेगरी के जो पीछे छूट गये जिनकी अभी मांग आती रहती है उन सभी मांगों को मैं केबिनेट के सामने रखूंगा और केबिनेट जो निर्णय लेगी अगर आपके हक में वह निर्णय लेती है तो वह दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अब तो मांग को पारित कराओ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मांग को पारित करने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कारागार मंत्रीजी।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल (राज्य मंत्री, कारागार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-17 के ऊपर आज 30 से अधिक बोलने वाले सदस्यों में से 10 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मात्र 10 ने।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : मात्र 10 और माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिये इनमें उन्होंने नये भवन बनाने की बात, भवन की मरम्मत की बात, जेलों में भोजन व्यवस्था और उनके कम्बल आदि की व्यवस्था की बात, जेलों से फरार होने की बात, जेलों में रहने वाले जो बन्दी हैं उनके पैरोल की बात, सलाहकार कमेटी की बात इस प्रकार से यह कई सुविधाओं की बात यहां पर रखी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ओपन जेल और सेन्ट्रल जेल के बारे में भी बताये।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : मैं सब पर आ जाऊंगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल सौ जेल हैं उसमें से 6 सेन्ट्रल जेल हैं, 5 "ए" क्लास जेल है और 21 जिला जेल है बाकी सब डिवीजन हैडक्वार्टर के ऊपर उप-कारागार के नाम से जानी जाती है। इसमें से जो अंडर ट्रायल बन्दी हैं वह जो हमारे छोटे कारागार है, सब-कारागार, उनके अंदर रहते हैं। लेकिन जो सजायाफ्ता बन्दी हैं वे या तो सेन्ट्रल जेल में रहते हैं या "ए" क्लास जेल में रहते हैं। तो माननीय सदस्यों ने जो यहां पर भावना व्यक्त की है विशेष तौर से टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य,

(मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल)

सबसे पहले ये बोले थे इन्होंने एक बात कही कि कारागार के अंदर ट्रायल, अंडर ट्रायल और सजायाफ्ता एक जगह रहते हैं खूंखार बंदी भी और वे भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जेल है और "ए" क्लास और सेन्ट्रल जेल हैं उन जेलों में अलग रहने की व्यवस्था है लेकिन जो छोटी जेल है और जहां पर भवन की उपलब्धता नहीं है। वे ही दो-चार जेल ऐसी हो सकती हैं जिनमें इस प्रकार के बंदियों को एक साथ रखा जाता है। मैं नये भवनों के बारे में कहना चाहूंगा कि हम चार भवन नये इस साल बना कर तैयार कर रहे हैं। इसमें दो भवन तैयार हो गये हैं। एक मालपुरा और एक डीग। दूसरे दो भवन एक हमारा राजगढ़ में हैं वह चूरू जिले में है वह बन रहा है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां तो कर गये न।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : नहीं व बन रहे हैं करेंगे नहीं वो बन रहे हैं। क्योंकि जहां जेल की आवश्यकता हो, या पुराने भवन, जहां बने हुए हैं वहां मरम्मत की आवश्यकता हो, मरम्मत करेंगे और जहां नये भवन बनाने की आवश्यकता हो तो नये भवन बनाने की भी चेष्टा सरकार करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कारागार विभाग द्वारा 10वें वित्त आयोग के जरिये जो हमें पैसा मिला है उसमें इस साल हमने 170 लाख रुपये की राशि इन भवनों की मरम्मत के लिए और इन नये भवनों के एक्सटेंशन के लिए या नये भवन बनाने के लिए हमने इसका प्रावधान रखा है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया जिसके कारण पैरोल पर हमारे बंदी भाई छूट नहीं पाते थे। मैंने पूरे राजस्थान के सभी जिलों में जेल सलाहकार समिति बना दी है और मैंने इस बात का निर्देश दे दिया है कि नियमानुसार तीन महीने में उन जेल सलाहकार समिति की बैठक हो ताकि बन्दी भाई पैरोल पर छूट सके। इसके लिए उसके अंदर दो सदस्य होते हैं जिला जेल में तीन सदस्य होते हैं सेन्ट्रल जेल कमेटी में, उनकी कमेटियों का गठन कर दिया गया है और हमारे जिला कलेक्टर्स इसके अध्यक्ष हैं। उनको इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं कि हर तीसरे महीने में उनकी मीटिंग की जाए। इसके अलावा झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा महिलाओं की साड़ी की बात और कम्बल की बात चूंकि जेल मैनुअल 1951 में बना था उस समय का एक्ट, उस समय के नियम और कानून-कायदे बने हुए है। मैंने मेरे विभाग में राज्य सरकार के द्वारा पांच व्यक्तियों की कमेटी का गठन कर दिया है और वह कमेटी 6 महीने में नया जेल मैनुअल

(मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल)

एक्ट, नया नियम बनाने के लिए अधिकृत है और 6 महीने के समय के बाद मैं समझता हूं कि वो बनाकर देंगे तब जाकर यह बात बन पाएगी उससे पहले मैं इन बारे में नहीं कह सकता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रंगीन करने में कौन सा मैनुअल काम में आएगा।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : हां, रंगीन वाली बात अलग है लेकिन आपने जो कम्बल वाली बात की है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही है कि जो जेल हैं उनके अंदर साक्षरता की बात, उनमें प्रशिक्षण की बात, तो मैंने राजस्थान की पूरी जेलों में कम्पल्सरी साक्षरता के लिए आदेश जारी किये हैं और सब जगह साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण के लिए जहां तक सवाल है उसमें एक कम्प्यूटर की शिक्षा, ऊनी कालीन, दरी, लोहे का काम, कुर्सी बनाने का काम, रंगाई का काम, होजरी का काम, खेतीबाड़ी का काम जो खुली जेल है उसमें खेतीबाड़ी का काम होता है। कम्बल उद्योग, मोमबत्ती उद्योग और मुड्डा उद्योग ये ऐसे उद्योग हैं जिनको हमने प्रशिक्षण के तौर पर जिससे उन बन्दियों का दिमाग दूसरी तरफ नहीं रहे और उनका दिमाग सही रहे। मैंने पिछले साल से राजस्थान के सम्भाग स्तर पर खेल-कूल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी बंदियों के लिए किया है ताकि उनका मन लगा रहे और वे सुधर सकें। रचनात्मक कार्य के लिए ...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : कौन-कौन से खेल खिलाओगे साहब ?

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : सभी प्रकार के जो खेल होते हैं वे सभी प्रकार के होंगे। हमने बंदियों के लिए जो वेलफेयर फंड है उसके जरिये भी कुछ जो हमारे बंदी हैं उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम चालू किया है, उनको निःशुल्क कानूनी सलाह देने की बात कही है और उनको और प्रकार की सुविधाएं जिस प्रकार की हमें करनी चाहिये, उन सब व्यवस्थाओं की तरफ हमने ध्यान दिया है, यह कार्यक्रम भी हमने चालू किया है। मैं एक-एक पाइंट बहुत शोर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि समय का मुझे मालूम है लेकिन आपके ध्यान में आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसी के साथ डिमांड पास करवाओ।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : अभी नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने तो कुछ नहीं कहा, साहब। कहा उसको भी वापस लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोलो।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : मैं आराम से बोलूंगा, मैं चिंतित नहीं हूं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की तो आदत है कहने की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चूरू के बाहर निकलो।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : चूरू का नाम तो मैंने अब लिया है पहले तो मैंने आपका ही नाम लिया था। मैं तो झुंझुनूं का पड़ौसी आदमी हूं। राजस्थान के कारागारों में जो बंदी बीमार पड़ता है उसके लिये हमने अलग प्रकार की व्यवस्था भी चालू की है। जेल में ही एक्स-रे मशीनें, सोनोग्राफी मशीन और अन्य जो मशीनें है वह मशीनें वहीं उपलब्ध करवायें ताकि बंदी को हमें बाहर नहीं ले जाना पड़े और वहीं पर उसका इलाज हो सके। राजस्थान में 8 ऐसी जेले हैं जिसके भवन पुराने हैं उनके लिये बाहर जमीन ली है उसमें बीकानेर, दौसा, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, बांदीकुई, डीडवाना और जैतारण है। इनमें जमीन ले ली है और वहां पर नये भवन बनाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। हिण्डौन और करौली के लिये हमने इसी साल एक लाख 55 हजार रुपये की राशि मरम्मत के लिये स्वीकृत कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जैसे हमारे गृह मंत्री महोदय ने सिपाहियों के लिये 50 रुपये अतिरिक्त मैस भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, मैं भी जेल विभाग के प्रहरियों के लिये 50 रुपये की घोषणा करता हूं और साथ-साथ में बंदी कल्याण के लिये, कर्मचारी कल्याण के लिये या अन्य उनकी व्यवस्थाओं के लिये 17 लाख रुपये की घोषणा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सदन से निवेदन करता हूं कि रिहा हुए बंदियों के प्रति नफरत की भावना न हो क्योंकि जाने-अनजाने क्राइम हो जाता है इसलिए उनके प्रति कोई नफरत की भावना नहीं हो इन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारागार विभाग की मांग को पारित किया जाये।

मांग संख्या-16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 7,17,91,97,000/-(सात अरब सत्रह करोड़ नब्बे लाख सतानवें हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 28,04,93,000/- (अट्ठाइस करोड़ चार लाख तिरानवें हजार) तक की राशि लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12 अन्य कर (परिवहन) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,22,72,000/- (सैंतीस करोड़ बाइस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 1.35 बजे शुक्रवार, 21 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-124 का विवरण)
कार्यालय जिला कलेक्टर (बचत) झुंझुनूं
वर्ष 1998-99 में स्वीकृत स्थायी निर्माण कार्य

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत आदेश	अनुमानित लागत	स्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय/ जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	ग्राम पंचायत गोठड़ा क्षेत्र में ढाणियों के के नाले पर छोटा पुल का निर्माण कार्य 5 (2) (6)	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 6669–72 दिनांक 27.9.98	1,06,555/–	82,000/–	82,000/–
2.	ग्राम पंचायत सेफरागुवार में राजकीय चिकित्यालय से बाजार तक सीमेन्टेड सड़क निर्माण कार्य 5 (2) (7)	एफ.132(अब) स्था.निर्माण/97–98/ 9501–4 दिनांक 8.12.98	1,00,000/–	95,000/–	94,932/–
3.	ग्राम पंचायत बसई में उमराम प्रसाद की मील से निजामपुर रोड तक सीमेन्टेड सड़क व नाली निर्माण कार्य 5 (2) (7 व 8)	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 1509–12 दिनांक 8.12.98	1,43,626/–	1,25,000/–	1,24,995/–
4.	ग्राम पंचायत जाखल में सामुदायिक भवन. निर्माण कार्य 5 (2) (0)	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 9505–08 दिनांक 8.12.98	1,00,000/–	99,000/–	49,000/–

1	2	3	4	5	6
5.	राजकीय केशरी देवी चिकित्सालय पौत्त में आपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य 5(2)(3).	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 77–80 दिनांक 12.1.99	1,07,500/–	1,00,000/–	99,239/–
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुलोंठ कलां में एक कमरा निर्माण	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 6188–191. दिनांक 17.3.99	1,64,000/–	95,000/–	–
7.	झुंझुनूं कोर्ट में बिनियोजकों अभिकर्ताओं की सुविधा हेतु टीन शेड व विस्तार पटल निर्माण कार्य	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 5844–47. दिनांक 4.8.98	21,364/–	21,000/–	–
8.	कन्या सुविधा विस्तार योजना के तहत रा.सी. बा.मा.विद्यालय, उदयपुरवाटी में दो शौचालय व 2 पेशाबघर निर्माण कार्य 5 (3)(10)	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 7695–98 दिनांक 6.5.98	60,120/–	50,000/–	50,000/–
9.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में टेबल टेनिस खेल हेतु कमरा निर्माण कार्य 5(3)(11)	एफ.132(अब)स्था.निर्माण/97–98/ 4–7 दिनांक 6.1.99	1,61,000/–	1,00,000/–	1,00,000/–
				7,67,000/–	6,00,166/–

ह. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

कार्यालय जिला कलेक्टर (बचत) झुंझुनूं

वर्ष 1998-99 में व्यक्तिगत प्रोत्साहन पुरस्कार मद का व्यय विवरण

प्राप्त राशि 2.90 लाख

क्र.सं.	स्वीकृति आदेश	स्वीकृत राशि
1.	एफ. 4(2) अब/पु. वितरण/96–97/2261–65 दिनांक 24.4.98	1,47,350.00
2.	एफ. 4(2) अब/पु. वितरण/96–97/14939–41 दिनांक 24.6.98	20,600.00
3.	एफ. 4(2) अब/पु. वितरण/96–97/771–73 दिनांक 29.1.99	51,500.00
4.	एफ. 4(2) अब/पु. वितरण/96–97/6168–70 दिनांक 16.3.99	34,000.00
	योग	2,53,450.00

कार्यालय जिला कलेक्टर (बचत) झुंझुनूं

वर्ष 1999-2000 में व्यक्तिगत प्रोत्साहन पुरस्कार मद का व्यय विवरण

प्राप्त राशि 1.78 लाख

1.	एफ. 4(2) अब/पु. वितरण/96–97/896–898 दिनांक 22.2.2000	28,700.00
	योग	28,700.00

कार्यालय जिला कलेक्टर (बचत) झुंझुनूं

प्रचार प्रसार मद में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में प्राप्त व व्यय राशि का विवरण

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1998–99	11.59 लाख	4,44,038.00
1999–2000 (16.3.2000 तक)	11.54 लाख	6,77,542.00
योग	23.13 लाख	11,21,580.00

ह. जिला कलेक्टर, झुंझुनूं

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-126 का विवरण)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर

देवस्थान विभाग की खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों की सूची 'क'

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	एम.एल.न.	खनिज	निकट ग्राम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	खनन पट्टा की अवधि	विशेष विवरण
1.	मैं. एकलिंगनाथ मारबल	169/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	20.10.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
2.	श्री राजेश जैन	174/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	20.10.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
3.	श्री शौकत हुसैन	170/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	20.10.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
4.	श्री सुरेश कुमार बिड़ला	237/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	16.03.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
5.	श्री सुरेश कुमार बिड़ला	239/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	16.03.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
6.	श्री मोहम्मद आरिफ	241/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	16.03.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
7.	श्री मोहम्मद आरिफ	242/88	मारबल	देवीमाता	10,000.00	16.03.89 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
8.	श्री सुरेश कुमार जैन	119/96	चुनाई पत्थर	डाकनकोटड़ा	18,060.00	17.03.87 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र
9.	मै. सोनी मारबल	53/85	चुनाई पत्थर	डाकनकोटड़ा	5,000.00	13.09.85 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र

सत्यापित

ह. सहायक खनि अभियन्ता (ऋषभदेव)

ह.

खनि अभियन्ता उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव

देवस्थान विभाग की खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों की सूची 'ख'

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	एम.एल.नं.	खनिज	निकट ग्राम	क्षेत्रफल	खनन पट्टा की अवधि	अनापत्ति प्रमाण-पत्र की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मै. आर.एस.एम.एम.लि.	111/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	23.11.93 से 10 वर्ष	02.09.93
2.	मै. आर.एस.एम.एम.लि.	112/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	23.11.93 से 10 वर्ष	02.09.93
3.	मै. आर.एस.एम.एम.लि.	113/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	23.11.93 से 10 वर्ष	02.09.93
4.	मै. आर.एस.एम.एम.लि.	114/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	23.11.93 से 10 वर्ष	02.09.93
5.	मै. आर.एस.एम.एम.लि.	24/94	सरपेन्टाइन	भाउवा	22,500.00	21.03.95 से 20 वर्ष	30.11.94
6.	श्री दिलीप कुमार सिघंवी	169/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
7.	श्री तरूण ठोर	219/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
8.	श्री तरूण ठोर	233/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
9.	श्री सुनील कुमार जैन	235/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
10.	श्री मोहन लाल सिघंवी	236/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
11.	श्री महेन्द्र कुमार जैन	237/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
12.	श्री नवीन ठोर	238/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	28.09.94 से 10 वर्ष	22.11.93
13.	श्री ऋषभ मार्बल	10/94	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	09.01.95 से 20 वर्ष	22.11.93

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	श्री दीप चौधरी	20/94	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	20.04.95 से 20 वर्ष	22.11.93
15.	श्री अनिल कुमार चौधरी	168/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	30.09.94 से 20 वर्ष	22.11.93
16.	श्री याकूब ऐडनवाला	1193/92	सरपेन्टाइन	भाउवा	20,000.00	26.06.93 से 10 वर्ष	02.07.93
17.	श्री एस.एस.छिब्बार	239/93	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	05.12.96 से 20 वर्ष	07.12.93
18.	श्री संजीव गुप्ता	23/96	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	29.11.97 से 20 वर्ष	05.12.96
19.	श्री संजीव गुप्ता	24/96	सरपेन्टाइन	भाउवा	10,000.00	29.11.97 से 20 वर्ष	02.12.96
20.	श्री आर.एस.एम.एम.लि.	25/94	सरपेन्टाइन	भाउवा	22,500.00	26.05.98 से 20 वर्ष	30.11.94
21.	श्रीमती बबीता गुप्ता	1/99	सरपेन्टाइन	भाउवा	8,655.70	03.08.99 से 20 वर्ष	05.12.96
22.	श्री जीवन लाल पटेल	20/87	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	10,000.00	06.06.87 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण—पत्र
23.	श्री चेतन लाल मीणा	450/90	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	10,000.00	06.06.92 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण—पत्र
24.	श्री राजेन्द्र सिंह खमेसरा	37/88	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	10,000.00	21.05.79 से 10 वर्ष (नवीनीकरण 21.5.89 से 20 वर्ष)	बिना अनापत्ति प्रमाण—पत्र
25.	श्री राजेन्द्र सिंह विरानी	38/88	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	15,000.00	21.05.79 से 10 वर्ष (नवीनीकरण 21.5.89 से 20 वर्ष)	बिना अनापत्ति प्रमाण—पत्र

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	श्री संजय मारबल हस्तानान्तरण सर्व श्री सिद्धार्थ मारबल	39/88	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	16,000.00	19.12.79 से 10 वर्ष (नवीनीकरण 19.12.89 से 20 वर्ष)	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र
27.	श्री बसन्त कुमार विरानी	47/88	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	6,370.00	31.05.79 से 10 वर्ष (नवीनीकरण 31.5.89 से 20 वर्ष)	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र
28.	श्री बसन्त कुमार विरानी	48/88	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	13,920.00	31.05.79 से 10 वर्ष (नवीनीकरण 31.5.89 से 20 वर्ष)	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र
29.	श्री हेमचन्द जोधावत हस्तानान्तरण श्रीमती कैलाशी देवी खेतान	626/90	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	10,000.00	4.2.92 से 10 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र
30.	श्री राजेश ईनाणा	88/89	सरपेन्टाइन	" "	10,000.00	4.4.90 से 20 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र
31.	श्री सुन्दरलाल भाणावत हस्तानान्तरण श्री एस.एम.टी.मारबल	36/81	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	10,000.00	12.8.83 से 10 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र
32.	श्रीमती सुशीला भाणावत हस्तानान्तरण श्री अरिहन्त मिनरल्स	6/90	सरपेन्टाइन	मसारो की ओबरी	10,000.00	1.11.90 से 10 वर्ष	बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ह. सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक : प.7(16)देव/91/ जयपुर, दिनांक 10.9.97

आज्ञा

विषय : **देवस्थान की खनन भूमि पर खनिज पट्टे जारी करने हेतु एन.ओ.सी. देने संबंधी नीति।**

देवस्थान विभाग की भूमि में खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने के लिये निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :

1. अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु सीलड टेण्डर आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। समाचार पत्रों के प्रकाशन की तिथि से कम से कम एक माह का समय निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा। यह विज्ञप्ति देवस्थान आयुक्त द्वारा जारी की जायेगी।
2. खान विभाग खनन भूमि का सीमांकन कर उचित नाप के प्लाट बनाकर मानचित्र देवस्थान विभाग को उपलब्ध करायेगा। देवस्थान विभाग द्वारा उपलब्ध मानचित्र के अनुसार प्रत्येक प्लाट के लिये निरापत्ति प्रमाण—पत्र सीलड टेण्डरों के आधार पर जारी किया जायेगा।
3. सीलड टेण्डर में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी :—

क्र.सं.	खनन प्रकार	नान-रिफण्डेबल राशि (प्र. हेक्टेयर)	निविदाओं के साथ जमा की जाने वाली जमानत राशि (प्रति हेक्टेयर)
1.	ग्रीन मार्बल	अधिकतम स्वीकृत निविदा राशि	25,000/— या निविदा राशि का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
2.	पिंक मार्बल	अधिकतम स्वीकृत निविदा राशि	12,500/— या निविदा राशि का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
3.	सेण्डस्टोन मिट्टी व बजरी	अधिकतम स्वीकृत निविदा राशि	5,000/— या निविदा राशि का 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो।

नोट :—

1. यदि कोई निविदकर्त्ता निविदा स्वीकृत होने पर एक मुश्त निविदा राशि जमा नहीं कराये तो ऐसी स्थिति में उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

2. प्राप्त सील्ड टेण्डर्स में से अधिकतम निविदा राशि वाले प्रथम तीन आवेदकों का पेनल बनाया जायेगा ताकि यदि खान विभाग द्वारा प्रथम आवेदक को लीज हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाए तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय आवेदक को लीज प्राप्ति का अवसर दिया जायेगा। खान विभाग द्वारा लीज आवंटित होने तक आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि उन्हें नहीं दी जायेगी।

3. देवस्थान आयुक्त कार्यालय द्वारा सब प्रकार की निविदा प्रार्थना पत्रों का क्रमवार व दिनांकवार ब्योरे का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। आवेदन पत्र शुल्क राशि रुपये 100/— ली जाकर रसीद दी जायेगी। सूची आवंटन की सील्ड निविदाएं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा प्राप्त की जायेगी और उन्हीं की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

4. पूर्व के लम्बित आवेदन पत्रों जिन पर अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी नहीं किये गये हैं उनके आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा वे भविष्य में होने वाली निविदाओं में भाग ले सकते हैं।

5. पूर्व में किये गये अनुबन्धों में "रायल्टी" शब्द को प्रतिपादित किया (हटाया) जावे क्योंकि देवस्थान भूमि के "सरफेस राइट्स" हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र के लिये चाहे गये कंसीडरेशन का संबंध रायल्टी से नहीं जोड़ा जा सकता एवं इससे अनावश्यक लिटिगेशन सम्भावित है।

6. देवस्थान विभाग का अनापत्ति प्रमाण—पत्र के आधार पर खानों का हस्तानान्तरण खान विभाग द्वारा नियमों की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा।

नीति के बिन्दू संख्या 4 की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है :—

1.	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	अध्यक्ष
2.	अति. निदेशक, खान विभाग, उदयपुर	सदस्य
3.	अति. जिला कलेटर, उदयपुर	सदस्य
4.	व. लेखाधिकारी, देवस्थान, उदयपुर	सदस्य

आज्ञा से
ह.
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम अमीकापार (बाड़मेर) के निवासियों को मुआवजा

130. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम अमीकापार सीमा पर बसा हुआ था जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण खाली कराकर दूसरी जगह बसाया गया है ? यदि हां, तो क्या इस गांव की पुरानी बस्ती के हरजाने का तखमीना बन गया है ? यदि हां, तो कितना और उसका कब भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जिला बाड़मेर की तहसील शिव का ग्राम अमीकापार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ था, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण दिनांक 8.6.96 को खाली करवाकर मखन का पार ग्राम में बसाया गया है। इस गांव की पुरानी बस्ती के हट जाने का तखमीना बन चुका है, जिसके अनुसार 49 परिवारों को उनके द्वारा छोड़े गये मकान, पेयजल टांको, पेड़–पौधों के लिए रुपये 21,60,852/– मुआवजा दिया जाना है, जिसके भुगतान हेतु भारत सरकार को दिनांक 20.10.98 को लिखा गया एवं समय–समय पर भारत सरकार को स्वीकृति भिजवाने हेतु स्मरण भी करवाया गया लेकिन स्वीकृति आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

राज्य में पेड़ों की कटाई पर रोक

131. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है आजादी से अब तक वन विकास पर लगभग 740 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है ? यदि हां, तो उससे कितना वन क्षेत्र विकसित किया गया है ?

(2) जिला दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर एवं जयपुर में वर्ष 1996 के बाद कितनी आरा मशीनें लगाई गई हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राकृतिक संतुलन एवं स्वच्छ वातावरण बनाये रखने के लिये करीबन 33 प्रतिशत भू–भाग पर वनों के विस्तार को उपयुक्त माना गया है ?

(4) क्या विभागीय आंकड़ों के अनुसार मात्र साढ़े तीन प्रतिशत भू–भाग पर वन है जबकि सुदूर संवेदन उपग्रह के सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यह और भी कम है ? यदि हां, तो 33 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(5) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की

(डा. किरोड़ी लाल)

दूरी की परिधि में किसी भी आरा मशीन पर पूर्णतया रोक लगा दी है तथा वर्ष 1996 के बाद तो आरा मशीन लगाई नहीं जा सकती ? यदि हां ? तो उसके बाद कितनी–कितनी आरा मशीन लगाई गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि वन अधिनियम एक्ट 1986 के तहत किसान को अपने खेत से पेड़ काटने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है जबकि वन माफिया बड़ी तादाद में आरा मशीन लगाकर वन बर्बाद करने लगे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे कैसे रोकेगी ?

उत्तर

(1) आजादी से अब तक वन विकास पर लगभग 1073.74 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इस धन राशि से 13,65,175 हैक्टेयर वन क्षेत्र में विकास कार्य कराये गये हैं।

(2) जिला दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर में वर्ष 1996 के बाद कुल 114 आरा मशीनें लगाई हैं जिनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां।

(4) राजस्थान में वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.43 प्रतिशत है जिनमें से सघन वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत है। उपग्रह आधारित सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश के सघन वन क्षेत्रों का क्षेत्रफल 3.9 प्रतिशत आंका गया है। राज्य के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वनाच्छादित क्षेत्र में परिवर्तित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बीस वर्षीय राज्य वानिकी कार्य योजना वर्ष 1996–2016 तक की बनाई गई है। 20 प्रतिशत भू–भाग को वृक्षों से आच्छादित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरान्त 33 प्रतिशत भू–भाग का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई जायेगी।

(5) माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किये गये ऐसे किसी निर्णय की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है जिसके द्वारा वर्ष 1996 के पश्चात् राजस्थान राज्य के वन क्षेत्रों से 10 किलोमीटर की परिधि में अथवा अन्यत्र क्षेत्रों में आरा मशीनें लगाने पर पाबन्दी लगाई गई हो।

(6) वन अधिनियम 1986 नाम का कोई अधिनियम राज्य में प्रचलित नहीं है। काश्तकारों को अपने खेतों पर खड़े सात प्रजातियों यथा देशी बबूल, विलायती बबूल, इजराइली बबूल, सू–बबूल, अरडू, शीशम एवं सफेदा के वृक्षों को काटने हेतु इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। आरा मशीनों के नियंत्रण के लिए राजस्थान वन उपज (आरा मशीन स्थापना एवं नियंत्रण) नियम, 1983 बनाये हुए हैं तथा इन नियमों की अवहेलना किया जाना पाया जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "अ"

जिला दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली एवं जयपुर में वर्ष 1996 के बाद लगाई गई आरा मशीनों का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	आरा मशीनों की संख्या
1.	दौसा	15
2.	सवाईमाधोपुर	7
3.	करौली	31
4.	जयपुर	61
	योग	114

मारवाड़ जंक्शन (पाली) के छात्रावास की चारदीवारी का निर्माण

132. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किया जा रहा है ? क्या उक्त छात्रावास में छात्रों को नियमानुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? यदि हां, तो छात्रों को क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास आबादी से दूरी पर स्थित है व इसके चारदीवारी भी नहीं है ? क्या इस वजह से रात्रि में छात्रों को जंगली जानवरों व चोरी का भय बना रहता है ? यदि हां, तो उक्त छात्रावासों में राज्य सरकार कब तक चारदीवारी करवाने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को नियमानुसार निम्न सुविधाएं दी जाती हैं :

1 भोजन, पोशाक, तेल, साबुन, जूते, मौजे, बाल कटिंग, बिजली, पानी, पत्र पत्रिकाओं हेतु 675/– रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह दिया जाता है।

2 कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/– रुपये प्रति छात्र सत्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/– रुपये प्रति छात्र सत्र पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिये नकद भुगतान किया जाता है।

3 वर्ष में चार माह नवम्बर से फरवरी तक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए विशेष कोचिंग हेतु प्रति विषय प्रति माह 200/– रुपये उपलब्ध कराये जाते हैं।

4 आवास, बर्तन एवं बिस्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) जी हां, पर छात्रावास आबादी से थोड़ी दूर पाली रोड पर सड़क व रेलवे लाइन के मध्य बिजली घर के सामने स्थित

(समाज कल्याण मंत्री)

है चारदीवारी का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, परन्तु इससे छात्रों को जंगली जानवर एवं चोरों से कोई भय नहीं रहता है। चारदीवारी का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा अकाल राहत के तहत एवं सांसद कोटे/विधायक कोटे के तहत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। संभवतः इस वर्ष यह कार्य पूर्ण हो जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-133

(स्थगित)

पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण

134. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा अभी हाल ही में सम्पन्न हुई पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा खर्च का ब्यौरा दिए जाने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो किस धारा के तहत ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में इस संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त पीठासीन अधिकारियों या निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से उसके चुनाव खर्च का विवरण मांगा जाये ? यदि हां, तो क्या निर्वाचन अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों द्वारा इसकी पालना की गई ?

(4) क्या यह सही है कि निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च का ब्यौरा दिए जाने में कोई राशि दर्शाई गई है ? यदि हां, तो पदवार कितना–कितना खर्च उम्मीदवार चुनावों में कर सकता था और ब्यौरा कब तक दिया जा सकता था ?

(5) अभी पंचायती राज के सम्पन्न हुए चुनावों में कितने–कितने उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा दे दिया है ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या चुनाव आयोग जिन उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कौन से नियम के तहत ?

उत्तर

(1) जी हां, कतिपय मदों में खर्च का ब्यौरा दिये जाने के आदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 (क) के अधीन दिये गये है।

(2) जी हां, इस संबंध में दिनांक 6.1.2000 को अधिसूचना जारी की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, आयोग की अधिसूचना के

(चुनाव मंत्री)

अनुसार ज़िला परिषद सदस्य चुनाव में अधिकतम रुपये 20,000/– पंचायत समिति सदस्य चुनाव में अधिकतम रुपये 10,000/– तथा सरपंच चुनाव में अधिकतम रुपये 5,000/– राशि के पोस्टर एवं बैनर अभ्यर्थियों द्वारा मुद्रित या तैयार कराये जा सकते है या उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका हिसाब चुनाव परिणामों की घोषणा के 3 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(5) सरपंच चुनाव के 6442 अभ्यर्थियों, पंचायत समिति सदस्य चुनाव के 5515 अभ्यर्थियों तथा जिला परिषद, सदस्य चुनाव के 1275 अभ्यर्थियों ने खर्च का वांछित ब्यौरा दे दिया है।

(6) राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 1.2.2000 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि उप खण्ड अधिकारी सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किसानों को विद्युत आपूर्ति

135. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसानों को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जा रही है ? क्या यह सही है कि किसानों की फसल बिना बिजली के सूख रही है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के किसानों को अब कितने घंटे बिजली दे दी जायेगी ?

(2) क्या सरकार ने उक्त विधान सभा क्षेत्र में 132/33 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन बनाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो अब कब तक इसका कार्य चालू हो जायेगा ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में वर्ष 2000 में और नये ग्रिड सबस्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कहां–कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999–2000 में प्रतिदिन 6 से 8 घंटे ब्लाकवार बिजली दी जा रही है। यह सही नहीं है कि बिजली की कमी से फसल सूख रही है।

(2) जी हां, टोडाभीम में 132 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन की योजना को विश्व बैंक द्वारा मिलने वाली ऋण सहायता (लोन प्रथम) में सम्मिलित किया गया है। इस ऋण सहायता से इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन की संभावना है।

(3) इस क्षेत्र में अन्य नये ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है।

जिला अलवर के वन क्षेत्र में खनन

136. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में कितनी खानें (मार्बल, ग्रेनाइट, चेजा पत्थर) वन क्षेत्र में आ गई हैं ? कितने खान मालिकों ने डी–फोरेस्ट की कार्यवाही के लिए कब आवेदन किया ? अब तक उक्त पत्रावलियों में क्या कार्यवाही हुई है ? राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या पहल की है ?

(2) अब तक कितनी खाने डी–फोरेस्ट हुई हैं और शेष पत्रावलियां किस स्तर पर हैं ? राज्य सरकार खुद केन्द्र सरकार से बात कर उक्त पत्रावलियों का निपटारा कब तक करा लेगी ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्तमान में खनिज मार्बल, ग्रेनाइट व चेजा पत्थर के 199 खननपट्टों का क्षेत्र वन भूमि में आता है। इन खनन पट्टाधारियों में से 105 खान मालिकों ने वन भूमि के खनन प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव फरवरी 1997 से दिसम्बर 1999 तक प्रस्तुत किये। जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) भारत सरकार को प्रस्तावित	43
(2) प्रथम स्तरीय स्वीकृति	20
(3) भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत	05
(4) राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत	03
(5) वन विभाग (राज्य सरकार) के स्तर पर विचाराधीन	24
(6) क्षेत्र निदेशक, बाघ परि–योजना, सरिस्का के स्तर पर विचाराधीन	25
(7) उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर	05
(8) पट्टाधारियों से कमि पूर्ति हेतु	05
योग	105

(2) अलवर जिले में अब तक कोई खान डी फोरेस्ट (अन्तिम स्वीकृति) नहीं हुई है। लम्बित पत्रावलियों का विवरण भाग सख्या एक के उत्तर में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन मामलों में शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों को चयनित वेतनमान

137. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों को 9, 18, 27 के वेतनमान व अन्य देय भत्ते दिये जा रहे हैं ? यदि हां तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

को निलम्बित होने के बाद, बहाल होने पर सरकार 9, 18 27 के वेतनमान व अन्य भत्ते देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य शासन के अनुरूप निगम द्वारा अपने कर्मचारियों (परिचालकों सहित) को चयनित वेतनमान दिए जा रहे हैं।

(2) केवल उन परिचालकों को निलम्बन के बाद बहाल होने पर उक्त वेतनमान/अन्य देय भत्ते दिये जाते हैं, जो जांच के पश्चात निर्दोष पाये जाते हैं। जांच पश्चात् जो परिचालक दोषी पाये जाते है, उनके प्रकरणों में जांच के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाती है।

जिला सीकर की स्वीकृत सड़कें

138. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर में डेढ़ वर्ष में कितनी नयी सड़कें मंजूर की गई ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने स्वीकृति के क्या मानदण्ड अपनाए है ?

(3) क्या उक्त स्वीकृतियां विभागीय मानदण्डों के आधार पर की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में विधान सभा क्षेत्रवार डेढ़ वर्ष में (फरवरी, 2000 तक) कुल 50 सम्पर्क सड़कें मंजूर की गई है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मण्डी कोष/मण्डी विकास कोष में स्वीकृत सड़कों में कृषि विभाग की सड़क नीति के मानदण्ड एवं आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के लिए नाबार्ड के मानदण्ड अपनाये गये हैं

(3) जी हां।

परिशिष्ट ''अ''

विधान सभा क्षेत्रवार जिला सीकर में स्वीकृति सम्पर्क सड़कें

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (लाख रु.)	मद
1	2	3	4	5
	अ. विधान सभा क्षेत्र-श्रीमाधोपुर			
1.	स.स. कल्याणपुरा से ढाबाबाली	3.00	25.04	मंडी कोष
2.	स.स. श्रीमाधोपुर से पटवारी का बास	5.29	43.80	मंडी कोष
3.	स.स. मूंडरु से फूटाला	2.830	22.70	मंडी कोष
4.	स.स. दिवराला से अनन्तपुरा	3.080	44.60	मंडी विकास कोष
5.	स.स. सिमारला से गढ़ भोपजी	1.750	16.29	आर.आई.डी.एफ.यो.
6.	स.स. थोई से रामपुरा	1.850	19.83	–यथा–
7.	स.स. कांवट से कालियाबास	0.58	7.90	–यथा–
8.	स.स. थाई से रुपपुरा उदलवास	3.500	26.14	–यथा–
9.	स.स. क़ोटड़ी से सिमारला	4.500	32.98	–यथा–
10.	स.स. थोई से करड़का	3.450	27.20	–यथा–
11.	स.स. अजीतगढ़ से मानगढ़	2.180	15.32	–यथा–
12.	स.स. गढ़ टकनेट से सुरानी	1.900	28.24	–यथा–
13.	स.स. हरदास का बास रोड से मण्डूसिया	0.600	7.11	–यथा–
14.	स.स. मण्डूसिया से मोड़याड़ी	1.080	10.98	–यथा–
15.	स.स. हरदास का बास रोड से हरिपुरा	1.280	13.48	–यथा–
16.	स.स. श्रीमाधोपुर से नांगल भीम	3.00	24.80	–यथा–
17.	स.स. मूडरु खजरोली रोड से कोलवा	1.750	14.16	–यथा–
	ब. विधान सभा क्षेत्र-सीकर			
1.	स.स. सीकर से राधाकिशनपुरा	3.00	18.27	–यथा–
	स. विधान सभा क्षेत्र-लक्ष्मणगढ़			
1.	स.स. सेवद बड़ी से रुल्याणा माली	5.770	44.00	मण्डी कोष
2.	स.स. बगडी से बादूसर	1.00	7.60	मण्डी विकास कोष

1	2	3	4	5
3.	स.स. पनलावा से खींवासर	4.780	37.80	मण्डी विकास कोष
4.	स.स. लक्ष्मणगढ़ से दूदवा	6.600	64.40	–यथा–
5.	स.स. लक्ष्मणगढ़ मुकनगढ़ रोड़ से राजपुरा	5.02	43.21	आर.आई.ड़ी.एफ.
6.	स.स. कुमास जाटान	3.00	24.10	–यथा–
	द. विधान सभा क्षेत्र-फतेहपुर			
1.	स.स. गरिण्डा से अठवास	3.00	22.70	मंडी विकास कोष
2.	स.स. फतेहपुर बेसवा रोड से जलालसर	2.980	26.18	आर.आई.डी.एफ.
3.	स.स. कल्याणपुरा सेखीसर	3.800	32.68	–यथा–
4.	स.स. हिरणा	5.00	40.00	–यथा–(नाबार्ड से स्वीकृत होनी है)
5.	स.स. शेरुबारी	2.15	16.96	–यथा–
	य. विधान सभा क्षेत्र-धोद			
1.	स.स. बढ़ाढर से सांवलोदा पुरोहितान	1.230	11.27	मण्डी कोष
2.	स.स. सियोट छोटी से श्यामपुरा	2.800	20.89	आर.आई.डी.एफ.
3.	स.स. जाचास	3.10	20.88	–यथा–
	र. विधान सभा क्षेत्र-दांतारामगढ़			
1.	स.स. शिश्यू मियां की ढाणी अजबपुरा	2.250	31.47	मण्डी कोष
2.	स.स. रानोली से बैद की ढाणी	2.380	38.30	मण्डी विकास कोष
3.	स.स. दूधवा से ठेठ	3.100	25.65	आर.आई.डी.एफ.
4.	स.स. खाटू लामिया रोड से गिला का ढ़ाणी	2.00	16.30	–यथा–
5.	स.स. सूलियावास से मूंडियावास	2.700	26.40	मण्डी कोष
6.	स.स. लदाना	5.00	32.50	आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड से स्वीकृत होनी है)
	स. विधान सभा क्षेत्र-खण्डला			
1.	स.स. खण्डेला से रोयल	0.92	18.31	मण्डी कोष

1	2	3	4	5
2.	स.स. श्रीमाधोपुर से रानीपुरा	5.30	45.10	आर.आई.डी.एफ.
3.	स.स. चला उदयपुर वाटी रोड से डेरा जोड़ावाली	2.00	15.15	मण्डी विकास कोष
	व. विधान सभा क्षेत्र-नीमकाथाना			
1.	स.स. नीमकाथाना से कोटड़ा	5.70	52.68	मण्डी विकास कोष
2.	स.स. सिरोही से अगवाड़ी	1.20	15.15	—यथा—
3.	स.स. भूदोली प्रीतमपुरा रोड से झिराना	3.00	22.70	—यथा—
4.	स.स. नीमकाथाना कोटपुतली रोड से खादरा	4.00	30.30	—यथा—
5.	स.स. भूजीवाला से दीपावास	4.20	30.30	—यथा—
6.	स.स. जिलो से विहार	5.00	38.48	आर.आई.डी.एफ.
7.	स.स. टोडा से भोकलवास	4.50	33.53	—यथा—
8.	स.स. कोटपुतली रोड़ से रामसिंहपुरा	4.00	27.70	—यथा—
9.	स.स. पाटन से कोला की नांगल	5.40	49.88	—यथा—

राजस्थान आवासन मण्डल की भिवाड़ी योजना में भुगतान में अनियमितता

139. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खण्ड की भिवाड़ी योज़ना में फर्जी भुगतान होने के संबंध में कोई शिकायते प्राप्त हुई है ? क्या बोर्ड द्वारा उनकी जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फर्जी भुगतान करते समय निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां, एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं, बोर्ड द्वारा की गई जांच के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघ नहीं पाया गया है। किसी भी अधिकारी का दोष नहीं होने से अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Enquiry report with respect to construction of CWR & Pump House at Bhiwadi

Under signed was asked to enquire into the complaint lodged by Sh.Babu Lal Nagar MLA regarding payment of Rs.1.50 Lacs on 14.8.98 without checking of PE (Sr.) As per the complaint the measurement are not as per requirement.

The 2 & 3 para of complaint pertains to adboc staff (PE Sr., PE Jr.) deputed to carry out the work. This pertains to Secretary R.H.B., as the staff is posted by him and therefore he may be asked to submit his report.

Regarding complaint of payment of Rs.1.50 Laces on 14.8.98, under signed called the Agreement File and M.B. No.172 & 173 2 Nos. pertaining to this work. The approved drawing was also obtained. RE has submitted the M.A.S. register also.

W.O. for construction of RCC CWR of 518 Cum capacity and Pump House for water supply scheme of Sector 4 & 7 at Bhiwadi was awarded to M/s Maheswary Construction Vide Work Order No.687 Dt. 29.1.98 (Agreement no .18/97-98). The stipulated date of commencement and completion of work were 9.2.98 and 8.11.98 respectively.

The detail of work order is as follows.

A. Construction of RCC CWR of 518 Cum Capacity lump-sum basis Rs.7,97,000/-.

B. Construction of Pump House, G Schedule based on BSR 1993 with 65% T.P. above - Rs.3,26,702/-.

The condition approved were

A. P.F. shall be borne by the contractor.

B. 5% performance guarantee shall be deposited by the contractor before commencement of the work .

C. All the Terms & Condition shall be operative as laid down in the tender document.

The break up payment for CWR shall be as under :-

A. After excavation, laying P.C.C and costing of foundation slab -25%.

B. After completion of outer vertical wall - 30%.

C. After completion of top dome stair case, .complete with railing - 25%.

D. After fixing of railing, C.I. Fitting and misc. item and satisfactory testing including inlet chamber etc - 20%.

E. List of CI fitting and mixed item required to be used in the construction of CWR was Annexed with tender document, which is available at C.P. 22.

The Engineer charge in this work were as below :

S.No.	Designation	Name	Period
1.	R.E.	Sh.S.B.Saxena	Since 9.2.98 till date
2.	PE. (Sr.)	Sh.Banwari Lal	Since 9.2.98 to 25.7.98
		Sh.R.P.Gupta	Since 25.7.98 to12.1.99
		Sh.Banwari Lal	Since 13.1.99 to till date
3.	P.E.(Jr.)	Sh.Subhash Dudi	Since 9.2.98 till date

First R. bill for Rs. 1,99,250/- was paid on 15.6.98 for the completion of first stage of work of CWR i.e.foundation slab This was 25% of Rs. 7,97,000/- (total value of CWR). The bill was entered on 30.5.98 by PE (Jr.*Sh.Subhash Dudi and certified by Sh. Banwari Lal PE (Sr.). The record measurement of steel was checked by RE Sh. S. B. Sexena on 30.5.98.

Second R. bill for Rs. 2,39,100/- was paid on 24.6.98 on

complation of outer vertical wall of CWR which was 30% of Rs.7,97,000/- of total work. The bill was entered by PE (Jr.) Sh. Subhash Dudi on 23.6.98 and work certified by Sh. Banwari Lal.

Third R. bill 1,99,250/- was paid on 24.7.98 on completion of top slab, stair case etc. of CWR which was 25% of Rs. 7,97,700/- the total value of work. The bill was entered by PE (Jr.) Sh. Subhash Dudi on 23.7.98 and certified by Sh. Banwari Lal on 24.7.98 Rs. 25,000/- was kept in Misc. deposited for checking of RE. The checking of this bill was downe on 30.7.98 by RE and amount kept in Misc. deposit was refunded on 31.7.98. The date of record measurement in M.B. No. 172 page 8 to 11 for this bill was made on 27.6.98 There is overwriting on date of entry on third running bill in M.B. No. 173 Pg. 5. It seems that date of entry has been changed by PE (Jr.) or PE (Sr.) .

Fourth R. bill for Rs. 1,59,400/- was paid on 14.8.98, on completion of fixing of railing. C.I. fittings and mixed items and satisfactory testing including inlet chamber etc. The bill was entered by PE (Jr.) on 13.8.98 but work not verified by PE (Sr.). The record measurement was done by PE (Jr.) on 30.7.98 M.B. No. 172 Page 12 checked by RE on 30.7.98 while releasing payment Rs.15,000/- kept in Misc. deposit for checking for and for proper fixing of fitting into pumps. The site was inspected by under signed along with RE (QC)-II, RE PHE-II, PE(Sr.) PHE-II, and PE(Jr.) PHE-II on 16.3.99.

As per fourth stage of work, the contractor was required to complete all the work of CWR including fixing of fittings and testing by filling of water. During course of inspection it was noticed that all the fittings were not fixed at site. All the fitting were taken by PE (JR.) in M.A.S. on 23 6.98 and some of them were issued to contractor on 27.6.98 which has been fixed when under signed in-

spected the site. Balance fitting as per M.A.S. were lying scattered all around in the campus. The tank was filled with water and leakage/seepage was observe on 16.3.99. RE has reported that Rs. 15,000/- with held shall be released only after completion of work.

As per release of payment of bill on 14.8.98 without certification of PE (Sr.) is concerned, as letter was sent to RE PHE-II (Copy enclosed) where in he was asked to explain under which circumstances, he released the payment to contractor without verification of bill by PE (Sr.) RE in his reply has submitted that Sh.R.P.Gupta who was engineer in Charge in this case was absent in the afternoon of 13.8.98 to 14.8.98 but signed the attendance register later on. Since it was his first offense, he was warned verbally, not to commit such a mainpulation in future. This is a serious matter and should not be taken lightly. If PE (Sr.) was absent he should have been warned in writing. If he was found guilty, at least leave application should have been obtained than only his salary chould be paid. How RE can make the payment of salary for the period of absence to any subordinate. The RE has shown his checking in M.A.S. register but it has not been signed by PE (Jr.)/PE(Sr.) till date.

Since the tank was filled with water complete checking was not possible. We are required to record statement or PE(Jr.)/PE(Sr.) and RE also which will take some time.

Submitted Sd/-

(H.C.Agrawal) DHC. (QC) 23-2-91

RHB. Jaipur.

C.E.

Position of running bill up-to-date.

DY.HC(Qc) Sd/-

Chief Engineer, dated 23-3-99

Fifth running bill for Rs. 88,056/- was paid on 31.8.98 on construction of pump house. The measurement of item paid in the bill was recorded on 7.8.98 and 8.8.98 by PE (Jr.) Sh. Subash Dudi. The bill was entered in M.B. for payment on 18.8.98. The bill was test checked by PE (Sr.) Sh. R.P.Gupta on 31.8.98 in the M.B. No. 172 page 18 where in PE (Sr.) has given his remark "Measurement checked as ticked an initialed" The bill was verified for Rs. 88,056/- only as per page no. 12 M.B. No. 173. Which means that R.P. Gupta PE (Sr.) did not verify the payment prior to this bill.

VI R.Bill for construction of Pump house for Rs. 1,15,471.98 was entered by PE (Jr.) Sh. Subhash Dudi on 6.1.99 and have been checked Sh. Banwari Lal PE (Jr.) on 20.1.99 The billl was lying unpaid in RE office till record was called in the first week of March, 1999 submitted with fill containing 23 Pages.

C.E.

Sd/-

(H.C.Agrawal)

Subject :- Construction of CWR at Bhiwadi.

The work for construction of CWR Bhiwadi was inspected by under signed when I was working as Dy. HC (QC). The measurement were checked and found to be as per drawing submitted by contractor and approved by RHB.

To stop leakage/seepage, repair had already been done.

CE.

Sd/-

(H.C.Agarwal) Dated 20.3.2000

Dy. HC. JC-I

NOTE -SHEET

8. As discussed required documents have been obtained from R.E. PHE and Sh. H.C. Agarwal, the than Dy H.C.(Qc) who had conducted the enquiry.

9. As per RE's report at CP No. (6-13 C), the following observations are made :-

A) PE (Jr.) for the work was Subhash Dudi and PE(Sr.) was R.P.Gupta

B) The running measurement for the IV th R. bill were entered by PE(Jr.) Sh. Subhas Dudi.

C) The record measurement were checked by R.E. PHE Sh.S.B.Saxena during his tour on 30.7.98.

D) The Fourth running bill based on record measurement was submitted directly to the RE on 13.9.98 as PE (Rs.) was not available (CP No. 16-C)

E) PE (Sr.) was not available on 14.8.98 also and payment was released by RE for the fourth running bill on 14.8.98.

F) As per report of RE PHE (CP No. 18 to 20) the PE (Sr.) Sh.R.P.Gupta signed attendance registor for 14.8.98 at a later date for which he was warned verbally and one CL was deducted from his CL Account. For this no objection has been raised are received from the PE (Sr.) till date.

G) From the above it is apparent that on the date of submission of the fourth running bill (13.8.98) PE (Sr.) R.P.Gupta was not available. Because of this the IVth running bill was submitted directy to RE, PHE. As the bill was based on record measurement which were checked by RE on No.(CP-18) the payment was released by RE after with

holding Rs. 15,000/- in the bill for fitting pipe etc.

Chief Engineer

Sd/-

Dy.HC(Qc) dated 25.3.2000

As per above report RE has passed the bill when PE(Sr.) was not available after debiting CL, PE(Sr.) has not objected, till date. This means he has signed after word. Therefore in my opinion RE has not conducted irregularity in passing the bill without sign of PE (Sr.) and no action is needed now.

DHC (Qc)

Sd/-

Chied Enginer dated 25.3..2000

as directed the draft reply of assembly question is submitted.

Chief Engineer

Sd/-

Dy. HC(Qc) dated 25.3.2000

जिला बांसवाड़ा में राहत कार्य

140. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला बांसवाड़ा अकाल की चपेट में है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में मजदूरों के लिये रोजगार, पीने के पानी तथा चारा आदि की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब सरकार उक्त व्यवस्था कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला बासंवाड़ा में कुल 1458 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं।

(2) उक्त जिले में रोजगार हेतु अब तक कुल 916.94 लाख रुपये के 738 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन 35685 श्रमिक कार्यरत हैं। पीने के पानी हेतु समस्याग्रस्त ग्रामों में अब तक कुल 289 सार्वजनिक कुएं गहरे कराने के कार्य स्वीकृत किये गये है, 1445 खराब हैण्ड पम्प ठीक कराये गये हैं। चारा, व्यवस्था हेतु जिले की 5 तहसीलों में कुल 20 चारा डिपों स्वीकृत किये गये हैं। इनके माध्यम से आवश्यकतानुसार पशु पालकों को चारा वितरण करने की व्यवस्था की गई है।

(3) उक्त व्यवस्थाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं।

विधान सभा क्षेत्र खानपुर की स्वीकृत अपूर्ण सड़कें

141. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गत दो वर्षों में कौन–कौनसी सड़क कब–कब स्वीकृत हुई और कब पूर्ण हुई ? मय लागत के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? उक्त सड़कों के अपूर्ण रहने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गत दो वर्षों में (वित्तीय वर्ष 1997–98 व 1998–99) मात्र एक सम्पर्क सड़क मिश्रोली की स्वीकृति नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 30.25 लाख रुपये की दिनांक 23.3.98 को प्राप्त हुई। यह कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(2) उक्त क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह फरवरी 2000 की स्थिति अनुसार कुल 14 कार्य अपूर्ण है। पिछले वर्षो में सीमित बजट प्रावधान के कारण एवं वर्ष 1999–2000 में माह दिसम्बर, 1999 से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में उक्त कार्यो को पूर्ण नहीं किया जा सका है। अपूर्ण कार्यो का विवरण मय उनके पूर्ण होने की संभावित तिथि के परिशिष्ट "क" में संलग्न है। कार्यो के अपूर्ण रहने में कोई भी उत्तरदायी नहीं है।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	पूर्ण करने की संभावित तिथि
1.	बारां झालावाड़ भवानी मण्डी सड़क डग आगर सड़क (राज्य उच्च मार्ग–19) पर चौड़ाई करण 3.00 मीटर से 5.50 मीटर किमी 49/0 से 61/0	36.00	12/2000
2.	बारां–झालावाड़ भवानी मंडी डग आगर सड़क पर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाई करण किमी. 61/0 से 65/0	12.00	12/2000
3.	सी.डी.वर्क का निर्माण कार्य सुमर जोलया सड़क	7.00	12/2000
4.	निर्माण कार्य मिसिंग लिंक सांगोद जोलया रोड	32.00	12/2000
5.	रिपेयरिंग एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ सी.डी.वर्क आन खानपुर कोटा रोड वाया दहीखेड़ा पनवाड़	15.00	12/2000
6.	सम्पर्क सड़क लाइफल से पनवाड़	42.60	12/2000
7.	सम्पर्क सड़क मिश्रोली	30.25	6/2000
8.	वाइडनिंग आफ केरिजवे बारां झालावाड भवानी मंडी डग आगर रोड किमी. 36 (किमी)	2.00	12/2000
9.	वाइडनिंग आफ केरिजवे बारां झालावाड़ भवानी मंडी डग आगर रोड किमी 66 से 67 (2 किमी)	8.00	12/2000
10.	इम्प्रूवमेंट एण्ड रिनोवेशन आन खालपुरा अकलेरा रोड (एस.एच. 19 ए)	6.00	12/2000
11.	रिनोवेशन आन खानपुर दहीखेड़ा पनवाड़ रोड किमी 19, 20 (2 किमी)	2.50	12/2000
12.	रिनोवेशन आन खानपुर तारज अरनिंया रोड किमी 32, 33, 34, 35 (4 किमी)	5.00	12/2000
13.	रिनोवेशन आन सुमर जोलया रोड किमी 2/0 से 6/0 (4 किमी)	5.00	12/2000
14.	कन्स्ट्रक्शन आफ ड्रेन एण्ड आऊट लेट फार द वेस्ट वाटर डिस्पोजल एट खानपुर विलेज	62.52	3/2001

बयाना (भरतपुर)/बसेड़ी (धौलपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

142. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण मार्च, 2000 तक किया जाना था ? यदि हां, तो बयाना (भरतपुर) एवं बसेड़ी (धौलपुर के कितने गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों में घरेलू/कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस के मुताबिक राशि जमा करा दी है, उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे। अब तक नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला भरतपुर की पंचायत समिति, बयाना व जिला धौलपुर में पंचायत समिति, बसेड़ी में क्रमशः 175 व 128 ग्राम है, जिनमें से माह मार्च, 1999 तक क्रमशः 154 व 92 ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। वर्ष 1999–2000 में पंचायत समिति बसेड़ी (धौलपुर) में निम्न एक गांव का विद्युतीकरण किया गया है :–

क्र.सं.	विद्युतीकृत गांव का नाम	कोड सख्या	विद्युतीकरण दिनांक
1.	दादीपुरा	7/1/22	31 मार्च, 2000

(2) उपरोक्त क्षेत्र की पंचायत समिति बयाना के 5 गांवों में घरेलू कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले 51 आवेदकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा पंचायत समिति बसेड़ी के 6 गांवों में मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले 149 आवेदकों को घरेलू कनेक्शन देने के लिए लाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण कर कनेक्शन दिये जायेंगे।

पंचायत समिति बयाना के 15 गांवों में 17 आवेदकों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई है जिनमें से 9 आवेदकों को कृषि कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है। 7 आवेदकों द्वारा एल.फार्म प्रस्तुत न करने तथा एक कनेक्शन के लिए खैंची जाने वाली लाइन में रेलवे क्रासिंग की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कनेक्शन लम्बित है।

पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रीभार में कमी

143. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या यातयात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 में राज्य पथ परिवहन निगम को प्रतिदिन औसत कितना घाटा रहा तथा निगम की बसों में कितने प्रतिशत यात्री भार रहा और औसतन प्रतिदिन कितने यात्री निगम की बसों में यात्रा करते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि पथ परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण के नाम पर निगम की बसों के संचालन के किलोमीटर में वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999–2000 में कमी आयी है ? यदि हां, तो कितनी व इसके क्या कारण हैं ?

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कोई भी बस कितने किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने पर कंडम घोषित की जाती है और कितने वर्ष पुरानी होने पर कंडम घोषित की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में मानदण्ड अनुसार कितनी बसें कंडम करने लायक हैं तथा उक्त बसों के स्थान पर कितनी बसें खरीदने की योजना है और इस हेतु कितने संसाधन निगम के पास उपलब्ध हैं ?

(4) राष्ट्रीयकृत मार्गो पर अवैध बस संचालन में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को विभागीय जांच के बाद लिप्त पाया गया तथा उन पर क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

(5) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न मदों में कितनी राशि का भुगतान कब से बकाया है तथा उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(6) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितने चालक, परिचालक व तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इनको भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 (माह फरवरी, 2000 तक) की अवधि में निगम को प्रतिदिन औसतन रुपये 24.60 लाख की हानि हुई है। औसत यात्रीभार प्रतिशत प्रतिदिन 65.8 रहा है। प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या 8.74 लाख रही है।

(2) जी नहीं। यह कमी सुदृढ़ीकरण के कारण नहीं आई है। निगम के संचालन कि.मी. में कुल 92.00 लाख कि.मी. की कमी रही हैं जिसका मुख्या कारण गत वर्ष से निगम बेड़े में औसतन 240 वाहनों की कमी होना रहा है।

(3) निगम द्वारा 7 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 6 लाख कि.मी. संचालन पूर्ण कर लेने वाली वाहन को नकारा घोषित किया जाता है। वर्तमान में 879 बसें नकारा किए जाने योग्य है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 500 बसें खरीद किया जाना प्रस्तावित हैं। नये वाहन क्रय करने के लिये निगम के आन्तरिक संसाधन ऋणात्मक होने के कारण सम्पूर्ण ऋण राशि बाहरी वित्तीय संस्थाओं

(यातयात मंत्री)

से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(4) राष्ट्रीयकृत मार्गो पर अवैध बस संचालन में निगम कर्मचारियों (बीकानेर डिपो) के लिप्त होने के संबंध में अब तक मात्र एक अहस्ताक्षरित गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। जांच पूर्ण होने तक यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने कर्मचारी उक्त कार्य में लिप्त हैं या नहीं है।

(5) जी हां। वर्ष 1991 से 1999–2000 तक अधिश्रम भत्ते, बकाया साप्ताहिक विश्राम एवं राजपत्रित अवकाशों का लगभग 41.00 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है, इसके अतिरिक्त पांचवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 1.1.97 से 31.12.97 तक का भुगतान भी अनुमानतः 20 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया भुगतान निगम की वित्तीय स्थिति के अनुरूप दिया जाना सम्भव है।

(6) निगम में चालक के 315, परिचालक के 477 व आर्टिशियन ग्रेड–तृतीय के 137 पद रिक्त हैं। चालक पद पर नियुक्तियां आवश्यकतानुसार की जाती है। परिचालक एवं आर्टिशियन ग्रेड–तृतीय के रिक्त पदों को मृत कर्मचारियों के आश्रित से भरे जाने का निर्णय निगम संचालक मण्डल के स्तर से लिया हुआ है। आवश्यकतानुसार उक्त पदों पर भर्ती की जाती है।

कृषि उपज मण्डी समिति नदबई (भरतपुर) की प्रस्तावित सड़कें

144. **श्री यशवन्त सिंह** (रामू)(नदबई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई (भरतपुर) के पास ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु कितनी राशि उपलब्ध है ? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भरतपुर की किस–किस कृषि उपज मण्डी समिति में किसानों के ठहरने हेतु किसान भवन उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किसान भवनों पर क्या–क्या सुविधाएं मुहैया कराई हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कृषि उपज मंडी समिति, नदबई द्वारा वर्ष 1999–2000 में ग्रामीण क्षेत्र की कौन–कौनसी सड़कों की मंजूरी दी और उनमें से कौन–कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है एवं कौन–कौनसी सड़कें अगले वर्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) मण्डी समिति के पास वित्तीय वर्ष 1999–2000 में सम्पर्क सड़कों के निर्माण

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

एवं रख–रखाव हेतु कुल 109.59 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। मण्डी समितियों के अन्तर्गत ग्रामवार राशि का संधारण नहीं होता है।

(2) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विववरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4 में दर्शाया गया है।

(4) वर्ष 1999–2000 में निम्न दो सड़कें स्वीकृत की गई हैं :–

1. सम्पर्क सड़क बरखेड़ा रोड से परसवारा
2. सम्पर्क सड़क बरोली छार से सालिमपुर

उक्त सड़कों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। अगले वित्त वर्ष के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट "क"

भरतपुर जिले की मण्डी समितियों में कृषक विश्राम गृह व् सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	नाम कृषि उपजं मण्डी समिति	कृषक विश्राम गृह	सुविधाएं
1	2	3	4
1.	नदबई	केटल शैड कम रेस्ट शैड में 6 कमरे व एक हाल उपलब्ध है।	पलंग, चारपाई, बिस्तर, मुढ्ढों विद्युत, जल व्यवस्था उपलब्ध है।
2.	भरतपुर	किसान भवन 5 कमरे	तख्त, पंलग, रजाई गद्दा, विद्युत, जल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था है।
3.	डीग	कार्यालय भवन के एक कमरे में व्यवस्था है।	स्नान गृह, शौचालय, दो चारपाई बिस्तर सहित सुविधा उपलब्ध है।
4.	बयाना	जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जिसकी कोई सुविधा उपलबध नहीं है। नीलामी करवाई जानी है।	
5.	कांमा	किसान भवन उपलब्ध है चार कमरे की व्यवस्था है।	बिस्तरों, विद्युत, जल, शौचालय व्यवस्था उपलब्ध है।
6.	नगर	अनुपलब्ध	—

नगर निगम/नगरपालिका अध्यक्षों की स्वायत्तता में अवरोध

145. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक किस–किस नगरपालिका/नगर निगम के अध्यक्षों को अपने अधिकारों से वंचित किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति/समिति को अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो किनको ? उक्त अधिकार कब वापस लिये गये ? राज्य सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकार के अधिकार उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों से लेकर स्वायत शासन व्यवस्थाओं में अवरोध पैदा नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसे आदेशों को करने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही है ?

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में किसी भी नगरपालिका/नगर निगम के अध्यक्षों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति या समिति को अधिकार नहीं दिये गये हैं।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर के पश्चात् प्रश्न के इस भाग के उत्तर की आवश्यकता शेष नहीं रहती है।

राज्य में हथियारों के लाइसेंस प्रक्रिया में भिन्नता

146. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य के सभी जिलों में हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने की एक जैसी प्रक्रिया है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या लाइसेंस प्राप्त करने की अलग–अलग जिलों में अलग–अलग प्रक्रिया है ? यदि हां, तो राज्य के सीमावर्ती जिलों में और राज्य के अन्य जिलों में क्या–क्या भिन्नता है और भिन्नता के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य के 11 जिलों यतः श्री गंगानगर (2) बीकानेर (3) बाड़मेर (4) जैसलमेर (5) हनुमानगढ़ (6) जालौर (7) जोधपुर (8) जयपुर (9) कोटा (10) अजमेर एवं (11) टौंक जो कि संवेदनशील या सीमान्त हैं में हथियारों के लाइसेंस हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ राज्य विशेष शाखा (इन्टेलिजेन्स) की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, जबकि राज्य के शेष 21 जिलों में हथियारों के लाइसेंस पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जा सकते हैं। साथ ही किसी पशु विहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 कि.मी. के अंदर रहने वाले व्यक्ति को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व वन विभाग से भी सहमति प्राप्त की जाती है।

उम्मेद उद्यान जोधपुर में वन्य जीवों की संदिग्ध मौत

147. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 अगस्त, 1999 को जोधपुर के उम्मेद उद्यान स्थित जन्तुआलय में वन्य जीवों की संदिग्ध मौतें हुई थी ? यदि हां, तो वे वन्य जीव किस–किस प्रजाति के थे ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त मौत होने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि वन्य जीवों की मौत के बाद उनकी खाल उतारकर जलाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो दिनांक 29 फरवरी, 1986 से 20 अगस्त, 1999 तक इस मौत के अलावा कितने वन्य जीवों की खाल उतारकर जलाया गया तथा वह खालें कहां हैं ?

(3) क्या खाल को भी जला दिया गया ? यदि हां, तो कब जलाया और नहीं, तो उन्हें शरीर के साथ क्यों नहीं जलाया ?

(4) शेर के मृत शरीर को किस की उपस्थिति में जलाया गया ?

(5) शेर की मौत के दूसरे दिन 21 अगस्त, 1999 को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जयपुर ने आदेश क्रमांक एफ.3 (434) पार्ट –2/ तकनीकी/मुवजीप्र/99 जारी कर क्या सूचना प्रसारित की तथा इसकी आवश्यकता क्या थी ?

(6) क्या उक्त शेर का विसरा जांच के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 20.8.1999 को जोधपुर जन्तुआलय में एक नर बब्बर शेर (लगभग 14 वर्ष आयु) की मृत्यु अवश्य हुई थी परन्तु वह संदिग्ध मौत नही थी बल्कि एक साधारण मृत्यु थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु फेफडों की खराबी के कारण एस्फिक्सिया (दम धुटने) से होना बताया गया है।

(2) विभागीय आदेश दिनांक 4.8.1994 के अनुसार वन्य जीवों के शवों को मय खाल के गाडने के आदेश दिये हुए है।

विभागीय आदेश दिनांक 8.9.1997 के अनुसार मृत बाघ/बघेरे के शवों को मय खाल जलाने के एवं अन्य वन्य जीवों के शवों को मय खाल गाडने के आदेश दिये हुए है।

दिनांक 29 फरवरी, 1986 से 20 अगस्त, 1999 की अवधि के दौरान जोधपुर जंतुआलय में कुल 161 वन्य जीवों की मृत्यु हुई। इन 161 वन्य जीवों में से 108 जानवरों की मृत्यु दिनांक 4.8.1994 के आदेश से पूर्व हुई थी उनको खाल निकालकर गाडा गया इनमें 14 शेर/बघेरे थे। तथा बाकी 94 अन्य जानवर थे। दिनांक 4.8.1994 के बाद

(वन राज्य मंत्री)

मरे 53 जानवरों में से 49 को खाल सहित गाडा गया तथा शेष 4 को खाल सहित जलाया गया। जिन 108 जानवरों को खाल उतारकर गाडा गया उनकी खालें जोधपुर जन्तुआलय के कार्यालय के भण्डार में उपलब्ध है।

(3) दिनांक 20.8.1999 को मृत बब्बर शेर की खाल को निकाल कर पूरी तरह अलग नहीं किया गया था। खाल सहित संपूर्ण मृत बब्बर शेर को 20.8.1999 को ही पोस्टमार्टम के बाद जलाया गया था।

(4) दिनांक 20.8.1999 को मृत शेर के शव को सहायक कलेक्टर जोधपुर मेडिकल बोर्ड के सदस्यों, उप वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर एवं जन्तुआलय जोधपुर के कर्मचारियों की उपस्थिति में जलाया गया।

(5) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर के द्वारा प्रसारित की गई सूचना दिनांक 12.8.1999 के द्वारा जनसाधारण को सूचित किया गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लागू होने के समय जिन लोगों के पास वन्य जीवों से व्युत्पन्न खालें टाफिया इत्यादि थी तथा जिनकी वे पूर्व में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की पालना में घोषणा न कर पाये हों वे घोषणा निर्धारित प्रपत्र में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या संबंधित उप वन संरक्षक/मंडल वन अधिकारी को दिनांक 31.12.1999 तक कर दे। इस आदेश का दिनांक 20.8.1999 को जोधपुर जन्तुआलय में हुई शेर की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था।

(6) जी हां। मृत बब्बर शेर के विसरा आदि बीकानेर वेटरनरी कोलेज के पैथोलोजी विभाग को दिनांक 23.8.1999 को भेजे गये थे। जो रेल यात्रा के दौरान गुम हो जाने से विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी। विसरा के खो जाने बाबत पुलिस थाना मेड़ता रोड में दिनांक 23.8.1999 को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिसका अन्वेषण रेल्वे पुलिस मेड़ता रोड द्वारा किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सालय गेवा (कोटा) के भवन निर्माण कार्यों में अनियमितता

148. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय गेवा जिला कोटा में भवन बनाया गया था ? यदि हां, तो कब व इस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवन का निर्माण होने के बाद आज भी क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व इसके लिये कौन दोषी है ?

(3) क्या सरकार उक्त भवन के घटिया

(श्री रामगोपाल बैरवा)

निर्माण सामग्री व अनियमितता की जांच करवाने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गैंता में डांग योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त भवन में मुख्य भाग का निर्माण दिनांक 13.8.1998 को पूर्ण किया गया व शेष भाग जिसमें दो कमरों का निर्माण कुर्सी लेवल तक हो चुका है। इस पूरे निर्माण पर रुपये 5,96,750/– की राशि व्यय की गई है। जिसके विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) भवन के मुख्य भाग में कुछ दीवारों पर हल्की दरारें आई हुई हैं व फर्श एवं प्लाटर भी कहीं–कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है। दीवार की दरारें व क्षतिग्रस्त प्लास्टर व फर्श मुख्यतः काली मिट्टी पर भवन का निर्माण होना व निर्माण कार्य दो स्तर पर होना एवं वर्षा के पानी के भराव के कारण है। अतः इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

(3) जी नहीं। जांच अपेक्षित नहीं हैं। दीवार पर दरारें कुछ जगह पर क्षतिग्रस्त फर्श व प्लास्टर की मरम्मत का कार्य संवेदक द्वारा अपने खर्चे पर किया जायेगा। यदि संवेदक द्वारा मरम्मत कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा संवेदक के हर्जे–खर्चे पर भवन मरम्मत का कार्य पूरा करवा दिया जायेगा।

परिशिष्ट ''अ''

प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र भवन गैंता के निर्माण पर भुगतान की गयी राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि	भुगतान की तिथि
1	2	3	4
1.	प्रथम रनिंग बिल	1,22,961.00	23.11.96
2.	द्वितीय रनिंग बिल	16,993.00	17.1.97
3.	तृतीय रनिंग बिल	90,202.00	25.1.97
4.	चतुर्थ रनिंग बिल	79,358.00	22.3.97
5.	पंचम् रनिंग बिल	65,975.00	25.7.97
6.	छठा रनिंग बिल	65,380.00	23.12.97
7.	सातवां रनिंग बिल	23,285.00	25.7.98
8.	आठवां रनिग बिल	74,742.00	13.11.98
9.	अन्य विविध व्यय	57,854.00	—
	कुल योग रुपये	5,96,750.00	

ग्रिड सब स्टेशनों के शिलान्यास में विधायकों से सदारत

149. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 2000 तक कुल कितने ग्रिड सब–स्टेशनों 400, 220, 132 एवं 33 का शिलान्यास किया गया ?

(2) क्या उक्त ग्रिड सब–स्टेशनों के शिलान्यास/लोकार्पण समारोहों में विधायकों से सदारत करवाई गई ? यदि हां, तो किन–किन से ?

उत्तर

(1) राज्य में दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 2000 तक 400 के.वी. का एक सूरपुरा जोधपुर, 220 के.वी. का एक झुंझुनूं तथा 132 के.वी. के चार मारखी, बगड़, नोहर व रानोली ग्रिड सब स्टेशनों एवं 33 के.वी. सब स्टेशन बिलान्दरपुर (जिला जयपुर) का शिलान्यास किया गया।

(2) जी हां, उक्त सभी ग्रिड सब स्टेशनों के शिलान्यास/लोकार्पण समारोहों की सदारत माननीय विधायक अथवा मंत्री महोदय से करवाई गई जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

दिसम्बर, 1998 से 15 मार्च, 2000 तक निम्नलिखित ग्रिड सबस्टेशनों का शिलान्यास किया गया

क्र.सं.	शिलान्यासकर्ता	समारोह अध्यक्षता	दिनांक
1.	400 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन सुरपुरा (जोधपुर) श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान	डा.चन्द्रभान	17.10.99
2.	220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन झुंझुनूं डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्रीमती सुमित्रा सिंह मा. विधायक	30.10.99
	132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन		
1.	मारखी–डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्रीमती कमला सिंचाई मंत्री राज.	18.3.99
2.	बगड़–डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्रीमती सुमित्रा सिंह मा. विधायक	30.10.99
3.	नोहर–डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्रीमती सुचित्रा आर्य मा. विधायक नोहर	3.11.99
	33 के. वी. सब–स्टेशन		
	रानोली–डा. चन्द्रभान मा. ऊर्जा मंत्री राज.	श्री नारायण सिंह मा.विधायक दातारामगढ़	2.3.2000
1.	बिलान्दरपुर श्रीमती कमला सिंचाई मंत्री	—	30.1.1999

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रिड सब स्टेशनों का उद्धाटन लोकार्पण किया गया

क्र.सं.	ग्रिड सब स्टेशन	उद्धाटनकर्ता	समारोह अध्यक्षता	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	220 के.वी. जी.एस.एस.			
	कूकस	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री सहदेव शर्मा मा.विधायक, आमेर	23.10.99
2.	132 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन			
1.	नापासर	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री बी.डी. कल्ला मा.शिक्षा मंत्री राज.	30.5.99
2.	खुराखेड़ा	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	युवरानीमहेन्द्र कुमारी पूर्व सांसद	10.7.99
3.	बीदासर	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री मंगलाराम गोदारा मा. विधायक श्री डूंगरगढ़	4.11.99
4.	चाकसू	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री अशोक तंवर मा. विधायक फागी	20.2.2000
5.	सूरसागर	श्री अशोक गहलोत मा.मुख्य मंत्री राज.	डा. चन्द्रभान मा. ऊर्जा मंत्री राज.	7.3.2000
	33 के.वी. सब स्टेशन			
1.	आजाद नगर भीलवाडा	श्री देवेन्द्र सिंह वि.स.उपाध्यक्ष	—	26.4.1999
2.	रिको क्षेत्र किशनगढ़	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री नाथूराम सिनोदिया	26.2.1999
3.	हर्ष, सीकर	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	—	7.5.1999
4.	लामियां, सीकर	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री नारायण सिंह दातारामगढ	29.10.1999

1	2	3	4	5
5.	बामनीतलाई	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	29.10.1999
6.	भीमा (सीकर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	29.10.1999
7.	नेछवा (सीकर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री परसराम मोरदिया, लक्ष्मणगढ़	2.3.2000
8.	अम्रतवासी (चूरू)	–	श्री मंगलाराम गोदारा	3.2.2000
9.	अड़सर (चूरू)	–	श्री मंगलाराम गोदारा	3.2.2000
10.	पुराना अस्पताल मोरी चालबाग (भरतपुर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री आर.पी. शर्मा	21.2.2000
11.	रामसर (बीकानेर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री बी.डी.कल्ला कार्मिक मंत्री	27.2.1999
12.	एम.बी.एस.आ. हास्पिटल, कोटा	श्री शांति कुमार धारीवाल	–	20.3.1999
13.	टोश्रड़ी, मालपुरा	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	26.6.1999
14.	अविकानगर, मालपुरा	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	9.7.1999
15.	पालशिल्पग्राम (जोधपुर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	11.4.1999
16.	पांचला	श्री हीरालाल विश्नाई विधायक	–	28.7.1999
17.	पलादर	श्री रामसिंह विश्नाई जन.स्वा.मंत्री	–	4.1.2000

1	2	3	4	5
18.	छापर	श्री राजेन्द्र चौधरी चिकित्सा मंत्री	–	11.3.2000
19.	किटनोरिया(बाड़मेर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	17.1.1999
20.	मेहलू (बाड़मेर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	13.6.1999
21.	भवाद (जोधपुर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	11.5.1999
22.	जाम्बा (जोधपुर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	11.6.1999
23.	डाबला (जैसलमेर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	11.4.1999
24.	धयासर (जैसलमेर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	12.6.1999
25.	सिविल लाइन्स(दौसा)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	–	22.2.2000
26.	नेवर (जिला जयपुर)	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री रामचन्द्र सराधना एवं श्री राजेश पायलेट, सांसद	30.6.1999
27.	रीको, कालाड़ेरा	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री भगवान सहाय सैनी चौमूं	2.12.1999
28.	सिंगोद खुर्द	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री भगवान सहाय सैनी, चौमूं	7.8.1999
29.	सुन्दरियावास	डा. चन्द्रभान मा.ऊर्जा मंत्री, राज.	श्री नानूराम काकरेलिया विधायक	1.7.1999

मंत्री परिषद् के सदस्यों को आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकान

150. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्तमान मंत्रियों व उनके परिवारजनों को कब–कब कहां–कहां आवासन मंडल के मकान आवंटित हुए हैं ? माप सहित नाम आवंटित हुआ उनके नाम व मंत्रियों से संबंध का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान मंत्रियों व उनके परिवारजनों द्वारा मकान आवंटन हेतु दिये गये आवेदन व शपथ–पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) आवासन मंडल का मकान आवंटित करने हेतु क्या–क्या नियम/शर्तें हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान मंत्रियों को वर्ष 1985 से 2000 की बीच जयपुर की मानसरोवर, मालवीय नगर, जवाहर नगर एवं सांगानेर, जोधपुर, की चौपासनी, उदयपुर की हिरणमगरी तथा कोटा की दादाबाड़ी एवं बल्लभबाड़ी योजनाओं में आवास आवंटित किए हैं। आवंटित आवासों का माप सहित पूर्ण विवरण संलग्न है। नियमान्तर्गत पंजीकृत आवेदक से उनके परिवारजनों की सूची मांगे जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए

मंत्रियों के परिजनों को आवंटित आवास के संबंध में कोई तथ्यांत्मक विवरण अभिलेख से ज्ञात नहीं हो सकता।

(2) वर्तमान मंत्रियों द्वारा मकान आवंटन हेतु दिए गए आवेदन पत्र व शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न है शेष सूचना उपरोक्तानुसार है।

(3) आवासन मण्डल का मकान आवंटित करने हेतु नियम/शर्तों की प्रति संलग्न है।

(छाया प्रतियों का सैट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) की अपूर्ण सड़कों का निर्माण

151. **श्री गोपाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना जिला बाड़मेर में गत वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई जाने वाली ग्रेवल एवं मेटल सड़के अपूर्ण रह गई हैं ? अपूर्ण सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष विधान सभा

(श्री गोपाराम मेघवाल)

क्षेत्र सिवाना में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इन अपूर्ण सड़कों को पुनः स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से अकाल राहत के अन्तर्गत गत वर्ष स्वीकृत ग्रेवल एवं मेटल सड़कों में से 21 सड़कें अपूर्ण रह गई हैं। अपूर्ण सड़कों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभावग्रस्त विधान सभा क्षेत्र सिवाना के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 93 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अधूरी रही सड़कों में से 19 सड़के स्वीकृत की जा चुकी है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से संवत् 2053 में कराये गये राहत कार्यो में अपूर्ण रहे सड़क कार्यो की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	2
1.	ए. आर. एडमानजी
2.	रपट कार्यरमणिया पादरू
3.	पऊ से इटवाया
4.	इन्द्राणा से सिनेर
5.	पादरू से इटवाया वाया मानाराम जी की प्याऊ
6.	पादरू से मीठा
7.	देवड़ा मंगला
8.	अर्जियाना से लूदराना
9.	मिठोड़ा से सरवणिया बेरा
10.	राखी से सावरड़ा
11.	मोकलसर स्टेशन से मोतीसरा
12.	थारणा से पादरू वाया बाड़ा बेरा
13.	रमणिया से रायथल जिला सीमा
14.	रातड़ी से झोरड़ा जिला सीमा
15.	सिनेर से बागावास वाया हेमगिरीजी का गुड़ा
16.	कुशीप गोलाई से किटनोद
17.	मिठोड़ा से उड़ेल नाड़ी
18.	कानजी मामाजी खनोड़िया नाड़ा
19.	रमणिया पादरू से रेलोकीढाणी
20.	बामसीन खेड़ा से मांगला गांव
21.	सिवाना फांटा से रबारियो की ढाणी

जिला क्लेक्टर (सहायता)
बाड़मेर

विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) की स्वीकृत सड़कें

152. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) में कौन–कौनसी ग्रेवल/मेटल सड़कें स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र देसूरी (पाली) में गत दो वर्षों में 10 ग्रेवल/मेटल सड़कें स्वीकृत की गई है, जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "अ"

दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र देसूरी में स्वीकृत की गई ग्रेवल/मेलट सड़कों की सूची

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	सड़क का प्रकार	सड़क का नाम	लम्बाई
1	2	3	4	5
1.	1998–99	मेटल	पंचायत घर से हनुमान मंदिर चांचौड़ी तक सम्पर्क सड़क	1.00 कि.मी.
2.	1998–99	मेटल	देसूरी बस स्टेण्ड के पास हनुमान मंदिर से सेलीनाल माता मंदिर	1.80 कि.मी.
3.	1998–99	मेटल	गुड़ा मेहराम से आकड़ावास से बिजोवा	3.50 कि.मी.
4.	1998–99	मेटल	सोमेसर से ओडवाड़िया	4.00 कि.मी.
5.	1998–99	मेटल	माण्डल से भगवानपुरा	5.00 कि.मी.
6.	1998–99	ग्रेवल	सालरिया से आकड़ावास	3.00 कि.मी.
7.	1998–99	ग्रेवल	दादाई से विंगरला	3.00 कि.मी.
8.	1998–99	ग्रेवल	मुछाला महावीर मंदिर से गरासिया ऊड़ा से लोक देवता अन्नपूर्णा मंदिर	4.00 कि.मी.
9.	1998–99	ग्रेवल	गुड़ा भोपसिंह से लोकदेवता सेली नाल हनुमान मंदिर	4.00कि.मी.
10.	1999–2000	मेटल	सम्पर्क सड़क झूंझार जी मंदिर सिन्दरली	2.50कि.मी.

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-171 का विवरण)

मण्डल वन अधिकारी, बारां (पूर्व) के व्यय पक्ष के लेखों अवधि दिनांक 1.1.95 से 31.12.98 तक के विशेष जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों की सूची

अनु.सं.	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण
1	2
भाग II	
1.	रोकड़ बही के संधारण में अनियमितताएं, पुरानी रोकड़बही बंद किए बिना नई खोलना, रोकड़ बही लिखने वाले व कैशियर के हस्ताक्षर का अभाव इत्यादि।
7.	माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने। विरोधाभास होने के कारण राशि रुपये 1,04,187/— का भुगतान संदिग्ध।
8.	छत्रगंज "बी" ईधन वृक्षारोपण पर निर्धारित मापदण्डों अनुसार निराई, गुड़ाई थावले बनाने का कार्य व उनकी देखभाल हेतु कर्मचारी नहीं रखकर द्वितीय वर्ष हेतु प्राप्त राशि का अन्य प्रयोजनों पर व्यय करने के फलस्वरूप राशि रुपये 3,01,854/— का व्यय अलाभकारी/अनियमित।
22.	तेन्दूपत्ता कल्चर आपरेशन कार्य बिना तकनीकी तखमीना एवं सक्षम अधिकारी से दरों के बिना अनुमोदन कराया जाना राशि रुपये 3.00 लाख।
23.	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के विपरीत राज.बीज निगम, राज्य मोटर गैरेज, राज. राज्य कृषि उद्योग निगम तथा सी.एस.पी.ओ. रेट कांट्रेक्ट से क्रय किए जाने वाली सामग्री का खुले बाजार से अनियमित क्रय रुपये 7.19 लाख।
25.	सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना विभिन्न कार्यो पर रु. 194.86 लाख का अनियमित व्यय
26.	मण्डलाधीन क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा उनकी सक्षमता से परे राशि रुपये 5.53 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय।
27.	पानी, बिजली, स्टेशनरी, इत्यादि संबंधी कार्यालय व्यय को अनियमित रूप से कार्यो पर भारित किया जाना रुपये 1.75 लाख।
30.	मण्डल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर से जारी सामग्री के एम.ए.एस. लेखे तैयार नहीं होने से दुरुपयोग की संभावना रुपये 29,08,544/—

31. मण्डल कार्यालय से जारी सामग्री का क्षेत्रीय कार्यालयों के भण्डार लेखों में इन्द्राज के अभाव में दुरुपयोग की संभावना रुपये 6.88 लाख

33. कार्यालय द्वारा चालनों से जमा राशि एवं ट्रेजरी प्रमाण–पत्र के अनुसार ट्रेजरी में राशि रुपये 17,03,564.96 कम पाया जाना/अन्तर पाया जाना। इसी प्रकार कार्यालय एवं ट्रेजरी प्रमाण–पत्र के अनुसार चैक्स द्वारा भुगतान राशि में रुपये 14,54,380.04 का अन्तर पाया गया है।

मण्डल वन अधिकारी, बारां (पूर्व) के कार्यालय के राजस्व लेखों अवधि दिनांक 1.1.1995 से सितम्बर 1998 तक विशेष जांच प्रतिवेदन के निषकर्षों की सूची

	(अ) तेन्दूपत्तों के विक्रय से संबंधित गबन/राजस्व हानि	
1.	रसीदों में हेराफेरी आदि करके राजकीय राशि का गबन	रुपये 41.82 लाख
2.	राजकीय राशि को यथा समय राजकोष में जमा नहीं कराने के कारण ब्याज की हानि	रुपये 42.67 लाख
3.	तेन्दूपत्तों के विक्रय/संग्रहण लागत पर बिक्री कर की वसूली का अभाव	रुपये 154.76 लाख
4.	तेन्दूपत्तों के विक्रय पर आयकर की वसूली का अभव	रुपये 56.54 लाख
	(ब) तेन्दूपत्तों के राजस्व के अतिरिक्त अन्य हानि :	
1.	भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में शास्ति लगाने/वसूली का अभाव	रुपये 108.79 लाख
2.	महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई राजस्व हानि/वसूली का अभाव	रुपये 15.44 लाख
3.	अन्य वन उपज ठेकों की राशि वसूली का अभाव	रुपये 0.14 लाख
	उक्त विवरण के अनुसार गबन/राजस्व हानि की राशि का कुल योग	रुपये 420.16 लाख

इस प्रकार कुल 4,20,16,390/– रुपये की राजस्व हानि राज्य सरकार को हुई है।

रिपोर्ट के अवलोकन से साफ जाहिर हो रहा हे कि तत्कालीन तेन्दूपत्ता प्रभारी श्री सुरेशचन्द जैन कार्यालय सहायक ने सुनियजित ढंग से राजस्व हानि पहुंचाई है। जी.ए. 55 के प्रतिवर्ण एवं मूल रसीद में अंकन होना, कुछ खाली रसीद रिकार्ड में मिलना इस बात की संभावनाओं को व्यक्त करता है कि पार्टियां श्री जैन को ही राशि देती थी और श्री जैन छोटी राशि का जी.ए. 55 काटता था इसके प्रतिपंर्ण पर तो वो राशि अंकित करता था और जी.ए. 55 का वो भाग जिसे पार्टी को देना होता था उसे खाली रखता था और जब किस्तों के अनुसार ठेकेदार से राशि प्राप्त होती थी तब उसं खाली रसीद पर उस राशि का अंकन रसीद पार्टी को दे देता था और उस राशि को स्वयं के पास रख राजकोष को हानि पहुंचाता था, एक संभावना यह भी है कि उसके द्वारा रसीद बुकें ही नई छपा ली गई हो इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा अधिकारियों के फर्जी दस्तख्त बना लिये गये हों। श्री जैन ने कई बार किसी पार्टी से प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्टों का उपयोग अन्य पार्टी के लिए कर,कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष नोटशीट प्रस्तुत कर तेन्दूपत्ता को कार्यालयाध्यक्ष से धोखे से रिलीज करवाया है। उसके द्वारा चालन पर फर्जी हस्ताक्षर करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-172 की सूची)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1999-2000 (नैनवां) क्षेत्र का विवरण

बैंक का नाम	प्रेषित आवेदन	क्रम संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण			
			आवेदक नाम व पता	कार्य	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7
बी.ओ.बी.करवर	5	1.	राम लाल/गोपी लाल प्रजापत, करवर	रेडिमेड दुकान	25000	—
		2.	कमलेश मीणा/बंशी लाल, खजूरी	किराना दुकान	20000	20000
		3.	माणक चंद रेगर/बजरंग लाल, आंसरदा	पम्प दुकान	25000	25000
		4.	गजेन्द्र कुमार दाधीच/सुरेन्द्र, करवर	बक्शा उद्योग	25000	—
बी.ओ.बी.बांसी	8	1.	गीरी राज मीणा/खाना, भरा	किराना दुकान	25000	—
		2.	फते चन्द मीणा/कजोड़ लाल, दुपारी	किराना दुकान	25000	—
		3.	हेम राज/पन्ना लाल माली, बांसी	किराना दुकान	30000	—
		4.	निरंजन/जयशंकर, दुगारी	किटनाशक दवा दुकान	50000	—
बी.ओ.बी. नैनवां	19	1.	हरि मोहन रेगर/नाथूलाल, नैनवां	आर.सी.सी. मशीन	50000	47501
		2.	बाबू लाल रेगर/हेम राज, नैनवां	बक्शा निर्माण	50000	—
		3.	हेमराज रेगर/पिताम्बर, नैनवां	टी.वी.रेडियो रिपेयर	60000	5700

1	2	3	4	5	6	7
		4.	मोईनुदीन अंसारी/अहमदनूर, नैनवां	टाइप दुकान	50000	4750
		5.	गणेश लाल सोनी/सोभाग मल, नैनवां	फैंसी जनरल स्टोर	79000	7501
		6.	देवकी नन्दन राव/मदन लाल, नैनवा	कापी उद्योग	85000	7172
		7.	पारस कुमार साबूरु/रामस्वरूप, नैनवां	किराना दुकान	60000	3744
		8.	रमेश कुमार जांगीड/जगदीश, गुढ़ादेवजी	किराना दुकान	40000	—
		9.	महावीर जैन/प्रवीण कुमार, जजावर	मेडिकल स्टोर	70000	5375
		10.	भोला शंकर खासी/प्रहलाद, गुढ़ादेवजी	मोटर बाईंडिग	50000	3465
		11.	प्रहलाद नागर/जगदीश, गुढ़ादेवजी	किराना दुकान	40000	—
		12.	नन्द किशोर जैन/सोहन लाल, नैनवां	कपड़े की दुकान	90000	—
एस.बी.बी.जे.नेनवां	17	1.	महावीर प्रसाद खाती/भेरू लाल, कोरमा	फर्नीचर निर्माण	90000	—
		2.	राम लाल माली/बच्चू राम, खानपुरा	दूध डेयरी	51500	—
		3.	अंजनी कुमार साहू/बद्री लाल, नैनवां	चाट भंडार	62000	—
		4.	राम बाबू शर्मा/गोपाल लाल नैनवां	दूध डेरी	51500	—
		5.	महेन्द्र शर्मा/ जगदीश, नैनवां	गीफ्ट सेंटर	85000	—

1	2	3	4	5	6	7
		6.	निरंजन गौतम/मुरलीधर, नेनवां	टीवी.रेडियो रिपेयर	85000	—
		7.	हरि मोहन शर्मा/कृष्ण दत्त, नेनवां	फैंसी जनरल स्टोर	90000	—
बी.ओ.आर. देई	17	1.	श्री सत्यनारायण रेगर/नाथूलाल, देई	जूता दुकान	40000	—
		2.	बाबू लाल सेनी/कजोड लाल, देई	किताब दुकान	40000	—
		3.	महावीर कुमार/दुली चन्द, देई	साइकिल दुकान	40000	—
		4.	सुरेन्द्र जैन/महावीर प्रसाद, देई	फैन्सी जनरल स्टोर	60000	—
		5.	महावीर शर्मा/ जगन्नाथ, देई	कपड़े की दुकान	45000	—
		6.	राम बाबू सागर/मोहन लाल, फतेगंज	किराना दुकान	40000	—
		7.	कुंज बिहारी बेरागी/रामगोपाल, नीमखेडा	मेडिकल स्टोर	50000	—
		8.	संजय जैन/मांगी लाल, भजनेरी	किराना दुकान	25000	—
		9.	अशोक कुमार/अवनी कुमार, देई	किराना दुकान	35000	—
		10.	विनोद जैन/राम विलास, देई	किराना दुकान	40000	—

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बून्दी

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, अटरू की सूचना वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	अभ्यार्थी का नाम व पता (आवेदन) (चयनित)	व्यवसाय	चयन दिनांक	सम्बन्धित बैंक को प्रेषित	स्वीकृ	राशि (बैंक द्वारा)	दिनांक	प्रशिक्षित	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री नन्द किशोर मीणा/कालू राम ग्राम हनुवतखेड़ा	किराना स्टोर	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	30,000	9.12.99	प्रशिक्षित	—
2.	श्री जमना लाल मीणा/प्रहलाद ग्राम बिछालस	उद्योग	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	50,000	10.12.99	प्रशिक्षित	—
3.	श्री दयाराम बागरी/तोला राम ग्राम कवाई	कुक्कुटपालन	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
4.	श्री राम चन्द्र सुमन/रामगोपाल तोजाजी चोक कवाई	फोटो स्टूडियो	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	20,000	9.12.99	—	—
5.	श्री देवकरण बैरवा/राम नारायण ग्राम खरखड़ाआसत्त	जूते चप्पल दुकान	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
6.	श्री लक्ष्मीनारायण जाटव/रामलाल ग्राम टीगरी	जनरल स्टोर	13.7.99	एस.बी.बी.जे अटरू	—	—	—	—	—
7.	श्री राधेश्याम मीणा/रामचन्द्र ग्राम बिछालस	उद्योग	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	30,000	26.11.99	प्रशिक्षित	—
8.	श्री रामस्वरूप सुमन/कन्हैयालाल ग्रा. खरखड़ा रामलोयान	बोरी उद्योग	13.7.99	एस.बी.बी.जे अटरू	स्वीकृत	एक लाख	23.2.2000	प्रशिक्षित	—
9.	श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी/कालूलाल ग्राम व्यासखेड़ी	बोरी उद्योग	13.7.99	एस.बी.बी.जे अटरू	स्वीकृत	एक लाख	23.2.2000	प्रशिक्षित	—
10.	श्री लक्ष्मीचन्द नागर/बजरंग लाल ग्राम पो. आटोन	स्टेशनरी	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	95,000	25.11.99	प्रशिक्षित	—
11.	श्री ओमप्रकाश यादव/राम भरोसा अटरू	ईट भट्टा	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	स्वीकृत	35,000	16.2.2000	—	—
12.	श्री सुरेश कुमार अदलक्खा/किशनलाल अटरू	रेडिमेड वस्त्र	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	40,000	15.3.2000	—	—
13.	श्री मोती लाल जरिया/शंकर लाल ग्राम आटोन	इलेक्ट्रोनिक्स	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	15.3.2000	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	श्री मनोज कुमार नेनीवाल/नन्दकिशोर चरड़ाना	इलेक्ट्रोनिक्स पीवीसी	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
15.	श्री धारासिंह मीणा/मदनलाल ग्राम उम्मेदगंज	व्यापार	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	50,000	14.2.2000	प्रशिक्षित	—
16.	श्री सत्यप्रकाश चतुर्वेदी/ज्ञानचन्द अटरू	आईसक्रीम फैक्ट्री	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
17.	श्री धर्मसिंह मीणा/अमरलाल मीणा ग्राम रघुनाथपुरा	किराना स्टोर	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	30,000	9.12.1999	प्रशिक्षित	—
18.	श्री गुरुतेज सिंह ढिल्लो/केहरसिंह ग्राम रतनपुरा	कृषिउपकरण निर्माण	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	स्वीकृत	50,000	16.2.2000	प्रशिक्षत	—
19.	श्री गिरिराज योगी/रामकरण ग्राम गोरड़ी	फैंसी दुकान	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
20.	श्री शरद कुमार त्यागी/धर्मेन्द्र सिंह अटरू	मेडिकल स्टोर	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
21.	श्री अशोक कुमार/भैरुलाल ग्राम गोरपड़ी पो.नेनावता	परचूनी दुकान	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	30,000	9.12.99	प्रशिक्षित	—
22.	श्री महेश कुमार गोतम/ओमप्रकाश गायत्री नगर,अटरू	टाइपिंग इन्स्टी.	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
23.	श्री नेमीचन्द मीणा/लक्ष्मीनारायण ग्राम भुवाखेड़ा	जूतेचप्पल दूकान	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
24.	श्री लालचन्द कोली/भंवरलाल ग्राम पो. कूण्डी	लकड़ी कार्य	13.7.99	पी.एन.वी. कवाई	—	—	—	—	—
25.	श्री सत्यनारायण धाकड़/मदनलाल ग्राम दड़ा	रासायनिंक खाद	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
26.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह/भानुप्रताप हाट चोक, अटरू	मोटर पार्ट्स	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
27.	श्री प्रमोद कुमार पारीक/ओमप्रकाश अटरू	रेस्टोरेंट	13.7.99	सी.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
28.	श्री राम कुमार मीणा/देवलाल ग्राम बलदेवपुरा	दुग्ध उत्पादन	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
29.	श्री मेघराज रावत/दीपचन्द ग्राम नारायणपुरा	जूताचप्पल दूकान	13.7.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	श्री पूरणमल/कालूलाल मीणा ग्राम बलदेवपुरा	टेण्ट हाउस	13.7.99	पी.एन.बी. कवाई	–	–	–	–	–
31.	श्री रामभरोस नागर/श्रवणलाल ग्राम हाथीदीलोद	इंजन पार्ट्स	2.12.99	एस.बी.बी.जे. अटरू	स्वीकृत	एक लाख	29.2.2000	–	–
32.	श्री रमेशचन्द मीणा/प्रहलाद गायत्री नगर, अटरू	शू एण्ड जनरल	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	–	–	–	–	–
33.	श्री सन्तोष जैन/रूप कुमार जैन, अटरू	बैण्ड गायन	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	–	–	–	–	–
34.	श्री खेमचन्द जाटव/बाबूलाल गायत्री नगर, अटरू	पत्थर स्टॉक	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	–	–	–	–	–
35.	श्री गोविन्दलाल सुमन/मन्नालाल सुमन, अटरू	टी.वी.मेकेनिक	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	30,000	16.2.2000	प्रशिक्षित	–
36.	श्री सत्यनारायण खटीक/बाबू खां, अटरू	किराना	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	25,000	16.2.2000	प्रशिक्षित	–
37.	श्री ओमप्रकाश योगी/हरीशचन्द ग्राम गोरड़ी	जूताचप्पल दूकान	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
38.	श्री राधेश्याम ओझा/कन्हैयालाल कवाई सालपूरा	इंजीनियरिंग कार्य	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
39.	श्री रामचरण सैन/जानकीलाल ग्राम मोठपुर	बर्तन भण्डार	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
40.	श्री अवतार सिंह/कल्याण सिंह फतुखोड़ी तह. अटरू	टेण्ट हाउस	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
41.	श्री हंसराज मीणा/गोपीचन्द मीणा ग्राम गोरड़ी	किराना स्टोर	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
42.	श्री नेमीचन्द मीणा/हीरालाल ग्राम नेनावता	व्यापार	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
43.	श्री नवल कुमार सुमन/बाबूलाल ग्राम भोजुखेड़ी	किराना	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–
44.	श्री कैलाशचन्द्र डांगी/लक्ष्मीनारायण ग्राम कूण्डी	लोहे के सामान	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	श्री बजरंगलाल सुमन/नन्दलाल मोठपुर	आटा पक्की	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	—	—	—	—	—
46.	श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी/शिवनारायण जांट जुण्डी	दुग्ध पालन	2.12.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
47.	श्री पुनीत सिंह/सुरेन्द्र सिंह बलदेवपुरा तह. अटरू	खाद कीटनाशक	2.12.99	पी.एन.बी. कवाई	—	—	—	—	—
48.	श्री पृथ्वीराज मीणा/शांतिलाल मेरमातालाब	मोटर पार्ट्स	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	50,000	15.2.2000	प्रशिक्षित	—
49.	श्री कल्लू हुसैन/शेर खां ग्राम जीरोप पो. सहरोद	किराना स्टोर	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
50.	श्री जमुनाशंकर चक्रधारी/पन्नालाल ग्राम पो. आटोन	जूतेचप्पल दूकान	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	15.3.2000	प्रशिक्षित	—
51.	श्री रामचन्द्र मीणा/ईश्वर चन्द मीणा जीरोद	मोटर बाईडिंग	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
52.	श्री हेमराज मीणा/केशरीलाल ग्राम मेरमातालाब	टेण्ट हाउस	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
53.	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा/छोटूलाल कटावर	जनरल स्टोर	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	15.3.2000	—	—
54.	श्री नेमीचन्द्र नागर/मथुरालाल नागर मेरमातालाब	टेण्ट हाउस	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	15.3.2000	—	—
55.	श्री डालूराम सुमन/मनभंवरलाल सुमन ग्राम सकसपुर	डीजल इन्जन	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	15.2.2000	प्रशिक्षित	—
56.	श्री कमलप्रकाश मीणा/रामनाथ ग्राम जीरोद	डेयरी व्यवसाय	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	14.2.2000	प्रशिक्षित	—
57.	श्री हरिमोहन मेहर/बिरधीलाल मेहर ग्राम जीरोद	किराना स्टोर	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	अप्राप्त	15.3.2000	—	—
58.	श्री जगदीश प्रसाद बैरवा/हीरालाल ग्राम मेरमातालाब	किराना स्टोर	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
59.	श्री अमरलाल बैरवा/मांगीलाल ग्राम मेरमातालाब	इंजीनियरिंग	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	श्री रामदयाल बैरवा/धन्नालाल मेरमातालाब	सीमेन्ट व्यवसाय	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
61.	श्री ओम प्रकाश सुमन/प्रहलाद सुमन ग्राम बगली	डेयरी फार्म	2.12.99	सी.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
62.	श्री रामबाबू विजय/मूलचन्द्र विजय ग्राम अन्ताना	मसाला उद्योग	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	50,000	19.2.2000	प्रशिक्षित	—
63.	मो. सईद/ताज मोहम्मद ग्राम सालपुरा	जूतेचप्पल दूकान	2.12.99	पी.एन.बी. बाई	स्वीकृत	अप्राप्त	23.3.2000	—	—
64.	श्री जगमोहन/रामलाल कवाई	किराना स्टोर	2.12.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	30,000	23.3.2000	—	—
65.	श्री रमेशचन्द योगी/रामकिशन ग्राम काबरा	इंजीनियरिंगवर्क	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
66.	श्री महावीर प्रसाद मीणा/सूरजमल ग्राम बेरपुर	परचूनी दूकान	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	स्वीकृत	40,000	16.2.2000	प्रशिक्षित	—
67.	श्री राजमत कुमावत/भैरुंलाल किशनपुरा	इलैक्ट्रीकल्स	2.12.99	एस.बी.आई अटरू	—	—	—	—	—
68.	श्री गिरिश कुमार गोयल/श्यामसुन्दर कवाई	गल्ला व्यापार	2.12.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	50,000	28.1.2000	प्रशिक्षित	—
69.	श्री पंकज कुमार गोयल/केदारलाल ग्राम कवाई	इलैक्ट्रोनिक्स	2.12.99	पी.एन.बी. कवाई	स्वीकृत	40,000	23.3.2000	—	—

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र बून्दी

प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1999-2000 (नैनवां) क्षेत्र का विवरण

बैंक का नाम	प्रेषित आवेदन	क्र.सं.	स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण			
			आवेदक नाम व पता	कार्य	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7
बी.ओ.बी. करवर	5	1.	कमलेश मीणा/बंशीलाल, खजूरी	किराना	20,000	20,000
		2.	माणकचन्द रैगर/बजरंगलाल आंतरदा	चप्पल दुकान	25,000	25,000
बी.ओ.बी. नैनवां	19	1.	हरिमोहन रैगर/नाथूलाल नैनवां	आर.सी.सी. मशीन	50,000	47,500
		2.	हेमराज रैगर/पिताम्बर, नैनवां	टीवी रेडियो रिपेयर	60,000	57,000
		3.	मोईनुदीन अंसारी/अहमदनूर नैनवां	टाइप दुकान	50,000	47,500
		4.	गणेशलाल सोनी/सौभागमल नैनवां	फैंसी जनरल स्टोर	79,000	7,501
		5.	देवकी नन्दन राव/मदनलाल नैनवां	कोफी उद्योग	85,000	7,172
		6.	पारस कुमार साहू/रामस्वरूप नैनवां	किराना	60,000	5,744
		7.	महावीर जैन/प्रवीण कुमार जजावर	मेडिकल स्टोर	70,000	5,375
		8.	भोलाशंकर खाती/प्रहलाद गुढ़ादेवजी	मोटर बाईडिंग	50,000	3,465

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-177 की सूची)

जिलेवार संख्या सूची

RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR, YEAR WISE ALLOTMENT OF HOUSES

Sl.No.	District	Upto March 87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	JAIPUR	19729	4873	3884	3152	2262	4897	3589	5277	312	1795	1239	969	1523	919	63955
2.	DAUSA	0	0	0	0	0	0	147	19	105	4	97	5	42	0	419
3.	TONK	0	0	0	0	0	0	0	276	251	0	100	89	12	0	529
4.	SIKAR	177	35	42	24	30	142	132	5	0	0	8	0	0	0	321
5.	JHUNJHUNU	337	54	69	54	96	3	9	104	0	594	3	43	0	0	1376
6.	ALWAR	3822	1277	0	117	292	1153	115	124	440	112	71	26	13	0	7567
7.	BHARATPUR	229	0	0	0	0	329	2	278	2	39	36	35	4	0	872
8.	DHOLPUR	103	0	25	290	30	0	9	23	25	0	5	6	0	0	442
9.	S.MADHOPUR	465	68	224	132	116	68	9	54	62	15	0	17	20	0	1152
10.	KOTA	16925	381	441	1159	94	720	20	220	147	156	188	15	1727	0	22153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	BARAN	245	0	67	21	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	333
12.	BUNDI	558	0	7	0	0	0	2	309	96	37	51	76	0	0	1137
13.	JHALAWAR	80	0	19	0	10	85	8	234	5	221	55	23	0	53	381
14.	JODHPUR	8266	660	666	2055	951	945	1635	877	308	137	207	1121	709	862	20099
15.	PALI	1512	79	98	80	32	16	50	13	1	2	154	3	56	74	2170
16.	SIROHI	0	0	0	0	0	0	142	175	20	52	0	31	108	127	705
17.	BARMER	498	4	0	3	5	90	45	0	0	0	55	0	0	0	500
18.	NAGAUR	0	0	0	0	0	0	27	296	69	111	59	0	12	15	594
19.	BIKANER	2760	335	45	140	232	18	139	672	0	92	26	25	42	5	4531
20.	S.GANGANAGAR	943	64	214	0	0	0	6	0	24	24	22	0	2	9	1260
21.	HANUMANGARH	1329	99	72	11	144	14	27	394	176	27	35	65	6	6	2285
22.	UDAIPUR	2670	15	355	928	239	639	233	225	226	84	79	68	157	240	5000
23.	BANSWARA	1171	263	116	41	0	134	14	3	0	31	2	0	203	0	1978
24.	DUNGERPUR	883	139	0	210	27	1	46	132	19	8	0	99	13	0	1469
25.	BHILWARA	1166	77	76	536	171	460	410	527	515	148	222	97	79	52	4536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.	CHITTORGARH	266	217	1	36	0	295	1	153	67	5	79	126	192	6	1285
27.	AJMER	3039	314	508	425	27	0	295	423	96	362	473	479	12	133	5094
28.	RAJSAMAND	43	0	55	0	25	0	37	4	7	0	116	90	15	55	373
29.	CHURU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
	TOTAL R.H.B.	67216	8954	6984	9414	4783	9509	6537	10655	2777	4118	2456	3508	5031	2351	144603

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-180 का विवरण)

खनिजवार एवं जिलेवार माइन्स की संख्या वर्ष 1999-2000

जिला प्रधान खनिज		माइन्स की संख्या	
कोपर ओर :			6
1.	झुंझुनूं	4	
2.	सिरोही	2	
आयरन ओर :			17
1.	अलवर	1	
2.	दौसा	1	
3.	जयपुर	7	
4.	झुंझुनूं	5	
5.	सीकर	3	
लेडजिंक : (आरओएम)			6
1.	भीलवाड़ा	1	
2.	राजसमंद	4	
3.	उदयपुर	1	
मैग्नीज :			1
1.	बांसवाड़ा	1	
एसबेसटस :			56
1.	अजमेर	4	
2.	जयपुर	1	
3.	पाली	6	

जिला प्रधान खनिज		माइन्स की संख्या	
4.	राजसमंद	33	
5.	उदयपुर	12	
बालक्ले :			79
1.	बीकानेर	78	
2.	जैसलमेर	1	
बेराईटीज :			9
1.	अलवर	4	
2.	राजसमंद	3	
3.	सीकर	1	
4.	उदयपुर	1	
केलसाईट :			26
1.	अजमेर	2	
2.	भीलवाड़ा	3	
3.	बूंदी	1	
4.	जयपुर	3	
5.	झुंझुनूं	3	
6.	सीकर	6	
7.	सिरोही	3	
8.	उदयपुर	5	
चायना क्ले :			75
1.	भीलवाड़ा	29	
2.	बूंदी	1	
3.	चितौड़गढ़	26	
4.	दौसा	2	
5.	जयपुर	8	

जिला प्रधान खनिज		माइन्स की संख्या
6. पाली	3	
7. सीकर	1	
8. उदयपुर	2	
9. करौली	3	
कौरण्डम :		1
1. टोंक	1	
डोलामाइट :		10
1. बांसवाड़ा	1	
2. जयपुर	2	
3. जैसलमेर	1	
4. झुंझुनूं	2	
5. सीकर	4	
इमराल्ड क्रूड :		2
1. अजमेर	1	
2. राजसमंद	1	
एपीडोट :		1
1. जयपुर	1	
फैल्सपार :		127
1. अजमेर	54	
2. अलवर	1	
3. भीलवाड़ा	56	
4. जयपुर	6	
5. पाली	3	
6. सीकर	5	
7. टोंक	2	

जिला प्रधान खनिज		माइन्स की संख्या
फायर क्ले :		4
1. भरतपुर	1	
2. झुंझुनूं	3	
फ्लोराईट :		18
1. डूंगरपुर	11	
2. जालौर	6	
3. सिरोही	1	
गारनेट (एबीआर एण्ड क्रूड) :		8
1. भीलवाडा	1	
2. टोंक	7	
ग्रेफाइट :		2
1. बांसवाड़ा	2	
जैसपार :		24
1. जैसलमेर	1	
2. जोधपुर	23	
जिप्सम :		43
1. बाड़मेर	4	
2. बीकानेर	9	
3. जैसलमेर	2	
4. जालौर	1	
5. नागौर	4	
6. पाली	1	
7. श्रीगंगानगर	10	
8. हनुमानगढ़	12	

जिला	माइन्स की संख्या
प्रधान खनिज	
लेटेराइट :	2
1. झालावाड़ 1	
2. करौली 1	
मैग्नेसाइट :	1
1. अजमेर 1	
कायनाइट :	1
1. भीलवाड़ा 1	
लाइमस्टोन :	43
1. अजमेर 1	
2. बांसवाड़ा 1	
3. चित्तौड़गढ़ 8	
4. चूरू 1	
5. जयपुर 3	
6. जैसलमेर 2	
7. झुंझुनूं 1	
8. जोधपुर 1	
9. कोटा 5	
10. नागौर 7	
11. पाली 3	
12. सवाईमाधोपुर 1	
13. सीकर 4	
14. सिरोही 3	
15. उदयपुर 2	
माईका :	170
1. अजमेर 144	
2. भीलवाड़ा 21	
3. जयपुर 5	
आकर्स :	26
1. अलवर 2	
2. बूंदी 2	
3. चित्तौड़गढ़ 19	
4. जैसलमेर 1	
5. झुंझुनूं 1	
6. उदयपुर 1	
पायरोफिलाइट :	15
1. अलवर 1	
2. चित्तौड़गढ़ 1	
3. झुंझुनूं 2	
4. राजसमंद 6	
5. उदयपुर 5	
रॉक फास्फेट :	5
1. उदयपुर 5	
क्वार्टज :	90
1. अजमेर 3	
2. अलवर 1	
3. भरतपुर 1	
4. दौसा 3	
5. जयपुर 5	
6. झुंझुनूं 4	
7. पाली 20	
8. राजसमंद 12	

जिला		माइन्स की संख्या
प्रधान खनिज		
9. सीकर	22	
10. सवाईमाधोपुर	3	
11. टोंक	13	
12. उदयपुर	3	
सेलेराइट :		4
1. बाड़मेर	3	
2. बीकानेर	1	
सल्फर ओर : (पायराइट)		1
1. सीकर	1	
सोंप स्टोन :		308
1. अजमेर	3	
2. अलवर	6	
3. बांसवाड़ा	4	
4. भरतपुर	1	
5. भीलवाड़ा	5	
6. चितौड़गढ़	1	
7. दौसा	8	
8. डूंगरपुर	69	
9. जयपुर	15	
10. झुंझुनूं	5	
11. राजसमंद	29	
12. स.माधोपुर	8	
13. सीकर	1	
14. टोंक	2	
15. उदयपुर	146	

जिला		माइन्स की संख्या
प्रधान खनिज		
16. करौली	5	
बरमिकूलोइट :		2
1. अजमेर	2	
सिलिका सैण्ड		92
1. अलवर	2	
2. बाड़मेर	1	
3. भरतपुर	17	
4. बूंदी	2	
5. चितौड़गढ़	1	
6. दौसा	10	
7. जयपुर	22	
8. स.माधोपुर	1	
9. टोंक	6	
10. करौली	30	
सिलिसियस अर्थ :		12
1. बाड़मेर	6	
2. जैसलमेर	6	
सिलिमेनाइट :		1
1. उदयपुर	1	
वोलेसटीनाइट :		5
1. सिरोही	3	
2. उदयपुर	2	
रेड ओक्साइड :		1
1. सवाईमाधोपुर	1	

जिला	माइन्स की संख्या
प्रधान खनिज	
शैल :	2
1. चितौड़गढ़ 2	
लिग्नाइट :	2
1. बाड़मेर 1	
2. बीकानेर 1	
कुल योग 1298	

जिला	माइन्स की संख्या
अप्रधान खनिज	
अप्रधान खनिज	
बेंटोनाईट :	18
1. बाड़मेर 17	
2. जैसलमेर 1	
ब्रिक अर्थ :	73
1. बीकानेर 15	
2. चूरू 12	
3. जोधपुर 1	
4. श्रीगंगानगर 28	
5. हनुमानगढ़ 17	
चर्ट :	12
1. अलवर 3	
2. भरतपुर 9	
चिप्स पाउडर :	50
1. चितौड़गढ़ 11	
2. राजसमंद 39	
फूलर्स अर्थ :	23
1. बाड़मेर 14	
2. बीकानेर 1	
3. बूंदी 2	
4. सीकर 6	
ग्रेनाइट :	574
1. अजमेर 33	
2. अलवर 18	

जिला	माइन्स की संख्या
अप्रधान खनिज	
3. बाड़मेर	29
4. भीलवाड़ा	28
5. चूरू	4
6. जयपुर	9
7. जैसलमेर	10
8. जालौर	280
9. झुंझुनूं	27
10. जोधपुर	18
11. पाली	62
12. राजसमंद	12
13. सवाईमाधोपुर	4
14. सीकर	3
15. सिरोही	21
16. टोंक	11
17. उदयपुर	5
कंकर बजरी :-	19
1. बीकानेर-	17
2. कोटा	1
3. सवाईमाधोपुर	1
4. टोंक	– (8 क्यूएल)
लाइम कंकर :	9
1. चूरू	2
2. जयपुर	4
3. जोधपुर	1
4. नागौर	2

जिला	माइन्स की संख्या
अप्रधान खनिज	
लाईमस्टोन (डाइमेंनशियल) :	94
1. चितौड़गढ़	– (2054क्यूएल)
2. झालावाड़	29
3. कोटा	65
मिल स्टोन :	7
1. भरतपुर	2
2. करौली	5
लाइम स्टोन (बर्निंग) :	585
1. अजमेर	12
2. अलवर	34
3. बांसवाड़ा	20
4. बाड़मेर	4
5. भीलवाड़ा	9
6. बीकानेर	32
7. बूंदी	25
8. चितौड़गढ़	16
9. धोलपुर	2
10. जयपुर	46
11. जैसलमेर	1
12. झालावाड़	2
13. झुंझुनूं	9
14. जोधपुर	131
15. कोटा	14
16. नागौर	40
17. पाली	77

जिला	माइन्स की संख्या
अप्रधान खनिज	
18. सवाईमोधोपुर	6
19. सीकर	2
20. सिरोही	7
21. उदयपुर	58
22. करौली	18
मार्बल :	3020
1. अजमेर	137
2. अलवर	290
3. बांसवाड़ा	184
4. भीलवाड़ा	48
5. बूंदी	6
6. चितौड़गढ़	32 (32 क्यूएल)
7. चूरू	27
8. दौसा	3
9. जयपुर	110
10. जैसलमेर	50
11. ज़ालौर	2
12. झुंझुनूं	21
13. जोधपुर	10
14. नागौर	– (823 क्यूएल)
15. पाली	34
16. राजसमंद	1680
17. सवाईमाधोपुर	10
18. सीकर	57
19. सिरोही	108
20. उंदयपुर	242

जिला	माइन्स की संख्या
अप्रधान खनिज	
मेसेनरी स्टोन :	2411
1. अजमेर	68
2. अलवर	95
3. बांसवाड़ा	11
4. बारां	1
5. बाड़मेर	136
6. भरतपुर	228
7. भीलवाड़ा	72
8. बीकानेर	64 (54 क्यूएल)
9. बूंदी	13
10. चितौड़गढ़	5
11. चूरू	135
12. दौसा	42
13. धोलपुर	22
14. डूंगरपुर	12
15. जयपुर	475
16. जैसलमेर	55
17. जालौर	123
18. झालावाड़	5
19. झुंझुनूं	91
20. जोधपुर	159
21. नागौर	360 (184 क्यूएल)
22. कोटा	80
23. पाली	80
24. राज़समंद	5
25 सवाईमाधोपुर	72
26. सीकर	307 (269 क्यूएल)
27. सिरोही	47
28. टोंक	44 (14 क्यूएल)

जिला	माइन्स की संख्या
प्रधान खनिज	
29. उदयपुर	55
30. करौली	50
पट्टीकातला	49
1. अजमेर	28 (25 क्यूएल)
2. अलवर	7
3. बांसवाड़ा	– (8 क्यूएल)
4. भीलवाड़	90 (78 क्यूएल)
5. दौसा	1
6. डूंगरपुर	– (175 क्यूएल)
7. झुंझुनूं	1
8. पाली	– (282 क्यूएल)
9. टोंक	178 (153 क्यूएल)
10. उदयपुर	– (7 क्यूएल)
रायालाइट :	103
1. जालौर	2
2. जोधपुर	77
3. पाली	24
क्वार्टजाईट :	6
1. अजमेर	1
2. दौसा	1
3. झुंझुनूं	1
4. सीकर	2
5. उदयपुर	1
सैण्ड स्टोन :	1895
1. बारां	3
2. भरतपुर	60
3. भीलवाड़ा	– (5000 क्यूएल)
4. बूंदी	1353
5. चितौड़गढ़	– (354 क्यूएल)
6. जोधपुर	59
7. जैसलमेर	41
8. झालावाड़	117
9. जोधपुर	12979 (12953 क्यूएल)
10. कोटा	101
11. करौली	135
सरपेन्टाइन (मार्बल) :	455
1. डूंगरपुर	182
2. उदयपुर	273
शैल :	2
1. चितौड़गढ़	2
स्लैट स्टोन :	42
1. भरतपुर	6
2. भीलवाड़ा	5
3. बूंदी	8
4. जयपुर	20
5. टोंक	3
कुल योग	9427 (22,472 क्यू एल)

ह.

अधीक्षण खनि. अभियन्ता (तृतीय)

परिशिष्ट "ब"

आगामी वर्ष में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों की आवंटित होने वाली खानों की संभावित संख्या निम्नानुसार है

आवंटन होने वाले खनन पट्टों का क्षेत्र (कार्यालय का नाम)	खनिज	संभावित संख्या
उदयपुर	सोपस्टोन, मार्बल, चुनाई पत्थर	22
खैरवाड़ा	सोप स्टोन	9
सलुम्बर	मार्बल व लाइमस्टोन	24
बांसवाड़ा	मार्बल, सापस्टोन, मैग्नीज ऑर्स	9
भीलवाड़ा	फैल्सपार, क्वार्टज, माइका, सोपस्टोन, चाइना क्ले, गारनेट	158
राजसमंद	बेराइटीज, केलसाइट, फैल्सपार, क्वार्टज	12
डूंगरपुर	फ्लोराइट, काइनाइट, सिलिमिनाइट	4
भीलवाड़ा	फैल्सपार, क्वार्टज, माइका, चाइनाक्ले, सोपस्टोन, लाइमस्टोन	165
बिजौलिया	सैण्डस्टोन	363
चितौड़गढ़	फैल्सपार, क्वार्टज, सोपस्टोन, चायना क्ले	32
अजमेर	फैल्सपार, क्वार्टज, नेफलीन–साइनाइट	5
जयपुर	गार्नेट, फैल्सपार, क्वार्टज	1
नागौर	मार्बल, सैण्ड स्टोन, टंग्स्टन, लाइमस्टोन	288
जोधपुर	सैण्डस्टोन, लाईमस्टोन	850
बालेसर	सैण्डस्टोन	100
जैसलमेर	सिलीसियल अर्थ	1
बाड़मेर	सिलीसियस अर्थ	1
भरतपुर	सैण्डस्टोन, व चेजा पत्थर	17
धौलपुर	सैण्डस्टोन व चेजा पत्थर	16
करौली	सैण्डस्टोन व चेजा पत्थर	11
अलवर	मार्बल	32
	योग	2090

ह.

अधीक्षण खनि. अभियन्ता (तृतीय)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-183 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

घटनावार विवरण

क्र.सं.	जिला	स्थान	घायल	लाठी चार्ज का कारण	क्या जांच कराई गई
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर (दक्षिण)	क्वीन्स रोड स्थित आर्मी एरिया सिंह , गढ़गेट,जयपुर	पथराव के दौरान 10 पुलिस–कर्मी	मिलिट्री में भर्ती के उम्मीदवारों द्वारा उत्पात मचाने पर	नहीं
2.	हनुमानगढ़	नोहर में – राजकीय – चिकित्सालय में चिकित्सकों के सरकारी आवास पर	एक पुलिस–कर्मी	लोगों की उग्र भीड़ द्वारा नोहर में राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के सरकारी क्वार्टरों पर तोड़फोड़ कर सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था	नहीं
3.	भरतपुर	लोहागढ़ स्टेडियम हीरादास भरतपुर	——	आर्मी भर्ती में आये अभ्यर्थियों व उनके रिश्तेदारों द्वारा सरकारी सम्पति की तोड़फोड़ व कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किये जाने पर	हां, इस घटना की प्रशासनिक जांच एडी.एम. भरतपुर द्वारा की गई है
4.	भरतपुर	बिजली घर चौराहा भरतपुर	20 व्यक्ति	पुलिस थाने पर पथराव एवं बाजार में तोड़फोड़ एवं जन–हानि को रोकने के लिए	नहीं

1	2	3	4	5	6
5.	बाड़मेर	ग्राम थूम्बली (गिरले)	---	राजस्थान खनिज विकास निगम गिरले का वर्ष 1999–2000 का ठेका भवानी रोड लाइन्स के पक्ष में छूटने से पूर्व यूनियन सहकारी समिति शिव ट्रांसपोर्ट के सदस्यों की उतेजित भीड़ जिसमें ट्रक मालिक, खलासी व आपराधिक तत्व थे, दिनांक 1.4.99 को पुलिस व प्रशासन एवं भावानी रोड लाइन्स के लोगों पर उन्हें लदान नहीं करने देने हेतु पथराव किया गया। इस पर डी.एम. के आदेश से पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को भगाया व 30 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर मुकदमा नं. 30/99 धारा 147,148,149,332,336,353, 427,307 आई.पी.सी. में दर्ज किया जिसमें चालान पेश हो चुका है।	नहीं
6.	सिरोही	ग्राम रोहिड़ा बस स्टेण्ड से जैन मंदिर तक	कुल–32 22 पुलिसकर्मी 10 पुरुष (जनता)	आदिवासियों द्वारा जैन साधुओं व पुलिस/प्रशासन पर हमला करना एवं मंदिर में घुसकर लूटपाट एवं तोड़फोड़ करना तथा समझाइश का असर नहीं होने पर लाठीचार्ज किया गया।	जिला मजि.के से अति. जिला मजि. द्वारा जांच की जा रही है
7.	जोधपुर ग्रामीण	रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन रोड फलौदी	---	दिनांक 20.12.99 को व्यापारियों द्वारा बैल/बछड़े रेल द्वारा बिहार व उतर प्रदेश ले जाने हेतु 1584	नहीं

1.	2	3	4	5	6
				बछड़े, 40 रेल डिब्बों में लदान किये गये। स्थानीय कस्बा फलौदी में बछड़ों/बैलों को वध हेतु ले जाने की अफवाह फैला दी गई। इससे स्थानीय लोगों की भीड़ ने गाड़ी के डिब्बों को नहीं ले जाने दिया। इससे व्यापारी व विशेष समुदाय के लोगों तथा स्थानीय लोगों में तनाव व पथराव हुआ। इस पर भीड़ को तितर–बितर करने हेतु उप अधीक्षक पुलिस फलौदी द्वारा लाठी चार्ज कराया गया।	
8.	जयपुर ग्रामीण	थाना रेनवाल परिसर	—	जनता द्वारा थाने का घेराव, तोड़फोड़ सरकारी जीप व अन्य सरकारी सम्पति को जलाने एवं पथराव किये जाने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर–बितर किया गया।	नही

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-188 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

बिन्दु संख्या 1 व 2

यह सही है कि भारत पाक सीमा पर घुसपैठिये पकड़े गये है किन्तु भारत पाक सीमा पर लगभग पूर्ण तारबन्दी हो जाने के फलस्वरूप घुसपैठ के मामलों में काफी कमी आई है।

सीमावर्ती चारों जिलों में जनवरी, 1998 से फरवरी, 2000 तक पाक सीमा पर कौन–कौन, कब–कब एवं कहां–कहा घुसपैठिये पकड़े गये हैं एवं उनसे क्या–क्या सामान आदि बरामद हुआ। इसका विवरण निम्नप्रकार है :–

क्र.सं	नाम व पता	पकड़े जान की तारीख	पकड़े जाने का स्थान	बरामद सामान एवं उसका मूल्य
1	2	3	4	5
वर्ष–1998				
1.	लाडखॉं पुत्र उस्मान खां निवासी सिनवाड़ा थाना सांकड़ा जैसलमेर।	1.1.98	बीपी नं. 748/1 व 748/2 के मध्य थाना सम–जैसलमेर	शून्य
2.	नागौर अली पुत्र मोहेश अली निवासी बिन्ध्या जिला टांगस बग्लादेश।	8.1.98	कस्बा चौहटन बाड़मेर	शून्य
3.	साहेब अली निवासी बागड़वाड़ी जिला टांगस बग्लादेश।	8.1.98	–यथा–	300रु. पाक मुद्रा व 300 रु. भारतीय मुद्रा
4.	खुर्शीद मोहम्मद पुत्र सलमान खान निवासी खखीया पाक।	9.1.98	सुरक्षा बल चौकी गोरधन थाना घड़साना –गंगानगर	शून्य

1	2	3	4	5
5.	खलिख मसीह पुत्र उमर मसीह नि. 72/10 शांति नगर जिला खनेवाला पंजाब पाक।	24.1.98	पिल्लर नं. 432 के पास गेट नं. 145 थाना खाजूवाला बीकानेर।	22 रु. पाक मुद्रा
6.	मोहम्मद जहरूल इस्लाम पुत्र दूल्हा मीयां निवासी गवालरी थाना गामीबन्धा जिला गामीबन्ध बंग्लादेश।	27.1.98	बी.पी. नं. 843 एम. व 843/1 जुम्मा फकीर की बस्सी–बाड़मेर	शून्य
7.	महरशाह पुत्र इमामशाह नि.–दरबार मोहर जिला डांग पंजाब पाक।	20.2.98	ब्राह्मण की ढाणी बीएसएफ पोस्ट बाखासर बीपी. नं: 1 920–921 के पास जिला–बाडमेर।	शून्य
8.	रहम तुल्ला पुत्र दातू खां नि. मुरीद की ढाणी जिला मीठी पास।	28.2.98	बीपी नं. 882 के पास बाड़मेर।	शून्य
9.	साहेब सिंह उर्फ साबे उर्फ सुच्चां सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि. फिरोजसिंह वाला थाना वेगूवाला जिला कपूरथला पंजाब।	13.3.98	बीपी. नं. 291/2 क्यू हैड बीएसएफ द्वारा गेट खोलकर गंगानगर।	1095 रु. भारतीय मुद्रा
10.	इंशाक पुत्र लुकमा निवासी बाड़ी धारा थाना शिव जैसलमेर।	16.3.98	बीपी. नं. 666/3 के पास मुकदमा नं. 1/98 धारा 3/6 आईपीपीआर थाना शहगढ़ जैसलमेर।	शून्य
11.	सफी उल्लाह नासिर पुत्र मुस्ताक अहमद नि. चक 140 मुराद थाना दारावाला जिला भावल नगर पाक	31.3.98	बीपी. नं. 392/3 व 392/4 बीएसएफ पोस्ट सखी थाना रावला गंगानगर	शून्य
12.	मेहमूद साजिद पुत्र मन्जूर अहमद नि. चिश्तियां जिला भावल नगर पाक।	13.4.98	बीएसएफ पोस्ट रोहिणी सैक्टर रावला बीपी. नं. 389/2 व 389/3 के मध्य गंगानगर।	70रु. पाक मुद्रा

1	2	3	4	5
13.	भवराराम उर्फ भवंरिया पुत्र लाधा राम नि. मिठडाउ बाड़मेर।	27.4.98	बीपी नं. 681/1 व 682/2 के मध्य बाड़मेर	शून्य
14.	लतीफ खां पुत्र उर्स मोहम्मद मुरीद का पार बाड़मेर।	–यथा–	–यथा–	शून्य
15.	हुसैन खां पुत्र खमीसे खां मुरीद का पार बाड़मेर।	–यथा	–यथा–	शून्य
16.	अमान उल्लाह पुत्र सुल्तान निवासी चोहल हलसिमकी तह. शाहपुर जिला रोधा पंजाब पाक।	28.4.98	बीपी. नं. 321/2 व 321/3 बीएसएफ पोस्ट ओ थाना करणपुर गंगानगर	5 रु. पाक मुद्रा व पाक निर्मित माचिस
17.	मठार पुत्र कम्मीरा गांव बलिहारी जिला मीठी पाक।	6.5.98	मौजा हुसैन का तला बाड़मेर	80रु. पाक मुद्रा
18.	नाम ना मालूम बोलने में असमर्थ	19.5.98	बीपी नं. 304/2 गेट नं. 27 सीमा चौक भागसर थाना केसरी–सिंहपुर गंगानगर।	3 रु. पाक मुद्रा
19.	मखनी पत्नी मुराद खां निवासी लूणो की बस्ती थाना सम जैसलमेर।	17.6.98	बीपी. नं. 749/5 व 750 के मध्य थाना सम जैसलमेर।	शून्य
20.	रामचन्द्र पुत्र अम्बा नि. पावडियाली जिला मिठी पाक।	19.6.98	बीएसएफ पोस्ट बीकेडी बाड़मेर।	शून्य
21.	तेजदीन पुत्र गोसबक्स नि–गौरा का टीबा जिला रहीमयार खान पाक।	16.7.98	थाना नाचना जैसलमेर	शून्य
22.	अललाजवाया पुत्र आलमयार नि. भारेवाल थाना नाचना जैसलमेर।	21.7.98	बीएसएफ पोस्ट रणजीत का टोपा जैसलमेर।	शून्य

1	2	3	4	5
23.	अब्दुल शकूर पुत्र अल्लाबक्स नि. चनी कोट थाना 10 नम्बर जिला भावलपुर पाक।	22.7.98	बीपी. नं. 739/3 व 740 के मध्य जैसलमेर।	शून्य
24.	गुलसेर पुत्र मो. जल नि. हेदरी थाना बलूचपाड़ा करांची पाक।	3.9.98	बीपी नं. 821/4 व 921/5 बीएसएफ पोस्ट बीकेडी बाड़मेर।	शून्य
25.	भूरा पुत्र गोमदा निवासी लुआ तहसील डिपलो पाक।	27.9.98	बीएसएफ पोस्ट रोहिडी थाना गिराव बाड़मेर।	शून्य
26.	गुलाम मुंजीदबा उर्फ हाजी पुत्र हाकिम गुलाम रसूल निवासी वार्ड नं. 9 मिन्चानाबाद जिला भावल नगर पाक।	1.10.98	बीएसएफ पोस्ट नगी बीपी नं. 317/3 व 318/4 थाना करणपुर गंगानगर।	शून्य
वर्ष 1999				
1.	मुतसिंह उर्फ सादिक पुत्र साबिर अली नि. सोनपुरा थाना बड़खला जिला सिलहट बंग्लादेश।	1.1.99	बीएसएफ पोस्ट पादरिया बाड़मेर।	शून्य
2.	मो. मुनीर पुत्र मो. याद नि.24/20 एल भावलनगर पाक।	17.1.99	बीएसएफ पोस्ट शेरपुरा गंगानगर।	लकडी काटने की कुल्हाडी।
3.	मो. रमजान पुत्र चिरागदी नि. चक 29 थाना इनारा भहलवाड़ा ओकड़ा जिला साहीवाला मोरगुमटी पाक।	31.1.99	सीमा चौकी मानसरोवर बीपी नं. 420/4 व 421 के बीच गेट नं. 144 के पास बाड़मेर।	14 रुपये पाक मुद्रा
4.	मो. नवाज पुत्र अहमदिया निवासी हस्नाबाद जिला भावलनगर पाक।	25.2.99	बी.पी. नं. 308/3 व 308/4 गंगानगर।	शून्य

1	2	3	4	5
5.	हमीद हुसैन पुत्र मलिक शाह नि. रोशनहार जिला चिटगांव बंग्लादेश।	1.4.99	क्यू हैड बीपी नं.291/1 व 291/3 गंगानगर	शून्य
6.	जलाल खां पुत्र अल्ला बचाया नि. लाडों का टिबा थाना मोहनगढ़ जैसलमेर।	6.4.99	बी.पी. नं. 531/1 बी.एस.एफ. पोस्ट चार आर जैसलमेर।	शून्य
7.	इनायत उर्फ भागा पुत्री रहीम खां नि.दूले हिंगोसद्या, गोठखीपरो सांगड़ पाक हाल जैसलमेर।	10.4.99	ग्राम धनाना थाना सम जैसलमेर।	शून्य
8.	रूस्तमअली पुत्र मक्खन नि–चक 311 तह. पुरेवाला जिला बिहाड़ी मुल्तान पाक।	16.4.99	गांव रंगमहल सूरतगढ़ गंगानगर।	3 रुपये पाक मुद्रा
9.	मो. दीन पुत्र मक्सूदे खां नि. सत्या थाना नाचना जैसलमेर।	21.3.99	चक एसडब्ल्यूएम सरहद पांच का तला नाचना जैसलमेर।	शून्य
10.	श्रीमती हुरमत पुत्री भीमेखां नि. चक 4 खानपुरा रहीमयारखां पाक हाल जैसलमेर।	21.3.99	–यथा–	शून्य
11.	मोहम्मद सलीम पुत्र हुसैन अली नि–जमात पट्टी थाना सरूप कटटी जिला बोरासाल बंग्लादेश।	1.6.99	पिल्लर नं. 291/2 व 291/3 के मध्य गंगानगर।	शून्य
12.	शफी अहमद पुत्र गुलाम फरीद नि–अकवाल नगर थाना सदर रहिमयार खान पाक।	7.6.99	बी.पी. नं. 595/8 आर पोस्ट 79–80 के बीच किशनगढ़ पोस्ट जैसलमेर।	शून्य
13.	गुलाम मुर्तजा पुत्र शेर मोहम्मद चक 127–3 आर पोस्ट अ–38 आर भावलपुर पाक।	15.7.99	आउट पोस्ट चित्रकूट थाना घड़साना गंगानगर।	शून्य

1	2	3	4	5
14.	दिपणी पुत्र एथुन्नापन नि.कुल्लम बिड उन्नामालाविद वाया भारूतान्डम जिला. कन्याकुमारी तमिलनाडू।	13.9.99	बी.पी.नं. 288/2–3 के पास गेट खोलकर।	शून्य
15.	जान मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद खां. नि. चक 134 एचपी हारूना बाद भावलनगर पाक।	5.11.99	पिल्लर नं. 349 बी.एस.एफ. पोस्ट त्रिसूल गंगानगर।	शून्य
16.	मो. असलम उर्फ हसन पुत्र अब्दुल रहमान नि.साहवाला पाक।	1.12.99	बी.एस.एफ. पोस्ट मुनदरपुरा बी.पी. नं. 292/2 व 292/3 गंगानगर।	17 रुपये पाक मुद्रा
17.	खानजमान पुत्र सरवार खां नि. लोसर लोगोर मो. अगर काबुल अफगान।	8.12.99	बी.पी.नं. 401/1 व 401/2 बी.एस.एफ. पोस्ट अशोका हेमा थाना घड़साना गंगानगर।	35000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गईजिसका बाजारमूल्य लगभग 35 करोड़ 30 लाख रुपये है।
18.	मीरवाइज पुत्र नसीबगुल नि. ख्वाबाकरा (ख्वासमाह) काबूल अफगान।	8.12.99	–यथा–	–यथा–
19.	गुलखान पुत्र बाबू खां नि. रानावाब तह. जजमान मण्डी भवलपुर पाक।	14.12.99	बी.एस.एफ. पोस्ट भन्डाली बी.पी. नं. 406 खाजूवाला बीकानेर।	शून्य

1	2	3	4	5
वर्ष-2000				
1.	बरोच पुत्र मुराद खां नि.लूर्णो बस्ती थाना सम जैसलमेर।	1/2.1.2000	बी.पी.नं. 743 व 743/1 बी.एस.एफ. पोस्ट पहरी जैसलमेर।	13,600 कि. ग्रा. हेरोइन बाजार मूल्य लगभग 13 करोड़ 60 लाख रुपये है।
2.	अकबर पुत्र मछीया नि. चक 24 पीर महल पाक।	11.1.2000	बी.एस.एफ. पोस्ट सुन्दरपुरा बी.पी. नं. 296/2 गंगानगर।	25 रुपये पाक मुद्रा
3.	अजीजुरहमान पुत्र रेकाब गोले नि.मस्केपुरा (चामला) थाना नावागई जिला मरदान पेशावर पाक।	23.1.2000	बी.पी. नं. 608/1 बी.ओ.पी. बबलियावाला थाना रामगढ़—जैसलमेर।	30 रुपये पाक मुद्रा
4.	मो. इलियास उर्फ नासिर अहमद पुत्र गुलाम फरीद जानी नि. करीमेर का चौक तह. चिश्ती भावलनगर पाक।	19.2.2000	बी.पी. नं. 601 के पास थाना मोहनगढ़ जैसलमेर।	शून्य

परिशिष्ट "ब"

FUTURE POWER PROJECTS LIKELY TO BE SET UP IN RAJASTHAN

NAME OF PROJECT	TOTAL CAPACITY MW	RAJASTHAN SHARE MW
(a) UNDER STATE SECTOR		
1. SURATGARH STAGE-1 UNIT-2	1X250	250.00 OnGoing
2. SURATGARH STAGE -II	2X250	500.00 On Going
3. RAMGARH GAS EXTN	2X35.5	71.00
4. JHAKHAM	1X5	5.00
5. ANAS	45	45.00
6. MATHANIA	4X35	140.00
B UNDER CENTRAL SECTOR		
1. ANTA STAGE-II	650	129.00
2. RAPP EXTN. B	2X220	87.00 On Going
C UNDER PRIVATE SECTOR OR IPP CATEGORY/COGENERATION/ UNDER CAPTIVE POWER PLANT POLICY.		
1. LIQUID FUEL BASED		
(a) INDOCAL POWER VENTURE PVT.LTD.	1X166	166.00
(b) PEERAJ POWER GENERATION LTD.	1X166	166.00
(c) CHAMBER POWER LTD.	1X166	166.00
2. DHOLPUR NEPTHA BASED	7027	702.70
3. BARSINGSAR LIGNITE BASED	2X250	500.00
4. HINDUSTAN ZINK	1X60+ 1X100	160.00
5. ANITA IMPEX	150	150.00
6. JALIP AND KAPURDI LIGNITE MINING CUM POWER GENERRATION PROJECTS	2X2X300	1200.00
7. SOLAR POWER PROJECTS	2X50+ 1X200	300.00
TOTAL		4737.70

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-200 की सूची)

निलम्बित चालक/परिचालकों का मानचित्र

क्र.सं.	यूनिट का नाम	परिचालक	चालक
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर	—	—
2.	केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर	—	—
3.	केन्द्रीय कार्यशाल, जोधपुर	—	—
4.	जयपुर आगार	20	04
5.	सी.बी.एस. जयपुर	02	—
6.	वैशाली नगर, जयपुर	11	06
7.	विद्याधर नगर, आगार	13	03
8.	दौसा आगार, जयपुर	17	06
9.	झालाना डूंगरी आगार	04	02
10.	सांगानेर आगार	13	05
11.	डीलक्स आगार	08	18
12.	कोटपूतली आगार	07	05
13.	देहली आगार	—	—
14.	सीकर आगार	18	04
15.	झुंझुनूं आगार	02	02
16.	खेतड़ी आगार	02	02
17.	अजमेर आगार	10	02
18.	सी.बी.एस. अजमेर	—	—
19.	अजयमेरू आगार	04	05
20.	नागौर आगार	17	03
21.	भीलवाड़ा आगार	17	04
22.	ब्यावर आगार	13	02
23.	जोधपुर आगार	13	06
24.	बाड़मेर आगार	25	03
25.	फलौदी आगार	05	07

1	2	3	4
26.	सिरोही आगार	06	03
27.	जालौर आगार	11	04
28.	आबूरोड आगार	05	01
29.	फालना आगार	05	05
30.	पाली आगार	04	–
31.	उदयपुर आगार	17	14
32.	बांसवाड़ा आगार	03	03
33.	डूंगरपुर आगार	16	04
34.	चित्तौड़गढ़ आगार	11	05
35.	कोटा आगार	19	08
36.	बूंदी आगार	23	12
37.	बारां आगार	23	11
38.	झालावाड़ आगार	25	20
39.	टौंक आगार	13	08
40.	अलवर आगार	22	03
41.	मत्स्य नगर आगार	05	04
42.	भरतपुर आगार	17	10
43.	लौहागढ़ आगार	09	02
44.	हिण्डौन आगार	12	03
45.	तिजारा आगार	04	02
46.	धौलपुर आगार	09	04
47.	बीकानेर आगार	24	03
48.	गंगानगर आगार	15	04
49.	सरदारशहर आगार	06	–
50.	हनुमानगढ़ आगार	07	01
51.	अनुपगढ़ आगार	12	06
52.	चूरू आगार	09	10
	योग	553	239